ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

शंकर प्रसाद सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3715 of 2013. Decided on 25th October, 2013.

सेवा विधि–स्थानांतरण–अपने मूल विभाग में संप्रत्यावर्तन के बिना याची को अपने पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित किया गया–स्थानांतरण सेवा की घटना मात्र है–किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के मामले में अथवा किसी वैध कारण से ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण विभाग जहाँ ऐसे कर्मचारी की सेवा स्थापित की गयी है, द्वारा प्रभावशील बनाया जा सकता है–स्थानांतरण का आक्षेपित आदेश, जहाँ तक यह याची से संबंधित है, को विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और अभिखंडित किया जाता है। (पैराएँ 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–2008 (2) JCR 306 (Jhr.)—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Rajeev Kumar, For the Petitioner; J.C. to G.A., For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची की शिकायत यह है कि दिनांक 7 मई, 2013 के मेमो सं॰ 3876 में अंतर्विष्ट अधिसूचना, रिट आवेदन का (परिशिष्ट-5) द्वारा उसे अंचलाधिकारी, महागामा, गोड्डा के रूप में उसकी पदस्थापना के वर्तमान स्थान से कार्यपालक दंडाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। याची स्वीकृत रूप से झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है। याची की सेवा दिनांक 28 दिसंबर, 2010 के मेमो सं॰ 7932 में अंतर्विष्ट अधिसूचना, रिट आवेदन का (परिशिष्ट 1), जिसमें उसका नाम क्रमांक सं॰ 53 पर आता है द्वारा भू-सुधार एवं राजस्व विभाग को सौंप दी गयी थी। तत्पश्चात, भूसुधार, एवं राजस्व विभाग ने दिनांक 18 मई, 2012 के मेमो सं॰ 1570 में अंतर्विष्ट अधिसूचना सं॰ 1566 (परिशिष्ट 2) के तहत उसे अंचलाधिकारी, पथरगामा, जिला गोड्डा के रूप में पदस्थापित किया। याची ने दिनांक 19 मई, 2012 को अंचलाधिकारी, पथरगामा, गोड्डा के पद पर पदग्रहण किया।

3. याची का मामला यह है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 7 मई, 2013 की आक्षेपित अधिसूचना के तहत उसे अंचलाधिकारी, महागामा, गोड्डा के रूप में अपनी पदस्थापना के वर्तमान स्थान से कार्यपालक दंडाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित अधिसूचना का विरोध, अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर करते हैं कि मूल विभाग को याची की सेवा संप्रत्यावर्तित करने के किसी आदेश के बिना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार ने अचानक याची को महागामा में उसकी पदस्थापना के एक वर्ष की अवधि के भीतर स्थानांतरित कर दिया है जो विधि में दोषपूर्ण है और अधिकारिताहीन है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित अधिसूचना द्वारा उसके स्थान पर किसी अन्य को पदस्थापित नहीं किया गया है। किंतु, उपायुक्त, गोड्डा द्वारा की गयी अंतरिम व्यवस्था के रूप में अंचलाधिकारी, महागामा, गोड्डा के पद का प्रभार एकपक्षीय रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी,

महागामा को सौंप दिया गया था जो मनमाना है और झारखंड सेवा संहिता के नियम 59 के उल्लंघन में है। यह दिनांक 20 अगस्त, 2013 के मेमो सं॰ 433 उपायुक्त, गोड्डा द्वारा जारी कार्यालय आदेश 88 वर्ष 2013 में अंतर्विष्ट है।

5. याची ने अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 7121 वर्ष 2013 के रूप में वर्तमान रिट आवेदन में निर्णय लंबित रहने तक दिनांक 21 अगस्त, 2013 की चार्ज रिपोर्ट (परिशिष्ट-7/1) को प्रास्थगन में रखने के लिए प्रार्थना किया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 3 सितंबर, 2013 के मेमो सं॰ 8021 में अंतर्विष्ट पश्चातवर्ती अधिसूचना उपदर्शित करती है कि ऐसे अधिकारियों, जिन्हें भू-सुधार एवं राजस्व विभाग के समक्ष स्थापित किया गया था, की सेवाएँ उक्त विभाग में बनी रहेगी जब तक उनकी सेवा ग्रामीण विकास विभाग को सौंप नहीं दी जाती है। वह प्रखंड विकास अधिकारी के रूप में पदस्थापित अधिकारियों, जिनकी सेवाएँ ग्रामीण विकास विभाग को सौंप दी गयी थी, के संबंध में समरुप निबंधनों में मेमो सं॰ 8022 में अंतर्विष्ट दिनांक 3 सितंबर, 2013 की अधिसूचना पर भी विश्वास करते हैं। उसमें यह भी उपदर्शित किया गया है कि जब तक उनकी सेवा भू-सुधार एवं राजस्व विभाग को सौंप नहीं दी जाती है, वे ग्रामीण विकास विभाग के अधीन बने रहेंगे।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि दिनांक 3 सितंबर, 2013 की अधिसूचनाओं द्वारा ऐसी विवेकशील और समुचित व्यवस्था बनायी गयी थी जो याची के मामले को प्रबलित करती है, किंतु याची के मामले में भू-सुधार एवं राजस्व विभाग से याची की सेवा को वापस लिए बिना ही उसका स्थानांतरण कर दिया गया है और भूमि राजस्व एवं सुधार विभाग द्वारा अंचलाधिकारी, महागामा के तौर पर पदस्थापन के एक वर्ष के भीतर उसे कार्यपालक दंडाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के रूप में पदस्थापित किया गया है। अत: आक्षेपित अधिसूचना विधि में दोषपूर्ण है।

7. प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुए हैं। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजस्व विभाग, झारखंड सरकार का पदधारीगण होने के नाते प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 ने और उपायुक्त होने के नाते प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने भी प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। उन्होंने आज पूरक प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल किया है।

8. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा दाखिल शपथ पत्र के रूप में अभिलेख पर लाया गया प्रत्यर्थीगण राज्य का मामला यह है कि द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा के अधीन नियुक्त झारखंड में नए भरती किए गए कतिपय अधिकारियों की सेवा समाप्ति पर सृजित स्थिति की अत्यावश्यकता के कारण प्रखंड विकास अधिकारी एवं अंचलाधिकारी के अनेक पद रिक्त हो गए थे। ऐसी परिस्थितियों में, ग्रामीण विकास विभाग, भू-सुधार एवं राजस्व विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के सचिवों ने दिनांक 28 जून, 2012 को की गयी बैठक में निर्णय पर आए जो प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A में अंतर्विष्ट है। प्रत्यर्थीगण राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उक्त निर्णय के अधीन ऐसे अधिकारियों की सेवा को काफी बड़े क्षेत्र वाले ऐसे प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी और अंचलाधिकारी के दोहरे प्रभार में रखा जाना था जिन्हें संबंधित विभाग को मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद ऐसे प्रयोजन से इस प्रकार शिनाख्त किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि ऐसी परिस्थिति में, याची को ऐसे प्रखंड में पदस्थापित किया गया था जो छोटे आकार का था और महागामा प्रखंड पर भी प्रखंड विकास

अधिकारी के रूप में उसको प्रभार देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। तत्पश्चात, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग जो याची का मूल विभाग है ने विकासों, जो अधिकारियों (जिनकी सेवाएँ पहले ही समाप्त कर दी गयी थी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश की दृष्टि में, के पदग्रहण के कारण हुए हैं, को विचार में लेने पर पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में कार्यपालक दंडाधिकारी के उच्चतर पद पर उसको पदस्थापित करते हुए स्थानांतरण के आदेश को प्रभाव देना चुना है। याची को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए जो उन्हें उच्च पद पर पदस्थापित किया गया है। किंतु, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता विधिक विवाद्यकों का उत्तर देने में सक्षम नहीं हुए हैं कि किस प्रकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना के तहत (परिशिष्ट 1) याची की सेवा किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उक्त मूल विभाग को संप्रत्यावर्तित किए बिना याची की सेवा भू-सुधार एवं राजस्व विभाग को सौंप देने के बाद उसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा आक्षेपित अधिसूचना द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और आक्षेपित आदेश सहित अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्रियों का परिशीलन किया है। वर्तमान रिट आवेदन में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक, जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 7 मई, 2013 को जारी याची के स्थानांतरण आदेश (परिशिष्ट 5) से संबंधित है, यह है कि क्या याची की सेवा को भू-राजस्व एवं सुधार विभाग से संप्रत्यावर्तित किए बिना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार उस तरीके से उसके स्थानांतरण का आदेश पारित कर सकता था जिस तरीके से यह किया गया है।

10. प्रत्यर्थीगण ने बैठक के कार्यवृत पर विश्वास किया है जो दिनांक 26 जून, 2012 के प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A के रूप में संलग्न है। उक्त कार्यवृत्त का परिशीलन स्वयं उपदर्शित करता है कि भू-सुधार एवं राजस्व विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के दो संबंधित विभाग वे विभाग थे जिन्होंने ऐसे अधिकारियों जिनकी सेवाएँ उक्त विभाग के अधीन स्थापित की गयी थी के स्थानांतरण एवं पदस्थापना को प्रभाव देने के लिए प्राधिकृत किया। यह प्रतीत होता है कि स्वयं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 28 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना (परिशिष्ट 1) के तहत काफी पहले याची की सेवा भू-सुधार एवं राजस्व विभाग के साथ स्थापित की गयी थी। अंचलाधिकारी, महागामा के रूप में याची के पदस्थापना के स्थानांतरण का पूर्व आदेश (परिशिष्ट 2) भी भू-सुधार एवं राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 18 मई, 2012 को जारी किया गया था। तत्पश्चात कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के मूल विभाग को वर्तमान याची के संप्रत्यावर्तन का आदेश नहीं जारी किया गया है। वस्तुतः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 3 सितंबर, 2013 के मेमो सं॰ 8021 और 8022 में अंतर्विष्ट अधिसूचना का परिशीलन स्वयं दर्शाता है कि संबंधित भू-सुधार एवं राजस्व विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को अपने साथ पदस्थापित ऐसे अधिकारियों की सेवा अपने पास तब तक रखने की अनुमति दी गयी थी जब तक अन्य विभाग को उनकी सेवा की अनुमति नहीं दी जाती है। पूर्वोक्त अधिसूचना प्रशासनिक अनुदेश के अनुरुप प्रतीत होती है जो अन्य विभागों में एक या दूसरे अधिकारी की सेवा स्थापित करने के मामले में प्रत्यर्थीगण के क्रियाकलापों को शासित करती है। किंतु, पूर्वोक्त अभिलेख के परिशीलन से स्वयं यह

प्रतीत होता है कि भू-सुधार एवं राजस्व विभाग से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को याची की सेवा संप्रत्यावर्तित किए बिना स्थानांतरण के आक्षेपित आदेश को प्रभाव दिया गया है जो प्रकटत: विधि में न्यायोचित नहीं है। आई॰ ए॰ सं॰ 4238 वर्ष 2013 में दिनांक 23.8.2013 के अंतरिम आदेश द्वारा यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि यदि याची को अपनी पदस्थापना के स्थान से भारमुक्त नहीं किया गया है, उसे भारमुक्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान आई॰ ए॰ में अभिलेख पर लाए गए उपायुक्त, गोड्डा द्वारा जारी दिनांक 20.8.2013 के मेमो सं॰ 433 में अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश सं॰ 88 वर्ष 2013 के मुताबिक महागामा प्रखंड विकास अधिकारी को महागामा अंचलाधिकारी के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया था जहाँ याची पदस्थापित था। यह भी स्पष्ट है कि याची के स्थान में किसी को अधिष्ठायी रूप से पदस्थापित नहीं किया गया है।

11. अत: पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, जहाँ तक याची का संबंध है, स्थानांतरण का आक्षेपित आदेश अधिकारियों, जिनकी सेवा स्वयं मूल विभाग के सचेत निर्णय द्वारा एक अन्य विभाग में स्थापित की गयी थी, के स्थानांतरण को प्रभाव देने के लिए अधिकथित सन्नियमों एवं प्रक्रियाओं के उल्लंघन में प्रतीत होता है। यह विवादित नहीं है कि किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता की स्थिति में अथवा किसी वैध कारण से विभाग जहाँ ऐसे कर्मचारी की सेवा स्थापित की गयी है द्वारा ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण प्रभावशील बनाया जा सकता है क्योंकि स्थानांतरण केवल सेवा की घटना है। अत:, वर्तमान मामले में अधिकथित प्रक्रिया से विपथन किया गया प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थितियों में, स्थानांतरण का आक्षेपित आदेश, जहाँ तक यह याची से संबंधित है, विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और तद्नुसार यह अभिखंडित किया जाता है। परिणामस्वरुप, याची अपनी पदस्थापना के वर्तमान स्थान पर अर्थात् अंचलाधिकारी, महागामा, गोड्डा के रूप में बने रहने का हकदार होगा। यद्यपि याची को उपायुक्त के आदेश द्वारा जिला स्तर पर की गयी व्यवस्था के कारण भारमुक्त कर दिया गया था, आक्षेपित अधिसूचना के अभिखंडन की दृष्टि में और **उत्तम कुजुर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2008 (2) JCR 306 (Jhr.)** में इस न्यायालय के विद्वान खंडपीठ द्वारा अधिकथित विधि की प्रतिपादना की दृष्टि में और इस तथ्य की दृष्टि में कि उसके स्थान पर किसी अन्य को पदस्थापित नहीं किया गया है, याची अपनी पदस्थापना के वर्तमान स्थान पर बने रहने का हकदार होगा। किंतु, भू-सुधार एवं राजस्व विभाग को अपनी बुद्धिमत्ता में याची और/अथवा किसी अन्य अधिकारी की सेवा को मूल विभाग में संप्रत्यावर्तित करने और यदि आवश्यक हो तो मूल विभाग को उसकी सेवा वापस लेने की छूट होगी। यह कहना अनावश्यक है कि भू-सुधार एवं राजस्व विभाग को अन्यथा किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण अथवा वैध कारण से याची को पदस्थापना के अन्य स्थान पर स्थापित करने की छूट होगी।

12. याची को अधिसूचना का आक्षेपित आदेश अभिखंडित कर दिए जाने पर मध्यक्षेपी अवधि के लिए वेतन की निर्मुक्ति के प्रश्न पर सक्षम प्राधिकारी के पास जाने की छूट होगी जिस पर इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर विधि के अनुरूप विचार किया जाएगा।

13. तद्नुसार, पूर्वोक्त तरीके से रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। परिणामस्वरुप, आई॰ ए॰ सं॰ 4238 वर्ष 2013 और आई॰ ए॰ सं॰ 7121 वर्ष 2013 भी निपटाए जाते हैं।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

शिव बचन कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3433 of 2013. Decided on 13th November, 2013.

बिहार गृह रक्षक अधिनियम, 1947—धाराएँ 3 एवं 8— बिहार गृह रक्षक नियमावली, 1953—नियम 5—गृह रक्षक होने की गलत सूचना देने के लिए सेवा से बर्खास्तगी–याची पहले ही आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के पहले अपना प्रशिक्षण ले चुका था–अधिनियम अथवा नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि व्यक्ति को केवल प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद गृहरक्षक के रूप में माना जाएगा–व्यक्ति सेवा अवधि के दौरान प्रशिक्षण पा सकता है–याची को स्वयं का बचाव करने के प्रभावकारी अवसर से भी वंचित किया गया था–याची के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए अभिलेख पर विधिक साक्ष्य नहीं है–याची समस्त पारिणामिक लाभों के साथ पुनर्बहाल किया गया। (पैराएँ 9, 11, 13, 14 एवं 16)

निर्णयज विधि.–(2006) 5 SCC 88; 1990 Supp. SCC 738; 2013 (11) SCALE 268—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Devesh Krishna, For the Petitioner; Mr. Vaibhav Kumar, For the State.

आदेश

याची दिनांक 18.6.2011 की बर्खास्तगी के आदेश एवं दिनांक 7.4.2013 के अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि दिनांक 13.1.2004 के विज्ञापन के अनुसरण में याची ने काँस्टेबुल के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। याची दिनांक 26.7.2004 को संचालित शारीरिक परीक्षा में उपस्थित हुआ और सफल होने पर उसे दिनांक 15.5.2005 को काँस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 4.4.2012 को याची पर आरोप मेमो इस अभिकथन पर तामील किया गया था कि उसने अपने आवेदन फॉर्म में अपने गृह रक्षक होने की गलत सूचना दी और उसने गलत साधनों से पहचान पत्र प्राप्त किया था। दिनांक 13.4.2011 को याची ने अपना उत्तर दाखिल किया, किंतु याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी। जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 11.4.2011 को याची को द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका उत्तर याची द्वारा दिया गया था। अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 18.6.2011 को सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया और याची द्वारा दाखिल अपील दिनांक 7.4.2013 को खारिज कर दी गयी है।

3. निम्नलिखित कथन करते हुए प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है:–

"7. fd mÙkjkèkhu oreku fjV ;kfpdk e ijkxkQ 2 e ;kph }kjk fn, x, c;ku d lcèk e ;g fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd ;kph u blh rFkk le#i vurk"k fy, igy gh MCY;0 ih0 (,l0) l0 248/12 nkf[ky fd;k g ftl ekuuh; U;k;kèkh'k Jh ,u0 ,u0 frokjh }kjk [kkfjt dj fn;k x;k g vkj bl çdkj ;g dguk xyr g fd ;kph u blh ,o le#i vurk"k d fy, igy ;kfpdk nkf[ky ugh fd;k gA

8. fd mÙkjkèkhu oreku fjV ;kfpdk e ijkxkQ 3 (i) l (ix) e ;kph }kjk fn, x, c;ku d lcèk e ;g fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd ;kph

u igy gh çR;Fkh l0 5 }kjk ikfjr vkn'k dk pukrh fn;k g ftl igy gh ekuuh; U;k;ky; }kjk [kkfjt dj fn;k x;k Fkk vkj mÙkjnkrk çR;Fkh u fofèk d fdlh çkoèkku dk mYy?ku ugh fd;k g vkj fofèk d vu#i vkn'k ikfjr fd;k g] vr% fdlh mYy?ku vFkok xyrh dju dk ç'u mnHkr ugh gkrk gA vfHkdfFkr foHkkxh; dk;okgh ;kph d fo#) lefpr :i l vkjHk dh x;h Fkh vkj lE;d tkp rFkk lk{; d ckn ;kph dk lok l c[kkLr fd;k x;k gA vr% ;kph ekuuh; U;k;ky; l dkb vurk"k iku dk gdnkj ugh gA

9. fd mÙkjkèkhu oreku fjV ;kfpdk e ijkxkQ 4 e ;kph }kjk fn, x, c;ku d lcèk e ;g fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k x;k g fd bl ij fVli.kh dju dh vko';drk ugh gA

10. fd mÙkjkèkhu oreku fjV ;kfpdk e ijkxkQ 5 l 9 e ;kph }kjk fn, x, c;ku d lcèk e ;g fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd MCY;0 ih0 (,l0) l0 248/12 e mDr rF;k dk igy gh fofuf'pr dj fn;k x;k g vkj leLr vfHky[k ij vkèkkfjr g] vr% ;kph dk mldk dBkj çek.k nuk gkxkA

11. fd mÙkjkèkhu oreku fjV ;kfpdk e ijkxkQ 10 (i l iii) e ;kph }kjk fn, x, c;ku d lcèk e ;g fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd ; Hkh vfHky[k d ekey g vr% ;kph dk budk dBkj çek.k nuk gh gkxkA

12. fd mÙkjkèkhu oreku fjV ;kfpdk e ijkxkQ 11 vkj 12 e ;kph }kjk fn, x, c;ku d lcèk e ;g fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd ; vfHky[k d ekey g] vr% fVli.kh dh vko';drk ugh gA

13. fd mÙkjkèkhu oreku fjV ;kfpdk e ijkxkQ 13 (i l xiv)) e ;kph }kjk fn, x, c;ku d lcèk e ;g fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd ;kph d fo#) vkjHk dh x;h foHkkxh; dk;okgh vkj vkjki fofèk d vu#i fojfpr fd, x, g vkj ;kph d fo#) vfHkdFku lgh ik;k x;k g vkj bl çdkj ;kph bl ekuuh; U;k;ky; l dkb vurk"k iku dk gdnkj ugh g D;kfd ifod MCY;0 ih0 (,l0) l0 248/12 bl ekuuh; U;k;ky; }kjk le#i vkèkkj ij igy gh fuiVk nh x;h g vkj nLrkot d ç'u d lcèk e ;kph dk mldk dBkj çek.k nuk gkxkA**

4. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दो प्रतिवाद किया है अर्थात्, (i) याची के विरुद्ध आरोप अस्पष्ट था और इसलिए, याची को आरोप का सामना करने का प्रभावकारी अवसर नहीं दिया गया था और (ii) बिहार गृह रक्षक अधिनियम, 1947 और उसके अधीन विरचित नियमावली के प्रावधानों के अधीन याची गृहरक्षक था और चूँकि विभागीय प्राधिकारियों द्वारा यह पाया गया है कि याची द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र गलत साधन से प्राप्त नहीं किया गया था, याची को सेवा से हटाने वाले दंड का आदेश ''साक्ष्य नहीं'' पर आधारित है और इसलिए, अभिखंडित किए जाने का दायी है।

6. समानांतर स्तंभ में, महाधिवक्ता के कनीय अधिवक्ता श्री वैभव कुमार ने निवेदन किया है कि विज्ञापन में एक विनिर्दिष्ट प्रावधान था जो गृहरक्षक होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना याची के लिए

आवश्यक बनाता था। चूँकि उस दिन जिस पर याची ने आवेदन दिया था, याची ने प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था और इसलिए, वह एक गृह रक्षक नहीं था एवं इस प्रकार, याची ने गलत सूचना प्रस्तुत किया था एवं इसलिए, याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी जिसमें गलत सूचना प्रस्तुत करने का आरोप सही पाया गया था और इसलिए, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दंड पारित किया गया है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से किए गए प्रतिवादों पर आने से पहले बिहार गृह रक्षक अधिनियम, 1947 और बिहार गृह रक्षक नियमावली, 1953 के प्रावधानों पर गौर करना समुचित होगा।

‘‘बिहार गृह रक्षक अधिनियम, 1947

2 (a) ^^xg j{kd l vfHkçr g 0;fDr tk bl :i e bl vfèkfu;e d vèkhu ukekoyhxr fd;k x;k g] vkj

3. ***xgj{kd dk xBu***-*&(1) jkT; ljdkj ,l rjhd l] ftl èkkjk 1 dh mièkkjk (3) d vèkhu vfèklpuk e fofufn"V {k=k e l çR;d d fy, fofgr fd;k tk ldrk g] xgj{kdk dk xBu djxh tk fcgkj jkT; d vrxr fdlh {k= e 0;fDr;k d lj{k.k] lifÙk dh lj{kk vFkok ykd lj{kk d lcèk e ,l dk;k dk fuogu djxk ftUg bl vfèkfu;e vkj bld vèkhu fojfpr fu;ekoyh d çkoèkkuk d vu:i mudk fn;k tk ldrk gA*

(2) fcgkj jkT; e xgj{kd dk bl vfèkfu;e d ç;ktu l ,dy cy le>k tk,xk vkj mld lnL;k dk vkipkfjd :i l ukekoyhxr fd;k tk,xk(vkj ,lk cy vfèkdkfj;k ,o dfe;k dh ,lh l[;k l xfBr gkxk] vkj mudh vgrk,] ,o çf'k{k.k ,o lok dh 'kr ,lh gkxh tlh fofgr dh tk ldxhA

(3) xgj{kd ukekoyhxr gku ij çFke vulph e fofufn"V Qke e ?kk"k.kk vkj f}rh; vulph e fofufn"V Qke e fu;fDr dk çek.ki= ,l vfèkdkjh tlk fofgr fd;k tk ldrk g d egj ,o gLrk{kj d vèkhu çklr djxk ftld QyLo#i ,lk çek.ki= èkkj.k dju okyk 0;fDr xgj{kd d 'kfDr;k ,o fo'k"kkfèkdkjk l fufgr fd;k tk,xkA

8. ***lok ,o mUekpu dh vofèk***-*&bl fufeÙk cuk, x, fdlh fu;e d vè;èkhu xgj{kd dk ckjg ekg dh vofèk (çf'k{k.k ij fcrk;h x;h vofèk lfgr) d fy, jkT; ljdkj dh lok dju dh vko';drk g ftl vofèk dk jkT; ljdkj }kjk ,lh vfrfjDr vofèk d fy, c<k;k tk ldrk g ftruk ;g vko';d le>rh g] vkj rRi'pkr xgj{kd rhu o"kk dh vofèk d fy, vkjf{kr cy e lok nxk vkj vkjf{kr jgr g, fdlh le; ij drO; ij cyk, tku dk nk;h gkxkA*

(2) çR;d xgj{kd miekkjk (1) e fofufn"V vofèk d volku ij xgj{kd l viuk mUekpu çklr dju dk gdnkj gkxk(fdr ,lk dkbl 0;fDr bl çdkj gdnkj cu tku l igy ,l çkfèkdkjh }kjk ,lh 'krk tlk fofgr fd;k tk ldrk g d vè;èkhu mUekfpr fd;k tk,A

(3) xgj{kd miekkjk (2) d vèkhu viu mUekpu d nl fnu d Hkhrj ml èkkjk 3 dh miekkjk (3) d vèkhu mldk çnku fd;k x;k fu;fDr dk çek.k i= ,l vfèkdkjh dk lefir djxk tlk fofgr fd;k tk ldrk gA

बिहार गृह रक्षक नियमावली, 1953 –

4. **xgj{kd d :i e ukekoyhxr fd, tkus d fy, vgrk,¡-**&dkb 0;fDr

(a) tks o"k] ftles ukekoyhxr fd, tkus d fy, vkonu fn;k x;k g] d tuojh d çFke fnu ij 19 o"k ls de vk; ls U;wu ugha g vkSj 40 o"k dh vk; ls vf/kd ugha g(

(b) tks vPNs ufrd pfj= dk g]

(c) tks dfBu ckgjh drZ0;k dk ijk djus d fy, 'kkjhfjd :i ls LoLFk g(

(d) ftldh Åpkbz 5'4" ls U;wu ugha g vkSj Nkrh dh eki 31" ls U;wu ugha g (fcuk Qyk;k gvk) vFkok NksVkukxiqj fMfotu vFkok lFkky ijxuk ftyk d vuqlfpr tutkfr;k vFkok if.k;k ftyk vkSj lgjlk mi&ftyk ls vkus okys 0;fDr;k d ekeys e ftudh Åpkbz 5'2" ls U;wu ugha g vkSj Nkrh dh eki 30" ls U;wu ugha g (fcuk Qyk;k gvk) vkSj

(e) tks de ls de vij çkbejh vFkok lerqY; ijh{kk e mÙkh.k gvk g(xgj{kd d :i e ukekoyhxr fd, tkus dk ik= gkxk

ijUrq ;g fd lgk;d cy] Hkkjr vFkok {k=h; lsuk d lnL; ukekoyhxr fd, tkus d ik= ugha gkxA

5. **xgj{kd cy d vf/kdkfj;k ,o dfe;k dh fu;fDr dh çfØ;k-** &(1) bULiDVj&tujy] dekMUV] vkfQlj dekfMx] Vfux dEi vkSj cVkfy;u dekMjk dk jkT; ljdkj }kjk fu;Dr fd;k tk,xkA

2 (i) bULiDVj&tujy jkT; ljdkj }kjk xfBr dfeVh dh vuq'kalk ij cy d ftyk diuh dekMUV lfgr teknkj diuh dekMl vFkkr dEi ,MT;wVUV] DokVj ekLVj] lcnkj] cVkfy;u ,MT;wVUV] teknkj d J.kh d vkSj blds mij d leLr vjktif=r vf/kdkfj;k dk fu;Dr djxkA

(ii) dekMV jkT; ljdkj }kjk xfBr dfefV dh lykg ij lHkh teknkj gM Dyd rFkk y[kkdkjk dh fu;fDr djxkA

(iii) dekMUV cy e leLr goynkj Dyd] jkbVj uk;d] uk;d] ,yO@uk;d vkSj flikgh fu;Dr djxkA

(3) cVkfy;u dekMj lkekU;r% diuh dekMj dh vuq'kalk ij xgj{kdk d chp e ls lykVu dekMj vkSj lD'ku yhMj dk fu;Dr djxkA

(4) (i) xgj{kd d :i e ukekoyhxr fd, tkus d fy, vkonu ftyk ftle vkond lkekU;r% fuokl djrk g d ftyk/kdkjh dk vFkok dekMUV dk Qke Aa (fgnh e) fn;k tk,xkA

(ii) dh vuql'kk ij ftyk n.Mkf/kdkjh }kjk xg j{kd ukekoyhxr fd, tk,x&

(a) dekMUV vFkok mldh mifLFkfr e] cVkfy;u dekMj] ftyk/kdkjh ,o ftyk vkj{kh v/kh{kd] vkSj jkT; ljdkj }kjk ukefunf'kr xj ljdkjh lnL; ls xfBr çR;d ftyk e ,d ftyk dfeVh gkxkA dfeVh d p;jeu ftyk/kdkjh gkxk(vFkok

(b) dekMUV vkj ,l vU; lnL;k tlk jkT; ljdkj jkti=e vfèklpuk }kjk ior jkT; dfeVh xfBr dh tk ldrh gA bl dfeVh d vè;{k dk jkT; ljdkj }kjk ukekfdr fd;k tk,xkA

(iii) mEehnokjk (ftUgku ftykfèkdkjh dk vkonu fn;k g) d lkekU; Kku] lrdrk] cf)ekuh ,o 'kkjhfjd LoLFkrk dh ijh{kk viu i;o{k.k d vèkhu yu d ckn ftyk dfeVh leLr vFkok ol mEehnokjk ftUg ;g ;kX; le>rh g] dk lk{kkRdkj djxk vkj çkFkfedrkulkj ftykfèkdkjh dk mEehnokjk dh ,lh l[;k vu'kfLr djxk tk fjfDr;k dh l[;k dh ryuk e ipkl çfr'kr d lerY; gk ldrk gA blh çdkj] jkT; dfeVh leLr mEehnokjk] ftUgku dekMUV dk vkonu fn;k g vFkok mue l bru ftUg ;g l;kX; le>rk g dk lk{kkRdkj djxk vkj çkFkfedrkulkj mEehnokjk dh fdlh l[;k ftl ;g mi;Dr le>rk g dk ftyk ftle mEehnokj lkekU;r% fuokl djrk g d ftykfèkdkjh dk vu'kflr djxkA

(iv) ftyk dfeVh vkj jkT; dfeVh }kjk vu'kflr mEehnokjk d pfj= vkj iooÙk d lR;kiu d ckn tlk vko';d gk ldrk g] ftykfèkdkjh xgj{kdk dh vko';d l[;k ukekoyhxr djxkA

(v) xgj{kd dk çf'k{k.k dn e inxg.k l igy ftykfèkdkjh }kjk vFkok çf'k{k.k dEi Tokbu dju d le; vkfQlj dekfMx] tk ,l ukekoyhxr fd, tku d ,d ekg d Hkhrj lcfèkr ftyk d ftykfèkdkjh dk vueknu djxk] }kjk ukekoyhxr fd;k tk,xkA

----

8. उक्त प्रावधान के परिशीलन पर, मैं पाता हूँ कि व्यक्ति को गृहरक्षक के रूप में माना जाएगा जब एक बार उसे बिहार गृहरक्षक अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अधीन नामावलीगत किया जाता है। अधिनियम अथवा नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्रावधानित करता है कि केवल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद व्यक्ति को गृह रक्षक के रूप में माना जाएगा। इसके विपरीत, अधिनियम के अधीन प्रावधान विशेषत: धारा 8 इसे स्पष्ट करती है कि व्यक्ति सेवावधि के दौरान प्रशिक्षण ले सकता है।

9. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, मैं पाता हूँ कि विज्ञापन में अनुबंध था कि उम्मीदवार को गृहरक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। याची को दिनांक 18.4.2003 को गृह रक्षक के रूप में नामावलीगत किया गया था और विज्ञापन दिनांक 13.1.2004 को जारी किया गया था। आवेदन देने की अंतिम तिथि दिनांक 15.2.2004 थी। इस अवधि के दौरान, याची पहले ही दिनांक 3.1.2004 से अपना प्रशिक्षण आरंभ कर चुका था और उसे पहचान पत्र जारी किया गया था जिसकी प्रति याची द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गयी थी। विज्ञापन में यह कहीं नहीं उल्लिखित किया गया है कि उम्मीदवार को प्रशिक्षण जिसे गृहरक्षक ने पूरा किया हो के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। मैं आगे पाता हूँ कि याची के विरुद्ध विरचित आरोप स्पष्ट है क्योंकि याची के विरुद्ध विरचित आरोप में याची के समक्ष यह विनिर्दिष्टत: नहीं रखा गया था कि विज्ञापन में विनिर्दिष्ट शर्त की दृष्टि में, याची से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती थी। याची के विरुद्ध विरचित आरोप में यह कथन भी नहीं किया गया है कि केवल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद व्यक्ति गृहरक्षक के रूप में माने जाने

का हकदार होगा किंतु जाँच उस आधार पर अग्रसर हुई और इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि याची को अपना बचाव करने के प्रभावकारी अवसर से वंचित किया गया था।

10. ''एम॰ वी॰ बिजलानी बनाम भारत संघ एवं अन्य,'' (2006)5 SCC 88, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"25. ;g lR; g fd U;kf;d iufoykdu e U;k;ky; dh vfèkdkfjrk lhfer gA fdr vu'kklfud dk;okgh&nkfMd dYi çÑfr dk gku d ukr vkjki fl) dju d fy, dN lk{; gkuk pkfg,A ;|fi foHkkxh; dk;okgh e vkjki dk nkfMd fopkj.k dh rjg fl) dju dh vko';drk ugh g] ge bl rF; dk utj vUnkt ugh dj ldr g fd tkp vfèkdkjh U;kf;d dYi dr0; dk ikyu djrk g ftl nLrkot k d fo'y"k.k ij fdlh fu"d"k ij igpuk gkxk fd vfHky[k ij ektn lkefx;k d vkèkkj ij vkjkik dk fl) dju d fy, vfèklHkk0;rk dh cgyrk gA ,lk djr g, og fdlh vçklfxd rF; dk fopkj e ugh y ldrk gA og çklfxd rF;k ij fopkj dju l budkj ugh dj ldrk gA og çek.k dk Hkkj f'kf¶V ugh dj ldrk gA og doy vueku ,o vVdyk d vkèkkj ij xokgk d çklfxd ifjlk{; dk vLohdkj ugh dj ldrk gA og mu vfHkdFkuk] ftul vipkjh vfèkdkjh dk vkjkfir ugh fd;k x;k g] dh tkp ugh dj ldrk gA**

11. मैं आगे पाता हूँ कि याची को वर्ष 2005 में नियुक्त किया गया था और वर्ष 2011 में याची के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया है और ऐसे विलंबित चरण पर याची के विरुद्ध ऐसे आरोप विरचित करने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा कारण भी नहीं दिया गया है। स्वीकृत रूप से, याची द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों को प्राधिकारियों द्वारा पुनः वर्ष 2007 में सत्यापित किया गया था किंतु, प्राधिकारियों द्वारा कोई अनियमितता नहीं पायी गयी थी। लगभग छह वर्ष बाद याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा कारण नहीं दिया गया है।

12. ''मध्य प्रदेश राज्य बनाम बानी सिंह एवं एक अन्य,'' 1990 Supp SCC 738, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"4. fnukd fnlcj 16,1987 d vkn'k d fo#) vihy bl vkèkkj ij nkf[ky dh x;h g fd vfèkdj.k dk doy foyc rFkk f<ykb d vkèkkj ij dk;okgh vfHk[kfMr ugh djuk pkfg, Fkk vkj x.kkx.k ij ekey dk fofuf'pr dju d fy, tkp tkjh jgu dh vuefr nuk pkfg, FkkA ge fo}ku vfèkoDrk d bl çfrokn l lger gku e v{ke gA vfu;ferrk,] tk tkp dh fo"k;oLr g dk o"k 1975-1977 d chp gb crk;h tkrh gA foHkkx dk ekeyk ;g ugh g fd o mDr vfu;ferrkvk] ;fn gk] l voxr ugh Fk vkj doy o"k 1987 e mUg tkudkjh gb mud vulkj vfçy] 1977 e Hkh mDr vfu;ferrkvk e vfèkdkjh dh vrxLrrk d ckj e lng Fkk vkj rc l vUo"k.k py jgk FkkA ;fn ,lk g] ;g lkpuk v;fDr;Dr g fd mUgku vu'kklfud dk;okgh vkjHk dju e ckjg l vfèkd fy;k gkrk tlk vfèkdj.k }kjk dFku fd;k x;k gA vkjki eek tkjh dju e vR;fèkd foyc d fy, lrk"ktud Li"Vhdj.k ugh g vkj gekjk nf"Vdk.k g fd bl pj.k ij vu'kklfud dk;okgh tkjh j[ku dh vuefr nuk vufpr gkxkA fdlh Hkh ljr e] vfèkdj.k d vkn'kk e gLr{ki dju dk vkèkkj ugh g vkj rnulkj ge vihy [kkfjt djr gA**

13. मैं पाता हूँ कि जाँच रिपोर्ट और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश इस उपधारणा पर अग्रसर हुए हैं कि केवल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद व्यक्ति को गृह रक्षक के रूप में माना जाएगा और चूँकि उस समय जब विज्ञापन जारी किया गया था अथवा उस समय जब आवेदन दाखिल किया गया था, याची ने अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था, अतः याची गृहरक्षक नहीं था। किंतु, मैं ऐसे प्रतिवाद के समर्थन में बिहार गृहरक्षक अधिनियम अथवा नियमावली में कोई प्रावधान नहीं पाता हूँ। यह केवल प्रत्यर्थीगण द्वारा उपधारित किया गया है कि प्रशिक्षण पूरा करने पर व्यक्ति को गृहरक्षक के रूप में माना जाएगा जो मेरे अनुसार बिहार गृहरक्षक अधिनियम एवं नियमावली के अधीन सांविधिक प्रावधानों के विपरीत है। स्वयं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि याची को गलत साधन से पहचान पत्र प्राप्त करने का दोषी नहीं पाया गया है। मेरा मत है कि किसी सांविधिक प्रावधान की अनुपस्थिति में याची द्वारा किया गया अभिवचन न्यायोचित है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याची ने गलत/झूठी सूचना प्रस्तुत किया था और गलत सूचना देकर नियुक्ति प्राप्त किया था। मैं पाता हूँ कि अपीलीय फोरम में भी प्रशिक्षण का विवरण प्रस्तुत करना उम्मीदवारों के लिए आवश्यक बनाने वाला कॉलम नहीं है।

14. पूर्वोक्त की दृष्टि में, मैं पाता हूँ कि इस निष्कर्ष कि याची ने झूठी सूचना देकर नियुक्ति प्राप्त किया था, पर आने के लिए जाँच अधिकारी और विभागीय प्राधिकारी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया गलत है और कोई युक्तियुक्त व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष पर नहीं आ सकता था। मैं आगे पाता हूँ कि याची के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा अभिलेख पर विधिक साक्ष्य नहीं लाया गया है और इसलिए दिनांक 18.6.2011 और दिनांक 7.4.2013 के आदेश अभिखंडित किए जाने के दायी हैं और एतद् द्वारा अभिखंडित किए जाते हैं।

15. **''दीपाली गुंडु सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी॰ एड॰) एवं अन्य'', 2013 (11) Scale 268,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"17. ml in ftl mlu c[kkLrxh] gVk, tku vFkok lok lekfIr d igy èkkfjr fd;k Fkk ij depkjh dk iuLFkkfir dju dk fopkj foof{kr djrk g fd depkjh dk mlh in ij j[kk tk,xk ftle ml j[kk tkrk ;fn fu;kDrk }kjk voèk dkjokb ugh dh x;h gkrhA 0;fDr ftl c[kkLr fd;k tkrk g vFkok gVk;k tkrk g vFkok vU;Fkk ftldh lok lekIr dj nh x;h g }kjk lgu dh x;h migfr dk èku e rkyk&ekik ugh tk ldrk gA vkn'k ikfjr dju d lkFk ftldk fu;kDrk&depkjh lcèk rkMu dk çHkko g] depkjh dk vk; L=kr l[k tkrk gA u doy lcfèkr depkjh cfYd mldk ijk ifjokj xHkhj leL;kvk l ihfMr gkrk gA mUg fuokg d L=kr l ofpr fd;k tkrk gA lrkuk dk ik"kd Hkktu l vkj f'k{kk rFkk thou e vkx c<u d leLr volj l ofpr fd;k tkrk gA dHkh&dHkh ifjokj dk Hk[kejh l cpu d fy, lcfèk;k vkj tku&igpku okyk l mèkkj yuk gkxkA o ihMk, tkjh jgrh g tc rd l{ke U;k;fu.k;dkjh Qkje fu;kDrk }kjk dh x;h dkjokb dh oèkrk fofuf'pr ugh djrk gA ,l depkjh dh iucgkyh] ftld igy l{ke U;kf;d@U;kf;d&dYi fudk; vFkok U;k;ky; }kjk fu"d"k ij igpk x;k g fd fu;kDrk }kjk dh x;h dkjokb çklfxd lkfofèkd çkoèkkuk vFkok ulfxd U;k; d fl)krk d vfèkdkjkrhr g] depkjh dk i.k fiNyh etnjh dk nkok dju dk gdnkj cukrk gA ;fn fu;kDrk depkjh dk fiNyh etnjh nu l

*budkj djuk vFkok ikfj.kkfed ykHkk dk iku dh mldh gdnkjh dk çfrokn djuk pkgrk g] rc mlI fofufn"Vr% vfHkopu vkj fl) djuk gkxk fd eè;{kih vofèk d nkjku depkjh ykHknk;h :i l fu;kftr Fkk vkj ogh ikfjJfed ik jgk FkkA depkjh tk fu;kDrk d voèk ÑR; l ihfMr gvk g] dk fiNyh etnjh nu l budkj vçR;{kr% lcfèkr depkjh dk nfMr dju vkj fu;kDrk dk ikfjJfed lfgr fiNyh etnjh d Hkxrku dju dh ckè;rk l mldk HkkjeDr djd ijLdkj nu d rY; gkxkA***

16. परिणामस्वरुप, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है और प्रत्यर्थीगण को पूर्ण पिछली मजदूरी के साथ याची को पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

सीताराम पासवान

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (S) No. 413 of 2013. Decided on 11th November, 2013

श्रम एवं औद्योगिक विधि–प्रोन्नति–याची इंस्पेक्टर है जो अनुसूचित जाति कोटि से आता है और अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति और एम० ए० सी० पी० योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण के लाभ का दावा कर रहा है–याची बार-बार प्रोन्नति कैडर पाठ्यक्रम में विफल रहा–प्रत्यर्थीगण द्वारा याची के मामले पर समय-समय पर विचार किया गया है किंतु उसे प्रोन्नति के अयोग्य पाया गया है–याची को केवल प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार हो सकता है और न कि प्रोन्नति प्रदान किए जाने का अधिकार–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Kalyan Banerjee, For the Petitioner; Mr. C.D. Singh, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी० आई० एस० एफ०) के अधीन इंस्पेक्टर है जो अगले उच्चतर पद पर उसको प्रोन्नति प्रदान करने के लिए और एम० ए० सी० पी० योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण लाभ के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिए जाने के लिए इस न्यायालय के पास आया है।

3. याची के अनुसार, उसे दिनांक 29.12.1975 को सी० आई० एस० एफ० के अधीन सहायक सब-इंस्पेक्टर (ए० एस० आई०) के पद पर नियुक्त किया गया था और अनेक स्थानों पर पदस्थापित किया गया था। तत्पश्चात, दिनांक 13.7.1988 को याची को बॉम्बे में सी० आई० एस० एफ० इकाई में सब-इंस्पेक्टर (एम०) के रूप में प्रोन्नत किया गया था। याची के अनुसार, यद्यपि विभागीय प्रोन्नति कमिटी की बैठक समय-समय पर की गयी है और याची वर्ष 1990 और इससे आगे अतिरिक्त प्रोन्नति का पात्र बन गया है, किंतु उसके मामले पर विचार नहीं किया गया है और न ही उसे प्रोन्नति प्रदान की गयी है। किंतु, तत्पश्चात उसके जूनियरों को प्रोन्नति दी गयी है। वह अनुसूचित जाति कोटि से आता है और अगले उच्चतर ग्रेड पर प्रोन्नति के लिए अर्हित है। ऐसी परिस्थितियों में, वह वर्तमान रिट आवेदन में इस न्यायालय के पास आया है।

4. प्रत्यर्थीगण ने अपने प्रतिशपथ पत्र में याची के दावा से इनकार किया है। उनकी ओर से कथन किया गया है कि पहले याची ने ए० एस० आई०/क्लर्क से एस० आई०/Min पर प्रोन्नति के लिए विचार किए

जाने के लिए दिनांक 9.2.1987 से दिनांक 4.4.1987 तक प्रोन्नति कैडर पाठ्यक्रम में भाग लिया और विफल रहा। तत्पश्चात, उसे सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ नियमावली, 1969 के नियम 19 के निबंधनानुसार प्रोन्नति कैडर पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए शिथिलकरण प्रदान किया गया था और दिनांक 13.7.1988 को एस॰ आई॰ (Min) की श्रेणी पर प्रोन्नत किया गया था और वर्ष 1986 के विरुद्ध क्रमांक 485 पर वरीय पोजीशन दिया गया था। उसने पुनः इंस्पेक्टर/Min के पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए प्रोन्नति कैडर पाठ्यक्रम में दिनांक 6.11.2000 से दिनांक 30.12.2000 तक भाग लिया और विफल रहा। तत्पश्चात, अप्रिल, 2001 में पूरक परीक्षा में अर्हित घोषित किए जाने पर उसे दिनांक 23.11.2001 को इंस्पेक्टर/Min के श्रेणी पर प्रोन्नत किया गया था। किंतु यह निवेदन किया गया है चूँकि वह पहले संचालित प्रोन्नति कैडर पाठ्यक्रम में अर्हित होने से विफल रहा, उसे पहले एस॰ आई॰/Min के पद पर प्रोन्नत नहीं किया जा सका था। याची ने पुनः इंस्पेक्टर/Min से सहायक कमांडेन्ट (जे॰ ए॰ ओ॰) के पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए हैदराबाद में दिनांक 7.2.2011 से दिनांक 9.3.2011 तक प्रोन्नतिपूर्व पाठ्यक्रम में भाग लिया और पेपर I और II में विफल होने पर अनर्हित घोषित किया गया। उसने पुनः जून, 2011 में संचालित पूरक परीक्षा में भाग लिया और पेपर I में विफल रहने पर अनर्हित घोषित किया गया। आज की तिथि तक याची प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम में अर्हित नहीं हुआ है जो सहायक कमांडेन्ट/जे॰ ए॰ ओ॰ के श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पूर्व अध्यपेक्षित है। डी॰ पी॰ सी॰ ने पुनः जनवरी, 2012 में की गयी अपनी बैठक में और यू॰ पी॰ एस॰ सी॰ के तत्वावधान में नवंबर, 2012 में की गयी बैठक में याची के मामले पर विचार किया किंतु उसे उसके उपर अधिरोपित दंड के कारण अयोग्य घोषित किया गया। याची पर दंड का अधिरोपण प्रति शपथपत्र के पैरा 9 में भी उपदर्शित किया गया है जो वर्ष 1990, 1996, 2003, 2008 और 2010 के रेंज में है। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि एम॰ ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान के लिए याची के दावा के संबंध में भी स्क्रीनिंग कमिटी ने समय-समय पर याची की उम्मीदवारी पर विचार किया और सेवा अभिलेख में विफल रहने पर अयोग्य पाया गया। इस पृष्ठभूमि में प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची किसी प्रोन्नति का हकदार नहीं है यद्यपि उसके मामले पर नियमित रूप से विचार किया गया है और उसे अयोग्य पाया गया है।

5. मैंने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है। प्रत्यर्थी राज्य की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र के रूप में अभिलेख पर लाए गए तथ्य जिन्हें इसमें उपर उपदर्शित किया गया है दर्शाते हैं कि इंस्पेक्टर के अगले उच्चतर पद पर और तत्पश्चात, सहायक कमांडेन्ट (जे॰ ए॰ ओ॰) के पद पर प्रोन्नति के लिए याची के मामले पर नियमित अंतराल में विचार किया गया था। किंतु उसके प्रोन्नति कैडर पाठ्यक्रम में पहले विफल रहने पर उसे वर्ष 2001 तक इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नत नहीं किया जा सका था। तत्पश्चात्, वह सहायक कमांडेन्ट के पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पुनः प्रोन्नति कैडर पाठ्यक्रम में विफल रहा। याची पर नियमित अंतराल पर अनेक दंड अधिरोपित किया गया है जो प्रतिशपथ पत्र के पैरा 9 से प्रतीत होगा।

6. ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थीगण द्वारा समय-समय पर याची के मामले पर विचार किया गया प्रतीत होता है किंतु उसे प्रोन्नति के लिए अयोग्य पाया गया है। याची को केवल प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार हो सकता है और न कि प्रोन्नति प्रदान किए जाने का अधिकार। मामले के उस दृष्टिकोण में, याची इस मामले में हस्तक्षेप का मामला बनाने में विफल रहा है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

विवेकानंद चौधरी

cuke

झारखंड राज्य, निगरानी ब्यूरो, राँची के माध्यम से

B.A. No. 7921 of 2013. Decided on 20th November, 2013.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धाराएँ 13(2) एवं 13 (1) (e) सह-पठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराएँ 109 एवं 120B—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 439—अननुपातिक आस्तियों का अर्जन–याची के नाम में खोले गए खातों में सरकारी धन जमा करने में अवैधता/अनियमितता हो सकती है, यदि चेकों को याची के नाम में जारी किया गया था, उन्हें याची के नाम में उसके पदनाम के साथ खोले गए बैंक खातों में जमा किया जाना था–जमानत प्रदान किया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–M/s Pandey Neeraj Rai, For the Petitioner; M/s. Tripati Nath Verma, For the Vigilance.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता और निगरानी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सह-पठित धारा 13 (1) (e) और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 109 और 120B के अधीन अपराध के लिए निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 21 वर्ष 2013, विशेष केस सं॰ 22 वर्ष 2013 के तत्सम, के संबंध में अभियुक्त बनाया गया है।

3. याची ग्रामीण संकर्म खंड, कोडरमा में कनीय अभियन्ता के रूप में कार्यरत था। उसके विरुद्ध उसके आय के ज्ञात स्रोत के अननुपातिक आस्तियों को अर्जित करने का अभिकथन है। प्राथमिकी में अभिकथित किया गया है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान याची की समस्त स्रोतों से आमदनी 44,77,401/- रुपया थी जबकि याची के पास पाए गए अननुपातिक आस्तियों को 4,80,16,152/- रुपयों पर मूल्यांकित किया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अन्वेषण के बाद अननुपातिक आस्तियों की राशि 2,67,70,570/- रुपया हो गयी है। यह निवेदन किया गया है कि आस्तियाँ अशोक नगर में याची का घर, भुवनेश्वरी लोक एपार्टमेंट में फ्लैट और एक स्कॉर्पियों वाहन सम्मिलित करती है किंतु राशि का मुख्य अंश विभिन्न बैंक खातों में जमा 2,06,23,930/- रुपयों की राशियाँ हैं। यह निवेदन किया गया है कि इस राशि में से 2,02,10,600/- रुपयों की राशि विभिन्न सरकारी कार्यों के निष्पादन से संबंधित है और याची को आवंटित उन कामों के निष्पादन के लिए याची के नाम में कार्यपालक अभियंता द्वारा जारी चेकों को जमा करने के लिए याची द्वारा बैंक खाते खोले गए थे। यह निवेदन किया गया है कि जब कभी सरकारी धन जमा करने के लिए याची द्वारा बैंक खाता खोला गया था, वे याची के पदनाम के साथ थे और केवल सरकारी कामों के निष्पादन के संबंध में उक्त खातों से निकासी की गयी थी। याची ने चेकों की प्रतिलिपियों को यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर लाया है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा याची के नाम में चेक जारी किए गए थे। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया है कि सरकारी धन के दुर्विनियोग के लिए याची के विरुद्ध कुछ मामले दाखिल किए गए थे, किंतु यह पाने पर कि याची द्वारा कामों को

निष्पादित किया गया था, याची को उन मामलों में जमानत प्रदान की गयी थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना किया है।

5. दूसरी ओर, निगरानी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है कि मामले के अन्वेषण के दौरान अननुपातिक आस्तियाँ, समस्त ज्ञात स्रोतों से याची की आय से कहीं अधिक, पायी गयी है। किंतु, यह स्वीकार किया गया है कि 2,67,70,570/- रुपया मूल्य की अननुपातिक आस्तियों में से 2,06,23,930/- रुपए याची के नाम में खोले गए विभिन्न बैंक खातों में थी। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि जब कभी सरकारी कामों के निष्पादन के लिए याची को कोई राशि दी गयी थी, उन्हें कार्यपालक अभियंता द्वारा याची के नाम में जारी चेकों के माध्यम से दिया गया था और उन्हें याची के नाम में खोले गए खातों में जमा किया गया था।

6. यद्यपि याची के नाम में खोले गए खातों में सरकारी धन जमा करने में अवैधता/अनियमितता हो सकती है किंतु तथ्य बना रहता है कि यदि चेक याची के नाम में जारी किए गए थे, उन्हें याची के नाम में खोले गए बैंक खातों में ही जमा करना था। यह इंगित किया गया है कि उक्त खातों को याची द्वारा अपने पदनाम के साथ खोला गया था।

7. इस मामले के तथ्यों में, मैं याची को जमानत पर निर्मुक्त करने का इच्छुक हूँ। तद्नुसार, याची विवेकानंद चौधरी को निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 21 वर्ष 2013, विशेष केस सं॰ 22 वर्ष 2013 के तत्सम, के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, निगरानी, राँची की संतुष्टि हेतु पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियों के साथ इतनी ही राशि का जमानत बंध प्रस्तुत करने पर जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि विचारण के लंबित रहने के दौरान याची विचारण न्यायालय की अनुमति के बिना देश के बाहर नहीं जाएगा और वह अपना पासपोर्ट अवर न्यायालय में जमा करेगा जिसे विचारण लंबित रहने के दौरान अवर न्यायालय की अभिरक्षा में रखा जाएगा। यदि याची के पास कोई पासपोर्ट नहीं है, वह अवर न्यायालय में उस प्रभाव का शपथ पत्र दाखिल करेगा।

9. निगरानी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अन्य सह-अभियुक्तगण जो इस याची के परिवार के सदस्य हैं, के विरुद्ध अन्वेषण अभी भी चल रहा है। याची को मामले के अन्वेषण में निगरानी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है और उसे अन्वेषण और मामले के विचारण के दौरान गवाहों से स्वयं को अलग रखने का निर्देश भी दिया जाता है। यदि इस निर्देश का कोई उल्लंघन किया जाता है और यह पाया जाता है कि याची ने किसी तरीके से किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास किया है, निगरानी याची के जमानत के रद्दकरण के लिए संबंधित न्यायालय के पास जाने के लिए स्वतंत्र होगा जिस पर स्वयं इसके गुणागुण पर विचारण न्यायालय द्वारा इस आदेश से प्रभावित हुए बिना विचार किया जाएगा।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

डॉ॰ पवन कुमार झा

cuke

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि॰ एवं अन्य

W.P. (S) No. 3386 of 2013. Decided on 13th November, 2013.

कोल इंडिया कार्यपालकों का आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978—नियम 26—सेवा में पुनर्बहाली–पिछली मजदूरी से इनकार–दांडिक मामले में अपनी दोषमुक्ति पर याची को सेवा में पुनर्बहाल किया गया है–याची की अपील उच्च न्यायालय द्वारा अनुज्ञात की गयी थी–याची आवेदन देने की तिथि से सेवा में अपनी पुनर्बहाली की तिथि तक पिछली मजदूरी पाने का हकदार होगा। (पैरा 11)

निर्णयज विधि.–(2010)1 SCC 428—Distinguished; (1996)11 SCC 603; (2004)1 SCC 121—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rajiv Ranjan, Shresth Gautam, For the Petitioner; Mr. Ananda Sen, For the Respondents.

आदेश

दिनांक 15.11.2011 और दिनांक 31.1.2013 के आदेश जिसके द्वारा याची को पिछली मजदूरी का लाभ देने से इनकार किया गया है का अभिखंडन इप्सित करते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची को दिनांक 13.1.1986 को वरीय चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही आरंभ की गयी थी और दिनांक 24.12.2001 के आदेश द्वारा याची को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13 (2) सह-पठित धारा 13 (1) (d) के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था। दिनांक 9.9.2003 के आदेश द्वारा याची को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। दिनांक 24.12.2001 के दोषसिद्धि के आदेश और दंडादेश को चुनौती देते हुए याची की अपील उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7.9.2010 के आदेश द्वारा अनुज्ञात की गयी थी। दिनांक 12.11.2010 को याची ने पिछली मजदूरी, सेवा में निरंतरता, आदि जैसे पारिणामिक लाभों के साथ सेवा में पुनर्बहाली इप्सित करते हुए आवेदन दाखिल किया। याची को दिनांक 15.11.2011 के आदेश द्वारा सेवा में पुनर्बहाल किया गया था किंतु, किसी पिछली मजदूरी और पारिणामिक लाभों के बिना और इसलिए उसने अभ्यावेदन दिया जिसे खारिज कर दिया गया था।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि चूँकि याची को दांडिक मामले में उसकी दोषसिद्धि के एकमात्र आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, याची सेवा में अपनी पुनर्बहाली के बाद पिछली मजदूरी के प्रदान करने का हकदार होगा क्योंकि उसे दांडिक आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। **जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम नाथू राम, (2010)1 SCC 428,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि **''रणछोड़ जी चतुरजी ठाकोर बनाम अधीक्षण अभियंता, गुजरात विद्युत बोर्ड'' (1996)11 SCC 603** और **''भारत संघ एवं अन्य बनाम जयपाल सिंह, (2004)1 SCC 121,** में प्रकाशित निर्णयों पर **''जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड'' (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और इन्हें सुभिन्न किया गया है और कर्मचारी जिसे दांडिक मामले में उसकी दोषमुक्ति के बाद सेवा में पुनर्बहाल किया गया था को पिछली मजदूरी प्रदान करते हुए आदेश अभिपुष्ट किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि समस्थित व्यक्ति अर्थात् डॉ॰ एस॰ एस॰ लाल को 50% पिछली मजदूरी का भुगतान किया गया था जबकि याची को पिछली मजदूरी के लाभ से इनकार किया गया है।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि याची ने स्वयं को भ्रष्टाचार मामले में अंतर्ग्रस्त किया है जिसे तृतीय पक्ष की प्रेरणा पर संस्थित किया गया

था और परिणामस्वरुप वह स्वयं अपने कृत्य/लोप के कारण कर्तव्य से अनुपस्थित बना रहा, इसलिए, उसे पिछली मजदूरी प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि डॉ॰ एस॰ एस॰ लाल का मामला वर्तमान याची से बिल्कुल भिन्न है, अत:, याची उक्त डॉ॰ एस॰ एस॰ लाल के साथ समतुल्यता इप्सित नहीं कर सकता है।

6. मैं पाता हूँ कि **''जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड'' (उपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया विवाद्यक यह था कि क्या दिनांक 3.9.1975 के परिपत्र के निबंधनानुसार कर्मचारी, जिसे दांडिक मामले में उसकी दोषसिद्धि के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, सेवा में अपनी पुनर्बहाली के बाद बर्खास्तगी की तिथि और दांडिक मामले में अपनी दोषमुक्ति की तिथि के बीच पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार था। उक्त मामले में, परिपत्र जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, नीचे उद्धृत किया जाता है:–

^^fo"k;% ekeyk] tgk ckM d depkjh dk fofèk d l{ke U;k;ky; }kjk nkfMd vkjki ij nk"kfl) fd;k x;k g] e dh tku okyh dkjokbA fofèk d U;k;ky; }kjk nkfMd vkjki ij ckM d depkjh dh nk"kfl f) d ekey e fuEufyf[kr çfØ;k viuk;h tkuh pkfg,%

(i) (ii) xxx xxx xxx

2. ;fn nk"kfl f) d fo#) vihy@iujh{k.k lQy gkrk g vkj ckM d depkjh dk nk"keDr fd;k tkrk g] ml dh nk"kfl f) ij vkèkkfjr c[kkLrxh] gVk, tku vFkok vfuok; lokfuofÙk dk vkn'k] tk vc dk;e ugh g] vikLr dj fn, tku dk nk;h cu tkrk gA

;g fofuf'pr dju dh nf"V l fd D;k nk"kefDr d ckotn ekey d rF; ,o ifjfLFkfr ,l g tk vfHkdFku ftu ij ml igy nk"kfl) fd;k x;k Fkk d vkèkkj ij ckM d depkjh d fo#) foHkkxh; tkp dh vi{kk j[kr g] vihyh; U;k;ky; d fu.k; dh çfr rjUr çkIr dh tkuh pkfg, vkj bldk ijh{k.k djokuk pkfg,A

;fn ;g fofuf'pr fd;k tkrk g fd foHkkxh; tkp fd;k tkuk pkfg,]

(1) c[kkLrxh] gVk;k tkuk vFkok vfuok; lokfuofÙk dk vkn'k vikLr djr g,] vkj

(2) ,lh foHkkxh; tkp dk vkn'k nr g, vkipkfjd vkn'k ikfjr fd;k tkuk pkfg,A

,l vkn'k e ;g dFku Hkh gkuk pkfg, fd vkj0 ,l0 b0 ch0 (lh0 lh0 ,o ,0) fofu;eu] 1962 d fofu;e 9 d vèkhu ckM d depkjh dk c[kkLrxh@gVk, tku@vfuok; lokfuofÙk dh frfFk d çHkko l fuycu d vèkhu le>k tkrk gA (ekud Qke II lyXu g)

;fn tgk iokDr jkLr e l fdlh dh vuefr ugh nh tkrh g] c[kkLrxh gVk, tku vkj vfuok; lok fuofÙk d io vkn'kk dk vikLr djd vkj mldk lok e iucgky djd vkipkfjd vkn'k ikfjr fd;k tkuk pkfg, (,l vkn'k d fy, ekud Qke III lyXu g)

c[kkLrxh] vkfn dh frfFk vkj frfFk ftl ij mlu dr0; iu%xg.k fd;k d chp dh vofèk ij jktLFkku fo|r ckM depkjh lok fofu;eu d fofu;e 41 d

vèkhu fopkj fd;k tkuk pkfg, vkj ,lk djr g, ml mldh nk"kefDr dh frfFk l mldh iucgkyh dh frfFk rd dh vofèk] leLr ç;ktuk l dr0; d fy, ,lh vofèk fxuh tk,xh] d fy, i.k oru vkj HkÙkk dk gdnkj le>k tkuk pkfg, vkj c[kkLrxh dh frfFk l nk"kefDr dh frfFk rd ml ml oru ,o HkÙkk] tk mldk xkg; gkrk ;fn og fuycu d vèkhu cuk jgrk] dh ryuk l de oru ,o HkÙkk dh vuefr ugh nh tkuh pkfg,A

*c[kkLrxh dk vkn'k tkjh djr g, ;g è;ku e j[kuk pkfg, fd vkn'k ml 0;fDr d fo#) e[; nM nu d fy, l{ke çkfèkdkjh }kjk tkjh fd;k x;k gA***

7. राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी सेवा विनियमन, 1964 का विनियम 41 जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में विचार किया गया था, नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*fofu;e 41–**^^fuycu] gVk, tku vFkok c[kkLrxh d ckn iucgkyh-*** *&tc dkb depkjh ftl c[kkLr fd;k x;k g] gVk;k x;k g vFkok fuyfcr fd;k x;k g] iucgky fd;k tkrk g] iucgkyh dk vkn'k nu d fy, l{ke çkfèkdkjh*

(1) (a) dr0; l mldh vuifLFkfr dh vofèk d fy, depkjh dk Hkxrku fd, tku oky oru ,o HkÙkk d lcèk e] rFkk

(b) mDr vofèk dr0; ij fcrk;h x;h vofèk d :i e ekuh tkuh pkfg, ;k ugh] rFkk

(c) D;k fuycu] gVk;k tkuk vkj c[kkLrxh i.kr% vU;k;kfpr Fkk ;k ugh] ij fopkj djxk vkj fofufn"V vkn'k ikfjr djxkA

*(2) tgk ,lk l{ke çkfèkdkjh vfHkfuèkkfjr djrk g fd depkjh dk i.kr% foeDr fd;k x;k g vFkok fuycu d ekey e fd ;g i.kr% vU;k;kfpr Fkk] depkjh dk i.k oru vkj egxkb HkÙkk fn;k tk,xk ftldk og gdnkj gkrk ;fn ml ;FkkfLFkfr c[kkLr] gVk;k vFkok fuyfcr ugh fd;k tkrkA***

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **''जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड''** **(ऊपर)** में पैराओं 17 और 18 में विवाद्यक पर विचार किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

"17. ;g fookfnr ugh g fd Lo; vihykFkh fuxe u çR;FkhZ dk fuycu dh frfFk vFkkr fnukd 30.11.1979 l c[kkLrxh dh frfFk vFkkr 28.12.1982 rd vkj nk"kefDr dh frfFk vFkkr fnukd 15.12.1997 l iucgkyh dh frfFk vFkkr 3.6.1998 rd i.k oru fn;k l dk; dyki dh ,lh fLFkfr gku d ukr ;g Lohdk; ugh g fd fnukd 3.9.1975 d ifji= d fucèkuku lkj lok lekfIr dh frfFk vFkkr fnukd 28.12.1982 l nk"kefDr dh frfFk vFkkr fnukd 15.12.1997 rd dh vofèk d fy, fuycu HkÙkk ugh nu dk dkb dkj.k fuxe d ikl ugh FkkA

*18. ;g ifji= Hkh dgrk g fd c[kkLrxh dh frfFk l nk"kefDr dh frfFk rd depkjh dk ml oru ,o HkÙkk] tk mldk xkg; gkrk ;fn og fuycu d vèkhu cuk jgrk] dh ryuk e de oru ,o HkÙkk dh vuefr ugh nh tkuh pkfg,A vr%] ifji= d iBu l ;g Li"V gkxk fd çR;FkhZ dk mldk xkg; oru ,o HkÙkk] ;fn og fuycu d vèkhu cuk jgrk dk Hkxrku fd;k tk ldrk gA mPp U;k;ky; d fo}ku ,dy U;k;kèkh'k vkj [kMihB }kjk ;gh nf"Vdk.k viuk;k x;k FkkA***

9. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता नियम 26 पर विश्वास करते हैं जो कोल इंडिया कार्यपालकों के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के अधीन निलंबन की अवधि पर विचार करता है जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"26.0 fuycu dh vofèk dk 0;ogkj

26.1. tc fuycu d vèkhu (le;io lok fuofÙk lfgr) mldh lokfuofÙk d flok, fuycu d vèkhu depkjh dk j[ku okyk vkn'k çfrlâr fd;k tkrk g vFkok fd;k x;k gkrk] çfrlgj.k dk vkn'k nu d fy, l{ke çkfèkdkjh&

(a) fuycu d çfrlgj.k vFkok (le;io lokfuofÙk lfgr) mldh lok fuofÙk dh frfFk] ;FkkfLFkfr] e lekIr gku okyh fuycu dh vofèk d fy, oru vkj HkÙkk d lcèk e(vkj

(b) D;k mDr vofèk lok ij fcrk;h x;h vofèk ekuh tk, ;k ugh d lcèk e fopkj djxk vkj fofufn"V vkn'k ikfjr djxkA

26.2. fu;e 25 e vrfo"V fdlh pht d ckotn] tgk mld fo#) lfLFkr vu'kklfud vFkok U;k;ky; dk;okgh d lekIr gku d igy depkjh dh eR; gk tkrh g] fuycu dh frfFk vkj eR; dh frfFk d chp dh vofèk leLr ç;ktuk l drO; d :i e ekuh tk,xh vkj mld ifjokj dk ml vofèk d fy, i.k oru vkj HkÙkk ftldk og gdnkj gkrk ;fn ml fuyfcr ugh fd;k tkrk dk Hkxrku igy gh Hkxrku fd, tk pd d fuokg HkÙkk d lcèk e lek;ktu d vè;èkhu fd;k tk,xkA

26.3. tgk çfrlgj.k dk vkn'k nu d fy, l{ke çkfèkdkjh dk er g fd fuycu i.kr% vU;k;kfpr Fkk] depkjh dk mifu;e (8) d vè;èkhu i.k oru ,o HkÙkk dk Hkxrku fd;k tk,xk ftldk og gdnkj gkrk ;fn ml fuyfcr ugh fd;k x;k gkrkA

ijUr ;g fd tgk ,l çkfèkdkjh dk er g fd depkjh d fo#) dk;okgh dh lekfIr dk depkjh ij çR;{kr% vfèkjki.kh; dkj.kk l foyfcr fd;k x;k g] ;g ml ml frfFk ftl ij bl lcèk e llpuk ml ij rkehy dh x;h Fkh l 30 fnuk d Hkhrj viuk vH;konu nu dk volj nu d ckn vkj mld }kjk çR;{kr% nkf[ky vH;konu] ;fn fn;k x;k gk] ij fopkj dju d ckn fyf[kr e nt fd, tku oky dkj.kk l depkjh dk ,l foyc dh vofèk d fy, ,l oru ,o HkÙkk] tlk ;g fofuf'pr dj ldrk g] dh ,lh jkf'k (tk i.k ugh g) dk Hkxrku djxkA bl çdkj fofuf'pr oru ,o HkÙkk depkjh dk igy gh Hkxrku fd, tk pd fuokg HkÙkk l U;u ugh gkuk pkfg,A

26.4. mifu;e (3) d vèkhu vku oky ekey e fuycu dh vofèk leLr ç;ktuk l drO; ij fcrk;h x;h vofèk d :i e ekuh tkuh pkfg,A

26.5. mifu;ek (2) vkj (3) d vèkhu vku oky ekeyk l fHkUu ekeyk e depkjh dk mifu;ek (7) vkj (8) d çkoèkkuk d vè;èkhu oru ,o HkÙkk] ftl l{ke çkfèkdkjh fofuf'pr dj ldrk g] dh ,lh jkf'k (tk i.k ugh g) dk Hkxrku dkj.k crkvk dh çfØ;k dk ikyu vkj depkjh }kjk nkf[ky vH;konu] ;fn gk] ij fopkj dju d ckn fd;k tk,xk ftldk og gdnkj gkrk ;fn ml fuyfcr ugh fd;k x;k gkrkA bl çdkj fofuf'pr jkf'k depkjh dk igy gh Hkxrku fd, tk pd fuokg HkÙkk l U;u ugh gkuk pkfg,A

26.6. tgk vu'kklfud vFkok U;k;ky; dk;okgh d vfredj.k d yfcr jgr g, fuycu çfrlgr fd;k tkrk g] depkjh d fo#) dk;okgh d lekiu d igy mifu;e (1) d vèkhu ikfjr fdlh vkn'k dk mifu;e (1) e mfYyf[kr çkfèkdkjh }kjk dk;okgh d lekiu d ckn Lo; viu çLrko ij iufoykdu fd;k tk,xk] tk mifu;ek (3), (4) vFkok (5) d çkoèkkuk] ;Fkk ç;kT;] d vu#i vkn'k ikfjr djxkA

26.7. mifu;e (5) d vèkhu vku oky ekey e fuycu dh vofèk drO; ij fcrk;h x;h vofèk d :i e ugh ekuh tk,xh tc rd l{ke çkfèkdkjh fofufn"Vr% fun'k ugh nrk g fd bl fdlh fofufn"V ç;ktu l bl :i e ekuk tk,xkA

ijUr ;g fd ;fn depkjh ,lk pkgrk g fd ,lk çkfèkdkjh vkn'k n fd fuycu dh vofèk depkjh dk n; ,o xkg; fdlh çdkj d vodk'k e lEifjofrr dj fn;k tk,xkA

*26.8. mifu;ek (2), (3) vFkok (5) d vèkhu HkÙkk dk Hkxrku vU; leLr 'krk ftud vèkhu ,lk HkÙkk xkg; g d vè;èkhu gkxkA**

10. आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियम 26 और विनियम 41 सह-पठित दिनांक 3.9.1975 के परिपत्र, जिन पर **''जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है, के सादे पठन पर, मैं पाता हूँ कि नियमावली, 1978 का नियम 26.0 निलंबन पर विचार करता है। **''जयपुर विद्युत वितरण निगत लिमिटेड (ऊपर)** में विचार किए गए दिनांक 3.9.1975 के परिपत्र में दांडिक आरोप पर दोषसिद्धि और दांडिक मामले में बोर्ड के कर्मचारी की पश्चातवर्ती दोषमुक्ति के मामलों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिकथित की गयी थी। परिपत्र ने प्रावधानित किया कि बर्खास्तगी, आदि की तिथि और तिथि जिस पर कर्मचारी ने कर्तव्य ग्रहण किया के बीच की अवधि पर विनियमनों के विनियम 41 के अधीन विचार किया जाएगा और कर्मचारी को उस वेतन एवं भत्ता, जो उसे ग्राह्य होता जब वह अपनी दोषमुक्ति की तिथि से पुनर्बहाली की तिथि तक निलंबन के अधीन था, से अन्यून वेतन एवं भत्ता का हकदार बनाया गया था। मैं वर्तमान मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाता हूँ। इसके अतिरिक्त **''जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था क्योंकि कर्मचारी को निलंबन की अवधि के दौरान पूर्ण वेतन दिया गया था। वर्तमान मामले में, निलंबन की अवधि के लिए याची को सेवा में पुनर्बहाली के बाद पूर्ण वेतन, आदि प्रदान नहीं किया गया था। याची ने उस संबंध में कोई शिकायत नहीं किया है। याची का मामला यह नहीं है कि कोल इंडिया ने कोई परिपत्र जारी किया है जो प्रावधानित करता है कि बर्खास्तगी की तिथि और दोषमुक्ति की तिथि के बीच की अवधि के लिए कर्मचारी को वह वेतन एवं भत्ता, जो उसे ग्राह्य होगा, यदि वह निलंबन के अधीन बना रहता, से अन्यून वेतन एवं भत्ता अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। **''जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड'' (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 3.9.1975 के परिपत्र में विनिर्दिष्ट प्रावधान की दृष्टि में और इस तथ्य कि निगम ने अवचारी कर्मचारी को अपनी पुनर्बहाली के बाद निलंबन की तिथि से बर्खास्तगी की तिथि तक पूर्ण वेतन प्रदान किया था, की दृष्टि में भी पिछली मजदूरी प्रदान करने वाले आदेश को मान्य ठहराया। पूर्वोक्त की दृष्टि में, मैं पाता हूँ कि वर्तमान मामले के तथ्य **''जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड'' (ऊपर)** में तथ्यों से बिल्कुल भिन्न हैं और इसलिए **''जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड'' (ऊपर)** में निर्णय पर याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया विश्वास मान्य नहीं है।

11. चूँकि, याची ने स्वयं को दांडिक मामले में अंतर्ग्रस्त किया जिसमें उसे दोषसिद्ध किया गया था, याची को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। दांडिक मामले में उसकी दोषमुक्ति पर याची को दिनांक 15.11.2011 के आदेश द्वारा सेवा में पुनर्बहाल किया गया था। मैं पाता हूँ कि याची की अपील दिनांक 7.9.2010 के आदेश द्वारा अनुज्ञात की गयी थी और उसने दिनांक 12.11.2010 को आवेदन दाखिल किया, अतः **''रणछोड़जी चतुर जी ठाकोर'' (ऊपर)** में अन्य मामलों में निर्णय की दृष्टि में वह दिनांक 12.11.2010 से दिनांक 15.11.2011 के बीच की अवधि के लिए पिछली मजदूरी के प्रदान का हकदार होगा। उस सीमा तक परिशिष्ट 6 पर दिनांक 15.11.2011 के आक्षेपित आदेश को उपांतरित किया जाता है। जहाँ तक दिनांक 31.1.2013 के निर्णय को संसूचित करने वाले आदेश को याची द्वारा दी गयी चुनौती का संबंध है, मेरा मत है कि याची यह स्थापित करने में सक्षम नहीं हुआ है कि उसका मामला डॉ॰ एस॰ एस॰ लाल के मामले के सदृश है और इसलिए, मैं दिनांक 31.1.2013 के पत्र में संसूचित निर्णय में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाता हूँ। पूर्वोक्त की दृष्टि में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि याची दिनांक 12.11.2010 से दिनांक 15.11.2011 तक पूर्ण पिछली मजदूरी के प्रदान का हकदार है और वह प्रोन्नति, आदि जैसे प्रोन्नति का नाम मात्र के पारिणामिक लाभों का हकदार होगा, यह रिट याचिका आंशिक रूप से अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

इंदु भूषण प्रसाद

cuke

सेंट्रल कोल फील्ड्स लि॰ एवं अन्य

W.P. (S) No. 3752 of 2012. Decided on 13th November, 2013.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–प्रोन्नति–कतिपय अवचार के लिए आरोप पत्र लंबित रहने के कारण दावा का अस्वीकरण–स्वयं आरोप-पत्र अभिखंडित किया गया है–याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रखना जीवित रखे जाने के अयोग्य है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया–प्रत्यर्थीगण को उस तिथि से, जब उसके जूनियरों को प्रोन्नत किया गया है, याची की प्रोन्नति के मामले में तार्किक निर्णय लेने का निर्देश दिया गया–रिट याचिका अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 11 से 13)

अधिवक्तागण.–M/s Samir Saurabh, Vishal Kumar, For the Petitioner; Mr. Ananda Sen, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. याची दिनांक 26.5.2012 के पत्र (परिशिष्ट-12) का अभिखंडन इप्सित कर रहा है जिसके द्वारा लेखाकार ग्रेड A1 में प्रोन्नति के लिए उसका दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि कतिपय अभिकथित अवचार के लिए उसके विरुद्ध दिनांक 10.11.2003 का आरोप-पत्र लंबित है। उसने दिनांक 10.11.2003 के पत्र (परिशिष्ट-2) के तहत आरंभ की गयी उक्त विभागीय कार्यवाही का अभिखंडन भी इप्सित किया है। परिणामस्वरुप, याची ने दिनांक 3.3.2006, जब उसके अनेक जूनियरों को प्रोन्नति प्रदान किया गया है, के प्रभाव से समस्त पारिणामिक लाभों के साथ लेखाकार ग्रेड A1 में उसको प्रोन्नति प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाना इप्सित किया है।

3. याची का मामला यह है कि उसे लेखाकार के पद (टी॰ एण्ड एस॰ ग्रेड A) पर दिनांक 18.1.1996 को नियुक्त किया गया था। दिनांक 10.11.2003 के पत्र (परिशिष्ट-2) द्वारा उसे निलंबन

के अधीन किया गया था और कतिपय बिलों को पारित करने के संबंध में, जो नियोक्ता सी॰ सी॰ लि॰ को 8,88,593,64/- रुपयों की हानि की ओर ले गया, कतिपय अभिकथित आरोपों के लिए कारण बताने के लिए कहा गया था। यह 3,15,707/- रुपयों के लिए करगली क्षेत्र में आवासीय क्वार्टर की छत के उपर बिटुमन पेंट करने; 2,81,539.44/- रुपयों के लिए मुख्य पाइप लाइन के रिसाव की मरम्मत और खराब पाइप लाइन के बदलने; और 2,91,347.20/- रुपयों के लिए के॰ एस॰ केंद्रीय विद्यालय शिक्षक एवं स्टाफ क्वार्टरों के कलर वाशिंग और डिसटेम्पर से संबंधित था। याची प्रतिवाद करता है कि उसने अपने विरुद्ध लगाए गए समस्त अभिकथनों से इनकार करते हुए उक्त कारण बताओ का तुरन्त उत्तर दिया और यह प्रतीत होता है कि याची का उक्त स्पष्टीकरण प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया था क्योंकि आज की तिथि तक याची के विरुद्ध प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी बेरमो पी॰ एस॰ केस सं॰ 130 वर्ष 2003 रोहतास इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के स्वत्वधारी के विरुद्ध इस अभिकथनों के साथ दर्ज की गयी थी कि कूटरचित बिलों को पारित करने के कारण उसने अवैध रूप से 8,88,593.64/- रुपयों का भुगतान प्राप्त किया। इस बीच याची को भी उक्त मामले में आलिप्त किया गया था और उसने बी॰ ए॰ सं॰ 6898 वर्ष 2003 में इस न्यायालय की पीठ द्वारा पारित आदेश के तहत दिनांक 9.1.2004 को जमानत प्राप्त किया। याची का मामला यह है कि दिनांक 18.3.2004 को प्रत्यर्थीगण द्वारा परिशिष्ट–5 के तहत उसका निलंबन रिक्त किया गया था और उसे धोरी क्षेत्र स्थानांतरित किया गया था। इस बीच, प्रत्यर्थीगण ने याची सहित कतिपय व्यक्तियों को लेखाकार ग्रेड के पद पर प्रोन्नति प्रदान किया था। किंतु दिनांक 27/30.6.2008 को उसको प्रोन्नत करने के निर्णय (परिशिष्ट–6) के बावजूद उसे प्रोन्नत पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। दांडिक मामला, जिसे रोहतास इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के स्वत्वधारी के विरुद्ध आरंभ किया गया था जिसमें याची सहित अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन किया गया था, अंततः टी॰ आर॰ सं॰ 151 वर्ष 2009, जी॰ आर॰ सं॰ 838 वर्ष 2003 के तत्सम, में पारित दिनांक 15.4.2009 के निर्णय (परिशिष्ट–8) के तहत अभियुक्तगण की दोषमुक्ति की ओर ले गया। याची के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि उक्त दांडिक मामला उसकी दोषमुक्ति में समाप्त हुआ क्योंकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त और अधिसंभाव्य संदेहों के परे अपना मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि स्वयं निर्णय का परिशीलन प्रकट करेगा कि इस अभिकथन पर कि इसे कूटरचित और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर निकाला गया था, 8,88,593.64/- रुपयों की निकासी के लिए, जो वही राशि है जिसे अभिकथित आरोप–पत्र (परिशिष्ट 2) में निर्दिष्ट किया गया है, अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रसर हुआ था।

4. तत्पश्चात, याची डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 7014 वर्ष 2011 में प्रोन्नति प्रदान किए जाने के लिए उसके मामले पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के पास आया था। उक्त रिट याचिका याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद बारह सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुरुप अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश महाप्रबंधक, बोकारो एवं करगली क्षेत्र, सी॰ सी॰ एल॰ को देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 2.1.2012 को निपटायी गयी थी। किंतु उक्त अभ्यावेदन अन्य बातों के साथ इस आधार पर कि उसके विरुद्ध दिनांक 10.11.2003 का आरोप–पत्र लंबित था, दिनांक 26.5.2012 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–12) द्वारा उसके विरुद्ध विनिश्चित की गयी है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि परिशिष्ट–2 पर आरोप–पत्र आरोप–पत्र की प्रकृति में नहीं है बल्कि कारण बताओ प्रकृति का है। किसी भी सूरत में यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण स्वयं उक्त अभिकथन के संबंध में विगत 10 वर्षों से उसके विरुद्ध अग्रसर नहीं हुए हैं। इस बीच याची को सक्षम विचारण न्यायालय द्वारा उन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है जैसा

परिशिष्ट 8 पर अंतर्विष्ट निर्णय बताता है। अतः, याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि स्वयं आक्षेपित आरोप–पत्र को अभिखंडित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, विभागीय कार्यवाही में अभियोजन, जो दस वर्षों से लंबित पड़ी हुई है, उसकी किसी गलती के बिना याची को परेशानी की ओर ले गयी है और उस आधार पर प्रोन्नति के अन्य लाभ से इनकार पूर्णतः असंपोषणीय और विधि में दोषपूर्ण है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **पी॰ वी॰ महादेवन बनाम एम॰ डी॰, टी॰ एन॰ हाऊसिंग बोर्ड, 2005 (6) SCC 636,** मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है। उक्त निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी नियोक्ता द्वारा किसी विश्वासोत्पादक स्पष्टीकरण को प्रस्तुत किए बिना विभागीय कार्यवाही निष्कर्षित करने में 10 वर्षों के अत्यधिक विलंब को अवचारी कर्मचारी के प्रति प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला अभिनिर्धारित किया गया था और तद्नुसार, उक्त मामले में अभिखंडित कर दिया गया था। याची का मामला भी सदृश आधार पर टिका है।

7. पूर्व अवसर पर इस न्यायालय के दिनांक 25.9.2013 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को याची के विरुद्ध वर्ष 2003 में आरंभ की गयी विभागीय कार्यवाही को आज की तिथि तक निष्कर्षित नहीं करने को विनिर्दिष्ट उत्तर देने के लिए कहा गया था।

8. प्रत्यर्थीगण ने पहले प्रति शपथपत्र दाखिल किया था जिसमें वे दिनांक 10.11.2003 को आरंभ की गयी बतायी गयी विभागीय कार्यवाही का लंबित रहना प्रोन्नति रोकने और उसका अभ्यावेदन अस्वीकार करने का आधार बताते हुए अड़े रहे हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से दाखिल पूरक प्रतिशपथ पत्र में विगत 10 वर्षों से विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वर्ष 2003 में जारी आरोप–पत्र अनसुना बना रहा और प्रत्यर्थीगण के ध्यान में केवल तब आया जब याची ने प्रोन्नति के लिए प्रबंधन के समक्ष अभ्यावेदन दिया। पूरक प्रतिशपथ पत्र में आगे कथन किया गया है कि जाँच आगे अग्रसर नहीं हो सकी थी क्योंकि अनुशासनिक प्राधिकारी को लेकर मतभेद था कि कौन जाँच अधिकारी नियुक्त करेगा–बी॰ एन्ड के॰ क्षेत्र का पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा डोहरी क्षेत्र का वर्तमान अनुशासनिक प्राधिकारी। प्रत्यर्थीगण ने कथन किया है कि उन्होंने दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक अपील सं॰ 977 वर्ष 2012 दाखिल करना चुना जिसे समुचित फोरम के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए सी॰ सी॰ एल॰ के प्रबंधन को स्वतंत्रता देते हुए दिनांक 21.12.2012 को वापस ले लिया गया था। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सी॰ सी॰ एल॰ ने दिनांक 24.6.2013 को विद्वान प्रमुख सत्र न्यायाधीश, बोकारो के न्यायालय में दांडिक अपील सं॰ 106 वर्ष 2013 दाखिल किया है। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्यर्थीगण ने अब नियत समय सीमा के भीतर विभागीय कार्यवाही निष्कर्षित करने के लिए कुछ और समय इप्सित किया है। अतः वर्तमान पूरक प्रति शपथपत्र में किए गए पूर्वोक्त प्रकथन विगत 10 वर्षों से उक्त कार्यवाही लंबित रखने के लिए कोई भी कारण नहीं बनाते हैं।

9. मैंने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है और आक्षेपित आदेश तथा याची के मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय सहित अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री का परिशीलन किया है। दिनांक 10.11.2003 के परिशिष्ट–2 के तहत आरंभ की गयी बतायी गयी विभागीय कार्यवाही के विगत 10 वर्षों से लंबित रहने का तथ्य विवादित नहीं है।

10. आरोप, जो दिनांक 10.1.2003 के उक्त पत्र के परिशीलन से प्रकट हैं, दर्शाते हैं कि यह कंपनी को हानि कारित करते हुए 8,88,593.64/- रुपयों की राशि की निर्मुक्ति के संबंध में आवश्यक

दस्तावेजों का परीक्षण करने में विफलता के लिए याची के कृत्यों से संबंधित है। लगभग 8.8 लाख रुपयों की उसी हानि के लिए और याची तथा कंपनी के कुछ अन्य कर्मचारियों के अभिकथित कृत्य के लिए याची का अन्य के साथ दांडिक मामले, टी॰ आर॰ सं॰ 151 वर्ष 2009, जी॰ आर॰ सं॰ 838 वर्ष 2003 के तत्सम, में अभियोजन किया गया था जिसमें उसे दिनांक 15.4.2009 के निर्णय (परिशिष्ट–8) द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। निर्णय के परिशीलन से यह भी प्रतीत होता है कि अभियोजन गवाह कंपनी के पदधारी थे जो याची के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहे थे। विचारण न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त और अधिसंभाव्य संदेहों के परे अपना मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है। पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में याची अपने विरुद्ध आरंभ की गयी बतायी कार्यवाही के भाग्य से अनभिज्ञ डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 7017 वर्ष 2011 में प्रोन्नति से इनकार किए जाने के बाद इस न्यायालय के पास आया। इस न्यायालय द्वारा महाप्रबंधक, बोकारो एवं करगली क्षेत्र, सी॰ सी॰ एल॰ को विधि के अनुरुप याची के अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देने पर प्रत्यर्थीगण ने नवंबर, 2003 से ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के आधार पर प्रोन्नति के लिए उसका मामला अस्वीकार कर दिया है। पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, और याची की किसी गलती के बिना दस वर्षों से कार्यवाही लंबित रखने के लिए प्रत्यर्थीगण की ओर से किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में याची को स्पष्टत: समय के इस चरण पर पीड़ित नहीं होने दिया जा सकता है जब उसके अन्य जूनियरों को भी प्रोन्नत किया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि याची के अतिरिक्त संगठन के अधीन अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी विभागीय कार्यवाही में अग्रसर नहीं हुआ गया था और यद्यपि याची जैसे कुछ अन्य कर्मचारी के विरुद्ध दांडिक मामला आरंभ किया गया था जिसका परिणाम उसी निर्णय द्वारा उनकी दोषमुक्ति में हुआ। ऐसी परिस्थितियों में, विभागीय कार्यवाही का लंबे समय तक जारी रहना उस पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसी दीर्घकालिक विभागीय कार्यवाही का जारी रहना अपने नियोक्ता अर्थात् सी॰ सी॰ लि॰ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, में कर्मचारियों का विश्वास डगमगाने की ओर ले जा सकता है। **पी॰ वी॰ महादेवन बनाम एम॰ डी॰, टी॰ एन॰ हाऊसिंग बोर्ड (उपर)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित निर्णयाधार वर्तमान मामले पर प्रयोज्य है। इस संबंध में उक्त निर्णय का पैरा 5 और 11 यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है जिसने अनेक विवाद्यकों पर प्रकाश डाला है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थे और वर्तमान मामले के तथ्यों में भी प्रासंगिक हैं:–

> *^^ijk 5 :–,u0 jkèkkfd'ku d nlj ekey e çR;Fkh dk o"k 1976 e uxjh; ;ktuk d lgk;d fun'kd d :i e fu;Dr fd;k x;k FkkA uxjikfydk çkfèkdkfj;k d lkFk njfHk lfèk e gnjkckn vkj fldnjkckn d tMok 'kgjk e cgeftyk bekjrk e vçkfèkÑr fuek.kk vkj fopyu e vfu;ferrkvk d ckj e ljdkj d lfpo] gkÅflx] uxjikfydk ç'kklu ,o uxjh; fodkl foHkkx] gnjkckn] vkèk çn'k dk egkfun'kd] ,UVh djl'ku C;jk] gnjkckn] vkèk çn'k }kjk fnukd 7.11.1987 dh fjikV Hkth x;h FkhA fjikV d vkèkkj ij] jkT; u çR;Fkh jkèkkfd'ku] rRdkyhu lgk;d uxj ;ktukdkj lfgr rhu inèkkfj;k d lcèk e fnukd 12.12.1987 d nk eek tkjh fd;kA bl ekey e fnukd 31.7.1995 rd vkjki dh en çR;Fkh ij rkehy ugh dh x;h FkhA fdr] vfèkdj.k u vfHkfuèkkfjr fd;k fd fnukd 31.7.1995 dk eek mu ?kVukvk l lcfèkr Fkk tk eek dh frfFk d igy nl o"kk vFkok vfèkd igy gb Fkh vkj çR;Fkh d fo#) vkjki fojfpr dju vkj tkp lpkfyr dju*

e bl vR;fèkd foyc d fy, ljdkj }kjk Li"Vhdj.k fcYdy ugh fn;k x;k Fkk vkj bl foyfcr pj.k ij ?kVukvk d lcèk e çR;Fkh d fo#) vc tkp lpkfyr dju d fy, jkT; dh vkj l dkb vkfpR; ugh FkkA bl U;k;ky; u ijk 19 e fuEufyf[kr lçf{kr fd;k g% (SCC P 165)

^^19. leLr ekeyk ij vkj leLr fLFkfr;k e] tgk vu'kklfur dk;okgh fu"df"kr dju e foyc gvk g] ç;kT; fdlh io fofuf'pr fl)krk dk vfèkdfFkr djuk lHko ugh gA D;k ml vkèkkj ij vu'kklfud dk;okgh lekIr dj nh tkuh pkfg,] ml ekey d rF;k vkj ifjfLFkfr;k ij çR;d ekey dk ijh{k.k djuk gkxkA ekey dk lkj ;g g fd U;k;ky; dk ;g fofuf'pr dju d fy, leLr çklfxd dkjdk dk fopkj e yuk gkxk vkj mudk lrfyr djuk ,o rkyuk gkxk fd D;k ;g LoPN ,o bekunkj ç'kklu d fgr e g fd foyc d ckn vu'kklfud dk;okgh dk lekIr dju dh vuefr nh tkuh pkfg, fo'k"kr% tc foyc vlkekU; g vkj foyc d fy, Li"Vhdj.k ugh fn;k x;k gA vipkjh depkjh dk vfèkdkj g fd mld fo#) vu'kklfud dk;okgh 'kh?kkfr'kh?k fu"df"kr dh tk; vkj mlI ekufld onuk Hkxru vkj èkuh; udlku lgu d fy, etcj ugh fd;k tk; tc dk;okgh foyfcr dju e mldh vkj l fdlh xyrh d fcuk bUg vuko';d :i l yck [khpk tkrk gA ;g fopkj dju e fd D;k foyc u vu'kklfud dk;okgh dk nf"kr fd;k g] U;k;ky; dk vkjki dh çÑfr] bldh tfVyrk vkj fdl dkj.k foyc gvk g ij fopkj djuk gkxkA ;fn foyc dk Li"Vhdj.k ugh g vipkjh depkjh ij dkfjr çfrdyrk lLi"V gk tkrh gA ;g Hkh n[kk tk ldrk Fkk fd vu'kklfud çkfèkdkjh viu depkjh d fo#) vkjki dh tkp dju e fdl gn rd xHkhj gA ;g ç'kklfud U;k; dk ey fl)kr g fd fdlh dk; fo'k"k l U;Lr vfèkdkjh dk bekunkjhiod] n{krkiod vkj fu;ek d vu#i viu dr0;k dk ikyu djuk gkxkA ;fn og bl iFk l fopfyr gkrk g] ml fofgr nM Hkxruk gA lkekU;r% vu'kklfud dk;okgh dk çklfxd fu;ek d erkfcd viuk jkLrk r; dju dh vuefr nh tkuh pkfg, fdr rc foyc U;k; dk foQy djrk gA foyc vkjkfir vfèkdkjh ij çfrdyrk dkfjr djrk g tc rd ;g ugh n'kk;k tkrk g fd og foyc dk nk"kh g vFkok tc vu'kklfud dk;okgh lpkfyr dju e foyc dk lefpr Li"Vhdj.k gA vrr%] U;k;ky; dk bu nkuk fHkUu fopkjk dk lrfyr djuk gA**

bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd fopkj fd, tku ;kX; 'kk;n gh dkb Li"Vhdj.k Fkk fd foyc D;k gvkA bu ifjfLFkfr;k e] bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd vfèkdj.k fnukd 31.7.1995 dk vkjki eek vfHk[kfMr dju e vkj fnukd 27.10.1995 vkj fnukd 1.6.1996 d eek dk vun[kk djd MhO ihO lhO dh vu'klk d erkfcd çR;Fkh dk çkUUkr dju d fy, jkT; dk fun'k nu e U;k;kfpr FkkA rnulkj] vkèk çn'k jkT; }kjk nkf[ky vihy [kkfjt dj nh x;h FkhA**

^^ijk 11:–bu ifjfLFkfr;k d vèkhu gekjk er g fd le; d bl njh ij çR;Fkh dk foHkkxh; dk;okgh e vkx vxlj gku dh vuefr nuk vihykFkh d çfr vR;Ur çfrdykRed gkxkA Hk"Vkpkj vkj fookfnr drO; d ifr lei.k d vkjkik d vèkhu mPprj ljdkjh inèkkjh dk j[kuk lcfèkr vfèkdkjh dk vlguh; ekufld onuk vkj O;Fkk dkfjr djxkA vr% ljdkjh depkjh d fo#) nh?kdkfyd vu'kklfud tkp l u doy ljdkjh depkjh d fgr e cfYd ykdfgr e vkj

*l jdkjh depkfj;k e fo'okl mRiUu dju dh nf"V l Hkh cpkuk pkfg,A b l pj.k ij] tkp dk lekIr djuk vko';d gA v ihykFkh igy gh vu'kklfud dk;okgh d dkj.k i;kIr :i l vkj vfèkd gh ihfMr gvk FkkA oLrr%] nh?kdkfyd vu'kklfud dk;okgh d dkj.k v ihykFkh dh ekufld onuk vkj ihMk nM dh ryuk dh x;h xyfr;k d fy, v ihykFkh dk ihfMr gku d fy, etcj ugh djuk pkfg,A***

11. तथ्यों और परिस्थितियों की पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित निर्णयाधार की दृष्टि में दिनांक 10.11.2003 के पत्र के तहत याची के विरुद्ध आरंभ की गयी अभिकथित अनुशासनिक कार्यवाही का जारी रहना सर्वथा अयोग्य है। तद्नुसार, इसे अभिखंडित किया जाता है। आगे, दिनांक 26.5.2012 का आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा उक्त आरोप-पत्र लंबित रहने के कारण प्रोन्नति के लिए याची का मामला अस्वीकार किया गया है, इस तथ्य की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है कि स्वयं दिनांक 10.11.2003 का उक्त आरोप-पत्र अभिखंडित कर दिया गया है। अत: तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता में और यहाँ उपर चर्चा किए गए कारणों से परिशिष्ट-12 पर अंतर्विष्ट दिनांक 26.5.2012 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है।

12. परिणामस्वरुप, प्रत्यर्थीगण को याची की प्रोन्नति के मामले में, इसे विचार में लेते हुए कि याची और अन्य नौ के संबंध में ऐसा कार्य पहले ही दिनांक 27/30.6.2008 के परिशिष्ट-6 के तहत किया गया है, उस तिथि से जब उसके जूनियरों को प्रोन्नत किया गया है, उसको प्रोन्नत करने का तार्किक निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। यह सूचित किया गया है कि उक्त आदेश के अधीन आच्छादित शेष व्यक्तियों को पहले ही प्रोन्नति प्रदान की गयी है किंतु प्रोन्नति के लिए याची का मामला लंबित रखा गया था। तद्नुसार, पारिणामिक लाभों के साथ उस तिथि से जब अन्य जूनियरों को प्रोन्नति प्रदान की गयी है याची को प्रोन्नति प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा आवश्यक आदेश पारित किया जाएगा।

13. पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। आई० ए० सं० 5969 वर्ष 2013 भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

शंकर राम रविदास

cuke

श्याम नंदन सहाय

Civil Revision No. 53 of 2010. Decided on 18th November, 2013.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 41 नियम 3A—परिसीमा अधिनियम, 1963—धारा 5—परिसीमा याचिका–ऐसे मामले में जहाँ अपील के साथ विलंब माफ करने के लिए आवेदन संलग्न नहीं है अपील के ज्ञापन के अस्वीकरण को विहित करने वाला नियम नहीं है–न्यायालय ने याचिका इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि इसे अपील का मेमो दाखिल करने के 29 दिनों बाद दाखिल किया गया था जिसके लिए कारण नहीं दिया गया है–आक्षेपित आदेश अपास्त। (पैराएँ 4 से 6)

निर्णयज विधि.–(2000)7 SCC 372—Followed; 2008(4) JCR 753 (Jhr); 1983 Patna 189; 2008 (4) JCR 753—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Shailesh Kumar Sinha, For the Petitioner; Mr. Jyoti Prasad Sinha, For the Opp. Party.

आदेश

यह पुनरीक्षण आवेदन विविध अपील सं॰ 22 वर्ष 2008 के संबंध में विद्वान जिला न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 27.8.2010 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा विद्वान जिला न्यायाधीश ने अपील इस आधार पर खारिज कर दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 3A का अनुपालन नहीं किया गया है।

2. यह निवेदन किया गया है कि याची द्वारा उपशमन के आदेश को अपास्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII नियम 1 के अधीन दिनांक 17.12.2008 को विविध अपील सं॰ 22 वर्ष 2008 दाखिल किया गया था और दिनांक 15.1.2009 को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी। याची ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन में वैध कारण दिया है किंतु विद्वान जिला न्यायाधीश ने **नेशनल इंश्योरेंस कं॰ लि॰ बनाम श्रीमती रुनिया बिन्हा एवं अन्य, 2008 (4) JCR 753 (Jhr.)** में इस न्यायालय द्वारा किए गए संप्रेक्षणों पर गलत रूप से विचार किया है और अपील खारिज कर दिया है। यह निवेदन किया गया है कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XLI नियम 3A के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान आज्ञापक नहीं है बल्कि निर्देशात्मक है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विश्वास किया गया निर्णय प्रचलित परिस्थितियों में पारित किया गया था। उसी मामले में, इस त्रुटि की परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन याचिका अपील के मेमो के साथ दाखिल नहीं की गयी थी, सहित कार्यालय द्वारा इंगित किए गए त्रुटियों को हटाने के लिए अपीलार्थी को बार-बार स्थगन दिया गया था। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन याचिका दाखिल करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विनिर्दिष्ट निर्देश का अनुपालन समय पर नहीं किया गया था और, इसलिए, स्थिति पर विचार करते हुए कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन संलग्न याचिका के बिना अपीलें दाखिल की जा रही हैं जो मामले के निपटान में विलंब कारित कर रहा है और, इसलिए, इस न्यायालय ने **2008 (4) JCR 753 (Jhr.)** में प्रकाशित निर्णय के पैरा 6 में अभिनिर्धारित किया कि यदि समय वर्जित अपील का मेमो परिसीमा याचिका को संलग्न किए बिना दाखिल किया जाता है, तब न्यायालय को इसे कठोरतापूर्वक लेना होगा और आपवादिक परिस्थितियों में विलंब माफ किया जाना है यदि अपील का मेमो दाखिल करने के बाद परिसीमा याचिका दाखिल की जाती है।

3. विरोधी पक्षकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और निवेदन किया कि यदि अपील का मेमो विलंब के बाद दाखिल किया जाता है, तब विलंब माफ करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन याचिका अपील के मेमो के साथ दाखिल करना ही होगा। जैसा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 3A के अधीन विहित किया गया है। आगे यह तर्क किया गया है कि याची द्वारा दाखिल परिसीमा याचिका वैध आधारों को प्रकट नहीं कर रही थी और इसलिए विद्वान जिला न्यायाधीश ने सही प्रकार से विलंब माफ करने से इनकार कर दिया है।

4. मैंने आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया है जो उपदर्शित करता है कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दाखिल परिसीमा याचिका में दिए गए आधार को अननुज्ञात करने के लिए कारण नहीं दिया है बल्कि न्यायालय ने इस आधार पर याचिका अस्वीकार कर दिया है कि इसे अपील का मेमो दाखिल करने के बाद 29 दिनों के विलंब के बाद दाखिल किया गया था जिसके लिए कारण नहीं दिया गया है।

इस संदर्भ में, **मध्य प्रदेश राज्य एवं एक अन्य बनाम प्रदीप कुमार एवं एक अन्य, 2000 (7) SCC 372,** मामले में निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मार्गदर्शक सिद्धांत अधिक आश्वस्त करने वाला है और मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक पर स्पष्टता देता है। माननीय न्यायाधीशों ने उक्त निर्णय के पैराओं 10, 11 और 19 में विवाद्यकों पर चर्चा किया है और कारण दिया है कि क्या आदेश XLI नियम 3A में प्रयुक्त शब्द 'करेगा' निर्देशात्मक होगा या आज्ञापक और इन पैराग्राफों को यहाँ नीचे उद्धृत करना वांछनीय है:–

"10. D;k ifj.kke gkxk ;fn ,lh vihy d lkFk fu;e 3A d mifu;e (1) e mfYyf[kr vkonu lyXu ugh fd;k x;k g\ ;g xkj djuk gkxk fd lfgrk rjUr iooorh fu;e e minf'kr djrh g fd fu;e 1 dh vko';drk dk vuikyu ugh dju dk ifj.kke vihy d Kkiu dk vLohdj.k lfEefyr djxkA fQj Hkh] mDr fu;e }kjk U;k;ky; dk fn;k x;k ,d vU; fodYi ;g g fd vihy d Kkiu dk vihykFkh dk fofufn"V le; d Hkhrj vFkok rjUr l'kkfèkr dju d fy, ykVkuk gA ;g xkj fd;k tkuk g fd ,l ekey e] tgk vihy d lkFk foyc ekQ dju d fy, vkonu lyXu ugh g] vihy d Kkiu d vLohdj.k dk fofgr dju okyk ,lk dkb fu;e ugh gA ;fn ,l vihy e foyc ekQ dju d vkonu dk lyXu fd, fcuk vihy dk Kkiu nkf[ky fd;k tkrk g] ifj.kke ?kkrd ugh gk ldrk gA ,l ekey e U;k;ky; è;ku e y ldrk g fd vihy e oèk çLrrhdj.k ugh FkkA cny e bldk vFk ;g g fd ;fn vihykFkh vihy vLohdkj fd, tku d igy foyc ekQ dju d fy, vkonu nrk g] bl igy gh nkf[ky fd, x, vihy dk Kkiu d lkFk luk tkuk pkfg,A doy rc U;k;ky; vihy dk fofèkiod çLrr fd;k x;k eku ldrk gA dN Hkh xyr ugh g ;fn U;k;ky; vihy dk Kkiu (ftld lkFk foyc Li"V djrk gvk vkonu lyXu ugh Fkk) =fVi.k d :i e okil ykVk nrk gA ,lh =fV lcfèkr i{k }kjk lèkkjh tk ldrh g vkj vfrfjDr foyc d fcuk vihy çLrr dh tk ldrh gA

11. fu%lng] fu;e 3A d mifu;e (1) u 'kCn ^^djxk** dk ç;kx fd;k gA ;g çfrokn fd;k x;k Fkk fd 'kCn ^^xk** ç;Dr fd;k tkuk Li"Vr% minf'kr djxk fd vko';drk vfuok; :i l my?kuh; gA fdr ,lh my?kuh;rk Lo; viu }kjk vFkok U;k;ky; }kjk bfxr fd, tku ij =fV lèkkju d fy, vihykFkh d volj dk cn ugh dj nrh gA lnHk e 'kCn ^^djxk** dh 0;k[;k vihykFkh ij Mky x, ckè;rk d :i e dju dh vko';drk gA D;k mifu;e ij vfèkd fucfèkr 0;k[;k Mkyh tkuh pkfg,\ fu;e dh 0;k[;k dBkjrkiod ugh dh tk ldrh g vkj bldk vuuikyu vihykFkh d fy, nMdkjh ugh cuk;k tk ldrk gA ,lk gk ldrk g fd fdlh xyrh vFkok pd d dkj.k vihykFkh vihy d lkFk (foyc Li"V dju okyk) vkonu nkf[ky dju dk yki dj ldrk gA

19. lfgrk d vkn'k 41 e fu;e 3A vfèkfu;fer dju dk mí'; nkgjk çrhr gkrk gA çFke] Lo; vihykFkh ftlu le; oftr vihy nkf[ky fd;k g dk lfpr djuk g fd bl xg.k ugh fd;k tk,xk tc rd bld lkFk foyc Li"V dju okyk vkonu lyXu ugh gA f}rh;] çR;Fkh dk ;g ln'k nuk fd vihy d Kkiu e j[k x; vèkkjk ij fopkj dju dk r;kj gkuk mld fy, vko';d ugh gk ldrk g D;kfd U;k;ky; dk ijkHkkO; 'kr d :i e foyc dh ekQh d fy, vkonu ij fopkj djuk gh gA mDr mí';k d vykok ge fu;e l dN Hkh ugh ik ldr g fd ;g v'kkè; vFkok vlèkk; d :i e çofrr gku d fy, vk'kf;r

*g tk vihykFkh d fo#) ?kkrd g ;fn Kkiu d lkFk igyh ckj e ,lk dkb vkonu lyXu ugh fd;k x;k gA gekj nf"Vdk.k e deh lèkkj tku ;kX; =fV g vkj ;fn ckn e vko';d vkonu nkf[ky fd;k tkrk g] vihy lfgrk d vkn'k 41 fu;e 3A e vrfo"V vko';drk d vu:i çLrr dh x;h ekuh tk ldrh gA***

5. बिहार राज्य बनाम राय चंडीनाथ सहाय, 1983 Patna 189, मामले में पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

6. 2008 (4) JCR 753 (उपर) में प्रकाशित निर्णय प्रचलित परिस्थितियों में पारित किया गया था कि समय वर्जित अपील का मेमो परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन याचिका को संलग्न किए बिना दाखिल किया जा रहा है और वर्षों बाद भी इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है और शायद **2000 (7) SCC 372 (ऊपर)** में प्रकाशित निर्णय न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य एवं एक अन्य (ऊपर)** के मामले में निर्णय में विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों को अनुमोदित और अननुमोदित करके विवाद्यक पर चर्चा किया है, मैं महसूस करता हूँ कि विविध अपील सं० 22 वर्ष 2008 में विद्वान जिला न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 27.8.2010 का आक्षेपित निर्णय मान्य नहीं है और अपास्त किए जाने योग्य है।

पूर्वोक्त कारणों से यह सिविल पुनरीक्षण अनुज्ञात किया जाता है और इस निर्देश के साथ कि विद्वान जिला न्यायाधीश परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दाखिल याचिका में लिए गए आधारों पर विचार करेंगे और अपील स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए नया आदेश पारित करेंगे, दिनांक 27.8.2010 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

अहमद जमालुद्दीन

cuke

बिहार राज्य एवं अन्य

CWJC No. 294 of 1998(R). Decided on 21st November, 2013.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन के मामले में

सेवा विधि–वसूली–आई० ए० प्रशिक्षित वेतनमान का रद्दकरण–आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि आई० ए० ट्रेंड वेतनमान का प्रदान बिहार वित्त नियमावली के नियम 74 और बिहार सेवा संहिता के नियम 58 के उल्लंघन में था और कि ऐसे वेतनमान के प्रदान का निर्णय जिला शिक्षा स्थापन कमिटी के अनुमोदन के बिना लिया गया था–आई० ए० प्रशिक्षित वेतनमान की धारणा राज्य सरकार से समाप्त कर दी गयी है–किंतु, चूँकि याची पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, वेतन की वसूली के आदेश को प्रभाव नहीं देना है क्योंकि यह याची को अनुचित कठिनाई कारित करेगा–याची से वसूली नहीं की जाए। (पैराएँ 12 से 17)

अधिवक्तागण.–M/s S. Srivastava, M.B. Lal, For the Petitioner; M/s Sumir Prasad, B. Yadav, For the Respondents.

अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. रिट याची प्रत्यर्थी सं॰ 4 प्रत्यर्थी जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और प्रत्यर्थी सं॰ 5, प्राचार्य अमदा मध्य विद्यालय, नूतनगढ़, दालभूमगढ़, पूर्वी सिंहभूम द्वारा जारी दिनांक 26.12.1997 के मेमो सं॰ 8038, परिशिष्ट–10 और दिनांक 16.1.1998 के पत्र सं॰ 2, परिशिष्ट–11 में अंतर्विष्ट आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा याची का आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान दिनांक 1.4.1981 के प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और उस कारण याची को भुगतान किए गए वेतन की वसूली का आदेश दिया गया है।

3. वर्तमान रिट याचिका में वाद के विनिश्चयकरण के लिए आवश्यक तथ्यों का कथन यहाँ नीचे किया जा रहा है:–

याची को विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र, परिशिष्ट 1 के मुताबिक दिनांक 23.9.1948 को जन्मा हुआ बताया जाता है और उसने पोटका अंचल, पूर्वी सिंहभूम के अधीन धालाडीह प्राथमिक विद्यालय में दिनांक 10.4.1971 को 120/- रुपया प्रतिमाह के वेतनमान पर सहायक शिक्षक के रूप में पदग्रहण किया। तत्पश्चात, दिनांक 1.4.1973 को याची का वेतनमान 250/- रुपया प्रतिमाह तक बढ़ा दिया गया था। याची को उसी जिला में अक्टूबर, 1979 में एक अन्य विद्यालय में स्थानांतरित किया गया। वह वर्ष 1973 में बी॰ ए॰ परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और उसे दिनांक 12.10.1977 को अपना शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करता हुआ बताया जाता है। याची को दिनांक 10.8.1978 के मेमो सं॰ 769-72 में अंतर्विष्ट दिनांक 10.8.1978 के कार्यालय आदेश द्वारा अपना शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने पर मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान अधिनिर्णीत किया गया था। तत्पश्चात, याची को शिकायत है कि कतिपय व्यक्तियों, जिन्होंने याची के साथ अक्टूबर, 1977 में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया था, को रिट याचिका के पैरा 10 में दिए गए बयान के मुताबिक दिनांक 14.1.1983 के मेमो सं॰ 205/ जमशेदपुर में अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश के तहत दिनांक 1.1.1983 के प्रभाव से आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान अधिनिर्णीत किया गया था किंतु उसे उक्त वेतनमान नहीं दिया जा रहा था। याची ने सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2028/1991 (R) में पारित दिनांक 20.4.1992 के निर्णय, परिशिष्ट–3, जिसके द्वारा दिनांक 1.1.1978 के प्रभाव से शिक्षकों को आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान के धनीय लाभों को प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, पर विश्वास किया है।

4. किंतु, याची आई॰ ए॰ और बी॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान की मंजूरी के लिए सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2868/1992 (R) में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष गया। उसके अभ्यावेदन पर तार्किक आदेश पारित करके अनुबंधित अवधि के भीतर याची की शिकायत पर विचार करने का निर्देश, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को देते हुए दिनांक 9.4.1993 के आदेश, परिशिष्ट 4 द्वारा उक्त रिट याचिका निपटायी गयी थी। दिनांक 9.4.1993 के उक्त निर्णय में प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुए और अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जिसमें यह बयान भी दिया गया था कि दिनांक 1.4.1981 के प्रभाव से आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान समाप्त कर दिया गया है। इसी समय पर यह कथन किया गया था कि यदि याची दिनांक 1.4.1981 के प्रभाव से पहले आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान पाने का हकदार था, उसके मामले पर विचार किया जाएगा। बी॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान के संबंध में भी यह कथन किया गया था कि इस पर भी विधि के अनुरुप विचार किया जाएगा। याची के अभ्यावेदन पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने दिनांक 9.4.1993 के निर्णय के तहत रिट याचिका में पारित निर्देश की दृष्टि में इस प्रभाव के कतिपय निर्देशों को जारी किया, जो दिनांक 21.6.1993 के परिशिष्ट–5 में अंतर्विष्ट है, कि याची को नगरपालिका एवं ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों के कैडर के विलय की तिथि से पहले आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान का दावा नहीं होगा। विलय के बाद यदि यह पाया जाता है कि पद रिक्त है और याची के किसी जूनियर ने ऐसा लाभ पाया है, तब उसकी प्रोन्नति के रद्दकरण के लिए उक्त जूनियर व्यक्ति को कारण बताओ दिया जाएगा और जिला शिक्षा स्थापन कमिटी द्वारा प्रोन्नति के लिए याची के मामले पर विचार किया जाएगा। यह निर्देश उपायुक्त, जमशेदपुर

को संबोधित किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 3.2.1994 के मेमो सं॰ 1048-53. परिशिष्ट 8 में अंतर्विष्ट आदेश जिला शिक्षा अधीक्षक के हस्ताक्षर के अधीन जारी किया गया था और दिनांक 1.4.1981 के प्रभाव से वर्तमान याची सहित तीन व्यक्तियों को आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश का परिशीलन याची के मामले में दिनांक 9.4.1993 को पारित निर्णय में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्थापन कमिटी, पूर्वी सिंहभूम के निर्देश और दिनांक 29.2.1992 के मेमो सं॰ 203 और दिनांक 21.6.1993 के मेमो सं॰ 1651, परिशिष्ट-5, में अंतर्विष्ट निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निर्देश को उपदर्शित करता है।

5. तत्पश्चात् याची ने आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ पाया और उक्त आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान का वेतन और वेतन का बकाया प्राप्त किया किंतु याची ने दिनांक 29.3.1997 को जिला शिक्षा अधीक्षक के हस्ताक्षर के अधीन इस प्रभाव का कारण बताओ प्राप्त किया कि क्यों आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान में उसकी प्रोन्नति रद्द नहीं कर दी जाए क्योंकि यह नियमों के विपरीत है। याची ने निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा पारित दिनांक 21.6.1993 के निर्देशों और इस तथ्य कि कतिपय जूनियर व्यक्तियों ने दिनांक 1.4.1981 के प्रभाव से बी॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान पाया, के आधार पर अन्य बातों के साथ ऐसे वेतनमान के प्रदान का बचाव करते हुए दिनांक 9.4.1997 के परिशिष्ट 9/1 के तहत उत्तर दिया। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 4 जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम के हस्ताक्षर के अधीन आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट जारी किया गया है जिसके द्वारा याची का आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान रद्द कर दिया गया है।

6. आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट 10, के परिशीलन से प्रतीत होगा कि उसमें निम्नलिखित आधार लिए गए हैं:–

> *(i) Hkry{kh frfFk vFkkr fnukd 1.4.1981 l vkb0 ,0 çf'kf{kr orueku dk çnku fcgkj foÙk fu;ekoyh d fu;e 74 vkj fcgkj lok lfgrk d fu;e 54 d mYy?ku e gA*
>
> *(ii) ,l orueku d çnku dk fu.k; ftyk f'k{kk LFkkiuk dfeVh d vueknu d fcuk fy;k x;k FkkA*

7. आदेश में यह भी दर्ज किया गया था कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2028/1991 (R) में पारित निर्देश, जो रिट आवेदन के परिशिष्ट-3 पर है, के अधीन लाभान्वित हुए व्यक्तियों के सिवाए याची जैसे अन्य व्यक्तियों के संबंध में आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान का प्रदान रद्द किया जा रहा है क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में पारित निर्णय के प्रसंग में प्रदान किया गया था। वेतन वसूल करने का पारिणामिक आदेश दिनांक 16.1.1998 के परिशिष्ट 11 द्वारा जारी किया गया था। तत्पश्चात, याची वर्तमान रिट याचिका में इस न्यायालय के पास आया जिसमें दिनांक 25.3.1998 और दिनांक 14.10.1998 के अंतरिम आदेश द्वारा यह उपदर्शित किया गया था कि याची के वेतन से वसूली स्थगित रहेगी।

8. रिट याचिका ग्रहण की गयी थी और इसे इसके दाखिल किए जाने के 15 वर्षों बाद सुना जा रहा है। याची अपनी जन्मतिथि अर्थात् दिनांक 23.9.1948 के मुताबिक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वर्ष 2008 में सेवानिवृत्त होता बताया जाता है। इस पृष्ठभूमि में रिट याची द्वारा अन्य बातों के साथ इस आधार पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दिया गया है कि दिनांक 9.4.1993 के निर्णय के तहत याची के मामले में पारित निर्देश और दिनांक 21.6.1993 के परिशिष्ट 5 द्वारा निदेशक द्वारा जारी विनिर्दिष्ट निर्देश और उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्थापना कमिटी, पूर्वी सिंहभूम के अनुमोदन के अनुसरण में

याची को दिनांक 3.2.1994 के परिशिष्ट 8 के तहत दिनांक 1.4.1981 के प्रभाव से याची को आई० ए० प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति का आदेश प्रदान किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि जब सम्यक विचार विमर्श और याची के प्रतिवाद कि कतिपय जूनियरों को ऐसी प्रोन्नति प्रदान की गयी थी सहित समस्त प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद प्रोन्नति का आदेश जारी करने का संपूर्ण कार्य किया गया था, तत्पश्चात आक्षेपित आदेश में लिए गए अभिकथित आधारों पर ऐसे आई० ए० प्रशिक्षित वेतनमान के प्रदान को रद्द करने का अवसर प्रत्यर्थीगण के पास नहीं था। अत:, आक्षेपित आदेश विधि में दोषपूर्ण है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

9. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका में की गयी प्रार्थना का विरोध किया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि प्रतिशपथ पत्र के पैरा 16 में दिए गए बयान के मुताबिक दिनांक 1.4.1981 के प्रभाव से आई० ए० प्रशिक्षित वेतनमान के प्रदान का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता प्रतिशपथ पत्र में किए गए प्रकथन पर विश्वास करते हुए यह निवेदन भी करते हैं प्रोन्नति के ऐसे आदेश की तिथि से पहले की तिथि से भूतलक्षी प्रोन्नति और पारिणामिक लाभ का प्रदान बिहार सेवा संहिता के नियम 54 और बिहार वित्त नियमावली के नियम 74 के उल्लंघन में है। जिला शिक्षा स्थापन कमिटी ने दिनांक 13.9.1997 की अपनी बैठक में इन अनियमितताओं का पता लगाया था और वर्तमान याची सहित संबंधित शिक्षकों को ऐसे लाभ रद्द करने का निर्णय लिया गया था।

10. आगे यह कथन किया गया है कि शिक्षा विभाग के उच्चतर अधिकारियों द्वारा जाँच संचालित किया गया था जिसने वित्त विभाग की लेखा परीक्षा के दौरान इन अनियमितताओं को पाया था प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि नगरपालिका और ग्रामीण कोटि के शिक्षकों का विलय दिनांक 1.4.1979 के प्रभाव से हुआ और अन्य व्यक्तियों को ऐसे प्रशिक्षित वेतनमान पर याची का विश्वास कुस्थापित है क्योंकि याची अन्य व्यक्तियों जो नगरपालिका विद्यालयों में थे के असमान ग्रामीण कोटि में था। इन परिस्थितियों में प्रत्यर्थीगण द्वारा आक्षेपित आदेश न्यायोचित ठहराया गया है।

11. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्रियों का परिशीलन किया है। प्रासंगिक तथ्यों, जिन्हें रिट याचिका के आरंभिक पैराग्राफों में उपदर्शित किया गया है, जहाँ तक यह याची की नियुक्ति तिथि, पदग्रहण तिथि, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और याची को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान के प्रदान से संबंधित है, पर प्रत्यर्थीगण द्वारा विवाद नहीं किया गया है। एकमात्र प्रश्न जिसे विनिश्चित करने की आवश्यकता है यह है कि क्या आई० ए० प्रशिक्षित वेतनमान जिसे परिशिष्ट 8 के तहत दिनांक 1.4.1981 के प्रभाव से याची को प्रदान किया गया था, विधि में दोषपूर्ण है और इसे रद्द करने की आवश्यकता है।

12. आदेश, जिसके द्वारा याची को ऐसा लाभ प्रदान किया गया था, को पहले भी निर्दिष्ट किया गया है जो उपदर्शित करता है कि इसे सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 2868 वर्ष 1992 में पारित निर्देशों और दिनांक 29.2.1992 के मेमो सं० 203 और दिनांक 21.6.1993 के मेमो सं० 1651 में अंतर्विष्ट निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देशों को विचार में लेते हुए उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा समिति कमिटी, पूर्वी सिंहभूम के दिनांक 16.5.1994 के अनुमोदन के आधार पर जारी किया गया था। परिशिष्ट-5 के परिशीलन से यह भी प्रतीत होता है कि याची के अभ्यावेदन पर और अन्य व्यक्तियों जिन्हें ऐसा लाभ प्रदान किया गया था और याची को सुनने पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने स्पष्टत: संप्रेक्षित किया कि नगरपालिका शिक्षकों तथा ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों के विलय के बाद उपलब्ध किसी रिक्त

पद के विरुद्ध प्रोन्नति के लिए याची के मामले पर विचार किया जा सकता था। यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि यदि किसी जूनियर को प्रोन्नति प्रदान की गयी है, ऐसे जूनियरों, जिन्हें प्रोन्नति प्रदान की गयी थी, को कारण बताने के लिए कहकर याची के मामले पर विचार किया जाएगा। अत:, यह प्रतीत होता है कि पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल पीठ द्वारा परिशिष्ट 4 के तहत याची के मामले में निर्देश पारित करने के बाद ऐसा किया गया था। किंतु, उक्त रिट याचिका में प्रति शपथपत्र भी दाखिल किया गया था जिसमें कथन किया गया था कि आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान दिनांक 1.4.1981 के प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। किंतु, प्रत्यर्थीगण ने सम्यक विचार के बाद याची को उक्त लाभ प्रदान करना चुना जिसे अन्य बातों के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 74 और बिहार वित्त नियमावली के नियम 58 के उल्लंघन के पूर्वोक्त आधार पर परिशिष्ट 10 पर आक्षेपित आदेश द्वारा रद्द किया जाना इप्सित किया गया है।

13. यह भी सत्य है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान आक्षेपित आदेश के अनुसरण में याची के वेतन से वसूली स्थगित कर दी गयी थी। साथ ही, यह विवादित नहीं है और इसे परिशिष्ट-4 के आदेश में और प्रतिशपथ पत्र में किए गए प्रकथन में भी परिलक्षित किया गया है कि दिनांक 1.4.1981 के प्रभाव से आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान समाप्त कर दिया गया है।

14. अत:, पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण ने सोच समझकर लिए गए निर्णय द्वारा याची को दिनांक 1.4.1981 के प्रभाव से आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ इस तथ्य के बावजूद प्रदान किया है कि आई॰ ए॰ प्रशिक्षित वेतनमान की धारणा राज्य सरकार से समाप्त कर दी गयी है। अत:, याची को ऐसे निर्णय के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है जिसे याची द्वारा दाखिल रिट याचिका अर्थात् सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2868 वर्ष 1992 में पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित निर्देश पर लिया गया था।

15. याची पूर्वोक्तानुसार वर्ष 2008 में सेवानिवृत्त हो गया है। स्वयं वर्तमान रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में वसूली का आदेश भी स्थगित कर दिया गया था। अत: यह सही होगा कि याची को पहले ही भुगतान की जा चुकी राशि की वसूली के लिए आक्षेपित आदेश को प्रभाव नहीं दिया जाए क्योंकि यह याची को अनुचित कठिनाई कारित करेगा।

16. पूर्वोक्त परिस्थितियों में, परिशिष्ट 10 में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किए बिना यह निर्देश दिया जाता है कि इसके अनुसरण में याची से वसूली नहीं की जाए।

17. पूर्वोक्त कारणों की दृष्टि में, याची आक्षेपित आदेश के अनुसरण में घटाए गए वेतनमान में वेतन का लाभ होगा और उसके अन्य सेवा निवृत्ति पश्चात देयों को समय-समय पर प्रदान किए गए किसी सम्यक वेतन वृद्धि अथवा पुनरीक्षण के साथ उक्त वेतनमान में अंतिम बार निकासी की गयी राशि के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा।

18. पूर्वोक्त तथ्यों एवं कारणों से यह रिट याचिका तद्नुसार, निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

धनी राम बारी एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (S) No. 3641 of 2013. Decided on 13th November, 2013.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक आवेदन के मामले में।

सेवा विधि–प्रोन्नति–शिथिलीकरण प्रदान करने का प्रावधान, जैसा दिनांक 16.1.2012 के संकल्प में अंतर्विष्ट है, केवल उन मामलों में प्रयोज्य है जहाँ कर्मचारी ने पद विशेष पर काम करते हुए विशेष ग्रेड पे में सेवा का न्यूनतम अवधि नहीं दिया है–ऐसी स्थिति में उसी ग्रेड वेतन में यद्यपि निम्नतर पद पर बितायी गयी अवधि भी प्रोन्नति के लिए गिनी जाएगी–याचीगण ने दिनांक 15.9.2012 के पहले 6600/- रुपयों के ग्रेड वेतन में पाँच वर्ष पूरा किया है और तत्पश्चात वे 6600/- रुपयों के ग्रेड वेतन पर काम करते हुए पाँच वर्ष पूरा करने पर 7600/- रुपयों के उच्चतर ग्रेड वेतन के प्रदान के हकदार होंगे–रिट याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 10 से 12)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Sinha, For the Petitioners; Mr. Ajit Kumar, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–याचीगण ने वर्तमान रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाओं को किया है:–

(i) mPprj ink ij çkUufr d fy, U;ure vgrk lok d lcèk e fnukd 15.9.2012 d eek l0 10695 e vrfo"V vkn'kk] tk fnukd 16.1.2012 d ljdkjh ldYi l0 398 d lkFk lxfr e ugh g] d vfHk[kMu d fy, vkj 6600/-#i, d xM oru j[ku oky voj lfpo d mud oreku in l 7600/-#i, xM oru d mi lfpo d in ij çkUufr d fy,] D;kfd mUgku 6600/-#i, d ml xM oru e lkr o"kk l vfèkd ijk fd;k g] vko';d U;ure vgrk lok ijk dju okyk ?kkf"kr dju d fy, fjV@vkn'k@fun'k tkjh dju d fy,

vkj@vFkok

(ii) mi lfpo d in ij ;kphx.k dh çkUufr d mfpr@U;k;i.k@vfèkdkji.k@oèk nkok D;kfd o vU;Fkk fnukd 15.9.2012 d eek l0 10695 d rgr tkjh mDr vkn'k d fofèk dh lPph vkRek d çdk'k e] tl k fnukd 16.1.2012 d ldYi l0 398 e vrfo"V g] vfHk[kMu fd, tku d ifj.kkeLo#i çkUufr d fy, vfgr g] ij rjUr fopkj dju d fy, çR;Fkhx.k dk vkn'k nu oky fo'k"kr% ijekn'k dh çÑfr e fun'k@fjV@vkn'k tkjh dju d fy,

vkj@vFkok

*(iii) fdlh vU; vurk"k vFkok vurk"kk d fy, ftld fy, ;kphx.k ekey d rF;k vkj ifjfLFkfr;k d vkykd e fofèkiod gdnkj gA**

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याचीगण को आरंभ में वर्ष 1974 और 1980 की अवधि के बीच सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। छठे वेतन पुनरीक्षण रिपोर्ट के क्रियान्वयन के बाद याचीगण, जो सेक्शन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, को 15,600-39,100/- रुपयों का वेतनमान प्रदान किया गया था जो 6600/- रुपए के ग्रेड वेतन से संबंधित हैं। याचीगण को दिनांक 29.7.2011 और दिनांक 4.4.2012 के आदेशों द्वारा 6600/- रुपए के ग्रेड वेतन वाले ग्रेड–I अर्थात् अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी थी। चूँकि याचीगण को उप सचिव के पद पर प्रोन्नति प्रदान नहीं की गयी थी, वे डब्ल्यू० पी० (एस०) सं० 3243 वर्ष 2012 में इस न्यायालय के पास आए जिसे दिनांक 30.7.2012 के आदेश द्वारा प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा को अवर सचिव के पद से उपसचिव

के पद पर प्रोन्नति के लिए याचीगण के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हुए निपटाया गया था। दिनांक 15.9.2012 के आदेश द्वारा याचीगण का दावा अस्वीकार कर दिया गया है।

3. यह अभिवचन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि चूँकि याचीगण उप सचिव की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए आवश्यक सेवा की न्यूनतम अर्हता अवधि परिपूर्ण नहीं करते हैं, दिनांक 15.9.2012 के आदेश द्वारा उनका दावा सही प्रकार से अस्वीकार कर दिया गया है। प्रत्यर्थी सं॰ 2 की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र के पैरा सं॰ 12 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"12. fd mÙkj d vèkhu fjV vkonu d ijk 15 l 17, 19 vkj 20 e fn, x, c;ku d mÙkj e ;g dFku vkj fuonu fd;k x;k g fd ;kphx.k d çdFku l ik"k.kh; ugh gA dkb Hkh ;kphx.k mi lfpo d in ij çkUufr d fy, lok dh vko';d U;ure vgrk vofèk ifji.k ugh djrk gA bl lnHk e] vkx ;g fuonu fd;k x;k g fd fuEurj in l mPprj in ij çkUufr d fy, U;ure le;kofèk jkT; ljdkj }kjk fofuf'pr dh x;h g vkj ;g flfoy lokvk vkj dMjk ij ç;kT; g tl k fnukd 16.1.2012 d ldYi l0 398 d rgr vfèklfpr fd;k x;k gA (fjV ;kfpdk d ifjf'k"V 3 'A' d :i e lyXu)

;kphx.k voj lfpo d :i e dk;jr g ftldk orueku PB III, 15,600/ 39,100/- #i;k] xM oru 6600/- #i;k gA >kj[kM lfpoky; lok fu;ekoyh 2010 d fu;e 6 (2) d erkfcd ;kphx.k mi lfpo d xM e çkUufr ik ldr g ftldk orueku PB III, 15,600-39,100/- #i;k] xM oru 7600/- gA fnukd 16.1.2012 d ldYi l0 398 d çkoèkkuk (ijk 3 (ii) Øekd 18) d erkfcd] mi lfpo d xM vFkkr 6600/-#i, d xM oru l 7600/-#i, d xM oru ij] çkUufr d fy, fopkj fd, tku d fy, ;kphx.k dk 5 o"kk dh U;ure le;kofèk ijh dju dh vko';drk gA

mDr ldYi d ijk 4 e ;g fu.k; fd;k x;k g fd tc in fo'k"k ij fu;r U;ure le;kofèk ijh ugh dh x;h g vkj Bhd uhp d in ij mEehnokj }kjk vko';d vofèk ijh dh x;h g vkj çkUufr dh U;ure vofèk d :i e fofuf'pr vofèk dk vkèkk Hkkx in fo'k"k ij mEehnokj }kjk ijk dj fy;k x;k g] dMj d vrxr ml ekey e çkUufr çnku dh tk ldrh g tc fjfDr miyCèk gA

;kphx.k dk çdFku lgh ugh g D;kfd ;kphx.k u fnukd 16.1.2012 d ldYi l0 398 d [kM 4 d erkfcd voj lfpo d in ij <kb o"k ijk ugh fd;k gA

;gk ;g mYy[k djuk mi;Dr g fd dkfed] ç'kklfud lèkkj ,o jktHkk"kk foHkkx] >kj[kM ljdkj }kjk tkjh fnukd 25.6.2013 d ldYi l0 5606 d rgr fnukd 16.1.2012 d ldYi l0 398 d ijk 4 e dfri; l'kkèku fd, x, gA (vkb0 ,0 ;kfpdk d ifjf'k"V 7 d :i e lyXu) l'kkfèkr ldYi e ;g Li"Vr% mfYyf[kr fd;k x;k g fd ,';kM dfj;j çkx'ku@mikrfjr ,';kM dfj;j çkx'ku d ekè;e l çkIr fd;k x;k xM oru fuEurj in l mPprj in ij çkUufr d fy, fopkj e ugh fy;k tk ldrk gA

4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया है।

5. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ सिन्हा ने निवेदन किया है कि झारखंड सरकार का दिनांक 16.1.2012 का संकल्प 'ग्रेड वेतन' के आधार पर प्रोन्नति प्रावधानित करता

है और उक्त संकल्प निम्नतर ग्रेड पद में अध्यपेक्षित अनुभव रखने की आवश्यकता समाप्त करने के लिए आशयित था। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि चूँकि याचीगण अवर सचिव के पद से उप सचिव के पद पर प्रोन्नति इप्सित कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 6600/- रुपयों के 'ग्रेड वेतन' में सेवा का पाँच वर्ष पूरा करने की आवश्यकता है, पाँच वर्षों की अवधि उस तिथि से गिनी जानी चाहिए जब याचीगण को पहली बार 6600/- रुपयों का 'ग्रेड वेतन' प्रदान किया गया था और याचीगण को उप सचिव की श्रेणी का दावा करने के पहले 6600/- रुपयों का 'ग्रेड वेतन' रखने वाले ग्रेड I पद में पाँच वर्ष पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि दिनांक 25.6.2013 के संकल्प द्वारा भी 'ग्रेड वेतन' पर आधारित प्रोन्नति का मापदंड परिवर्तित नहीं किया गया है और केवल दिनांक 16.1.2012 के संकल्प के पैरा 14 को स्पष्ट किया गया है।

6. समानांतर स्तंभ में, विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री अजित कुमार ने निवेदन किया है कि झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियमों 3, 6 और 13 का संयुक्त पठन उपदर्शित करेगा कि याचीगण को चयन ग्रेड अर्थात् उप सचिव के पद पर प्रोन्नति का दावा करने के पहले ग्रेड I में पाँच वर्ष से कम नहीं की अनुमोदित सेवा देने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 सांविधिक नियमावली है जबकि दिनांक 16.1.2012 का संकल्प कार्यपालिका अनुदेश है और इसलिए, दिनांक 16.1.2012 का संकल्प नियमावली में अंतर्विष्ट अभिव्यक्त प्रावधानों को अधिक्रांत नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि याचीगण को द्वितीय एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के प्रदान के परिणामस्वरुप 6600/- रुपया का 'ग्रेड वेतन' प्रदान किया गया था, अतः, दिनांक 25.6.2013 के संकल्प की दृष्टि में सेक्शन अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए याचीगण को प्रदान किया गया 6600/- रुपयों का 'ग्रेड वेतन' उपसचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए याचीगण के दावा पर विचार करने के लिए गिना नहीं जा सकता है।

7. मैं पाता हूँ कि रिट याचिका में याचीगण ने निम्नलिखित प्रकथन किया है:–

^^6. fd ;g dFku vkj fuonu fd;k x;k g fd lD'ku vfèkdkjh d :i e lok nr g, ;kphx.k dk oru NB oru iujh{k.k d fØ;kUo;u dh frfFk l vFkkr fnukd 1.1.2006 d çHkko l 6600/- #i;k xM oru l tM 15,600/- 39,100/- #i;k d orueku e fu;r fd;k x;k Fkk D;kfd mu lck dk io frfFk l f}rh; ,';kM dfj;j çkx'ku çnku fd;k x;k FkkA

11. fd ;g dFku vkj fuonu fd;k x;k g fd U;ure vgrk lok dk dkjd fnukd 16.1.2012 d ldYi l0 398 d rgr lkekU; :i l mikrfjr fd;k x;k g ftle in fo'k"k ij nh x;h lok d vkèkkj ij U;ure vgrk lok dh lx.kuk dh fo|eku ç.kkyh dk çfrLFkkfir djd fo'k"k xM oru e nh x;h lok d vkèkkj ij U;ure vgd lok dh lx.kuk dju dk çkoèkku cuk;k x;k gA

*13. fd ;g dFku fd;k x;k g fd p;u xM vFkkr lfpoky; lok d mi lfpo dh J.kh e dy 33 ink e l 26 fjfDr;k miyCèk g ftl d fy, ;kphx.k lfgr vfèkdkjhx.k miyCèk g vkj çkUufr d fy, vU;Fkk vfgr gA***

8. प्रत्यर्थी सं॰ 2 की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में प्रत्यर्थीगण ने निम्नलिखित उत्तर दिया है:–

"9. fd mÙkj d vèkhu fjV vkonu e i jk 5 l 12 e fn, x, c;ku d mÙkj e ;g dFku vkj fuonu fd;k tkrk g fd ;g vfHky[k dk ekeyk g vkj mÙkj nu oky çR;Fkh l fdlh fVli.kh dh vko';drk ugh gA

*10. fd mÙkj d vèkhu fjV vkonu d i jk 13 e fn, x, c;ku d mÙkj e ;g dFku vkj fuonu fd;k tkrk g fd mi lfpo d 33 ink e l 27 in fjDr gA**

9. मैं पाता हूँ कि झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम 18 के अधीन सरकार को नियमावली में अंतर्विष्ट प्रावधानों में से किसी को शिथिल करने की शक्ति है। मैं आगे पाता हूँ कि नियमावली, 2010 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में अंतर्विष्ट शक्तियों के प्रयोग में विरचित की गयी है और इस नियमावली को झारखंड राज्य के राज्यपाल के आदेश द्वारा विरचित किया गया है। दिनांक 16.1.2012 और दिनांक 25.6.2013 के संकल्प भी झारखंड राज्य के राज्यपाल के आदेश द्वारा जारी किए गए हैं और इसलिए, मेरा मत है कि दिनांक 16.1.2012 के संकल्प में अंतर्विष्ट प्रावधान केवल झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के पूरक होंगे और इसलिए, प्रत्यर्थीगण पर बाध्यकारी हैं। इसके अतिरिक्त, जहाँ तक प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए अभिवचन का संबंध है, कि दिनांक 16.1.2012 का संकल्प झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के अधीन अभिव्यक्त प्रावधानों को अधिक्रांत नहीं करेगा, मेरा दृष्टिकोण है कि प्रत्यर्थीगण को ऐसा अभिवचन उपलब्ध नहीं था क्योंकि दिनांक 16.1.2012 का संकल्प स्वयं प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी किया गया है।

10. अब, विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिवाद पर कि ग्रेड I पद में अर्थात् अवर सचिव के पद पर याचीगण को न्यूनतम सेवा का पाँच वर्ष पूरा करने की आवश्यकता है, पर आते हुए मैं पाता हूँ कि यदि दिनांक 16.1.2012 के संकल्प में अंतर्विष्ट प्रावधान की ऐसी व्याख्या की जाती है, यह दिनांक 16.1.2012 के संकल्प को अर्थहीन बनाएगा। दिनांक 16.1.2012 के संकल्प के खंड 3 (ii) पर दिए गए चार्ट से मैं पाता हूँ कि क्रमांक 16 पर पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि 6600/- रुपए के ग्रेड वेतन से 7600/- रुपए के ग्रेड वेतन पर प्रोन्नति के लिए विहित की गयी है। याचीगण का दावा कि उन्हें छठे वेतन पुनरीक्षण रिपोर्ट के क्रियान्वयन के बाद 6600/- रुपयों का 'ग्रेड वेतन' प्रदान किया गया था, से प्रत्यर्थीगण द्वारा इनकार नहीं किया गया है। मैं आगे पाता हूँ कि दिनांक 16.1.2012 के संकल्प के पैरा 13 में कर्मचारी द्वारा धारण किए गए पद के बारे में किसी आवश्यकता का उल्लेख नहीं है जबकि उक्त संकल्प का पहला पैरा इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि निम्नतर पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नति प्रदान करने का मापदंड कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के विभाग के दिनांक 24.3.2009 के मेमो की दृष्टि में उपांतरित किया गया था। मेरा दृष्टिकोण यह भी है कि शिथिलीकरण प्रदान करने का प्रावधान, जैसा दिनांक 16.1.2012 के संकल्प के पैरा 4 में अंतर्विष्ट है, केवल उस मामले पर प्रयोज्य है जहाँ कर्मचारी ने पद विशेष पर काम करते हुए विशेष 'ग्रेड वेतन' में सेवा का न्यूनतम अवधि पूरा नहीं किया है और इसलिए, ऐसी स्थिति में उसी 'ग्रेड वेतन' पर, यद्यपि निम्नतर पद पर, बितायी गयी अवधि छूट प्रदान करने के लिए गिनी नहीं जाएगी।

11. वर्तमान मामले में, याचीगण ने दिनांक 15.9.2012 के पहले 6600/- रुपए के 'ग्रेड वेतन' में पाँच वर्ष पूरा किया है और तत्पश्चात याचीगण अगले उच्चतर ग्रेड वेतन अर्थात् 7600/- रुपयों के ग्रेड वेतन के प्रदान के लिए 6600/- रुपयों के ग्रेड वेतन में काम करते हुए पाँच वर्ष पूरा करने पर हकदार

होंगे। दिनांक 15.9.2012 के आक्षेपित आदेश में किया गया अभिवचन कि चूँकि याचीगण ने अवर सचिव के पद पर ढ़ाई वर्ष की सेवा की न्यूनतम अवधि को पूरा नहीं किया है, अतः उन्हें उप सचिव के पद पर प्रोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती है, मान्य नहीं है। मैं आगे पाता हूँ कि प्रतिशपथ पत्र के पैरा 10 में प्रत्यर्थीगण ने स्वीकार किया है कि 33 पदों में से उप सचिव के 27 पद अभी भी रिक्त हैं। दिनांक 16.1.2012 का मेमों दिनांक 24.3.2009 के मेमो के आलोक में जारी किया गया है जो पूरे देश में प्रोन्नति के मापदंड में सामंजस्य बनाने के लिए आशयित था और उसके अनुसरण में 'ग्रेड वेतन' पर आधारित प्रोन्नति की अवधि नियत करने के लिए दिनांक 16.1.2012 का संकल्प जारी किया गया था।

12. पूर्वोक्त की दृष्टि में, दिनांक 15.9.2012 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है और रिट याचिका इस सीमा तक अनुज्ञात की जाती है कि याचीगण अन्य शर्तों, यदि हो, के अध्यधीन 7600/- रुपए के 'ग्रेड वेतन' में प्रोन्नति के प्रदान के लिए अर्हित होंगे।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

जयन्ती दत्ता

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 6421 of 2013. Decided on 18th November, 2013.

विश्वविद्यालय विधि–वेतनमान–पाँचवें पुनरीक्षित यू० जी० सी० वेतनमान का दावा–यू० जी० सी० द्वारा अनुशंसित पाँचवें पुनरीक्षित वेतन पुनरीक्षण के प्रदान से संबंधित मामले पर पहली बार विभाग के स्तर पर समस्त प्रासंगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी अनुशंसा और याची के आमेलन के आदेशों को विचार में लेकर विचार करना होगा–याची को निदेशक, उच्चतर शिक्षा के पास जाने की स्वतंत्रता दी गयी। (पैराएँ 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(2005)9 SCC 129—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Sumeet Gadodia, For the Petitioner; J.C. to S.C.-I., For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची वर्तमान रिट आवेदन में दिनांक 1.1.1996 के प्रभाव से पाँचवें वेतन पुनरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट के अनुसरण में 8000-13500/- रुपयों के वेतनमान वाले लेक्चरर के ग्रेड में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुनरीक्षित वेतनमान में उसके वेतनमान को तुरन्त अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिए जाने के लिए इस न्यायालय के पास आयी है। याची ने उस तिथि, जब याची जैसे समस्थित व्यक्तियों को छठे पुनरीक्षित यू० जी० सी० वेतनमान का लाभ दिया गया है, के प्रभाव से उसको छठे पुनरीक्षित यू० जी० सी० वेतनमान में परिणामतः वेतन अनुमोदित करने और इसका भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाना भी इप्सित किया है। याची ने पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार 18% की दर से वार्षिक ब्याज के साथ उसको वेतन के बकाया का भुगतान करने के लिए और अन्य समस्थित व्यक्तियों जिनकी सेवाओं को उसी महाविद्यालय जिसमें वह कार्यरत है में आमेलित किया गया था, से उसके साथ मनमाना भेदभाव नहीं करने के लिए भी प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाना इप्सित किया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान याची को दिनांक 4 सितंबर, 1985 में पी॰ पी॰ के॰ महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने दिनांक 9 सितंबर, 1985 को अपना पद ग्रहण किया। उक्त महाविद्यालय को वर्ष 1986 में राँची विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय में संपरिवर्तित किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि एक या दूसरे महाविद्यालयों, जिन्हें घटक महाविद्यालय के रूप में अधिग्रहित किया गया था, में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितकिरण से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से गठित कमिटी गठित की गयी थी। स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा के अनुसरण में दिनांक 1.2.1988, 18.12.1989 और 24.2.1990 के पत्रों को जारी किया गया था जो परिशिष्ट–2 पर अंतर्विष्ट हैं। यह निवेदन किया गया है कि याची का नाम पूर्वोक्त पत्रों में आया और सत्यापन के बाद दिनांक 24 फरवरी, 1990 के परिशिष्ट–2 पर अंतर्विष्ट पश्चातवर्ती आदेश द्वारा मामला सुलझा लिया गया था जिसके द्वारा याची को तत्कालीन बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के निर्णय द्वारा प्रश्नगत महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र विषय में आमेलित के रूप में माना गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अनेक शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के आमेलन से संबंधित विवाद्यक रिट याचिकाओं के गुच्छे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया जिसे **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, एम॰ एस॰ ई॰ एस॰ के॰ के॰ महासंघ, (2005)9 SCC 129,** मामले में निर्णय द्वारा विनिश्चित किया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता पैराग्राफों 60 से 64 पर किए गए संप्रेक्षणों को निर्दिष्ट करके निवेदन करते हैं कि दिनांक 1 दिसंबर, 1988 और दिनांक 18 दिसंबर, 1989 के आदेशों के तहत लिए गए निर्णय में न्यायमूर्ति एस॰ सी॰ अग्रवाल (सेवा निवृत्त) आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया था क्योंकि उन कर्मचारियों, जिन्हें राज्य सरकार के उक्त आदेशों द्वारा आमेलित किया गया था, को राज्यपाल के नाम में जारी ऐसे आदेशों के माध्यम से वैध रूप से आमेलित किया गया था।

5. किंतु, एकल न्यायमूर्ति अग्रवाल आयोग द्वारा किए गए उक्त कार्य और **बिहार राज्य (ऊपर)** के मामले में पारित निर्णय के बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों ने दिनांक 7 मार्च, 2009 की अधिसूचना के तहत वर्तमान याची और अन्य समस्थित व्यक्तियों सहित ऐसे शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के आमेलन के आदेशों को जारी करने का नया अभ्यास किया है जिसके द्वारा उसी पी॰ पी॰ के॰ महाविद्यालय में 17 ऐसे शिक्षकों को उनके नामों के सामने दर्शित विषयों में विश्वविद्यालयों की सेवाओं में आमेलित किया गया है।

6. आगे यह निवेदन किया गया है कि डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4833 वर्ष 2008 में विभिन्न विषयों के ऐसे शिक्षक अर्थात् डॉ॰ त्रिलोचन महतो, डॉ॰ (श्रीमती) वंदना कुमारी और डॉ॰ (श्रीमती) विजय लक्ष्मी पाँचवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसरण में यू॰ जी॰ सी॰ वेतनमान के लाभ के प्रदान के लिए प्रत्यर्थीगण–राज्य को निर्देश दिया जाना इप्सित करते हुए इस न्यायालय के समक्ष आये। उक्त रिट याचिका प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, राँची को उक्त निर्णय में किए गए संप्रेक्षणों के आलोक में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए दिनांक 7 दिसंबर, 2011 को परिशिष्ट–7 के तहत विनिश्चित की गयी थी। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि तत्पश्चात आगे सत्यापन के लिए मामला विश्वविद्यालय को निर्दिष्ट करने के लिए प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अवमान मामला (सिविल) सं॰ 370 वर्ष 2012 में पारित दिनांक 8 मार्च, 2013 के निर्णय के तहत संबंधित प्रत्यर्थी को नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश के साथ अभिखंडित कर

दिया गया था। याची द्वारा पैराग्राफों 29 और 30 पर यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान याची का मामला अन्य कर्मचारियों, जो दिनांक 7 मार्च, 2009 के परिशिष्ट–3 पर अंतर्विष्ट अधिसूचना में किए गए उसी संप्रेक्षण के अधीन आच्छादित हैं, के मामलों पर सटीक रूप से प्रयोज्य है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि दिनांक 18 दिसंबर, 1989 और दिनांक 24 फरवरी, 1990 के उन्हीं आदेशों को भी डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4833 वर्ष 2008 में अन्य समस्थित व्यक्तियों के मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय में साक्ष्यित किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा के मुताबिक समुचित वेतनमान में पाँचवें वेतन पुनरीक्षण के लाभ के प्रदान के मामले में निर्णय रोकने का प्रत्यर्थी राज्य के पास कोई कारण नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची अन्य समस्थित व्यक्तियों के समतुल्य छठे पुनरीक्षित यू॰ जी॰ सी॰ वेतनमान का लाभ पाने का हकदार भी है।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में प्रत्यर्थी सं॰ 2, निदेशक, उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग को समस्त आवश्यक तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा यहाँ उपर निर्दिष्ट प्रासंगिक अधिसूचना और याची द्वारा विश्वास किए गए निर्णय को विचार में लेने के बाद समुचित निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

8. प्रत्यर्थीगण राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रिट याचिका लगभग एक माह पहले दाखिल की गयी है और मामले में प्रति शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

9. विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस चरण पर याची की शिकायत को यू॰ जी॰ सी॰ द्वारा अनुशंसित पाँचवें वेतन पुनरीक्षण के प्रदान तक सीमित रखना है क्योंकि याची के मामले में यह अभी भी प्रत्यर्थीगण प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है। केवल पाँचवें वेतन पुनरीक्षण के प्रदान के बाद ही पुनरीक्षित छठे वेतनमान के अधीन वेतन नियतिकरण प्रत्यर्थीगण राज्य द्वारा किया जा सकता है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद यह प्रतीत होता है कि यू॰ जी॰ सी॰ द्वारा अनुशंसित पाँचवे पुनरीक्षित वेतनमान के प्रदान पर विचार किए जाने से संबंधित मामले पर समस्त प्रासंगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी अनुशंसा और याची द्वारा विश्वास किए गए निर्णय सहित याची के आमेलन के आदेशों को विचार में लेने के बाद पहली बार प्रत्यर्थी विभाग के स्तर पर विचार किया जाना है।

11. ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका याची को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर समस्त समर्थनकारी तथ्यों और दस्तावेजों, अधिसूचना एवं निर्णय, जिन पर वह विश्वास करना इप्सित करती है, के साथ समुचित चैनल के माध्यम से नए अभ्यावेदन के साथ प्रत्यर्थी सं॰ 2, निदेशक, उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग के पास जाने की स्वतंत्रता देते हुए याची के दावा पर कोई टिप्पणी किए बिना निपटायी जाती है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर प्रत्यर्थी सं॰ 2, निदेशक, उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग विधि के अनुरूप इस पर विचार करेगा और याची के अभिलेख के सम्यक सत्यापन के बाद तत्पश्चात 12 सप्ताह की अवधि के भीतर तार्किक और सकारण आदेश पारित करके सुस्पष्ट निर्णय लेगा जिसे उसको संसूचित भी किया जाएगा। यह कहना अनावश्यक है कि यदि प्रत्यर्थी सं॰ 2 याची के दावा को उसके आमेलन के परिणामस्वरुप पाँचवें पुनरीक्षित यू॰ जी॰ सी॰ वेतनमान के ऐसे प्रदान के लिए वास्तविक और विधित: ग्राह्य पाता है, वह तत्पश्चात 12 सप्ताह की अवधि के भीतर याची को

भुगतान किए जाने के लिए विश्वविद्यालय के पत्र में पाँचवें पुनरीक्षित वेतनमान के अधीन वेतन के बकाया और करेन्ट वेतन के ऐसे भुगतान के लिए निधि निर्मुक्त करेगा। प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद याची को छठे यू॰ जी॰ सी॰ वेतनमान के अधीन आगे किसी पुनरीक्षण के प्रदान के लिए संबंधित प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय और राज्य प्राधिकारियों के पास जाने की स्वतंत्रता होगी जिस पर विधि के अनुरुप विचार किया जा सकता है।

12. तद्नुसार, पूर्वोक्त निबंधनों में रिट आवेदन निपटाया जाता है।

---

ekuuh; ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

यमुना राम

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Civil Review No. 74 of 2012. Decided on 23rd July, 2013.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 47 नियम 1—पुनर्विलोकन–पिछली मजदूरी के प्रदान के लिए दावा का अस्वीकरण–आज की तिथि तक याची द्वारा अथवा प्रत्यर्थी राज्य द्वारा अपील दाखिल नहीं की गयी है–पुनर्विलोकन आवेदन पोषणीय है–मूल नियम 54 की दृष्टि में याची उसके द्वारा निकासी किए गए अंतिम वेतन के आधार पर अन्य पारिणामिक लाभों के साथ पिछली मजदूरी का हकदार होगा। (पैराएँ 7 से 10)

निर्णयज विधि.–2013(1) JCR 495; AIR 1962 SC 1334; (1984) 2 SCC 578—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Pandey Niraj Rai, For the Petitioner; J.C. to A.A.G., For the Respondents.

आदेश

याची ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के सह-पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन वर्तमान आवेदन दाखिल करके पुनर्विलोकन के प्रदान और तद्द्वारा पिछली मजदूरी का लाभ देने के लिए प्रार्थना किया है जिससे इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5447 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 24.2.2012 का निर्णय और आदेश देते हुए इनकार कर दिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची बर्खास्तगी की अवधि के दौरान लाभदायी रूप से काम में लगा हुआ नहीं था और उसके मूल स्थान में उसके भाई द्वारा उसका ख्याल रखा जा रहा था। आगे यह निवेदन किया गया है कि मूल नियम (एफ॰ आर॰) 54A (3) में अंतर्विष्ट विधि के मुताबिक जब मामले के गुणागुण पर बर्खास्तगी आदेश अपास्त किया गया था, तब पुनर्बहाली की तिथि तक निलंबन की अवधि सहित बर्खास्तगी की मध्यक्षेपी अवधि समस्त प्रयोजन से कर्तव्य के रूप में मानी जाएगी जिसका वह हकदार होता यदि उसे ऐसी बर्खास्तगी के पहले बर्खास्त नहीं किया जाता।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन में उन आधारों पर विश्वास किया है, विशेषत: आधारों बी॰ सी॰ एवं ई॰ पर, जिन्हें पुनर्विलोकन याचिका में सम्मिलित किया गया है। ये तीनों आधार विधि के प्रासंगिक प्रावधान पर आधारित हैं। याची के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन

में **नवल किशोर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2013 (1) JCR 495,** मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है और इस पर विश्वास किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 16 को निर्दिष्ट करते हुए यह निवेदन भी किया है कि खंडपीठ ने **देवेन्द्र प्रताप नारायण राय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, AIR 1962 SC 1334,** और **अर्जुन चौबे बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1984)2 SCC 578,** मामले में दिए गए निर्णय को भी ध्यान में लिया है और उन मामलों में अधिकथित निर्णयाधार का अनुसरण किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त निर्दिष्ट दो निर्णयों पर विश्वास किया है और उक्त निर्णयों के प्रासंगिक पैराग्राफों अर्थात् पैराग्राफों 11 और 8 को इंगित किया है।

5. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यत: दो आधारों पर पुनर्विलोकन आवेदन की पोषणीयता के बारे में आरंभिक आपत्ति उठाया है। प्रथमत:, पुनर्विलोकन आवेदन तीस दिनों के अनुबंधित समय के भीतर दाखिल नहीं किया गया है और द्वितीयत:, यदि याची पिछली मजदूरी के लिए प्रार्थना के अस्वीकरण के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के भाग से व्यथित था, उसे इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल करने की आवश्यकता है।

6. इसके विरुद्ध, याची के विद्वान अधिवक्ता ने सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 47 नियम 1 के अधीन प्रावधान को निर्दिष्ट करके निवेदन किया कि ऐसे मामले में पुनर्विलोकन दाखिल किया जा सकता है जहाँ अपील दाखिल नहीं की गयी है। वर्तमान मामले में, आवेदक ने अपील दाखिल नहीं किया है। इसी प्रकार, प्रत्यर्थी राज्य सरकार ने भी आज की तिथि तक इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होने के नाते अपील दाखिल नहीं किया है और मूल नियम 54A (3) और बिहार सेवा संहिता के नियम 97 में अंतर्विष्ट प्रावधान की दृष्टि में अभिलेख पर प्रकट गलती प्रतीत होती है और इसलिए, पुनर्विलोकन आवेदन पोषणीय है। यह निवेदन भी किया गया है कि वर्तमान मामले में युक्तियुक्त समय के भीतर पुनर्विलोकन दाखिल किया जा सकता है।

7. परस्पर विरोधी निवेदनों और अधिक विशेषत: सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में अंतर्विष्ट प्रावधान पर विचार करते हुए यह प्रतीत होता है कि वर्तमान आवेदन में संगणित आधारों, विशेषत: आधारों बी॰ सी॰ एवं ई॰ को देखते हुए वर्तमान पुनर्विलोकन आवेदन पोषणीय प्रतीत होता है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान से भी प्रतीत होता है कि आज की तिथि तक याची द्वारा अथवा प्रत्यर्थी राज्य द्वारा अपील दाखिल नहीं की गयी है और, इसलिए, वर्तमान पुनर्विलोकन आवेदन पोषणीय प्रतीत होता है। यह भी प्रतीत होता है कि डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5447 वर्ष 2006 में निर्णय और आदेश देते हुए मूल नियम (एफ॰ आर॰) 54A(3) के प्रासंगिक अवस्था को इंगित नहीं किया गया था और इसी प्रकार बिहार सेवा संहिता के नियम 97 को भी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकाशमान नहीं किया गया था और, इसलिए, प्रासंगिक समय पर उक्त प्रावधान पर विचार नहीं किया गया था।

8. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत **नवल किशोर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, (2013)1 JCR 495**, मामले में दिया गया खंडपीठ का निर्णय वर्तमान मामले को विनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक प्रतीत होता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 16 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"16. ekey d rF;k e gekjk lfopkfjr er g fd ^dke ugh oru ugh* dk fl)kr ,d ,lh rF;ijd fLFkfr e ykx ugh fd;k tk ldrk g tgk ykd in èkkj.k dju okyk ljdkjh lod gku d ukr ;kph dk in l tMk dÙk0; ijk dju l*

*çR;Fkh d ÑR; d dkj.k ofpr fd;k x;k Fkk vkj >kj[kM lok lfgrk] 2001 d fu;e 97 (2) dh nf"V e vkj noUn çrki ukjk;.k jk; 'kek cuke mUkj çn'k jkT; ,o vU; (Åij) ekey e vkj vtu pkc cuke Hkkjr l?k ,o vU; (Åij) ekey e fn, x, ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k; dh nf"V e gekjk lfopkfjr er g fd ;kph u doy iucgkyh dk cfYd oru of)] tk og ml frfFk d ckn vftr dj ldrk Fkk fdr ;fn oru iujh{k.k fd;k tkrk g rc ml oru iujh{k.k dk vuKkr fd;k tk,xk] dk è;ku e fy, fcuk mld }kjk ik, x, vfre oru d vkèkkj ij li.k fiNy oru dk Hkh gdnkj gA ;kph vU; leLr ikfj.kkfed ykHkk dk Hkh gdnkj gkxkA çR;Fkhx.k dk fdlh foyc d fcuk ;kph dk iucgky dju dk fun'k fn;k tkrk gA bl vkn'k dh çfr dh çkflr dh frfFk l rhu ekg dh vofèk d Hkhrj Hkxrku d cdk;k dk lx.ku fd;k tk ldrk g vkj ;kph dk Hkxrku fd;k tk ldrk gA***

9. इसी प्रकार, **देवेन्द्र प्रताप नारायण राय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, AIR 1962 SC 1334,** मामले में दिया गया निर्णय भी वर्तमान मामले को विनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 11 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"(11) gekjh nf"V e] ;g çfrokn i.kr% Hkked gA fu;e 54 tlk o"k 1953 e l'kkfèkr fd;k x;k g] fuEufyf[kr g%

"54 (1) tc ljdkjh lod ftl c[kkLr fd;k x;k g] gVk;k x;k g vFkok fuyfcr fd;k x;k g] dk iucgky fd;k tkrk g] iucgkyh dk vkn'k nu okyk l{ke çkfèkdkjh&

(a) dr0; l mldh vuifLFkfr dh vofèk d fy, ljdkjh lod dk Hkxrku fd, tkuoky oru ,o HkÙkk d lcèk e(,o

(b) D;k mDr vofèk dr0; ij fcrk;h x;h vofèk ekuh tk,xh ;k ugh d lcèk e fopkj djxk vkj fofufn"V vkn'k ikfjr djxkA

(2) tgk ,l l{ke çkfèkdkjh dk er g fd ljdkjh lod dk i.kr% foeDr dj fn;k x;k g] vFkok fuycu dh fLFkfr e] fd ;g i.kr% vU;k;kfpr Fkk] ljdkjh lod dk ijk oru vkj HkÙkk ftldk og gdnkj gkrk ;fn ml ;FkkfLFkfr c[kkLr ugh fd;k tkrk] gVk;k ugh tkrk] vFkok fuyfcr ugh fd;k tkrk] d lkFk fdlh vU; HkÙkk tk og viuh c[kkLrxh] gVk, tku vFkok fuycu d io çkIr djrk Fkk] nuk gkxkA

(3) vU; ekeyk e] ljdkjh lod dk ,l oru vkj HkÙkk dk ,lk vuikr fn;k tk,xk tlk ,lk l{ke çkfèkdkjh fofgr dj ldrk gA

ijUr ;g fd [kM (2) vFkok (3) d vèkhu HkÙkk dk Hkxrku vU; leLr 'krk d vè;èkhu gkxk ftld vèkhu ,lk HkÙkk xkg; g

(4) [kM (2) d vèkhu vku oky ekey e dr0; l vuifLFkr jgu dh vofèk dk leLr ç;ktu l dr0; ij fcrk;h x;h vofèk d :i e ekuk tk,xkA

*(5) [kM (3) d vèkhu vku oky ekey e dr0; l vuifLFkr jgu dh vofèk dr0; ij fcrk;h x;h vofèk d :i e ugh ekuh tk,xh tc rd ,lk l{ke çkfèkdkjh fofufn"Vr% fun'k ugh nrk g fd bl fdlh fofufn"V ç;ktu l ,lk ekuk tk,xkA***

यह नियम वर्तमान मामले जैसे मामलों पर प्रयोज्य नहीं है जिसमें लोक सेवक की बर्खास्तगी को सिविल न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जाता है और उसे पुनर्बहाल किया जाता है। यह नियम निःसंदेह

राज्य सरकार को लोक सेवक का वेतन नियत करने के लिए सक्षम बनाता है जिसकी बर्खास्तगी को विभागीय अपील में खारिज कर दिया गया है। किंतु इस मामले में बर्खास्तगी आदेश सिविल वाद में अवैध घोषित किया गया था। सिविल वाद की डिक्री का प्रभाव यह था कि अपीलार्थी को सेवा से विधिपूर्वक बर्खास्त किया गया कभी नहीं समझा गया था और पुनर्बहाली आदेश फिजूल था। सिविल न्यायालयों के न्याय निर्णयन का प्रभाव यह घोषणा करना है कि अपीलार्थी को गलत रूप से लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने से रोका गया था। ऐसी आकस्मिकता में प्राधिकारी को लोक सेवक को पारिश्रमिक, जिसे उसने अर्जित किया होता यदि उसे काम करने की अनुमति दी गयी होती, से वंचित करने की छूट नहीं होगी।''

10. अर्जुन चौबे बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1984)2 SCC 578, मामले में दिया गया एक अन्य निर्णय भी वर्तमान मामले को विनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उक्त निर्णय के पैरा 8 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"8. ifj.kkeLo#i] ge vihy vuKkr djr g vkj mPp U;k;ky; dk fu.k; vikLr djr g] fnukd 15 tu] 1982 dk vkn'k ftld }kjk vihykFkh dk lok l c[kkLr fd;k x;k Fkk] vikLr fd;k tkrk gA fdr i{kk d ikjLifjd vfèkdkjk vkj ckè;rkvk dk fu;r dju e vko';d tfVyrkvk l cpu d fy, ge fun'k nr g fd vihykFkh tk Ng ekg d Hkhrj lokfuoÙk gku okyk g dk fnukd vfçy 1, 1984 d çHkko l lok l lokfuoÙk gk x;k ekuk tk,xkA ml mld }kjk fnukd tu 15, 1982 dk ik, x, vfre oru d vkèkkj ij fnukd ekp 31, 1984 rd mld oru d cdk;k dk Hkxrku oruof) ftl mlu ml frfFk d ckn vftr fd;k gkrk dk è;ku e fy, fcuk fd;k tk,xkA Hkfo"; fufèk vkj minku Hkh fu;ek d vu#i lxf.kr djd vihykFkh dk bldk Hkxrku fd;k tk,xk ekuk mld fo#) c[kkLrxh dk vkn'k ugh ikfjr fd;k x;k FkkA vihykFkh viu drO; dk iu% xg.k ugh dj ldrk g vkj u gh djxkA ml vc vkj fnukd ekp 31, 1984 d cknp vodk'k ij ekuk tk,xkA***

उक्त निर्दिष्ट दो निर्णयों पर इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा विचार किया गया है और उनमें अधिकथित निर्णयाधार का इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अनुसरण किया गया है और, इसलिए, इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा किए गए संप्रेक्षण/दिए गए निर्देश के आलोक में याची अन्य पारिणामिक लाभों के साथ पिछली मजदूरी का भी हकदार होगा और तद्नुसार प्रत्यर्थीगण को उसके द्वारा पाए गए अंतिम वेतन के आधार पर भुगतान के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। मध्यक्षेपी अवधि के दौरान यदि वेतन पुनरीक्षण किया गया है, पुनरीक्षण वेतनमान का भुगतान भी याची को किया जाएगा।

11. उक्त निर्देशों और संप्रेक्षणों की दृष्टि में इस पुनर्विलोकन आवेदन को अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

संजय कुमार तिवारी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 1478 of 2013. Decided on 18th November, 2013.

सेवा विधि–दंड–समेकित प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियों का रोका जाना अल्प दंड नहीं कहा जा सकता है–जाँच रिपोर्ट में किए गए संप्रेक्षण के साथ असहमत होने के कारण का कथन करते हुए द्वितीय कारण बताओ के साथ जाँच रिपोर्ट की प्रति तामील करने की आवश्यकता थी–वर्तमान मामले में उसका अनुसरण नहीं किया गया है–याची को अपील के उपचार से इनकार किया गया है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है–दंड का आदेश अभिखंडित किया गया। (पैराएँ 6 से 9)

निर्णयज विधि.–1991 Supp. (1) SCC 504; 2013(3) JLJR 310—Relied; (1995)2 SCC 474; (2006)9 SCC 440; (1993)4 SCC 727; (1998)7 SCC 84—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Sumeet Gadodia, For the Petitioner; Mr. Sumir Prasad, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. याची मेमो सं॰ 1113 (एस॰) में अंतर्विष्ट दिनांक 25/26.2.2011 के दंड के आदेश (परिशिष्ट–9) से व्यथित है जिसके द्वारा उस पर समेकित प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियों को रोके जाने का और निलंबन की अवधि के दौरान पूर्ण वेतन के गैर–भुगतान का दंड अधिरोपित किया गया है। याची मेमो सं॰ 1041 (एस॰) में अंतर्विष्ट प्रत्यर्थी सं॰ 2, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा पारित दिनांक 11.2.2013 के अपीलीय आदेश (परिशिष्ट–12) से भी व्यथित है जिसके द्वारा दंड के आदेश के विरुद्ध उसकी अपील अस्वीकार कर दी गयी है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उसे प्रत्यर्थी सं॰ 4, मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार के हस्ताक्षर के अधीन दंड का आदेश संसूचित किया गया था यद्यपि दंड अधिरोपित करने का निर्णय स्वयं विभाग के सचिव द्वारा लिया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची को दिनांक 12.2.2009 के आदेश के तहत प्रशासनिक आधारों पर लेखा लिपिक, रोड डिविजन, देवघर के पद से राष्ट्रीय उच्च पथ रोड डिविजन, हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था और पद स्थापना के स्थानांतरित स्थान पर पदग्रहण के लिए रिपोर्ट करने के लिए दिनांक 14.2.2009 को भारमुक्त किया गया था। किंतु, यह अभिकथित किया गया है कि याची दिनांक 14.2.2009 को भारमुक्त कर दिए जाने के बावजूद अपनी पूर्व पदस्थापना का प्रभार नहीं सौंपा था और, इसलिए, उसे प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा जारी दिनांक 3.10.2009 के आदेश के तहत निलंबन के अधीन रखा गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 4 के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 23.7.2010 के परिशिष्ट 4 के तहत उस पर आरोप–पत्र अन्य बातों के साथ यह अभिकथन करते हुए तामील किया गया था कि याची ने पदस्थापना के पूर्व स्थान का पूर्ण प्रभार नहीं सौंपा था जिसके परिणामस्वरुप नगद एवं लेखा सेक्शन का काम प्रभावित हुआ था। बाद में, उपायुक्त, देवघर के आदेशों के अधीन कार्यपालक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करके याची के प्रभार के अधीन प्रासंगिक अभिलेखों की इन्वेन्ट्री तैयार की गयी थी। याची के ऐसे कृत्य अधिकारिक कर्तव्य निर्वहन करने में रूकावट का सृजन करने के तुल्य हुआ। अतः, याची को सिविल सेवा अनुशासन नियमावली, 1976 के नियम 3 (I) (II) (III) के अधीन अवचार का दोषी पाया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जाँच अधिकारी ने याची के बचाव को विचार में लिया और अपने निष्कर्ष में संप्रेक्षित किया कि याची को दिनांक 12.2.2009 के स्थानांतरण आदेश के दो दिन बाद दिनांक 14.2.2009 को जल्दबाजी में नियंत्रक अधिकारी द्वारा भारमुक्त किया गया था, अतः, याची द्वारा पूर्ण प्रभार सौंपा नहीं जा सका था।

किंतु, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि जाँच अधिकारी-रोड सर्किल, हजारीबाग के अधीक्षण अभियन्ता ने पद स्थापना के पूर्व स्थान पर याची के अभिकथित प्रभार में कतिपय बैंक गारंटी के गैर नवीकरण, सत्यापन, और वास्तविकता के संबंध में अनावश्यक टिप्पणी किया। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रभार सौंपे जाने से संबंधित एकमात्र अभिकथन से उसको विमुक्त करके इंजीनियर-इन-चीफ, पथ निर्माण विभाग को परिशिष्ट-5 के तहत दिनांक 20.8.2010 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। किंतु, जाँच अधिकारी ने याची पर बिल्कुल अनावश्यक टिप्पणी की जिसका मुख्य आरोप के साथ सरोकार नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया है कि जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की दृष्टि में, इस प्रश्न कि क्या आयरन चेस्ट में अंतर्विष्ट बैंक गारंटी याची के प्रभार में थी या नहीं और अन्य सह-संबंधित प्रश्नों का विनिर्दिष्ट उत्तर इप्सित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, रोड डिविजन, देवघर का दिनांक 4.1.2011 का पत्र भेजा गया था। दिनांक 20.1.2011 के पत्र के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 6, कार्यपालक अभियन्ता, रोड डिविजन, देवघर द्वारा उक्त प्रश्न का प्रत्युत्तर दिया गया था जिसमें यह स्पष्टत: कथन किया गया है कि याची आयरन चेस्ट के प्रभार में नहीं था और कोई बैंक गारंटी उसके प्रभार के अधीन नहीं थी। शेष प्रश्नों का भी अन्य बातों के साथ उसी उत्तर के साथ उत्तर दिया गया था कि वे याची से असंबंधित थी। याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तत्पश्चात द्वितीय कारण बताओ अथवा जाँच रिपोर्ट की प्रति उस पर तामील नहीं की गयी थी और अंततोगत्वा इंजीनियर-इन-चीफ पथ निर्माण विभाग के हस्ताक्षर के अधीन उसको दंड का आदेश संसूचित किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण ने यह दृष्टिकोण अपनाना चुना है कि आक्षेपित आदेश स्वयं प्रत्यर्थी सं॰ 4 इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा पारित किया गया है। किंतु, यह तथ्य गलत है जैसा याची द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त दिनांक 1.10.2011 के परिशिष्ट-8 के तहत प्रतीत होगा। यह निवेदन किया गया है कि स्वयं दिनांक 19.2.2011 के नोटिंग का परिशीलन दर्शाएगा कि समेकित प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियों को रोकने और निलंबन अवधि के लिए केवल निर्वाह-भत्ता का भुगतान करने का याची के विरुद्ध दंड का आक्षेपित आदेश प्रत्यर्थी सं॰ 2, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया था जिसे केवल इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा याची को संसूचित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, याची ने 1935 नियमावली के नियम 4 के अधीन अपील के फोरम का अवलंब लेने का हकदार होने के नाते मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के समक्ष दिनांक 11.7.2011 के परिशिष्ट 10 के तहत अपील दाखिल किया। किंतु, अपील का अस्वीकरण याची को यह सूचित करते हुए कि उसकी अपील प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा स्वयं अस्वीकार कर दी गयी है, दिनांक 11.2.2013 के गूढ़ आदेश द्वारा उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा याची को पुन: संसूचित किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, विभागीय कार्यवाही के आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं किया गया है। यद्यपि अभिकथित अवचार उसकी पदस्थापना के पूर्व स्थान पर प्रभार सौंपने से संबंधित नहीं था किंतु जाँच अधिकारी ने याची के अधीन बतायी गयी बैंक गारन्टी के अभिकथित प्रभार से संबंधित कतिपय अनावश्यक टिप्पणी किया था। यह निवेदन किया गया है कि इसे पहले याची के नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया था और दिनांक 20.1.2011 के परिशिष्ट-7 पर अंतर्विष्ट संसूचना में नकारा गया था। पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, याची पर न तो द्वितीय कारण बताओ तामील किया गया था और न ही उस पर जाँच

रिपोर्ट की प्रति तामील की गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि दंड का आक्षेपित आदेश स्वयं सचिव द्वारा पारित किया था जबकि याची की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी अधीक्षण अभियन्ता है और याची लेखा लिपिक का पद धारण करते हुए अधीनस्थ सेवाओं से आता है। यह निवेदन किया गया है कि याची द्वारा दाखिल अपील भी उसी प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार की गयी है जो स्वयं अपने द्वारा लिए गए निर्णय की सुनवाई नहीं कर सकता है। अतः, याची को प्रभावकारी रूप से अपील के उपाय से भी वंचित किया गया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट आवेदन में उठाए गए अनेक विवाद्यकों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों पर और **कुलवंत सिंह गिल बनाम पंजाब राज्य, 1991 Suppl. (1) SCC 504**, प्रासंगिक पैरा-4 पर मामले में दिये गये निर्णय पर विश्वास किया है। उन्होंने **रामदीप प्रसाद विश्वकर्मा बनाम झारखंड राज्य,** 2013 (3) JLJR 310, प्रासंगिक पैरा 10, मामले पर भी विश्वास किया है कि समेकित प्रभाव से वेतनवृद्धियों का रोका जाना मुख्य दंड है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस विवाद्यक पर कि जहाँ उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार प्रावधानित किया गया है, संबंधित कर्मचारी को उसके मुख्य अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है वहाँ उच्चतर प्राधिकारी द्वारा पारित दंड का आदेश अपास्त किए जाने का दायी है, **सुरजीत घोष बनाम अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक एवं अन्य, (1995)2 SCC 474,** मामले में निर्णय, विशेषतः पैरा 6 पर भी विश्वास किया है। उन्होंने इस विवाद्यक पर कि अनुशासनिक प्राधिकारी जाँच रिपोर्ट से असहमत होते हुए अपने अस्थायी निष्कर्ष को वर्णित करते हुए नोटिस देने के लिए बाध्य है, **लव निगम बनाम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई॰ टी॰ आई॰ लि॰ एवं एक अन्य, (2006)9 SCC 440,** पैरा-10, मामले में निर्णय पर भी विश्वास किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस विवाद्यक पर कि मुख्य दंड का आदेश पारित करने के पहले जाँच रिपोर्ट की प्रति और द्वितीय कारण बताओ आवश्यक है, **प्रबंध निदेशक, ई॰ सी॰ आई॰ एल॰, हैदराबाद एवं अन्य बनाम बी॰ करुणाकर एवं अन्य, (1993)4 SCC 727,** विनिर्दिष्टतः पैरा-26, मामले और **पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा, (1998)7 SCC 84,** पैरा 17, मामले में निर्णय पर विश्वास किया है।

5. किंतु प्रत्यर्थी राज्य ने आक्षेपित आदेश जारी किया जाना न्यायोचित ठहराया है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अधिकारिक अभिलेख का प्रभार नहीं सौंपने के अभिकथित अवचार ने सरकारी काम में रूकावट सृजित किया था। अतः, याची को निलंबन के अधीन रखा गया था और दिनांक 23.7.2010 के आरोप-पत्र के अधीन उसके विरुद्ध अग्रसर हुआ गया था। यह निवेदन किया गया है कि अधीक्षण अभियन्ता अर्थात् जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट की प्रस्तुती के बाद विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा दंड का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो अधीक्षण अभियन्ता जिसे जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था की तुलना में उच्चतर प्राधिकारी है। यह विधि में अनुज्ञेय है। पुनः यह निवेदन किया गया है कि याची पर अल्प दंड अधिरोपित किया गया है, अतः, द्वितीय कारण बताओ नोटिस तामील करने की आवश्यकता नहीं थी जैसा संपूर्ण जाँच में आवश्यक है। आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि दंड का आदेश इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा पारित किया गया था, अपील के अस्वीकरण का आदेश विभाग के प्रधान सचिव द्वारा पारित किया गया था। अतः, आक्षेपित आदेशों में दुर्बलता नहीं है और दंड का आदेश सही प्रकार से याची पर अधिरोपित किया गया है।

6. मैंने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है और आक्षेपित आदेशों सहित अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्रियों का परिशीलन किया है। यह प्रतीत होता है कि याची को रोड डिविजन, देवघर के अधीन

पदस्थापना के पूर्व स्थान से दिनांक 14.2.2009 को भार मुक्त किए जाने पर उसके प्रभार के अधीन अधिकारिक अभिलेख को नहीं सौंपने के आरोप के लिए अभियोजित किया गया था। स्थानांतरण आदेश दिनांक 12.2.2009 का था। जाँच अधिकारी ने परिशिष्ट–5 के तहत अपनी रिपोर्ट में संप्रेक्षित किया है कि याची द्वारा प्रभार जल्दबाजी में सौंपा गया था। किंतु, उक्त जाँच रिपोर्ट के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि उसकी पदस्थापना के पूर्वतर स्थान में याची के अभिकथित प्रभार में बैंक गारंटी के सत्यापन/गैर नवीकरण से संबंधित कतिपय टिप्पणियाँ जाँच अधिकारी द्वारा की गयी थी। परिशिष्ट–6 अर्थात् कार्यपालक अभियन्ता, रोड डिविजन, देवघर से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसे संप्रेक्षण के संबंध में पूछे गए प्रश्न और कार्यपालक अभियन्ता द्वारा परिशिष्ट–7 और 7/1 के तहत उत्तरों का परिशीलन दर्शाता है कि याची आयरन चेस्ट के प्रभार में नहीं था जिसमें बैंक गारंटी रखी गयी थी। इसी तरीके से अन्य प्रश्नों का उत्तर दिया गया था और यह कथन किया गया है कि वे याची से असंबंधित थी। दूसरी ओर, दिनांक 1.10.2011 के आर० टी० आई० के अधीन प्राप्त की गयी नोटिंग (परिशिष्ट–8) के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि समेकित प्रभाव से दो वार्षिक वेतनवृद्धियों को रोकने और निलंबन की अवधि के दौरान याची को पूर्ण वेतन के गैर भुगतान का दंड का आदेश अधिरोपित करने का निर्णय स्वयं विभाग के सचिव द्वारा लिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, परिशिष्ट 9 पर अंतर्विष्ट दंड का आदेश केवल विभाग के इंजीनियर–इन–चीफ के हस्ताक्षर के अधीन संसूचित किया गया प्रतीत होता है। यद्यपि याची अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नियुक्त किए जाने का दावा करता है किंतु दंड का आदेश नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी की तुलना में उच्चतर प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया प्रतीत होता है। किंतु, 1935 नियमावली के नियम 4 के प्रावधान उस प्राधिकारी, जिसने उक्त 1935 नियमावली के नियम 2 के अधीन दंड का आदेश पारित किया, के ठीक उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए अधीनस्थ सेवा के सदस्य को सक्षम बनाते हैं। दूसरी ओर, समेकित प्रभाव से दो वार्षिक वेतनवृद्धियों को रोका जाना अल्प दंड नहीं कहा जा सकता है जैसा **कुलवन्त सिंह गिल बनाम पंजाब राज्य (ऊपर)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और **रामदीप प्रसाद विश्वकर्मा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (ऊपर)** में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

7. ऐसी परिस्थितियों में, दंड का आदेश अधिरोपित करने के पहले जाँच रिपोर्ट में किए गए संप्रेक्षण के साथ असहमत होने का कारण देते हुए द्वितीय कारण बताओ के साथ जाँच रिपोर्ट की प्रति तामील करने की आवश्यकता थी। यह वर्तमान मामले में अनुसरण किया गया प्रतीत नहीं होता है। मूल आदेश याची को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था, वर्तमान मामले में स्वयं विभाग के प्रधान सचिव द्वारा। यदि दंड का आदेश नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा अथवा उससे उच्चतर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था, याची को अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् कार्यालय का अध्यक्ष होने के नाते प्रधान सचिव के समक्ष अपील का प्रभावकारी उपचार होगा। किंतु, वर्तमान मामले में याची पर दंड अधिरोपित करने का निर्णय स्वयं प्रधान सचिव द्वारा लिया गया है। अतः, याची को अपील के उपचार से इनकार किया गया है जो **सुरजीत घोष बनाम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक एवं अन्य (ऊपर)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की दृष्टि में मान्य नहीं है। पैरा 6 में अंतर्विष्ट सर्वोच्च न्यायालय का मत यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

> ^^ijk 6 – çR;Fkh cd u viu fuonu e çfrokn fd;k fd ;|fi ;g lR; g fd mi&egkçcèkd u vu'kklfud çkfèkdkjh d :i e ÑR; fd;k Fkk tc ml

*oLrr% fofu;euk d vèkhu vihyh; çkfèkdkjh d :i e ukfer fd;k x;k Fkk] vihykFkh ij çfrdyrk dkfjr ugh gkrh g D;kfd mi egkçcèkd vu'kklfud çkfèkdkjh dh ryuk e J.kh e mPprj gA vFkkr fMfotuy eutj@,0 th0 ,e0 (dkfed) gA cd d vulkj] ;g vfHkfuèkkfjr fd;k tkuk pkfg, fd tc nM dk vkn'k mPprj çkfèkdkjh }kjk ikfjr fd;k x;k g] fofu;euk d vèkhu vihy miyCèk ugh g D;kfd bl çkoèkkfur djuk vko';d ugh gA ;g çfrokn Hkh fd;k x;k Fkk fd vihy dk vfèkdkj ugh g tc rd bl fu;ekoyh vFkok fofu;euk d vèkhu çkoèkkfur ugh fd;k tkrk gA ;|fi rd igyh ckj n[ku ij vkd"kd yxrk g] bldh detkjh bl rF; e g fd ;g fu;ekoyh@fofu;euk l tgk vihy çkoèkkfur ugh dh x;h g dh fu;ekoyh@fofu;euk tgk vihy çkoèkkfur dh x;h g d lerY; j[ku dk ç;kl djrk gA ;g lR; g fd tgk vu'kklfud çkfèkdkjh l mPprj çkfèkdkjh Lo; nM vfèkjkfir djrk g] nM dk vkn'k voèkrk l ihfMr ugh gkrk g tc ,l çkfèkdkjh d le{k vihy çkoèkkfur ugh dh x;h gA fdr] tc vu'kklfud çkfèkdkjh vFkok fuEurj çkfèkdkjh d vkn'k d fo#) lcfèkr mPprj çkfèkdkjh d le{k vihy çkoèkkfur dh x;h g vkj mPprj çkfèkdkjh nM dk vkn'k ikfjr djrk g] lcfèkr depkjh vihy d mik; l ofpr fd;k tkrk tk fu;ekoyh@fofu;euk }kjk mldk fn;k x;k lkjoku vfèkdkj gA depkjh dk mld lkjoku vfèkdkj l ofpr ugh fd;k tk ldrk gA vkx tk g og ;g g fd tc vu'kklfud çkfèkdkjh d vkn'k d fo#) vihy dk çkoèkku g vkj tc vihyh; vFkok mPprj çkfèkdkjh ftld vkn'kk d fo#) vihy ugh dh tk ldrh g] fn, x, ekey e vu'kklfud çkfèkdkjh dh 'kfDr;k dk ç;kx djrk g] bldk ifj.kke lcfèkr depkjh d fo#) HknHkko e gkrk gA ,lk fo'k"kr% blfy, g tc fu;ekoyh@fofu;euk e ekxn'kd fl)kr ugh g fd dc mPprj çkfèkdkjh vFkok vihyh; çkfèkdkjh dk vu'kklfud çkfèkdkjh dh 'kfDr dk ç;kx djuk pkfg,A mPprj vFkok vihyh; çkfèkdkjh dN ekeyk e vu'kklfud çkfèkdkjh dh 'kfDr dk ç;kx djuk pu ldrk g tcfd dN ekeyk e ,lk ugh djuk pu ldrk gA ,l ekeyk e] depkjh dk vfèkdkj mPprj@vihyh; çkfèkdkjh dh ilUn ij fuHkj djrk g ftldk ifj.kke Li"V :i l ,d depkjh dk nlj depkjh d chp HknHkko e gkrk gA fu'p; gh] ,lh fLFkfr oèk ugh gk ldrh gA vr% gekjk nf"Vdk.k g fd çR;Fkh cd dh vkj l fd;k x;k çfrokn fd tc vihyh; çkfèkdkjh vu'kklfud çkfèkdkjh dh 'kfDr dk ç;kx djuk purk g] ;g vfHkfuèkkfjr fd;k tkuk pkfg, fd fofu;euk d vèkhu vihy dk vfèkdkj çkoèkkfur ugh g] Lohdkj ugh fd;k tk ldrk gA***

8. पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया अनेक स्तरों पर प्रभावित हुई है जैसा यहाँ उपर उपदर्शित किया गया है और याची को अपील के उपचार से वंचित किया गया है क्योंकि दंड का आदेश और इसको अभिपुष्ट करने वाला अपीलीय आदेश उसी प्राधिकारी अर्थात् संबंधित विभाग के प्रधान सचिव द्वारा पारित किया गया है। पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, दिनांक 25/26.2.2011 का दंड का आक्षेपित आदेश और दिनांक 11.2.2013 का अपीलीय आदेश तद्नुसार अभिखंडित किया जाता है।

9. रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। किंतु प्रत्यर्थीगण प्राधिकारियों को विधि के अनुरूप उक्त विभागीय कार्यवाही में याची पर जाँच रिपोर्ट के साथ द्वितीय कारण बताओ नोटिस के तामीले के चरण से नए सिरे से अग्रसर होने की छूट होगी।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

मीना कुमारी राय

cuke

झारखंड राज्य

Cr.M.P. No. 2423 of 2012. Decided on 19th November, 2013.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 409—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 239 एवं 482—लोक सेवक द्वारा न्यास का दांडिक भंग–उन्मोचन आवेदन का अस्वीकरण–अन्य कारकों को ध्यान में लिए बिना समुचित मामलों में अभियुक्त द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का अवलंब लिया जा सकता है और न्यायालय विधि के मापदंड के अंतर्गत सुयोग्य मामलों में इसका प्रयोग कर सकता है–अभिकथन स्वीकार करते हुए कि याची ने अपने पास अभिलेख रखा था, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 409 के अधीन अपराध आकृष्ट नहीं होगा–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग से परहेज रखना वांछनीय नहीं है।

(पैराएँ 10 से 13)

निर्णयज विधि.–(1977) 4 SCC 551; (2009)2 SCC 370—Relied; (1977) 4 SCC 551; (2012) 9 SCC 460—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Anil Kumar Sinha, For the Petitioner; A.P.P., For the State.

आदेश

यह आवेदन सदर पी॰ एस॰ केस सं॰ 308 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 2.8.2012 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा और जिसके अधीन विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग, ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अधीन दाखिल उन्मोचन आवेदन अस्वीकार कर दिया।

2. जब ग्रहण के बिंदु पर मामला सुनवाई के लिए आया, आवेदन की पोषणीयता का प्रश्न उद्भूत हुआ क्योंकि आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए याची के पास वैकल्पिक उपचार उपलब्ध था।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा और राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह सत्य है कि यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि अंतर्निहित शक्ति की भूमिका तब आरंभ होगी जब व्यथित पक्ष की शिकायत दूर करने के लिए संहिता में प्रावधान नहीं है और कि यदि चुनौती दिया गया आदेश शुद्धत: अंतर्वर्ती चरित्र का है, इसे न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग से सुधारा जा सकता है और उस स्थिति में उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग में आदेश में हस्तक्षेप करने से परहेज करेगा। किंतु साथ ही, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता के प्रावधानों में से कोई भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 की शक्ति का अवलंब लिया जाना प्रतिषिद्ध अथवा अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं करता है, विशेषत: जब न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप बिल्कुल आवश्यक है।

5. इस संबंध में आगे यह निवेदन किया गया है कि याची को इस अभिकथन पर कि याची ने अवैध रूप से अपने पास फाइल रखा था, भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अधीन अपराध के लिए अभियोजित किया जा रहा है किंतु यह अभिकथन भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अधीन अपराध

गठित नहीं करेगा और इसके अतिरिक्त, अन्वेषण के दौरान यह आया है कि संबंधित फाइल कार्यालय में पड़ी थी और दूसरे व्यक्ति द्वारा इसे संभाला जा रहा था, फिर भी उन्मोचन की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है और और तद्द्वारा आक्षेपित आदेश स्पष्टत: अवैध है। उस स्थिति में, अपनी अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग में आदेश की वैधता का परीक्षण करने के लिए उच्च न्यायालय पर कोई वर्जना नहीं होगी।

6. विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन में **धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य, [(2009)2 SCC 370; अमित कपूर बनाम रमेश चंद्रा एवं एक अन्य, (2012)2 SCC 460,** और **मधु लिमए बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1977)4 SCC 551;** और अ**मर नाथ बनाम हरियाणा राज्य, (1977)4 SCC 137,** मामलों में दिए गए निर्णयों को निर्दिष्ट किया है।

7. इस तथ्य के कारण कि आदेश, जिसके अधीन उन्मोचन की प्रार्थना अस्वीकार की गयी थी, को पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन दाखिल आवेदन की पोषणीयता पर आपत्ति की गयी है। किंतु, साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को सीमित अथवा प्रभावित नहीं कर सकता है किंतु उच्च न्यायालय द्वारा उस शक्ति का प्रयोग यदा-कदा से किया जाना चाहिए। विशेषत: ऐसी स्थिति में जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए अथवा न्याय के उद्देश्य के लिए हस्तक्षेप करने के लिए कहती है।

8. इस संबंध में, मैं **मधु लिमए बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर)** मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट कर सकता हूँ जिसके द्वारा माननीय न्यायाधीशों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) में अंतर्विष्ट अथवा धारा 482 के अधीन प्रावधान को ध्यान में लेने के बाद पैरा 10 पर निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

"10. tlk vejukFk ekey e bfxr fd;k x;k g fd vihy] tkp] fopkj.k vFkok vU; dk;okgh e ikfjr fdlh vrorh vkn'k d lcèk e iujh{k.k dh 'kfDr oftr dju dk ç;ktu vrr% ekeyk dk 'kh?kkfr'kh?k fuiVku djuk gA çk;% vrorh vkn'kk d lcèk e mPp U;k;ky; dh iujh{k.k 'kfDr dk lgkjk dk;okgh d vfre fuiVku dk foyfcr dju d fy, fy;k tkrk gA foèkku eMy u viuh cf)erk e èkkjk 397 e mièkkjk (2) ij%LFkkfir djd bl foyc dk fu;f=r dju dk fu.k; fd;kA ,d vkj] fdlh vrorh vkn'k d lcèk e iujh{k.k 'kfDr d ç;kx d fy, mPp U;k;ky; (vkj l= U;k;kèkh'k Hkh) d jkLr e otuk j[kh x;h gA nljh vkj] yxHkx mUgh fucèkuk e 'kfDr çnÙk dh x;h g tl h ;g 1898 lfgrk e Fkh fdr èkkjk 482 d lkn iBu ij ;g vulfjr gkxk fd lfgrk e dN Hkh] tk èkkjk 397 dh mièkkjk (2) dk Hkh lfEefyr djxk] ^mPp U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr dk lhfer vFkok çHkkfor djrk ugh le>k tk,xkA fdr] ;fn ge ;g dg fd mDr otuk dk vrfufgr 'kfDr d ç;kx e fcYdy çofr r ugh gkuk g] ;g iujh{k.k 'kfDr;k d ç;kx ij vfèkjkfir lhek dk 'kU; djuk gkxkA ,lh fLFkfr e] lketL;i.k jkLrk D;k g\ gekj er e] bl leL;k dk lgh gy ;g dguk gkxk fd èkkjk 397 dh mièkkjk (2) e çkoèkkfur otuk doy mPp U;k;ky; d iujh{k.k 'kfDr d ç;kx e çofr r gkrh g] rn}kjk ftldk vFk g fd fdlh vrorh vkn'k d lcèk e mPp U;k;ky; dk iujh{k.k dh 'kfDr ugh gkxhA rc mij çfrikfnr ,d vFkok nlj fl)krk d vu#i iujh{k.k 'kfDr dh Hkfedk

> vkjHk gkxh ;fn 0;fFkr i{k dh f'kdk;r nj djus d fy, lfgrk e dkb vU; çkoèkku ugh gA fdr rc] ;fn pukrh fn;k x;k vkn'k 'k)r% vrorh pfj= dk g ftl 1898 lfgrk d vèkhu mPp U;k;ky; dh iujh{k.k 'kfDr d ç;kx e lèkkjk tk ldrk Fkk] mPp U;k;ky; viuh iujh{k.k 'kfDr dk ç;kx dju l budkj djxkA fdr ;fn vk{kfir vkn'k Li"Vr% ,lh fLFkfr ykrk g tk U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx g vFkok U;k; dk mí'; iklr dju d ç;ktu l mPp U;k;ky; dk gLr{ki fcYdy vko';d g] rc èkkjk 397 (2) e vrfo"V dN Hkh mPp U;k;ky; }kjk vrfufgr 'kfDr d ç;kx dk lhfer vFkok çHkkfor ugh dj ldrk gA fdr ,l ekey dN gh gkxA mPp U;k;ky; dk ;nk&dnk gh vrfufgr 'kfDr dk ç;kx djuk gkxkA ,lk ,d ekeyk voèk :i l vFkok rx dju d fy, vkjHk dh x;h vFkok vfèkdkfjrk foghu gku d ukr nkfMd dk;okgh d vfHk[kMu dh okNuh;rk gkxhA mnkgj.kLo#i] tgk etjh d fcuk Hk"Vkpkj fuokj.k vfèkfu;e d vèkhu ekeyk vkjHk fd;k tkrk g] rc vfHk;Dr dk fopkj.k vfèkdkfjrk foghu gkxk vkj mldh nk"kefDr d ckn Hkh lefpr etjh d ckn f}rh; fopkj.k çkx nk"kefDr d fl)kr ij oftr ugh gkxkA ;g mièkkfjr djr g, Hkh] ;|fi ge rjUr n'kk,x fd ,lk ugh g] fd ,l ekey e U;k;ky; dk lKku yu okyk vFkok vknf'kdk tkjh dju okyk vkn'k vrorh vkn'k g] D;k ,lk dguk rkfdd g fd vfHk;Dr dk vr rd ij'kku dju d ctk, ;FkklHko 'kh?k nkfMd dk;okgh jkdu d fy, mPp U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr dk ç;kx ugh fd;k tk ldrk g\ mÙkj Li"V g fd U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx jkdu d fy, vkj@vFkok U;k; dk mí'; iklr dju d fy, otuk çofrr ugh gkxhA 0;fFkr i{k }kjk nkf[ky ;kfpdk dk ycy vrkfRod gA mPp U;k;ky; viuh vrfufgr 'kfDr d vèkhu lefpr ekey e ekeyk dk ijh{k.k dj ldrk gA ;g mièkkfjr djr g, Hkh ;|fi blLohdkj fd, fcuk fd mPp U;k;ky; dh iujh{k.k 'kfDr dk voyc yuk vuuK; g] oreku ekeyk fu%lng 1973 lfgrk dh èkkjk 482 d vu#i mPp U;k;ky; dh 'kfDr d ç;kx d vrxr vkrk gA**

9. आगे, **धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य मामले (ऊपर)** में विचारार्थ आया प्रश्न यह था कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन केवल इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि संहिता की धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है?

10. माननीय न्यायाधीशों ने अनेक मामलों को ध्यान में लेने के बाद अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया कि समुचित मामलों में अन्य कारकों को ध्यान में लिए बिना अभियुक्त द्वारा संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का अवलंब लिया जा सकता है और न्यायालय विधि के मापदंड के अंतर्गत सुयोग्य मामलों में इसका प्रयोग कर सकता है।

11. मेरे दृष्टिकोण में, **मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर)** जैसा उपर निर्दिष्ट किया गया है, में दिए गए निर्णय में उन मापदंडों को स्वर दिया गया है। वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में जो ऐसी स्थिति सामने लाती है जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं अथवा न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के प्रयोजन से उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप बिल्कुल आवश्यक है। परिणामस्वरुप, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उस स्थिति में संहिता में अंतर्विष्ट कुछ भी उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी।

12. अतः, प्रश्न उद्भूत होगा कि क्या वर्तमान मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग में आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कहता है?

13. इस निवेदन को दृष्टि में रखते हुए कि यह अभिकथन स्वीकार करते हुए कि याची ने अपने पास अभिलेख रखा था, धारा 409 के अधीन अपराध आकृष्ट नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रभाव का साक्ष्य है कि अभिलेख कार्यालय में पड़ा था और दूसरे व्यक्ति द्वारा संभाला जा रहा था, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग से परहेज करना वांछनीय नहीं होगा।

14. तद्नुसार, मामला चार सप्ताह बाद रखा जाए ताकि राज्य की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा सके।

15. तब तक सदर पी॰ एस॰ केस सं॰ 308 वर्ष 2002 में जी॰ आर॰ सं॰ 1899 वर्ष 2002 से उद्भूत होने वाली टी॰ आर॰ सं॰ 777 वर्ष 2012 में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग के न्यायालय में लंबित आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी जहाँ तक याची का संबंध है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

संजय कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

WP(S) No. 1776 of 2013. Decided on 18th November, 2013.

सेवा विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–याची ने कॉन्सटेबल के पद पर नियुक्ति स्वीकार किया था–बारह वर्ष बाद वह याची के पक्ष में एस॰ पी॰ द्वारा वर्ष 2000 में की गयी अनुशंसा के आधार पर तृतीय वर्ग पद पर नियुक्ति के लिए पुनर्विचार किया जाना इप्सित कर रहा है–अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल योजना के निबंधनानुसार की जा सकती है–याची संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का मामला बनाने में विफल रहा है क्योंकि चतुर्थ वर्ग पर नियुक्त किए जाने के बाद तृतीय वर्ग पद पर स्थान बनाया जाना दर्शाते हुए समस्थित उम्मीदवारों का कोई उदाहरण नहीं दिया गया है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–JT 2012 (11) SC 408—Relied; 2012 (2) JCR 30 (Jhr)—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. S.N. Pathak, For the Petitioner; Mr. M.K. Dubey, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची को उसके पिता के सब-इंस्पेक्टर के रूप में सेवारत रहते हुए दिनांक 15.10.1999 को पिता की मृत्यु के बाद दिनांक 7.9.2001 को काँस्टेबल के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था। याची प्रतिवाद करता है कि समय के प्रासंगिक बिंदु पर आरक्षी अधीक्षक, राँची ने लिपिक के तृतीय वर्ग पद पर याची की नियुक्ति के लिए अनुशंसा किया था। किंतु, प्रत्यर्थी ने उसको चतुर्थ वर्ग पर काँस्टेबल के पद पर नियुक्त करना चुना। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों

में याची ऐसी अनुशंसा पर लिपिक के तृतीय वर्ग पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार का दावा करता है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने **सुमन कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य [डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3632 वर्ष 2010** दिनांक 29.7.2011] मामले में इस न्यायालय के एकल पीठ निर्णय पर विश्वास किया है। उन्होंने **अनिल कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2012 (2) JCR 30 (Jhr.)** के मामले में इस न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय पर भी विश्वास किया है। **अनिल कुमार के मामले (ऊपर)** में, याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान खंडपीठ ने पाया कि तृतीय वर्ग पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गयी थी और अन्य व्यक्तियों को उक्त पद पर नियुक्त किया गया था जबकि याची को तृतीय वर्ग पद पर प्रोन्नति नहीं दी गयी थी। वर्तमान मामले में तृतीय वर्ग पद के लिए याची के लिए की गयी अनुशंसा पर प्रत्यर्थीगण द्वारा कार्रवाई नहीं की गयी है।

3. आगे यह प्रतीत होता है कि याची की माता डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4850 वर्ष 2012 में समरुप अनुतोष के लिए इस न्यायालय के पास आयी थी किंतु जिसे वर्तमान याची को अपनी शिकायत करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। तत्पश्चात् वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

4. याची के अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि उसके पूर्वोक्त शिकायत को दूर करने के लिए परिशिष्ट 6 के तहत दिये गये याची के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया है। अत:, प्रत्यर्थीगण को उसके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

5. प्रत्यर्थी राज्य उपस्थित हुआ है और अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिनांक 5.10.1991 के संकल्प सं॰ 13293 की दृष्टि में जब एक बार किसी व्यक्ति को अनुकंपा पर नियुक्ति प्रदान की जाती है, इसे किसी अन्य कैडर में संपरिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त संकल्प परिशिष्ट-A पर है। आगे यह निवेदन किया गया है वर्तमान मामले में याची को वर्ष 2001 में अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार करने के बाद नियुक्त किया गया था। अत:, नयी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आगे विचार किए जाने का प्रश्न उद्भूत नहीं होना चाहिए। आगे यह निवेदन किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर एक बार विचार किए जाने और अनुमति दिए जाने पर ताकि आश्रित याची कर्मचारी की मृत्यु के बाद अचानक हुए वित्तीय संकट से उबर सके, अगले ग्रेड में प्रोन्नति की प्रकृति में कैडर में परिवर्तन इप्सित करके तृतीय वर्ग पद पर अनुकंपा आधार पर पुन: नियुक्ति इप्सित करने के लिए याची के पक्ष में कोई निहित अधिकार नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान रिट याचिका उसकी पहली नियुक्ति के बारह वर्ष बाद दाखिल की गयी है और इस प्रकार अचानक अनुतोष विलंब और ढिलाई द्वारा घोर रूप से वर्जित है।

6. मैंने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री का परिशीलन किया है। तथ्यों जिन्हें अभिलेख पर लाया गया है, से यह प्रकट है कि सब इंस्पेक्टर के रूप में याची के पिता के सेवारत रहते हुए दिनांक 15.10.1999 को मृत्यु हो जासने पर याची ने दिनांक 7.9.2001 को काँस्टेबुल के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वीकार किया था।

7. रिट याचिका वरीय आरक्षी अधीक्षक, राँची द्वारा याची के पक्ष में वर्ष 2000 में की गयी अनुशंसा के आधार पर लिपिक के तृतीय वर्ग पद पर नियुक्ति के लिए पुनर्विचार किया जाना इप्सित करते हुए 12 वर्ष बाद दाखिल की गयी है। प्रत्यर्थीगण ने याची द्वारा दिए गए बयान से इनकार भी किया है कि पुलिस महानिदेशक, झारखंड के स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर लिए जाने पर कैडर के परिवर्तन के लिए समस्थित ऐसे व्यक्तियों के मामले पर विचार किया गया है। वस्तुत:, रिट याचिका के पैरा 14 पर

किया गया प्रतिवाद कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कतिपय व्यक्तियों को अपना कैडर परिवर्तित करने और चतुर्थ वर्ग पद से सहायक/लिपिक के पद पर शिफ्ट होने की अनुमति दी गयी थी; किसी ठोस उदाहरण द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है जैसा अभ्यावेदन, परिशिष्ट–6 से प्रतीत होगा। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में, जैसा अनेक निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है और **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम पंकज कुमार विश्नोई, JT 2012 (11) SC 408** के मामले में नवीनतम निर्णय में भी विचार किया गया है और दोहराया गया है, विवाद्यक अब अनिर्णीत विषय नहीं है कि अनुकंपा नियुक्ति समस्त पात्र व्यक्तियों पर विचार किए जाने के बाद अनुकंपा के सामान्य नियम से प्रस्थान है जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 और 16 के अधीन परिकल्पित किया गया है। केवल प्रश्नगत योजना के निबंधनानुसार अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। याची द्वारा विश्वास किए गए **सुमन कुमार मामले (ऊपर)** में निर्णय में उक्त याची ने चतुर्थ वर्ग पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। ऐसी परिस्थितियों में, उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देश जारी किया गया था। याची द्वारा विश्वास किए गए **अनिल कुमार मामले (ऊपर)** में दिए गए निर्णय में कतिपय व्यक्तियों, जिनके पक्ष में अनुशंसा की गयी थी, को तृतीय वर्ग पद पर नियुक्त किया गया था किंतु उक्त याची को उसके पक्ष में की गयी समरुप अनुशंसा के बावजूद चतुर्थ वर्ग पद पर नियुक्त किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद के अधीन परिकल्पित समान अवसर से इनकार के रूप में पाया।

8. वर्तमान मामले में, तथ्यों, जैसा यहाँ उपर पहले ही चर्चा की गयी है, में याची भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के किसी उल्लंघन का मामला बनाने में विफल रहा है क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण नहीं दर्शाया गया है कि समस्थित उम्मीदवारों के लिए पुलिस महानिदेशक, झारखंड के प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा अनुकंपा के आधार पर पहले चतुर्थ वर्ग पद पर नियुक्त किए जाने के बाद तृतीय वर्ग पद पर स्थान बनाया गया था।

9. मामले के उस दृष्टिकोण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित और **उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य बनाम पंकज कुमार विश्नोई JT 2012 (11) SC 408** (ऊपर) के मामले में दोहराए गए निर्णयाधार को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस रिट याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई तर्कपूर्ण कारण नहीं पाता है जिसे तद्नुसार, खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

उत्तम कुमार

cuke

झारखंड राज्य

Cr.M.P. No. 1716 of 2013. Decided on 12th November, 2013.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 451 एवं 482—संपत्ति की निर्मुक्ति–सीमेन्ट बैगों की निर्मुक्ति की प्रार्थना का अस्वीकरण–ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि याची ने इसके ए॰ सी॰ सी॰ अथवा लाफार्ज द्वारा निर्मित किए जाने का दावा करते हुए सीमेन्ट बेचने में स्वयं को लिप्त किया–सीमेन्ट ए॰ सी॰ सी॰ ई॰ अथवा लाफार्ज का निशान रखने वाले बैगों में पाया गया

था–पुलिस अभिरक्षा में सीमेन्ट बैगों को रखने की अनुमति देने से कोई लाभदायी प्रयोजन पूरा नहीं होगा–बंधपत्र प्रस्तुत करने पर बैगों को निर्मुक्त किया जाए। (पैराएँ 8, 10, 11 एवं 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Kaushik Sarkhel, For the Petitioner; A.P.P.. For the State.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह आवेदन गोविन्दपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 322 वर्ष 2011 में न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 23.11.2012 के आदेश, जिसके द्वारा और जिसके अधीन सीमेन्ट के 320 बैगों और सीमेन्ट के 450 खाली बैगों की निर्मुक्ति के लिए की गयी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी थी, को अभिपुष्ट करने वाले दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 15 वर्ष 2013 में अपर सत्र न्यायाधीश IV, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 3.6.2013 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

3. अभियोजन का मामला यह है कि गुप्त सूचना पाने पर कि याची ने लोगों के साथ छल करने के लिए ए॰ सी॰ सी॰ और लाफार्ज बैगों का उपयोग करके सीमेन्ट बेचने में स्वयं को लिप्त किया था, छापा मारा गया था जहाँ ए॰ सी॰ सी॰ अथवा लाफार्ज के निशान वाले सीमेन्ट के 350 बोरों और 450 खाली बोरों को बरामद किया गया था।

4. उक्त अभिकथन पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420 और 414/34 के अधीन गोविन्दपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 322 वर्ष 2011 दर्ज किया गया था।

5. आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद पुलिस द्वारा जब्त किए गए सीमेन्ट की निर्मुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया गया था किंतु उसमें यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सीमेन्ट मामले में तात्विक प्रदर्श है और कि याची सीमेन्ट पर अपना स्वामित्व स्थापित करने में विफल रहा है, प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी थी। उस आदेश को पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी किंतु पुनरीक्षण न्यायालय ने भी सीमेन्ट और खाली बैगों की निर्मुक्ति की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया।

6. उन आदेशों से व्यथित होकर यह आवेदन दाखिल किया गया है।

7. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि संपूर्ण अभिकथन को सत्य मानने पर भी याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 419 अथवा 420 के अधीन कोई अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभियोजन का मामला यह है कि जब छापा मारा गया था, सीमेन्ट के 320 बैग पाए गए थे जिन पर ए॰ सी॰ सी॰ ई॰ अथवा लाफार्ज का निशान लगा था।

8. चूँकि वे नाम ध्वनीय रूप से ए॰ सी॰ सी॰ और लाफार्ज के समरुप थे, अभिकथन किया गया था कि स्थानीय रूप से निर्मित सीमेन्ट को ए॰ सी॰ सी॰ अथवा लाफार्ज द्वारा निर्मित सीमेन्ट के रूप में बेचा जा रहा था किंतु स्वीकृत रूप से बैगों पर ए॰ सी॰ सी॰ अथवा लाफार्ज का कोई निशान नहीं था बल्कि यह ए॰ सी॰ सी॰ ई॰ और लाफार्ज का निशान था और इसके अतिरिक्त, कोई यह दावा करने के लिए आगे नहीं आया है कि ए॰ सी॰ सी॰ अथवा लाफार्ज द्वारा निर्मित किए जाने का दावा करते हुए उक्त सीमेन्ट को बेचकर याची द्वारा उसके साथ छल किया गया है और इसलिए, इन परिस्थितियों के अधीन सीमेन्ट और सीमेन्ट के खाली बैगों को अवर न्यायालयों द्वारा निर्मुक्त किया जाना चाहिए था किंतु इन्हें निर्मुक्त नहीं किया गया है और तद्द्वारा न्यायालय ने उक्त कथित परिस्थितियों के अधीन सीमेन्ट और सीमेन्ट के खाली बैगों को निर्मुक्त करने से इनकार करने में निश्चय ही अवैधता किया है।

9. मैं याची की ओर से किए गए निवेदन में बल पाता हूँ।

10. यह अभियोजन का मामला कभी नहीं प्रतीत होता है कि याची ने इनका ए॰ सी॰ सी॰ अथवा लाफार्ज द्वारा निर्मित किए जाने का दावा करते हुए सीमेन्ट बेचने में स्वयं को लिप्त किया बल्कि अभियोजन का मामला यह प्रतीत होता है कि सीमेन्ट को ए॰ सी॰ सी॰ ई॰ और लाफार्ज का निशान रखनेवाले बैगों में पाया गया था और आगे पुलिस अभिरक्षा में सीमेन्ट और सीमेन्ट के खाली बैगों को रखने की अनुमति देने से कोई लाभदायी प्रयोजन पूरा नहीं होगा।

11. इन परिस्थितियों के अधीन, अवर न्यायालय सीमेन्ट और सीमेन्ट के खाली बैगों की निर्मुक्ति की प्रार्थना अस्वीकार करने में अवैधता करता प्रतीत होता है। तद्नुसार, दोनों आदेशों को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

12. अवर न्यायालय की संतुष्टि के प्रति एक प्रतिभूति के साथ एक लाख रुपयों का बंधपत्र प्रस्तुत करने पर सीमेन्ट और सीमेन्ट के खाली बैगों का नमूना रखकर पुलिस द्वारा जब्त किए गए सीमेन्ट और सीमेन्ट के बैगों को याची के पक्ष में निर्मुक्त किया जाए।

13. तद्नुसार, यह आवेदन निपटाया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o vferko dñ xlrk] U;k;efr

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान शिक्षक संघ, सरायकेला, खरसावाँ

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (PIL) No. 2606 of 2011 with I.A. Nos. 1162, 1613, 3565/2013 and 3280 and 2557 of 2012. Decided on 23rd September, 2013.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—पी॰ आई॰ एल॰–एन॰ आई॰ टी॰, जमशेदपुर में सी॰ बी॰ आई॰ अन्वेषण एक्सपर्ट कमिटी का यह दर्शाता हुआ रिपोर्ट है कि अवैध नियुक्ति, निधि का दुरुपयोग, शिक्षण, छात्रों की आत्महत्यात्मक प्रवृत्ति, आदि का अभिकथन है–विवाद्यकों जिन्हें रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है पर विजय पाने के लिए एन॰ आई॰ टी॰ को समस्त लॉजिस्टिक समर्थन, आधारभूत संरचना तथा ऐसी अन्य आवश्यकताओं को प्रदान करने का निर्देश भारत संघ को दिया गया–भारत संघ को कमिटी की रिपोर्ट में निर्दिष्ट समस्त अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए एन॰ आई॰ टी॰ को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। (पैरा 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Tondon, *Amicus Curiae,* For the Petitioner; Mr. Md. Mokhtar Khan, For the U.O.I.; Mr. Manish Mishra, For the N.I.T; M/s Rajeev Sharma, Pramod Prasad Gupta, Lina Shakti, For the Intervenor.

डी॰ एन॰ पटेल, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश.–निम्नलिखित प्रार्थनाओं के लिए यह जनहित याचिका संस्थित की गयी है:–

> *^^tufgr ;kfpdk d :i e nkf[ky oreku vkonu e ;kph vjktdrk e] tk jk"Vh; çk|kfxdh lLFkku (,uO vkbO VhO)] te'knij d ifjlj e 0;klr g] vkj ,uO vkbO VhO ç'kklu d èoLr gk tku e tk ,uO vkbO VhO e f'k{kdk dh voèk fu;fDr dk ifj.kke g(foÙkh; vfu;ferrk] Nk=k d chp c<rh vkRe gR;kRed çofÙk vkj vkRegR;kvk e ç'kklfud vFkok xj&ç'kklfud yxHkx leLr ekeyk e çR;Fkh lO 3 }kjk] viuk;h x;h ,di{kh; çfØ;k e] lLFkku d*

ifjlj e fdlh j[k&j[kko dke vkjHk ugh dju e vkj ,u0 vkb0 Vh0 d ,dMfed eY;k ,o mRÑ"Vrk d fodkl d çfr Nk=k d dY;k.k dh vkj mnklhu jo; e] çR;Fkh l0 3 ,o 4 dh vlnHkkoi.k Hkfedk e Lor=k ,tlh] çkFkfedr% dnh; tkp C;jk (lh0 ch0 vkb0 }kjk vUo"k.k vkjHk dju d fy, lefpr fjV] vkn'k] fun'k tkjh dju d fy, çkFkuk djrk gA

;g ?kk"k.kk dju d fy, fd fun'kd] ,u0 vkb0 Vh0 te'knij d in ij çR;Fkh l0 3 dh fu;fDr çfØ;k tlk jk"Vh; çk|kfxdh lLFkku vfèkfu;e] 2007 e fofgr fd;k x;k g] d mYy?ku e g lefpr vkn'k tkjh fd, tku dh çkFkuk Hkh djrk g vkj rnulkj mlI mld in l gVku d fy, lcfèkr çkfèkdkjh dk fun'k nu dh çkFkuk djrk gA

vkx ;kph d lkFk lkE;ki.k U;k; dju d fy, ,lh vU; fjV] vkn'k] fun'k tkjh fd, tku dh çkFkuk djrk gA**

2. पूर्वोक्त प्रार्थनाओं के लिए अनेक विस्तृत प्रकथनों, अभिकथनों, चित्रों आदि के साथ याचिका संस्थापित की गयी थी।

3. आरंभ में इस रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में ग्रहण नहीं किया गया था और इसलिए दिनांक 2 अप्रिल, 2012 के आदेश के तहत याची के अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त करके मुख्यत: इस कारण से प्रतिस्थापित कर दिया गया था कि इस याचिका में निजी हित भी अंतर्ग्रस्त थे और इसलिए, निजी हित याचिका के इस प्रकार को परिवंचित करने के लिए न्यायमित्र नियुक्त करके जनहित याचिका के रूप में इस रिट याचिका को माना गया था।

4. न्यायमित्र, जिन्हें इस न्यायालय की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया था, ने निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 7 अगस्त, 2012 के आदेश सं० 8 के तहत अभिकथन और प्रति अभिकथन में जाँच करने के लिए एक्सपर्ट कमिटी गठित करने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात्, इस न्यायालय को उक्त कमिटी की अंतिम रिपोर्ट दी गयी थी, जो लगभग 750 पृष्ठों से भी अधिक की है और इस रिट याचिका में शपथ पत्रों और प्रतिशपथ पत्रों के साथ कुल पृष्ठ 1000 से भी अधिक हैं जिन्हें न्याय मित्र के रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक प्रदीप्त किया गया है जिन्होंने उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ सं० 7 पर निवेदन किया है कि इस रिट याचिका में अंतर्ग्रस्त विवाद्यकों को कमिटी द्वारा निश्चित रूप दिया गया है और उपशीर्षक भी दिए गए हैं और उक्त कमिटी द्वारा पृथक चर्चा की गयी है और पृथक निष्कर्ष निकाला गया है। विद्वान न्यायमित्र ने इस रिट याचिका में अंतर्ग्रस्त प्रत्येक विवाद्यकों और उक्त कमिटी द्वारा की गयी अनुशंसाओं का पठन भी किया है।

5. हमने रिपोर्ट का परिशीलन किया है और इसके परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि जमशेदपुर अवस्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अनेक प्रकार के विवाद्यक अंतर्ग्रस्त हैं। अवैध नियुक्तियों, निधि का दुरुपयोग, शिक्षण छात्रों की आत्म हत्यात्मक प्रवृत्ति के बारे में अभिकथन हैं। उक्त कमिटी की रिपोर्ट में इन समस्त बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है जो अभिलेख पर है।

6. मूल याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अनेक प्रकार की अनियमितताओं, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों, चोरी, चेन छीनना और सुरक्षा के बारे में समस्या को भी प्रदीप्त किया है। पूर्व सिक्यूरिटी एजेंसी जो कलकत्ता से थी और जिसे ठेका दिया गया था। पहले ही दिनांक 1 अप्रिल, 2009 के प्रभाव से परिसर से चली गयी है। मूल याची के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त संस्थान में परीक्षाओं को संचालित करने तथा शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति में अनियमितताओं को भी इंगित किया है।

7. हमने आई॰ ए॰ सं॰ 3565 वर्ष 2013 में मध्यक्षेपी के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है जिन्होंने निवेदन किया है कि उसके पुत्र अर्थात् उत्तम कुमार की हत्या दिनांक 4.4.2012 को कर दी गयी थी, किंतु कोई अन्वेषण नहीं किया गया है। इस याचिका में इस बिंदु को भी प्रकाशमान किया गया है।

8. हमने भारत संघ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है, जिन्होंने निवेदन किया है कि इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में गठित कमिटी की विस्तृत रिपोर्ट को देखते हुए रिपोर्ट में दी गयी समस्त अनुशंसाओं को भारत संघ द्वारा प्रासंगिक मंत्रालय, अर्थात्, मानव संसाधन विकास विभाग के माध्यम से अथवा राष्ट्रीय प्रौधोगिकी संस्थान द्वारा स्वयं, किन्तु, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा उचित देख-भाल एवं सहायता की जाएगी। भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि निधि की कमी बिल्कुल नहीं है और भले ही कुछ और निधि की आवश्यकता हो, इसे भारत संघ द्वारा उक्त संस्थान को दिया जाएगा। अन्यथा भी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के बैलेंसशीट को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि पर्याप्त निधि आवंटित की जा रही है, किंतु, उक्त संस्थान के प्राधिकारी इसका उपयोग करने में अक्षम है और तद्दारा वित्तीय वर्ष के अंत पर निधि लौटायी जा रही है। भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल ने यह भी इंगित किया है कि तकनीकी ज्ञान आदि जैसे समस्त आवश्यक लॉजिस्टिक समर्थन भारत संघ द्वारा दिया जाएगा ताकि कमिटी द्वारा विस्तार में की गयी अनुशंसाएँ व्यर्थ न जाए। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि असामाजिक तत्वों की गतिविधि, चोरी आदि जैसी छोटी समस्याओं के लिए चारदीवारी का निर्माण किया जा सकता है और झारखंड राज्य के मदद और सहायता से समुचित देखभाल के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी और भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह निवेदन आगे किया गया है कि उपयुक्त निर्देश दिए जा सकते हैं ताकि यह मामला समाप्त हो सके।

9. विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि पहले इस न्यायालय के खंडपीठ द्वारा अनेक आदेश पारित किए गए हैं और उक्त आदेशों के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 7 अगस्त, 2012 के आदेश के तहत उच्चस्तरीय अधिकारियों की कमिटी गठित की गयी थी। उक्त कमिटी ने इस रिट याचिका में किए गए अभिकथनों एवं प्रति अभिकथनों में और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर की वास्तविक मुश्किलों में जाँच किया था।

10. उक्त कमिटी ने दिनांक 16 अगस्त, 2013 को अंतिम रिपोर्ट दिया था और पृष्ठ सं॰ 6 एवं 7 पर उक्त कमिटी द्वारा विभिन्न शीर्ष के अधीन अनेक विवाद्यक संक्षिप्त किए गए है:–

(i) ,dMfed fook|d]

(ii) ç'kklfud fook|d]

(iii) xoul fook|d(vkj

(iv) foÙkh; fook|d] vkfn

विवाद्यकों के व्यापक विश्लेषण के लिए इस रिपोर्ट में उपशीर्षक भी दिए गए हैं।

11. उक्त कमिटी की रिपोर्ट, जो अभिलेख पर है, में आगे देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि विभिन्न शीर्षों के अधीन निर्दिष्ट प्रत्येक उप विवाद्यकों के लिए कमिटी द्वारा चर्चा की गयी है और प्रत्येक छोटे विवाद्यकों के लिए भी अनुशंसाएँ की गयी हैं। दिनांक 16 अगस्त, 2013 को दी गयी उक्त कमिटी की

अंतिम रिपोर्ट एक हजार से अधिक पृष्ठों में है, जिसमें उक्त विवाद्यकों को निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक उप-विवाद्यक पर अनुशंसाएँ की गयी है। इतना कहना पर्याप्त है कि मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा कमिटी द्वारा की गयी अनुशंसाओं का ख्याल रखा जाएगा और उक्त कमिटी द्वारा निर्दिष्ट विवाद्यकों/उपविवाद्यकों का समाधान करने के लिए भारत संघ द्वारा उक्त कमिटी के मार्गदर्शक सिद्धांतों/अनुशंसाओं के आधार पर समस्त लॉजिस्टिक एवं तकनीकी सहायता दी जाएगी। चारदीवारी का निर्माण, सुरक्षाकर्मियों की समुचित व्यवस्था, संस्थान के प्रशासन को मजबूत करना, संस्थान में रैगिंग, शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति में अवैधताएँ और अनियमितताएँ रोकने जैसी अनुशंसाओं का भारत संघ द्वारा समुचित रूप से अधिमूल्यन किया जाएगा और मार्गदर्शक सिद्धांतों/अनुशंसाओं को प्रश्नगत संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर में क्रियान्वित किया जाएगा।

12. अतः हम निर्देश देते हैं कि:–

(i) pfd mDr dfeVh dk ekuo lalkèku fodkl ea=ky; d foHkkx }kjk xfBr fd;k x;k g] bu vu'kalkvk dk fØ;kfUor dju d fy, leLr dne mBk;r g, Hkkjr la?k }kjk bu vu'kalkvk dk v{kj'k% vkj vkRek e vfèkeY;u fd;k tk,xkA

(ii) fookfndk ftUg fjikV e i"B 6 vkj blls vkx fufn"V fd;k x;k g] l fuiVu d fy, Hkkjr la?k leLr ykftfLVd leFku] vkèkkjHkr lajpuk vkj ,lh vU; t:jh pht miyCèk djk;xkA fnukd 16 vxLr] 2013 dh mDr dfeVh dh fjikV e fufn"V leLr vu'kalkvk d fØ;kUo;u d fy, Hkkjr la?k jk"Vh; çkS|kfxdh lLFkku] te'knij dk dn ljdkj dh uhfr d erkfcd leLr foÙkh; lgk;rk nxkA

(iii) Hkkjr la?k jk"Vh; çkS|kfxdh lLFkku d ifjlj e lefpr lj{kk tl gkexkM çnku dju d fy, jkT; ljdkj l lefpr lg;kx vkj lgk;rk bfllr djxk vkj ;fn vko';d gk ifyl fidVl Hkh LFkkfir fd, tk,x vkj jkT; ljdkj d mPp Lrjh; vfèkdkfj;k l mEehn dh tkrh g fd tc dHkh Hkkjr la?k }kjk çR;{kr% vFkok jk"Vh; çkS|kfxdh lLFkku d ekè;e l ,lh vu'kalk dh tkrh g] ;FkklHko jkT; ljdkj }kjk lfUu;ek] fu;ek vkj fofu;euk rFkk ljdkjh uhfr d erkfcd bl çnku fd;k tk,xkA

(iv) jk"Vh; çkS|kfxdh lLFkku d vfèkoDrk u fuonu fd;k fd vHkh lLFkku d vè;{k fun'kd gA

;g çrhr gkrk g fd bl lLFkku dk dBkj fun'kd dh vko';drk g tk dBkj vu'kklu cuk, j[k ld vkj ftld ikl ,lk lLFkk,i lxe :i l pykus dh leLr l{kerk gA

(v) ge lLFkku d cM ctV dk n[kr g, vkj fufèk d n#i;kx d vfHkdFku dk Hkh n[kr g, bl lLFkku e 0;kIr foÙkh; vfu;ferrk] ;fn gk] ij yxke dlu d fy, pkVM ,dkmVUV ,o dkLV ,dkmVUV dh enn] ;fn vko';d gk] yu dk fun'k Hkh Hkkjr la?k dk nr gA

(vi) ge Nk=k dh vkRe gR;kRed çofr dk jkdu d fy, Hkkjr la?k dk eukfpfdRld dh lgk;rk yu dk fun'k Hkh nr gA jkph 'kgj e ,d cgrjhu

lLFkku g vFkkr lVy bfLVP;V vkQ lkbfd;kVh] dkd ftl dn ljdkj d LokfeRo }kjk pyk;k vkj çcfèkr fd;k tk jgk gA bl lLFkku l Hkh Hkkjr l?k vPN lkbdkykftLV@lkbfd;kfVLV dh enn y ldrk g vkj jk"Vh; ç|kfxdh lLFkku] te'knij d ifjlj e vko';d dk;Øe lpkfyr fd, tk ldr gA

(vii) bl pj.k ij] Hkkjr d lgk;d lkfyflVj ,o bl U;k;ky; }kjk fu;Dr U;k;fe= u fuonu fd;k fd bl lLFkku dh loçFke vko';drk ckgjh 0;fDr;k dk lLFkku e ?kl u l jkduk g vkj blfy, pkjnhokjh dk fuek.k lLFkku d fy, vko';d gA

tgk rd foÙkh; rFkk ifyl lgk;rk dh vko';drk dk lcèk g] Hkkjr l?k }kjk lLFkku dk igy gh foÙkh; lgk;rk çnku fd;k x;k g tlk fuonu Hkkjr d lgk;d lkfyflVj tujy }kjk fd;k x;k g vkj blfy,] vkjHk e pkjnhokjh d fuek.k d fy, ifyl enn vko';d gA ***vr% ge >kj[kM d ifyl egkfun'kd dk jk"Vh; ç|kfxdh lLFkku] te'knij dk vko';d cy çnku dju dk fun'k nr g tc dHkh fuek.k dk; vkjHk fd;k tkrk gA Hkkjr l?k lcfèkr foHkkx d ekè;e l vFkok jk"Vh; ç|kfxdh lLFkku Lo; de l de pkj llrkg igy >kj[kM] jkph d ifyl egkfun'kd vkj ljk;dyk [kjlkok d vkj{kh vèkh{kd vkj bl lLFkku d fudVre ifyl Fkkuk d vè;{k dk i= fy[kxk rkfd jk"Vh; ç|kfxdh lLFkku] te'knij d pkjnhokjh d fuek.k d fy, vko';d ifyl cy çnku dju d fy, ifyl egkfun'kd rFkk vkj{kh vèkh{kd vFkok ljk;dyk [kjlkok ifyl Fkkuk d vè;{k }kjk leLr vko';d r;kjh dh tk ldA***

(viii) ge >kj[kM jkT; dk ;g fun'k Hkh nr g fd ;fn mDr lLFkku d ifjlj d Hkhrj vijkèk gkrk g vkj ;fn bl ifyl d è;ku e yk;k tkrk g] bl çdkj d vijkèk dk jkdu d fy, ifyl }kjk fofèk d vu:i rjUr dne mBk, tk,x vkj ;fn çkFkfedh nt dju dh vko';drk g] vkx vUo"k.k d fy, bl nt fd;k tk,xkA

13. पूर्वोक्त निर्देशों की दृष्टि में रिट याचिका निपटायी जाती है और इसके परिणामस्वरुप, समस्त अंतर्वर्ती आवेदनों को भी एतद् द्वारा निपटाया जाता है।

14. यह न्यायालय इस न्यायालय को सहायता प्रदान करने के लिए न्यायमित्र अर्थात् श्री मनोज टंडन द्वारा दी गयी सहायता की सराहना करता है जिन्होंने मामले और कमिटी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 16 अगस्त, 2013 की रिपोर्ट को विस्तारपूर्वक पढ़ा है और समुचित रूप से इसका विश्लेषण किया है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

लक्ष्मण लाल

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 1124 of 2013. Decided on 22nd October, 2013.

सेवा विधि–नियुक्ति–आर० आई० एम० एस०, राँची में एसोसिएट प्रोफेसर का पद–प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को याची का मामला विनिश्चित करने का निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था–उच्च न्यायालय द्वारा जारी विनिर्दिष्ट निर्देशों का उल्लंघन प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा किया गया है–याची का दावा तुच्छ आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था जिसे विधि के संवीक्षण पर संपोषित नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 9 एवं 10)

निर्णयज विधि.–1993 Supp. (4) SCC 595—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Ritu Kumar, Samavesh Bhanj Deo, For the Petitioner; M/s M. K. Choubey, Abhijeet Kumar Singh, For the State.

आदेश

याची दिनांक 4.12.2012 के आदेश को चुनौती देते हुए और राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची (आर० आई० एम० एस०) में एसोसिएट प्रोफेसर (बायोटेक्नोलोजी) के पद पर नियुक्ति के लिए आगे निर्देश देने के लिए इस न्यायालय के पास आया है।

2. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

3. याची को दिनांक 17.3.1988 को नियुक्त किया गया था और उसने राजेन्द्र इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल, राँची (आर० आई० एम० एस०) में वर्ष 1992 में ट्यूटर का पद ग्रहण किया और दिनांक 12.8.1998 के आदेश द्वारा उसे पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद स्थानांतरित किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 1.4.2004 को याची को सहायक प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत किया गया था और उस समय पर जब उसने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया, उसे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पद स्थापित किया गया था। नवसृजित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (आर० आई० एम० एस०) राँची में अनेक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदनों को आमंत्रित करते हुए वर्ष 2005 में विज्ञापन जारी किया गया था और उक्त विज्ञापन के अनुसरण में याची ने एसोसिएट प्रोफेसर (बायोकेमेस्ट्री) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। अंतत: याची को राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (आर० आई० एम० एस०), राँची में एसोसिएट प्रोफेसर (बायोकेमिस्ट्री) के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया गया था किंतु नियुक्ति पत्र जारी किए जाने के पहले राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (आर० आई० एम० एस०) राँची के शासी निकाय ने दिनांक 9.6.2005 की अपनी बैठक में अन्य दो मेडिकल महाविद्यालयों अर्थात् महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर और पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद में सेवारत किसी अधिकारी को राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (आर० आई० एम० एस०), राँची में नियुक्त करने के लिए विचार नहीं करने का संकल्प लिया। याची द्वारा रिट याचिका डब्ल्यू० पी० (एस०) सं० 5684 वर्ष 2005 दाखिल करके उक्त संकल्प को चुनौती दी गयी थी। याची ने न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन के लिए अवमान याचिका दाखिल किया जिसे दिनांक 3.7.2009 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। याची ने दिनांक 21.4.2008 का अंतिम आदेश पारित किए जाने के बाद पुन: अवमान याचिका दाखिल किया जिसे दिनांक 17.1.2012 को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 7.6.2012 को पुन: एसोसिएट प्रोफेसर (बायो केमिस्ट्री) के पद सहित अनेक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और याची द्वारा रिट याचिका डब्ल्यू० पी० (एस०) सं० 3395 वर्ष 2012 दाखिल करके उक्त विज्ञापन को चुनौती दिया गया था। डब्ल्यू० पी० (एस०) सं० 5684 वर्ष 2005 में दिनांक 21.4.2008 को पारित आदेश के आलोक में याची की उम्मीदवारी पर निर्णय करने का निर्देश प्रत्यर्थीगण को देते हुए दिनांक 5.11.2012 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका निपटायी गयी थी। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक

5.11.2012 के आदेश के आलोक में प्रत्यर्थी–प्राधिकारी द्वारा याची का दावा अस्वीकार करते हुए दिनांक 4.12.2012 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था और इसलिए, याची वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है।

4. प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें कथन किया गया है:–

"6. fd l{ki e ;kph dk fooj.k fuEufyf[kr g%

(a) ;kph u o"k 2004 e foKkiu l0 vkb0 ih0 vkj0 Mh0 4677 (LokLF;&106) 03-04 d fo#) ck;k dfeLVh foHkkx e ,lkfl,V çkQlj d in gr vkonu fn;k FkkA

(b) fd >kj[kM d vU; nk efMdy dkyt e igy l dk;jr mEehnokjk dh fu;fDr dju e ,tUMk l0 3 e viuh uoh cBd e 'kklh fudk; u fucèku vfèkjkfir fd;k Fkk ftldk mí'; >kj[kM d nk vU; efMdy dkyt vFkkr ih0 ,e0 lh0 ,p0] èkucknk vkj ,e0 th0 ,e0 lh0 ,p0] te'knij dk ,e0 lh0 vkb0 dh ekU;rk ljf{kr djuk Fkk vkj bl bl fjV ;kfpdk d ifjf'k"V 2 d :i e lyXu fd;k x;k gA

(c) fd MCY;0 ih0 (,l0) l0 5684 o"k 2005 e ekuuh; mPp U;k;ky; u 'kklh fudk; }kjk vfèkjkfir fucèku vfHk[kfMr dj fn;k Fkk vkj vkn'k dh çfr dh çLrfr@çkfIr d nk llrkg d Hkhrj u, flj l ;kph dh mEehnokjh ij fopkj dju dk fun'k fn;k Fkk ftl bl fjV ;kfpdk d ifjf'k"V 4 d :i e lyXu fd;k x;k gA

(d) fd oreku fjV ;kfpdk vkj vkj0 vkb0 ,e0 ,l0] jkph e miyCèk vfHky[k l çrhr gkrk g fd ;kph u vkn'k dh çfr d lkFk rRdkyhu fun'kd] vkj0 vkb0 ,e0 ,l0] jkph d le{k vkonu dHkh ugh fn;k Fkk tk ;kph d nkok ij fopkj vkjHk dju d fy, lefpr çkfèkdkjh FkkA bld ctk, vkond voeku flfoy l0 99 o"k 2008 nkf[ky djd >kj[kM mPp U;k;ky; d ikl x;k ftl fnukd 3.7.2009 d vkn'k d rgr [kkfjt dj fn;k x;k FkkA

*(e) fd iu% vkond rRdkyhu fun'kd] vkj0 vkb0 ,e0 ,l0] jkph dk vH;konu nu d ctk; voeku flfoy l0 526 o"k 2011 d rgr ekuuh; U;k;ky; d ikl x;k ftl iu% fnukd 17.1.2012 d vkn'k }kjk fuEufyf[kr lç{k.kk d lkFk [kkfjt dj fn;k x;k Fkk% ^^vkond u 515 fnuk d foyc d ckn vkj fdlh ;fDr;Dr Li"Vhdj.k d fcuk vkb0 ,0 l0 3065 o"k 2011 nkf[ky fd;k g vkj fojkèkh i{kdkjk d fo#) dk;okgh vkjHk dju d fy, i;kIr vkèkkj Hkh ugh gA rnulkj] vkonu [kkfjt fd;k tkrk gA**

(f) fd ckn e MCY;0 ih0 (,l0) l0 5684 o"k 2005 e fnukd 21.4.2008 d fu.k; d yxHkx lk< pkj o"k ckn vèkkgLrk{kjh d le{k vkond }kjk vH;konu fn;k x;k Fkk ftl fnukd 29.11.2012 dk çkIr fd;k x;k FkkA viuh mEehnokjh dk u, flj l nkok djr g, vkond u xyr :i l fuonu fd;k Fkk fd voeku ekeyk (flfoy) l0 526 o"k 2011 dk fnukd 17.1.2012 d vkn'k }kjk lefpr çkfèkdkjh d ikl tku dh Lor=rk d lkFk okil y fy, x, d :i e [kkfjt dj fn;k x;k FkkA rF; ;g g fd bl ekuuh; U;k;ky; }kjk x.kkx.k ij [kkfjt fd;k x;k Fkk vkj u fd okil y fy, x, d :i e [kkfjt fd;k x;k FkkA

(g) fd ;kph u viuk nkok bl vkèkkj ij fd;k g fd 'kkl h fudk; }kjk ikfjr mDr ldYi dk ekuuh; U;k;ky; }kjk vfHk[kfMr dj fn, tku d ckn MkO eLrkd vgen vlkjh d ekey vkj ifjfLFkfr l fcYdy fHkUu g D;kfd foHkkx fHkUu g vkj bld vfrfjDr MkO vgen u vucfèkr le; d Hkhrj lefpr puy d ekè;e l nkok fd;k Fkk vkj bld vfrfjDr mudh fu;fDr foKkiu lO 3619 d ekè;e l MkDVjk d p;u d igy dh x;h FkhA fdr vkond u viuk nkok djr g, i.k mi{kk fn[kk;k g vkj blfy, vkond }kjk fd;k x;k nkok MkO vgen d nkok d le#i ugh gA

(h) fd rc ;kph iu% MCY;0 ih0 (,l0) l0 3395 o"k 2012 d ekè;e l ekuuh; >kj[kM mPp U;k;ky; d ikl x;k ftl fnukd 05.11.2012 d vkn'k }kjk MCY;0 ih0 (,l0) l0 5684 o"k 2005 e ikfjr fnukd 21.4.2008 d fu.k; d erkfcd vkn'k ikfjr fd, tku d fnu l 30 fnuk d Hkhrj vkond dh mEehnokjh ij fopkj dju d fun'k d lkFk fuiVk;k x;k FkkA

(i) fd MCY;0 ih0 (,l0) l0 1543 o"k 2006 e MkO vt; dekj cuke >kj[kM jkT; ekey e leku fLFkfr ij fopkj djd ekuuh; >kj[kM mPp U;k;ky; u fnukd 27.1.2012 dk vkn'k ikfjr fd;k Fkk ftldk çklfxd v'k fuEufyf[kr g % ^^----------;g Li"V fd;k tkrk g fd Hkfo"; e ;fn dkb foKkiu fn;k tkrk g vkj ;kph mDr foKkiu d vulkj fu;fDr d fy, vkonu nrk g] rc çR;Fkhx.k vkj0 vkb0 ,e0 ,l0 e fu;fDr d fy, mld ekey ij fopkj djxA iokDr lç{k.k vkj fun'k d lkFk ;g vkonu fuiVk;k tkrk gA**

(j) fd vkx ;g bfxr djuk çklfxd g fd o"k 2005 e eèkk lph r;kj fd, tku d ckn] tk foxr dky dk ekeyk g] bll lLFkku }kjk nk ckj fu;fDr çfØ;k vkjHk fd;k x;k Fkk vkj ftl ck;k dfeLVh foHkkx lfgr vkj0 vkb0 ,e0 ,l0] jkph d vud ink ij MkDVjk dh fu;fDr djd fuiVk;k x;k gA

(k) fd mDr rF;k dh nf"V e ;g Li"V g fd vkond dh mEehnokjh th0 ch0 d ldYi d fucèku d vkèkkj ij vLohdkj ugh dh x;h Fkh cfYd o"k 2004 d foKkiu d vulj.k e r;kj dh x;h eèkk lph l ck;k dfeLVh foHkkx e dkb fu;fDr ugh dh x;h FkhA

(l) fd vkx ;g mYy[k djuk mi;Dr g fd fofHkUu foKki tkjh fd, tku l ;g foof{kr :i l Li"V g fd io foKkiuk dk jí dj fn;k x;k FkkA

(m) vkx] ck;k dfeLVh foHkkx lfgr vud foHkkxk e] fo'k"kr% ,lkfl,V çkQlj d in ij fnukd 7.6.2012 dh foKkiu l0 3619 d vulj.k e igy gh u;h fu;fDr;k dh x;h g ftl ;kph }kjk foKkfir ink d fo#) vkonu nu d ctk, pukrh nh x;h FkhA ekuuh; mPp U;k;ky; u foKkiu vFkok fu;fDr çfØ;k dk jí@LFkfxr ugh fd;k FkkA

(n) fd ;g dFku fd;k x;k g fd Qkby l0 80/RIMS jkph] o"k 2010, i= l0 64 (11)/LokLF;@jkph fnukd 23.5.2012 d rgr LokLF;] efMdy f'k{kk ,o ifjokj dY;k.k foHkkx d fun'k d erkfcd fnukd 7.6.2012 d mDr foKkiu l0

3619 d rgr ck;k dfeLVh foHkkx e ,lkfl,V çkQlj d nk ink dk foKkfir fd;k x;k Fkk ftle jkLVj d erkfcd ,d in lkekU; dkfV d fy, Fkk vkj nljk in ,l0 Vh0 dkfV d fy, FkkA iokDr foKkiu l ,lkfl,V çkQlj dh lkekU; dkfV in dk lE;d p;u çfØ;k d ckn fdlh MkO lrk"k dekj }kjk Hkjk x;k gA

*(o) fd iokfYyf[kr rF;k vkj ifjfLFkfr;k dh nf"V e fun'kd] vkj0 vkb0 ,e0 ,l0] jkph u vkn'k ikfjr fd;k fd pfd ^^vkj0 vkb0 ,e0 ,l0] jkph e ck;kdfeLVh foHkkx e ,lkfl,V çkQlj d in ij vkond dk fu;Dr djuk lefpr ugh gkxk fdr mldh mEehnokjh ij u, fl j l fopkj fd;k tk ldrk g ;fn og Hkfo"; e u, foKkiu d fo#) vkonu nrk gA**

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय के विनिर्दिष्ट निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है और यद्यपि याची द्वारा दाखिल अवमान याचिका खारिज कर दी गयी है, यह प्रत्यर्थीगण को इस न्यायालय द्वारा पारित विनिर्दिष्ट आदेश का अनुपालन करने के उनके कर्तव्य से विमुक्त नहीं करेगा। उन्होंने निवेदन किया है कि दिनांक 4.12.2012 के आक्षेपित आदेश में प्रत्यर्थी–प्राधिकारी द्वारा लिया गया आधार भ्रामक है क्योंकि इस न्यायालय ने शासी निकाय के संकल्प को अभिखंडित कर दिया है और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के घोर उल्लंघन में याची के दावा को अनदेखा करते हुए किसी मुस्ताक अहमद अंसारी को नियुक्त किया गया है।

6. उक्त के विरुद्ध, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि याची इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.4.2008 को पारित आदेश के अनुसरण में, प्राधिकारियों के पास कभी नहीं गया और इसलिए, उसका दावा विनिश्चित नहीं किया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के बाद नया विज्ञापन जारी किया गया था और पात्र व्यक्ति को नियुक्त किया गया है और इसलिए, याची का दावा मान्य नहीं है।

7. अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों विशेषत: दिनांक 21.4.2008 के आदेश के परिशीलन पर यह प्रतीत होगा कि रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5684 वर्ष 2005 पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद अनुज्ञात की गयी थी और इसलिए, प्रत्यर्थीगण को सुज्ञात था कि नियुक्ति के लिए याची के दावा पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा किया गया अभिवचन कि याची कभी उसके पास नहीं आया भ्रामक है क्योंकि केवल याची के दावा को विनिश्चित करने के लिए समय सीमा नियत करने के प्रयोजन से उक्त आदेश में दो सप्ताह के भीतर समुचित आदेश पारित करने का निर्देश जारी किया गया था और यह कभी नहीं आशयित था कि प्राधिकारीगण इस न्यायालय द्वारा पारित विनिर्दिष्ट निर्देश का अनुपालन नहीं करेंगे।

8. एस॰ नागराज एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं एक अन्य, 1993 Supp (4) SCC 595, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

"12. ....fofèk d U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k d ckè;dkjh çHkko ij fofèk lfuf'pr gA u gh bl er e dkb fookn gk ldrk g fd ;fn U;k;ky; }kjk vkn'k ikfjr fd;k x;k Fkk ftl bldk ikfjr dju dh vfèkdkfjrk Fkh] rc vkn'k e xyrh vFkok =fV dk mPprj U;k;ky; }kjk lgh djok;k tk ldrk g vFkok vkn'k d Li"Vhdj.k] mikrj.k vFkok okil yu d fy, vkonu }kjk vkj u fd fdlh çkfèkdkjh }kjk lfØ; vFkok fuf"Ø; :i l bl vfHk0;Dr :i l vFkok foof{kr :i l vkn'k dk vun[kk djd Hky gh vkn'k vufpr :i l çkIr fd;k x;k g] çkfèkdkjhx.k bl çfrLFkkfir dju vFkok Li"V dju vkj mikrfjr dju] tlk o

lefpr le>r g] dh Hkfedk Lo; mièkkfjr ugh dj ldr gA gkYlcjh yk vkQ bxyM (prFk lLdj.k] Vol-9, P35, Para 55) e vufpr :i l çkIr fd, x, vkn'kk ij fofèk fuEufyf[kr :i l dfFkr dh x;h g%

*^^er vfHkO;Dr fd;k x;k g fd ;g rF; fd vkn'k ikfjr ugh fd;k tkuk pkfg, Fkk] bldh voKk dju d fy, i;kIr cgkuk ugh g] fd bldh voKk voeku xfBr djrh g] vkj fd U;kf;r i{k dk vkn'k d vuikyu l vurk"k d fy, U;k;ky; dk vkonu nuk pkfg,A**

*fofèk d U;k;ky; }kjk ikfjr dkb vkn'k] fo'k"kr% mPprj U;k;ky;k }kjk vkj fo'k"kr% bl U;k;ky; }kjk ftld fu.k; fofèk dh ?kk"k.kk, g] u doy lEeku d gdnkj g cfYd ckè;dkjh g vkj budk dBkjrkiod çofrr djuk gkxk vkj budk ikyu djuk gkxkA dkb U;k;ky;] çkfèkdkjh pkg og fdruk Hkh mPp D;k u gk rk vkj Hkh ugh] bl vun[kk ugh dj ldrk gA dkb lng vFkok vLi"Vrk ml U;k;ky; }kjk nj dh tk ldrh g ftlu bl ikfjr fd;k vkj u fd fdlh çkfèkdkjh }kjk Lo; viuh le> d vulkjA**

9. यद्यपि याची द्वारा दाखिल अवमान याचिका इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी है किंतु दिनांक 4.12.2012 के आक्षेपित आदेश से मैं पाता हूँ कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 5.11.2012 के आदेश में दिया गया विनिर्दिष्ट निर्देश का संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि प्राधिकारी को दिनांक 21.4.2008 के आदेश के आलोक में याची का दावा विनिश्चित करना था जो स्वीकृत रूप से नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी–प्राधिकारी द्वारा किया गया अभिवचन कि एक अन्य पात्र व्यक्ति को दिनांक 7.6.2012 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में नियुक्त किया गया है, मान्य नहीं है विशेषत: इस तथ्य की दृष्टि में कि विज्ञापन जारी किए जाने के तुरन्त बाद दिनांक 19.6.2012 को रिट याचिका दाखिल करके उक्त विज्ञापन को चुनौती दी गयी थी जिसे दिनांक 5.11.2012 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी प्राधिकारी को डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5684 वर्ष 2005 में पारित दिनांक 21.4.2008 के आदेश के आलोक में याची का दावा विनिश्चित करने का निर्देश देते हुए निपटाया गया था।

10. पूर्वोक्त की दृष्टि में, मेरा सुविचारित मत है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी विनिर्दिष्ट निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। याची का दावा तुच्छ आधार पर अस्वीकार किया गया है जिसे विधि के संवीक्षण पर संपोषित नहीं किया जा सकता है। दिनांक 4.12.2012 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है। किंतु, चूँकि एक अन्य व्यक्ति अर्थात् डॉ॰ संजय कुमार को दिनांक 7.6.2012 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में नियुक्त किया गया है, विद्यमान रिक्तता, यदि हो, और इस न्यायालय द्वारा जारी विनिर्दिष्ट निर्देश के आलोक में छह सप्ताह की अवधि के भीतर याची की नियुक्ति की संभावना पर विचार करने के लिए निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (आर॰ आई॰ एम॰ एस॰), राँची को निर्देश जारी किया जाता है।

11. पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

निम्मी खालखो

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 2535 of 2008. Decided on 22th November, 2013.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक आवेदन।

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995—धाराएँ 47 एवं 2(i)—व्यक्तियों, जो 40% की सीमा तक नि:शक्तता से पीड़ित हुए हैं को नियमित सेवा के लाभ से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है–कर्मचारी जो नियोजन के दौरान नि:शक्तता से पीड़ित हुआ है, कर्मचारी बना रहता है और सेवा के समस्त लाभों का हकदार होगा–याची द्वारा अधिवर्षिता की तिथि पर पहले ही पहुँच जाने पर पुनर्बहाली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है–प्रत्यर्थीगण को याची को अन्य पारिणामिक लाभों के साथ पूर्ण पिछली मजदूरी प्रदान करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 8, 13 एवं 15)

निर्णयज विधि.–JT 2013 (13) SC 364; (2003) 4 SCC 524; (2008)1 SCC 579—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Saibal Mitra, For the Petitioner; Mr. Anshuman Kumar, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–''क्या कर्मचारी जो कर्तव्य पर रहते हुए उपहति से पीड़ित हुआ है को नियमित सेवा के लाभ से इस आधार पर इनकार किया जा सकता है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अक्षम है'', इस मामले में अंतर्ग्रस्त एकमात्र विवाद्यक है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची को दिनांक 23.2.1977 को ए॰ एन॰ एम॰ नर्स के रूप में नियुक्त किया गया था। जब वह ए॰ एन॰ एम॰ के रूप में कार्यरत थी, दिनांक 23.12.2004 को 'कैच अप राउन्ड' के अपने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान वह दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें उसने अपने मस्तक पर उपहति पायी और नि:शक्तता से पीड़ित हुई। याची को दिनांक 23.12.2004 और दिनांक 4.1.2005 के अवधि के बीच आई॰ सी॰ यू॰ में भरती किया गया था। सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राँची ने अनुशंसा किया कि याची की नि:शक्तता की दृष्टि में उसे उपयुक्त काम दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात, याची ने दिनांक 22.7.2005 को अपना पद ग्रहण किया। दिनांक 16.3.2007 को चिकित्सा बोर्ड द्वारा याची का परीक्षण किया गया था और रिपोर्ट की दृष्टि में कि याची अपना काम करने में शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है, दिनांक 25.4.2007 के आदेश द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काँके ने याची को सेवा से हटा दिया। जैसा दिनांक 25.4.2007 के मेमो द्वारा निर्देश दिया गया था, नि:शक्तता के आधार पर याची की सेवा समाप्त कर दी गयी थी। इन तथ्यों में, याची दिनांक 25.4.2007 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए इस न्यायालय के पास आयी है।

3. यह प्रतिवाद करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि याची अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं थी और जब उसे अपना कर्तव्य ग्रहण करने की अनुमति भी दी गयी थी, वह अपने पुत्र की मदद से काम कर रही थी। प्रत्यर्थीगण द्वारा अभिवचन किया गया है कि स्वयं याची ने सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान का अनुरोध किया और उसके पुत्र ने सम्यक रूप से हस्ताक्षरित पेंशन कागजात दाखिल किया और अंतिम पेंशन के सिवाए सेवानिवृत्ति लाभों में से कुछ याची को प्रदान किए गए हैं।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सांविधिक प्रावधान, जैसा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 में अंतर्विष्ट है, के उल्लंघन में दिनांक 25.4.2007 का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने ने आगे निवेदन किया है कि अधिकार जिसे नि:शक्त व्यक्तियों पर प्रदत्त किया गया है कि दृष्टि में यद्यपि याची ने सेवानिवृत्ति लाभों का प्रदान इप्सित करते हुए कागजात दाखिल किया है, अधिकार जिसे याची को प्रदत्त किया गया है, से उसको ऐसे आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है।

6. उक्त के विरुद्ध, प्रतिशपथ पत्र में लिए गए दृष्टिकोण को दोहराते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि याची स्वतंत्र रूप से चलने में भी सक्षम नहीं थी और चूँकि उसने स्वयं पेंशन लाभों के प्रदान के लिए अनुरोध किया, याची को सेवा से हटाया गया था और उसे अंतिम पेंशन के सिवाए अधिकतम सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया गया है।

7. विवाद्यक विनिश्चित करने के पहले नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करना लाभदायी होगा:–

2. (i) "fu%'kDrrk l vfHkçr g&

(i) vèkkiu(

(ii) de nf"V(

(iii) dk<(

(iv) Jo.k ncyrk(

(v) ykdkekVj fu%'kDrrk(

(vi) ekufld foÑfr(

(vii) ekufld chekjh(

*2. (i) ^^fu;kDrk** l vfHkçr g&*

(i) ljdkj d lcèk e] bl fufeÙk foHkkxkè;{k }kjk vfèklfpr çkfèkdkjh vFkok tgk ,lk çkfèkdkjh vfèklfpr ugh fd;k x;k g] foHkkxkè;{k(vkj

(ii) LFkkiu d lcèk e] ml LFkkiu dk e[; dk;ikyd vfèkdkjh(

*2 (k) ^^LFkkiu** l vfHkçr g dnh;] çknf'kd vFkok jkT; vfèkfu;e }kjk vFkok bld vèkhu LFkkfir fuxe] vFkok ljdkj d LokfeRo okyk vFkok bld }kjk fu;f=r vFkok lgkf;r çkfèkdkjh vFkok fudk; vFkok LFkkuh; çkfèkdkjh vFkok ljdkjh diuh tlk diuh vfèkfu;e] 1956 (1956 dk 1) dh èkkjk 617 e ifjHkkf"kr fd;k x;k g vkj ljdkj d foHkkxk e lfEefyr fd;k x;k g(*

----

*2 (o) ^^ykdkekVj fu%'kDrrk** l vfHkçr g vxk dh xfr e e[;r% ckèkk mRiUu dju dh vkj y tku okyk vfLFk;k] tkMk vFkok ekli'kh dh fu%'kDrrk vFkok lfjcy ikylh dk dkb :i(*

----

*2 (t) ^^fu%'kDr 0;fDr** l vfHkçr g fdlh fu%'kDrrk d pkylh çfr'kr l vU;u ihfMr 0;fDr tlk fpfdRlk çkfèkdkjh }kjk çek.k if=r fd;k x;k gA***

8. अधिनियम में अंतर्विष्ट प्रासंगिक प्रावधान के परिशीलन पर यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि व्यक्ति, जो नि:शक्तता से पीड़ित हुआ है जैसा अधिनियम की धारा 2 (i) में उल्लिखित है और नि:शक्तता 40% की सीमा तक है, को नियमित सेवा से लाभ से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है।

9. ''भारत संघ एवं एक अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एवं अन्य'', JT 2013 (13) SC 364, में इस लाभदायी विधान के इतिहास का अनुरेखण करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"20. mu ykxk tk fHkUu :i l l{ke g lfgr viu ukxfjdk d lex fodkl d fy, rkfd mUg e;knk] lekurk] Lor=rk vkj U;k; dk thou 0;rhr dju d fy, l{ke cuk;k tk ld tlh vkKk Hkkjr d lfoèkku }kjk nh x;h g] Hkkjr dY;k.kdkjh jkT; d :i e çfrc) gA gekj n'k e fHkUu :i l l{ke ukxfjdk dk lekurk vkj volj dk lekuhdj.k lfuf'pr dju d fy, lkfofèkd çkoèkkuk dh tM dk lfoèkku d Hkkx III vkj Hkkx IV e vujf[kr fd;k tk ldrk FkkA fu%'kDr 0;fDr;k d fy, cnyrk fo'o ç|kfxdh çxfr d dkj.k vkj vfèkd u, volj dk çnku djrk g fdr okLrfod lhferrk doy rc lkeu vkrh g tc mUg leku volj çnku ugh fd;k tkrk gA vr%] mudh {kerkvk d vkèkkj ij mudk lekt e ykuk le; dh vko';drk gA

*21. ;|fi] fu%'kDrrk vfèkdkj vkUnkyu dkQh igy o"k 1977 e Hkkjr e vkjHk gvk ftldk oreku çR;Fkh lO 1 lfØ; Hkkxhnkj Fkk] blu o"k 1993-2002 e fu%'kDr 0;fDr;k dk ,f'k;k ,o ç'kkr n'kd d vkjHk ij gh vè;if{kr etjh vftr fd;k ftlu vkUnkyu dk fuf'pr xfr fn;kA cBd l lkeu vk;h e[; vko';drk fu%'kDr 0;fDr;k d vfèkdkjk d lj{k.k d fy, lex foèkku cuk, tku dh FkhA bl vkykd e] o"k 1995 e fu.kk;d foèkku vFkkr fu%'kDr 0;fDr (leku volj] vfèkdkj lj{k.k ,o i.k Hkkxhnkjh) vfèkfu;e] 1995 vfèkfu;fer fd;k x;k Fkk tk fu%'kDr 0;fDr;k dk l'kDr cukrk g vkj mud vfèkdkjk dk lj{k.k lfuf'pr djrk gA bldh vU; lHkkoukvk d vfrfjDr vfèkfu;e ink d vkj{k.k d :i e vkj mud fy, fo'k"k jkstxkj ,Dlpt d LFkkiu }kjk fu%'kDr 0;fDr;k dk cgrj jkstxkj volj Hkh bflls djrk gA**

10. ''कुणाल सिंह बनाम भारत संघ एवं एक अन्य,'' (2003)4 SCC 524, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"9. vfèkfu;e dk vè;k; VI fu%'kDr 0;fDr] ftUg vHkh Hkh jkstxkj ikIr djuk g] l lcfèkr jkstxkj ij fopkj djrk gA èkkjk 47 tk vè;k; VIII e vkrh g] ml depkjh ij fopkj djrh g tk igy l gh lok e g vkj viuh lok d nkjku fu%'kDrrk vftr fd;k gA ;g è;ku e j[kuk gkxk fd vfèkfu;e dh èkkjk 2u ^^fu%'kDrrk** vkj ^^fu%'kDr 0;fDr** dh lfHkUu vkj fHkUu ifjHkk"kk nh gA ;g lfuf'pr g fd ;fn fdlh 'kCn@vfHk0;fDr dk ifjHkkf"kr djr g, nk lfHkUu ifjHkk"kk, nh x;h g(mUg ifjHkk"kk d fucèkuk u lkj rnulkj le>uk gkxkA ;g Lej.k j[kuk gkxk fd dkb 0;fDr viuh iln l fu%'kDrrk vftr ugh djrk g vFkok bll ihfMr ugh gkrk gA depkjh tk viuh lok d nkjku fu%'kDrrk vftr djrk g] dk fofufn"Vr% vfèkfu;e dh èkkjk 47 d vèkhu lj{kr fd;k tkuk bflls fd;k x;k gA fu%'kDrrk vftr dju oky ,l depkjh dk ;fn lj{kr ugh fd;k tkrk g] og u doy Lo; ihfMr gkxk cfYd lHkor% o lc tk ml ij vkfJr g] Hkh ihfMr gkxA èkkjk 47 dk ijk <kpk vkj fo"k; oLr Li"Vr% bldh vkKkid çÑfr minf'kr djrk gA èkkjk dk vkjfHkd Hkkx gh iBu djrk g ^^dkb LFkkiu depkjh] tk viuh lok d nkjku fu%'kDrrk vftr djrk g] dk vfHk;Dr ugh fd;k tk,xk vFkok J.kh e ?kVk;k ugh tk,xkA** èkkjk vkx çkoèkkfur djrh g fd ;fn fu%'kDrrk vftr dju d ckn depkjh in ftl og èkkj.k dj jgk Fkk*

*d fy, mi;Dr ugh g] mlh mlh orueku vkj lok ykHkk d lkFk fdlh vU; in ij f'k¶V fd;k tk ldrk Fkk(;fn depkjh dk fdlh in d fo#) lek;kftr djuk lHko ugh g] mlh mi;Dr in miyCèk gku rd vFkok vfèkof"krk dh vk; çkIr dju rd] tk Hkh igy gk] vfèkl[; in ij j[kk tk,xkA blh e tkMk x;k g fd ek= mldh fu%'kDrrk d vkèkkj ij 0;fDr dk çkUufr l budkj ugh fd;k tk,xk tlk èkkjk 47 dh mièkkjk (2) l Li"V gA èkkjk 47 Li"V fun'k vrfo"V djrh g fd fu;kDrk depkjh tk lok d nkjku fu%'kDrrk vftr djrk g dk vfHkeDr ugh djxk vFkok mldh J.kh ugh ?kVk,xkA lkekftd ykHk oky vfèkfu;e] og Hkh mudk leku volj] vfèkdkj lj{k.k ,o i.k Hkkxhnkjh nu d fy, vk'kf;r fu%'kDr 0;fDr;k ij fopkj dju oky vfèkfu;e d çkoèkku dk vFk yxkr g, ml nf"Vdk.k tk vfèkfu;e d mí'; dk vkx c<krk g vkj bld ç;ktu dk ijk djrk g dk mlh nf"Vdk.k dh ryuk e çkFkfedrk nuk gkxk tk vfèkfu;e d mí';k dk vojkfèkr djrk g vkj ix cukrk gA èkkjk 47 dh Hkk"kk lknh vkj fuf'pr g tk lok d nkjku fu%'kDrrk vftr dju oky depkjh dk ljf{kr dju d fy, fu;kDrk ij lkfofèkd ckè;rk Mkyrh gA***

11. अब प्रत्यर्थीगण के प्रतिवाद पर आते हुए, मैं पाता हूँ कि प्रत्यर्थीगण द्वारा इससे इनकार नहीं किया गया है कि याची अपनी सेवा के क्रम में नि:शक्तता से पीड़ित हुई। रिट याचिका के पैराग्राफ सं॰ 5 में याची ने निम्नलिखित प्रकथन किया है:–

*"5. fd ;kph u fnukd 23.2.1977 dk ljdkjh lok xg.k fd;k g vkj fdlh f'kdk;r d fcuk lrk"ktud :i l ,0 ,u0 ,e0 d :i e viuh lok dj jgh gA fd tc ;kph dk fnukd 23.12.2004 dk çkFkfed LokLF; dn] dkd] e ,0 ,u0 ,e0 d :i e inLFkkfir fd;k x;k Fkk] og dp vi jkmUM d viu vkfèkdkfjd dr0; d nkjku n?kVuk xLr gb vkj viu eLrd e migfr ik;h vkj fu%'kDr cu x;hA***

12. प्रत्यर्थीगण ने प्रतिशपथ पत्र में स्वीकार किया है कि याची सेवा के क्रम में नि:शक्तता से पीड़ित हुई। प्रतिशपथ पत्र का पैराग्राफ सं॰ 8 नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*"8. fd fjV vkonu d ijk 5 d mÙkj e ;g lR; g fd ;kph fnukd 23.2.1977 dk ljdkjh lok e FkhA og fnukd 23.12.2004 dk viu i= d lkFk ekVjlkbfdy ij viu ?kj ykVr g, n?kVukxLr gb vkj migfr ik;hA***

13. मैं आगे पाता हूँ कि सेवा से उसको हटाने के लिए याची के विरुद्ध लिया गया एकमात्र आधार यह है कि सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मत दिया कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण में मेरा मत है कि सेवा से याची को हटाने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया अभिवचन विधि में संपोषणीय नहीं है। प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया अभिवचन कि स्वयं याची ने सेवानिवृत्ति लाभ के प्रदान के लिए आवेदन दिया और उसके पुत्र ने कागजात दाखिल किया था, भी अधिनियम की धारा 47 में अंतर्विष्ट विनिर्दिष्ट प्रावधान की दृष्टि में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। कर्मचारी जो अपने नियोजन के दौरान नि:शक्तता से पीड़ित हुआ है, कर्मचारी बना रहता है और सेवा के समस्त लाभों का हकदार होगा।

14. ''भगवान दास एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड'', (2008)1 SCC 579, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न उद्‌भूत हुआ कि क्या व्यक्ति, जो नियोजन के क्रम में

नि:शक्तता से पीड़ित हुआ है, को नियमित सेवा के लाभ से इनकार किया जा सकता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"18. vihykFkh l0 1 prFk ox depkjh ykbueu FkkA mlu ijh rjg viuh nf"V xok fn;kA og fdlh ,l lj{k.k l voxr ugh Fkk tk fofèk u mlsl fn;k Fkk vkj çdVr% fo'okl djrk Fkk fd vèkkiu mldh ukdjh y yxk tk mld ifjokj d thou ;kiu dk lkr FkkA foiy ekufld ruko] ftlls og mlls le; ij xLr gvk gkxk dh dYiuk djuk ef'dy ugh gA mu ifjfLFkfr;k e] mldh lgh fofèkd voLFkk Li"V djuk vkj mldk mld fofèkd vfèkdkjk d ckj e crkuk mPprj vfèkdkfj;k dk drO; FkkA ,lk dju d ctk, mUgku mld i= l lnHk l fcYdy ckgj ,d okD; dk idM dj mls ukdjh l fudky fn;kA gekj fopkj e ckM d lcfèkr vfèkdkfj;k dh dkjokb funuh; FkhA

19. ge le>r g fd lcfèkr vfèkdkjh bl fo'okl e ÑR; dj jg Fk tk mud vulkj ckM d lokÙke fgr e FkkA fQj Hkh] ijku eukHkko d vèkhu mudk fcYdy lgh çrhr ugh gkxk fd ckM dk fdlh ij èku [kp djuk pkfg, tk vc fdlh dke dk ugh FkkA fdr o fdlh Hkh dk.k l n[k tku ij xyr FkA ldfpr nf"Vdk.k l vfèkdkjhx.k fofèk dk vulj.k dju d fy, ckè; Fk vkj mudk fu%'kDr depkjh d fofèki.k vfèkdkjk dk foQy dju d fy, viu iokxg ij dk; dju dh NV ugh FkhA 0;kid nf"Vdk.k l vfèkdkjhx.k ;g egll dju e foQy jg fd fu%'kDr Hkh n'k d leku ukxfjd g vkj mudk bld llkèku e mruk gh fgLlk g ftruk fdlh vU; ukxfjd dk gA mud vfèkdkjk l budkj u doy mud vkj mud ifjokjk d çfr vU;k;kfpr vkj vufpr gkxk cfYd 0;kid lekt d fy, cMh vkj xHkhj leL;k, lftr djxkA fofèk mudk ftl ckr dh vuefr nrh g] og nku vFkok vfHknku ugh g cfYd n'k d leku ukxfjd d :i e mud vfèkdkj gA

*20. mDr ppk d vkykd e fu%'kDr depkjh (vihykFkh l0 1) dh lok fnukd 21.3.1997 l lekIr dju dh ckM dh dkjokb dk nk"ki.k vkj voèk vfHkfuèkkfjr djuk gh gkxkA vfèkfu;e dh èkkjk 47 d çkoèkku dh nf"V e vihykFkh dk lok e le>k tk,xk vkj og okf"kd oruof) vkj çkUufr] vkfn lfgr leLr lok ykHkk dk gdnkj viuh lokfuofÙk dh frfFk rd gkxkA mldk Hkxrku dh x;h lok lekfIr ykHkk dh jkf'k vkt dh frfFk rd fnukd 22.3.1997 dk mld oru dh jkf'k d fo#) lek;kftr fd;k tkuk pkfg,A ;fn dkb 'k"k cuk jgrk g] mls mld Hkkoh oru l vklku ekfld fd'rk e lek;kftr fd;k tkuk pkfg,A vihykFkh lok vfHky[kk d vulkj viuh vfèkof"krk dh frfFk rd lok e cuk jgxkA mls iucgky fd;k tkuk pkfg, vkj lek;ktu d ckn] tls fun'k fn;k x;k g] ckM d lfpo d le{k fu.k; dh çfr dh çLrrhdj.k dh frfFk l Ng llrkg d Hkhrj mldk leLr n; dk Hkxrku fd;k tkuk pkfg,A**

15. पूर्वोक्त की दृष्टि में, यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। चूँकि याची दिनांक 5.3.2013 के प्रभाव से सेवा से अधिवर्षित हो गयी होती, वर्तमान कार्यवाही में पुनर्बहाली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण को इस आदेश की प्रस्तुति से चार सप्ताह की अवधि के भीतर याची को अन्य पारिणामिक लाभों के साथ पूर्ण पिछली मजदूरी प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

जगदीश शर्मा

cuke

झारखंड राज्य, सी॰ बी॰ आई॰ के माध्यम से

Cr. App.(S.J.) No. 840 of 2013. Decided on 2nd December, 2013.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 120B सह-पठित धाराएँ 420, 409, 467, 468, 471 एवं 477A—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धारा 13(2)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 439—अवैध परितोषण–अपीलार्थी ने लोक लेखा कमिटी के अध्यक्ष के रूप में चारा घोटाला के घोटालेबाज से पक्षपात प्राप्त किया–तीन गवाहों द्वारा अभिकथन सिद्ध–घोटाला में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा अपीलार्थी के लिए एयर टिकट खरीदा गया था–घोटाला में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों को अपीलार्थी द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था और उसके बदले में उसने अवैध परितोषण प्राप्त किया–जमानत आवेदन अस्वीकार किया गया। (पैरा 11 से 15)

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajit Sinha, For the Petitioner; Mr. M. Khan, For the C.B.I..

आदेश

जमानत के मामले पर अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और सी॰ बी॰ आई॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा ने निवेदन किया कि अपीलार्थी, जो अप्रिल, 1992 से जनवरी, 1995 तक लोक लेखा कमिटी का अध्यक्ष था, को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B सह-पठित धाराओं 420, 409, 467, 468, 471 और 477A के अधीन अनेक अपराधों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन अपराध का दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के अधीन 2.5 लाख रुपया के जुर्माना के साथ चार वर्षों का कठोर कारावास और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन 2.5 लाख रुपया के जुर्माना के साथ चार वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश इस अभिकथन पर दिया गया है कि अपीलार्थी ने यह जानकारी होने के बाद भी कि ए॰ एच॰ डी॰ विभाग के अधिकारी कूटरचित आवंटन पत्रों के आधार पर विभिन्न खजानों से कपटपूर्वक धन निकाल रहे हैं, इस अभिवचन पर कि मामले में लोक लेखा कमिटी द्वारा जाँच की जा रही है, मामला निगरानी को सौंपे जाने से रोका और कि उसने ए॰ एच॰ डी॰ विभाग के पदधारियों में से एक की सेवा के विस्तारण की अनुशंसा करके उसको संरक्षण/प्रश्रय भी दिया और ए॰ एच॰ डी॰ विभाग के अधिकारियों को संरक्षण देने के बदले उसने न केवल मामले में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों से अवैध परितोषण प्राप्त किया बल्कि उनके द्वारा खरीदे गए एयर टिकटों का लाभ लेकर उनके आवभगत का आनंद भी लिया किंतु अभियोजन यथा पूर्वोक्त परिस्थितियों में से किसी को भी स्थापित करने में विफल रहा है जिस पर दोषसिद्धि का आदेश दर्ज किया गया है।

3. इस संबंध में यह निवेदन किया गया था कि सी॰ बी॰ आई॰ ने निगरानी द्वारा किए जाने वाले जाँच को रोकने का आरोप सिद्ध करने के लिए दिनांक 17.6.1994 का और दिनांक 24.6.1994 के दो दस्तावेजों (प्रदर्श 38/314) को सिद्ध किया है किंतु न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में लेने में विफल रहा है कि निगरानी पहले ही जाँच शुरू कर चुका था जब इसे ए॰ एच॰ डी॰ विभाग द्वारा खजानों से अवैध

निकासी के बारे में पता चला और प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना सरकार के उपर था क्योंकि अन्य एजेंसियों द्वारा मामले की जाँच करवाने में कोई रूकावट नहीं थी और इसलिए, निगरानी को जाँच के साथ अग्रसर होना चाहिए था और पूर्वोक्त दो दस्तावेजों की दृष्टि में जाँच/अन्वेषण नहीं करने का निर्बल बहाना नहीं करना चाहिए था।

4. आगे यह निवेदन किया गया था कि सी० बी० आई० के मामले के अनुसार अपीलार्थी ने दिनांक 3.2.1994 के अपने पत्र (प्रदर्श 38/272) के तहत ए० एच० डी० विभाग के पदधारियों में से एक अर्थात् आर० के० दास, इकबाली साक्षी जिसका परीक्षण अ० सा० 195 के रूप में किया गया था, की सेवा के विस्तारण के लिए अनुशंसा किया था किंतु लोक प्रतिनिधि होने के नाते अनुशंसा करने में इस अपीलार्थी द्वारा कोई गलती नहीं की गयी थी जब उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं था जैसा आई० ओ० (अ० सा० 348) के साक्ष्य से स्पष्ट होगा कि आर० के० दास के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं थी और इसके अतिरिक्त, अनुशंसा सलाह की प्रकृति की थी जो राज्य सरकार पर बाध्यकारी कभी नहीं था।

5. आगे यह निवेदन किया गया था कि आरोप कि अपीलार्थी ने धन की अवैध निकासी में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों से अवैध परितोषण प्राप्त किया था, सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने अ० सा० 195 आर० के० दास, अ० सा० 196 दिपेश चांडक, अ० सा० 199 डॉ० शशि कुमार सिंह का परीक्षण किया था जो सभी इकबाली साक्षी थे किंतु उनके अतिरिक्त उक्त तथ्य की संपुष्टि के लिए किसी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है और तद्द्वारा अवर न्यायालय को उन सब सहभागियों का विवरण स्वीकार नहीं करना चाहिए था और इसके अतिरिक्त उनमें से किसी ने कथन नहीं किया है कि उनकी उपस्थिति में धन दिया गया था बल्कि उन्होंने कथन किया है कि वे इस अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं और उस स्थिति में अवैध परितोषण प्राप्त करने के संबंध में पूर्वोक्त गवाहों द्वारा दिया गया बयान विचार किए जाने योग्य नहीं है।

6. आगे, अभियोजन ने इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी अ० सा० 209 का गवाह के रूप में परीक्षण यह सिद्ध करने के लिए किया है कि अपीलार्थी ने घोटालेबाज के खर्च पर हवाई यात्रा किया किंतु उसने यह अभिसाक्ष्य कभी नहीं दिया है कि अपीलार्थी के लिए एयर टिकट उसके माध्यम से खरीदा गया था।

7. किंतु, न्यायालय ने अपीलार्थी, जिसके नाम में एयर टिकटों को जारी किया गया दर्शाया गया है, के नाम को दर्शाने वाले रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि पर विश्वास किया है किंतु वह इस प्रभाव के किसी साक्ष्य कि उक्त टिकटों को अपीलार्थी के नाम में खरीदा गया था, की अनुपस्थिति में आरोप सिद्ध करने के निश्चयात्मक प्रमाण नहीं हो सकता है।

8. इस प्रकार, यह निवेदन किया गया था कि विचारण न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दो इकबाली साक्षियों अ० सा० 195 आर० के० दास, अ० सा० 196 दीपेश चांडक और अन्य गवाहों अर्थात् अ० सा० 96, अ० सा० 97, अ० सा० 106, अ० सा० 199 और अ० सा० 209 जिन्हें यद्यपि इकबाली साक्षी नहीं बनाया गया है किंतु वे एक या दूसरे तरीके से खजानों से धन की अवैध निकासी के अभिकथित कृत्य में अंतर्ग्रस्त थे, के साक्ष्य पर आधारित किया है और इसलिए अवर न्यायालय को इन गवाहों के साक्ष्य पर कृत्य नहीं करना चाहिए था किंतु विचारण न्यायालय ने उक्त निर्दिष्ट उनके और अन्य के साक्ष्य पर विश्वास करके अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में अवैधता किया है।

9. इसके विरुद्ध, सी० बी० आई० के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम० खान ने निवेदन किया कि अपीलार्थी लोक लेखा कमिटी के अध्यक्ष का पद धारण करते हुए इस तथ्य से पूर्णतः अवगत था

कि ए॰ एच॰ डी॰ विभाग के अधिकारियों ने कूटरचित आवंटन पत्रों के आधार पर खजानों से अवैध रूप से धन की निकासी करने में स्वयं को अंतर्ग्रस्त किया है और जाँच के लिए मामला निगरानी द्वारा लिया गया है। इसके बावजूद इस अपीलार्थी ने घोटाला में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों को संरक्षित करने के लिए अपनी इच्छा अभिव्यक्त करते हुए दिनांक 17.6.1994 और दिनांक 24.6.1994 का दो पत्र लिखा कि मामला किसी अन्य एजेंसी को न्यस्त नहीं किया जाए क्योंकि कमिटी बजटीय आवंटन के आधिक्य में खजानों से धन निकाले जाने के संबंध में जाँच कर रही है और कि यह दर्शाने के लिए कमिटी जाँच की कार्यवाही कर रही है, अनेक दस्तावेजों को जब्त किया जाना दर्शाया है किंतु कोई प्रभावकारी कदम कभी नहीं उठाया गया था बल्कि अभिकथित कपटपूर्ण निकासी से संबंधित उन दस्तावेजों को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संसाधन, काँके, राँची के भंडार में छुपा कर रखा गया था और अ॰ सा॰ 19, अ॰ सा॰ 96, अ॰ सा॰ 97 और अ॰ सा॰ 106 द्वारा यह तथ्य सिद्ध किया गया था।

10. आगे, उन्होंने यह दर्शाने के लिए कतिपय दस्तावेजों को भी सिद्ध किया है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1993-95 के दौरान अभिकथित अनियमितता में जाँच अथवा अन्वेषण को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और तद्द्वारा अपीलार्थी को सही प्रकार से दस्तावेजों को झूठा बनाने का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है।

11. इस अपीलार्थी की सह-अपराधिता आगे इस तथ्य द्वारा पायी गयी है कि इस अपीलार्थी ने किसी आर॰ के॰ दास (अ॰ सा॰ 195), जो झूठा दस्तावेज के सृजन का पक्ष था जिसके आधार पर खजानों से धन की अवैध निकासी की गयी थी, की सेवा के विस्तारण का मामला आरंभ किया। आगे मामला यह है कि अपीलार्थी ने इस घोटाला में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों से अवैध परितोषण प्राप्त किया था जिस तथ्य को तीन गवाहों द्वारा सिद्ध किया गया है जिन्होंने घोटाला के सिरमौर एस॰ बी॰ सिन्हा को अपीलार्थी को धन देते देखा था और इसलिए भले ही गवाहों का अपीलार्थी के साथ निजी जान-पहचान नहीं थी, यह प्रभावहीन है।

12. घोटाला में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के साथ इस अपीलार्थी का संबंध इस तथ्य द्वारा आगे सिद्ध किया गया है कि घोटाला में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा इस अपीलार्थी के लिए एयर टिकटों को खरीदा गया था।

13. इन परिस्थितियों में, यह कथन किया गया था कि अभियोजन समस्त युक्तियुंक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने में सक्षम रहा है कि अभियुक्तगण ने इस अपीलार्थी सहित एक-दूसरे के साथ षड्यंत्र करके अपराध किया है जिसके लिए उन्हें दोषसिद्ध किया गया है।

14. इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिया गया है कि अपीलार्थी को पहले से खजानों से कपटपूर्ण निकासी के बारे में जानकारी थी जिस मामले को जब निगरानी द्वारा लिया गया था, अपीलार्थी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कुछ घोटाला में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों को संरक्षण दिया था और उसके बदले में उसने अवैध परितोषण प्राप्त किया।

15. पक्षों की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों को, विशेषत: सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा प्रस्तुत सामग्री को ध्यान में रखकर मैं अपीलार्थी को जमानत प्रदान करने का इच्छुक नहीं हूँ। अत:, अपीलार्थी की जमानत प्रार्थना इस चरण पर अस्वीकार की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

चंद्रदेव महतो

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (S) No. 7829 of 2012. Decided on 25th November, 2013.

झारखंड पेंशन नियमावली, 1950—नियम 43 (a)—सेवा निवृत्ति लाभों का रोका जाना–नियम 43 (a) के अधीन आदेश सरकार द्वारा पारित करना होगा–सरकार के अनुमोदन से आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया गया है–कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ भूतपूर्व कर्मचारी का बहुमूल्य अधिकार है–पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित किए जाने के गंभीर परिणाम होंगे–नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक बनाता है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है जिसका दुष्परिणाम होगा, सुनवाई का अधिकार अथवा कारण बताओ नोटिस देना ही होगा–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया–रिट याचिका खारिज की गयी।

(पैराएँ 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(1971) 2 SCC 330; (1983)1 SCC 305—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Jai Shankar Tripathi, For the Petitioner; Mr. Amrendra Pradhan, For the State.

आदेश

याची दिनांक 1.7.2008 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए इस न्यायालय के पास आया है।

2. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची पलामू खजाना में लेखाकार के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 31.1.1998 को सेवा से अधिवर्षित हुआ। प्राथमिकी आर॰ सी॰ केस सं॰ 4 (A) वर्ष 2001 दर्ज की गयी थी जिसमें याची को अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया था। अन्वेषण के बाद, दिनांक 18.5.2002 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया था जिसमें याची का विचारण किया गया था। दिनांक 29.9.2009 के आदेश द्वारा याची को उक्त मामले में दोषसिद्ध किया गया था और तत्पश्चात, उसने दांडिक अपील सं॰ 1525 वर्ष 2005 दाखिल किया। दिनांक 1.7.2008 के आक्षेपित आदेश द्वारा याची के सेवानिवृत्ति लाभों को रोका गया था और इसलिए, याची इस न्यायालय के पास आया है।

4. यह अभिवचन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि दिनांक 1.7.2008 का आक्षेपित आदेश झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (a) के अधीन पारित किया गया था और इसलिए, दिनांक 1.7.2008 का आक्षेपित आदेश पारित करने के पहले याची को कोई कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रतिशपथ पत्र का पैराग्राफ सं॰ 5-7 नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"5. fd ;g dFku vkj fuonu fd;k tkrk g fd io e ;kph iyke [ktku e y[kkdkj d :i e fu;kftr FkkA mldh lokfuofÙk d ckn ;kph dk i'kikyu ?kkVkyk l lcfèkr nkfMd ekey e nk"kfl) fd;k x;k FkkA*
>
> *6. fd ;g dFku vkj fuonu fd;k tkrk g fd fjV vkonu dk ifjf'k"V&2 i'kikyu ?kkVkyk e ;kph dh nk"kflf) dh nf"V e ikfjr fd;k x;k gA*

*7. fd ;g dFku vkj fuonu fd;k tkrk g fd >kj[kM i'ku fu;ekoyh d fu;e 43 (a) d erkfcd Hkkoh vPNk vkpj.k i'ku d çR;d çnku dh foof{kr 'kr g vkj ljdkj i.k i'ku vFkok bld fdlh Hkkx dk jkdu vFkok okil yu dk vfèkdkj ljf{kr j[krh g ;fn ;kph dk xHkhj vijkèk d fy, nk"kfl) fd;k tkrk g vFkok xHkhj vopkj dk nk"kh ik;k tkrk gA bl fu;e d vèkhu i.k i'ku vFkok bld fdlh Hkkx dk jkdu vFkok okil yu d fdlh ç'u ij ljdkj dk fu.k; vfre ,o fu'p;kRed gkxkA**

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया अभिवचन मान्य नहीं है क्योंकि भूतपूर्व कर्मचारी को पेंशन प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। काफी पहले **''देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य'', (1971)2 SCC 330**, में इस वाद-विवाद कि क्या पेंशन अभिदान है अथवा कर्मचारी की सेवा की मान्यता देते हुए इसका भुगतान किया जाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पेंशन संपत्ति है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 के अधीन संपत्ति के अधिकार के समतुल्य बनाया गया है, सुनिश्चित किया गया था।

6. ''डी० एस० नकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ'', (1983)1 SCC 305, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"28. ljdkj d flfoy depkfj;k vkj j{kkdfe;k dk i'ku tlk Hkkjr e ç'kkflr fd;k tkrk g foxr e nh x;h lok d fy, evkotk d :i e çrhr gkrk gA fdr tlk Mx cuke f'k{kk cksM e vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g] i'ku fudV :i l etnjh d leku g bl rjg g fd ;g fu;kDrk }kjk çnku fd, x, Hkxrku l xfBr g] foxr lok dk fopkj e ydj bldk Hkxrku fd;k tkrk g vkj ;g thou ;kiu 0;; dk ijk dju d fy, çkflrdrk dk enn nu dk ç;ktu ijk djrk gA ;g bl vfrfjDr vgrk fd bl lkekU;r% vuftr vHkko l efDr lfuf'pr djuh pkfg,] d lkFk i'ku d çfr gekj jo; d fudVre çrhr gkrk gA

29. lf{klr :i l ;g dgk tk ldrk g fd i'ku u doy foxr e nh x;h fu"Bkoku lok d fy, evkotk g cfYd bl vFk e bldk 0;kid egRo g fd ;g lkekftd&vkfFkd U;k; dk mik; g tk thou d vfre Nkj ij] tc o)koLFkk dh çfØ;k d lkFk 'kkjhfjd ,o ekufld 'kfDr ?kVrh tkrh g] vkfFkd lj{kk vrufgr djrk g vkj] blfy,] fdlh dk cpr ij fuHkj gku dh vko';drk gkrh gA ,lh ,d cpr ;g g tc vki viu thou d pjekRd"k ij viu fu;kDrk dk viuk lokUke nr g] fu%'kDrrk d fnuk e lkofèkd Hkxrku d :i e vkfFkd lj{kk vk'okflr dh tkrh gA 'kCn dk U;kf;d :i l foxr lok d ifrQy d :i e dfFkr HkÙkk vFkok ofÙk d :i e vFkok lok l lokfuoÙk 0;fDr d vfèkdkjk vFkok ikfjJfed d lei.k d :i e ifjHkkf"kr fd;k x;k gA bl çdkj] ljdkjh depkjh dk Hkxr; i'ku ych ,o n{k lok ndj vftr fd;k tkrk g vkj blfy, bl nh x;h lok d fy, evkotk d vkLFkfxr v'k d :i e dgk tk ldrk gA ,d okD; e dgk tk ldrk g fd i'ku dk lokfèkd 0;ogkfjd ç;ktu o)koLFkk d dkj.k Lo; d fy, thfodk çnku dju dh v{kerk gA dkb thfor jg ldrk g vkj cjktxkjh l cp ldrk g fdr c<ki vkj vHkko l ugh cp ldrk g ;fn fdlh d ikl fuHkj gku d fy, dN Hkh ugh gA

31. ppk l rhu ph tl lkeu vkrh g% (i) fd i'ku fu;kDrk dh eny bPNk ij fuHkj vfHknku vFkok vudik ugh g vkj fd ;g 1972 fu;ekoyh d vè;èkhu fufgr vfèkdkj lftr djrk g tk lkfofèkd pfj= dh g D;kfd mUg lfoèkku d vuPNn 309 d ijUrd vkj vuPNn 148 d [kM (5) }kjk çnUk 'kfDr;k d ç;kx e vfèkfu;fer fd;k x;k g((ii) fd i'ku vkuxfgd Hkxrku ugh

*g cfYd foxr lok d fy, fd;k x;k Hkxrku g(vkj (iii) ;g mudk lkekftd&vkfFkd U;k; nu d fy, lkekftd dY;k.kdkjh dne g ftUgku bl vk'okklu ij fu;kDrk d fy, viu thou d pjekRd"k ij vckèk :i l lok fn;k fd mudh o)koLFkk e mUg cl gkjk NkM ugh fn;k tk,xkA ;g Hkh xkj djuk gkxk fd i'ku dh ek=k mnkjhÑr i'ku ;ktuk d vèkhu 10 ekg rd ?kVk, x, lok d rhu foxr o"kk d nkjku çkIr fd, x, vklr ikfjJfed l lg&lcfèkr fuf'pr çfr'kr gA bldk Hkxrku lokfuofÙk d i'pkr vFkkr lok lfonk dh lekfIr l lnvkpj.k dh vfrfjDr 'kr ij vkfJr g vkj fd bl vu'kklfud dne d :i e ?kVk;k vFkok okil fy;k tk ldrk gA***

7. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकार निवेदन किया है कि कर्मचारी, जिसने अपने जीवन के लाभदायी वर्षों में नियोक्ता को सेवा दिया है, को उसको किसी कारण बताओ नोटिस के बिना पेंशन के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है।

8. प्रतिशपथ पत्र में लिए गए दृष्टिकोण को दोहराते हुए प्रत्यर्थीगण राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि याची को गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था, झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (a) के निबंधनानुसार उसका पेंशन रोका गया था और चूँकि कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना औपचारिकता मात्र होगा, याची को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि इसके अतिरिक्त, झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (a) के अधीन भूतपूर्व कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की आरवश्यकता नहीं है।

9. झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (a) को नीचे उद्धृत किया जाता है:–

“>kj[kM i'ku fu;ekoyh dk fu;e 43(a):

*^^Hkkoh vPNk vkpj.k i'ku d çR;d çnku dh foof{kr 'kr gA çknf'kd ljdkj i'ku vFkok bld fdlh Hkkx dk jkdu vFkok okil yu dk vfèkdkj Lo; d fy, ljf{kr j[krh g ;fn i'ku iku oky dk xHkhj vijkèk d fy, nk"kfl) fd;k x;k g vFkok xHkhj vopkj dk nk"kh ik;k x;k gA bl fu;e d vèkhu i.k i'ku vFkok bld fdlh Hkkx dk jkdu vFkok okil yu d fdlh ç'u ij çknf'kd ljdkj dk fu.k; vfre vkj fu'p;kRed gkxkA***

10. पूर्वोक्त प्रावधान के परिशीलन पर यह स्पष्ट है कि नियम 43 (a) के अधीन आदेश सरकार द्वारा पारित किया जाना होगा। आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत नहीं होता है कि इसे सरकार के अनुमोदन के साथ पारित किया गया है। पेंशन प्रदान के पीछे के दर्शन से यह प्रकट होगा कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ भूतपूर्व कर्मचारी का बहुमूल्य अधिकार है। भूतपूर्व कर्मचारी को पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित करने के गंभीर परिणाम होंगे। पेंशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य अर्थात् भूतपूर्व कर्मचारी को दरिद्रता में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, विफल हो जाता है यदि दिनांक 1.7.2008 का आक्षेपित आदेश जारी करने में प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया को अनुमोदित किया जाता है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक बनाता है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है जिसके दुष्परिणाम होंगे, सुनवाई का अधिकार और/अथवा कारण बताओ नोटिस व्यक्ति को देना ही होगा यद्यपि सांविधिक प्रावधान इसे अभिव्यक्त रूप से प्रावधानित कर सकता है।

11. पूर्वोक्त की दृष्टि में, यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है और दिनांक 1.7.2008 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

मेसर्स सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

हजारीबाग खान बोर्ड पेशा कर उपविधि, 2003—हजारीबाग खान बोर्ड द्वारा संग्रहित पेशा कर राशि की वापसी–उपविधि 2003 को विखंडित करते हुए खंडपीठ ने पेशा कर को वापस करने का निर्देश दिया–प्रश्न कि क्या पेशा कर का वस्तुतः भुगतान किया गया है अथवा यह कोयला उपभोक्ताओं को लौटाए जाने योग्य है, तथ्य के ऐसे विवादित प्रश्नों को उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है–याची को सिविल न्यायालय के पास जाने की स्वतंत्रता दी गयी। (पैराएँ 9 एवं 10)

निर्णयज विधि.–2006(4) JLJR 689—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Anoop Kumar Mehta, For the Petitioners; M/s Rajesh Shankar, G.A., Lukess Kumar, Dheeraj Kumar, For the State; Mr. Arwind Kumar, For the Respondent No.2 & 3.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. पाँच रिट याचिकाओं के इन बैच में याची द्वारा इप्सित की गयी प्रार्थना समरुप प्रकृति की है, अत: याची के विद्वान अधिवक्ता की और प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की सहमति से समस्त रिट याचिकाओं को साथ सुना और एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. वर्तमान रिट याचिकाओं में, याची–कंपनी हजारीबाग खान बोर्ड द्वारा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के अधीन विभिन्न क्षेत्रों से संग्रहित पेशा कर की वापसी इप्सित करती है। रिट याचिकाओं में वापस किए जाने के लिए इप्सित पेशा कर के विवरण को नीचे दिया जाता है:–

रिट याचिका संख्या	सी० सी० एल० के अधीन क्षेत्र से संग्रहित पेशा कर	राशि
डब्लू० पी० टी० सं० 4712/2012	रजरप्पा	2,88,52,852.40/-
डब्लू० पी० टी० सं० 3539 वर्ष 2012	कथरा	2,32,12,137.92/-
डब्लू० पी० टी० सं० 3540 वर्ष 2012	धोरी	1,01,36,188.07/-
डब्लू० पी० टी० सं० 3585 वर्ष 2012	कुज्जु	1,03,36,025.16/-
डब्लू० पी० टी० सं० 3678 वर्ष 2012	बी० एन्ड के०	72,98,359.57/-

4. राज्य सरकार द्वारा हजारीबाग खान बोर्ड पेशा कर उपविधि, 2003 के फलस्वरुप उक्त पेशा करों को अधिरोपित किया गया है। **भारत के कोयला खान अधिकारी संघ बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** और सदृश मामलों, 2006 (4) JLJR 689, मामलों में इस न्यायालय में हजारीबाग खान बोर्ड पेशा

कर उपविधि, 2003 की वैधता को चुनौती दी गयी थी। **भारत के कोयला खान अधिकारी संघ बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** तथा सदृश मामलों में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा हजारीबाग खान बोर्ड पेशा कर उपविधि, 2003 विखंडित कर दिया गया था। जबकि हजारीबाग खान बोर्ड पेशा कर उपविधि, 2003 को विखंडित करते हुए खंड पीठ ने पैरा 13 में सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड से संग्रहित करों की वापसी के प्रश्न पर विचार किया है। खंडपीठ ने पैरा 13 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^ijk 13:–iokDr rF;k l] ;g Li"V gkxk mifofèk] 2003 fojfpr djr g, >kj[kM jkT; }kjk tkjh fnukd 29 eb] 2003 dh vfèklpuk vkj ell lh0 lh0 ,y0 dk nh x;h lpuk d dkj.k ell lh0 lh0 ,y0 }kjk i'kkdj lxfgr fd;k x;k FkkA*
>
> *;g fookfnr ugh g fd gtkjhckx [kku ckM gtkjhckx [kku ckM vfèkfu;e d vèkhu lftr jkT; ljdkj dh lfofèk gA jkT; ljdkj u fufèk mRiUu dju d fy, mDr vfèkfu;e d vèkhu çkoèkku cuk;k gA mDr vfèkfu;e d erkfcd jkT; ljdkj dk bldh mÙkj thfork d fy, gtkjhckx [kku ckM d i{k e vunku fueDr djuk gA bl çdkj] gekj vulkj] ,d ;k nlj ;kph l igy gh lxfgr fd;k x;k i'kk dj gtkjhckx [kku ckM] gtkjhckx d i{k e okil djuk vkj okil Hkxrku djuk jkT; ljdkj dk nkf;Ro gkxkA*
>
> *rnulkj] çR;Fkh >kj[kM jkT; dk i'kk dj] tlk ,d ;k nlj ;kph l lxfgr fd;k x;k Fkk] dh jkf'k okil dju dk fun'k fn;k tkrk gA*
>
> *lcfèkr ;kph (x.k) ,l ;kph (x.k) }kjk igy gh fd, x, i'kk dj d Hkxrku d leFku e çklfxd lk{; dh çfr lyXu djd >kj[kM jkT; d lcfèkr foHkkx l ,lh okilh dk nkok dj ldr gA çR;Fkh >kj[kM jkT;] ;fn ,lh vko';drk gk] ell lh0 lh0 ,y0 l lefpr lR;kiu dj ldr g vkj LohÑr jkf'k okil djxA iokDr lç{k.kk ,o fun'kk d lkFk leLr fjV ;kfpdk, vuKkr dh tkrh gA*
>
> *fdr] bu rF;k vkj ifjfLFkfr;k e 0;; dk ydj vkn'k ugh gkxkA***

5. पेशा कर की राशि की वापसी के प्रश्न पर विचार करके खंडपीठ ने स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया है कि संबंधित याची (गण) ऐसे याची (गण) द्वारा पहले ही किए गए पेशाकर के भुगतान के समर्थन में प्रासंगिक साक्ष्य की प्रति संलग्न करके झारखंड राज्य के संबंधित विभाग से ऐसी वापसी का दावा कर सकते हैं। प्रत्यर्थी झारखंड राज्य को मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ से समुचित सत्यापन करने की आवश्यकता थी और वह स्वीकृत राशि वापस करेगी।

6. हजारीबाग खान बोर्ड को मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा भुगतान किया गया बताया गया पेशा कर की वापसी इप्सित करते हुए मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा दाखिल इन समस्त रिट याचिकाओं में की गयी प्रार्थना खंडपीठ द्वारा जारी निर्देश के अनुरुप नहीं है। खंडपीठ के निर्णय के मुताबिक केवल संबंधित याची (गण) ऐसे याची (गण) द्वारा पहले ही भुगतान किए गए पेशा कर के भुगतान के समर्थन में साक्ष्य की प्रति संलग्न करके झारखंड राज्य के संबंधित विभाग से ऐसी वापसी का दावा कर सकते हैं।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ मेहता ने निवेदन किया कि मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन बोकारो स्टील प्लान्ट, दुर्गापुर स्टील प्लान्ट, भिलाई स्टील प्लान्ट, राउरकेला

स्टील प्लान्ट, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी, दामोदर वैली निगम और कुछ अन्य उपभोक्ताओं जैसे अनेक कोयला उपभोक्ताओं की ओर से पेशा कर का भुगतान किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि उन उपभोक्ताओं ने यह कहते हुए कि वे इसका भुगतान करने के दायी नहीं हैं और मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न राशियाँ उद्ग्रहित और वसूल नहीं कर सकता है, पेशा कर का भुगतान नहीं किया था। चूँकि स्वयं मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा पेशा कर का भुगतान किया गया है, अतः याची कोयला उपभोक्ताओं की ओर से पेशा कर की वापसी इप्सित करते हुए रिट याचिकाओं को पोषण करने का हकदार है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ व्यथित पक्ष नहीं है और स्वयं याची द्वारा भुगतान किया गया बताये गये पेशा कर की वापसी इप्सित नहीं कर सकता है।

9. प्रश्न (i) क्या मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ ने कोयला उपभोक्ताओं की ओर से पेशा कर का भुगतान वास्तविक रूप से किया है और क्या कोयला उपभोक्ताओं ने इसका भुगतान किया है; (ii) क्या पेशा कर कोयला उपभोक्ताओं को वापस किए जाने योग्य है, (iii) मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा भुगतान किए गए पेशा कर की यथार्थ राशि और तथ्य के ऐसे अन्य प्रश्नों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विचार नहीं किया जा सकता है। चूँकि, तथ्यों के विवादित प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, इस न्यायालय द्वारा रिट याचिकाएँ ग्रहण नहीं की जा सकती हैं।

10. तद्नुसार, इन समस्त रिट याचिकाओं को याची को विधि के अनुरुप उपचार इप्सित करने के लिए विधि के अनुरुप सिविल न्यायालय के पास जाने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

अजित कुमार दास

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cont. Case (Civil) No. 837 of 2013. Decided on 20th November, 2013.

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971—धाराएँ 2(b) एवं 12—अवमान कार्यवाही–अभिकथित अवमानकर्ता द्वारा न्याय के प्रशासन में आशयपूर्ण अवरोध का स्पष्ट मामला होना चाहिए–भले ही आदेश का भंग अभिकथित अवमानकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है, यह अवमान कार्यवाही के लिए पर्याप्त नहीं होगा–आवेदक को यह अभिकथित करने और तर्कपूर्ण साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता है कि अभिकथित अवमानकर्ता ने जानबूझकर और आशयपूर्वक न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा की है–अवमान याचिका खारिज की गयी।

(पैराएँ 7 से 11)

निर्णयज विधि.–(2010)3 SCC 705; (1995) 3 SCC 559—Relied.

अधिवक्तागण.–Mrs. Ritu Kumar, For the Applicant; Mr. R. Mukhapadhyay, For the State.

आदेश

डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 612 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 8.3.2013 के आदेश की अवज्ञा अभिकथित करते हुए वर्तमान अवमान मामला दाखिल किया गया है।

2. पैराग्राफ सं॰ 5-7 में आवेदक ने निम्नलिखित कथन किया है:–

"5. fd Ng ekl l vfèkd chru d ckotn bl ekuuh; mPp U;k;ky; }kjk MCY;O ihO (,lO) lO 612 o"k 2003 e ikfjr fnukd 8.3.2013 d vkn'k dk vuikyu fojkèkh i{kdkj lO 2 }kjk ugh fd;k x;k g vkj ;kph dk fdlh nLrkot dh vkifr ugh dh x;h g vkj mll vFkok mld çkfèkÑr çfrfufèk dk luokb dk volj ugh fn;k x;k gA

6. fd bld vfrfjDr] ;|fi bl ekuuh; mPp U;k;ky; u fnukd 8.3.2013 d viu vkn'k }kjk fnukd 14.12.2002 d vkn'k vkj fnukd 22.12.2002 d ikfj.kkfed vkn'k dk vfHk[kfMr fd;k g fdr mll mldh i'ku d en e fdlh jkf'k dk Hkxrku ugh fd;k x;k gA

*7. fd fnukd 8.3.2013 d vkn'k dh nf"V e voeku dh frfFk fnukd 8.9.2013 l vkjHk gkrh gA***

3. आवेदक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि दिनांक 8.3.2013 के आदेश की प्रति याची को दिनांक 26.3.2013 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी गयी थी और अवमान याचिका के साथ इसका प्रमाण संलग्न किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस न्यायालय का निर्देश छह माह के भीतर आवेदक को दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति करने और सुनवाई का अवसर देने के बाद नया आदेश पारित करने के लिए था और चूँकि अवमानकर्ता सं० 1 द्वारा यह नहीं किया गया है, अवमानकर्ता इस न्यायालय द्वारा अभियोजित किए जाने का दायी है।

4. अवमान याचिका के परिशीलन पर, मैं पाता हूँ कि पैराग्राफ सं० 5 में आवेदक ने बयान दिया कि चूँकि उसको दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं की गयी है और इस न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर उसको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, अवमानकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8.3.2013 के आदेश की अवज्ञा की है। मेरा मत है कि आवेदक ने अवमानकर्ता सं० 1 को कारण बताओ जारी करने का भी मामला नहीं बनाया है। मात्र इसलिए कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.3.2013 को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था, यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि अवमानकर्ता सं० 1 द्वारा उक्त आदेश प्राप्त किया गया है और भले ही यह स्वीकार किया जाता है कि अभिकथित अवमानकर्ता द्वारा उक्त संसूचना प्राप्त की गयी थी, यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि अवमानकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा की है।

5. अवमान कार्यवाही दांडिक सदृश प्रकृति का होने के नाते, उसी तरीके से तथा प्रमाण के उसी स्तर की आवश्यकता होती है जैसा अन्य दांडिक मामलों में है। अभिकथित अवमानकर्ता द्वारा न्याय के प्रशासन का आशयपूर्ण अवरोध करने का स्पष्ट मामला होना चाहिए। अभिकथित अवमानकर्ता के विरुद्ध अभिकथन सिद्ध करने के लिए स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य होना चाहिए।

6. न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 2 (b) ''सिविल अवमान'' को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करती है:–

*2 (b) ^^flfoy voeku** dk vFk g fdlh U;k;ky; d fdlh fu.k;] fMØh] fun'k] vkn'k] fjV ;k vkn'kdk dh tkuc>dj voKk vFkok fdlh U;k;ky; l fd; x; fdlh opu dk tkuc>dj Hkx(*

7. शब्द 'जानबूझकर' अधिनियम की धारा 2(b) में आता है और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अवज्ञा जानबूझ कर की गयी होनी ही चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही अभिकथित अवमानकर्ता द्वारा आदेश का भंग स्वीकार किया जाता है, यह न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अधीन कार्यवाही आरंभ करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अधिनियम कारावास का

दंड प्रावधानित करता है और इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि न्यायालय अवमान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के गंभीर परिणाम होते हैं। मेरा दृष्टिकोण है कि न्यायालय अवमान अधिनियम के अधीन कार्यवाही आरंभ किए जाने के पहले आवेदक को तर्कपूर्ण साक्ष्य द्वारा यह अभिकथित और सिद्ध करने की आवश्यकता होती है कि अभिकथित अवमानकर्ता ने जानबूझकर और आशयपूर्वक न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा की है।

8. सहदेव उर्फ सहदेव सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2010)3 SCC 705 में:–

^^15. voeku dk;okgh v)nkfMd çÑfr dh gkrh gA ,l ekey e tgk U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k dk xyrh] vuoèkkuh vFkok vkn'k d vFk vkj rkRi; dh xyriQgeh d dkj.k vuikyu ugh fd;k x;k g] tc rd ;g vk'k;i.k ugh g] voeku dk vkjki fl) ugh fd;k tk ldrk gA lHkor% ,lk ekeyk gk ldrk g fd voKk vuoèkkurko'k gvk gA ;fn ,lk g] voeku ugh gkxkA [n[k% chO dO dkj cuke mMhlk mPp U;k;ky; d e[; U;k;kèkh'k vkj U;k;kèkh'kx.k (AIR P. 1370 Para 7)

16. blh çdkj] noor cnkikè;k; cuke if'pe cxky jkT; e bl U;k;ky; u lçf{kr fd;k g%&(AIR i0 193, ijk 9)

"9. ç'u fd U;k;ky; dk voeku fd;k x;k g ;k ugh] xHkhj ç'u gA U;k;ky; nk"k yxku okyk vkj nk"k dk fu.k; dju okyk nkuk gA U;k;ky; dk U;k;ky;k vkj vfèkdj.kk e fpjdkfyd çFkkvk l mnHkr gku okyh ef'dyk vkj fu.k; dh xyfr;k d fy, NV nr g, ;Fkk lHko lkoèkkuh d lkFk ÑR; djuk 'kkHkk nrk gA doy rc tc voekui.k vkpj.k] tk vU;Fkk Li"Vuh; ugh g] mnHkr gkrk g] voekudrk dk nfMr djuk gkxkA--------------voeku fofèk d vèkhu nM vi{k.kh; g tc xyrh tkuc>dj vkj drO; dk vun[kk djd vkj çkfèkdkjh dh vogyuk djd dh x;h gA vLi"V ekey e dkjokb djuk voeku fofèk dk fdlh vkj ckr d fy, mi;kx djuk g vkj bl çkRlkfgr ugh djuk gA

(tkj fn;k x;k)

*;gh nf"Vdk.k bl U;k;ky; }kjk vyhx< uxjikfydk ckM cuke ,Ddk Vkxk etnj ;fu;u(dlVu n";Ur lkey cuke l"kek lkey] Hkkjr dkfdx dky fy0 cuke fcgkj jkT;(fu;kt ekgEen cuke gfj;k.kk jkT; vkj euh"k xlrk cuke x#nkl jk; e nkgjk;k x;k gA***

9. मनीष गुप्ता एवं अन्य बनाम गुरुदास रॉय, (1995)3 SCC 559 में:–

"15. ;fn iu% fu;r fd;k x;k oru 600/-#i;k Fkk tk çR;Fkh }kjk eb] 1989 e ik;k x;k oru Hkh Fkk] ;g vfèkeY;u djuk ef'dy g fd fdl çdkj ;g dgk tk ldrk g fd çR;Fkh dk ey oru ,l iu% fu;rhdj.k d ifj.kkeLo#i ?kVk;k x;k FkkA mDr iufu;rhdj.k vij fMfotu Dyd d :i e çR;Fkh d LFkkukiUu çkUufr d vèkkj ij fd;k x;k Fkk vkj u fd vihyh; ihB }kjk fnukd 20.9.1989 dk ikfjr vkn'k d vèkkj ijA bld vfrfjDr] fnukd 22.1.1990 d vkn'k e ;g vfHkO;Dr :i l mfYyf[kr fd;k x;k Fkk%

*^^;g mld oru dk vufre fu;rhdj.k g vkj vfre fu;rhdj.k dkeu dMj fox }kjk ;O MhO ekeyk e ojh;rk d iufu;rhdj.k d erkfcd fd;k tk,xkA***

16. rRi'pkr vij fMfotu lgk;d d :i e mldh çkUufr dk frfFk iujhf{kr djd vkj ml vkèkkj ij vij fMfotu lgk;d d dMj e mldh

*ojh;rk iujh{kr djd fnukd 24.7.1990 vkj fnukd 23.10.1990 d vkn'kk d çdk'k e çR;Fkh dk oru iufu;r fd;k x;k FkkA bu ifjfLFkfr;k e] ;g ugh dgk tk ldrk g fd fnukd 22.1.1998 dk vkn'k vihykFkhx.k dh vkj l tkuc>dj vihyh; U;k;ky; }kjk fnukd 20.9.1989 d vkn'k e fn, x, fun'kk dh voKk dju dk vk'k; ifjyf{kr djrk gA***

10. वर्तमान मामले में, मैं पाता हूँ कि सिवाए इस कथन के कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गयी थी। आवेदक द्वारा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभिकथित अवमानकर्ता ने डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 612 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 8.3.2013 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है। मैं आगे पाता हूँ कि याचिका में आवेदक ने प्रकथन तक नहीं किया है कि अभिकथित अवमानकर्ता द्वारा जानबूझकर अथवा आशयपूर्वक इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा की गयी है।

11. पूर्वोक्त की दृष्टि में, अवमान याचिका गुणागुण रहित है और तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

भगवान बिरसा सेवा संस्थान

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (PIL) No. 3023 of 2008. Decided on 17th October, 2013.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—पी॰ आई॰ एल॰–जमशेदपुर में मानगो क्षेत्र में पेय जल की अनापूर्ति–वर्ष 2025 तक प्रक्षेपित जनसंख्या के लिए जलापूर्ति करने के लिए जलशोधन यंत्र लगाया गया है–अब मानगो अधिसूचित क्षेत्र के लिए पर्याप्त जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध है–प्रत्यर्थीगण द्वारा नया जल कनेक्शन भी दिया जा रहा है–प्रत्यर्थीगण को मानगो अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को पर्याप्त रूप से जलापूर्ति करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 3 से 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Lakhan Chandra Roy, For the Petitioner; J.C. to Sr. S.C.-I, Mr. M.M. Prasad, For the Respondent.

आदेश

डी॰ एन॰ पटेल, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश.–यह जनहित याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के लिए दाखिल की गयी है:–

"1. fd mDr ukfer ;kph u fuEufyf[kr vurk"kk d fy, lefpr fjV] fun'k vkj@vFkok vkn'k tkjh fd;k tkuk bfIlr djrk g%

(A) uxj fodkl foHkkx] >kj[kM ljdkj }kjk fnukd 31.5.2006 dh vfèklpuk l0 1625 e vfèkdfFkr 'kr d erkfcd ekuxk {k=] te'knij e i;ty dh vkifr lfuf'pr dju d fy, çR;Fkhx.k dk fun'k nu d fy, ijekn'k fjV dh çÑfr dk fjV tkjh dju d fy,A

(B) iokfYyf[kr vfèklpuk e vfèkdfFkr 'kr d erkfcd i;ty dh vkifr fd, tku rd c<k, x, i;ty dj dk lxfgr ugh dju d fy, çR;Fkhx.k]

e[;r% çR;FkhZ la0 4 dks funs'k nsa fd fy, ijekns'k fjV dh çÑfr dk fjV tkjh djsa fd fy,A

(C) fdlh vU; lefpr vuqrks"k ds fy, ftlds ;kph ekeys ds rF;ksa vkSj ifjfLFkfr;ksa esa gdnkj gSA**

2. हमने याची के अधिवक्ता को सुना है जिन्होंने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थीगण दिनांक 31 मई, 2006 की अधिसूचना में अधिकथित शर्तों के मुताबिक मानगो क्षेत्र, जमशेदपुर में पेयजल की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। अनेक घर हैं जिन्हें जलापूर्ति नहीं की जा रही है और जिनको जलापूर्ति की जा रही है, उन्हें सप्ताह में केवल दो तीन बार जल दिया जा रहा है।

3. हमने प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है जिन्होंने निवेदन किया है कि दिनांक 6 सितंबर, 2013 का विस्तृत शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि मानगो अधिसूचित क्षेत्र नगर विकास विभाग मानगो अधिसूचित क्षेत्र कमिटी के माध्यम से जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था कर रहा है। अब, वर्ष 2025 तक के लिए प्रक्षेपित जनसंख्या के लिए जलापूर्ति करने के लिए 48 मिलियन लीटर प्रति दिन क्षमता रखनेवाला जल शोधन यंत्र निर्मित किया गया है। वर्ष 2013 में वर्तमान आवश्यकता लगभग 37 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। जल शोधन यंत्र पूर्णतः कार्यशील है और वर्ष 2025 तक वर्तमान और भावी जलापूर्ति करने के लिए तैयार है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि वर्तमान में 3.42 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल शोधित एवं आपूर्त किया जा रहा है। 40,000 गृह इकाईयों में से केवल 3200 व्यक्तियों ने जल कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है। इस प्रकार, यदि अन्य व्यक्ति नए कनेक्शन के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें मानगो अधिसूचित क्षेत्र में पर्याप्त जल सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर, 2013 में एक और विस्तृत शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विस कंपनी (जे॰ यू॰ एस॰ सी॰ ओ॰) निष्पादक एजेन्सी है। उन्होंने आवश्यक पाइप लाइन भी बिछाया है और कुछ छोटे कामों को पूरा किया जाना अभी भी बाकी है जो नवम्बर, 2013 तक पूरा हो जाएगा। इस शपथ पत्र में जोन क्रमवार विवरणी भी इंगित किया गया है। इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि मानगो अधिसूचित क्षेत्र के लिए जल उपलब्ध है और यदि लोग नए जल कनेक्शन के लिए आवेदन दे रहे हैं, उन्हें जल दिया जाएगा और इसलिए यह रिट याचिका उपयुक्त निर्देश के साथ निपटायी जा सकती है।

4. इन निवेदनों की दृष्टि में और प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल शपथ पत्र को देखते हुए, जैसा यहां उपर कथन किया गया है, यह प्रतीत होता है कि अब मानगो अधिसूचित क्षेत्र के लिए पर्याप्त जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध है। प्रत्यर्थीगण द्वारा नया जल कनेक्शन भी दिया जा रहा है। इस प्रकार, आवेदन करने वालों को नया जल कनेक्शन भी दिया गया है। प्रत्यर्थीगण ने वर्ष 2025 तक के लिए जनसंख्या में वृद्धि को भी ध्यान में रखा है। जल वितरण के लिए अधिकतम काम पहले ही पूरा किया जा चुका है और शेष काम को नवम्बर, 2013 तक पूरा कर दिया जाएगा।

5. इन तथ्यों की दृष्टि में, हम मानगो अधिसूचित क्षेत्र में जल वितरण को आगे मॉनिटर करने का कारण नहीं देखते हैं। हम प्रत्यर्थीगण को लोगों जो मानगो अधिसूचित क्षेत्र में रह रहे हैं को पर्याप्त रूप से जलापूर्ति करने का निर्देश देते हैं और जिन्होंने नए जल कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है को नया कनेक्शन दिया जाएगा और काम जिसे अभी भी पूरा किया जाना है, जैसा दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दाखिल शपथ पत्र में कथन किया गया है, नवम्बर, 2013 के अंत तक पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार से, जैसा प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2013 के शपथ पत्र में जो कथन किया गया है का भी ईमानदारीपूर्वक अनुसरण किया जाएगा और मानगो अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जलापूर्ति की जाएगी।

6. इस चरण पर याची के अधिवक्ता ने जलापूर्ति के ऊँचे टैरिफ दर के बारे में शिकायत किया है। जनहित याचिका में इस न्यायालय द्वारा इस तर्क को ग्रहण नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसे व्यक्तिगत रूप से चुनौती देने की आवश्यकता है।

7. उक्त निर्देश की दृष्टि में यह रिट याचिका एतद् द्वारा निपटायी जाती है। शेष प्रार्थनाओं को इस न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया गया है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

एस० कुजुर

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 1434 of 2013. Decided on 24th October, 2013.

विद्यालय विधि–सेवा निवृत्ति लाभ–अवकाश नगदकरण–याची को सहायक शिक्षक के रूप में अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालय में नियुक्त किया गया था–दिनांक 20.2.1990 के परिपत्र की दृष्टि में, गैर-सहायता प्राप्त सरकारी विद्यालयों एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को अवकाश नगदकरण का प्रदान और पेंशन, उपदान, अवकाश नगदकरण, आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों का प्रदान कर्मचारी की सेवा शर्त के भाग के रूप में समझा जाएगा–चूँकि अवकाश नगदकरण वेतन का चरित्र धारण करता है, ऐसे लाभ से शिक्षक को इनकार नहीं किया जा सकता है–दिनांक 29.6.1983 के परिपत्र को गैर-सहायता प्राप्त सरकारी एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के मामले में प्रभाव नहीं दिया जा सकता है–रिट याचिका अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 12 से 14)

निर्णयज विधि.–(1982)2 SCC 314; **2013(4) JBCJ 421 (HC)** : 2007 (4) JCR (Jhr) (FB); (1988) 4 SCC 571; (1990) Supp. SCC 306—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rahul Kumar, Prabhat Singh, For the Petitioner; Mr. Amrendra Pradhan, For the Respondents.

आदेश

याची अवकाश नगदकरण के भुगतान के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश इप्सित करते हुए इस न्यायालय के पास आया है।

2. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

3. याची दिनांक 1.2.2006 के प्रभाव से सेवा से अधिवर्षित हुआ। उसे अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में दिनांक 22.2.1971 को नियुक्त किया गया था। चूँकि याची का दावा मंजूर नहीं किया गया था, याची वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है।

4. निम्नलिखित कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है:–

> *"9. fd fjV vkonu d i jk 8 e fn, x, c;ku d mÙkj e ;g dFku vkj fuonu fd;k tkrk g fd ;g Lohdkj fd;k x;k g fd vYi l[;d fo|ky;k e dk;jr lgk;d f'k{kdk dk ljdkjh fo|ky;k e dk;jr lgk;d f'k{kdk d lerY; oru] i'ku] minku] vkfn dk Hkxrku fd;k x;k Fkk fdr o fnukd 6.6.1983/ 29.6.1983 d i= l0 23vi 1-42 shi. 68, e] i jk 9 e vrfo"V vkn'kk d erkfcd vodk'k uxndj.k ykHk d gdnkj ugh gA**

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस न्यायालय ने सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 2162 वर्ष 1999 (R) में दिनांक 20.8.2002 के आदेश द्वारा दिनांक 20.2.1990 के परिपत्र के खंड 2 का व्याख्या किया और अभिनिर्धारित किया कि गैर-सहायता प्राप्त सरकारी एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को अवकाश नगदकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। डब्ल्यू० पी० (एस०) सं० 522 वर्ष 2002 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 2162 वर्ष 1999 (R) में दिनांक 20.8.2002 को पारित आदेश को सुभिन्न किया और अभिनिर्धारित किया कि सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 2162 वर्ष 1999 (R) में पारित आदेश सर्वबंधी निर्णय है न कि व्यक्तिबंधी एवं इसलिए, यह अन्य पर लागू नहीं होगा। राज्य ने सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 2162 वर्ष 1999(R) में पारित आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका दाखिल किया जिसे खारिज कर दिया गया था और तत्पश्चात, पुनर्विलोकन याचिका और रिट याचिका में पारित आदेशों के विरुद्ध राज्य द्वारा लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किए गए थे जिन्हें भी खारिज कर दिया गया था। झारखंड राज्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका एस० एल० पी० (सी०) सं०............./2006 (सी० सी० सं० 7881 वर्ष 2006) दाखिल की गयी थी जिसे भी दिनांक 21.2.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और इसलिए, डब्ल्यू० पी० (एस०) सं० 522 वर्ष 2002 में पारित निर्णय पर और दिनांक 6.6.1983 के परिपत्र पर राज्य द्वारा किया गया विश्वास न्यायोचित नहीं है और याची को अवकाश नगदकरण का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए था। याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **''डॉ० दूधनाथ पांडे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य'', 2007 (4) JCR 1 (Jhr.) : 2013 (4) JBCJ 421 (HC)** में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय पर विश्वास किया है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.8.2013 के आदेश द्वारा अभिपुष्ट किया गया है।

6. उक्त के विरुद्ध, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि दिनांक 29.6.1983 के पत्र के अधीन अभिव्यक्त वर्जना है, अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को अवकाश नगदकरण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि दोनों परिपत्रों अर्थात् दिनांक 29.6.1983 के परिपत्र और दिनांक 20.2.1990 के परिपत्र का विस्तार भिन्न है। दिनांक 29.6.1983 का परिपत्र 'सेवा निवृत्ति लाभों' पर विचार करता है जबकि दिनांक 20.2.1990 का परिपत्र 'सेवा में वेतनमान लाभों' से संबंधित है और चूँकि दिनांक 29.6.1983 के पत्र के पैराग्राफ 9 में अभिव्यक्त वर्जना है जिसके अधीन सरकारी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालय शिक्षकों को सामूहिक बीमा, अवकाश नगदकरण, सहायता अनुदान आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों से इनकार किया गया है, याची को अवकाश नगदकरण का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

7. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिशीलन पर, मैं पाता हूँ कि दिनांक 20.2.1990 के परिपत्र में अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को समस्त लाभों को प्रदान करने के लिए अभिव्यक्त प्रावधान बनाया गया है। उक्त परिपत्र पर विश्वास करते हुए इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 2162 वर्ष 1999 (R) में दिनांक 20.8.2002 के आदेश द्वारा अवकाश नगदकरण के लिए कर्मचारी का दावा अनुज्ञात किया। झारखंड राज्य द्वारा अपील की गयी थी और सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 2162 वर्ष 1999 (R) में दिनांक 20.8.2002 के आदेश द्वारा अवकाश नगदकरण के लिए कर्मचारी का दावा अनुज्ञात किया। झारखंड राज्य द्वारा अपील की गयी थी और सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 2162 वर्ष 1999 (R) में पारित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि झारखंड राज्य द्वारा दाखिल एस० एल० पी० दिनांक 21.2.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

8. ''भारत संघ बनाम गुरनाम सिंह'', (1982)2 SCC 314, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश का नगदकरण प्राप्त करने का अधिकार सेवा शर्त है।

9. ''डॉ॰ दूधनाथ पांडे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य'', 2007 (4) JCR1 (Jhr.) (F.B.) : 2013 (4) JBCJ 421 (HC) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचारार्थ आया प्रश्न यह था कि क्या कर्मचारी के अवकाश नगदकरण को नियोक्ता द्वारा वापस रोका जा सकता है और इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> "25. *ifji= dh fofèkd ifo=rk ij fopkj dju d igy ;g Lej.k djuk gkxk fd vui;kfxr vodk'k d dkj.k vodk'k uxndj.k dk Hkxrku fd;k tkrk g vkj blfy,] ;g oru dk pfj= èkkj.k djrk gA vc i'ku dk vfèknku ugh ekuk tkrk gA oru jkT; d gkFkk e nh x;h lifÙk g ftl lfofèk vFkok fofèk }kjk ik;h x;h 'kfDr;k d vèkhu d flok, jkdk ugh tk ldrk g tl k Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 300A d vèkhu vuè;kr fd;k x;k g tl k m0 ç0 jkT; cuke gkth bLekby uj] AIR 1988 SC 1407 vkj d0 ,l0 vkj0 Vh0 lh0 cuke d0 vk0 oxh t] AIR 2003 SC 3966 e lokPp U;k;ky; }kjk vfèkdfFkr fd;k x;k gA*"*

10. ''हरियाणा राज्य अध्यापक संघ एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य,'' (1988)4 SCC 571, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद्यक यह था कि क्या मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों के शिक्षक सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के साथ वेतन समतुल्यता के हकदार थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राईवेट विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी विद्यालय में शिक्षकों के समतुल्य महँगाई भत्ता और वेतनमान का भुगतान करना होगा। पैराग्राफ 3 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से विवाद्यक पर विचार किया है,–

> "3. *geu i{kk d fo}ku vfèkoDrk dk foLrkj iod luk g vkj ge i{kk d chp lkekU; lgefr ikr g fd tgk rd oru vkj vfrfjDr egxkb HkÙkk dk lcèk g] lgk;rk ikIr fo|ky;k e fu;kftr f'k{kdk vkj ljdkjh fo|ky;k e fu;kftr f'k{kdk d chp HknHkko dk dkj.k ugh gA jkT; ljdkj ;kphx.k }kjk ekx x, HkÙkk d vU; 'kh"kk d lcèk e lerY;rk dk nkok Lohdkj ugh djrh gA ge ,d le; ij bl ç'u ij vkn'k nu d bPNd Fk fd D;k fo|ky;k e f'k{kk çnku dju dh ftEenkjh jkT; ljdkj dh g vkj blfy, D;k jkT; ljdkj ij ;g lfuf'pr dju dh rRle ftEenkjh g fd lgk;rk ikIr fo|ky;k e f'k{kd mlh ikfjJfed d gdnkj g tl k ljdkjh fo|ky;k e f'k{kdk dk çnku fd;k tkrk gA fdr ge bu ekeyk e bl ç'u ij fopkj dju dk çLrko ugh nr g D;kfd ge ?kVukvk] tk x.kkx.k ij luokb d ckn ?kfVr g, g] l lr"V g fd lf{kIr vkn'k }kjk bu ekeyk dk fuiVkuk vfèkd lefpr gkxkA jkT; ljdkj u vfrfjDr egxkb HkÙkk d nl fd'rk d Hkxrku dh ifjifr dju dh viuh bPNk vfHkO;Dr fd;k g] fdr fnukd 1.4.1981 d ckn fueDr iph l vfrfjDr egxkb HkÙkk dh fd'rk dk ughA ;g çrhr gkrk g fd bu lgk;rk ikIr fo|ky;k dk jkT; ljdkj }kjk fn;k x;k lgk;rk vunku vuekfnr 0;; dh 75 çfr'kr lhek rd dh deh dk vkPNkfnr djrk gA vuekfnr 0;; f'k{k.k ,o xj f'k{k.k LVkQ dk Hkxrku fd, x, oru rd foLrkfjr gkrk g tk fnukd 1.4.1981 d igy oru ,o egxkb HkÙkk vkj vrfje vurk"k dk rFkk fnukd 1.4.1981 d ij oru ,o vfrfjDr egxkb HkÙkk] vkenuh ekbuI 0;; ?kkVk vkj dfri; vU; oLrvk dk lfEefyr djrk g*

*fdr ;kphx.k }kjk nkok fd, x, xg fdjk;k HkÙkk] fpfdRlk HkÙkk] uxj {kfrifr HkÙkk vkj vU; 'kh"kk dk lfEefyr ugh djrk gA gekj er e] ;kphx.k }kjk nkok fd, x, lI.k vofèk d fy, lgk;rk iklr fo|ky;k d f'k{kdk dk ogh orueku vkj egxkb HkÙkk dk Hkxrku djuk gh gkxk tlk ljdkjh fo|ky;k e f'k{kdk dk fd;k tkrk g vkj mlI dkj.k 0;; dk jkT; vkj çcèku d chp mlh vuikr e ckVk tkuk pkfg, ftle o f'k{kdk d oreku ikfjJfed dk Hkkj ckVr g-------***

11. **''हरियाणा राज्य अध्यापक संघ एवं अन्य '' (ऊपर)** में दिए गए निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(1990)Supp. SCC 360** में आगे स्पष्ट किया गया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

*"10. ....fnukd tykb 28, 1988 dk bl U;k;ky; dk fu.k; Hkh lgk;rk iklr fo|ky;k e fu;kftr f'k{kdk vkj ljdkjh fo|ky;k e fu;kftr f'k{kdk d oruk vkj egxkb HkÙkk d ekey e lerY;rk dk fl)kr Lohdkj djrk g vkj fu.k; e ,lk dN ugh g tk minf'kr djrk g fd lerY;rk dk mDr fl)kr doy fnlcj 31, 1985 rd vkj u fd rRi'pkr ykx fd;k tkuk gA bu ifjfLFkfr;k e] gekjk nf"Vdk.k g fd fnukd tykb 28, 1988 d fu.k; e bl U;k;ky; d fun'k dk vFk bl :i e yxkuk gkxk fd çR;Fkhx.k dk lgk;rk iklr fo|ky;k e fu;kftr f'k{kdk d orueku vkj egxkb HkÙkk dh ,lh lerY;rk dk cuk, j[ku vkj le;≤ ij budk iujhf{kr dju dh vko';drk g tl vkj tc ljdkjh fo|ky;k e fu;kftr f'k{kdk dk orueku vkj egxkb HkÙkk iujhf{kr fd;k tkrk gA vr%] lgk;rk iklr fo|ky;k e fu;kftr f'k{kdk dk orueku iujhf{kr djuk rkfd bl fnukd tuojh 1, 1986 d çHkko l ljdkjh fo|ky;k e fu;kftr f'k{kdk d orueku d lerY; cuk;k tk ld vkj fnukd tuojh 1, 1986 d çHkko l iujhf{kr orueku e lgk;rk iklr fo|ky;k e fu;kftr f'k{kdk dk oru fu;r djuk vkj mlI vkèkkj ij bu f'k{kdk dk oru ,o egxkb HkÙkk dk Hkxrku djuk çR;Fkhx.k ij ckè;dkjh gkA***

12. पूर्वोक्त की दृष्टि में, मेरा दृष्टिकोण है कि दिनांक 20.2.1990 के पत्र में पैराग्राफ सं० 2 गैर-सहायता प्राप्त सरकारी विद्यालयों एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को अवकाश नगदकरण का प्रदान सम्मिलित करेगा क्योंकि पेंशन, उपदान, अवकाश नगदकरण, आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों को कर्मचारी की सेवा शर्त के भाग के रूप में समझा जाएगा। चूँकि अवकाश नगदकरण वेतन का चरित्र धारण करता है, दिनांक 29.6.1983 के पत्र जिसका सांविधिक बल नहीं है की दृष्टि में शिक्षक को ऐसे लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है।

13. पूर्वोक्त की दृष्टि में, मेरा मत है कि गैर सहायता प्राप्त सरकारी एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के मामले में दिनांक 29.6.1983 के परिपत्र को प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।

14. परिणामस्वरुप, मेरा दृष्टिकोण है कि याची के दावा से इनकार करने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण न्यायोचित नहीं है और इसलिए, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o Mhñ ,uñ iVy] U;k;efr

बैद्यनाथ प्रसाद

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (PIL) No. 1114 of 2008. Decided on 29th November, 2013.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—पी० आई० एल०–याची राँची के मुख्य स्थल बिरसा चौक से कथरकोचा तक नाला के निर्माण कार्य रोकने के लिए निर्देश इप्सित कर रहा है क्योंकि अन्यथा इसका परिणाम रोड बंद हो जाने में होगा–चूँकि स्टेशन के रास्ते में सिग्नल क्षेत्र में अनेक एहतियाती कदम उठाने होंगे, रेलवे रेल गुमटी का निर्माण करने की अवस्था में नहीं हैं–उन स्थानों पर जहाँ घनी आबादी है सुरक्षात्मक उपायों के रूप में रेल पटरी के साथ-साथ चारदीवारी निर्माण की रेल परियोजना पहले से ही प्रगति पर है और कार्यस्थल पर रेलगुमटी के निर्माण के लिए याची का अनुरोध लोक हित में स्वीकार नहीं किया जा सकता है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 10 से 15)

अधिवक्तागण.–Mr. M. Jagannath, For the Petitioner; Mr. Mahesh Tewari, For the Resp. Nos. 1-4; Mr. A.K. Singh, For the Resp. No.5; Mr. R.R. Nath, For the Resp. No.9.

आदेश

इस जनहित याचिका में, याची राँची के मुख्य स्थल बिरसा चौक से कथरकोचा तक नाला के निर्माण कार्य को रोकने के लिए निर्देश इप्सित कर रहा है और यदि नाला का निर्माण नहीं रोका जाता है, कथरकोचा के आम लोगों का बिरसा चौक तक आवागमन सड़क बंद हो जाने के कारण बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि आदिवासी लोगों के घरों से बाहर जाने का वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. याची के मामले के अनुसार, पी० आर० डी० ए० ने पहले ही बिरसा चौक से कथरकोचा तक पथ निर्माण के लिए मंजूरी दिया है किंतु रेलवे प्राधिकारी से एन० ओ० सी० की अनुपलब्धता के कारण इसे पूरा नहीं किया गया था। मुहल्ले के लोगों ने सचिव, रेल विभाग, भारत सरकार के समक्ष अभ्यावेदन दिया है, किंतु पथ निर्माण के लिए कार्रवाई नहीं की गयी है। किंतु अचानक, प्राधिकारी क्षेत्र के लोगों की पहुँच का पूरा रास्ता रोक कर बिरसा चौक से कथरकोचा तक नाला के लिए भूमि काटने लगे। पहले भी याची ने डब्ल्यू० पी० (पी० आई० एल०) सं० 4958 वर्ष 2004 और डब्ल्यू० पी० (पी० आई० एल०) सं० 739 वर्ष 2005 और अवमान (सिविल) केस सं० 39 वर्ष 2007 दाखिल किया था। याची प्रतिवाद करता है कि यदि पथ का निर्माण नहीं किया जाता है, अनेक लोग प्रभावित होंगे और इसलिए, रिट याची कथरकोचा से बिरसा चौक तक नाला का निर्माण रोकने का निर्देश इप्सित करता है।

3. प्रत्यर्थीगण ने अनेक तिथियों पर यह कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है कि हटिया राँची के बीच रेल लाइन बिरसा चौक के निकट कथरकोचा स्लम एरिया से होकर जाती है और रेलवे की भूमि का बड़ा भाग कुछ लोगों के अवैध अधिभोग में है जिन्होंने स्लम एवं झोपड़ी का निर्माण कर लिया है और रेल लाइन के समानांतर रेलवे भूमि के उपर पक्की सड़क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों द्वारा इस रास्ते का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, पहले कोई नाला नहीं था तथा वर्षा का पानी इस स्थान के चारों ओर इकट्ठा होता था जो रेल पटरियों को

अस्थायी बना रही थी। पटरी के नीचे मुलायम मिट्टी के कारण सदैव ट्रेन दुर्घटना होने का खतरा रहता था। अत:, वर्षा जल की निकासी के लिए समुचित नाला निर्माण करने का निर्णय किया गया था। नाला का निर्माण संपूर्ण रूप से रेलवे की भूमि पर है। क्षेत्र के इर्द-गिर्द स्लम में रह रहे रेलवे की भूमि के अप्राधिकृत अधिभोगियों की ओर से याची की प्रार्थना अवैध है और वे रेलवे भूमि पर किसी निर्माण की योजना नहीं बना सकते हैं। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, केवल वर्षा जल की निकासी के लिए नाला खोदा जा रहा है और याची को इसे चुनौती देने का विधिक अधिकार नहीं है।

4. याची ने भूमि के अप्राधिकृत अधिभोग से इनकार करते हुए प्रत्युत्तर दाखिल किया है। याची के अनुसार, वे लंबे समय से कथरकोचा, बिरसा चौक में रह रहे हैं और बिरसा चौक से कथरकोचा तक प्रश्नगत सड़क का उपयोग कर रहे हैं। कथरकोचा के लोगों ने आर॰ आर॰ डी॰ ए॰ से अनुमति लेने के बाद घरों का निर्माण किया है और कथरकोचा के लोगों ने विद्युत कनेक्शन भी लिया है और विद्युत प्रभारों का भुगतान कर रहे हैं।

5. नाला खोदा जाना न्यायोचित ठहराते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किए जाने के बाद याची ने कथरकोचा, जहाँ लोग अस्थायी रूप से रेलवे लाइन के आर-पार जा रहे हैं क्योंकि कथरकोचा गली, न्यू एरिया रेलवे गुमटी के स्थान के निकट सीधे रूप से जुड़ रही है और मेन रोड अथवा बिरसा चौक जाने का वैकल्पिक रास्ता नहीं है, के निकट साधारण गुमटी बनाने के लिए रेलवे प्राधिकारियों को निर्देश इप्सित करते हुए आई॰ ए॰ सं॰ 2039 वर्ष 2012 दाखिल किया।

6. आई॰ ए॰ 2039 वर्ष 2012 के प्रत्युत्तर में, रेलवे ने यह कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया कि साधारण रेलवे गुमटी का 11 किलो मीटर 423 मीटर के निकट निर्माण संभव नहीं है चूँकि यह सिग्नल क्षेत्र है जहाँ आ रही ट्रेनें हटिया यार्ड में जाने से पहले अक्सर रुकती है। यह प्रकथन भी किया गया है कि उस स्थल पर रेलवे गुमटी का निर्माण सुरक्षा मानकों, जो व्यापक समुदाय और संपूर्ण रेल प्रणाली के सुचारु रूप से काम करने के लिए है, का उल्लंघन करेगा और, इसलिए, रेलवे साधारण रेल गुमटी का निर्माण करने की अवस्था में नहीं है जैसा याची चाहता है।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि कथरकोचा के निवासी वहाँ लंबे अरसे से रह रहे हैं और उक्त क्षेत्र में लगभग हजार घर हैं और, इसलिए, कथरकोचा से आर॰ ओ॰ बी॰ (रेल ओवरब्रिज) रोड के निकट मेकॉन सेटेलाइट से जोड़ने के लिए रेल गुमटी बनाना आवश्यक है अथवा कथरकोचा में एक पृथक आर॰ ओ॰ बी॰ का निर्माण करना होगा ताकि हजारों लोगों को फायदा हो सके। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि कथरकोचा के लोग होल्डिंग कर, किराया का भुगतान कर रहे हैं और अचल संपत्ति के विधिक स्वामी हैं और निवेदन किया कि अनेक लोग कठिनाई का सामना करते हैं जब बिरसा चौक का फाटक बंद कर दिया जाता है क्योंकि रेल पटरी पार करना जोखिम भरा है।

8. प्रत्यर्थी रेलवे की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी ने निवेदन किया कि साधारण रेल गुमटी अर्थात् किलोमीटर 423 ऑफ 11 के निकट का निर्माण संभव नहीं है क्योंकि यह सिग्नल क्षेत्र है जहाँ आती हुई ट्रेनें अक्सर हटिया यार्ड में जाने से पहले रुकती हैं। यह निवेदन भी किया गया है कि रेलवे ने मांग की गयी गुमटी से बिरसा चौक से दक्षिण दिशा में 690 मीटर की दूरी पर एप्रोच सड़क प्रदान किया है और एक अन्य आर॰ ओ॰ बी॰ भी है जो उत्तरी अतिरिक्त गुमटी से केवल 430 मीटर दूर है और इन दोनों के बीच रेलवे के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों के समस्त प्रयोजन से एक अन्य रेल गुमटी न तो संभव है और न ही व्यवहारिक।

9. हमने याची के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया है।

10. याची ने यह कथन करते हुए अनेक प्रत्युत्तर दाखिल किया है कि कथरकोचा क्षेत्र में पड़ने वाले घर नियमित घर हैं और उन निवासियों ने घरों के निर्माण के लिए योजना का अनुमोदन प्राप्त किया है और विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया है। इस जनहित याचिका में विचारार्थ उद्‌भूत होने वाले बिंदु को ध्यान में रखकर, हम कथरकोचा क्षेत्र में घरों के विधिक अधिकारों अथवा अन्यथा पर कोई मत अभिव्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं देते हैं। विचारार्थ आया एकमात्र बिंदु यह है कि क्या याची कथरकोचा बस्ती स्थल पर रेलगुमटी के निर्माण का निर्देश इप्सित करने का हकदार है।

11. प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल अनेक प्रतिशपथ पत्रों में यह स्पष्टत: कथन किया गया है कि कथरकोचा बस्ती स्थल अर्थात् किलोमीटर 423 ऑफ 11 के निकट साधारण रेल गुमटी का निर्माण संभव नहीं है क्योंकि यह सिग्नल क्षेत्र है जहाँ आने वाली ट्रेन अक्सर हटिया यार्ड में प्रवेश करने के पहले रुकती हैं। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, उस स्थल पर रेल गुमटी का निर्माण सुरक्षा मानकों, जो व्यापक जन समुदाय के लिए और संपूर्ण रेल प्रणाली के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए है, का उल्लंघन करेगा। चूँकि स्टेशन के एप्रोच के सिग्नल क्षेत्र में अनेक रक्षात्मक उपाय किया जाना है, हम प्रत्यर्थीगण के दृष्टिकोण में औचित्य पाते हैं कि रेलवे साधारण रेल गुमटी का निर्माण करने की अवस्था में नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह कथन किया गया है कि उन स्थानों पर जहाँ घनी आबादी है सुरक्षात्मक उपायों के रूप में रेल पटरी के साथ-साथ चारदीवारी का निर्माण करने की वर्तमान रेलवे परियोजना पहले से ही प्रगति में है और समाज के लोकहित में स्थल पर रेलगुमटी के निर्माण का याची का अनुरोध स्वीकार नहीं की जा सकती है।

12. याची का प्रतिवाद यह है कि कथरकोचा के निवासियों का मेन रोड तक अथवा मेकॉन सैटेलाइट के साथ एप्रोच रोड नहीं है। अपने प्रतिशपथ पत्र में, रेलवे ने स्पष्ट कथन किया है कि रेलवे ने मांग की गयी गुमटी से बिरसा चौक की ओर दक्षिण दिशा में 690 मीटर की दूरी पर सड़क उपलब्ध कराया है और उत्तर में केवल 430 मीटर दूर एक आर० ओ० बी० भी है और दो पहले से ही विद्यमान रास्तों के बीच अतिरिक्त गुमटी रेलवे की सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रयोजन से संभव अथवा व्यवहारिक नहीं है।

13. इंडियन रेलवे पर्मानेन्ट वेज मैनुअल का अध्याय IX सुझाव अनुबंधित करता है। दो प्रकार की रेल गुमटियाँ होती है: एक साधारण गुमटी और दूसरा मैन्ड गुमटी। प्रत्यर्थीगण ने स्पष्टत: कथन किया है कि याची द्वारा अनुरोध किए गए स्थल पर गुमटी निर्माण के लिए चौड़ा और पर्याप्त स्थान बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। यह कथन भी किया गया है कि आबादी क्षेत्र में मैन्ड गुमटी का निर्माण केवल तब किया जा सकता था जब गेट लॉक करने, गेटमैन के आवास, स्थान, क्वार्टर और अन्य आवश्यक निर्माण के लिए स्थान हो और ऐसा स्थान कथरकोचा बस्ती स्थल पर उपलब्ध नहीं है जैसा याची ने अनुरोध किया है।

14. जब रेलवे ने पहले ही अनेक सुरक्षात्मक कदम उठाया है और साधारण गुमटी के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, इस जनहित याचिका में याची द्वारा इप्सित प्रार्थना मंजूर नहीं की जा सकती है।

15. पूर्वोक्त कारणों से, यह रिट याचिका खारिज किए जाने की दायी है।

तद्नुसार, हम रिट याचिका खारिज करते हैं।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

झारखंड राज्य एवं अन्य

cuke

टौरियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा॰ लि॰

L.P.A. Nos. 103, 104 with 105 of 2013. Decided on 2nd December, 2013

(क) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950—धारा 4 (h)—नामांतरण–केवल कब्जा के आधार पर कब्जा के संबंध में आदेश पारित करना होगा–सी॰ ओ॰/एल॰ आर॰ डी॰ सी॰/डी॰ सी॰ से अचल संपत्ति में हक और स्वत्वधारी अधिकार विनिश्चित करने की उम्मीद नहीं की जाती है–नामांतरण कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही नहीं है–यह केवल राजस्व संग्रहण के प्रयोजन से वित्तीय जाँच है–किंतु, सी॰ ओ॰ तथा डी॰ सी॰ को साक्ष्य जिसके आधार पर अपीलार्थी कब्जा का दावा कर रहा है पर विचार करने से अपवर्जित नहीं किया गया है।

(पैराएँ 21, 22 एवं 23)

(ख) छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धारा 46—आदिवासी भूमि का अंतरण–अधिभोग-रैयत जो एस॰ टी॰/बी॰ सी॰ का सदस्य है, किसी अन्य व्यक्ति, जो एस॰ टी॰/बी॰ सी॰ है और उसी पुलिस थाना जिसके अंतर्गत धृति स्थित है का निवासी है, को भूमि अंतरित कर सकता है–जब गैर आदिवासी के पक्ष में भूमि का अंतरण विधि द्वारा निषिद्ध है, तब अवैध अंतरण के आधार पर गैर-आदिवासी के कब्जा को मान्यता नहीं दी जा सकती है।

(पैराएँ 32 एवं 34)

निर्णयज विधि.–2005(1) JLJR 1—Applied; AIR 1996 SC 2306—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. V.K. Prasad, For the Appellant/Petitioner; M/s B. Poddar, R.K. Bhargava, P. Poddar, A. Sinha, For the Respondents.

आर॰ बानुमथी, मुख्य न्यायाधीश.–इन एल॰ पी॰ ए॰ को नामांतरण पुनरीक्षण सं॰ 63, 64 और 65 R15/2009-10 दिनांक 16.11.2010 में उपायुक्त, राँची द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने वाले रिट याचिका सं॰ 934/2011, 946/2011 और 940/2011 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

2. चूँकि समस्त एल॰ पी॰ ए॰ एक ही निर्णय से उद्‌भूत होती हैं, उन्हें साथ सुना जा रहा है और एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. प्रत्यर्थी रिट याची का मामला यह है कि भूतपूर्व जमीन्दार लाल हरक नाथ सहदेव मौजा हजाम, थाना सं॰ 281 और मौजा खरसीदगा, थाना सं॰ 326 से गठित भूमि के विभिन्न टुकड़ों को धारण कर रहा था। भूतपूर्व जमीन्दार लाल हरक नाथ सहदेव ने अपने पौत्र और सम्यक रूप से गठित मुख्तारनामा धारक अर्थात् किस्टो काली नाथ सहदेव के माध्यम से दिनांक 9.9.1947 के स्थायी बंदोबस्ती के रजिस्टर्ड विलेख द्वारा किसी डॉ॰ शिवशंकर सहाय श्रीवास्तव के पक्ष में स्थायी रैयती बंदोबस्ती प्रदान किया। पूर्वोक्त बंदोबस्ती

के आधार पर, उक्त डॉ॰ शिवशंकर सहाय श्रीवास्तव भूमि पर काबिज हुआ और लगान रसीदों के प्रदान के विरुद्ध भूतपूर्व जमीन्दार को लगान का भुगतान किया और दिनांक 6.8.1971 के बँटवारा विलेख द्वारा डॉ॰ शिवशंकर सहाय श्रीवास्तव के परिवार में पारिवारिक बँटवारा हुआ और डॉ॰ शिवशंकर सहाय श्रीवास्तव के पक्ष में बंदोबस्त की गयी भूमि उसके सात पुत्रों अर्थात् (1) गौरी शंकर सहाय, (2) रवि शंकर सहाय, (3) तारा शंकर सहाय, (4) हरिशंकर सहाय, (5) विनय शंकर सहाय, (6) प्रेम शंकर सहाय और (7) बिपिन बिहारी सहाय के बीच बाँटी गयी थी।

4. पूर्वोक्त सात पुत्रों के आवंटित हिस्सा के मुताबिक नामांतरण केस सं॰ 52R 27/1976-77b दाखिल किया गया था और दिनांक 11.10.1976 के आदेश द्वारा तत्कालीन अंचलाधिकारी ने डॉ॰ शिव शंकर सहाय के सात पुत्रों के पक्ष में प्रदान किया गया नामांतरण दर्शाते हुए पृथक नामों में नामांतरण अनुज्ञात किया। सात पुत्रों में से गौरी शंकर सहाय, तारा शंकर सहाय और विनय शंकर सहाय ने दिनांक 28.6.1995 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के निबंधनों द्वारा किसी शरद कुमार मोदी को 13.72 एकड़ भूमि बेच दिया। तत्पश्चात, शरद कुमार मोदी ने नामांतरण के लिए आवेदन दिया जिसे दिनांक 20.3.2003 के आदेश द्वारा अनुज्ञात किया गया था। रिट याची ने दिनांक 3.1.2008 के तीन विक्रय विलेखों द्वारा भूमि खरीदा जो विवाद्यक का विषयवस्तु है। रिट याची–प्रत्यर्थी ने नामांतरण के लिए तीन आवेदन दाखिल किया और दिनांक 31.3.2008 के आदेश द्वारा अंचल अधिकारी ने खाता सं॰ 45 के अधीन भूमि के संबंध में नामांतरण आवेदन अस्वीकार कर दिया।

5. अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, रिट याची–प्रत्यर्थी ने भू–सुधार उप–समाहर्त्ता राँची (इसमें इसके बाद एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ कहा गया) के समक्ष नामांतरण अपीलों को दाखिल किया। दिनांक 1.7.2008 के आदेश द्वारा एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ ने अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त कर दिया और खाता सं॰ 75, 85 और 45 के संबंध में अर्थात् पूर्वोक्त 41 एकड़ भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी के पक्ष में नामांतरण अनुज्ञात किया गया था।

6. प्रत्यर्थी के पक्ष में 41 एकड़ भूमि के नामांतरण के संबंध में की गयी जाँच के दौरान अनेक अवैधताएँ और अनियमितताएँ प्रकाश में आयी और अंचलाधिकारी ने उपायुक्त, राँची के समक्ष नामांतरण पुनरीक्षण सं॰ 63, 64 और 65R15/2009-10 दाखिल किया। दिनांक 17.2.2010 के आदेश द्वारा उपायुक्त ने दिनांक 1.7.2008 का एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ का आदेश स्थगित करते हुए पुनरीक्षण आवेदनों को अनुज्ञात किया। उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए रिट याची–प्रत्यर्थी ने WP(C) No. 2693, 2715 एवं 2713 वर्ष 2010 दाखिल किया। उक्त रिट याचिकाओं को यथाशीघ्र प्रत्यर्थी के पुनरीक्षण आवेदनों को निपटाने का निर्देश उपायुक्त को देते हुए निपटायी गयी थी। तत्पश्चात् उपायुक्त ने पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया और दिनांक 1.7.2008 का आदेश अपास्त कर दिया। उपायुक्त, राँची द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर रिट याची प्रत्यर्थी ने तीन रिट याचिकाओं डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 934, 940 और 946/2011 दाखिल किया।

7. अपीलार्थी–झारखंड राज्य ने प्रति शपथ पत्र और पूरक प्रतिशपथ पत्र यह प्रतिवाद करते हुए दाखिल किया कि प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल रिट याचिकाएँ तथ्यों के विवादित प्रश्नों को अंतर्ग्रस्त करती हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थी झारखंड राज्य के अनुसार, चूँकि मूल बंदोबस्ती दिनांक 9.9.1947 को प्रदान की गयी थी, उक्त अंतरण सरकार को हानि कारित करते हुए अथवा उच्चतर मुआवजा प्राप्त करने के लिए क्योंकि बंदोबस्ती कट–ऑफ तिथि अर्थात् दिनांक 1.1.1946 के बाद की गयी थी, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधानों को विफल करने के लिए किया गया था और इसलिए यह बंदोबस्ती के निरसन के लिए बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (h) के अधीन कार्यवाही आरंभ करने के लिए सुयोग्य मामला था। यह

प्रतिवाद भी किया गया था कि दिनांक 3.1.2008 के विक्रय विलेखों द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा भूमि की खरीद खाता सं॰ 45 और खाता सं॰ 85 की भूमि को हड़पने के लिए की गयी थी जो गैर मजरुआ मालिक भूमि थी और खाता सं॰ 75 की भूमि को भी हड़पने के लिए की गयी थी जो कैमी नाम में थी। यह प्रकथन किया गया था कि प्रत्यर्थी ने अभिलेख पर किसी दस्तावेज को नहीं लाया था कि किस प्रकार प्रत्यर्थी ने 3.91 एकड़ मापवाली कैमी भूमि का दावा किया जिसे बुधन लोहार के नाम में दर्ज किया गया था। अपीलार्थी झारखंड राज्य के अनुसार अनुसूचित जनजाति की भूमि का अंतरण छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46 द्वारा हिट होता है।

8. परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर विचार करने पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 10.4.2012 के एक ही आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि एल॰ आर॰ डी॰ सी, ने समस्त प्रासंगिक तथ्यों को विचार में लिया था और इस निष्कर्ष पर आए कि एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ ने सही प्रकार से प्रत्यर्थी के नाम में नामांतरण कार्यवाही का आदेश दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि नामांतरण न्यायालय के पास अत्यन्त सीमित अधिकारिता है और इसे केवल संपत्ति के हक एवं कब्जा की सादृश्यता देखना है और नामांतरण कार्यवाही की गुंजाइश को अनदेखा करते हुए उपायुक्त ने हक एवं कब्जा के प्रश्न पर विचार किया है और उन निष्कर्षों पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपायुक्त द्वारा पारित आदेश अपास्त कर दिया और नामांतरण अपील सं॰ 31, 32 और 33R15/2008-09 में एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ द्वारा पारित आदेश पुनर्स्थापित कर दिया।

9. रिट न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यत: चार निम्नलिखित प्रतिवाद किया है:–

- *o"k 1947 e cnkcLrh fnukd 1.1.1946 d ij gku d ukr fcgkj Hkfe lèkkj vfèkfu;e] 1950 dh èkkjk 4 (h) }kjk fgV gkrh g vkj bl ugh fd;k tk ldrk gA*

- *41 ,dM Hkfe e l 1/.34 ,dM Hkfe cdLr çÑfr dh g] 36.01 ,dM Hkfe xj et#vk çÑfr dh g vkj 3.91 ,dM Hkfe deh çÑfr dh g vkj NkVkukxij vfHkèkfr vfèkfu;e] 1908 dh èkkjk 46 d vèkhu xj&vkfnokl h@xj&fiNMk ox dk Hkfe vrfjr dju ij vulfpr tutkfr@fiNM oxk ij i.k otuk gA*

- *çR;Fkh }kjk nkf[ky ukekrj.k vkonu fcgkj vfHkèkkjh èkfr (vfHky[kk dk j[k&j[kko) vfèkfu;e] 1973 d çkoèkkuk d vèkhu fcYdy ik"k.kh; ugh gA*

- *ukekrj.k dk ç;ktu doy tkjh [kfr;ku e çfof"V;k d ifjoru vkj jktLo d lxg.k d fy, g vkj u fd vfHkfyf[kr 0;fDr d çfrdy nkok tl ijLij fojkèkh nkok] fooknk dk lekèkku dju d fy,A*

10. प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि प्रत्यर्थी ने डॉ॰ शिव शंकर सहाय श्रीवास्तव के पुत्रों से संपत्ति खरीदा और नामांतरण पहले भूतपूर्व जमींदार के नाम में प्रभावकारी बनाया गया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (h) भिन्न संदर्भ में अधिनियमित की गयी थी और यह निवेदन भी किया कि प्रत्यर्थी ने अपने नाम में नामांतरण के लिए आवेदन दिया और अंचलाधिकारी ने कतिपय भूखंड संख्याओं का नामांतरण अनुज्ञात किया किंतु खाता सं॰ 75, 85 और 45 के संबंध में नामांतरण मनमाने रूप से अस्वीकार कर दिया। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि जब समस्त दस्तावेज समय के बिंदु में पूर्ववर्ती थे, 60-70 वर्षों बाद अपीलार्थी राज्य को यह प्रतिवाद करना शोभा नहीं देता है कि खाता सं॰ 75, 85 एवं 45 के अधीन भूमि कैमी भूमि है और नामांतरण नहीं किया जा सकता है।

11. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है।

12. प्रत्यर्थी प्रतिवाद करता है कि उन्होंने सुरेश कुमार सरावगी, राज कुमार टिबरेवाल और शरद कुमार मोदी से संपत्ति खरीदा। अनेक विक्रय विलेखों, जिनके अधीन प्रत्यर्थी ने विवादित भूमि खरीदा, का विवरण निम्नलिखित है:–

^,y0 ih0 ,0 l0 103/2013 (MCY;0 ih0 (lh0) l0 934/2011 rFkk fnukd 10.4.2012 d fu.k; l mnHkr)

jftLVM foØ; foy[k l0 91 fnukd 3.1.2008.

foØrk&lj'k dekj ljkoxh

ग्राम	खाता सं॰	पी॰ एस॰ सं॰	भूखंड सं॰	क्षेत्र
हजाम	75	281	26	1.46 एकड़
हजाम	75	281	29	2.45 एकड़
			कुल	3.91 एकड़

^,y0 ih0 ,0 l0 104/2013 (MCY;0 ih0 (lh0) l0 936/2011 vkj fnukd 10.4.2012 d fu.k; l mnHkr)

jftLVM foØ; foy[k l0 92 fnukd 3.1.2008.

foØrk&jkt dekj fVcjoky

ग्राम	खाता सं॰	पी॰ एस॰ सं॰	भूखंड सं॰	क्षेत्र	भूमि की प्रकृति
हजाम	85	281	1	2.63 एकड़	गैरमजरुआ मालिक
हजाम	85	281	30	3.11 एकड़	गैरमजरुआ मालिक
हजाम	45	281	3	1.34 एकड़	गैरमजरुआ मालिक
हजाम	45	281	551	6.64 एकड़	गैरमजरुआ मालिक
			कुल	13.72 एकड़	

,y0 ih0 ,0 l0 105/2013 (MCY;0 ih0 (lh0) l0 940/2011 vkj fnukd 10.4.2012 d fu.k; l mnHkr)

jftLVM foØ; foy[k l0 90 fnukd 3.1.2008.

foØrk&'kjn dekj eknh

ग्राम	खाता सं॰	पी॰ एस॰ सं॰	भूखंड सं॰	क्षेत्र
हजाम	45	281	49	1.00 एकड़
हजाम	45	281	551	2.45 एकड़
			कुल	3.45 एकड़

13. प्रत्यर्थी ने मुख्यत: किसी डॉ॰ शिवशंकर सहाय श्रीवास्तव के पक्ष में दिनांक 9.9.1947 के बंदोबस्ती तक अपने हक एवं कब्जा को ट्रेस किया। अपीलार्थी राज्य का प्रतिवाद यह है कि डॉ॰ शिव

शंकर सहाय श्रीवास्तव के पक्ष में किया गया दिनांक 9.9.1947 का उक्त बंदोबस्ती विलेख बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (h) के प्रावधान द्वारा हिट होता है क्योंकि उक्त बंदोबस्ती बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के उद्देश्य को विफल करने के लिए की गयी थी।

14. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 का उद्देश्य ऐसे हितों के बंधकदारों और पट्टेदारों की भूमि में स्वत्वधारियों और भू-धृतिधारकों के हित को राज्य को अंतरण प्रदान करने के लिए आशयित है, जैसा अधिनियम की प्रस्तावना में उपदर्शित किया गया है। धारा 4 (a) के मुताबिक, ऐसी संपदा अथवा भूधृति समस्त विल्लंगमों से मुक्त पूर्णत: राज्य में निहित होगी। दिनांक 1.1.1946 के बाद किया गया कोई अंतरण वैध नहीं है।

15. वर्ष 1950 के अधिनियम की धारा 4 (h) के निबंधनानुसार, ऐसी संपदा अथवा भूधृति से गठित किसी भूमि की बंदोबस्ती अथवा पट्टा सहित किसी अंतरण के संबंध में समाहर्ता को जाँच करने की शक्ति होगी क्योंकि दिनांक 1.1.1946 के बाद किया गया कोई अंतरण अथवा बंदोबस्ती वैध संव्यवहार नहीं है। समाहर्त्ता को ऐसी संपदा से गठित किसी भूमि की बंदोबस्ती अथवा पट्टा सहित किसी अंतरण के संबंध में जाँच करने की शक्ति होगी।

16. प्रत्यर्थी द्वारा विश्वास किया गया बंदोबस्ती विलेख दिनांक 9.9.1947 का है। अपीलार्थी राज्य के अनुसार, दिनांक 9.9.1947 की मूल बंदोबस्ती बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधान को विफल करने के लिए की गयी है और इसलिए, यह बंदोबस्ती के निरसन के लिए बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (h) के अधीन कार्यवाही आरंभ करने के लिए सुयोग्य मामला है और प्रत्यर्थी ने यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि खाता सं॰ 75, 85 और 45 के अधीन रैयती बंदोबस्ती थी।

17. पुनरीक्षण आदेश में उपायुक्त, राँची ने संप्रेक्षित किया कि विषय बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (h) से संबंधित है और दिनांक 9.9.1947 की बंदोबस्ती को नामांतरण प्रभावकारी बनाने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। उपायुक्त ने लाल हरकनाथ सहदेव के पौत्र के मुख्तारनामा के अधीन बंदोबस्ती के संबंध में भी कतिपय संप्रेक्षण किया है।

18. प्रश्न कि क्या दिनांक 9.9.1947 का भूमि बंदोबस्ती विलेख, जो कट-ऑफ-तिथि अर्थात् दिनांक 1.1.1946 के पश्चात का है, वैध संव्यवहार है और क्या उक्त भूमि रैयती बंदोबस्ती बन गयी है, तथ्यों के विवादित प्रश्न हैं और तथ्यों के इन विवादित प्रश्नों को नामांतरण कार्यवाही में विनिश्चित नहीं किया जा सकता है और कब्जा की प्रकृति पर विचार किए बिना नामांतरण प्रभावकारी नहीं बनाया जा सकता है।

19. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि हक के विवरण पर विचार करने के लिए नामांतरण न्यायालय के पास अत्यन्त सीमित गुंजाइश है और इसे केवल संपत्ति के हक और कब्जा की सदृश्यता देखना है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे अभिनिर्धारित किया कि संदर्भ के प्रति प्रासंगिक विधि के प्रावधानों के सच्चे अर्थ से अवगत हुए बिना उपायुक्त ने हक और कब्जा के संबंध में अनेक संप्रेक्षण किया है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपायुक्त द्वारा पारित आदेश अपास्त कर दिया है।

20. प्रत्यर्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नामांतरण कार्यवाही केवल राजस्व के संग्रहण के प्रयोजन से है और उपायुक्त हक के प्रश्न पर विचार करने में सही नहीं थे और इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही प्रकार से उपायुक्त द्वारा पारित आदेश अपास्त कर दिया है।

21. यह विवादित नहीं है कि नामांतरण के संबंध में आदेश केवल कब्जा के आधार पर पारित किया जाना होगा क्योंकि संबंधित प्राधिकारी हक के ऐसे विवादित और जटिल प्रश्न को विनिश्चित नहीं कर सकता है। हमारा दृष्टिकोण यह भी है कि नामांतरण कार्यवाही में अंचलाधिकारी/एल॰ आर॰ डी॰ सी॰/उपायुक्त से अचल संपत्ति में हक और स्वत्वधारी अधिकार को विनिश्चित करने की उम्मीद इस कारण से नहीं की जाती है कि नामांतरण कार्यवाही मात्र राजकोषीय जाँच की प्रकृति की है और राजस्व के संग्रहण के प्रयोजन से है जिन्हें यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से राज्य के हित में संस्थित किया गया है कि अनेक दावेदारों में से प्रत्येक अधिभोग में है।

22. निश्चय ही, उपायुक्त, राँची ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में कतिपय संप्रेक्षण किया है। इस विधिक प्रतिपादना के संबंध में विवाद नहीं है कि नामांतरण कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही नहीं है और ऐसी कार्यवाही में अधिकार, हक एवं हित विनिश्चित नहीं किया जा सकता है। यह केवल राजस्व के संग्रहण के प्रयोजन से राजकोषीय जाँच है।

23. साथ ही, 2005 (1) JLJR 1 **(झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम अर्जुन दास)** के तहत, अंचलाधिकारी और उपायुक्त को साक्ष्य जिसके आधार पर अपीलार्थी कब्जा का दावा कर रहा है, पर विचार करने से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है कि ऐसा न हो कि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 और बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के उद्देश्य विफल हो जायें।

24. जैसा पहले इंगित किया गया है, प्रत्यर्थी ने दिनांक 9.9.1947 के बंदोबस्ती विलेख, डॉ॰ शिवशंकर सहाय श्रीवास्तव के परिवार में बँटवारा और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से हक ट्रेस किया। डॉ॰ सहाय और किसी श्री सरावगी के उत्तराधिकारियों के नामांतरण के आदेश क्रमशः दर्शाते हैं कि वे डॉ॰ शिवशंकर सहाय पर हक के न्यागमन का वैध आदेश नहीं दर्शाते हैं जिसे दिनांक 9.9.1947 को किए गए बंदोबस्ती के आधार पर न्यागत होता बताया गया है जिसे हरक नारायण सहदेव के अभिकथित मुख्तारनामा धारक के माध्यम से किया गया था।

25. नामांतरण पुनरीक्षण केस में पृष्ठ 68 (iii) से (v) पर रिट याची द्वारा किए गए लिखित निवेदन का परिशीलन भी इस प्रतिवाद के समर्थन में किसी दस्तावेज को प्रकट करने में विफल है कि जमीन्दार श्री हरक नारायण सहदेव से डॉ॰ सहाय के पक्ष में हक संक्रांत हुआ और कि कब डॉ॰ सहाय सांविधिक अभिधारी बन गए। किसी दस्तावेज की अनुपस्थिति में, यह प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है कि उपायुक्त ने हक की कमी के संबंध में कतिपय संप्रेक्षण करने में अधिकारिता के परे गए।

26. रिट याचिका में आक्षेपित उपायुक्त का आदेश इसे भी विचार में लेता है कि एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ ने अंचलाधिकारी का आदेश, जिसके अधीन भूखंड सं॰ 45, 75 और 85 वाले तीन भूखंडों के संबंध में नामांतरण अस्वीकार दिया गया था, निरसित करने के पहले राज्य पर कोई नोटिस जारी नहीं किया था। यह इस तथ्य पर भी गौर करता है कि डॉ॰ सहाय के पक्ष में किए गए ऐसी स्थायी बंदोबस्ती के तत्कालीन जमीन्दार के रिटर्न का प्रमाण नहीं दिया गया है। रिट याचिका में भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है। ऐसा होने के चलते विद्वान एकल न्यायाधीश उपायुक्त के आदेशों को अपास्त करने में सही नहीं थे।

27. प्रत्यर्थी के अनुसार, भूमि मूलतः भूतपूर्व जमीन्दार लाल हरक नाथ सहदेव के नाम में थी। जैसा पहले इंगित किया गया है, प्रत्यर्थी अपने प्रतिवाद के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रकट करने में विफल रहा कि डॉ॰ शिवशंकर सहाय के पक्ष में हक संक्रांत हुआ। अपीलार्थी राज्य के अनुसार, तीन नामांतरण

आवेदनों में अंतर्ग्रस्त कुल भूमि 41 एकड़ है जिसमें से 1.34 एकड़ भूमि बकस्त प्रकृति की है, 36.01 एकड़ भूमि गैर मजरुआ प्रकृति की है और 3.91 एकड़ भूमि कैमी प्रकृति की है जो बुधन लोहार के नाम में है।

28. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46 अनुसूचित जनजाति द्वारा गैर–आदिवासी को भूमि का अंतरण निषिद्ध करती है और इसलिए, प्रत्यर्थी नामांतरण कार्यवाही इप्सित नहीं कर सकता है। अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46 (3) का पठन निम्नलिखित है:–

*^^flfoy] nkfMd vFkok jktLo vfèkdkfjrk d ç;kx e fdlh U;k;ky; }kjk mièkkjk (1) d mYy?ku e vrj.k dk oèk d :i e nt ugh fd;k tk,xk vFkok fdlh :i e ekU;rk ugh nh tk,xhA***

29. छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46 की उपधारा (3) स्पष्टतः प्रावधानित करती है कि गैर–आदिवासी के पक्ष में अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा भूमि का अंतरण दर्ज नहीं किया जाएगा और भले ही छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46 (1) के उल्लंघन में ऐसा अंतरण किया जाता है, इसे विधि के किसी न्यायालय द्वारा वैध के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। धारा 46 (1) (b), परन्तुक (a) और (b) के निबंधनानुसार, अधिभोगी रैयती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, जो अनुसूचित जनजाति का है और उसी पुलिस थाना के क्षेत्र का निवासी है जिसके भीतर धृति अवस्थित है, को भूमि अंतरित करने के लिए उपायुक्त की पूर्वानुमति आवश्यक है और जब गैर–आदिवासी के रूप में आदिवासी की भूमि का अंतरण विधि में निषिद्ध है, तब अवैध अंतरण के आधार पर गैर–आदिवासी द्वारा भूमि के कब्जा को मान्यता नहीं दी जा सकती है। अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46 के प्रावधानों के उल्लंघन में गैर–आदिवासी के पक्ष में अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा संव्यवहार के संबंध में नामांतरण कार्यवाही के प्रश्न पर विचार करते हुए इस न्यायालय की खंडपीठ ने **झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम अर्जुन दास**, 2005 (1) JLJR 1 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

*"21. oreku ekey ij vkr g,] tlk mij xkj fd;k x;k g] vpykfèkdkjh }kjk bl vkèkkj ij ukekrj.k vLohdkj dj fn;k x;k Fkk fd ;kph u lhO ,uO VhO vfèkfu;e dh èkkjk 46 d mYy?ku e vulfpr tutkfr d lnL; l Hkfe [kjhnk FkkA ;fn ,lk g] vfèkfu;e d çkoèkkuk d mYy?ku e ;kph d i{k e vulfpr tutkfr d lnL; }kjk Hkfe dk vrj.k Lo; e voèk] 'kU; ,o vÑr g vkj [kjhnnkj u mDr Hkfe d mij vfèkdkj] gd vkj fgr vftr ugh fd;k gA ,lh ifjfLFkfr;k e] Hky gh [kjhnnkj lhO ,uO VhO vfèkfu;e d çkoèkkuk d mYy?ku e vulfpr tutkfr d lnL; }kjk vrj.k d QyLo#i vkfnokl h Hkfe ij dkfct gvk g] ,l vrfjrh d dCtk dk fofèk d fdlh U;k;ky; }kjk ekU;rk ugh nh tk ldrh gA vr%] vpykfèkdkjh jktLo vfHky[k l vFkok vpykfèkdkjh dk;ky; }kjk j[k x, jftLVj II l vkfnokl h dk uke foykfir djd [kjhnnkj d uke dk çfo"V dju l budkj dj ldrk gA***

30. अपीलार्थी के अनुसार, खाता सं० 75 एवं 85 के अधीन भूमि गैरमजरुआ भूमि है और खाता सं० 45 कैमी भूमि है जैसा सर्वे खतियान में उपदर्शित किया गया है जिसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य लंगरा लोहार के नाम में दर्ज किया गया था और अधिभोगी रैयत जो अनुसूचित जनजाति का है द्वारा गैर–अनुसूचित को कोई अंतरण छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46 (3) द्वारा हिट होता है। अपीलार्थी के अनुसार, विवादित भूमि का खाता सं० 75 कैमी भूमि है। अपीलार्थी का प्रतिवाद यह है

कि यह दर्शाने के लिए दस्तावेज नहीं है कि सम्यक रूप से गठित मुख्तारनामा धारक अर्थात् किस्टो काली नाथ सहदेव को स्थायी रैयती बन्दोबस्ती प्रदान की गयी थी।

31. अपने आदेश में, उपायुक्त ने कतिपय संप्रेक्षण किया है कि भूतपूर्व जमीन्दार की 41 एकड़ भूमि में से केवल 1.34 एकड़ भूमि बकस्त भूमि है जबकि पूरे मामले में कुल सरकारी गैर मजरुआ भूमि 36.01 एकड़ थी और 3.91 एकड़ भूमि आदिवासी भूमि है और बंदोबस्ती विलेख केवल गैर मजरुआ भूमि और आदिवासी भूमि भी हड़पने का प्रयास है। उपायुक्त के वे संप्रेक्षण केवल एल० आर० डी० सी० के आदेश की शुद्धता का परीक्षण करने के प्रयोजन से दस्तावेजों पर विचार करने के संदर्भ में है। हमारे सुविचारित मत में, ये संप्रेक्षण हक विनिश्चित करने के तुल्य नहीं होंगे और उपायुक्त को नामांतरण कार्यवाही के परे जाता नहीं कहा जा सकता है।

32. जब गैर–आदिवासी के पक्ष में आदिवासी की भूमि का अंतरण विधि में निषिद्ध है, तब अवैध अंतरण के आधार पर गैर–आदिवासी के कब्जा को मान्यता नहीं दी जा सकती है और 2005 (1) JLJR 1 में प्रकाशित निर्णय में अधिकथित निर्णयाधार पूरी तरह लागू होता है।

33. AIR 1996 SC 2306 (नित्यानंद शर्मा एवं एक अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) पर विश्वास करते हुए विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि लोहार 'अन्य पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जनजाति नहीं है और इसलिए, भूतपूर्व जमीन्दार लाल हरक नाथ सहदेव के पक्ष में मूल संव्यवहार छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46 (3) द्वारा हिट नहीं होता है।

34. छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46 (1) (b) के परन्तुक (b) के सावधानीपूर्वक पठन पर यह देखा जाता है कि अधिभोगी रैयत, जो अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, दूसरे व्यक्ति, जो अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग है और उसी पुलिस थाना का निवासी है जिसके अधीन धृति अवस्थित है, को केवल उपायुक्त की पूर्वानुमति से भूमि अंतरित कर सकता है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर प्रयोज्य निर्बंधन समान रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्य पर प्रयोज्य है। अत:, प्रत्यर्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता का प्रतिवाद प्रत्यर्थी के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

35. प्रश्न कि क्या डॉ० शिव शंकर सहाय श्रीवास्तव के पक्ष में दिनांक 9.9.1947 का अभिकथित बंदोबस्ती विलेख बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (h) द्वारा हिट होता है और छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46 (3) द्वारा भी हिट होता है और इस आधार पर इसका विरोध किया गया है और क्या ऐसे अवैध अंतरण के आधार पर अभिकथित कब्जा को मान्यता दी जा सकती है, गंभीर प्रश्न हैं जिन्हें समुचित फोरम में विनिश्चित किया जाना है जहाँ पक्षगण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दे सकते हैं। जहाँ किसी संव्यवहार को अवैध के रूप में और बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (h) और छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 46 (3) के प्रावधानों के अधीन हिट होने के कारण चुनौती दी जाती है, नामांतरण प्रभावकारी नहीं बनाया जा सकता है।

36. अपीलार्थी राज्य द्वारा उठाए गए प्रतिवादित विवाद्यकों की प्रकृति को ध्यान में लेकर उपायुक्त, राँची ने सही प्रकार से एल० आर० डी० सी० के आदेश को अपास्त कर दिया और अंचलाधिकारी का आदेश पुनर्स्थापित किया। प्रतिशपथ पत्र और पूरक शपथ पत्र दोनों में अपीलार्थी राज्य द्वारा उठाए गए विवादास्पद विवाद्यकों पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश

उपायुक्त, राँची के आदेश में हस्तक्षेप करने में सही नहीं थे और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 10.4.2012 का आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने का दायी है।

37. डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 934/2011, 946/2011 और 940/2011 में पारित दिनांक 10.4.2012 का आदेश अपास्त किया जाता है और इन एल॰ पी॰ ए॰ को अनुज्ञात किया जाता है। अंचलाधिकारी के दिनांक 31.3.2008 के आदेश को संपुष्ट करता हुआ उपायुक्त, राँची का आदेश पुनर्स्थापित किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

श्रीमती जुलू मोंडल

cuke

दामोदर घाटी निगम एवं अन्य

W.P. (S) No. 3378 of 2013. Decided on 12th November, 2013.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक आवेदन के मामले में।

दामोदर घाटी निगम सेवा विनियमन, 1983—विनियम 96 एवं 98—कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा से हटाया जाना–उन्नीस वर्ष बीतने के बाद जाँच आरंभ की गयी–परिवादीगण का बयान नहीं दर्ज करने के लिए विभाग द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया–याची को परिवादीगण का प्रति-परीक्षण करने का अवसर नहीं था–याची के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए विभाग द्वारा अभिलेख पर साक्ष्य नहीं लाया गया–ऐसे मामलों में जिनमें सेवा से हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है जाँच करने का विभाग का विनिर्दिष्ट कर्तव्य था–आक्षेपित आदेशों को अभिखंडित किया गया–याची पूर्ण पिछली मजदूरी के साथ सेवा में पुनर्बहाली की हकदार होगी। (पैराएँ 10 से 15)

निर्णयज विधि.–1990 (Supp.) SCC 738; (2006) 5 SCC 88; (2010) 2 SCC 772; 2013 (11) Scale 268—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Sudarshan Shrivastava, For the Petitioner; Mr. S.K. Ughal, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–याची दिनांक 28.2.2011 के दंड के आदेश और दिनांक 6.1.2012 के अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के पास आयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची को दिनांक 8.2.1989 को महिला मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 25.6.2008 को याची पर इस अभिकथन पर आरोप मेमो तामील किया गया था कि उसने कूटरचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करके नियुक्ति प्राप्त किया था। याची ने दिनांक 31.7.2008 को अपना उत्तर दाखिल किया। जाँच आरंभ की गयी थी और दिनांक 26.10.2010 की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। दिनांक 31.12.2010 का द्वितीय कारण बताओ नोटिस याची पर तामील किया गया था और चूँकि द्वितीय कारण बताओ नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया था, दिनांक 28.2.2011 को सेवा से हटाने का दंड पारित किया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 6.1.2012 के आदेश द्वारा याची द्वारा दाखिल अपील खारिज कर दिया।

3. निम्नलिखित कथन करते हुए प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया है:–

"8. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd frykd ekUMy] xke v;kè;k] ih0 vk0 xfu;kjk] ih0 ,l0 furfj;k] ftyk i#fy;k dk fuoklh] Hkfe [kku okyk Fkk] mldh Hkfe fcgkj ljdkj }kjk nkeknj ?kkVh fuxe] ipr ifj;ktuk d fy, vftr dh x;h Fkh vkj og foLFkkfir 0;fDr FkkA frykd ekMy d nk i= vFkkr rkjkin ekUMy vkj ';kein ekMy Fk vkj lkr if=;k vFkkr Hkkjrh ekMy] jkfèkdk ekMy] ty ekMy] ik# ekMy] lè;k ekMy] ekt ekMy vkj cèk ekMy FkhA

9. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd oreku fjV vkonu dh ;kph u Lo0 çokl ekMy fuoklh xke rycfj;k] ih0 ,l0 ipr (fpjdMk)] ftyk èkuckn d i= èkhju ekMy d lkFk fookg fd;kA

10. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd èkhju ekMy u Lo; dk frykd ekMy d i= d :i e n'kkr g, foLFkkfir 0;fDr;k dh lph e fu;ktu d fy, nkeknj ?kkVh fuxe iuy e >B ,o eux<r nLrkotk d vkèkkj ij rkfRod rF;k dk ncku d fy, viuk uke i"Bkfdr fd;k vkj mldk uke iuy d Øekd 33 ij FkkA

11. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd èkhju ekMy dh eR; ij ;kph Lo; dk frykd ekMy dh cg d :i e] ;|fi og frykd ekMy dh rhljh fookfgr i=h Fkh] n'kkr g, >B ,o eux<r nLrkotk d vkèkkj ij diViod rkfRod rF;k dk nckr g, nkeknj ?kkVh fuxe e fu;ktu dju e lQy jghA

12. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd ;kph d lx Hkkb;k vFkkr rkjkin ekMy vkj ';kein ekMy] i= frykd ekMy] u fnukd 8.5.2007 dk vè;{k] nkeknj ?kkVh fuxe] dkydkrk dk vkj fnukd 12.6.2007 dk e[; fuxjkuh vfèkdkjh] nkeknj ?kkVh fuxe] dkydkrk dk fyf[kr ifjokn fn;kA nkuk ifjokn ;kfpdk, vR;Ur Li"V g vkj ifjokn ;kfpdk d vkèkkj ij ;kph d fo#) foHkkxh; tkp dk;okgh vkjHk dh x;h FkhA

13. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd ;kph dk dfri; 'kr ij xi ^^C** e fnukd 9.2.1989 d i= l0 PL/DDP/Panchet/518 d rgr fu;fDr çLrko fn;k x;k FkkA fu;fDr çLrko d [kM 4 ij 'krk e l ,d dk iBu fuEufyf[kr g% ^^vkidk ifjoh{kk ij fu;Dr dju dk fu.k; vkid }kjk of.kr Hkfedk e fn, x, lpuk ij vkèkkfjr g] bl çdkj vkir dh x;h fdlh lpuk xyr ik, tku dh fLFkfr e vkidk fu;ktu dkb Hkh dkj.k fn, fcuk lekIr dj fn;k tk,xkA

14. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd nkeknj ?kkVh fuxe dk ;kph d fo#) rkjkin ekMy vkj ';kein ekMy dk ifjokn iku d ckn dkjikjV vkfQl u ;kph dk dkj.k crkvk vkfn tkjh djd dk;okgh vkjHk dju dk vun'k tkjh fd;kA

15. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd l{ke çkfèkdkjh u ;kph dk dkj.k crkvk tkjh fd;k vkj rRi'pkr mÙkj dh çkfIr ij vkj bl vlr"V gkdj foHkkxh; dk;okgh vkjHk dh x;h FkhA ;kph u foHkkxh; dk;okgh e viuk cpko dju d fy, viu cpko e Jh ,p0 ch0 ekMy dk fu;Dr fd;k vkj çR;Fkhx.k u ;kph dk nLrkot çLrr djd vkj ekf[kd lk{; ndj viuk ekey dk cpko dju dk i.k volj fn;kA

16. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd e[; fuxjkuh vfèkdkjh] nkeknj ?kkVh fuxe] dkydkrk] çfr% fun'kd (,p0 vkj0 Mh0) vkj lfpo] nkeknj ?kkVh fuxe] dkydkrk dk lckfèkr fnukd 12.6.2007 dh ifjokn ;kfpdk rkfRod rF;k dk çdV djrh gA fnukd 11.4.1983 dk cxkxkfj;k xke ipk;r d ef[k;k dk çek.k i= vkj fujlk] èkuckn d MkO thO lhO dM dk çek.k i= çdV djrk g fd èkhju ekMy] i= çokl ekMy xke rycfj;k] ihO ,lO ipr (fpjdMk)] ftyk èkuckn dk fuoklh g ftldk ngkUr fnukd 11.4.1983 dk gk x;k vkj ;g ;kph d lli.k nLrkot vkj c;ku dk >Bk Bgjkrk gA ;kph èkhju ekMy dh iRuh g vkj èkhju ekMy çokl ekMy dk i= g vkj u fd rycfj;k] ihO ,lO ipr] ftyk èkuckn dk fuoklh frykd ekMy dk i= g vkj xke v;kè;k] ihO ,lO uVfj;k] ftyk i#fy;k] if'pe cxky dk fuoklh ugh gA

17. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd uVfj;k ç[kM d ç[kM fodkl vfèkdkjh u fnukd 31.12.2007 d eek lO 1491 d rgr lhfu;j fMfotuy bthfu;j (lhO)] nkeknj ?kkVh fuxe] ipr dk i= tkjh fd;k fd xke v;kè;k] ihO vkO xfjvjk] ihO ,lO uVfj;k d frykd ekMy u viu ihN doy nk i=k vFkkr rkjkin ekMy vkj ';kein ekMy] nkuk xke v;kè;k] ihO ,lO uVfj;k] ftyk i:fy;k] if'pe cxky d LoO frykd ekMy d i=] dk NkMk FkkA

*18. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd ;kph u fnukd 2.3.1989 dk nkeknj ?kkVh fuxe e viuk vuçek.ku nkf[ky fd;k ftlse mlu Lo; ?kkf"kr fd;k fd mld ifr dk uke LoO èkhju ekMy vkj firk dk uke frykd ekMy g vkj rRi'pkr fnukd 13.12.1990 dk mlu frykd ekMy dk viu yxHkx 61 o"kh; llj d :i e ?kkf"kr fd;kA***

4. दोनों पक्षों के अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा दामोदर घाटी निगम सेवा विनियमन, 1983 के विनियम 98(2) (f) और (g) में अंतर्विष्ट विनिर्दिष्ट प्रावधान का अनुसरण नहीं किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि यद्यपि परिवादीगण अर्थात् तारापद मोंडल और श्यामपद मोंडल, जिनके कहने पर याची के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था, जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए किंतु, जाँच अधिकारी द्वारा उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था। जाँच रिपोर्ट रहस्यमय और अनुचित है और यह विवेक का इस्तेमाल प्रकट नहीं करती है जहाँ तक घरेलू जाँच में लिए गए साक्ष्य और याची द्वारा किया गया बचाव का संबंध है। घरेलू जाँच में कार्यवाही दामोदर घाटी निगम विनियमन, 1983 के विनियम 98(2) (f) और (g) के उल्लंघन में जारी रखी गयी है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि उक्त नामित दो व्यक्तियों द्वारा किए गए परिवाद के समर्थन में जाँच के दौरान प्रस्तुत एवं सिद्ध किए गए किसी विधिक साक्ष्य की अनुपस्थिति में और वास्तविक तथ्यों को अभिनिश्चित किए बिना याची के विरुद्ध पारित सेवा से हटाने के दंड के आदेश को विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

6. समानान्तर स्तंभ में, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस० के० उघल ने निवेदन किया है कि याची ने कपट किया है और झूठा प्रमाण पत्र दाखिल किया है। परिवादीगण जिन्होंने परिवाद दाखिल किया है, के साक्ष्य में यह आया है कि व्यक्ति अर्थात् तिलोक मोंडल याची का ससुर नहीं था

और याची ने प्राधिकारियों को गुमराह करके नियुक्ति प्राप्त किया था और इसलिए समुचित रूप से गठित विभागीय जाँच करने के बाद दंड का आदेश पारित किया गया है।

7. अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के परिशीलन पर, मैं पाता हूँ कि याची के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित किए गए थे:–

> ***^vuPNn I:*** *fd fu;fDr d le; ij vkiu MkO lgno e[kth] uoxke] ihO vkO fuMhg] ftyk&i#fy;k }kjk tkjh fnukd 30.9.1986 dk LoO èkhju ekMy dk eR; çek.k i= nkf[ky fd;k g ftle LoO èkhju ekMy d firk dk uke LoO frykd ekMy d :i e mfYyf[kr fd;k x;k g*
>
> *(1) tcfd MkO thO lhO dM] fujlk pVVh] èkuckn }kjk fnukd 11.4.1983 dk tkjh vkj LoO frykd ekMy d nkuk i=k }kjk nkf[ky LoO èkhju ekMy d ,d vU; eR; çek.k i= e LoO èkhju ekMy d firk dk uke Jh çokl ekMy d :i e mfYyf[kr fd;k x;k gA rn}kjk viu MhO ohO lhO e fu;ktu iku d fy, >Bk çek.k i= nkf[ky djd çcèku dk xejkg fd;k gA*
>
> ***vuPNn III:*** *fd vkiu LoO èkhju ekMy d firk d uke d lcèk e >Bk nLrkot çLrr djd vkj çcèku dk xejkg djd foLFkkfir dkVk d vèkhu MhO ohO lhO u fu;ktu ik;kA***

8. जाँच के दौरान, जिसमें परिवादीगण को दिनांक 1.2.2010 और दिनांक 23.2.2010 और दिनांक 20.3.2010 को नोटिस जारी किए गए थे, परिवादीगण जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए किंतु, जाँच कार्यवाही के दौरान उनके बयानों को दर्ज नहीं किया गया था। परिवादीगण जिनकी प्रेरणा पर याची के विरुद्ध घरेलू जाँच आरंभ की गयी थी, के बयानों को दर्ज नहीं करने का विभाग द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मैं आगे पाता हूँ कि 19 वर्ष से अधिक बीतने के बाद परिवादीगण की प्रेरणा पर जाँच आरंभ की गयी है जिनके बयानों को जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज भी नहीं किया गया था और इस प्रकार उनका प्रतिपरीक्षण करने के लिए याची के पास अवसर नहीं था।

9. **''म० प्र० राज्य बनाम वाणी सिंह एवं एक अन्य,'' 1990 (Supp) SCC 738** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"4. fnukd fnlcj 16, 1987 d vkn'k d fo#) vihy bl vkèkkj ij nkf[ky dh x;h g fd vfèkdj.k dk ek= foyc vkj f<ykb d vkèkkj ij dk;okgh vfHk[kfMr ugh djuk pkfg, Fkk ge ekey dk x.kkx.k ij fofuf'pr dju d fy, tkp d pyr jgu dh vuefr nuk pkfg, FkkA ge fo}ku vfèkoDrk d bl çfrokn l lger gku e v{ke gA vfu;ferrk,] tk tkp dh fo"k; oLr g] o"k 1975-77 d chp dh x;h crk;h tkrh gA foHkkx dk ekeyk ;g ugh g fd o mDr vfu;ferrkvk ;fn gk l voxr ugh Fk vkj mUg doy o"k 1987 e bldk irk pykA mud vulkj] vfçy] 1977 e gh mDr vfu;ferrkvk e vfèkdkjh dh vrxLrrk d ckj e lng Fkk vkj rc l vUo"k.k py jgk FkkA ;fn ,lk g] ;g lkpuk v;fDr;Dr g fd mUgku foHkkxh; dk;okgh vkjHk dju e ckjg o"k l vfèkd fy;k tlk vfèkdj.k }kjk dFku fd;k x;k gA vkjki eek tkjh dju e vR;fèkd foyc d fy, dkb lrk"ktud Li"Vhdj.k ugh g vkj gekjk nf"Vdk.k ;g Hkh g fd bl pj.k ij foHkkxh; tkp dh vuefr nuk vufpr gkxkA fdlh Hkh fLFkfr e] vfèkdj.k d vkn'k e gLr{ki dju d fy, vkèkkj ugh g vkj rnulkj ge bl vihy dk [kkfjt djr gA***

10. मैं पाता हूँ कि 19 वर्ष बीतने के बाद विभागीय जाँच समुचित नहीं थी विशेषत: इस तथ्य की दृष्टि में कि यह स्थापित करने के लिए कि याची उक्त तिलोक मोंडल की वहु नहीं थी, विभागीय जाँच के दौरान विभाग द्वारा अभिलेख पर विधिक साक्ष्य नहीं लाया गया था। केवल परिवादीगण अर्थात् तारापद मोंडल और श्यामपद मोंडल द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर याची के विरुद्ध विभागीय जाँच आरंभ की गयी थी और निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि याची ने विभाग को गुमराह करके नियुक्ति प्राप्त किया था। जाँच रिपोर्ट ने किसी विवाद्यक पर विचार नहीं किया है और तरीका जिसमें जाँच अधिकारी ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया है जाँच अधिकारी द्वारा विवेक का इस्तेमाल उपदर्शित नहीं करता है। मेरा मत है कि कोई युक्तियुक्त व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकता था कि याची के विरुद्ध आरोप सिद्ध किया गया है। इस निष्कर्ष कि याची के विरुद्ध आरोप सिद्ध किया गया था पर आने के लिए जाँच अधिकारी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया गलत थी।

11. ''एम॰ वी॰ बिजलानी बनाम भारत संघ एवं अन्य'', (2006)5 SCC 88, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"25. ^^;g lR; g fd U;kf;d iufoZ;ykdu e U;k;ky; dh vfèkdkfjrk lhfer gA fdr vu'kklfud dk;okgh nkfMd ln'k gku d ukr vkjki fl) dju d fy, dN lk{; gkuk pkfg,A ;|fi foHkkxh; dk;okgh e vkjki dk nkfMd fopkj.k dh rjg fl) dju dh vko';drk ugh g vFkkr leLr ;fDr;Dr lng d ij] ge bl rF; dk vun[kk ugh dj ldr g fd tkp vfèkdkjh U;kf;d dYi dk; dk ikyu djrk g ftl nLrkotk d fo'y"k.k ij bl fu"d"k ij vkuk gkxk fd vfHky[k ij miyCèk lkefx;k d vkèkkj ij vkjkik dk fl) dju d fy, vfèklHkkO;rk dh cgyrk gA ,lk djr g,] og fdlh vçklfxd rF; dk fopkj e ugh y ldrk gA og çek.k dk Hkkj f'k¶V ugh dj ldrk gA og doy vuekuk vkj vVdyk d vkèkkj ij xokgk d çklfxd ifjlk{; dk vLohdkj ugh dj ldrk gA og mu vfHkdFkuk dh tkp ugh dj ldrk g ftll vipkjh vfèkdkjh dk vkjkfir ugh fd;k x;k gA***

12. मैं आगे पाता हूँ कि दामोदर घाटी निगम विनियमन, 1983 के विनियम 98 सहपठित विनियम 96 के अधीन ऐसे मामलों में, जिसमें सेवा से हटाने का आदेश पारित किया गया है, जाँच करने के लिए विभाग पर विनिर्दिष्ट कर्तव्य डाला गया है। नियम 98 के अधीन विहित प्रक्रिया का वर्तमान मामले में अनुसरण नहीं किया गया है।

fofu;e 96 (vi) : *^^fuxe dh lok l gVk;k tkuk tk Hkkoh fu;ktu d fy, vugrk ugh gkxhA*

fofu;e 98 (2) (f): *tkp d lekiu ij tkp dju okyk vfèkdkjh vkjkik e l çR;d ij mld fy, dkj.kk d lkFk viuk fu"d"k nt djr g, tkp fjikV r;kj djxkA ;fn ,l çkfèkdkjh d er e tkp dh dk;okgh vkjkik dk LFkkfir djrh g tk eyr% fojfpr vkjkik l fHkUu g] ;g ,l vkjkik ij fu"d"k nt dj ldrk gA ijUr ;g fd ,l vkjkik ij fu"d"k rc rd nt ugh fd;k tk,xk tc rd depkjh u mudk xfBr dju oky rF;k dk Lohdkj ugh fd;k g vFkok mlu mud fo#) Lo; dk cpko dju dk volj ugh fn;k x;k gA*

fofu;e 98 (2) (g) *tkp vfHky[k*

(i) mDr [kM (a) d vèkhu mldk çLrr fd, x, vfHkdFkuk dk fooj.k vkj depkjh d fo#) fojfpr vkjkik(

(ii) cpko d mlsd fyf[kr fooj.k] ;fn gks(

(iii) tkp d Øe e fy, x, ekSf[kd lk{;(

(iv) tkp d Øe e fopkj fd, x, nLrkosth lk{;(

(v) tkp d lcèk e vu'kklfud çkfèkdkjh vkj tkp dju oky vfèkdkjh }kjk ikfjr vkn'kk] ;fn gks] vkj

*(vi) çR;d vkjki ij fu"d"kk vkj mlsd dkj.kk dk of.kr dju okyh fjikV lfEefyr djxhA**

13. ''उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा,'' (2010)2 SCC 772, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"30. tc ljdkjh lod d fo#) foHkkxh; tkp dh tkrh g] bl vkdfLed dk; d :i e ekuk ugh tk ldrk gA ldfpr lkp l tkp dk;okgh ugh dh tk ldrh gA tkp vfèkdkjh dk i.kr% iokxgghu gkuk gkxkA ;g lfuf'pr dju d fy, fd u doy U;k; fd;k tk; cfYd fd;k x;k çrhr Hkh gk] ulfxd U;k; d fl)kr dk ikyu dju dh vko';drk gA ulfxd U;k; d fu;e dk mí'; ;g lfuf'pr djuk g fd ljdkjh lod d lkFk dk;okgh e fu"i{k 0;ogkj fd;k tk; tk c[kkLrxh@lok l gVku d nM d vfèkjki.k e leklr gk ldrk gA***

14. द्वितीय कारण बताओ नोटिस के उत्तर से, मैं पाता हूँ कि याची ने यह अभिवचन करते हुए कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी, जिसे याची के विरुद्ध लिया गया है, घरेलू जाँच में सिद्ध नहीं किया गया है, अपना विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल किया था। डॉक्टर अर्थात् डॉ॰ जी॰ सी॰ कुंडु का परीक्षण विभाग द्वारा नहीं किया गया है। याची ने विनिर्दिष्ट अभिवचन किया कि चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्मित दस्तावेज था। मैं पाता हूँ कि न तो अनुशासनिक प्राधिकारी ने और न ही अपीलीय प्राधिकारी ने स्वयं को मामले के इन पहलूओं पर विचार किया है और इसलिए, पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में मेरा मत है कि दिनांक 28.2.2011 और दिनांक 6.1.2012 के आक्षेपित आदेश अभिखंडित किए जाने के दायी हैं और उन्हें अभिखंडित किया जाता है। चूँकि प्रत्यर्थीगण द्वारा अवैध रूप से याची को सेवा से हटाया गया था, वह पूर्ण पिछली मजदूरी के साथ सेवा में पुनर्बहाली की हकदार होगी।

15. ''दीपाली गुंडु सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी॰ एड॰) एवं अन्य,'' (2013)11 Scale 268, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^17. depkjh dk mlsd in] ftls og c[kkLrxh vFkok gVk, tku vFkok lok lekfIr l igys èkkj.k dj jgk Fkk] ij iuLFkkfir dju dk fopkj foof{kr djrk g fd depkjh dk mlh in ij j[kk tk,xk ftl og èkkj.k djrk ;fn fu;kDrk }kjk voèk dkjokbZ ugh dh x;h gkrhA 0;fDr] ftl lok l c[kkLr fd;k x;k g vFkok gVk;k x;k g vFkok vU;Fkk mlsdh lok lekIr dj nh x;h g] }kjk lgh x;h migfr dk vkIkuh l èku e ekik ugh tk ldrk gA vkn'k] ftldk fu;kDrk&depkjh lcèk lekIr dju dk çHkko g] ikfjr fd, tku d lkFk depkjh dh vk; dk lkr l[k tkrk gA u doy lcfèkr depkjh cfYd mlsdk ijk ifjokj xHkhj çfrdyrk l ihfMr gkrk gA mUg thou ;kiu d lkr l ofpr dj fn;k tkrk gA lrkuk dk ik"kd Hkkstu vkj f'k{kk rFkk thou e vkx c<u d leLr volj]k l ofpr dj fn;k tkrk gA dHkh&dHkkj] Hk[kejh l cpu d fy, ifjokj dk lcfèk;k vkj vU; tku igpku okyk l mèkkj yuk iMrk gA ; ihMk rc rd tkjh jgrh g tc

*rd l{ke U;k; fu.k;u Qkje fu;kDrk }kjk dh x;h dkjokb dh oèkrk fofuf'pr ugh djrk gA ,l depkjh dh iucgkyh] ftlds igy l{ke U;kf;d@U;kf;d dYi fudk; vFkok U;k;ky; }kjk fu"d"k fn;k tkrk g fd fu;kDrk }kjk dh x;h dkjokb çklfxd lkfofèkd çkoèkkuk vFkok ulfxd U;k; d fl)krk d vfèkdkjkrhr g] depkjh dk i.k fiNyh etnjh dk nkok dju dk gdnkj cukrh gA ;fn fu;kDrk depkjh dk fiNyh etnjh nu l budkj djuk pkgrk g vFkok ikfj.kkfed ykHk iku dh mldh gdnkjh dk çfrokn djuk pkgrk g] rc ml fofufn"Vr% ;g vfHkopu vkj fl) djuk gkxk fd eè;{kih vofèk d nkjku depkjh ykHknk;h :i l fu;kftr Fkk vkj dN ikfjJfed ik jgk FkkA depkjh] tk fu;kDrk d voèk ÑR; d dkj.k ihfMr gvk g] dk fiNyh etnjh l budkj lcfèkr depkjh dk vçR;{kr% nM nu vkj ikfjJfed lfgr fiNyh etnjh dk Hkxrku dju dh ckè;rk l mldk Hkkj eDr djd fu;kDrk dk ijLdkj nu d rY; gkxkA***

16. पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

बिहार राज्य वित्त निगम

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (T) No. 953 of 2005. Decided on 13th December, 2013.

बिहार वित्त अधिनियम, 1981—धारा 29—औद्योगिक इकाईयों का विक्रय–एन॰ ओ॰ सी॰–झारखंड राज्य अपना विक्रय कर और शास्ति वसूल करने का हकदार है क्योंकि कर एवं शास्ति डीलर और ऐसे व्यक्ति के उपर प्रथम प्रभार होगा–राज्य वित्त निगम अथवा बैंकों के पक्ष में व्यतिक्रमियों द्वारा सृजित साम्यापूर्ण बंधकों के बावजूद राज्य को देय कर, शास्ति एवं ऋण तथा अधिनियम के अधीन सृजित वनिर्दिष्ट सांविधिक प्रभारों की वसूली के मामले में प्राथमिकता दी गयी है–राज्य वित्त निगम को यह निर्देश देते हुए कि वाणिज्य कर विभाग, झारखंड से एन॰ ओ॰ सी॰ प्राप्त किए बिना किसी औद्योगिक इकाई को बेचा नहीं जा सकता है, दिनांक 1.9.2004 की आक्षेपित अधिसूचना एस॰ ओ॰ 95 अवैध नहीं है। (पैराएँ 21 एवं 22)

निर्णयज विधि.–(1995)2 SCC 19; (2009) 4 SCC 94—Relied; (2009)2 SCC 121—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s S.B. Gadodia, A.K. Yadav, For the Petitioner; Mr. Rajesh Shankar, For the Respondents.

आर॰ बानुमथी, मुख्य न्यायाधीश.–बिहार राज्य वित्त निगम ने झारखंड राज्य द्वारा जारी दिनांक 1.9.2004 की आक्षेपित अधिसूचना एस॰ ओ॰ 95 को शून्य एवं अवैध के रूप अभिखंडित करने के लिए इस रिट याचिका को दाखिल किया है।

2. झारखंड राज्य जो दिनांक 15.11.2000 के प्रभाव से अस्तित्व में आया ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 85 में अंतर्विष्ट शक्तियों के प्रयोग में अन्य बातों के साथ संपूर्ण झारखंड राज्य पर प्रयोज्य होने के लिए बिहार वित्त अधिनियम, 1981 भाग I और उसके अधीन विरचित नियमावली को अपनाते हुए दिनांक 15.12.2000 की अधिसूचना सं॰ 17 जारी किया। अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 29 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में झारखंड राज्य ने आक्षेपित

अधिसूचना जारी किया। अधिसूचना के मुताबिक, राज्य वित्त निगम सुनिश्चित करेगा कि वाणिज्य कर विभाग, झारखंड से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किए बिना कोई औद्योगिक इकाई बेची न जाए।

आक्षेपित अधिसूचना का पठन निम्नलिखित है:-

okf.kT; dj foHkkx

vf/klwpuk

fnukd&27 vxLr] 2004

,l0 vk0 95 fnukd 1 flrcj] 2004/2384—*>kj[kM ljdkj vxhÑr fcgkj foÙk vf/kfu;e] 1981 dh /kkjk 29 }kjk çnÙk 'kfDr;k d ç;kx e jkT; e cn@ijkuh vk|kfxd bdkb;k d foØ; uhykeh ij bl çFke çHkkj d :i e le>r g, ljdkjh n;k dh olyh lfuf'pr dju d fy, fuEufyf[kr çkoèkku cukrh gA*

(1) jkT; foÙk fuxe lfuf'pr djxk fd okf.kT; dj foHkkx] >kj[kM] jkph l vukifÙk çek.k i= çklr fd, fcuk dkb vk|kfxd bdkb cph u tk,A

(2) jkT; foÙk fuxe foØ; d vkxe l foØ; dj dh n; jkf'k dh dVkrh dju d ckn bl okf.kT; dj foHkkx] >kj[kM] jkph dk Hkt xkA

foØ; dj@fofoèk@7/2002

>kj[kM jkT;iky d vkn'k }kjk

vydk pkèkjh

lfpo&lg&vk;Dr

okf.kT; dj foHkkx

>kj[kM] jkph

3. याची राज्य वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 3 के निबंधनानुसार स्थापित सांविधिक निगम है। निगम ने अनेक इकाईयों को वित्तीय ऋण सुविधाएँ दिया था, जो अब झारखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं। याची का मामला यह है कि राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 (4) के मुताबिक बंधक/आडमान आस्तियों के विक्रय आगम के विनियोग की प्राथमिकता का तरीका स्पष्टत: अधिकथित किया गया है और इसे याची निगम को वैध तरीके से अपने वैध देयों से वंचित करते हुए राज्य सरकार की आक्षेपित अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

4. याची के अनुसार, यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि बिहार वित्त अधिनियम की धारा 29 द्वारा सृजित सांविधिक प्रथम प्रभार को अभिभावी होना है, तब राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 (4) जो विनियोग की प्राथमिकता अधिकथित करती है और बिहार वित्त अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के बीच प्रत्यक्ष टकराव होगा और राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 46B के फलस्वरुप राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के प्रावधान अभिभावी होंगे। याची का आगे मामला यह है कि बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कर के संग्रहण और वसूली के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधान हैं और राज्य सरकार के पास उसके अधीन ऐसे कदमों को उठाने का प्राधिकार है जैसा करना इसको अनुज्ञेय है और वसूल किए गए विक्रय आगम से विक्रय कर के बकायों का भुगतान पहले करने का निर्देश वित्त निगम

को देना न केवल मनमाना है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है। याची के अनुसार, वाणिज्य कर विभाग से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' पाने का प्रावधान अयुक्तियुक्त और मनमाना है और कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं दिया गया है कि कब और किन शर्तों के अधीन 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' रोका जा सकता है और न ही इसके प्रदान अथवा इनकार के लिए कोई समय सीमा दी गयी है। याची के अनुसार, बिहार वित्त निगम अधिनियम की धारा 46B की दृष्टि में, जो सर्वोपरि खंड अंतर्विष्ट करती है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट असंगत किसी चीज के बावजूद राज्य वित्त निगम अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव होगा और ऐसा होने के चलते जारी की गयी आक्षेपित अधिसूचना मनमानी है और अभिखंडित किए जाने की दायी है।

5. याची के प्रतिवाद का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थी ने यह प्रतिवाद करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है कि अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 29 के अधीन, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विपरीत चीज के बावजूद, डीलर द्वारा भुगतेय कर एवं शास्ति की कोई राशि, यदि हो, डीलर अथवा ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम की धारा 29 में सर्वोपरि खंड की दृष्टि में झारखंड राज्य को राज्य के क्षेत्र में ऐसी अधिसूचना जारी करने का प्रत्येक अधिकार है और राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 46B राज्य सरकार को अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 29 के अधीन सुयोग्य अधिसूचना जारी करने से निर्बंधित नहीं करती है।

6. रिट याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 (4) स्पष्टतः उपदर्शित करती है कि निगम द्वारा प्राप्त धन (i) कीमतों, प्रभारों एवं व्ययों, जिन्हें वित्त निगम के मत में इसके द्वारा मुख्यतः उपगत किया गया है, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और (ii) तत्पश्चात प्राप्त धन का भुगतान वित्त निगम को देय ऋण को उन्मोचित करने के लिए किया जाएगा और इसके हकदार व्यक्ति को केवल अवशिष्ट राशि का भुगतान किया जाएगा।

7. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 (4) के मुताविक निगम द्वारा वसूले गए विक्रय आगम को उपधारा में उल्लिखित ढंग एवं तरीके से वितरित करना होगा और निगम को निर्णय करना है कि व्यतिक्रमी इकाई की आस्तियों को बेचना है या नहीं। यह निवेदन किया गया था कि राज्य वित्त निगम अधिनियम ऐसी कार्रवाई करने के लिए और संपत्ति का अंतरण करने के लिए मानो निगम इसका स्वामी है, निगम पर अधिकार प्रदत्त करती है और धारा 29 (4) प्रावधानित करती है कि अन्य समस्त अधिकारों के उपर निगम को प्रथम अधिकार देते हुए ऐसे विक्रय पर विक्रय आगम को किस प्रकार विनियोजित किया जाना है और बिहार राज्य वित्त निगम के उक्त अधिकार को वापस नहीं लिया जा सकता है और जारी अधिसूचना पूर्णतः अधिकारिता विहीन है।

8. याची निगम के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 46B स्पष्टतः उपदर्शित करती है कि अधिनियम के प्रावधान और राज्य वित्त निगम अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम/आदेश का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी चीज के बावजूद प्रभाव होगा और मामले के इस दृष्टिकोण में भी राज्य वित्त निगम अधिनियम के प्रावधान अभिभावी होंगे और इसे राज्य सरकार की कार्यपालक अधिसूचना, जैसा आक्षेपित परिशिष्ट 1 में अंतर्विष्ट है, द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। याची की ओर से, यह प्रतिवाद करने के लिए कि अपने प्रतिभूत ऋणों के संबंध में वित्त निगम का अधिमानी दावा हस्तक्षेप किए जाने का दायी नहीं है, **भारत संघ बनाम**

एस॰ आई॰ सी॰ ओ॰ एम॰ लि॰, (2009)2 SCC 121, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया गया है।

9. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य, (2009)4 SCC 94, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि झारखंड राज्य को अपनी अधिकारिता में आक्षेपित अधिसूचना जारी करने का प्रत्येक अधिकार है क्योंकि बिहार राज्य वित्त निगम केंद्रीय अधिनियम द्वारा सृजित नहीं किया गया है, बल्कि इसे केंद्रीय अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा सृजित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि धारा 29 सर्वोपरि प्रावधान है और धारा 29 आज्ञा देती है कि संपत्ति के उपर करों की राशि प्रथम प्रभार होगी और बिहार राज्य वित्त निगम इसका अपवाद नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि **(1995)2 SCC 19 [स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर बनाम नेशनल आयरन एन्ड स्टील रॉलिंग कॉरपोरेशन]** और **(2009)4 SCC 94 [सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य]** में दिए गए निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन समस्त पहलूओं पर विचार किया गया है और निवेदन किया कि कर एवं शास्ति की किसी राशि के संबंध में राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता अब अनिर्णीत विषय नहीं है।

10. अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 29 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में झारखंड राज्य ने दिनांक 1.9.2004 की अधिसूचना एस॰ ओ॰ 95 जारी किया। आक्षेपित अधिसूचना के मुताविक राज्य वित्त निगम सुनिश्चित करेगा कि वाणिज्य कर विभाग, झारखंड, राँची से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किए बिना किसी औद्योगिक इकाई को बेचा नहीं जाए। अधिसूचना ने आगे राज्य वित्त निगम को निर्देश दिया कि विक्रय के आगम से बकाया विक्रय कर राशि की कटौती करने के बाद विक्रय कर वाणिज्य कर विभाग, झारखंड को भेजा जाए। विचारार्थ आया प्रश्न यह है कि क्या अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों के प्रयोग में जारी आक्षेपित अधिसूचना अधिकारिता विहीन है और राज्य वित्त निगम अधिनियम के प्रावधानों के अधिकारातीत है।

11. अब हम विचार करेंगे कि क्या राज्य वित्त निगम अधिनियम और राज्य वित्त अधिनियम की धारा 29 के बीच टकराव है और क्या राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 46B में सर्वोपरि खंड के फलस्वरुप राज्य वित्त निगम अधिनियम में अंतर्विष्ट प्रावधान बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 29 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के उपर अध्यारोही होंगे।

निर्देश के लिए, हम राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 (4) और धारा 46B को निर्दिष्ट करेंगे।

राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 (4) का पठन निम्नलिखित है:–

*"29. 0;**frØe d ekey e foÙk fuxe d vfèkdkj-**&(4) tgk mièkkjk (1) d çkoèkkuk d vèkhu vk|kfxd bdkb d fo#) dkb dkjokb dh x;h g] leLr dherk] çHkkjk ,o 0;;k ftUg foÙk fuxe d er e bld }kjk mld vku"kfxd d :i e lefpr :i l mixr fd;k x;k g] vk|kfxd bdkb l oly fd, tku ;kX; gkxk vkj èku] ftl bld }kjk çkIr fd;k tkrk g] fdlh foijhr lfonk dh vuifLFkfr e] iFker% ,l dherk] çHkkjk ,o 0;;k d Hkxrku e vkj f}rh;r% foÙk fuxe dk n; _.k d mUekpu e ykx fd, tku d fy, U;kl e èkkfjr fd;k*

*tk,xk vkj bl çdkj çkIr èku d vof'k"V dk Hkxrku bld gdnkj 0;fDr dk fd;k tk,xkA**

राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 46B जो सर्वोपरि प्रावधान है का पठन निम्नलिखित है:–

*"46B. **vU; fofèk;k ij vfèkfu;e dk çHkko-**&bl vfèkfu;e d çkoèkku vkj bld vèkhu cuk, x, fdlh fu;e vFkok vkn'k dk rRle; çoÙk fdlh vU; fofèk e vFkok vk|kfxd bdkb d Kkiu vFkok lxe vuPNn e vFkok bl vfèkfu;e l fHkUu fdlh fofèk d QyLo#i çHkko j[kuoky fdlh vU; fy[kr e vrfo"V mld lkFk vlxr fdlh pht d ckotn çHkko gkxk fdr iokDr d flok, bl vfèkfu;e d çkoèkku vk|kfxd bdkb d çfr rRle; çoÙk fdlh vU; fofèk d vfrfjDr vkj u fd bld vYihdj.k e ç;kT; gkxA***

12. बिहार वित्त अधिनियम की धारा 29 सर्वोपरि खंड अंतर्विष्ट करती है और अनुबंधित करती है कि भुगतेय विक्रय कर प्रथम प्रभार होगा। बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 29 का पठन निम्नलिखित है:–

*"29. **dj lifÙk ij çFke çHkkj gkxk-**&rRle; çoÙk fdlh fofèk e vrfo"V foijhr fdlh pht d ckotn bl Hkkx d vèkhu Mhyj vFkok fdlh vU; 0;fDr }kjk Hkxr; dj ,o 'kkfLr] ;fn gk] Mhyj vFkok ,l 0;fDr dh lifÙk ij çFke çHkkj gkxkA***

13. अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 29 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में झारखंड राज्य ने यह निर्देश देते हुए आक्षेपित अधिसूचना जारी किया कि राज्य वित्त निगम सुनिश्चित करेगा कि वाणिज्य कर विभाग, राँची से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किए बिना कोई औद्योगिक इकाई बेची न जाए और आगे निर्देश दिया कि राज्य वित्त निगम विक्रय के आगम से विक्रय कर की राशि कटौती करने के बाद कटौती की राशि को वाणिज्य कर विभाग, झारखंड को भेजेगा।

14. सर्वोपरि खंड विवाद की स्थिति में प्रावधान के अधिनियमनकारी भाग को अध्यारोही प्रभाव देने की दृष्टि से प्रावधान में संलग्न किया गया है। इसी प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या एक ओर ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम की धारा 34 (1) तथा प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 35 और दूसरी ओर बॉम्बे विक्रय कर अधिनियम की धारा 38 (c) और केरल विक्रय कर अधिनियम की धारा 26B एवं समरुप राज्य विधानों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के बीच कोई टकराव है, **(2009)4 SCC 94 [सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य]** में पैराग्राफों 103 और 116 पर 'सर्वोपरि खंड' की व्याख्या को विस्तार देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"103. lkekU;r% lokifj [kM fdlh èkkjk fo'k"k dk vFkok li.k lfofèk dk vè;kjkgh çHkko nu d fy, lfofèk e lfEefyr fd;k tkrk gA lokifj [kM dh 0;k[;k djr g, U;k;ky; dk mlI lhek ftl lhek rd foèkkueMy u ,lk dju dk vk'k; j[kk vkj mlI lnHk ftle lokifj [kM dk mi;kx fd;k tkrk g dk irk yxku dh vko';drk gA vud fu.k;k e 0;k[;k d bl fu;e dk ykx fd;k x;k gA

------ ------ -------

116. MhO vkjO VhO vfèkfu;e dh èkkjk 34 (1) vkj çfrHkfrdj.k vfèkfu;e dh èkkjk 35 e vrfo"V lokifj [kM mu vfèkfu;ek d çkoèkkuk dk doy rc

*vè;kjkgh çHkko nrk g ;fn fd lh vU; fofèk vFkok fd lh vU; fofèk d QyLo#i çHkko j[kuoky fy[kr e vrfo"V dkb pht v lxr gA n lj 'kCnk e] ;fn vU; vfèkfu;ek e ,lk dkb çkoèkku ugh g tk MhO vkjO VhO vfèkfu;e vFkok çfrHkfrdj.k vfèkfu;e d lkFk v lxr g] mu vfèkfu;ek e vrfo"V çkoèkku vU; foèkkuk ij vè;kjkgh ugh gk ldr gA ckEc vfèkfu;e dh èkkjk 38-C vkj djy vfèkfu;e dh èkkjk 26-B Hkh lokifj [kMk dk vrfo"V djrh g vkj vU; _.kk d mij jkT; d çHkkj dh çkFkfedrk dk lkfofèkd ekU;rk nrh g ftl o"k 1950 d igy Hkh Hkkjrh; mPp U;k;ky;k }kjk ekU;rk nh x;h FkhA n lj 'kCnk e] ; èkkjk,] vkj vU; jkT; foèkkuk e vrfo"V le#i çkoèkku u doy foØ; dj dk Hkxrku dju d fy, nk;h Mhyj vFkok fd lh vU; 0;fDr d lifÙk ij çFke çHkkj lftr djrh g cfYd vU; fofèk;k d mij vè;kjkgh çHkko Hkh nrh gA**

15. सेंट्रल बैंक मामले (ऊपर) में अधिकथित उक्त निर्णयाधार वर्तमान मामले पर प्रयोज्य है। बिहार वित्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य वित्त निगम अधिनियम के साथ असंगत है; उस अधिनियम में अंतर्विष्ट प्रावधान अन्य विधानों पर अध्यारोही नहीं हो सकते हैं। अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 29 सर्वोपरि खंड अंतर्विष्ट करती है और कर तथा शास्ति की किसी राशि के संबंध में राज्य के प्रभार की प्रथम प्राथमिकता को सांविधिक मान्यता देती है। कर तथा राशि की किसी राशि के संबंध में राज्य के प्रथम प्रभार को अन्य ऋणों के उपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गयी है जैसा **स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर बनाम नेशनल आयरन एन्ड स्टील रॉलिंग कॉरपोरेशन, (1995)2 SCC 19** और **(2009)4 SCC 94 (ऊपर)** में अभिनिर्धारित किया गया है।

16. (1995)2 SCC 19 (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर मामला) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 11-AAAA के प्रभाव पर विचार किया जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ डीलर की संपत्ति पर विद्यमान बंधक पर कर, शास्ति, आदि की राशि के लिए डीलर की संपत्ति पर प्रथम प्रभार सृजित किया गया था। यह गौर करने के बाद कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 11-AAAA, जो बॉम्बे अधिनियम की धारा 38C और केरल अधिनियम की धारा 26B तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 की समविषयक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफों 7, 8, 10 और 11 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

"7. lifÙk vrj.k vfèkfu;e dh èkkjk 100 vpy lifÙk ij vkjkfir çHkkjk ij fopkj djrh g ftl i{kk d ÑR; }kjk vFkok fofèk d çoru }kjk lftr fd;k tk ldrk gA ;g çkoèkfur djrh g fd tgk ,d 0;fDr dh vpy lifÙk dk n lj dk èku dk Hkxrku dju d fy, çfrHkfr cuk;k tkrk g] vkj l0;ogkj cèkd d rY; ugh g] lifÙk ij çHkkj lftr fd;k tkrk g vkj lifÙk vrj.k vfèkfu;e d leLr çkoèkku] tk ljy cèkd ij ykx gkr g] tgk rd gk ld] ,l çHkkj ij ykx gkxA n lj h vkj] cèkd dk tlk mle of.kr fd;k x;k g] fn, x, vFkok fn, tku oky èku dk Hkxrku ljf{kr dju d ç;ktu l fofufn"V vpy lifÙk e fgr d vrj.k d :i e lifÙk vrj.k vfèkfu;e dh èkkjk 58 d vèkhu ifjHkkf"kr fd;k x;k gA nÙkk=; 'kdj ekV cuke vkuUn fprkeu nkrkj e bl U;k;ky; }kjk cèkd ,o çHkkj d chp lfHkUurk ij fopkj fd;k x;k FkkA U;k;ky; u (SCC PP. 806-07) ij lçf{kr fd;k g fd çHkkj ,d 0;kid 'kCn g D;kfd ;g cèkd Hkh lfEefyr djrk g vFkkr çR;d cèkd ,d çHkkj g fdr çR;d çHkkj cèkd ugh gA rc U;k;ky; u lifÙk vrj.k vfèkfu;e dh èkkjk 100 d n lj Hkkx dh

ç;kT;rk ij fopkj fd;k g tk vU; ckrk d lkFk çHkkj d ukfVl d fcuk eY; d fy, lifÙk d lnHkkoi.k vrfjrh d fo#) vçoruh; çHkkj ij fopkj djrh gA blu vfHkfuèkkfjr fd;k g fd okD;k'k ^lifÙk dk vrfjrh lifÙk e li.k fgr d vrfjrh dk fufn"V djrk g vkj ;g cèkd d :i e lifÙk e doy fgr dk vrj.k vkPNkfnr ugh djrk gA**

8. ....bl rd ;|fi ;g fu"diV g dk vLohdkj djuk gkxkA tgk fdlh lifÙk d lcèk e cèkd lftr fd;k tkrk g] fu%lng cèkdnkj d i{k e lifÙk e fgr mRiUu gkrk gA cèkddrk cèkd n;k d Hkxrku ij viuh lifÙk dk ekfpr dju dk gdnkj gA fdr] bldk vFk ;g ugh g fd lifÙk cèkddrk dh lifÙk ugh jgrh gA lifÙk dk gd cèkddrk d lkFk cuk jgrk gA vr%] tc Mhyj dh lifÙk ij lkfofèkd çFke çHkkj lftr fd;k tkrk g] çFke çHkkj d vè;èkhu lifÙk Mhyj dh li.k lifÙk gA cèkdnkj d fgr dk çFke çHkkj l vioftr ugh fd;k tkrk gA vr% çFke çHkkj] ftl jktLFkku foØ; dj vfèkfu;e dh èkkjk 11-AAAA d vèkhu lftr fd;k x;k g] li.k :i l lifÙk ij çofrr gkxk vkj u fd doy ekpu dh lkE;k ij tlk Jh rkjdM }kjk vkxg fd;k x;k gA*

....

10. oreku ekey e] èkkjk lifÙk ij çFke çHkkj lftr djrh g vkj bl çdkj Li"Vr% cèkd lfgr lifÙk ij vU; leLr çHkkjk d mij lkfofèkd çHkkj dk ekU;rk nrh gA vr%] bl fuonu fd jktLFkku foØ; dj vfèkfu;e dh èkkjk 11-AAAA d vèkhu lftr lkfofèkd çFke çHkkj doy ekpu d lkE;k d mij çofrr gk ldrk g] Lohdkj ugh fd;k tk ldrk gA çHkkj mlle cèkdnkj d fgr lfgr Mhyj d li.k lifÙk ij çofrr gkrk gA

11. fHkUu :i l n[ku ij] lfofèk u Mhyj dh lifÙk ij çFke çHkkj lftr fd;k gA ^çFke çHkkj dk vFk D;k g\ D;k bldk io cèkd d mij vxrk g\ vc] tlk nÙkk=; 'kdj ekV ekey e of.kr fd;k x;k g] çHkkj cèkd dh ryuk e 0;kid 'kCn gA ;g viuh ifjfèk d Hkhrj cèkd Hkh vkPNkfnr djxkA vr% tc fdlh lifÙk d mij fofèk d çoru }kjk çFke çHkkj lftr fd;k tkrk g] ml çHkkj dh fo|eku cèkd d mij vxrk gkxhA**

सेंट्रल बैंक के मामले (ऊपर) में उक्त निर्णय निर्दिष्ट और समरुप दृष्टिकोण अनुमोदित किया गया था।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पक्ष में उनके द्वारा सृजित साम्यापूर्ण बंधक के उपर व्यतिक्रमियों से विक्रय कर की वसूली के मामले में राज्य को प्राथमिक अधिकार होना अब अनिर्णीत विषय नहीं है।

17. सेंट्रल बैंक के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह विचार कर रहा था कि क्या डी० आर० टी० अधिनियम की धारा 34 और प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 35 में अंतर्विष्ट सर्वोपरि खंड बॉम्बे अधिनियम की धारा 38C और केरल अधिनियम की धारा 26B पर अध्यारोही होता है। बॉम्बे अधिनियम की धारा 38C और केरल अधिनियम की धारा 26B और अन्य समरुप राज्य विधानों में अंतर्विष्ट सर्वोपरि खंड के मुकाबले राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 46B सहित सर्वोपरि खंडों को अंतर्विष्ट करने वाले अनेक केंद्रीय अधिनियमों को निर्दिष्ट करने और यह अभिनिर्धारित करने कि जब

किसी संपत्ति के उपर विधि के प्रवर्तन द्वारा प्रथम प्रभार सृजित किया जाता है, उस प्रभार का विद्यमान बंधक के उपर अग्रता होगी, के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सेंट्रल बैंक के मामले (ऊपर)** में पैराग्राफ 158 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *"158. mDr ppk d vkèkkj ij ge vfHkfuèkkfjr djr g fd MhO vkjO VhO vfèkfu;e vkj çfrHkfrdj.k vfèkfu;e cdk] foÙkh; lLFkkuk ,o vU; çfrHkr yunkjk d i{k e çFke çHkkj lftr ugh djr g vkj ckEc vfèkfu;e dh èkkjk 38C vkj djy vfèkfu;e dh èkkjk 26B e vrfo"V çkoèkku MhO vkjO VhO vfèkfu;e vkj çfrHkfrdj.k vfèkfu;e d çkoèkkuk d lkFk vlxr ugh g rkfd MhO vkjO VhO vfèkfu;e dh èkkjk 34(1) vFkok çfrHkfrdj.k vfèkfu;e dh èkkjk 35 e vrfo"V lokifj [kMk dk vkÑ"V dj ldA***

18. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **(2009)2 SCC 121 (भारत संघ बनाम सिकोम लि॰)** पर विश्वास किया। **सेंट्रल बैंक के मामले (उपर)** के पैराग्राफो 152 से 157 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिकोम मामले में निर्णय पर विचार किया और इसे सुभिन्न किया और अभिनिर्धारित किया कि सिकोम मामले ने अभिनिर्धारित नहीं किया था कि राज्य विधान में सृजित प्रभार बैंकों, वित्तीय संस्थानों के देयों की अनुगामी है यद्यपि उनके पक्ष में सांविधिक प्रथम प्रभार सृजित नहीं किया गया है। अत: याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **सिकोम के मामले** का निर्णय वर्तमान मामले पर प्रयोज्य नहीं है।

19. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि **स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर के मामले (1995)2 SCC 19** में और **सेंट्रल बैंक के मामले, (2009)4 SCC 94** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय बंधकदार की हैसियत में बैंक के प्रभार के मुकाबले बिक्री कर के सांविधिक प्रथम प्रभार पर विचार कर रहा था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब किसी संपत्ति के उपर विधि के प्रवर्तन द्वारा प्रथम प्रभार सृजित किया जाता है, उस प्रभार की विद्यमान बंधक के उपर अग्रता होगी। दोनों मामलों में, विक्रय कर अधिनियम के अधीन राज्य विधान द्वारा सृजित सांविधिक प्रभार के मुकाबले राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29(4) के अधीन राज्य वित्त निगम पर प्रदत्त सांविधिक अधिकार पर विचार नहीं किया गया है।

इस प्रतिवाद में गुणागुण नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विक्रय कर अधिनियम के अधीन राज्य विधान द्वारा सृजित सांविधिक प्रभार के मुकाबले राज्य वित्त निगम अधिनियम के प्रावधानों पर विचार नहीं किया है। **सेंट्रल बैंक के मामले (2009)4 SCC 94,** में निर्णय के पैराग्राफ 97.1 में अनेक केंद्रीय विधानों में आने वाले सर्वोपरि खंडों पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 46B में सर्वोपरि खंड को भी निर्दिष्ट किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विक्रय कर अधिनियम के अधीन राज्य विधायिकी द्वारा सृजित सांविधिक प्रभार के मुकाबले राज्य वित्त निगम अधिनियम के प्रावधानों पर भी विचार किया है।

20. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 64 के निबंधनानुसार यह स्पष्ट है कि बिहार राज्य वित्त निगम तत्कालीन बिहार राज्य के संपूर्ण क्षेत्र के उपर कार्य करना जारी रखेगा और केवल केंद्र सरकार उक्त निगम के क्रियाकलाप से संबंधित मामले में अनुदेश जारी करने की सक्षमता रखता है और निवेदन किया कि आक्षेपित अधिसूचना बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 64 के प्रावधान के प्रत्यक्षत: विपरीत है क्योंकि आक्षेपित अधिसूचना द्वारा बिहार राज्य वित्त निगम को झारखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कार्य करने से लगभग रोक दिया गया है।

21. उक्त प्रतिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम विद्यमान झारखंड राज्य का पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों को प्रावधानित करता है। डीलर अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा झारखंड राज्य को भुगतेय कर और शास्ति की किसी राशि के लिए डीलर अथवा ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा प्रभावित नहीं होता है और झारखंड राज्य अपने विक्रय कर और शास्ति की वसूली करने का हकदार है चूँकि कर और शास्ति डीलर और ऐसे व्यक्ति की संपत्ति के उपर प्रथम प्रभार होगी। केवल डीलर की संपत्ति पर प्रथम प्रभार के रूप में भुगतेय कर अथवा शास्ति की वसूली के लिए अपनी शक्ति के प्रयोग में झारखंड राज्य ने यह निर्देश देते हुए कि वाणिज्य कर विभाग, झारखंड, राँची से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किए बिना कोई औद्योगिक इकाई बेची न जाए, आक्षेपित अधिसूचना जारी किया।

22. जैसा **(1995)2 SCC 19** और **(2009)4 SCC 94** में अभिनिर्धारित किया गया है, विक्रय कर देयों के संबंध में राज्य के पक्ष में सृजित प्रथम प्रभार की बैंक अथवा राज्य वित्त संस्थान के पक्ष में विद्यमान बंधक के उपर अग्रता होगी। यह कथन करते हुए कि राज्य वित्तीय निगम अथवा बैंकों के पक्ष में व्यतिक्रमियों द्वारा सृजित साम्यापूर्ण बंधक के बावजूद कर, शास्ति और देय ऋण और उक्त अधिनियम के अधीन सृजित विनिर्दिष्ट सांविधिक प्रभार की वसूली के मामले में राज्य को प्राथमिकता दी गयी है, न्यायिक उद्घोषणा ने हमेशा के लिए विधि सुनिश्चित कर दिया है। राज्य वित्त निगम को यह निर्देश देते हुए कि वाणिज्य कर विभाग, झारखंड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई औद्योगिक इकाई बेची न जाए, दिनांक 1.9.2004 की आक्षेपित अधिसूचना एस॰ ओ॰ 95 मनमानी अथवा अवैध नहीं कही जा सकती है और यह रिट याचिका खारिज किए जाने की दायी है।

तद्नुसार, हम इस रिट याचिका को खारिज करते हैं। परिणामस्वरुप, अंतर्वर्ती आवेदनों को बंद किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

जफर इकबाल अहमद

cuke

बिहार राज्य एवं अन्य

C.W.J.C. No. 3296 of 2000(R). Decided on 28th November, 2013.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक आवेदन।

बिहार सेवा संहिता, 1952—नियम 58—बिहार वित्त नियमावली, 1950—नियम 74—वसूली–बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान वापस लिया जाना–याची ने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया था और उसे दिनांक 3.3.1984 को डिग्री प्रदान की गयी थी और दिनांक 1.4.1984 के प्रभाव से बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया था–ऐसा कोई निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता है कि प्राधिकारी जिसने याची को बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किया था को तथ्य की किसी गलती के कारण गुमराह किया गया था–नियम 58 एवं 74 की प्रयोज्यता के संबंध में विधि की गलत धारणा के अधीन आक्षेपित आदेश पारित किया गया है–वसूली का आदेश अभिखंडित किया गया। (पैराएँ 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–(2012) 8 SCC 417; (2009)3 SCC 475; (2006)11 SCC 709—Relied; 2009 (1) JLJR 338—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Sudarshan Srivastava, For the Petitioner; Mr. Arbino Kumar, For the State of Jharkhand.

न्यायालय द्वारा.–याची दिनांक 7.1.2000 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए इस न्यायालय के पास आया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि आरंभ में याची को दिनांक 30.4.1976 के आदेश द्वारा सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने वर्ष 1980 में स्नातक विज्ञान डिग्री और वर्ष 1991 में स्नातकोत्तर विज्ञान डिग्री प्राप्त किया। याची ने एकेडमिक सत्र 1982-1983 में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया और प्रशिक्षण पूरा करने पर याची को दिनांक 3.3.1984 को डिग्री दी गयी थी। याची को दिनांक 8.4.1991 के आदेश द्वारा बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किया गया था। याची ने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की डिग्री प्रदान किए जाने की तिथि से बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान के लिए अभ्यावेदन दिया और इसे उसके जूनियरों को भी प्रदान किया गया था। याची के अभ्यावेदन पर उसे बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान, जो उसे पहले दिनांक 8.4.1991 को प्रदान किया गया था, उसे दिनांक 29.5.1995 के आदेश द्वारा दिनांक 1.4.1984 के प्रभाव से प्रदान किया गया था। बाद में, दिनांक 26.10.1997 के आदेश द्वारा दिनांक 29.5.1995 का आदेश वापस ले लिया गया था और इसलिए, याची ने इस न्यायालय में सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 543 वर्ष 1998 (R) दाखिल किया जिसे प्रत्यर्थीगण को याची का दावा विनिश्चित करने के निर्देश के साथ दिनांक 20.7.1999 को निपटाया गया था। दिनांक 20.7.1999 के आदेश के अनुसरण में दिनांक 7.1.2000 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो वर्तमान कार्यवाही में आक्षेपित है।

3. निम्नलिखित कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है:–

"6. fd fjV ;kfpdk d i jkxkQ l0 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15 vkj 18 l 29 e fn, x, c;ku ij fVIi.kh dh vko';drk ugh gA

8. fd fjV ;kfpdk d i jk 10 e fn;k x;k c;ku Hkked vkj xyr g vkj bl l budkj fd;k tkrk gA ;g fuonu fd;k x;k g fd doy ;kph l ojh; dk fjfDr d vu#i ch0 ,l0 lh0 çf'kf{kr orueku çnku fd;k x;k gA ;kph d fdlh duh; dk ch0 ,l0 lh0 çf'kf{kr orueku ugh fn;k x;k gA

9. fd fjV ;kfpdk d i jk 11 e fn, x, c;ku d lcèk e ;g dFku fd;k tkrk g fd ;kph dk vU; f'k{kdk d lkFk vuekfnr xM'ku lph d vulkj ftyk f'k{kk LFkkiu dfeVh }kjk fnukd 8.4.1991 d eek l0 4522 (ifjf'k"V 5) d rgr ch0 ,l0 lh0 çf'kf{kr orueku çnku fd;k x;k FkkA

10. fd fjV ;kfpdk d i jkvk 12 vkj 13 d lcèk e ;g fuonu fd;k x;k g fd ftyk f'k{kk LFkkiu dfeVh xM'ku lph d erkfcd çkFkfed f'k{kdk dk çkUufr çnku dju d fy, l'kDr gA fdr rRdkyhu ftyk f'k{kk vèkh{kd Jh lylVkbu glnk u leLr foHkkxh; fu;ek dk vikLr djd Hkry{kh çHkko l ;kph dk çkUufr çnku fd;k tk vLohdkj fd, tku ;kX; gA

*11. fd fjV ;kfpdk d i jk 14 e fn, x, c;ku Hkked g vkj blfy, io i jkxkQk e dfFkr rF;k dh nf"V e bl l budkj fd;k tkrk gA***

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान, जिसे पहले याची को दिनांक 29.5.1995 के आदेश द्वारा प्रदान किया गया था, याची को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना वापस ले लिया गया है। दिनांक 7.1.2000 के आक्षेपित आदेश को इस आधार पर पारित किया गया है कि बिहार सेवा संहिता का नियम 58 और बिहार वित्त नियमावली

का नियम 74 याची के मामले पर प्रयोज्य होगा किंतु, चूँकि ये नियम भूतलक्षी प्रोन्नति से संबंधित हैं, दिनांक 7.1.2000 का आदेश गलत आधार पर पारित किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि इसपर कोई विवाद नहीं है कि याची ने एकेडमिक सत्र 1982-1983 में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया और उसे दिनांक 3.3.1984 को डिग्री प्रदान की गयी थी और उसे दिनांक 1.4.1984 के प्रभाव से बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता ने सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2115 वर्ष 2001, सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 294 वर्ष 1998 (R) और सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2028 वर्ष 1991 (R) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और 2009 (1) JLJR 338 में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है।

6. उक्त के विरुद्ध, झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बिहार सेवा संहिता के नियम 58 और बिहार वित्त नियमावली के नियम 74 पर विश्वास किया है और प्रतिवाद किया है कि चूँकि भूतलक्षी लाभ प्रदान करने पर अभिव्यक्त वर्जना है, बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान का प्रदान, जिसे याची को भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान किया गया था, वापस ले लिया गया है और वसूली का आदेश पारित किया गया है जो मामले के तथ्यों में न्यायोचित, निष्पक्ष और साम्यापूर्ण है।

7. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि प्रत्यर्थीगण ने विवाद नहीं किया है कि याची ने वर्ष 1980 में बी॰ एस॰ सी॰ डिग्री प्राप्त किया और एकेडमिक सत्र 1982-1983 में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया। उसे दिनांक 3.3.1984 को डिग्री प्रदान की गयी थी और दिनांक 29.5.1995 के आदेश द्वारा दिनांक 1.4.1984 के प्रभाव से याची को बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किया गया था और इसलिए, मेरा दृष्टिकोण है कि इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि भूतलक्षी प्रभाव से बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किया गया है। याची दिनांक 3.3.1984 को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिग्री प्राप्त करने के बाद ऐसे लाभ के प्रदान का हकदार था और मात्र इसलिए कि ऐसा आदेश दिनांक 29.5.1995 को पारित किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान किया गया है। आगे, बिहार सेवा संहिता के नियम 58 और बिहार वित्त नियमावली के नियम 74 के परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि ये नियम सरकारी सेवक की प्रोन्नति से संबंधित हैं और ये नियम वास्तविक प्रोन्नति की तिथि के पहले कर्मचारी को धनीय लाभ का प्रदान निषिद्ध नहीं करते हैं। बिहार सेवा संहिता के नियम 58 को नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"58. (a) bu fu;ek e fofufn"Vr% fd, x, fdlh viokn vkj bl fu;e d [kM (b) d çkoèkku d vè;èkhu ljdkjh lod ml frfFk] ftl ij og ml in dk dr0; xg.k djrk g] d çHkko l in ij viuh inkofèk l lc) oru vkj HkÙkk çkIr djuk 'k: djxk vkj T;kgh og mu dr0;k dk fuogu djuk lekIr dj nrk g mudk ikuk cn djxkA*
>
> *(b) tc rd fdlh 0;fDrxr ekey e jkT; ljdkj vU;Fkk fun'k ugh nrh g] fon'k e Hkkjrh fd;k x;k 0;fDr fuEufyf[kr :i l çFke fu;fDr ij oru ikuk] vkjHk djxk%&*
>
> *(i) ,l 0;fDr d ekey e tk Hkkjr d fy, jokuk gku dh frfFk l f}rh; J.kh ilt ikrk gA [vifjgk; fuyc d cxj viu dr0;k ij tku d vè;èkhu]***
>
> *(ii) ,d ,l 0;fDr d ekey e tk Hkkjr l ckgj Hkt tku dh frfFk l f}rh; J.kh dk fdjk;k ikIr djrk gA***

8. बिहार वित्त नियमावली का नियम 74 जो धारा (VI) में अंतर्विष्ट है शीर्षक 'भूतलक्षी मंजूरी' के अधीन है और यह प्रावधानित करती है कि सरकार के विशेष अनुमोदन के बिना आपवादिक परिस्थितियों के सिवाए धनीय लाभों (वित्तीय मंजूरी) के लिए भूतलक्षी मंजूरी नहीं दी जाएगी। दिनांक

7.1.2000 के आक्षेपित आदेश का परिशीलन प्रकट करेगा कि प्रत्यर्थी–प्राधिकारी इस आधार पर अग्रसर हुए हैं कि याची को प्रोन्नति प्रदान की गयी थी जबकि वस्तुत: याची को बी० एस० सी० प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किया गया है। वेतनमान का प्रदान वर्तमान मामले में प्रोन्नति के किसी तत्व को अंतर्ग्रस्त नहीं करेगा। नियम जैसा यहाँ उपर गौर किया गया है, केवल प्रोन्नति के प्रदान के मामले में प्रयोज्य है और ये नियम वास्तविक प्रोन्नति की तिथि के पहले धनीय लाभ का प्रदान निषिद्ध करते हैं।

9. ''कर्नल बी० जे० अक्करा (सेवा निवृत्त) बनाम भारत सरकार एवं अन्य,'' (2006)11 SCC 709, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भुगतान आधिक्य की वसूली के लिए अवरोध का आदेश न्यायालयों द्वारा कर्मचारी में किसी अधिकार के कारण नहीं प्रदान किया जाता है बल्कि साम्या में और कर्मचारी को कठिनाई, जो कारित होगी यदि वसूली क्रियान्वित की जाती है, से भारमुक्त करने के लिए न्यायिक स्वविवेक के प्रयोग में प्रदान किया जाता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 28 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"28. Hkxrku vkfèkD; dh olyh vo#) djr g, ,Ik vurk"k U;k;ky;k }kjk depkjh e fdlh vfèkdkj d dkj.k ugh çnku fd;k tkrk g cfYd lkE;k e vkj depkjh dk dfBukb] tk dkfjr gkxh ;fn olyh fØ;kfUor dh tkrh g] l Hkkj eDr dju d fy, U;kf;d Lofood d ç;kx e çnku fd;k tkrk gA ljdkjh lod] fo'k"kr% lok dh fupyh lhf<;k ij] tk Hkh ikfjJfed ikrk g] viu ifjokj dh n[kHkky ij [kp djxkA ;fn og ych vofèk d fy, Hkxrku vkfèkD; çkIr djrk g] og okLrfod :i l ;g fo'okl djr g, fd og bldk gdnkj g bldk [kp djxkA pfd Hkxrku vkfèkD; dh olyh d fy, dkb i'pkrorh dkjokb mldk vufpr dfBukb dkfjr djxh] ml fufeÙk vurk"k çnku fd;k tkrk gA fdr tgk depkjh dk tkudkjh Fkh fd çkIr fd;k x;k Hkxrku] tk n; d vkfèkD; e Fkk vFkok ftldk xyr :i l Hkxrku fd;k x;k Fkk vFkok tgk xyr Hkxrku d lf{kIr vofèk d Hkhrj xyrh irk pyrh g ;k lèkkjh tkrh g] U;k;ky; olyh d fo#) vurk"k çnku ugh djxA ekey d U;kf;d Lofood d {k= e gku d ukr U;k;ky; fdlh ekeyk fo'k"k d rF;k vkj ifjfLFkfr;k ij olyh d fo#) ,Ik vurk"k çnku dju l budkj dj ldr gA**"*

10. ''सैय्यद अब्दुल कादिर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,'' (2009)3 SCC 475, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"57. bl U;k;ky; u fu.k;k dh J[kyk e ikfjJfed@HkÙkk d Hkxrku vkfèkD; dh olyh d fo#) vurk"k çnku fd;k g ;fn (a) jkf'k vkfèkD; dk Hkxrku depkjh dh vkj l fdlh n0;in'ku vFkok diV d dkj.k ugh fd;k x;k Fkk vkj (b) ;fn oru@HkÙkk dh lx.kuk dju d fy, xyr fl)kr ykx djd vFkok fu;e@vkn'k dh 0;k[;k] ftl ckn e xyr ik;k x;k g] d vkèkkj ij fu;kDrk }kjk ,Ik Hkxrku vkfèkD; fd;k tkrk gA*
>
> *58. olyh d fo#) vurk"k U;k;ky;k }kjk depkfj;k e fdlh vfèkdkj d dkj.k çnku ugh fd;k tkrk g cfYd lkE;k e depkjh dk dfBukb] ftl dkfjr fd;k tk,xk ;fn olyh dk vkn'k fn;k tkrk g] l Hkkj eDr dju d fy, U;kf;d Lofood d ç;kx e çnku fd;k tkrk gA fdr ;fn fn, x, ekey e ;g fl) fd;k tkrk g fd çkIr fd;k x;k Hkxrku tk n; Fkk mld vkfèkD; e Fkk vFkok bldk Hkxrku xyr :i l fd;k x;k Fkk vFkok ,l ekey e tgk xyr Hkxrku d lf{kIr le; d Hkhrj xyrh irk dh tkrh g vFkok lèkkjh tkrh g ekey d*

U;kf;d Lofood d {k= e gku d ukr U;k;ky; fdlh ekeyk fo'k"k d rF;k vkj ifjfLFkfr;k ij Hkxrku vkfèkD; dh jkf'k dh olyh dk vkn'k n ldr gA (n[k% lkfgc jke cuke gfj;k.kk jkT;(';ke ckc oek cuke Hkkjr l?k(Hkkjr l?k cuke ,e0 Hkk"dj(oh0 xxkjke cuke fun'kd(duy ch0 t0 vDdjk (lok fuoÙk) cuke Hkkjr ljdkj(i#"kkÙke yky nkl cuke fcgkj jkT;(itkc u'kuy cd cuke ethr flg] fcgkj ,l0 b0 ch0 cuke fot; cgknj)**

11. न्यायालय के पूर्व न्यायिक उद्घोषणाओं का परीक्षण करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **''चंडी प्रसाद उनियाल एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य,'' (2012)8 SCC 417,** में अभिनिर्धारित किया है कि सरकारी कर्मचारी को भुगतान किया गया राशि आधिक्य सदैव वसूल किया जा सकता है और कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यपदेशन अथवा कपट की अनुपस्थिति में कर्मचारी को भुगतान की गयी राशि आधिक्य की वसूली नहीं करने का आधार नहीं हो सकती है किंतु आपवादिक परिस्थितियों में न्यायालय वसूली के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं॰ 14 और 15 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:–

"14. gekjk ljkdkj ykd èku d Hkxrku vkfèkD; d lkFk g ftl çk;% ^djnkrkvk d èku* d :i e of.kr fd;k tkrk g tk u rk vfèkdkfj;k dh g ftlu vfèkd Hkxrku dk çHkko fn;k g vkj u gh çkIrdrkvk dhA ge ;g n[ku e foQy g fd ,lh fLFkfr;k e diV vFkok n0;in'ku dh èkkj.kk D;k yk;h tk jgh gA iN tku okyk ç'u ;g g fd D;k èku vkfèkD; dk Hkxrku fd;k x;k g ;k ugh] 'kk;n lnHkkoi.k xyrh d dkj.kA lHkor% ljdkjh vfèkdkfj;k }kjk ykd èku dk vkfèkD; e Hkxrku mi{kk] ykijokgh] njfHklfèk] i{kikr] vkfn tl vud dkj.kk d dkj.k gk ldrh g D;kfd ,lh fLFkfr e èku u rk iku oky dk g vkj u gh nu oky dkA ,lh fLFkfr Hkh mnHkr gk ldrh g tgk nkrk ;k vknkrk nkuk xyrh ij g] rc xyrh ikjLifjd gA vud fLFkfr;k e fofèk d çkfèkdkj d fcuk Hkxrku fd;k tkrk g vkj fofèk d çkfèkdkj d fcuk çkIr dÙkkvk }kjk Hkxrkuk dk çkIr Hkh fd;k tkrk gA vR;Ur dfBukb;k d dN vioknk dk NkM dj fofèk d çkfèkdkj d fcuk Hkxrku dh x;h çkIr dh x;h fdlh jkf'k dk lno olyk tk ldrk g fdr crkj vfèkdkj ugh(,lh fLFkfr e fofèk vknkrk dk èku dk iuHkxrku dju dh ckè;rk foof{kr djrh g vU;Fkk ;g vufpr :i l vehj cuu d rY; gkxkA

15. vr% gekjk lfopkfjr nf"Vdk.k g fd l;;n vCny dkfnj ekey vkj duy ch0 t0 vDdjk ekey e bfxr fd, x, dN mnkgj.kk d flok, xyr@vfu;fer oru fu;rdj.k d dkj.k fd;k x;k Hkxrku vkfèkD; lno oly fd;k tk ldrk gA**

12. यहाँ उपर गौर किए गए तथ्यों से, मैं पाता हूँ कि याची ने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया और उसे दिनांक 3.3.1984 को डिग्री प्रदान की गयी थी और उसे दिनांक 1.4.1984 के प्रभाव से बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किया गया था और इसलिए मामले के तथ्यों में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि प्रत्यर्थी-प्राधिकारी, जिसने दिनांक 29.5.1995 के आदेश द्वारा याची को बी॰ एस॰ सी॰ प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किया था, को तथ्य की किसी गलती के कारण गुमराह किया गया था। यह ऐसा मामला है जिसमें बिहार सेवा संहिता के नियम 58 और बिहार वित्त नियमावली के नियम 74 की प्रयोज्यता के संबंध में विधि की गलत धारणा के अधीन दिनांक 7.1.2000 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। मैं पाता हूँ कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2028 वर्ष 1991 (R), सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2115 वर्ष 2001, और सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 294 वर्ष 1998 (R) में इस न्यायालय के एकल

न्यायाधीश ने वसूली के आदेश को चुनौती देते हुए कर्मचारियों द्वारा दाखिल याचिकाओं को भी अनुज्ञात किया है यद्यपि विभिन्न आधारों पर। वर्तमान मामले में याची दिनांक 31.5.2013 के प्रभाव से सेवानिवृत्त हो गया है और जब इस न्यायालय द्वारा इस मामले को सुना गया था, दिनांक 22.9.2000 के आदेश द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:–

> *^^vxy vkns'k rd çR;Fkhx.k fnukd 7 tuojh] 2000 d vkns'k d vulj.k e vkx dkb olyh ugh djxA***

13. पूर्वोक्त की दृष्टि में, यह रिट याचिका उस सीमा तक अनुज्ञात की जाती है कि दिनांक 7.1.2000 के आक्षेपित आदेश में अंतर्विष्ट वसूली के आदेश को अभिखंडित किया जाता है। पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ujUn ukFk frokjh] U;k;efr

अशोक पद सेन

cuke

नबी रसूल एवं अन्य

S.A. No. 107 of 2013. Decided on 6th December, 2013.

अभिधृति–बेदखली–मकान मालिक और किराएदार के संबंध का विवाद्यक विनिश्चित करते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष कि कौन वाद परिसर का मकान मालिक है पर आने के लिए आनुषंगिक रूप से साक्ष्य पर विचार और परीक्षण कर सकता है–ऐसे निष्कर्ष को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पूर्ण विचारण और हक के विवाद्यक पर न्याय निर्णयन के बाद दर्ज किए जाने वाले वाद परिसर के प्रति हक के निष्कर्ष और घोषणा के समतुल्य नहीं बनाया जा सकता है–बेदखली डिक्री मान्य ठहरायी गयी–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 20, 21 एवं 23)

निर्णयज विधि.–1985 PLJR 358; 2003 (2) PLJR 348—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Manjul Prasad, Jitendra Kr. Pasari, For the Appellant; Mr. Atanu Banerjee, For the Respondents.

आदेश

यह द्वितीय अपील हक (बेदखली) वाद सं॰ 40/2002 में विद्वान अपर मुंसिफ, प्रथम धनबाद द्वारा पारित दिनांक 25.2.2010 के निर्णय और डिक्री को अभिपुष्ट करते हुए और मान्य ठहराते हुए हक अपील सं॰ 63 वर्ष 2010 में विद्वान जिला न्यायाधीश IX, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 28.5.2013 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध दाखिल की गयी है।

2. अपीलार्थी किराएदार है। किराया के भुगतान में व्यतिक्रम और निजी आवश्यकता के आधार पर वाद परिसर से अपीलार्थी की बेदखली के लिए वादीगण-प्रत्यर्थीगण द्वारा वाद दाखिल किया गया था। प्रतिवादी-अपीलार्थी ने यह बचाव करते हुए वाद का प्रतिवाद किया कि वादीगण और प्रतिवादी के बीच मकानमालिक और किराएदार का संबंध नहीं है। वे वाद परिसर के स्वामी है और किराया के भुगतान अथवा किराया के भुगतान में व्यतिक्रम का प्रश्न नहीं है। उन्होंने उस आधार पर वाद की पोषणीयता को चुनौती दी और वाद खारिज करने की प्रार्थना की।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षों के अभिवचनों के आधार पर कुल नौ विवाद्यकों को विरचित किया। उनमें से विवाद्यकों कि क्या पक्षों के बीच मकानमालिक-किराएदार का संबंध था, क्या प्रतिवादी

ने किराया के भुगतान में व्यतिक्रम किया और क्या वादीगण को वाद संपत्ति की सद्‌भावपूर्ण आवश्यकता थी, को क्रमशः विवाद्यक सं॰ 4, 5 और 6 के रूप में अभियोजित किया गया था।

4. दोनों पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्य दिया है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्यों, विधि और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर पूरी चर्चा और विचार करने के बाद उक्त विवाद्यक सं॰ 4, 5 और 6 को वादीगण के पक्ष में यह अभिनिर्धारित करते हुए विनिश्चित किया कि मकान मालिक और किराएदार का संबंध मौजूद है, प्रतिवादी ने किराया के भुगतान में व्यतिक्रम किया और कि वादीगण को सद्‌भावपूर्ण उपयोग एवं अधिभोग के लिए वाद परिसर की आवश्यकता है।

6. इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद डिक्री किया।

7. उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, अपीलार्थी-किराएदार ने जिला न्यायाधीश, धनबाद के न्यायालय में हक अपील सं॰ 63 वर्ष 2010 दाखिल किया।

8. उक्त अपील अंतिम रूप से विद्वान जिला न्यायाधीश IX, धनबाद द्वारा सुनी और निपटायी गयी थी।

9. अपील में लिए गए आधारों के आधार पर विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने विनिश्चयकरण के लिए निम्नलिखित दो बिंदुओं को निरुपित किया:–

(i) D;k fo}ku voj U;k;ky; vfHky[k ij miyCèk lk{; dk lefpr :i l vfèkeY;u fd, fcuk bl fu"d"k ij vk;k g fd oknhx.k vkj çfroknh d chp edkuekfyd&fdjk,nkj dk lcèk g vkj blfy, voj U;k;ky; dk fu.k; fofèk e nk"ki.k g vkj viklr fd, tku dk nk;h g

(ii) D;k fo}ku voj U;k;ky; u vk{kfir fu.k; ikfjr djr g, fofèk e vFkok rF; e dkb rkfRod xyrh] voèkrk vFkok vfu;ferrk fd;k g tk voj U;k;ky; }kjk ikfjr fu.k; vkj fMØh e gLr{ki vko';d cukrk g

10. दोनों पक्षों ने उक्त बिंदुओं पर विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखा।

11. इस निष्कर्ष पर आने के लिए विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने समग्र रूप से विस्तारपूर्वक तथ्यों और साक्ष्यों पर चर्चा किया और प्रासंगिक पहलूओं, तथ्यों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर और विधि के प्रावधानों पर सम्यक विचार करने पर दोनों बिंदुओं का नकारात्मक उत्तर दिया। विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादीगण-प्रत्यर्थीगण ने सिद्ध किया है कि वे वाद परिसर के मकान मालिक हैं और प्रतिवादीगण किराएदार हैं जिन्होंने दो माह से अधिक के लिए किराया के भुगतान में व्यतिक्रम किया है और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष में अवैधता अथवा दुर्बलता नहीं है। इस प्रकार, विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने अपील खारिज कर दिया।

12. इस द्वितीय अपील में, अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालयों के निर्णयों और डिक्रियों का दो आधारों पर विरोध किया गया है–प्रथमतः विद्वान अवर न्यायालयों ने दस्तावेजी साक्ष्य (प्रदर्श 3 और 6) पर समुचित रूप से चर्चा नहीं किया है और यह अभिनिर्धारित करते हुए गलत निष्कर्ष पर आए हैं कि पक्षों के बीच मकानमालिक-किराएदार का संबंध है और द्वितीयतः यद्यपि वादी ने मूल्यानुसार न्यायालय फीस का भुगतान नहीं किया था, विद्वान अवर न्यायालयों ने गलत रूप से हक का विवाद्यक विनिश्चित किया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का प्रतिवाद करते हुए निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय और विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय में पूरी तरह से तथ्यों और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर चर्चा किया है और तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष पर आए हैं कि पक्षों के बीच मकानमालिक–किराएदार का संबंध है और कि प्रतिवादी–किराएदार ने किराया के भुगतान में व्यतिक्रम किया है और कि वादीगण–मकानमालिक को अपने बढ़ते परिवार की दृष्टि में सद्भावपूर्ण उपयोग के लिए परिसर की आवश्यकता है।

13. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और विद्वान अवर न्यायालयों के निर्णयों और डिक्रियों का परिशीलन किया है।

14. विद्वान विचारण न्यायालय और विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने समवर्ती रूप से पाया और अभिनिर्धारित किया है कि पक्षों के बीच मकानमालिक–किराएदार का संबंध है और कि किराया के भुगतान में किराएदार–प्रतिवादी के व्यतिक्रम और अपनी सद्भावपूर्ण आवश्यकता के आधार पर वादीगण बेदखली की डिक्री के हकदार है।

15. तथ्यों के उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं सामग्रियों के आकलन पर आधारित हैं।

16. निष्कर्षों का विरोध इन आधारों पर किया गया है कि दो दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् प्रदर्श 3 और 6 का समुचित रूप से आकलन नहीं किया गया है और कि विद्वान अवर न्यायालयों द्वारा हक का विवाद्यक विनिश्चित किया गया है यद्यपि वादीगण द्वारा मूल्यानुसार न्यायालय फीस का भुगतान नहीं किया गया था।

17. आक्षेपित निर्णयों के सूक्ष्म संवीक्षण पर मैं पाता हूँ कि प्रतिवादी ने मकानमालिक–किराएदार संबंध से इनकार करते हुए वाद का प्रतिवाद किया था और वाद परिसर के स्वामित्व के अधिकार का दावा किया था।

18. पक्षों के बीच संबंध के विवाद्यक को विनिश्चित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय और विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने प्रदर्श 3 और 6 सहित साक्ष्यों पर पूरी तरह चर्चा किया है और पक्षों के बीच के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए हक के प्रश्न पर भी आनुषंगिक रूप से विचार किया है।

19. अधिकार, हक के संबंध में स्वतंत्र विवाद्यक नहीं था और न ही हक के विवाद्यक पर कोई पूर्ण विचारण किया गया है।

20. यह बार–बार अभिनिर्धारित किया गया है कि मकानमालिक और किराएदार का विवाद्यक विनिश्चित करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष कि कौन वाद परिसर का मकानमालिक है, पर पहुँचने के लिए आनुषंगिक रूप से साक्ष्यों पर विचार और परीक्षण कर सकते हैं। उस प्रयोजन से अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य और सामग्री पर चर्चा और विचार पर उस प्रक्रिया में दर्ज निष्कर्ष को सिविल अधिकारिता के सक्षम न्यायालय द्वारा हक के विवाद्यक का पूर्ण रूप से विचारण और न्याय निर्णयण किए जाने के बाद दर्ज किए जाने वाले वाद परिसर के हक के निष्कर्ष और घोषणा के समतुल्य नहीं बनाया जा सकता है। **अनिल कुमार सिन्हा एवं एक अन्य बनाम मोस्मात वीणा देवी एवं अन्य,** 2003 (2) PLJR 348; और **शिवशंकर प्रसाद बनाम बरहन मिस्त्री,** 1985 PLJR 358 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रति निर्देश किया जा सकता है।

21. पक्षों के बीच संबंध, दो माह से अधिक के लिए किराया के भुगतान में व्यतिक्रम और वादीगण को वाद परिसर की सद्भावपूर्ण आवश्यकता के विवाद्यकों को साक्ष्यों के आकलन पर तथ्यों के दो न्यायालयों द्वारा वादीगण के पक्ष में समवर्ती रूप से विनिश्चित किया गया है और ये द्वितीय अपीलीय न्यायालय पर बाध्यकारी हैं।

22. प्रदर्श 3 और 6 सहित साक्ष्य का पुनर्आकलन द्वितीय अपील में इस न्यायालय की अधिकारिता के परे है।

23. उक्त चर्चा की दृष्टि में, अपीलार्थी की ओर से लिए गए आधार इस द्वितीय अपील में विरचित और विनिश्चित किए जाने योग्य विधि के किसी सारवान प्रश्न को उद्‌भूत नहीं करते हैं।

24. तद्‌नुसार, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vferkHk dekj xlrk] U;k;efr

झारखंड राज्य जनसेवक संघ

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 7092 of 2012. Decided on 12th December, 2013.

झारखंड जनसेवक (भर्ती तथा सेवा शर्त्त) (संशोधन), नियमावली, 2012—नियम 12(2)—ग्राम-सेवक (VLWs) की प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति—यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि पूर्ण प्रशिक्षण के साथ कृषि स्नातकों को 25% प्रोन्नति तथा पूर्ण प्रशिक्षण के साथ गैर कृषि स्नातकों को शेष 25% प्रोन्नति प्रदान करना मनमाना या भेदभावपूर्ण है—यह केवल जन सेवकों के लिये प्रोन्नति के अवसरों को उत्पन्न करने के लिये है जिनके लिये प्रखंड कृषि पदाधिकारी के तौर पर प्रोन्नत किये जाने के लिये पूर्ण प्रशिक्षण के साथ स्नातक होना विहित किया गया है—याची-संघ के सदस्यों को पूर्ण प्रशिक्षण के उपरान्त ही जन सेवकों के सामान्य संवर्ग में आमेलित किया जायेगा तथा ऐसा करते समय याची-संघ सम्मिलित पदक्रम सूची तैयार करने के लिये निर्देश की ईप्सा नहीं कर सकता है—जब याची-संघ के सदस्यों को जनसेवकों के सामान्य संवर्ग में आमेलित किया जाना शेष है, वह नियम 12 के उपनियम (2) को चुनौती नहीं दे सकते हैं—रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 19 से 21)

अधिवक्तागण.—M/s Md. S. Anwar, Rajiv Ranjan, A. Hussain, S. Verma, For the Appellant; M/s Jai Prakash, C.C. Sinha, For the Respondents.

आर॰ बानुमथी, मुख्य न्यायाधीश.—यह रिट याचिका (i) झारखंड जनसेवक (भर्ती तथा सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली , 2012 के नियम 12 के उप-नियम (2) के अंश को मनमाना, भेदभाव मूलक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अधिकारातीत तथा उल्लंघनकारी बताकर अभिखंडित करने के लिये तथा (ii) पूर्वोक्त पद पर योगदान की तिथि से वरीयता की गणना के अनुसार विभाग में कार्यरत ग्राम-सेवक (VLWs) की एक सम्मिलित पदक्रम सूची तैयार करने का प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिये दाखिल की गयी है।

2. <u>**संक्षिप्त तथ्य :**</u>—भूतपूर्व बिहार में, जन सेवक/ग्राम सेवकों की भर्ती के लिये, VLW (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 1958 लाई गयी थी। नियम 9(iii), (iv) एवं (v) के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को समय-समय पर यथा विहित अवधि के लिए एक बुनियादी कृषि विद्यालय में ऐसे प्रशिक्षण को प्राप्त करना था तथा सफल उम्मीदवारों की कतिपय संख्या के लिए और छह महीनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना भी आवश्यक हो सकता था। दिनांक 10.11.1984 का परिपत्र VLW की नियुक्ति के संबंध में संयुक्त

सचिव, ग्रामीण पूनर्वास एवं पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत किया गया था तथा दिनांक 10.11.1984 के पूर्वोक्त पत्र के अनुसरण में याची-संघ के सदस्यों को नियुक्त किया गया था तथा ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम सेवकों के पद पर वर्ष 1985 में योगदान दिया था तथा पत्र सं॰ 10622 10.11.1984 में अंतर्विष्ट प्रावधानों द्वारा वह संचालित थे। 1987 में, भूतपूर्व बिहार राज्य ने जन सेवक एवं ग्रामीण प्रसार सेवक (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 1987 में जन सेवकों की भर्ती के ढंग तथा क्रिया विधि का प्रावधान करते हुए इसे अधिनियमित किया था। पूर्वोक्त नियमावली में, जन सेवक की नियुक्ति के लिय तीन पृथक मापदंड उपबंधित किये गये थे-(a) प्रवेशिका के शैक्षणिक अर्हता रखने वाले 31.3.1990 तक चयनित उम्मीदवारों के लिए एक वर्ष के सफल प्रशिक्षण से गुजरना आवश्यक था तथा प्रशिक्षण के उपरांत उन उम्मीदवारों को जनसेवकों के पद पर नियुक्त किया जाना था तथा उन उम्मीदवारों को उनके सेवा काल के दौरान और एक वर्ष के प्रशिक्षण से गुजरना था। (b) प्रवेशिका की शैक्षणिक अर्हता रखने वाले 31.3.1990 के उपरांत चयनित उम्मीदवारों को दो वर्षों के पूर्ण प्रशिक्षण से गुजरना आवश्यक था तथा तत्पश्चात् उन्हें जनसेवकों के पद पर नियुक्त किया गया था तथा (c) कृषि स्नातक या उच्चतर डिग्री की शैक्षणिक अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों के लिये केवल तीन महीनों का प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता थी तथा तत्पश्चात् उन्हें एक सीमित लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता थी तथा अगर वैसे उम्मीदवार लिखित परीक्षा में असफल होते हैं, उनके लिये सामान्य प्रशिक्षण, अर्थात, एक वर्ष या दो वर्ष के प्रशिक्षण से होकर गुजरना आवश्यक था, जो भी स्थिति हो।

3. कृषि एवं गन्ना विभाग, झारखंड राज्य ने ग्राम सेवक (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2011 पुर:स्थापित किया था, जिसमें ग्राम सेवकों की नियुक्ति के लिये विहित न्यूनतम अर्हता चार विषयों, अर्थात, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित में से तीन विषयों के साथ विज्ञान में इन्टरमिडियट है तथा प्रशिक्षण की अवधि भी घटाकर छह महीने कर दी गयी है। प्रोन्नति के लिए अवसर उत्पन्न करते हुए नियम 12 लाया गया था। नियम 12.1 के अनुसार, निदेशक, कृषि द्वारा तैयार राज्य सूची के अनुसार वरीयता के मुताबिक VLW की प्रोन्नति की जानी थी। VLWs (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2011 के नियम 17 के निबंधनों में 1987 की नियमावली निरसित कर दी गयी है, परन्तु निरसित नियमावली के अधीन की गयी सभी कार्रवाईयां तथा निर्गत आदेश प्रभावित नहीं होंगे।

4. कृषि एवं गन्ना विभाग, झारखंड सरकार ने जन सेवक (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के माध्यम से पूर्वोक्त VLW (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2011 संशोधित किया था, जिसके द्वारा नियम 12 का उप-नियम (2) सामने लाया गया है। नियम 12(2) में, यह उपबंधित किया गया था कि केवल VLWs (पूर्ण प्रशिक्षित) को प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्राप्त होगी। नियम 12(2) के अनुसार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO) के पद के 50% सीधी भर्त्ती द्वारा भरे जायेंगे। BAO के पद के शेष 50% को जन सेवकों की प्रोन्नति करके, अर्थात, पूर्ण प्रशिक्षण के साथ कृषि स्नातकों से 25% लेकर तथा पूर्ण प्रशिक्षण के साथ गैर कृषि स्नातकों से अन्य 25% को लेकर भरा जायेगा।

<u>याची का मामला :</u>

याची VLWs का एक प्रतिनिधि निकाय है, जो झारखंड राज्य में विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित हैं तथा उन्हें पत्र सं॰ 10622 दिनांक 10.11.1984 के अनुसरण में नियुक्त किया गया है तथा उसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों द्वारा वह नियंत्रित होते हैं। याची-संघ नियम 12 के उप-नियम (2) को मनमाना, अवैधानिक, भेदभावपूर्ण एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघनकारी बताकर

चुनौती देता है। याची के अनुसार, जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के क्रियान्वयन के साथ, संघ के वैसे सदस्य, जिन्होंने 1985 में सेवा में योगदान दिया है तथा तत्समय विद्यमान VLW (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 1958 के अनुसार जिनकी नियुक्ति की गयी थी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर अपनी प्रोन्नति हेतु विचारित किये जाने से वंचित हो जायेंगे। जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, केवल पूर्ण प्रशिक्षित VLWs को प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिये विचारित किया जाना है तथा यह मनमाना है। याची-संघ के सदस्यों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर इस आधार पर उनकी प्रान्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है कि याची-संघ के सदस्यों ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इस तथ्य के बावजूद कि याची-संघ याची-संघ के सदस्यों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिय अभ्यावेदन करता रहा है, राज्य सरकार के संबद्ध प्राधिकार उन्हें पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने में विफल रहे थे। याची-संघ के सदस्य 27 वर्षों से VLWs के तौर पर कार्य कर रहे हैं तथा प्रोन्नति के लिए विचारित किये जाने के हकदार हैं। जन सेवक (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 का नियम 12.2 केवल उनके लिए प्रोन्नति का प्रावधान करता है जिन्हें 'पूर्ण प्रशिक्षण' प्राप्त है। बार-बार अभ्यावेदन देने के बावजूद, याची-संघ के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था तथा अतएव, याची-संघ के सदस्यों को उनकी प्रोन्नति के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रोन्नति के लिए विचारित किये जाने हेतु VLWs के पूर्ण प्रशिक्षण को विहित करने वाला जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 का नियम 12.2.1 मनमाना है। प्रत्यर्थीगण प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने के पहले विभाग में कार्यरत VLWs की एक सम्मिलित पदक्रम सूची तैयार करने के लिए बाध्य हैं ताकि याची-संघ के सदस्यों को विरोधी भेद-भाव का सामना नहीं करना पड़े। अतएव, यह रिट याचिका हुई है।

5. <u>प्रतिशपथ पत्र में प्रकथन</u>

रिट याचिका में किये गये तर्क को अस्वीकार करते हुए राज्य ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है यह तर्क देते हुए कि अधिसूचना सं॰ 3249 दिनांक 5.11.2012 के माध्यम से जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 में पैरा 12.2 के अनुसार प्रोन्नति का प्रावधान सम्मिलित किया गया था पूर्ण प्रशिक्षण के साथ उन जन सेवकों के लिये जो कृषि एवं गन्ना विभाग, झारखंड के अधीन कार्य कर रहे हैं। पत्र सं॰ 10622 दिनांक 10.11.1984 के माध्यम से ग्रामीण पुनर्वास तथा पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा याची संघ के सदस्यों को नियुक्त किया गया था तथा याची संघ के सदस्य ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं तथा कृषि विभाग के अधीन नहीं। याची-संघ के सदस्य पत्र सं॰ 10622 दिनांक 10.11.1984 में अंतर्विष्ट प्रावधानों द्वारा संचालित एवं मार्गदर्शित होते हैं। कृषि विभाग को याची के दावे के साथ कुछ लेना-देना नहीं है क्योंकि वह कृषि विभाग, झारखंड के अधीन कार्य नहीं कर रहे हैं तथा वह केवल ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधीन कार्यरत VLWs/जन सेवकों के पदक्रम में उनके संवर्ग की वरीयता केवल पत्र सं॰ 10622 दिनांक 10.11.1984 में अधिकथित शर्त्तों के अनुसार ही निर्णीत की जानी है, जिनके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था तथा अतएव, याची-संघ न तो जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2012 को चुनौती दे सकता है और न ही VLWs की एक सम्मिलित पदक्रम सूची तैयार करने के एक निर्देश की ईप्सा कर सकता है।

तर्क :

6. याची के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वरीय अधिवक्ता मो॰ एस॰ अनवर ने तर्क दिया कि आक्षेपित जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 मनमाना, अवैधानिक तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है। VLWs (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 1958 पर जोर देते हुए, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कृषि विद्यालय या बुनियादी कृषि विद्यालय में प्रशिक्षण के उपरान्त VLWs की नियुक्ति की जानी है परन्तु पिछले 10 वर्षों से कृषि विभाग द्वारा ऐसे प्रशिक्षण के निलंबन की दृष्टि में, याची-संघ के सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके थे। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि पत्र सं॰ 10622 दिनांक 10.11.1984 के अनुसार वर्ष 1985 में याची-संघ के सदस्यों को नियुक्त किया गया था तथा वह पात्रता मापदंड पूरा करते हैं एवं वह पिछले 27 वर्ष से कार्य कर रहे हैं परन्तु बार-बार दिये गये अभ्यावेदन के बावजूद, याची-संघ के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि VLWs/ग्रामीण प्रसार सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 1987 के प्रभाव में आने के उपरान्त, याची-संघ ने सदस्यों को एक वर्ष का अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये संबद्ध प्राधिकारों को कई आवेदन किये थे जिन्हें 31.3.1990 तक चयनित किया गया था तथा ऐसे अभ्यावेदनों के बावजूद, याची-संघ के सदस्यों को अपेक्षित प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया है। **1988 (Supp.) SCC 519** में रिपोर्ट किये गये **रघुनाथ प्रसाद सिंह बनाम सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार एवं अन्य** के मामले में दिये गये निर्णय पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सार्वजनिक सेवा के प्रत्येक शाखा में युक्तिसंगत प्रोन्नति के मार्ग/अवसर उपलब्ध होने चाहिए। यह निवेदन किया गया कि स्वयं सरकार की ओर से हुये व्यतिक्रम या चूक के कारण कर्मचारियों को परिणाम भुगतने देना अन्यायपूर्ण, अयुक्तिसंगत एवं मनमाना होगा। याची-संघ के सदस्यों को प्रोन्नति के लिए विचारित किये जाने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

7. विद्वान अपर महाधिवक्ता (ए॰ ए॰ जी॰) श्री जय प्रकाश ने निवेदन किया कि जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के नियम 12.2 के अनुसार प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत होने के लिये, VLWs को स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है, जो कृषि या किसी अन्य विषय की हो सकती है। विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने निवेदन किया कि जहां तक याची-संघ के सदस्यों की अर्हता का सवाल है, VLWs (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 1958 के अधीन VLW के तौर पर नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हता केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षा है और जब याची-संघ के सदस्यों के लिये केवल माध्यमिक विद्यालय स्तर तक की अर्हता होना है, वह जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रावधानों को भेदभावपूर्ण बताकर चुनौती नहीं दे सकते हैं। विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने यह भी निवेदन किया कि याची-संघ के सदस्यों को प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने का कोई अधिकार नहीं है, न ही एक सम्मिलित पदक्रम सूची तैयार करने के एक निर्देश की ईप्सा कर सकते हैं क्योंकि याची-संघ के सदस्यों को पत्र संख्या 10622 दिनांक 10.11.1984 (परिशिष्ट 2) के अनुसरण में नियुक्त किया गया था। परिशिष्ट 2 ग्रामीण पूनर्वास तथा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत किया गया था, कृषि एवं गन्ना विभाग द्वारा नहीं। विद्वान ए॰ ए॰ जी ने निवेदन किया कि परिशिष्ट 2 (दिनांक 10.11.1984 का पत्र) दर्शायेगा कि इन अतिरिक्त पदों के व्यय ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न शीर्षों के अधीन किये गये थे तथा अतिरिक्त पदों पर इन नियुक्तियों को एक विभिन्न संवर्ग की नियुक्तियां माना गया था। VLWs के इन

अतिरिक्त पदों का मुख्य बजटीय शीर्ष पृथक है, अर्थात, 314 सामुदायिक विकास ग्रामीण निर्माण है (अब 2501), जबकि कृषि विभाग के अधीन जन सेवकों का मुख्य बजटीय शीर्ष 305 था (अब 2401)। विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने यह निवेदन किया कि परिशिष्ट 2, दिनांक 10.11.1984 के पत्र के पैरा 8 में यह कथित किया गया था कि उपयुक्त प्रशिक्षण पर इन पदों का VLWs के मुख्य संवर्ग में विलय कर दिया जायेगा तथा जब याची-संघ के सदस्यों ने परिशिष्ट 8 के पैरा 8 में यथा कथित अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, याची-संघ उक्त पद पर योगदान की तिथि से गणना की गयी वरीयता के अनुसार VLWs की एक सम्मिलित पदक्रम सूची तैयार करने के एक निर्देश की ईप्सा नहीं कर सकते हैं।

8. हमने रिट याची तथा प्रत्यर्थीगण के निवेदनों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार किया है। इस रिट याचिका में विचार के लिये निम्नांकित बिन्दु उद्भूत होते हैं:–

(i) D;k tu lod (HkÙkh ,o lok 'kÙk) (l'kkèku) fu;ekoyh] 2012 d fu;e 12 dk mi&fu;e (2) euekuk] HknHkkoi.k] vfèkdkjkrhr rFkk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 14 dk mYy?kudkjh gA

(ii) D;k ;kph&l?k d lnL; ikUufr d fy, fopkj fd; tku d gdnkj g rFkk D;k VLWs dh ,d lfEefyr inØe lph r;kj dju d ,d fun'k dh bIlk dj ldr gA

(iii) D;k vk{kfir tulod (HkÙkh ,o lok 'kÙk) (l'kkèku) fu;ekoyh] 2012 Ñf"k ,o xUuk foHkkx d vUrxr dk;jr VLW l lcfèkr gA

9. प्रारंभ में 2012 के पहले, बी॰ एस॰ सी॰ कृषि की डिग्री रखने के सिवाय सामान्य रूप से जनसेवकों की प्रोन्नति के लिये कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। कृषि विभाग के अधीन कार्यरत जनसेवक/VLWs के प्रोन्नति संबंधी मामलों पर विचार करने के लिये कृषि एवं गन्ना विभाग, झारखंड द्वारा कई अभ्योवदन प्राप्त किये गये थे। जनसेवक/VLWs की प्रोन्नति के संबंध में नियमों/विनियमों की अनुपलब्धता के कारण, कृषि एवं गन्ना विभाग के अधीन कार्यरत जन सेवकों की प्रोन्नति के मामलों पर विचार करना संभव नहीं हो सका था तथा विभाग ने कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड के अधीन कार्यरत जन सेवकों, चाहे कृषि स्नातक हों या गैर कृषि स्नातक, को प्रोन्नति उपलब्ध कराने के लिये नियमावली विरचित किया था तथा इसे अधिसूचना सं॰ 3249 दिनांक 5.11.2012 में निर्गत किया गया था। पैरा 12.1 के अनुसार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी की कुल रिक्ति का 50% सीधी भर्त्ती द्वारा भरा जाना था तथा रिक्ति का शेष 50% प्रोन्नति के आधार पर जन सेवकों के बेसीक ग्रेड पद से भरा जाना था जैसा कि नियमों में इंगित था। नियम 12.2 निम्नवत् पठित हैं:–

"12.2 tu lod dh ikUufr fuEukfdr lkj.khc) rkfydk d vulkj fd;k tk;xk%&

12-2-1

क्रमांक	बेसिक ग्रेड/प्रोन्नत पद का नाम	वेतनमान	नियुक्ति/प्रोन्नति की प्रक्रिया	पद/कोटि का वर्गीकरण
1.	X	X	X	X

2.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	9300-34800 रुपये ग्रेड-पे 4200	(a) कुल रिक्ति का 50% सीधी भर्त्ती द्वारा (b) कुल रिक्ति का 50% प्रोन्नति के आधार पर जन सेवक के बेसिक ग्रेड पद से (i) कुल प्रोन्नति के पद का 50% जन सेवक भर्त्ती नियमावली, 1958, 1987 एवं 2011 के अधीन अपेक्षित अर्हता एवं पूर्ण प्रशिक्षण रखने वाले गैर कृषि स्नातक जन सेवकों द्वारा भरा जायेगा। (ii) प्रोन्नति के कुल पदों का 50% जन सेवक भर्त्ती नियमावली, 1958, 1987 एवं 2011 के अधीन अपेक्षित अर्हता एवं पूर्ण प्रशिक्षण रखने वाले कृषि स्नातक जन सेवकों द्वारा भरा जायेगा।	तृतीय वर्ग

10. जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के अधीन कार्यरत जन सेवकों के लिये प्रोन्नति के मार्ग उत्पन्न करने के लिये आशयित हैं। याची-संघ के सदस्यों को ग्रामीण पुनर्वास एवं पंचायत राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 2, पत्र सं० 10622 दिनांक 10.11.1984 से दिखाई पड़ता है। भारत संघ की अनुशंसा पर, प्रत्येक प्रखंड में VLWs के चार अतिरिक्त पद सृजित किये गये थे तथा याची-संघ के सदस्यों को उक्त सृजित अतिरिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्त किया गया था। अपनी नियुक्ति के समय से ही, याची-संघ के सदस्य ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य करते रहे हैं तथा वह कृषि विभाग, झारखंड के अधीन कार्यरत नहीं हैं।

उक्त पत्र सं० 10622 दिनांक 10.11.1984 का पैरा 8 बुनियादी कृषि विद्यालय एवं कृषि प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था का प्रावधान करता है। उक्त प्रशिक्षण के समापन के उपरान्त, उन अतिरिक्त पदों जिनके विरूद्ध याची एवं सहयोगी सदस्यों को नियुक्त किया गया था, का सामान्य जन सेवक संवर्ग में विलय किया जाना था। जबतक कि प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा नहीं किया जाता है, तबतक उक्त अतिरिक्त पदों (प्रत्येक प्रखंड में चार पद) का संवर्ग, जिनके विरूद्ध याची-संघ के सदस्य कार्यरत हैं, जिला स्तर पर पृथक बना रहेगा।

11. झारखंड राज्य (कृषि विभाग) द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में किये गये प्रकथनों का याची-संघ द्वारा 17.9.2013 को दाखिल प्रत्युत्तर में खंडन किया गया है। प्रत्युत्तर में यह कथित किया गया है कि

याची-संघ के सदस्य केवल कृषि विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं क्योंकि मूल विभाग कृषि विभाग है। याची ने 11.1.2013 को तृतीय प्रत्यर्थी, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र के पैरा 8 को निर्दिष्ट किया है, यह तर्क देने के लिये कि ग्राम सेवकों का नियंत्रक तथा मूल विभाग प्रत्यर्थी सं॰ 2, सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग है।

12. प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में, यह विनिर्दिष्टत: कथित नहीं किया गया है कि याची-संघ के सदस्यों का मूल विभाग कृषि एवं गन्ना विभाग भी है। दूसरी ओर, 11.1.2013 को प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र के पैरा 10 में, यह स्पष्टत: कथित किया गया है कि ग्रामीण पुणर्वास एवं पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 10622 दिनांक 10.11.1984 के निबंधनों में, ग्रामीण विकास विभाग ने आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ (समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम) के अधीन नियुक्त रांची, खूंटी, गुमला के ग्राम सेवकों को एक महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया था तथा उक्त प्रशिक्षण एस॰ आई॰ आर॰ डी॰ (राज्य ग्रामीण विकास संस्थान), हेहाल, रांची में दिया गया था। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा याची-संघ के सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण स्पष्टत: इंगित करता है कि याचीगण केवल ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य करते रहे हैं तथा याची-संघ के सदस्यों ने पत्र सं॰ 10622 दिनांक 10.11.1984, जिसके माध्यम से याची-संघ के सदस्यों को नियुक्त किया गया था, के पैरा 8 में यथा उपबंधित प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है। पूर्वोक्त पत्र के पैरा 8 के निबंधनों में, पूर्ण प्रशिक्षण पूरा करने पर ही, याची-संघ के सदस्यों का कृषि विभाग के अधीन कार्यरत ग्राम सेवकों के सम्मिलित संवर्ग में विलय किया जा सकता है।

13. तृतीय प्रत्यर्थी, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 27.9.2013 को दाखिल सम्पूरक प्रतिशपथ पत्र में, यह कथित किया गया है कि याची-संघ के सदस्यों को एक महीने का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। यह भी कथित किया गया है कि कृषि प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त याची-संघ के सदस्यों को जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 1958 में आमेलित किया जायेगा तथा तबतक उन्हें एक पृथक संवर्ग के तौर पर रखा जायेगा। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग ने अपने पत्र सं॰ 7285 दिनांक 11.10.2010 के माध्यम से कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से सामान्य जन सेवक संवर्ग में इन ग्राम सेवकों (याची-संघ के सदस्यों) को आमेलित करने का आग्रह किया है जो कृषि एवं गन्ना विकास विभाग की विषय वस्तु है। जब ग्रामीण विकास विभाग ने कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से याची-संघ के सदस्यों को कृषिगत प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सामान्य जन सेवक संवर्ग में इन ग्राम सेवकों को आमेलित करने का आग्रह किया है, याचीगण को पत्र सं॰ 7285 दिनांक 11.10.2010 में यथा अनुध्यात सामान्य जन सेवक संवर्ग में आमेलित किये जाने के लिये अपने अपेक्षित प्रशिक्षण को पूरा करने हेतु तृतीय एवं चतुर्थ प्रत्यर्थीगण के समक्ष उपचार तैयार करना है।

14. याची का मामला है कि बार-बार किये गये अभ्यावेदनों के बावजूद, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है तथा संघ ने दिनांक 24.8.2009 के अपने पत्र के माध्यम से याची-संघ के सदस्यों, जिनकी नियुक्ति 1987 में की गयी थी, को पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने से संबंधित मुद्दा उठाया था तथा ऐसे अभ्यावेदन के बावजूद, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था तथा यह याची-संघ के सदस्यों का दोष

नहीं है। याची का आगे तर्क यह है कि तीन विभिन्न नियमावलियों, अर्थात, क्रमश: VLWs (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 1958, 1987 एवं 2011 के अनुसरण में उनकी नियुक्तियां की गयी थीं तथा पूर्वोक्त तीनों नियमावलीयों के अधीन, प्रशिक्षण अवधियाँ भिन्न-भिन्न थीं तथा जब याची-संघ के सदस्यों की नियुक्ति VLWs (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 1958 के अनुसरण में की गयी थी, उन्हें राज्य सरकार के साथ प्राधिकारों की विफलता के कारण पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका था तथा अतएव, याचीगण तर्क देते हैं कि पूर्ण प्रशिक्षण पूरा न करने में उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है तथा याची-संघ के सदस्यों को उनके प्रोन्नति संबंधित अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता है।

15. याची का आगे यह मामला है कि VLWs के तीन संवर्गों की विभाग द्वारा पृथक सूची तैयार की गयी है तथा रखी गयी है: (i) अप्रशिक्षित/एक महीने का प्रशिक्षण प्राप्त, (ii) एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त तथा (iii) दो वर्ष के प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी ग्राम सेवक। याची-संघ मुख्यत: दिनांक 21.7.2004 के पत्र के माध्यम से निदेशक, कृषि, झारखंड राज्य द्वारा भेजे गये पत्र पर भरोसा करते हैं जिसके द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर VLWs की प्रोन्नति से संबंधित रिपोर्ट उपायुक्तों तथा सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से मांगी गयी थी।

16. जैसा कि पहले परिचर्चा की गयी है, याचीगण केवल ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं। पत्र सं॰ 10622 दिनांक 10.11.1984 याची-संघ तथा उनके सहयोगियों के सदस्यों के समान जन सेवकों के लिये एक पृथक संगठन, अर्थात, बिहार ग्रामीण विकास संस्थान, रांची द्वारा आयोजित किये जाने वाले पृथक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रावधानों (पत्र का पैरा 5) को उपबंधित करता है। उक्त पत्र सं॰ 10622 दिनांक 10.11.1984 का पैरा 8 बुनियादी कृषि विद्यालय एवं कृषि प्रशिक्षण प्रसार केन्द्र द्वारा आयोजित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रावधान करता है तथा उक्त प्रशिक्षण के समापन के उपरान्त ही, जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के अनुसार पद का सामान्य जन सेवक संवर्ग में विलय किया जाना था।

पत्र सं॰ 10622 दिनांक 10.11.1984 में यथा अनुबद्ध सम्पूर्ण तथा समूचे प्रशिक्षण की कमी के कारण, उन्हें जन सेवक के सामान्य संवर्ग में आमेलित नहीं किया जा सका था तथा वह ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यरत एक भिन्न संवर्ग बने हुए हैं। उक्त अतिरिक्त पद के वेतन के भुगतान के लिये मुख्य बजटीय शीर्ष पृथक था। उक्त संवर्ग का मुख्य बजटीय शीर्ष 314 सामुदायिक विकास ग्रामीण निर्माण (अब 2501) था, जबकि कृषि विभाग के अधीन जन सेवकों का मुख्य बजटीय शीर्ष 305 (अब 2401) था।

याची-संघ के सदस्यों की सेवा शर्त्तें पत्र सं॰ 10622 दिनांक 10.11.1984 में यथा उपबंधित सेवा शर्त्तों द्वारा संचालित हैं, जिसके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था। उक्त पत्र में यथा अनुबद्ध प्रशिक्षण के पूरा किये जाने तक, याची-संघ के सदस्य एक पृथक संवर्ग के तौर पर बने रहेंगे। उक्त पत्र में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षण के पूरा होने के उपरान्त ही, याची-संघ के सदस्यों को आमेलित किया जा सकता है। जब याची-संघ के सदस्य ग्रामीण विकास विभाग में VLWs के तौर पर कार्य कर रहे हैं तथा कृषि एवं गन्ना विकास विभाग में आमेलित नहीं किये गये हैं, वह VLWs के तौर पर योगदान देने की तिथि के आधार पर एक सम्मिलित पदक्रम सूची तैयार करने के लिये ईप्सा नहीं कर सकते हैं।

अब हम जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के नियम 12 के उप-नियम (2) को दी गयी चुनौती के संबंध में याची-संघ के सदस्यों के तर्कों पर विचार करते हैं।

17. प्रखंड में कृषि की समग्र वृद्धि के लिये कार्य करना तथा (i) कृषि के संबंध में सभी केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं से किसानों को परिचित करना; (ii) फसलों/उत्पादों के संबंध में किसानों को शिक्षित कराना तथा नवीनतम जानकारी देना; (iii) फसलों/उत्पादों, मृदा गुणवत्ता एवं जलवायु परिस्थितियों इत्यादि की उपयुक्तता के संबंध में किसानों को शिक्षित बनाना; (iv) कृषि परिचालनों के संबंध में किसानों को सभी आगतों को प्रदान करना तथा (v) किसानों को उपलब्ध ऋण तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में उन्हें शिक्षित कराना तथा नवीनतम जानकारी देना प्रखंड कृषि पदाधिकारी के मुख्य प्रकार्य हैं। उपरोक्त कृषि कार्यों के अतिरिक्त, प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधीन भी कार्य करना होता है तथा चुनाव, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि जैसे विभिन्न कार्डों को तैयार करने में सारे सरकारी प्रकार्यों एवं प्रखंड में अन्य सभी प्रशासनिक गतिविधियों में उसकी सहायता करनी होती है।

18. प्रखंड कृषि पदाधिकारी के कार्य की प्रकृति, तकनीकी जटिलताओं तथा उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए, प्रोन्नति के पद के 50% में से, पूर्ण प्रशिक्षण के साथ कृषि स्नातकों को 25% प्रोन्नति दी जाती है तथा शेष 25% पूर्ण प्रशिक्षण के साथ गैर कृषि स्नातकों को प्रदान किया जाता है। अंतर्ग्रस्त उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, ग्राम सेवकों, जिनपर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, को पूर्ण प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अतएव, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि पूर्ण प्रशिक्षण के साथ कृषि स्नातकों को 25% प्रोन्नति तथा पूर्ण प्रशिक्षण के साथ गैर-कृषि स्नातकों को शेष 25% प्रोन्नति प्रदान करना मनमाना या भेदभावपूर्ण है। यह केवल जन सेवकों के लिये प्रोन्नति के मार्गों को उत्पन्न करने के लिये है, जिन जन सेवकों के लिये प्रखंड कृषि पदाधिकारी के तौर पर प्रोन्नत किये जाने हेतु पूर्ण प्रशिक्षण के साथ स्नातक विहित किया गया है। नियमों को मनमाना बताकर चुनौती देते हुए याची-संघ के तर्क में कोई दम नहीं है तथा यह तर्क अस्वीकार किये जाने योग्य है।

27.9.2013 को तृतीय प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल सम्पूरक प्रतिशपथ पत्र के पैरा 7 में, यह कथित किया गया है कि कृषि प्रशिक्षण केन्द्र में अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही, VLWs को जन सेवकों के सामान्य संवर्ग में आमेलित किया जायेगा तथा तबतक उन्हें जिला स्तर पर एक पृथक संवर्ग के तौर पर रखा जायेगा। तृतीय प्रत्यर्थी ने सामान्य जनसेवक संवर्ग में VLWs को आमेलित करने के लिये कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से आग्रह करते हुए एक पत्र सं॰ 7285 दिनांक 11.10.2010 भेजा था, जो कृषि एवं गन्ना विकास विभाग की विषय वस्तु है।

19. याची-संघ का मामला यह है कि अभ्यावेदनों के बावजूद, याची-संघ के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है तथा दिनांक 8.10.2001 के पत्र द्वारा एवं दिनांक 14.10.2009 के पत्र एवं अन्य पत्रों द्वारा भी, याची-संघ ने संघ के सदस्यों, जिनकी नियुक्ति पहले वर्ष 1984 में की गयी थी, को पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने से संबंधित मुद्दा उठाया था तथा बार-बार किये गये ऐसे अभ्यावेदनों के बावजूद, उन्हें पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा अतएव, प्रशिक्षण पूरा न कर पाने में याची-संघ के सदस्यों का दोष नहीं है। याची-संघ के लिये उपस्थित होने वाले विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि बार-बार भेजे गये अभ्यावेदनों के बावजूद, याची-संघ के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था, VLWs को जन सेवकों के सामान्य संवर्ग में नहीं लाकर तथा उन्हें प्रोन्नति प्रदान नहीं करके उनके हित को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि पहले विशेष सचिव, कृषि एवं गन्ना विभाग ने अर्द्ध प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित VLWs को 500/- रुपये के वृत्ति के साथ प्रशिक्षण उपलब्ध कराने या उनके अनुभव के अनुसार कृषि डिप्लोमा धारकों के तौर पर उन्हें मान्यता देने की VLWs की मांग पर निदेशक, कृषि, झारखंड, रांची से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए एक पत्र-ज्ञाप सं॰ 2239 दिनांक 29.7.2004 भेजा है। यह उल्लिखित करना

समीचीन है कि उक्त पत्र सं० 2239 दिनांक 29.7.2004 कृषि एवं गन्ना विभाग में कार्यरत VLWs के संबंध में है तथा याची-संघ के सदस्यों से संबंधित नहीं है, जो ग्रामीण विकास विभाग में कार्य कर रहे हैं। अभ्यावेदन करने के अलावा, याची-संघ ने पत्र सं० 10622 दिनांक 10.11.1984 में यथा उपबंधित पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उसी समय कोई कदम नहीं उठाये थे जिससे कि वह जन सेवकों के सामान्य संवर्ग में आमेलित होने के लिए योग्य हो जाते।

20. याची-संघ के सदस्यों को पूर्ण प्रशिक्षण के उपरान्त ही जन सेवकों के सामान्य संवर्ग में आमेलित किया जायेगा तथा ऐसा रहते हुए, याची-संघ एक सम्मिलित पदक्रम सूची तैयार करने के किसी निर्देश की ईप्सा नहीं कर सकता है। जब याची-संघ के सदस्यों को जन सेवकों के सामान्य संवर्ग में आमेलित किया जाना शेष है, याची-संघ के लिये जन सेवक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के नियम 12 के उप-नियम (2) को चुनौती देने का विकल्प नहीं खुला हुआ है। जैसा कि पूर्व में निर्दिष्ट किया गया है, कृषि प्रशिक्षण केन्द्र में अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही, याची-संघ के सदस्यों को जन सेवकों के सामान्य संवर्ग में आमेलित किया जायेगा; तबतक उन्हें जिला स्तर पर पृथक संवर्ग के तौर पर रखा जायेगा। पत्र सं० 7285 दिनांक 11.10.2010 द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग ने कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से याची-संघ के सदस्यों तथा ऐसे अन्य VLWs को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उपरान्त सामान्य जन सेवक संवर्ग में आमेलित करने का आग्रह किया है, जो कृषि एवं गन्ना विकास विभाग की विषय वस्तु है। संबद्ध प्राधिकारों के यहां इसपर आगे कार्य कराना याची-संघ का कार्य है, जब याची-संघ के सदस्य ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत हैं, जन सेवकों की एक सम्मिलित पदक्रम सूची तैयार करने का कोई निर्देश प्रत्यर्थीगण को निर्गत नहीं किया जा सकता है।

21. पूर्वगामी कारणों से, याची-संघ किसी अनुतोष तथा ईप्सा किये गये निर्देश का हकदार नहीं है तथा रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है तथा इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं एक अन्य (80 में)

मेसर्स शारदा इंटरप्राईजेज (5395 में)

मेसर्स साहू उद्योग (5496 में)

मेसर्स माँ अंबिका भवानी वाशिंग प्वाइंट (5510 में)

मेसर्स फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रिज (5687 में)

cuke

मेसर्स फिलफर्ड मार्केटिंग एन्ड मैन्यूफैक्चरिंग निगम एवं अन्य (80 में)

झारखंड राज्य एवं अन्य (5395, 5496, 5510 एवं 5687 में)

L.P.A. Nos. 80 of 2013 with W.P.(C) No. 5395, 5496, 5510 with 5687 of 2012. Decided on 10th December, 2013.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–औद्योगिक भूखंडों का आवंटन–आवंटन का रद्दकरण आवंटियों/पट्टादारों के विरुद्ध कठोर शास्ति कार्रवाई है और आवंटियों को अभिकथित

उल्लंघन विनिर्दिष्ट करने वाला नोटिस दिया जाना चाहिए–आवंटियों द्वारा कारण बताए जाने के बाद प्रस्तुत सामग्री के प्रति विवेक का समुचित इस्तेमाल करना होगा और आदेशों को भी समुचित दर्शाना होगा–उल्लंघन अभिकथित करते हुए नोटिसों को इस आधार पर जारी किया गया था कि आवंटित भूखंडों का आवासीय प्रयोजन से आंशिक रूप से उपयोग किया गया था, किंतु रद्दकरण के आदेशों को भिन्न आधारों पर पारित किया गया था कि इकाईयाँ कार्यशील नहीं थी जो रद्दकरण का आदेश दूषित करता है–आक्षेपित नोटिसों को अभिखंडित करने में एकल न्यायाधीश न्यायोचित थे। (पैराएँ 16 से 21)

अधिवक्तागण.–Mr. V.P. Singh, For the Appellant; M/s Ashok Kumar Yadav, Indrajeet Sinha, Sumeet Gadodia, For the Writ Petitioners; Mr. Rajeev Ranjan, For the Respondents.

आदेश

डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7124/2012 में पारित दिनांक 16.1.2013 के आदेश से व्यथित होकर, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने पट्टा विलेख के आवंटन के निबंधनों एवं शर्तों के अभिकथित उल्लंघन के कारण बताओ नोटिसों, परिशिष्ट–9, को अभिखंडित करते हुए रिट याचिका अनुज्ञात किया, अपीलार्थी राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰) ने इस अपील को दाखिल किया। अपीलार्थी/आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 के अधीन सृजित सांविधिक निकाय है। अपीलार्थी ने औद्योगिक प्रयोजन से अनेक आवंटियों को भूखंड आवंटित किया। अपीलार्थी अभिकथित करता है कि औद्योगिक प्रयोजन से आवंटित भूमि का उपयोग करने के बजाए, आवंटन आदेश/पट्टा विलेख के निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघन में, आवंटियों ने आवासीय प्रयोजन से अंशतः अथवा पूर्णतः भूमि का उपयोग किया जो आवंटन आदेश के निबंधनों एवं शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन में है। दिनांक 14.7.2012 को पत्र सं॰ 728 के तहत अपीलार्थी ने 80 इकाईयों के विरुद्ध उनको साक्ष्य, यदि हो, के साथ लिखित में उसमें यह कथन करते हुए कि क्यों नहीं निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघन के लिए आवंटन आदेशों को रद्द कर दिया जाए, अपने मामलों को प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए सामान्य नोटिस जारी किया जिसे दिनांक 16.7.2012 को दैनिक समाचार पत्र ''प्रभात खबर'', राँची में प्रकाशित किया गया था।

2. समाचार पत्र ''प्रभात खबर'', राँची में प्रकाशित उक्त नोटिस को चुनौती देते हुए कुछ आवंटियों ने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7124/2012 दाखिल किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि आवंटियों/पट्टादारों के विरुद्ध कोई कठोर शास्तिक कार्रवाई करने के पहले अभिकथित उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए उनको नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि व्यक्तिगत आवंटी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकें। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित नोटिस को इस आधार पर अभिखंडित कर दिया कि यह अस्पष्ट है और विधि की दृष्टि में खरा नहीं उतरता है।

3. डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7124/2012 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी/आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ ने इस एल॰ पी॰ ए॰ को दाखिल किया। उल्लिखित किए जाने पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से अन्य संबंधित रिट याचिकाओं डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5395/2012, 5496/2012, 5510/2012 और 5687/2012 को भी इस एल॰ पी॰ ए॰ से जोड़ा गया था और साथ सुना गया था।

4. एल॰ पी॰ ए॰ में, अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह कहने में सहीं नहीं थे कि नोटिस अस्पष्ट थी और नोटिस में विनिर्दिष्टतः अभिकथन इंगित करना चाहिए था। अपीलार्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि 80 इकाईयों में से कुछ आवंटी प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और उन मामलों को निपटाया गया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि आवंटन रद्द करने वाला आदेश

पारित करने के पहले आवंटियों को पर्याप्त नोटिस दिया गया था और ऐसा होने पर विद्वान एकल न्यायाधीश आम नोटिस को अभिखंडित करने में सही नहीं थे।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन ने निवेदन किया कि आवंटन आदेश/पट्टा विलेख के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन अभिकथित करते हुए आम नोटिस नहीं दी जा सकती है और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आवंटियों को सक्षम बनाने के लिए व्यक्तिगत नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि दिनांक 16.7.2012 की आम नोटिस में यह अभिकथित किया गया था कि आवंटियों ने आवासीय प्रयोजन से आवंटित भूखंडों का अंशत: अथवा पूर्णत: उपयोग करते हुए उल्लंघन किया था और जारी किया गया नोटिस अस्पष्ट है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही प्रकार से अस्पष्टता के आधार पर आक्षेपित नोटिस अभिखंडित किया।

6. हमने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5395/2012, 5496/2012, 5510/2012 और 5687/2012 में रिट याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार यादव, श्री इंद्रजीत सिन्हा और श्री सुमित गडोडिया को सुना है। रिट याचिकाओं में यह प्रतिवाद किया गया था कि दिनांक 16.7.2012 के नोटिस के समाचार पत्र प्रकाशन और व्यक्तिगत नोटिसों के अनुसरण में कुछ रिट याचीगण उपस्थित हुए और दिनांक 25.8.2012 को अपना बयान दाखिल किया और उसी दिन पर अर्थात् दिनांक 25.8.2012 को प्राधिकरण आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ ने जल्दबाजी में आवंटन रद्द करते हुए आदेश पारित किया जो दर्शाता था कि आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ की ओर से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह निवेदन भी किया गया था कि यद्यपि नोटिसों में यह अभिकथित किया गया था कि आवंटित भूखंडों का आंशिक रूप से आवासीय प्रयोजन से उपयोग किया गया था, आवंटन के रद्दकरण के अंतिम आदेशों को भिन्न आधार पर पारित किया गया था अर्थात् इकाईयाँ कार्यशील नहीं थी और बंद थीं और प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश इस आधार पर भी दूषित है।

7. हमने आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगण–आवंटियों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

8. आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ ने वर्ष 1972-1982 में आवंटियों को भूखंड आवंटित किया। तब से आवंटियों ने अनेक औद्योगिक इकाईयों को स्थापित किया है और यह बताया गया है कि वे उद्योग चला रहे हैं। आवंटन के निबंधनों एवं शर्तों के मुताबिक, आवंटित भूखंडों का उपयोग केवल औद्योगिक प्रयोजन से किया जाना चाहिए। यह अभिकथित करते हुए कि आवंटियों ने आवासीय प्रयोजन से आवंटित भूखंडों का अंशत: उपयोग करके आवंटन के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन किया है, दिनांक 16.7.2012 को समाचार पत्र ''प्रभात खबर'' में 80 इकाईयों के विरुद्ध आम नोटिस प्रकाशित की गयी थी और उनको आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ के समक्ष उपस्थित होकर अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि क्यों नहीं परियोजना के अनुमोदन के मुताबिक भूमि का उपयोग नहीं करने के लिए निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उनके आवंटन आदेशों को रद्द कर दिया जाए। समस्त 80 इकाईयों के विरुद्ध अभिकथित उल्लंघन एक और वही है। आम सूचना के बाद, दिनांक 18.8.2012 को आवंटियों को व्यक्तिगत नोटिस भेजा गया था और उनको दस्तावेजों/विवरणों के साथ निदेशक, आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था जैसा व्यक्तिगत नोटिसों में उपदर्शित किया गया है। जैसा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही प्रकार से इंगित किया गया है, आवंटन का रद्दकरण आवंटियों/पट्टादारों के विरुद्ध कठोर शास्तिक कार्रवाई है और अभिकथित उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए आवंटियों को नोटिस दिया जाना चाहिए था। समाचार पत्र ''प्रभात खबर'' में जारी आक्षेपित नोटिस अत्यन्त अस्पष्ट है और व्यक्तिगत आवंटियों को जारी दिनांक 18.8.2012 की नोटिस अभिकथित उल्लंघन विनिर्दिष्ट उपदर्शित किए बिना सामान्य नोटिस है।

9. आवंटन का रद्दकरण कठोर कार्रवाई है जिसके लिए विनिर्दिष्ट उल्लंघन को प्रभावकारी रूप से उपदर्शित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना अत्यावश्यक है। आवंटियों को आम नोटिस जारी करने के पहले व्यक्तिगत नोटिस देना चाहिए था। किंतु आम नोटिस दिनांक 16.7.2011 को ''प्रभात खबर'' में जारी की गयी थी और केवल तत्पश्चात दिनांक 18.8.2012 को आवंटियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी की गयी थी जिसे हमारे सुविचारित मत में प्रभावकारी कारण बताओ नोटिस नहीं कहा जा सकता है।

10. चाहे जो भी हो, वर्ष 2011 में यह अभिकथन करते हुए कि इकाईयाँ कार्यशील नहीं थी और आवंटियों ने निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन किया है, आवंटियों को नोटिस जारी किया गया था। वर्ष 2011 में आवंटियों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है किंतु उस समय पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

11. आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ''प्रभात खबर'' में प्रकाशित आम नोटिस और व्यक्तिगत नोटिसों के भी अनुसरण में कुछ आवंटी उपस्थित हुए और अपना कारण बताओ दाखिल किया और प्राधिकारियों द्वारा आदेशों को भी जारी किया गया था और ऐसा होने पर आवंटियों को नोटिसों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के पास जाने की छूट नहीं थी।

12. निश्चय ही, रिट याचीगण प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए हैं और अनेक तिथियों 25.8.2012 अथवा 29.8.2012 को अपना स्पष्टीकरण दिया है। यह गौर करना उपयुक्त है कि आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ ने उसी दिन पर जिस पर आवंटियों ने अपना बयान दाखिल किया आवंटन को रद्द करते हुए आदेश पारित किया, तद्द्वारा यह उपदर्शित करते हुए कि व्यक्तिगत आवंटियों द्वारा दाखिल कारण बताओ पर विचार नहीं किया गया था अथवा जल्दबाजी में आवंटन रद्द करते हुए आदेशों को पारित किया गया था। आवंटनों को रद्द करने वाले आदेशों को पारित करने के पहले प्रस्तुत सामग्री के संबंध में विवेक का समुचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए था।

13. रिट याची (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5687/2012) के अनुसार, इसे दिनांक 16.7.2012 को ''प्रभात खबर'' में जारी आम नोटिस की जानकारी नहीं थी और न ही याची की उपस्थिति के लिए दिनांक 25.8.2012 को नियत तिथि के बारे में जानकारी थी। रिट याची के अनुसार, इसे केवल दिनांक 29.8.2012 के मेमो सं॰ 991 के माध्यम से पता चला कि 20054.24/- रुपयों की राशि बकाया थी और याची ने दिनांक 8.9.2012 के रसीद सं॰ 19471 के तहत 20054.24/- रुपयों की उक्त राशि का तुरन्त भुगतान किया और याची ने दिनांक 7.9.2012 को अभ्यावेदन भी दाखिल किया। याची के अनुसार, दिनांक 29.8.2012 की कार्यवाही द्वारा कोई अवसर दिए बिना आवंटन का आदेश रद्द किया गया था जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में है।

14. रिट याची (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5395/2012) के अनुसार, यह दिनांक 25.8.2012 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ और यह स्पष्ट करते हुए कि याची इकाई का उपयोग आवासीय प्रयोजन से नहीं किया जा रहा था और इसकी इकाई कार्यशील थी, अपना लिखित अभ्यावेदन दाखिल किया और आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ ने दिनांक 25.8.2012 को ही फिक्सचर, प्लांट एवं मशीनरी को भूखंड से हटाने सहित भूमि खाली करने के निर्देश के साथ आवंटन रद्द करते हुए दिनांक 25.8.2012 का आदेश पारित किया था।

15. इसी प्रकार, डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5496/2012 में, रिट याची दिनांक 25.8.2012 को उपस्थित हुआ और स्पष्ट किया कि इसने निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था और दिनांक 30.8.2012 को उसी दिन आवंटन रद्द करने वाला आदेश पारित किया गया था और याची ने भूखंड सं॰ 25 पर अवस्थित आवंटित भूमि को खाली करने के निर्देश के साथ याची के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करते हुए दिनांक 29.8.2012 के पत्र संख्या 995 के माध्यम से संसूचित दिनांक 25.8.2012 का आदेश प्राप्त किया था।

16. डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5510/2012, में दिनांक 18.8.2012 का आदेश प्राप्त करने पर रिट याची दिनांक 31.8.2012 को प्रबंध निदेशक, आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ के समक्ष उपस्थित हुआ और दिनांक 31.8.2012 के पत्र द्वारा विस्तृत कारण बताओ दाखिल किया और उसी दिन पर अर्थात् दिनांक 31.8.2012 को आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर भूमि खाली करने के निर्देश के साथ याची के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करते हुए आदेश पारित किया गया था।

17. समस्त रिट याचिकाओं में किए गए प्रकथनों के पठन द्वारा और रिट याचीगण के प्रतिवादों पर विचार करते हुए यह देखा जाता है कि आवंटन रद्द करने वाला आदेश आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ द्वारा उसी दिन पर पारित किया गया था जिस पर रिट याचीगण उपस्थित हुए और अपना विस्तृत कारण बताओ दाखिल किया। हमारे सुविचारित मत में, रिट याचीगण द्वारा दाखिल विस्तृत कारण बताओ पर सम्यक रूप से विचार नहीं किया गया था और आवंटन के रद्दकरण का आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया था। आवंटन का रद्दकरण आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ द्वारा की गयी कठोर शास्तिक कार्रवाई है। आवंटियों द्वारा कारण बताए जाने के बाद प्रस्तुत सामग्री के प्रति विवेक का समुचित इस्तेमाल करना होगा और आदेशों पर भी सम्यक रूप से विचार करना होगा। यह तथ्य कि रद्दकरण आदेश विस्तृत कारण बताओ दाखिल करने के दिन पर ही पारित किया गया था, उपदर्शित करता है कि विवेक का समुचित इस्तेमाल नहीं किया गया था और प्राधिकरण आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ पूर्व निश्चित तरीके से अग्रसर हुआ।

18. यह गौर करना भी उपयुक्त है कि उल्लंघन अभिकथित करते हुए नोटिसों को इस आधार पर जारी किया गया था कि आवंटित भूखंडों का उपयोग अंशत: आवासीय प्रयोजन से किया गया था, किंतु रद्दकरण का आदेश भिन्न आधार पर जारी किया गया था कि इकाईयाँ कार्यशील नहीं थी और यह पुन: प्राधिकरण द्वारा विवेक का गैर इस्तेमाल उपदर्शित करता है जो हमारे सुविचारित मत में रद्दकरण के आदेश को दूषित करता है।

19. प्रत्यर्थीगण/रिट याचीगण के अनुसार, आवंटित भूखंडों का उपयोग केवल औद्योगिक प्रयोजन से किया गया था और मजदूरों, सुरक्षा प्रहरियों को घर देने के लिए और कार्यालय प्रयोजन से केवल छोटे से अंश का उपयोग आवासीय प्रयोजन से किया गया था और इसे आवंटन के आदेश के निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघन में नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, हमारा दृष्टिकोण है आवंटन के रद्दकरण का कोई आदेश पारित करने के पहले अपना कारण बताने के लिए प्रत्यर्थीगण/रिट याचीगण को पर्याप्त अवसर दिया जाना होगा।

20. विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 14.7.2012/16.7.2012 के आक्षेपित नोटिसों को अभिखंडित करने में सही थे और एल॰ पी॰ ए॰ खारिज। (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5395/2012 में पारित) दिनांक 25.8.2012 के आदेश, (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5687 और 5496 वर्ष 2012 में पारित) दिनांक 29.8.2012 के आदेश और (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5510/2012 में पारित) दिनांक 31.8.2012 के आदेश को अभिखंडित किया जाता है और एल॰ पी॰ ए॰ खारिज किया जाता है और रिट याचिकाएँ अनुज्ञात की जाती हैं।

21. परिणामस्वरुप, (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7124/2012 से उद्भूत होने वाला) एल॰ पी॰ ए॰ खारिज किया जाता है और रिट याचिकाएँ डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5395/2012, 5496/2012, 5510/2012 और 5687/2012 अनुज्ञात किया जाता है। आर॰ आई॰ ए॰ डी॰ ए॰ को एल॰ पी॰ ए॰ के प्रत्यर्थीगण को और रिट याचीगण को भी सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने का और इस पर विचार करने और विधि के अनुरुप आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश केवल उनके संबंध में है जो रिट याचिकाओं को दाखिल करके इस न्यायालय के पास आए हैं।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

देव नारायण राय

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3752 of 2010. Decided on 27th November, 2013.

सेवा विधि–प्रोन्नति–ए॰ सी॰ पी॰–12 वर्ष पूरा करने पर एवं 24 वर्ष की निरन्तर सेवा पर योजना के अधीन लाभ प्रदान करना होगा–निरन्तर सेवा का अर्थ है निरन्तर मेधापूर्ण सेवा–विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही के कारण ए॰ सी॰ पी॰ के अधीन लाभ का प्रदान विलंबित किया जा सकता है–कर्मचारी ए॰ सी॰ पी॰ के अधीन लाभ के प्रदान का हकदार केवल तब होगा यदि वह विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। (पैराएँ 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(1997) 11 SCC 463—Relied; AIR 2004 SC 1249—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Saurav Arun, For the Petitioner; Ms. Nehala Shamim, For the State.

आदेश

दिनांक 25.9.2012 के आदेश के अनुसरण में निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ संशोधित रिट याचिका दाखिल की गयी है:–

(i) i'ku] minku] vodk'k uxndj.k tl LohÑr n;k d rjU r Hkxrku d fy, çR;Fkhx.k dk fun'k nu d fy, gA

(ii) fnukd 1.1.2006 d çHkko l orueku d NB iujh{k.k d fucèkuku lkj ;kph dk oru fu;r dju d fy, vkj mld cdk;k d Hkxrku d fy, rFkk fnukd 1.1.2006 d çHkko l u, orueku e leLr lokfuofÙk ykHk dk fu;r dju vkj rnulkj cdk;k dk Hkxrku dju d fy, çR;Fkhx.k dk fun'k nu d fy,A

(iii) ;kph dk fn, x, f}rh; ,O lhO ihO dk li"V dju dk] D;kfd bl ;kph dk fofèkr% fn;k x;k g] çR;Fkhx.k dk fun'k nu d fy,A

(iv) fnukd 22.6.2010 d i= lO 461 dk vfHk[kfMr dju d fy, fun'k nu d fy, ftld }kjk ;kph d fo#) ,d fd'r e olyh dk vkn'k ikfjr fd;k x;k g tk voèk] 'kU; vkj vfèkdkfjrk foghu g D;kfd mDr vofèk d fy, orueku iku d fy, ;kph dh vkj l n0; in'ku ugh fd;k x;k g vkj çR;Fkhx.k dh vkj l f<ykb gb g ftld fy, ;kph dk {kfr igpu ugh fn;k tkuk pkfg, vkj mDr vkn'k dkj.k crkvk tkjh fd, fcuk vkj ;kph dk luokb dk volj fn, fcuk mld ihB ihN ikfjr fd;k x;k gA

(v) bl vkonu d ifjf'k"V&7 e vrfo"V fnukd 10.9.2010 d i= dk vfHk[kfMr dju dk fun'k nu d fy, D;kfd bl fofèk d fo#) tkjh fd;k x;k g vkj og Hkh dkj.k crkvk d fcuk vkj bl tkjh dju d igy ;kph dk volj ugh fn;k x;k g] vr% ;g vfHk[kfMr fd, tku dh nk;h gA

2. याची को दिनांक 20.1.1968 को भंडार चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे दिनांक 9.8.1999 के प्रभाव से प्रथम ए॰ सी॰ पी॰ का और दिनांक 4.6.2005 के प्रभाव से द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ का लाभ प्रदान किया गया था। याची को दिनांक 14.10.2005 को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट दिया गया था।

3. रिट याचिका में याची ने निम्नलिखित कथन किया है:–

"7. fd ;kph dk l jdkjh ifji= d fucèkuku l kj 50 o"k dh vk; çklr dju ij foHkkxh; ijh{kk e mifLFkr gku l NV nh x;h Fkh pfd ;kph u igy gh fnukd 1.1.2000 dk 50 o"k dk vk; çklr dj fy;k g D;kfd mldh tUe frfFk fnukd 1.1.1950 g] vr% ;kph dk foHkkxh; ijh{kk e mifLFkr gku l NV nh x;h g vkj rnulkj ml fnukd 14.10.2005 d i= d rgr foHkkx }kjk NV fn;k x;k FkkA

....

....

10. ;kph dk Øe'k% 12 vkj 24 o"k dh lok ijh dju ij fnukd 9.8.1999 d çHkko l çFke ,0 lh0 ih0 vkj fnukd 4.6.2005 d çHkko l f}rh; ,0 lh0 ih0 çnku fd;k x;k Fkk vkj fnukd 15.4.2010 d i= l mDr i= d dkj ifj'khyu ij ;g çdV g fd tk dkb Hkh xyrh dh x;h g] og Lo; çR;FkhX.k }kjk dh x;h g vkj u fd ;kph }kjkA

*11. fd vpkud f}rh; ,0 lh0 ih0] ftl ;kph dk fnukd 1.10.2005 d LFkku ij fnukd 4.10.2005 d çHkko l fn;k x;k Fkk] d dkj.k ;kph dk Hkxrku dh x;h vfrfjDr jkf'k dh olyh d fy, ;kph d fo#) fnukd 22.6.2010 dk i= l0 461 tkjh fd;k x;kA ifjf'k"V 2 vkj 5 d dkj ifj'khyu l ;g çdV g fd ;kph dh vkj l n0;in'ku ugh gvk g vkj u gh og 10 fnuk d fy, vfrfjDr oru iku dk i{k g cfYd çR;Fkh u Lo; fnukd 4.10.2005 d çHkko l f}rh; ,0 lh0 ih0 çnku fd;k vkj mDr vkn'k dkj.k crkvk tkjh fd, fcuk vkj ;kph dk luokb dk volj fn, fcuk tkjh fd;k x;k FkkA vr% vkn'k voèk] 'kU; vkj vfèkdkfjrk foghu gA**

4. निम्नलिखित कथन करते हुए दिनांक 21.10.2013 का पूरक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है:–

"6. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd ;kph dk xyr :i l fnukd 9.8.99 dk çFke ,0 lh0 ih0 vkj fnukd 4.6.2005 d çHkko l f}rh; ,0 lh0 ih0 dk ykHk çnku fd;k x;k gA vr% dk;ky; vkn'k tkjh djd ;g Li"V fd;k x;k fd fnukd 14.8.2010 dk dh x;h LFkkiuk dfeVh dh cBd e fnukd 10.1.2006 d io dk;ky; vkn'k l0 58 dk vkf'kd :i l mikrfjr dju dk fu.k; fd;k x;k vkj ;g fu.k; fd;k x;k g fd ;kph dk foHkkxh; ijh{kk l NV nu oky i= dk tkjh dju dh frfFk l fnukd 14.10.2005 d çHkko l çFke ,0 lh0 ih0 çnku fd;k tk;xk vkj ;kph f}rh; ,0 lh0 ih0 d ykHk dk gdnkj ugh g D;kfd ;kph mDr ykHk d Hkxrku dh frfFk d igy lokfuoÙk gk x;k gA

*7. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd foÙk foHkkx u bl Hkh fopkj e fy;k g fd fnukd 14.8.2002 d ldYi [kM 3 vkj mi[kM IV d erkfcd ;kph u y[kk ijh{kk e mÙkh.k g, fcuk 50 o"k dh vk; ijk fd;k g] vr% ml y[kk ijh{kk e mÙkh.k gku l NV nh x;h Fkh vkj ml fnukd 14.10.2005 d çHkko l çFke ,0 lh0 ih0 çnku fd;k x;k Fkk vkj ml dk f}rh; ,0 lh0 ih0 doy çFke ,0 lh0 ih0 çnku dju dh frfFk l ckjg o"k ckn vFkkr fnukd 14.10.17 dk n; Fkh fdr ;kph fnukd 14.10.2017 d dkQh igy fnukd 31.12.2009 dk lok l lokfuoÙk gk x;kA bl çdkj og f}rh; ,0 lh0 ih0 dk ykHk yu dk gdnkj ugh FkkA vr% fnukd 4.6.2005 dk ;kph dk xyr :i l çnku fd;k x;k f}rh; ,0 lh0 ih0 jí fd;k tkrk gA**

5. दिनांक 10.9.2013 के आदेश के अनुसरण में वित्त विभाग, झारखंड सरकार की ओर से निम्नलिखित कथन करते हुए दिनांक 12.11.2013 का प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है:–

> *"5. fd jkT; ljdkj d depkfj;k d fy, ,0 lh0 ih0 ;ktuk d lcèk e foÙk foHkkx }kjk tkjh fnukd 14.8.2002 d ldYi l0 5207 d ijk 3 (vii) e ;g Li"Vr% mfYyf[kr fd;k x;k g fd çkUufr d fy, ekinMk vFkkr foHkkxh; ijh{kk e mÙkh.k gkuk] mPprj vgrkvk dk vtu] vkfn tlk Hkjrh ,o çkUufr fu;ekoyh e of.kr fd;k x;k g] dk vko';dr% ,0 lh0 ih0 ;ktuk d vèkhu foÙkh; mRØe.k d fy, ifji.k fd;k tkuk gA*
>
> *6. fd eQfLly dMj d Dyd dk foHkkxh; ijh{kk e mÙkh.k gkuk gA vr% ,0 lh0 ih0 ;ktuk d vèkhu foÙkh; mRØe.k d fy, Hkh eQfLly dMj d ekey e ftll ;kph vkrk g] foHkkxh; ijh{kk e mÙkh.k gkuk ,0 lh0 ih0 ;ktuk d çkoèkku d erkfcd vko';d gA*
>
> *7. fd ;kph foHkkxh; ijh{kk e mÙkh.k ugh gvk Fkk] fdr ckn e 50 o"k dh vk; çklr dju d ckn ml fnukd 14.10.2005 d vkn'k d rgr foHkkxh; ijh{kk e mÙkh.k gku l NV nh x;h FkhA dkfed foHkkx }kjk tkjh fnukd 9.11.83 d i= l0 11691 d erkfcd] ;kph d ekey e NV dk vkn'k tkjh dju dh frfFk vFkkr fnukd 14.10.2005 l NV dk ykHk fn;k tkuk gA bl çdkj] ;kph doy fnukd 14.10.2005 dk ,0 lh0 ih0 ;ktuk d vèkhu çFke foÙkh; mRØe.k dk ik= cukA*
>
> *8. fd fnukd 14.8.2002 d ifji= d ijk 3 (iv) e ;g Hkh mfYyf[kr fd;k x;k g fd ^^;fn depkjh dh vik=rk vFkok mld fo#) foHkkxh; dk;okgh yfcr jgu d dkj.k çFke foÙkh; mRØe.k yfcr iMk jgrk g] bldk f}rh; foÙkh; mRØe.k ij ikfj.kkfed çHkko iMxk ftl rnulkj foyfcr dj fn;k tk,xkA** ,0 lh0 ih0 ;ktuk fnukd 9.8.1999 l çHkko e g] fdr ;kph fnukd 14.10.2005 l çFke ,0 lh0 ih0 dk gdnkj g vFkkr foHkkxh; ijh{kk e mÙkh.k gku l mldk NV nu d lcèk e vkn'k tkjh dju dh frfFk l vkj pfd ;kph dh vik=rk d dkj.k çFke ,0 lh0 ih0 6 o"k 2 ekg 5 fnu l foyfcr fd;k x;k Fkk] vr% f}rh; ,0 lh0 ih0 Hkh mDr vofèk }kjk foyfcr gk tk,xkA ;kph fnukd 9.8.2011 l f}rh; ,0 lh0 ih0 dk gdnkj gkrk fdr ;kph f}rh; ,0 lh0 ih0 dh gdnkjh dh frfFk l dkQh igy fnukd 31.12.2009 dk lokfuoÙk gk x;kA vr% og f}rh; ,0 lh0 ih0 dk gdnkj ugh gA***

6. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज का परिशीलन किया गया।

7. सेवा पूरा करने पर प्रथम ए॰ सी॰ पी॰ का और निरन्तर सेवा का 24 वर्ष पूरा करने पर द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ का प्रदान परिकल्पित करता है किंतु योजना में यह कहीं नहीं अनुबंधित किया गया है कि द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ के अधीन लाभ का प्रदान प्रथम ए॰ सी॰ पी॰ के प्रदान की तिथि से अगले 12 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरा करने पर किया जाएगा। याची के विद्वान अधिवक्ता **त्रिपुरा राज्य बनाम के॰ के॰ रॉय, AIR 2004 SC 1249,** में दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हैं और निवेदन करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि योजना 12 वर्षों और 24 वर्षों की निरन्तर सेवा परिकल्पित करती है और इसलिए याची की आरंभिक नियुक्ति की तिथि से इसकी गणना करनी होगी।

8. दिनांक 14.8.2002 के संकल्प का परिशीलन उपदर्शित करता है कि ए॰ सी॰ पी॰ योजना के अधीन लाभ प्रदान करते हुए प्रोन्नति के प्रदान के लिए प्रयोज्य पात्रता और मापदंड प्रयोज्य होंगे। दिनांक 14.8.2002 के संकल्प के पैरा 3 (iv) से आगे प्रतीत होता है कि ''यदि कर्मचारी की अपात्रता अथवा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के कारण प्रथम वित्तीय उत्क्रमण लंबित पड़ा रहता है, द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण पर भी इसका पारिणामिक प्रभाव होगा जो तद्नुसार विलंबित हो जाएगा।''

9. अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना कर्मचारी के लिए आवश्यक था जिसमें याची उत्तीर्ण नहीं हो सका था और 50 वर्ष की आयु पूरा करने पर उसने उक्त संकल्प के प्रावधानों के अधीन छूट इप्सित किया। तद्नुसार, दिनांक 14.10.2005 को याची को ऐसा छूट प्रदान किया गया था।

10. प्रत्यर्थीगण ने अभिवचन किया है कि कर्मचारी ए॰ सी॰ पी॰ के अधीन लाभ के प्रदान का हकदार केवल तब होगा यदि वह विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और चूँकि वर्तमान मामले में याची को दिनांक 14.10.2005 को छूट प्रदान किया गया था, लाभ जिसे पहले याची को प्रदान किया गया था का पुनर्विलोकन किया गया था। यह विवादित नहीं है कि याची को दिनांक 14.10.2005 को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट प्रदान किया गया था और चूँकि छूट का प्रदान उस तिथि से प्रयोज्य बनाया गया है जिस पर छूट प्रदान किया गया था, याची को ए॰ सी॰ पी॰ योजना के अधीन दिनांक 14.10.2005 के प्रभाव से प्रथम लाभ प्रदान किया गया था। चूँकि याची की अपात्रता के कारण प्रथम ए॰ सी॰ पी॰ का प्रदान विलंबित किया गया था, याची को द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता था। किंतु याची द्वितीय ए॰ पी॰ पी॰ की हकदारी की तिथि से काफी पहले दिनांक 13.12.2009 के प्रभाव से सेवा से अधिवर्षित हो गया।

11. ए॰ सी॰ पी॰ योजना के पठन से मैं पाता हूँ कि योजना के अधीन लाभ 12 वर्ष और 24 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरा करने पर प्रदान करना होगा। याची की ओर से किया गया प्रतिवाद कि निरन्तर सेवा का अर्थ होगा याची की आरंभिक नियुक्ति की तिथि से सेवा मान्य नहीं है क्योंकि शब्द 'निरन्तर सेवा' इस संदर्भ में आया है कि प्रथम ए॰ सी॰ पी॰ के प्रदान के बाद ऐसी स्थिति हो सकती है जिससे कर्मचारी की सेवा में तोड़ होगा। आगे निरन्तर सेवा का अर्थ है निरन्तर मेधापूर्ण सेवा और इसलिए विभागीय और/अथवा न्यायिक कार्यवाही के कारण ए॰ सी॰ पी॰ के अधीन लाभ का प्रदान विलंबित हो सकता है।

12. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि दिनांक 22.6.2010 और दिनांक 10.9.2010 के आदेश अभिखंडित किए जाने के दायी हैं क्योंकि याची को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। मैं पाता हूँ कि दिनांक 10.1.2006 के पत्र के तहत दिनांक 4.10.2005 के प्रभाव से याची को ए॰ सी॰ पी॰ योजना के अधीन लाभ अंतिम रूप दिया गया था और प्रदान किया गया था। दिनांक 22.6.2010 के पत्र के तहत लाभ के प्रदान की प्रभावकारी तिथि को बाद में दिनांक 14.10.2005 से दिनांक 4.10.2005 में परिवर्तित कर दिया गया था। मैं पाता हूँ कि दोनों पत्रों की प्रतियों को याची को प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकार याची ने जनवरी, 2006 में ही ध्यान में लिया था कि उसे दिनांक 10.1.2006 के पत्र द्वारा ही दिनांक 4.10.2005 के प्रभाव से ए॰ सी॰ पी॰ योजना के अधीन लाभ प्रदान किया गया था। आगे, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट की तिथि और इसकी प्रयोज्यता को याची द्वारा विवादित नहीं किया गया है। याची ने रिट याचिका में प्रतिवाद नहीं किया है कि दिनांक 14.8.2002 का संकल्प उसके मामले पर प्रयोज्य नहीं है और इसलिए, मेरा दृष्टिकोण है कि भले ही याची को कोई

पृथक कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था, दिनांक 22.6.2010 और दिनांक 10.9.2010 के आदेश हस्तक्षेप किए जाने के दायी नहीं है। प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र प्रकट करता है कि समस्त सेवा निवृत्ति लाभों को अंतिम रूप दिया जाएगा और याची को इसका भुगतान किया जाएगा।

13. कलकत्ता नगर निगम एवं एक अन्य बनाम सुजित बरण मुखर्जी एवं अन्य, (1997)11 SCC 463, में जिसमें वेतनमान को आगे बढ़ाने की मंजूरी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिए बिना वापस ले लिया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नियोक्ता ऐसा करने में न्यायोचित था।

14. मैं रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, रिट याचिका में की गयी समस्त प्रार्थनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vferkHk dekj xlrk] U;k;efr

सदा शिव झा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 2367 of 2005. Decided on 12th December, 2013.

झारखंड पुलिस निर्देशिका–नियम 726 (III) एवं 824A—प्रोन्नति–इस आधार पर ए॰ सी॰ पी॰ के लाभ से इनकार कि याची को काला निशान अधिनिर्णीत किया गया था–दिनांक 22.8.2013 के मेमो सं॰ 1989 की दृष्टि में, पुलिस इंस्पेक्टर जो नियम 824A (e) के प्रावधानों के अधीन आच्छादित है तक की श्रेणी के ऐसे पुलिसकर्मियों पर दंड का भविष्यलक्षी प्रवर्तन प्रयोज्य नहीं है–दंड के आदेश की तिथि से दंड का भविष्यलक्षी प्रवर्तन डी॰ एस॰ पी॰ श्रेणी के अधिकारियों पर प्रयोज्य है और वे सी॰ सी॰ एस॰ (सी॰ सी॰ ए॰) नियमावली द्वारा शासित होते हैं। (पैरा 12)

निर्णयज विधि.–2010 (2) JLJR 331—Clarified; 1992 (1) PLJR 502; AIR 1989 SC 1133—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Dr. S.N. Pathak, Rishikesh Giri, Fayyaz Ahmad, Birju Thakur, For the Petitioner; M/s Ajit Kumar, Kumar Sundaram, For the Respondents.

आर॰ बानुमथी, मुख्य न्यायाधीश एवं अमिताभ कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति.–विद्वान एकल न्यायाधीश ने विधि का प्रश्न विरचित करके मामला खंडपीठ को निर्दिष्ट किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^^fd D;k rhu o"kk dh vofèk] tlk >kj[kM ifyl funf'kdk d fu;e 726 (III) d vèkhu fofgr fd;k x;k g] nM d vfèkfu.k; dh frfFk l vkjHk gkxh vFkok ?kVuk dh frfFk l vkjHk gkxh ftld fy, ifyl vfèkdkjh dk i'pkrorh frfFk ij nfMr fd;k x;k FkkA**

2. वर्तमान निर्देश को उद्भूत करने वाले संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची को दिनांक 17.9.1974 को बिहार राज्य के पुलिस विभाग में सार्जेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 4.6.1988 के प्रभाव से सार्जेन्ट मेजर के पद पर प्रोन्नत किया गया था। बिहार राज्य के विभाजन के बाद याची को दिनांक 14.8.2002 के आदेश के तहत झारखंड कैडर आवंटित किया गया था। याची को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (संक्षेप में 'ए॰ सी॰ पी॰') से इस आधार पर इनकार किया गया था कि याची को वर्ष 1998 में उस घटना

जो 3.1.1996 को हुई थी के लिए काला निशान का दंड अधिनिर्णीत किया गया था और तत्पश्चात याची को पुन: घटना जो दिनांक 20.8.2000 को हुई थी के लिए वर्ष 2002 में काला निशान का दंड अधिनिर्णीत किया गया था। बोर्ड, जिसे दिनांक 20.5.2003 और दिनांक 1.10.2004 को ए॰ सी॰ पी॰ के अनुशंसा और मंजूरी के लिए गठित किया गया था, ने याची को ए॰ सी॰ पी॰ का लाभ असंतोषजनक सेवा अभिलेख के आधार पर इनकार किया। व्यथित होकर, याची ने 24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर कट–ऑफ–तिथि अर्थात् दिनांक 9.8.1999 से ए॰ सी॰ पी॰ के प्रदान के लिए रिट याचिका दाखिल किया।

3. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष याची के वरीय अधिवक्ता डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक ने **राम अनुग्रह सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 1992 (1) PLJR 502, में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया और निवेदन किया कि तीन वर्ष, जैसा झारखंड पुलिस निर्देशिका के नियम 726 (III) के अधीन अनुबंधित किया गया है, घटना की तिथि जिस पर गलत किया गया था से संगणित की जानी चाहिए और न कि उस तिथि से जिस पर दंड अधिनिर्णीत किया गया था।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विद्वान अपर महाधिवक्ता ने **श्री गिरीश देव पांडे बनाम झारखंड राज्य पुलिस महानिदेशक, राँची के माध्यम से एवं अन्य,** 2010(2) JLJR 331, में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया और निवेदन किया कि झारखंड पुलिस निर्देशिका के नियम 726 (III) के मुताबिक तीन वर्षों का अंतराल मुख्य दंड दिए जाने की तिथि से और न कि उस तिथि से जिस पर गलत किया गया था, गिनी जाएगी।

5. राम अनुग्रह सिंह के मामले (ऊपर) और **श्री गिरीश देव पांडे के मामले (ऊपर)** में दो विरोधी निर्णयों पर गौर करने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूर्वोक्तानुसार विधि का प्रश्न विरचित करके मामला खंड पीठ को निर्दिष्ट किया।

6. हमने याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता और विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना है।

7. झारखंड पुलिस निर्देशिका के नियम 726 (III) का पठन निम्नलिखित है:–

^^çkUufr lph e ço'k d fy, vFkok ml ij çfrèkkj.k d fy, vugrk-&foxr rhu o"kk d Hkhrj fdlh J.kh e fdlh e[; nM dk vfèkjki.k lkekU;r% fdlh çkUufr lph e ço'k d fy, otuk gk ldrh gA

vfèkdkjh dk fdlh çkUufr lph d fy, çfrèkkfjr vFkok fopkj vFkok iufopkj fd, tku d igy e[; nM d vfèkjki.k d ckn rhu o"kk dk vrjky vko';d gA nt fd, tku oky fo'k"k dkj.kk l l{ke vfèkdkjh tk çkUufr nrk g }kjk bl vugrk dk f'kfFky fd;k tk ldrk gA**

8. दूसरी ओर, पुलिस आदेश सं॰ 99 का पैरा 6 कथन करता है कि प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने की तिथि मुख्य दंड के अधिरोपण की तिथि होगी और न कि वह तिथि जिस पर मुख्य दंड अधिनिर्णीत किया गया था अर्थात् तीन वर्ष का अंतराल।''

9. संशोधन पर्ची 1/86 द्वारा आदेश सं॰ 99 का पैरा 6 विखंडित किया गया था और इसके स्थान पर यह प्रावधानित किया गया है कि तीन वर्षों की अवधि दंड अधिनिर्णीत करने की तिथि से संगणित की जाएगी। यह संशोधन पर्ची 1/86 **राम अनुग्रह सिंह बनाम बिहार राज्य,** 1992 (1) PLJR 502 में माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती की विषय वस्तु थी जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने **AIR 1989 SC 1133 (महाराष्ट्र राज्य बनाम जगन्नाथ)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए संशोधन पर्ची 1/86 यह अभिनिर्धारित करते हुए अभिखंडित कर दिया गया था कि तीन वर्षों की अवधि घटना की तिथि से गिनी जाएगी और न कि दंड अधिनिर्णीत किए जाने की

तिथि से और आदेश सं॰ 99 पैरा 6 को कायम रखा गया था। राम अनुग्रह सिंह के मामले के मुताबिक पुलिस आदेश सं॰ 99 पैरा 6 इस प्रकार वापस रख लिया गया था।

10. वर्तमान निर्देश के लंबित रहने के दौरान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार ने दिनांक 18.2.2012 का मेमो सं॰ 1698 जारी किया। दिनांक 18.2.2012 के मेमो सं॰ 1698 का पठन निम्नलिखित है:–

"2. jkT; ljdkj u dn d erkfcd jkT; e lok'krk dk fØ;kfUor dju dk fu.k; fd;k gA dnh; flfoy lok (oxhdj.k] fu;=.k ,o vihy) fu;ekoyh] 1965 d fu;e 11 d lkFk Hkkjr ljdkj u fuEufyf[kr fun'k vfèklfpr fd;k g%&

^^nM vkn'k dh frfFk d ckn çHkkodkjh oru of) vFkok çknHkr gku okyh oru of) dk jkdk tkuk&oru of) jkdu d nM vkn'kk dk tkjh dju d ckn vfèkdkjh dk çknHkr gku oky oru of) dh frfFk l çHkko'khy gkrk gA ;g ml oru of) dk çHkkfor ugh dj ldrk g tk nM vkn'kk dk tkjh dju dh frfFk d igy n; Fkh ;|fi bl vfèkdkjh d vodk'k ij gku vFkok vU; ç'kklfud dkj.kk l oLrr% çklr ugh fd;k x;k FkkA**

11. दिनांक 18.2.2012 के मेमो सं॰ 1698 को पुलिस महानिदेशक–सह–पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 22.8.2013 के मेमो सं॰ 1989 द्वारा स्पष्ट किया गया था। दिनांक 22.8.2013 के मेमो सं॰ 1989 ने दिनांक 18.2.2012 के मेमो सं॰ 1698 को स्पष्ट किया और स्पष्ट किया कि उक्त परिपत्र (दिनांक 18.2.2012 का मेमो सं॰ 1698) और दंड आदेश का भविष्यलक्षी प्रभाव सेवा के पदधारी पर लागू होगा जो सी॰ सी॰ एस॰ (सी॰ सी॰ ए॰) नियमावली जिसे नियम 824A (b) में निर्दिष्ट किया गया है द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। इसने आगे स्पष्ट किया कि प्रासंगिक खंड (b) आरक्षी उप अधीक्षक के पद से संबंधित था। दिनांक 22.8.2013 के उक्त मेमो ने आगे स्पष्ट किया कि पुलिस इंस्पेक्टर के पद से पुलिस कर्मचारी पुलिस कर्मचारी नियमावली के नियम 824 (A) के पैरा (e) के अधीन आच्छादित होते हैं और इसलिए सी॰ सी॰ एस॰ (सी॰ सी॰ ए॰) नियमावली पुलिस इंस्पेक्टर के स्तर से पुलिस कर्मचारी के प्रति निर्देश में प्रासंगिक नहीं है और कि पुलिस इंस्पेक्टर की श्रेणी तक पुलिस कर्मी जो नियम 824A (e) के प्रावधान द्वारा आच्छादित है, पर दिनांक 18.2.2012 का परिपत्र लागू नहीं होगा। दिनांक 22.8.2013 के मेमो सं॰ 1989/P का पठन निम्नलिखित है:–

^^fun'kkulkj mDr fo"k; d ilx e e> ;g dguk g fd dkfed ç'kklfud lèkkj ,o jktHkk"kk foHkkx] >kj[kM] jkph d fnukd 18.2.2012 d ldYi l0 1898 d rgr jkT; ljdkj depkjh d ilx e fuEufyf[kr çkoèkkuk dk fØ;kfUor fd;k x;k g%

----

mDr ekey dk iuijh{k.k fd;k x;k g vkj ;g Li"V gk x;k fd mDr çkoèkku flfoy lok (oxhdj.k] fu;=.k ,o vihy) fu;ekoyh ij vkèkkfjr g tk ifyl funf'kdk d fu;e 824A d ijk ^[k* d lnHk e ç;kT; gA ifyl bLiDVj d Lrj l ifyl depkjh ifyl depkjh fu;ekoyh d fu;e 824A d ijk bO d vèkhu vkPNkfnr gA vr%] ifyl bLiDVj Lrj l ifyl depkjh d lnHk e mDr çkoèkku çklfxd ugh gA**

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और झारखंड पुलिस निर्देशिका सह–पठित दिनांक 22.8.2013 के परिपत्र मेमो 1989/P के प्रावधानों के परिशीलन पर, जैसा उपर गौर किया गया है, उक्त विरोधी निर्णयों पर चर्चा आवश्यक नहीं है। निर्देश बिंदु का निम्नलिखित उत्तर दिया जाता है:–

- *fnukd 22.8.2013 d eek l0 1989 dh nf"V e nM dk Hkfo";y{kh çoru ifyl bLiDVj rd d ,l ifyl dfe;k ij ç;kT; ugh g] tk fu;e 824A (e) d çkoèkkuk d vèkhu vkPNkfnr gA*

- *nM d vkn'k dh frfFk l nM dk Hkfo";y{kh çoru vkj{kh mikèkh{kd dh J.kh d vfèkdkfj;k ij ç;kT; g vkj o lh0 lh0 ,l0 (lh0 lh0 ,0) fu;ekoyh }kjk 'kkfl r gkr gA*

13. उक्त को ध्यान में रखकर **श्री गिरीश देव पांडे बनाम झारखंड राज्य, पुलिस महानिदेशक, राँची के माध्यम से एवं अन्य,** (2010)2 JLJR 331, में एकल न्यायाधीश के निर्णय का निर्णयाधार दंड के आदेश की तिथि से दंड के भविष्यलक्षी प्रवर्तन के बिंदु पर केवल आरक्षी उप अधीक्षक की श्रेणी के अधिकारियों पर प्रयोज्य होगा और तद्नुसार उक्त निर्णय स्पष्ट किया जाता है।

14. निर्देश के प्रति दिए गए उत्तर के आलोक में विवाद्यकों एवं ताथ्यिक पहलूओं को विनिश्चित करने के लिए मामला विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष वापस भेजा जाता है। पक्षगण विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष तथ्यों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। चूँकि रिट याचिका वर्ष 2005 की है, विद्वान एकल न्यायाधीश जल्द की तिथि पर मामला सुनेंगे।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vferkHk dekj xlrk] U;k;efr

बस्ती विकास समिति (3596 में)

अभय सिंह (4570 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

W.P. (PIL) Nos. 3596 with 4570 of 2013. Decided on 3rd December, 2013.

नागरिक सुविधाएँ–राज्य सरकार एवं टाटा स्टील लि॰ के बीच निष्पादित पट्टा विलेख निर्मित करने वाली भूमि–पट्टा के नवीकृत अनुबंध के मुताबिक प्रत्यर्थीगण जे॰ यू॰ एस॰ सी॰ ओ॰ और इर्द-गिर्द के ग्रामों में विद्युत और जल की आपूर्ति सहित आवश्यक नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने की बाध्यता के अधीन हैं–प्रत्यर्थीगण को जल एवं विद्युत प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन वियोजित सेवा संयोजन वालों को विद्युत एवं जल आपूर्ति का संयोजन देने का निर्देश दिया गया। (पैरा 8)

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar Sinha, Rahul Kumar, Avnish Shekhar, Anurag Kashyap, P.P. Roy, For the Petitioner; M/s M.S. Shilpi John, Mittal, For the Respondent No. 5 & 6; J.C. to A.G., For the State.

आदेश

इन रिट याचिकाओं को 86 बस्तियों (ग्रामों) की ओर से जमशेदपुर शहर के संबंध में राज्य सरकार और टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी के बीच निष्पादित दिनांक 1.8.1985 के पट्टा विलेख की अनुसूची–V का भाग निर्मित करने वाली भूमि पर बस्ती में रहने वाले लोगों को जल, विद्युत एवं स्वच्छ वातावरण सहित नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए दाखिल किया गया है।

2. हमने याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता और प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 के विद्वान वरीय अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

3. दिनांक 20.8.2005 के नवीकृत पट्टा अनुबंध के मुताबिक पंचम एवं षष्टम प्रत्यर्थीगण दिनांक 1.8.1985 के पट्टा विलेख की अनुसूची–V का भाग निर्मित करने वाले पट्टाधृति क्षेत्र के अंतर्गत इर्द–गिर्द के ग्रामों में और जे॰ यू॰ एस॰ सी॰ ओ॰ में भी विद्युत एवं जल की आपूर्ति सहित आवश्यक सिविल सुविधाओं को प्रदान करने की बाध्यता के अधीन है।

4. पंचम एवं षष्टम प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र में पैराग्राफ 15 और आगे में प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 20.8.2005 के पट्टा के नवीकृत अनुबंध के मुताबिक बाध्यताओं का पालन करने और विद्युत एवं जल आपूर्ति भी प्रदान करने के लिए अपनी तत्परता अभिव्यक्त किया है। पंचम एवं षष्टम प्रत्यर्थीगण द्वारा अभिव्यक्त एक मात्र अवरोध दिनांक 7.3.2011 की लोकहित याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 1076 वर्ष 2011 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश है जिसमें इस न्यायालय ने अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को विद्युत एवं जल की आपूर्ति, जो ऐसे अतिक्रमित क्षेत्रों में है, को विसंबद्ध करने के लिए निर्देश जारी किया था।

5. पंचम एवं षष्टम प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि पंचम एवं षष्टम प्रत्यर्थीगण दिनांक 20.8.2005 के पट्टा के नवीकृत अनुबंध के निबंधनों के मुताबिक अपनी बाध्यताओं का पालन करने के लिए तैयार हैं, जब तक डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 1076 वर्ष 2011 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट नहीं किया जाता है, पंचम एवं षष्टम प्रत्यर्थीगण को अवमान कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

6. डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 1076 वर्ष 2011 में संबंधित प्राधिकारियों को आदेश जारी किया गया था कि ''ऐसे भवनों, जो अवैध हैं के विद्युत एवं जल संबंधन को तुरन्त विसंबद्ध/विच्छेदित कर दिया जाना चाहिए।'' डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 1076 वर्ष 2011 में पारित आदेश केवल अतिक्रमित क्षेत्रों में किए गए निर्माण अथवा अवैध निर्माण से संबंधित है।

7. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 3596 वर्ष 2013 केवल 86 बस्तियों के निवासियों की ओर से दाखिल किया गया है जो विद्युत आपूर्ति और जल संबंधों के बिना पीड़ित हो रहे है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि दिनांक 7.3.2011 के डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 1076 वर्ष 2011 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की व्याख्या करते हुए उन 86 बस्तियों के अनेक निवासियों की विद्युत आपूर्ति और जल संबंध को विच्छेछित कर दिया गया है।

8. पंचम एवं षष्टम प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र में अभिव्यक्त तत्परता को ध्यान में रखकर हम पंचम एवं षष्टम प्रत्यर्थीगण को जल एवं विद्युत प्रभारों के बकाया के भुगतान के अध्यधीन विसंबद्ध सेवा संबंधन वालों को तुरन्त विद्युत एवं जल की आपूर्ति संयोजित करने का निर्देश देते हैं। ऐसे जल एवं विद्युत प्रभारों के बकाया का भुगतान तीन सप्ताह की अवधि के भीतर पंचम एवं षष्टम प्रत्यर्थीगण को

किया जाएगा और विद्युत एवं जल प्रभारों के बकाया के ऐसे भुगतान पर पंचम एवं षष्टम प्रत्यर्थीगण तुरन्त बिजली एवं जल कनेक्शन को फिर से जोड़ेंगे। जहाँ तक उन 86 बस्तियों के निवासियों को नया जल एवं विद्युत कनेक्शन देने का संबंध है, वे आवश्यक भुगतान और आवश्यक आवेदन के साथ षष्टम प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन देंगे। ऐसे आवेदनों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दाखिल किए जाने पर षष्टम प्रत्यर्थी इसे सत्यापित करेंगे और यह भी सत्यापित करेंगे कि निर्माण अवैध निर्माण नहीं हैं। उन नए आवेदनों के सत्यापन पर षष्टम प्रत्यर्थी यथासंभव शीघ्र प्राथमिकत: छह माह की अवधि के भीतर विधि के अनुरुप जल एवं विद्युत कनेक्शन देंगे।

9. इन निर्देशों एवं संप्रेक्षणों के साथ इन रिट याचिकाओं को निपटाया जाता है।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vferkHk dekj xIrk] U;k;efr

रमेश गोप एवं अन्य

cuke

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० एवं अन्य

L.P.A. No. 194 of 2012. Decided on 3rd December, 2013.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—धारा 11—अधिनिर्णय का निष्पादन–श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा अथवा इसके समक्ष पहुँचा गया प्रत्येक अधिनिर्णय, आदेश अथवा व्यवस्थापन सी० पी० सी० के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों एवं डिक्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुरुप निष्पादित किया जाएगा–श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण किसी अधिनिर्णय, आदेश अथवा व्यवस्थापन को सिविल न्यायालय को प्रेषित करेगा और सिविल न्यायालय अधिनिर्णय को निष्पादित करेगा। (पैरा 11)

निर्णयज विधि.–(1995) 109 PLR 581—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Sujit Narayan Prasad, S. Shekhar, For the Appellants; Mr. Ananda Sen, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दिनांक 14.2.2012 की डब्ल्यू० पी० (पी० आई० एल०) सं० 5522 वर्ष 2011 में पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा याची द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 1996 के अधिनिर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया है, के अनुसरण में सेवाओं के नियमितिकरण के लिए दाखिल रिट याचिका खारिज कर दी गयी है।

2. अपीलार्थीगण, जो कर्मकार हैं और संविदा श्रमिक के रूप में अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं, ने यूनियन के माध्यम से अपने नियमितिकरण का विवाद उठाया जिसे निर्देश केस सं० 58 वर्ष 1992 के रूप में निर्दिष्ट किया गया था और याची की सेवा को नियमित करने के लिए प्रबंधन को निर्देश देते हुए दिनांक 3.10.1996 को अधिनिर्णय पारित किया गया था। दिनांक 3.10.1996 के अधिनिर्णय को रिट याचिका सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 199 वर्ष 1997 में चुनौती दी गयी थी और दिनांक 29.4.1999 को इसे खारिज कर दिया गया था। उक्त सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 199 वर्ष 1997 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए एल० पी० ए० सं० 214 वर्ष 1999 दाखिल की गयी थी और इसे दिनांक 19.8.1999 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। प्रबंधन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका सं० 19391 वर्ष 1999 दाखिल किया जिसे भी दिनांक 30.8.2001 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। विशेष अनुमति याचिका की खारिजी के बाद भी जब अपीलार्थी–यूनियन के सदस्यों को नियमित

नहीं किया गया था, यूनियन ने पुन: रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2795 वर्ष 2002 दाखिल किया और दिनांक 25.9.2008 के आदेश के तहत प्रबंधन को अधिनिर्णय क्रियान्वित करने का निर्देश देते हुए और यदि (दिनांक 25.9.2008 के प्रभाव से) तीन माह की अवधि के भीतर प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय क्रियान्वित नहीं किया जाता है अथवा निपटाया नहीं जाता है, अपीलार्थी को समुचित आवेदन/याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए उक्त रिट याचिका को निपटाया गया था। तत्पश्चात, अपीलार्थी यूनियन और प्रबंधन ने दिनांक 4.8.2009 को समझौता किया। समझौते के मुताबिक, एकमुश्त राशि के रूप में 10,000/- रुपयों की राशि कर्मकार को भुगतेय थी और उन्हें नियमित भी किया जाना था।

3. अपीलार्थीगण की शिकायत यह है कि 299 कर्मकारों में से केवल कुछ को अर्थात् 117 को नियमित किया गया था और अभी भी 182 कर्मकारों को नियमित नहीं किया गया है और न ही नियुक्ति दी गयी है।

4. अपीलार्थीगण ने संदर्भ केस सं॰ 58 वर्ष 1992 में पारित दिनांक 3 अक्टूबर, 1996 के अधिनिर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक संपुष्ट किया गया था, के अनुसरण में पिछली मजदूरी के साथ सेवा में अपीलार्थीगण को तुरन्त नियुक्त करने के लिए नयी रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 5522 वर्ष 2011 दाखिल किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह संप्रेक्षित करते हुए कि रिट अधिकारिता में अपीलार्थीगण की प्रार्थना ग्रहणीय नहीं है और यह भी कि याचीगण (वर्तमान अपीलार्थीगण) रिट न्यायालय के माध्यम से लगभग 15 वर्षों बाद अधिनिर्णय का निष्पादन इप्सित करते हैं, दिनांक 14.2.2012 को अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज कर दिया। डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5522 वर्ष 2011 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थीगण ने इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल किया है।

5. हमने अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुजित नारायण प्रसाद को सुना है। प्रत्यर्थीगण की ओर से हमने श्री आनन्द सेन को सुना है।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि अधिनिर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक संपुष्ट किया गया था, प्रबंधन ने 182 कर्मकारों को नियुक्ति जारी करना नहीं चुना है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अपीलार्थीगण अनेक अवसरों पर प्रबंधन के पास गए हैं और दिनांक 4.8.2009 को समझौता भी हुआ था और जब कर्मकार प्रबंधन के साथ अपने मामलों को सुलझानें में लगे हुए थे, विद्वान एकल न्यायाधीश यह कहने में सही नहीं थे कि 15 वर्षों बाद रिट न्यायालय के माध्यम से अधिनिर्णय का निष्पादन इप्सित किया जा रहा है और, इसलिए इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को अनुज्ञात करने की प्रार्थना की जाती है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **जगदीश चंद बनाम श्रम आयुक्त एवं अन्य, (1995)109 PLR 581,** मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

7. हमने प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द सेन को सुना है।

8. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिका में इप्सित प्रार्थना केवल कर्मकार तथा प्रबंधन के बीच हुए समझौते द्वारा अनुसरित निर्देश केस सं॰ 58 वर्ष 1992 में अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए है और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11 (9) एवं (10) के मुताबिक अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों एवं डिक्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुरुप निष्पादित किया जाएगा।

9. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

10. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11 (9) एवं (10) का पठन निम्नलिखित है:

"11. ***lyg vfèkdkfj;k] ckMk] U;k;ky;k ,o vfèkdj.kk dh ifØ;k ,o 'kfDr;k-&***

xx xx xx

(9) Je U;k;ky; ;k vfèkdj.k ;k jk"Vh; vfèkdj.k d }kjk ;k le{k fd;k x;k iR;d vfèkfu.k;] fuxr fd;k x;k vkn'k ;k fd;k x;k le>kSrk flfoy ifØ;k lfgrk] 1908 (1908 dk 5) d vkn'k 21 d vèkhu flfoy U;k;ky; d vkn'kk ,o fMfØ;k d fu"iknu d fy, vfèkdfFkr ifØ;k d vu:i fu"ikfnr fd;k tk;xkA

*(10) Je U;k;ky; ;k vfèkdj.k ;k jk"Vh; vfèkdj.k] ;FkkfLFkfr vfèkdkfjrk j[ku okys flfoy U;k;ky; dk dkb vfèkfu.k;] vkn'k ;k le>kSrk if"kr djxk rFkk ,lk flfoy U;k;ky; vfèkfu.k;] vkn'k ;k le>kSrk fu"ikfnr djxk ekuk ;g blds }kjk ikfjr ,d fMØh gkA**

11. उक्त अधिनियम की धारा 11 के सावधानीपूर्ण पठन पर यह देखा जाता है कि श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा अथवा इसके समक्ष किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय, जारी आदेश अथवा हुआ समझौता सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुरुप निष्पादित किया जाएगा। उसकी धारा 11 (10) के निबंधनानुसार श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को कोई अधिनिर्णय, आदेश अथवा समझौता प्रेषित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय अधिनिर्णय, आदेश अथवा समझौता निष्पादित करेगा मानों यह इसके द्वारा पारित डिक्री हो।

12. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 15.9.2010 के प्रभाव से वर्ष 2010 का अधिनियम 24 अंत: स्थापित करके धारा 11 (9) और 11 (10) के प्रावधानों को संशोधित किया गया है और वर्तमान मामले में अधिनिर्णय दिनांक 3 अक्टूबर 1996 को पारित किया गया था और बाद में दिनांक 4.8.2009 को समझौता किया गया था और, इसलिए, प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 (9) और (10) के संशोधित प्रावधानों का सहारा नहीं ले सकता है।

13. हम अधिनियम की धारा 11 (9) एवं (10) के भूतलक्षी अथवा भविष्यलक्षी प्रभाव पर कोई दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं देते हैं। इतना गौर करना पर्याप्त है कि अपीलार्थीगण को अधिनियम की धारा 11 (9) एवं 11 (10) के अनुरुप अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए अनुतोष इप्सित करते हुए संबंधित अधिकरण के पास जाने की छूट है।

14. डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 5522 वर्ष 2011 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 14.2.2012 के आदेश को अपास्त किया जाता है और उक्त सीमा तक लेटर्स पेटेन्ट अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात किया जाता है।

यदि अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए कोई आवेदन दाखिल किया जाता है, हम अधिकरण को जल्द की तिथि पर मामला सुनने और विधि के अनुरूप इसे निपटाने का निर्देश देते हैं।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

गुरु प्रसन्ना दास

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (S) No. 4774 of 2012. Decided on 10th December, 2013.

सेवा विधि–वरीयता–स्वास्थ्य निरीक्षक–याची चयन के प्रति उपमत हुआ था और एच० एन्ड एम० आई० ग्रेड II के पद पर प्रत्यर्थी के चयन को चुनौती नहीं दिया था–मात्र इसलिए कि याची को वर्ष 1984 में और प्रत्यर्थी को वर्ष 1991 में स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, याची पदग्रहण की तिथि के मूल वरीयता के आधार पर प्रत्यर्थी के उपर वरीयता का दावा नहीं कर सकता है–एच० एण्ड एम० आई० ग्रेड II का पद चयन पद होने के नाते याची स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में अपने पद ग्रहण की अपनी मूल तिथि के आधार पर वरीयता का दावा नहीं कर सकता है–याची प्रत्यर्थी के उपर वरीयता का दावा नहीं कर सकता है–अधिकरण का आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट किया गया–याचिका खारिज की गयी। (पैरा 11)

अधिवक्तागण.–Md. Ashrafuzzaman, For the Appellant; M/s Jalisur Rahman, Mr. Ram Niwas Roy, For the Respondents.

आर० बानुमथी, मुख्य न्यायाधीश.–दिनांक 7.10.2009 और दिनांक 18.12.2009 की संसूचना का अभिखंडन करने से इनकार करने और याची को डी० बी० घोष के वरीय के रूप में घोषित करने के लिए और नियमों के अनुरुप समस्त प्रोन्नति के अवसरों और लाभों को प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए ओ० ए० सं० 24/2010 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 19.4.2012 के आदेश से व्यथित होकर रिट याची वर्तमान रिट आवेदन में इस न्यायालय के पास आया है।

2. संक्षिप्त तथ्यः–याची को दिनांक 29.11.1984 को स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और सप्तम प्रत्यर्थी डी० बी० घोष को दिनांक 26.1.1991 को स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1600–2660/- रुपयों के वेतनमान में एच० एण्ड एम० आई० ग्रेड II में एक पद के चयन के लिए याची को किसी एस० के० दूबे के साथ दिनांक 14.10.1992 को नियत लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कहा गया था और दोनों ने अर्हित अंकों को प्राप्त किया था और उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था औरा दोनों मौखिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे। मौखिक परीक्षा में एस० के० दूबे को उपयुक्त पाया गया था और उक्त एस० के० दूबे को पैनलकृत किया गया था और उसे एच० एन्ड एम० आई० ग्रेड II के उक्त पद पर प्रोन्नत किया गया था। पुनः याची को एच० एण्ड एम० आई० ग्रेड II के पद पर आगे चयन के लिए बुलाया गया था और याची दिनांक 11.11.1994 के पत्र के तहत लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ और उक्त चयन कुछ प्रक्रियात्मक कमी के कारण दिनांक 27.2.1996 के पत्र द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द माना गया था।

3. तत्पश्चात, एच० एन्ड एम० ग्रेड II के पद पर आगे चयन के लिए याची डी० बी० घोष, जो ओ० ए० सं० 24/2010 में सप्तम प्रत्यर्थीगण, के साथ दिनांक 20.9.1996 की पूरक तिथि के साथ दिनांक 21.8.1996 को लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ। उक्त परीक्षा में उन दोनों ने दिनांक 8.11.1996 की पूरक तिथि के साथ दिनांक 29.10.1996 को किए गए मौखिक परीक्षा में अर्हित अंक प्राप्त किया और डी० बी० घोष को उपयुक्त पाया गया था और उसे एच० एन्ड एम० आई० ग्रेड II पद के लिए पैनलकृत किया गया था और उक्त डी० बी० घोष को दिनांक 15.11.1996 के कार्यालय आदेश सं० 570/11 द्वारा प्रोन्नत और पदस्थापित किया गया था और उसने दिनांक 16.11.1996 की एच० एन्ड एम० आई० ग्रेड II का उक्त पद ग्रहण किया।

4. एच० एन्ड एम० आई० ग्रेड II के पद पर आगे चयन के लिए याची और किसी विजय कुमार को दिनांक 23.7.1997 के पत्र द्वारा लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था और ली गयी लिखित परीक्षा में केवल याची ने अर्हित अंक प्राप्त किया और तत्पश्चात दिनांक 10.11.1997 को आयोजित मौखिक परीक्षा में उपस्थित हुआ। याची को पैनलकृत किया गया था और दिनांक 19.12.1997 के कार्यालय आदेश द्वारा 5000-8000/- रुपयों के वेतनमान में एच० एण्ड एम० आई० ग्रेड II के पद पर प्रोन्नत किया गया था और उसने दिनांक 21.12.1997 को उक्त पद ग्रहण किया।

5. डी० बी० घोष को वर्ष 1996 में पैनलकृत किए जाने के कारण दिनांक 15.11.1996 के कार्यालय आदेश द्वारा एच० एन्ड एम० आई० ग्रेड II के पद पर प्रोन्नत और पदस्थापित किया गया था और

उसने दिनांक 16.11.1996 को एच॰ एन्ड एम॰ आई॰ ग्रेड II का पद ग्रहण किया जबकि याची को दिनांक 13.11.1997 के आदेश द्वारा एच॰ एन्ड एम॰ आई॰ ग्रेड II के पद के लिए पैनलकृत किया गया था और उसे 19.12.1997 के आदेश द्वारा एच॰ एण्ड एम॰ आई॰ ग्रेड II के तौर पर पदस्थापित तथा प्रोन्नत किया गया था तथा उसने दिनांक 21.12.1997 को उक्त पद ग्रहण किया। डी॰ बी॰ घोष, जिसे याची की तुलना में काफी पहले एच॰ एन्ड एम॰ आई॰ ग्रेड II के रूप में पैनलकृत और प्रोन्नत किया गया था, याची का सीनियर हो गया।

6. दिनांक 11.12.1998 और दिनांक 1.10.2001 को प्रकाशित वरीयता सूची के विरुद्ध, जिसमें याची को प्रत्यर्थी सं॰ 7 डी॰ बी॰ घोष का जूनियर दर्शाया गया था, उसने दिनांक 3.10.2001 के पत्र के तहत अपनी आपत्ति दाखिल किया और इसी वरीयता सूची को दिनांक 10.1.2007 को प्रकाशित किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी सं॰ 7 को पुनः याची के सीनियर के रूप में दर्शाया गया था। याची ने उक्त वरीयता सूची के विरुद्ध आपत्ति करते हुए दिनांक 7.3.2007 को अभ्यावेदन दिया और इस पर विचार नहीं किया गया था। पूर्वोक्त से व्यथित होकर, याची ने दिनांक 23.8.2007 के पैनल सूची और दिनांक 30.12.2008 की अधिसूचना का अभिखंडन इप्सित करते हुए अधिकरण के समक्ष ओ॰ ए॰ सं॰ 33/2009 दाखिल किया। दिनांक 16.7.2009 के आदेश द्वारा अधिकरण ने वरीयता सूची के विरुद्ध याची के अभ्यावेदन को निपटाने का निर्देश प्रत्यर्थीगण को दिया। याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 7 डी॰ बी॰ घोष का सीनियर होने का दावा और प्रोन्नति का दावा करते हुए प्रत्यर्थीगण के समक्ष एक अन्य अभ्यावेदन दाखिल किया। प्रत्यर्थीगण ने याची की वरीयता का दावा अस्वीकार करते हुए इस आधार पर दिनांक 7.10.2009 का आदेश पारित किया कि डी॰ बी॰ घोष को दिनांक 15.11.1996 के आदेश द्वारा प्रोन्नत और पदस्थापित किया गया था जबकि याची को केवल दिनांक 19.12.1997 के आदेश द्वारा पैनलकृत किया गया था और उसने दिनांक 21.12.1997 को उक्त पद ग्रहण किया और इसलिए, याची डी॰ बी॰ घोष के उपर वरीयता का दावा नहीं कर सकता है।

7. दिनांक 7.10.2009 को उक्त संसूचना और दिनांक 18.12.2009 के आदेश को भी चुनौती देते हुए याची ने अधिकरण के समक्ष ओ॰ ए॰ सं॰ 24/2010 दाखिल किया। अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करते हुए उक्त ओ॰ ए॰ खारिज कर दिया कि डी॰ बी॰ घोष को दिनांक 15.11.1996 के आदेश द्वारा एच॰ एन्ड एम॰ आई॰ ग्रेड II के पद पर प्रोन्नत और पदस्थापित किया गया था जबकि याची केवल दिनांक 19.12.1997 को अगली चयन परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसने दिनांक 21.12.1997 को पद ग्रहण किया और इसलिए, याची डी॰ बी॰ घोष के उपर वरीयता का दावा नहीं कर सकता है।

8. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम॰ ए॰ खान ने प्रतिवाद किया कि याची की स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में आरंभिक नियुक्ति की तिथि दिनांक 29.11.1984 थी जबकि डी॰ बी॰ घोष की नियुक्ति की तिथि दिनांक 26.1.1991 थी और ऐसा होने पर प्रत्यर्थीगण ने जानबूझकर याची को अनुपयुक्त घोषित किया और याची के जूनियर डी॰ बी॰ घोष को उपयुक्त घोषित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याची को डी॰ बी॰ घोष की प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति दी जानी चाहिए और दिनांक 7.10.2009 का आक्षेपित आदेश और दिनांक 18.12.2009 का आदेश संपोषणीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची की ओर से किए गए अनेक निवेदनों को अधिकरण द्वारा समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया था और उन्होंने रिट याचिका अनुज्ञात करने के लिए प्रार्थना किया।

9. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जलिसुर रहमान ने निवेदन किया कि डी॰ बी॰ घोष को उपयुक्त पाया गया था और पैनलकृत किया गया था और एच॰ एन्ड एम॰ आई॰ ग्रेड II के पद पर प्रोन्नत किया गया था जिसे उसने दिनांक 16.11.1996 को ग्रहण किया जबकि याची ने केवल दिनांक 21.12.1997 को उक्त पद ग्रहण किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि डी॰ बी॰ घोष याची के पहले एच॰ एन्ड एम॰ आई॰ ग्रेड II पद पर चयनित एवं प्रोन्नत किए जाने के कारण याची का सीनियर बन गया और याची डी॰ बी॰ घोष के उपर वरीयता का दावा नहीं कर सकता है।

10. हमने निवेदनों, परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

11. जैसा पहले वर्णित किया गया है, याची और डी॰ बी॰ घोष दोनों दिनांक 21.8.1996 को लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए और उन दोनों ने लिखित परीक्षा में अर्हित अंक प्राप्त किया और उन्हें दिनांक 8.11.1996 की पूरक तिथि के साथ दिनांक 29.10.1996 को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था। मौखिक परीक्षा में डी॰ बी॰ घोष को उपयुक्त पाया गया था और पैनलकृत किया गया था और दिनांक 15.11.1996 के आदेश द्वारा प्रोन्नत और पदस्थापित किया गया था और उसने दिनांक 16.11.1996 को एच॰ एन्ड एम॰ आई॰ ग्रेड II पद ग्रहण किया। याची, जिसने उक्त लिखित परीक्षा में और मौखिक परीक्षा में भी भाग लिया और असफल रहा, यदि वस्तुत: डी॰ बी॰ घोष के चयन से व्यथित था, उसे प्रासंगिक समय पर उक्त चयन को चुनौती देना चाहिए था किंतु उसने ऐसा नहीं किया। किंतु याची ने इसके लिए कोई आपत्ति किए बिना आगे चयन में भाग लिया जिसके लिए दिनांक 23.7.1997 को लिखित परीक्षा ली गयी थी और उसका चयन किया गया था और उसने दिनांक 10.11.1997 को किए गए साक्षात्कार में भी भाग लिया और उसे दिनांक 19.12.1997 के आदेश द्वारा पैनलकृत और प्रोन्नत किया गया था। याची वर्ष 1996 में किए गए चयन से उपमत हुआ था जिसमें डी॰ बी॰ घोष को पैनलकृत और प्रोन्नत किया गया था और याची को वर्ष 1997 में पैनलकृत और नियुक्त किया गया था। याची ने वर्ष 1996 में किए गए चयन के संबंध में तब आपत्ति नहीं करने के कारण याची को पीछे पलटने और डी॰ बी॰ घोष के उपर वरीयता का दावा करने अथवा उस तिथि जिस पर डी॰ बी॰ घोष ने एच॰ एन्ड एम॰ आई॰ ग्रेड II के रूप में पद ग्रहण किया था से प्रोन्नति का दावा करने की छूट नहीं है। मात्र इसलिए कि याची को वर्ष 1984 में स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उक्त डी॰ बी॰ घोष को वर्ष 1991 में नियुक्त किया गया था, याची पद ग्रहण करने की तिथि के मूल वरीयता के आधार पर डी॰ बी॰ घोष के उपर वरीयता का दावा नहीं कर सकता है। एच॰ एन्ड एम॰ आई॰ ग्रेड II पद चयन पद होने के कारण याची स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में अपने पद ग्रहण की अपनी मूल तिथि के आधार पर वरीयता का दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार, अधिकरण ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि डी॰ बी॰ घोष याची की तुलना में पहले एच॰ एन्ड एम॰ आई॰ ग्रेड II के रूप में चयनित एवं प्रोन्नत किए जाने के कारण याची का सीनियर बन गया था और याची डी॰ बी॰ घोष के उपर वरीयता का दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार, हम अधिकरण के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाते हैं। गुणागुण रहित होने के कारण रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vferkHk dekj xlrk] U;k;efr

उनके कर्मकार, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन

cuke

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि॰ एवं अन्य

L.P.A. No. 84 of 2013. Decided on 4th December, 2013.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–पिछली मजदूरी–जब यूनियन के सदस्य पिछली मजदूरी के विरुद्ध एकमुश्त राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हुए, संपूर्ण पिछली मजदूरी की मांग करने की छूट अपीलार्थी को नहीं है–जब अपीलार्थी समझौते के निबंधनों का पालन करने के लिए सहमत हुआ, अपीलार्थी अधिनिर्णय का क्रियान्वयन इप्सित नहीं कर सकता है–एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है–एल॰ पी॰ ए॰ खारिज। (पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. S.K. Laik, For the Appellants; M/s Ananda Sen & Nagmani Tiwari, For the Respondents.

आदेश

यह एल॰ पी॰ ए॰ निर्देश केस सं॰ 156 वर्ष 1994 और 72 वर्ष 1995 में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 18.8.1997 के अधिनिर्णय को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्यर्थी–प्रबंधन को निर्देश जारी करने से इनकार करने वाले डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 6884 वर्ष 2012 में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

2. आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 3 में मामले के संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिनका पठन निम्नलिखित है:–

> *"ekey dk yck bfrgkl gA iokDr fun'k ds le fnukd 18.8.1997 dk ikfjr ç'uxr vfèkfu.k; çcèku }kjk iVuk mPp U;k;ky; ds le{k pukrh dk fo"k; oLrq Fkk ftls vrr% lh0 MCY;0 t0 lh0 l0 7/98 (R) esa ikfjr vkns'k ds rgr o"k 1999 esa [kkfjt dj fn;k x;k FkkA ;kph ds vulkj blds fo#) çcèku }kjk nkf[ky yVl iVUV vihy dk Hkh fnukd 12.7.1999 ds vkns'k }kjk [kkfjt dj fn;k x;k FkkA çcèku }kjk nkf[ky fo'k"k vuefr ;kfpdk ,l0 ,y0 ih0 (flfoy) l0 15253/99 Hkh fnukd 17.4.2000 ds fu.k; ,o vkns'k (ifjf'k"V&4) ds rgr [kkfjt dj nh x;h FkhA mDr vkns'k ds fo#) iufoykdu] ifjf'k"V&5, Hkh fnukd 8.8.2000 dk [kkfjt dj fn;k x;k FkkA rRi'pkr çcèku }kjk nkf[ky fjV ;kfpdk MCY;0 ih0 (,y0) l0 4189 o"k 2002 esa bl U;k;ky; us vfèkfu.k;] ifjf'k"V&6, fØ;kfUor djus dk fun'k çcèku dks fn;kA ekuuh; lokPp U;k;ky; ds le{k okn ds nlj pØ flfoy vihy l0 6651/2003 esa ekuuh; lokPp U;k;ky; us dedkjk dk viuh igpku ds lR;kiu ds fy, mPp U;k;ky; ds le{k 'kiFk i=k dk nkf[ky djus dk fun'k fn;k vkj rRi'pkr mPp U;k;ky; dk iucgkyh] ifjf'k"V&7, ds lcèk esa lefpr fun'k ikfjr djus dk fun'k fn;k x;k FkkA rRi'pkr] mPp U;k;ky; ds fun'k ij dedkjk }kjk nLrkostk dk nkf[ky fd;k x;k Fkk vkj vk|kfxd vfèkdj.k us dedkjk dk fu;fer djus dk fun'k çcèku dks nrs g, fnukd 9.12.2010 dk vkns'k] ifjf'k"V&9, ikfjr fd;k D;kfd mudh igpku çfØ;k ijh dj yh x;h gA fQj Hkh vfèkfu.k; fØ;kfUor ugh fd;k x;k Fkk vkj ;kph rFkk çcèku us fnukd 21.2.2011 dk ifjf'k"V 10 ds rgr le>krk fd;kA ;kph ds vulkj] ;|fi dedkjk ftudh l[;k 112 g] dk le>krk gku ds dN nj ckn fu;fer fd;k x;k gA ;kph dk çfrokn g fd vc dedkjk dk lrg ij dke tlk o"k 1997 esa ey vfèkfu.k; ds le; ij ijk fd;k tk jgk Fkk] ds fo#) Hkfexr [kkuk esa dke djus ds fy, dgk tk jgk gA vr%] ;kph bl U;k;ky; ds ikl vk;k g D;kfd vfèkfu.k; ds fØ;kUo;u ds fy, dedkjk ds vH;konuk dk Lohdkj ugh fd;k tk jgk gA**

3. अपीलार्थी की शिकायत यह है कि यद्यपि कर्मकारों, जिनकी संख्या 112 है, को तत्पश्चात नियमित किया गया है किंतु समझौता होने के कुछ देर बाद, कर्मकारों को सतह के काम के विरुद्ध भूमिगत खानों में काम करने के लिए कहा जा रहा है जो वर्ष 1997 में पारित मूल अधिनिर्णय के निबंधनों के विरुद्ध है। याची–अपीलार्थी की आगे शिकायत यह है कि अधिनिर्णय के मुताबिक कर्मकारों को पूर्ण पिछली मजदूरी का भुगतान किया जाना है किंतु कर्मकारों को केवल 1,45,000/- रुपयों का भुगतान किया गया है। उन शिकायतों पर, अपीलार्थी ने दिनांक 18.8.1997 के अधिनिर्णय को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए प्रत्यर्थी प्रबंधन को निर्देश जारी करने के लिए रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 6884 वर्ष 2012 दाखिल किया है।

4. पक्षों को सुनने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह संप्रेक्षित करते हुए रिट याचिका खारिज कर दिया कि अधिनिर्णय पारित किए जाने के बाद पक्षगण ने दिनांक 21.2.2011 को समझौता किया है और समझौता अनुबंधित करता है कि अधिनिर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में अधिनिर्णय पाने वालों द्वारा अथवा प्रायोजक यूनियन द्वारा किसी विधिक फोरम के समक्ष विवाद नहीं किया जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने संप्रेक्षित और अभिनिर्धारित किया कि चूँकि समझौता संपूर्ण रूप से अधिनिर्णय के क्रियान्वयन के लिए समस्त विवाद्यकों का समाधान करता है रिट याची किसी अनुतोष का हकदार नहीं है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर दिया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनिर्णय के निबंधनों के मुताबिक कर्मकारों को नियमित किया जाना चाहिए था और सतह का काम दिया जाना चाहिए था और अधिनिर्णय के निबंधनों के विपरीत नियमित किए गए कर्मकारों को अब भूमिगत खान में काम करने के लिए कहा जा रहा है। आगे शिकायत यह है कि यद्यपि अधिनिर्णय अनुबंधित करता है कि समस्त नियमित कर्मकार पिछली मजदूरी के हकदार होंगे किंतु कर्मकारों को केवल एकमुश्त मुआवजा का भुगतान किया गया है।

6. हमने प्रत्यर्थी प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द सेन को सुना है जिन्होंने हमारा ध्यान करार के निबंधनों की ओर खींचा है और निवेदन किया है कि यूनियन ने समझौता किया था और समझौते के निबंधनों से सहमत होने पर अब अधिनिर्णय को क्रियान्वित करने के लिए नहीं कह सकता है और कर्मकारों को ऐसा करने से रोका गया है।

7. मामले का लंबा इतिहास है। इस न्यायालय द्वारा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनेक निर्देशों को जारी किया गया है। पक्षों ने दिनांक 21.2.2011 को समझौता किया है। समझौते में यह स्पष्टत: अनुबंधित किया गया है कि पिछली मजदूरी के भुगतान के विरुद्ध यूनियन के सदस्य एकमुश्त भुगतान के रूप में 1,45,000/- रुपया स्वीकार करने के लिए सहमत हुए।

8. दिनांक 21.2.2011 के समझौते के खंड (2) का पठन निम्नलिखित है:–

*"(2) fun'k d l l0 156/94 e fnukd 1.7.1994 d çHkko l fu;fefrdj.k dh frfFk rd vkj fun'k d l l0 72/95 e fnukd 1.6.95 l fu;fefrdj.k dh frfFk rd dnh; ljdkj vk|kfxd vfèkdj.k l0 1, èkuckn }kjk ikfjr vfèkfu.k; d ,okfM;k dk fiNyh etnjh d Hkxrku d lcèk e ;fu;u fiNyh etnjh d fo#) ,de'r Hkxrku d :i e 1,45,000/- #i;k Lohdkj dju d fy, lger gvkA***

9. जब यूनियन के सदस्य पिछली मजदूरी के विरुद्ध एकमुश्त भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमत हुए, अपीलार्थी को संपूर्ण पिछली मजदूरी की मांग करने की छूट नहीं है। जहाँ तक नियमित किए गए कर्मकारों को भूमिगत काम देने के संबंध में प्रतिवाद का संबंध है। समझौते के निबंधनों के पैराग्राफ 6 में यह स्पष्टत: कथन किया गया है कि ''इस अधिनिर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में एवार्डियों द्वारा अथवा प्रायोजक यूनियन द्वारा किसी विधिक फोरम के समक्ष कोई विवाद नहीं किया जाएगा।'' जब अपीलार्थी समझौते के निबंधनों का पालन करने के लिए सहमत हुए और इस पर भी सहमत हुए कि कोई विवाद नहीं किया जाएगा अपीलार्थी अधिनिर्णय का क्रियान्वयन इप्सित नहीं कर सकते हैं। समझौते के निबंधनों को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही प्रकार से रिट याचिका खारिज किया।

10. हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। अत: एल० पी० ए० खारिज किया जाता है।

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

बीरू मांझी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 540 of 2009. Decided on 8th January, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 147, 148, 149, 432, 436, 452, 307 एवं 506—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—हत्या का प्रयास और दोषपूर्ण अवरोध–संज्ञान–याची के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है–इसके बावजूद कोई कारण दिए बिना कि वह किस आधार पर इस निष्कर्ष पर आए हैं कि याची के विरूद्ध प्रथम दृष्टया सामग्री है, न्यायालय ने याची के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया–संज्ञान लेने वाला आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया–नए आदेश के लिए मामला वापस भेजा गया। (पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Sahani, For the Petitioner; A.P.P., For the State; Mr. Kalyan Banerjee, For the Informant.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और सूचक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह आवेदन चंदनकियारी (बरमसिया) पी॰ एस॰ केस सं॰ 79 वर्ष 2003 (जी॰ आर॰ सं॰ 693 वर्ष 2003) में पारित दिनांक 23.7.2006 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्ष से असहमत होकर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर समस्त अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 432, 436, 452, 307, 506 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया है। उस आदेश से व्यथित होकर इस आवेदन को दाखिल किया गया है।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री साहनी निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से किसी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपराधिता नहीं पायी गयी थी और तद्द्वारा किसी भी याची को विचारण के लिए नहीं भेजा गया था, फिर भी न्यायालय ने यह कथन करते हुए कोई कारण दिए बिना अपराध का संज्ञान लिया कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और तद्द्वारा न्यायालय ने **नुपूर तलवार बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, (2012)2 SCC 188**, और **मेसर्स जी॰ एच॰ ई॰ एल॰ कर्मचारी स्टॉक आप्शन ट्रस्ट बनाम मेसर्स इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड, (2013)2 East Crl. Cases 326 (SC)** में दिए गए निर्णय की दृष्टि में, जिसके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि ऐसी स्थिति में न्यायालय को कारण देकर आदेश पारित करने की आवश्यकता है, न्यायालय ने अवैधता किया था और चूँकि यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद है, कोई कारण नहीं दिया गया है, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

4. इसके विरुद्ध सूचक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि न्यायालय ने याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाने पर अपराध का संज्ञान लिया है और तद्द्वारा संज्ञान लेने वाले आदेश को दोषपूर्ण कभी नहीं कहा जा सकता है।

5. स्वीकृत रूप से, याची के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है, उसके बावजूद न्यायालय ने कोई कारण दिए बिना कि किस आधार पर यह इस निष्कर्ष पर आया है कि याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्री है, याची के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया।

6. वैसी स्थिति में, याची के विरुद्ध संज्ञान लेने वाला दिनांक 23.7.2006 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और विधि के अनुरुप नया आदेश पारित करने के लिए मामला संबंधित न्यायालय के पास वापस भेजा जाता है।

7. परिणामस्वरुप, यह आवेदन निपटाया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

सरदूल सिंह

cuke

जमशेदपुर प्रिंटिंग वर्क्स लिमिटेड

C.R. No. 131 of 2004. Decided on 8th January, 2014.

अभिधृति–बेदखली–बेदखली का एकपक्षीय आदेश–नोटिस के वैध तामीला के बाद भी याची वाद का प्रतिवाद करने उपस्थित नहीं हुआ था–याची मामले का प्रतिवाद करने में चौकस नहीं था और अनेक अवसरों पर विलंब के बाद अपने-अपने फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया–चूँकि वाद परिसर अस्तित्व में नहीं है, कोई अनुतोष, जैसा इप्सित किया गया है, याची को नहीं दिया जा सकता है–पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Ananda Sen, For the Petitioner; Mr. S.L. Agarwal, For the Opp. Party.

आदेश

यह पुनरीक्षण विविध अपील सं॰ 26 वर्ष 1994 के संबंध में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 2.8.2004 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

2. पुनरीक्षण के पीछे संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची विरोधी पक्षकार के अधीन किराएदार था और वह भूखंड सं॰ 16, साकची मिल्स एवं गोदाम क्षेत्र पर अवस्थित भवन के भूतल पर दुकान के अधिभोग में था। यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त भवन के भूतल पर दुकान सं॰ 8 को याची द्वारा उपभोग अनुसार विद्युत प्रभारों के अतिरिक्त 470/- रुपया मासिक किराया पर लिया गया था।

3. विरोधी पक्षकार के अनुसार, किराएदारी ग्यारह माह के नियत अवधि के लिए थी और, तत्पश्चात, इसे नवीकृत नहीं किया गया था। विरोधी पक्षकार ने वर्तमान याची के विरुद्ध बेदखली वाद सं॰ 171/1989 के तहत बेदखली वाद दाखिल किया। नोटिस का तामील किया गया था किंतु नोटिस के वैध तामीले के बाद भी याची उपस्थित नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरुप, एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था और याची को भूखंड सं॰ 16, साकची मिल्स एवं गोदाम क्षेत्र, शहर जमशेदपुर पर खड़ी वाद संपत्ति से बेदखल करने का निर्देश दिया गया था। उक्त एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध याची ने एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 13 के अधीन याचिका दाखिल किया जिसके लिए विविध केस सं॰ 2 वर्ष 1992 दर्ज किया गया था और विद्वान मुंसिफ, जमशेदपुर ने पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 24.8.1994 को आक्षेपित एकपक्षीय आदेश अपास्त करने से इनकार कर दिया और विविध केस सं॰ 2/1992 खारिज कर दिया। तब याची ने विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष विविध अपील सं॰

26/1994 दाखिल किया, जिसे प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, जमशेदपुर के न्यायालय को अंतरित किया गया था जिन्होंने इसे दिनांक 24.8.1994 को निपटाया और यह भी खारिज किया गया था और बेदखली वाद सं॰ 171/1989 के संबंध में विद्वान मुंसिफ द्वारा पारित दिनांक 12.8.1991 का आदेश अस्तित्व में बना रहा।

4. विरोधी पक्षकार ने दिनांक 27.11.2003 को उसमें यह प्रकट करते हुए पूरक शपथ पत्र दाखिल किया कि भूखंड सं॰ 16, साकची मिल्स एवं गोदाम क्षेत्र पर खड़े संपूर्ण भवन को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र कमिटी की प्रेरणा पर भंजित कर दिया गया है और, इसलिए, उक्त दुकान का अस्तित्व अब नहीं है और इसलिए इस पुनरीक्षण में आदेश पारित करना निरर्थक होगा।

5. याची के लिए उपस्थित अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उनको कोई अनुदेश नहीं है कि भवन विद्यमान है अथवा भंजित कर दिया गया है।

6. चूँकि वाद परिसर अस्तित्व में नहीं है, याची को कोई अनुतोष, जैसा इप्सित किया गया है, नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दो न्यायालयों अर्थात् मुंसिफ एवं अपर जिला के न्यायालयों का समवर्ती निष्कर्ष यही है कि नोटिस के वैध तामीले के बिना याची वाद का प्रतिवाद करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। यह भी प्रकट है कि याची मामले का प्रतिवाद करने में अधिक चौकस नहीं था और विभिन्न अवसरों पर विलंब के बाद अपने-अपने फोरम के समक्ष आवेदन दिया है।

7. इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए और इसे भी विचार में लेते हुए कि वाद परिसर वर्तमान में विद्यमान नहीं है, यह पुनरीक्षण आवेदन निष्फल बन गया प्रतीत होता है और खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

बालेश्वर रविदास

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P.No. 1349 of 2011. Decided on 8th January, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—हत्या–संज्ञान–जब याची के विरुद्ध फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया था, इसे स्वीकार किया गया था–पुनरीक्षण न्यायालय ने याची को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश अपास्त कर दिया जिसके द्वारा फाइनल फॉर्म स्वीकार किया गया था–याची को वैध अधिकार प्रोद्‌भूत हुआ था जब न्यायालय ने फाइनल फॉर्म स्वीकार किया था और तद्द्वारा पुनरीक्षण न्यायालय ने याची को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित करने में अवैधता किया–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और नए सिरे से विचार के लिए मामला वापस भेजा गया।

(पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2004) 13 SCC 472; (2013)7 SCC 789—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Jitendra S. Singh, For the Petitioner; A.P.P., For the State.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और सूचक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध की कारिता के लिए याची सहित दो व्यक्तियों के विरुद्ध सूचक द्वारा मामला दर्ज किया गया था। मामले का अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के दौरान पुलिस ने अभियुक्तगण में से किसी के विरुद्ध अपराधिता नहीं पाया था और इसलिए, फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 25.4.2008 के आदेश के तहत न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था।

3. उस आदेश से व्यथित होकर, सूचक ने सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया जिसे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा सुना गया था। पुनरीक्षण न्यायालय ने फाइनल फॉर्म स्वीकार करने वाले आदेश को अपास्त करके आगे जाँच के लिए मामला वापस भेज दिया। उस पर दंडाधिकारी ने टी॰ आर॰ सं॰ 347 वर्ष 2011/ पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 482 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 21.7.2011 के आदेश के तहत याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया।

4. दंडाधिकारी एवं पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश चुनौती के अधीन हैं।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र एस॰ सिंह निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण न्यायालय ने याची को सुने बिना आदेश पारित किया है और तद्द्वारा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश और दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गोड्डा द्वारा पारित पारिणामिक आदेश **पी॰ सुन्दर राजन एवं अन्य बनाम आर॰ विद्या सेकर, (2004)13 SCC 472,** और **मोहित उर्फ सोनू एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2013)7 SCC 789,** में दिए गए निर्णय की दृष्टि में अवैधता से पीड़ित है।

6. स्वीकृत रूप से, जब याची के विरुद्ध फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया था, इसे स्वीकार किया गया था। सूचक उस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण न्यायालय के पास गया और पुनरीक्षण न्यायालय ने याची को मामले में सुने जाने का कोई अवसर दिए बिना आदेश जिसके द्वारा फाइनल फॉर्म स्वीकार किया गया था अपास्त कर दिया क्योंकि याची को वैध अधिकार प्रोद्भूत हुआ था जब न्यायालय ने फाइनल फॉर्म स्वीकार किया था और तद्द्वारा पुनरीक्षण न्यायालय ने याची को मामले में सुने जाने का कोई अवसर दिए बिना आदेश पारित करने में अवैधता किया।

7. तद्नुसार, दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 39 वर्ष 2008/19 वर्ष 2008 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 4.7.2008 का आदेश और दिनांक 21.7.2011 को दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गोड्डा द्वारा पारित पारिणामिक आदेश भी एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। पक्षों को सुनने के बाद मामले को नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए मामला संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

---

ekuuh; ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

गणेश तिवारी

cuke

रमाकांत तिवारी एवं अन्य

W.P. (C) No. 2622 of 2013. Decided on 30th July, 2013.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 26 नियम 9—प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति के लिए आवेदन का अस्वीकरण–अवर न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि उसकी वृद्धावस्था पर

विचार करते हुए प्रतिपरीक्षण दर्ज किए जाने के समय पर ब॰ सा॰ को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएगी–प्रत्यर्थीगण ब॰ सा॰ को न्यायालय परिसर तक लाने का व्यय वहन करने के लिए तैयार हैं–अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है–प्रतिवादी के साक्ष्य को बंद करने वाला आदेश अभिखंडित किया गया। (पैराएँ 2 से 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Sanjay Kumar Tiwari, For the Petitioner; None, For the Respondent.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और आक्षेपित आदेश तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों का परिशीलन किया गया। यह प्रतीत होता है कि अवर न्यायालय ने ब॰ सा॰ 1 जो एक 85-90 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है के प्रति परीक्षण के लिए प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति का याची का आवेदन अस्वीकार कर दिया है। आगे यह प्रतीत होता है कि इसे मुख्यत: इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि ब॰ सा॰ 1 हाल ही में शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण दाखिल करने के लिए न्यायालय आया था और, इसलिए, उसके स्वास्थ्य को देखते हुए वह प्रति परीक्षण के प्रयोजन से न्यायालय आ सकता है। अवर न्यायालय ने आगे संप्रेक्षित किया कि उसकी वृद्धावस्था पर विचार करते हुए प्रति परीक्षण दर्ज करने के समय पर उसको आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

2. प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी निष्पक्षत: निवेदन किया कि वे उस तिथि पर कोई स्थगन के लिए नहीं कहेंगे जिस तिथि पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षण नियत किया जाएगा और वे किसी स्थगन के लिए कहे बिना व्यक्ति को परेशानी पहुँचाए बिना प्रति परीक्षण करेंगे। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह कथन किया गया है कि ब॰ सा॰ 1 को गाँव से न्यायालय परिसर में लाने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा परिवहन का व्यय वहन किया जाएगा।

3. उक्त अवस्था की दृष्टि में, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र से आगे यह प्रतीत होता है कि दिनांक 20 जुलाई, 2013 तक प्रतिवादी का साक्ष्य बंद करने का आदेश दिया गया है किंतु याची द्वारा पूरक शपथ पत्र दाखिल करके उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गयी है। किंतु, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अत्यन्त निष्पक्षत: निवेदन किया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि प्रतिवादी के साक्ष्य को बंद करने के संबंध में आदेश अभिखंडित और अपास्त किया जाता है और याची प्रतिवादी को साक्ष्य देने का अवसर दिया जाए।

5. तद्नुसार, दिनांक 20.7.2013 का आदेश अपास्त किया जाता है और प्रतिवादी को साक्ष्य देने की अनुमति दी जाती है।

6. आगे यह प्रतीत होता है कि सिविल वाद वर्ष 2003 का है और, इसलिए, इसके पुराना लंबित वाद होने के नाते अवर न्यायालय शीघ्रातिशीघ्र इसका निपटान करने का प्रयास भी करेगा। पक्षगण वाद की शीघ्र सुनवाई के लिए न्यायालय के साथ सहयोग करेंगे और विचारण न्यायालय इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर बँटवारा वाद सं॰ 22 वर्ष 2003 को निपटाने का प्रयास करेगा।

7. तद्नुसार, यह रिट याचिका निपटायी जाती है।

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

बिजेन्द्र यादव उर्फ बिजेन्द्र कुमार यादव एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 451 of 2012. Decided on 8th January, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908—धाराएँ 3/4—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—हत्या–समन–पुलिस द्वारा फाइनल फॉर्म दाखिल करने के बाद अभ्यापत्ति याचिका पर अपराध का संज्ञान लिया गया–जाँच के दौरान याचीगण के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री पाने के बाद न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया–संज्ञान लेने वाला आदेश किसी अवैधता से पीड़ित नहीं है और इसे अभिखंडित करने की आवश्यकता नहीं है–आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 3 एवं 4)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajesh Kumar, For the Petitioners; A.P.P., For the State; Mr. M. K. Dey, For the O.P. No.2.

आदेश

याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह आवेदन सी॰ पी॰ केस सं॰ 1304 वर्ष 2009 में न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 28.4.2010 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा और जिसके अधीन न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन याचीगण को विचारण का सामना करने के लिए समन किया है।

3. यह प्रतीत होता है कि सूचक के मामा की हत्या की कारिता के लिए 12 नामित व्यक्तियों और 8-10 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। मामले का अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के दौरान, जब तीन अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराधिता पायी गयी थी, आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और शेष के विरुद्ध अन्वेषण जारी रखा गया था। आगे अन्वेषण के बाद जब पुलिस ने अन्य अभियुक्तगण की ओर से अपराधिता नहीं पाया था, तीन याचीगण सहित उनके विरुद्ध फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया था, जिन्हें विचारण के लिए नहीं भेजा गया था। फाइनल फॉर्म दाखिल करने पर अभ्यापत्ति याचिका दाखिल की गयी थी जिसे परिवाद के रूप में माना गया था। वह अभ्यापत्ति याचिका समस्त 12 नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध दाखिल की गयी थी किंतु यह प्रतीत होता है कि यह केवल इन याचीगण तक सीमित है। मामले की जाँच की गयी थी। जाँच के दौरान न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन इन याचीगण के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री पाने के बाद दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया और तद्द्वारा संज्ञान लेने वाला आदेश किसी अवैधता से पीड़ित नहीं है और इसलिए इसे अभिखंडित करने की आवश्यकता नहीं है।

4. तद्नुसार, यह आवेदन खारिज किया जाता है।

ekuuh; ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

रामेश्वर साव एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (Cr.) No. 232 of 2013. Decided on 29th November, 2013.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 313—अभियुक्त का परीक्षण–विचारण न्यायालय अभियुक्त का दूसरी बार अथवा विचारण के किसी चरण पर परीक्षण कर सकता है यदि विचारण न्यायालय सोचता है कि मामले के निपटान के लिए यह आवश्यक है–जब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 में अंतर्विष्ट प्रावधान के गैर-अनुपालन पर अभियुक्त पर प्रतिकूलता कारित नहीं होती है, तब इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। (पैरा 9)

निर्णयज विधि.–(1998) 3 SCC 455; AIR 1954 Orissa 65; AIR 1972 SC 2058—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Mahesh Tewari, For the Petitioners; J.C. to S.C.-III, For the State.

आदेश

याचीगण ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰, IV, धनबाद द्वारा दिनांक 16.9.2013 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन लिए बयान को अभिखंडित/अपास्त करने के लिए इस आधार पर प्रार्थना किया है कि जब दिनांक 8.7.2010 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन इन याचीगण का पहले ही परीक्षण कर लिया गया है, दिनांक 16.9.2013 को दूसरी बार दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याचीगण को तोपचाँची (हरिहरपुर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 102 वर्ष 2000 में भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/201 और 34 के अधीन अभियुक्त बनाया गया था। मामले की सुपुर्दगी और अभियोजन गवाहों के परीक्षण के बाद दिनांक 8.7.2010 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन याचीगण का परीक्षण किया गया था। साक्ष्य बंद करने और तर्कों के समापन के बाद दिनांक 16.9.2013 को पुनः दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन याचीगण का परीक्षण किया गया था।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण का दूसरी बार परीक्षण किसी वैध कारण के बिना है और केवल अभियोजन गवाहों की कमियों को पूरा करने की दृष्टि से है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण का परीक्षण इस तरीके से नहीं किया जा सकता है जिसे अभियुक्तगण का प्रति-परीक्षण कहा जा सके।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन के लिए **रंजन द्विवेदी एवं एक अन्य बनाम सी॰ बी॰ आई॰, महानिदेशक के माध्यम से, 2008 Cri. LJ 1440,** मामले को निर्दिष्ट किया है और इस पर विश्वास किया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण ने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दूसरे परीक्षण द्वारा याचीगण पर कौन सी प्रतिकूलता कारित हुई है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अभियुक्तगण के परीक्षण के संबंध में याचीगण की आपत्ति को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तार्किक आदेश द्वारा ठुकरा दिया गया है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **शोभित चमार बनाम बिहार राज्य, (1998)3 Supreme Court Cases 455, रुसी विसवल बनाम नख्यात्रामालिनी देवी एवं अन्य, AIR 1954 Orissa 65; अजित कुमार चौधरी बनाम**

बिहार राज्य, AIR 1972 SC 2058 और **अशरफ अली बनाम असम राज्य** में निर्णयों को निर्दिष्ट किया है और इन पर विश्वास किया है।

5. मामले के गुणागुण पर आने के पहले मैं दं० प्र० सं० की धारा 313 के अधीन प्रावधान को उद्धृत करना चाहूँगा। दं० प्र० सं० की धारा 313 का पठन निम्नलिखित है:–

> **^vfHk;Dr dh ijh{kk dju dh 'kfDr-**&(1) çR;d tkp ;k fopkj.k e] bl ç;ktu l fd vfHk;Dr viu fo#) lk{; e çdV gku okyh fdUgh ifjfLFkfr;k dk Lo; Li"Vhdj.k dj ld] U;k;ky;&
>
> (a) fdlh çØe e] vfHk;Dr dk igy l prkouh fn, fcuk] mll ,l ç'u dj ldrk g tk U;k;ky; vko';d le>]
>
> (b) vfHk;ktu d lkf{k;k dh ijh{kk fd, tku d i'pkr vkj vfHk;Dr l viuh çfrj{kk dju dh vi{kk fd, tku d io ml ekey d ckj e mll lkekkj.kr;k ç'u djxk(**

6. पूर्वोक्त प्रावधान के कोरे परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि खंड (1) (b) के अधीन शब्द ''करेगा'' का उपयोग किया गया है और इस प्रकार यह आज्ञापक खंड है कि यह उसके विरुद्ध अपराध में फँसानेवाली समस्त सामग्रियों के संबंध में अभियुक्त से प्रश्न पूछने के लिए न्यायालय का कर्तव्य प्रावधानित करता है और सामग्रियों, जो अपराध में फँसाने वाली हो सकती है, के अस्तित्व के बावजूद न्यायालय द्वारा कोई उल्लंघन, व्यपगमन अथवा लोप अपरिहार्य परिणामों की ओर ले जा सकता है। किंतु खंड (1) (a) के अधीन शब्द ''किसी चरण पर कर सकता है'' आता है और इस प्रकार यह न्यायालय को उसके विरुद्ध साक्ष्य में सामने आने वाली किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से सक्षम बनाने के लिए किसी चरण पर अभियुक्त का परीक्षण करने का विकल्प देता है। अत: विधान मंडल दं० प्र० सं० की धारा 313 के अधीन दूसरी बार अभियुक्त का परीक्षण करने के लिए कोई वर्जना नहीं करता है और खंड (1) (a) के अधीन न्यायालय को ऐसा प्रश्न **जैसा न्यायालय आवश्यक समझता है** पूछने के लिए सशक्त बनाता है।

7. तर्क के समय पर याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न पर इंगित किया कि धारा 313 के अधीन अभियुक्त के दूसरी बार परीक्षण का विरोध करते हुए अभियुक्तगण द्वारा आवेदन दाखिल किया गया था और अवर न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। समुचित कार्यवाही दाखिल करके उक्त आदेश को चुनौती कभी नहीं दी गयी थी। मैंने याचीगण द्वारा उद्धृत निर्णयों का भी परिशीलन किया है। उक्त निर्णय में भी, दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि प्रश्नों का पुन: उत्तर देने के लिए अभियुक्त को बुलाने पर कोई विवक्षित निषेध नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एकमात्र सुझाव यह है कि अभियोजन साक्ष्य के समापन के बाद एक से अधिक बार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अभियुक्त को बुलाने की शक्ति का उपयोग रुटीन अथवा यंत्रवत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त आवेदन को अस्वीकार करते हुए अभियुक्त के बयान को आगे दर्ज करने के लिए आवश्यक प्रशंसनीय कारण दिया है जो अभियुक्तगण के हित में प्रतीत होता है और इसलिए याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय याचीगण के मामले की मदद नहीं करता है।

8. अब प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत अनेक निर्णयों के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि **शोभित चमार बनाम बिहार राज्य (1998)3 Supreme Court Cases 455,** मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दं० प्र० सं० की धारा 313 के गैर–अनुपालन पर आधारित दोषसिद्धि को इस अपील में पहली बार ग्रहण नहीं किया जा सकता है जब तक अपीलार्थीगण प्रदर्शित नहीं करते हैं कि उन पर प्रतिकूलता कारित की गयी है। **रूसी बिसवल बनाम नख्यत्रामालिनी देवी एवं अन्य, AIR 1954 Orissa 65,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा अपनी भाषा में व्यापक है और किसी

चरण विशेष पर अभियुक्त का परीक्षण करने की न्यायालय की शक्ति को सीमित नहीं करती है। न्यायालय अभियुक्त के साक्ष्य में उसके विरुद्ध आने वाली किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए सक्षम बनाने के लिए उतनी बार उसका परीक्षण कर सकता है जितनी बार यह ऐसा करना आवश्यक समझता है, धारा का उद्देश्य यह देखना है कि क्या अभियुक्त अपने विरुद्ध बताए गए तथ्यों का निर्दोष स्पष्टीकरण दे सकता है। धारा की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं हैं जो बचाव साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद भी अभियुक्त का परीक्षण करने से न्यायालय को रोक सकता है। **अजित कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य, AIR 1972 SC 2058,** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 342 (संशोधित अधिनियम की धारा 313 के तत्सम) के अनुपालन का लोप आवश्यकत: विचारण को दूषित नहीं करता है। जब तक धारा 342 का अनुपालन करने में अनियमितता से अन्याय परिणत नहीं होता है, इस आधार पर हस्तक्षेप अन्यायोचित नहीं होगा।

9. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय याचीगण के मामले की मदद नहीं करता है। जैसा पूर्वोक्त समस्त निर्णयों में उपर चर्चा की गयी है, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 में अंतर्विष्ट प्रावधान के अनुपालन के लिए अभियुक्त पर प्रतिकूलता कारित नहीं होती है, तब इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 (1) (a) में अंतर्विष्ट प्रावधान की दृष्टि में विचारण न्यायालय विचारण के किसी चरण पर अभियुक्त का दूसरी बार परीक्षण कर सकता है यदि विचारण न्यायालय मामले के निपटान के लिए ऐसा आवश्यक समझता है।

10. उक्त अवस्था की दृष्टि में याचीगण को यह दर्शाने की आवश्यकता है कि आगे बयान पुन: दर्ज किए जाने के कारण किस प्रतिकूलता के कारित होने की संभावना है। यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में याचीगण यह दर्शाने की अवस्था में नहीं है कि अभियुक्त के बयान को आगे पुन: दर्ज किए जाने के कारण किस प्रतिकूलता के कारित होने की संभावना है। इन परिस्थितियों के अधीन याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रतीत होता है कि याचीगण ने अभियुक्त का बयान दर्ज किए जाने का विरोध करते हुए आवेदन दाखिल किए जाने और उस पर न्यायालय द्वारा पारित तार्किक आदेश के संबंध में तथ्यों का कथन नहीं किया है। इस प्रकार, वर्तमान याचिका तात्विक तथ्य को दबाते हुए दाखिल की गयी है और इसलिए इस आधार पर भी यह अस्वीकार किए जाने योग्य है।

11. पूर्वोक्त कारणों से रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ç'kkr dekj] U;k;efr

रमेश कुमार सिंह एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (Cr.) No. 353 of 2005. Decided on 10th January, 2014.

भारतीय वन अधिनियम, 1927—धारा 33—वन संरक्षण अधिनियम, 1980—धारा 2—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 197—वन अपराध–संज्ञान–याचीगण सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियन्ता और सहायक अभियन्ता हैं और उन्हें राज्यपाल के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है–याचीगण को अभियोजित करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त नहीं की गयी–आक्षेपित आदेश गंभीर अवैधता से पीड़ित है और इसे संपोषित नहीं किया जा सकता है। (पैराएँ 2 से 5)

अधिवक्तागण.—Mr. Atanu Banerjee, For the Petitioners; M/s R.S. Mazumdar, R.R. Mishra, For the State.

आदेश

यह आवेदन टी॰ आर॰ सं॰ 741 वर्ष 2005 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 3.2.2005 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा और जिसके अधीन उन्होंने याचीगण के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अधीन संज्ञान लिया।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अतानू बनर्जी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि याचीगण सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियन्ता और सहायक अभियन्ता हैं और उन्हें राज्यपाल के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। इस प्रकार, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना उनके विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में याचीगण को अभियोजित करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त नहीं की गयी थी।

3. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री आर॰ एस॰ मजूमदार ने निष्पक्षत: कथन किया है कि वर्तमान मामले में अब तक मंजूरी प्रदान नहीं की गयी है।

4. पूर्वोक्त परिस्थिति के अधीन, मैं पाता हूँ कि आक्षेपित आदेश को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 197 के प्रावधानों की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। अत:, मैं पाता हूँ कि आक्षेपित आदेश गंभीर अवैधता से पीड़ित है।

5. तद्नुसार, यह रिट आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 3.2.2005 का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

जॉय कुमार महतो

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5874 of 2007. Decided on 25th October, 2013.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक आवेदन के मामले में।

(क) बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000—धारा 53 सह-पठित अनुसूची VIII—पेंशन–कर्मचारी, जो नियत दिन (15.11.2000) के पहले सेवानिवृत्त हो गया है, को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करना बिहार राज्य का दायित्व है–दो राज्यों के बीच दायित्व के प्रभाजन का प्रश्न नहीं था–याची की प्रतिनियुक्ति बिहार सरकार के अधीन उनकी सेवा को समाप्त नहीं करेगी–दोनों राज्यों के बीच किया जाने वाला समायोजन का प्रावधान बिहार राज्य को पेंशन का भुगतान करने के अपने दायित्व से विमुक्त नहीं करेगा। (पैराएँ 14 एवं 15)

(ख) सेवा विधि–पेंशन–पेंशन प्राप्त करने का व्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 (1) के अधीन संपत्ति के अधिकार के समान है–मात्र कार्यपालिका आदेश द्वारा राज्य को इसे रोकने की शक्ति नहीं है–कर्मचारी को केवल विधि के अधीन विहित प्रक्रिया के अधीन सेवानिवृत्ति लाभों के मांग से इनकार किया जा सकता है। (पैराएँ 24 से 29)

निर्णयज विधि.–2002 (1) JLJR 491; 1994 Supp. (3) SCC 204; (1983)2 SCC 33; (2003)1 SCC 184; (1971)2 SCC 330; (1983)1 SCC 305; (1984)3 SCC 369; (1985)3 SCC 345; (2011)11 SCC 702—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Anjani Kumar Verma, For the Petitioner; Mr. Ram Niwas Roy, For the State of Jharkhand; Mr. Pankaj Kumar, For the State of Bihar; Mr. Ramit Satender, For the Resp. Nos. 4 & 9.

न्यायालय द्वारा.–याची पेंशन के बकाया सहित सेवानिवृत्ति देयों के भुगतान के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश इप्सित करते हुए इस न्यायालय के पास आया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची को दिनांक 2.5.1967 को खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार सरकार में चौकीदार (वर्ग IV) के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 1.10.1973 को याची को बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और उसे दुमका में पदस्थापित किया गया था। याची दिनांक 31.7.1991 के प्रभाव से सेवा से अधिवर्षित हुआ। यद्यपि एक अन्य समस्थित व्यक्ति अर्थात् सोनेलाल पोद्दार, जो निगम में गोदाम ऑपरेटर के पद से सेवानिवृत्त हुआ, को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को प्रदान किया गया था, किंतु याची को पेंशन के लाभ से इनकार किया गया था और इसलिए, वह वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है।

3. झारखंड राज्य की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि चूँकि उक्त सोनेलाल पोद्दार, रामचंद्र रमनी एवं समीर राय ने 10 वर्षों से अधिक की सेवा पूरा किया था, वे पेंशन पाने के हकदार थे और तद्नुसार, उन्हें पेंशन का लाभ प्रदान किया गया था।

4. प्रत्यर्थी सं० 9 अर्थात् बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम, दुमका ने निम्नलिखित कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है:–

10. fd ijk 5 d lcèk e ;g dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd lok fuofÙk d ckn ;kph dk lokfuofÙk ykHkk d en e fuEufyf[kr jkf'k;k dk Hkxrku fd;k x;k g%

'kh"k		*pd l0*	*jkf'k (#i;k)*
(d)	*vui;kfxr b0 ,y0 d 240 fnuk dk oru*	*702189 fnukd 2.8.1991*	*12,024.00/-*
([k)	*minku ,o lkefgd chek*	*705669 fnukd 30.7.1992*	*10,980.00/-*
(x)	*ekLVj ikfylh*	*0113090 fnukd 27.5.1993*	*1, 257.00/-*
(?k)	*b0 ih0 ,Q0*	*287286 fnukd 14.7.1992*	*11,580.00/-*
			35,841.00/-

fnukd 18.7.1992 d eek l0 6589 d rgr nedk e Jh egrk d [kkrk l0 22657 e vrfjr fd;k x;k fd ;kph }kjk mDr jkf'k;k dk çklr fd;k x;k g ftld fy, ml jlhn çnku fd;k x;k gA

5. दिनांक 6.9.2013 को जब मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, बिहार राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता को मामले में अनुदेश इप्सित करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि मामले में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बिहार राज्य ने वर्तमान कार्यवाही में अपना शपथ पत्र दाखिल नहीं किया था। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, ने तत्पश्चात दिनांक 21.9.2013 का अपना प्रतिशपथ पत्र यह अभिवचन करते हुए दाखिल किया कि चूँकि दिनांक 24.5.2013 और दिनांक 26.8.2013 के पत्रों, जिन्हें झारखंड सरकार को लिखा था, का प्रत्युत्तर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नहीं

दिया गया है, याची को पेंशन के प्रदान की हकदारी अभिनिश्चित करना संभव नहीं था। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र का पैराग्राफ सं॰ 5 से 10 को नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"5. fd ;kph dk nkok ;g g fd ml vkjEHk e fnukd 2.5.1967 dk vkifr foHkkx d vèkhu lc&fMfotuy dk;ky;] no?kj e pkdhnkj d in ij fu;Dr fd;k x;k Fkk vkj ckn e ml ftyk ççèkd] jkT; [kk| fuxe] nedk d dk;ky; e çfrfu;Dr fd;k x;k Fkk vkj mlu fnukd 31.7.1991 dk viuh vfèkof"krk rd fuxe e viuh 'k"k lok fn;k FkkA fdr] ;kph u ifjf'k"V&1 e fd, x, viu çdFku d leFku e dkb nLrkot lyXu ugh fd;k FkkA

6. fd ;g mYy[k djuk çklfxd g fd ;kph jkT; [kk| fuxe l vfèkof"kr gvk vkj fuxe depkjh d :i e leLr xkg; lok fuofÙk ykHk ik;k tlk (fjV vkonu e lyXu) ,l0 ,Q0 lh0 d lyXud d lkFk fnukd 4.8.2008 d i= l0 1473 d ekè;e l Kkr gvk gA fnukd 4.8.2008 d i= l0 1473 e ;g Hkh mfYyf[kr fd;k x;k g fd fnukd 28.1.2008 d 'kiFk l0 921 d rgr ,l0 ,Q0 lh0 }kjk çfr'kiFk i= igy gh nkf[ky fd;k x;k gA

7. fd tgk rd fnukd 3.7.2007 d vH;konu e ;kph d fuonu dk lcèk g] ;g dFku fd;k tkrk g fd vH;konu ftyk vkifr vfèkdkjh] no?kj] >kj[kM dk lckfèkr fd;k x;k g ftl lcfèkr çkfèkdkjh }kjk çfrrkf"kr fd;k tkuk FkkA ge bl rF; l voxr ugh g fd D;k mDr vH;konu lefpr Lrj ij fuiVk;k x;k g ;k ugh D;kfd ;g >kj[kM ljdkj l lcfèkr gA

8. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd tgk rd ljdkjh lok l lokfuoÙk depkjh dk i'ku d çnku d ç;ktu l vgrk lok dh x.kuk dk lcèk g] ;g fcgkj i'ku fu;ekoyh d fu;e 58 e vrfo"V fofufn"V çkoèkku }kjk fu;fer fd;k tkrk g tk fuEufyf[kr g%

^^ljdkjh lod dh lok i'ku d fy, rc rd vfgr ugh gkrh g tc rd ;g fuEufyf[kr rhu 'krk d vu#i ugh gkrh g%

(i) lok ljdkj d vèkhu gkuh gkxh]

(ii) fu;ktu vfèk"Bk;h ,o LFkk;h gkuk gkxk]

*(iii) ljdkj }kjk lok dk Hkxrku fd;k tkuk gkxkA**

9. fd tgk rd ;kph dk i'ku d Hkxrku d lcèk e [kk| ,o miHkkDrk lj{k.k foHkkx] fcgkj dk lcèk g] ;g dFku fd;k tkrk g fd mldh i'ku dh gdnkjh vfHkfuf'pr dju d fy, foHkkx u fnukd 24.5.2013 d i= l0 3242 vkj fnukd 26.8.2013 d i= l0 5415 d rgr >kj[kM ljdkj l LVVl fjikV bfllr fd;k gA fdr vkt dh frfFk rd i=k e mBk, x, fcnvk dk [kk|] tu forj.k ,o miHkkDrk dk;dyki foHkkx] >kj[kM ljdkj] jkph }kjk Li"V ugh fd;k x;k gA

*10. fd ;g vR;Ur fouerkiod fuonu fd;k tkrk g fd i'ku ,o i'ku lcèkh ykHkk dk nkok fofuf'pr djuk lHko ugh g tcrd >kj[kM ljdkj }kjk vè;if{kr ,o çklfxd nLrkot dk çnku ugh fd;k tkrk gA**

6. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

7. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार वर्मा ने निवेदन किया है कि किसी भी प्रत्यर्थीगण द्वारा यह विवादित नहीं किया गया है कि याची को बिहार राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था और उसने खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार सरकार में छह वर्षों से अधिक का सेवा दिया था। सचिव, बिहार राज्य खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के आदेश द्वारा याची को बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और वह बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम में प्रतिनियुक्ति पर सेवा देते हुए दिनांक 31.7.1991 के प्रभाव से सेवा से अधिवर्षित हुआ। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि इस प्रकार यह प्रकट है कि याची, जिसे बिहार सरकार के अधीन नियुक्त किया गया था, बिहार सरकार का कर्मचारी बना रहा और इसलिए, याची को पेंशन के लाभ के प्रदान से इस अभिवचन पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि चूँकि दिनांक 1.10.1973 के बाद खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग में कार्यरत नहीं था, उसे बिहार सरकार के कर्मचारी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

8. प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इनकार नहीं किया है कि अन्य समस्थित कर्मचारियों, जिन्होंने 10 वर्षों से अधिक का सेवा दिया है, को पेंशन का लाभ प्रदान किया गया है।

9. प्रत्यर्थी सं॰ 4 और 9 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सेवा से अधिवर्षिता के बाद याची को समस्त देयों, जो विधि में ग्राह्य थे, का भुगतान किया गया है और चूँकि उसने इस संबंध में कोई शिकायत नहीं किया है, प्रत्यर्थी सं॰ 4 और 9 के विरुद्ध आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

10. बिहार राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 53 सह-पठित अनुसूची VIII के निबंधनानुसार कर्मचारी, जो उस स्थान से सेवानिवृत्त हुआ जो अब झारखंड राज्य के अधीन आता है, को पेंशन का भुगतान करने का दायित्व झारखंड राज्य का होगा और न कि बिहार राज्य का। वह आगे निवेदन करते हैं कि दोनों राज्यों-बिहार राज्य एवं झारखंड राज्य–के बीच करार हुआ है कि यदि कर्मचारी झारखंड राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन आने वाले स्थान से सेवानिवृत्त होता है, ऐसे कर्मचारी को पेंशन का भुगतान करने का दायित्व झारखंड राज्य का होगा। अपने प्रतिवाद को सुदृढ़ करने के लिए वह डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2859 वर्ष 2004; डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं 2860 वर्ष 2004; एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 123 वर्ष 2008, एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 388 वर्ष 2004 में इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों और **''भारती प्रसाद ठाकुर बनाम सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका एवं अन्य,''** (2002)1 JLJR 491 में पारित आदेश पर विश्वास करते हैं।

11. मामले के तथ्यों पर आने के पहले, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 53 और अनुसूची VIII के अधीन प्रावधानों पर गौर करना समुचित होगा।

> *"53. **i'ku-**&i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e fcgkj d fo|eku jkT; dk nkf;Ro bl vfèkfu;e dh vkBoh vulph e vrfo"V çkoèkkuk d vu#i fcgkj vkj >kj[kM d mÙkjorh jkT;k dk lØkr gkxk vFkok mud chp çHkkftr fd;k tk,xkA*
>
> -----------------
>
> -----------------

vkBoh vuqlwph&

i'kq ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e nkf;Ro dk çHkktu

1. ijkxkQ 3 e mfYyf[kr lek;ktuk d vè;èkhu mÙkjorh jkT; e lç.R;d fu;r frfFk d igy e tj fd, x, i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e viu&viu [kkrku l Hkxrku djxA

2. mDr lek;ktuk d vè;èkhu] fo|eku fcgkj jkT; d dk;dyki d lcèk e lokjr vfèkdkfj;k] tk fu;r fnu d igy lokfuoÙk gkr g vFkok lokfuofÙk dh r;kjh e vodk'k ij tkr g fdr ftudk i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk dk nkok mlh fnu d rjUr igy cdk;k g] d i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e nkf;Ro fcgkj jkT; dk nkf;Ro gkxkA

3. mDr lek;ktuk d vè;èkhu] ,l i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk dh etjh l{ke çkfèkdkjh }kjk mu ekeyk e nh tk ldrh g ftle mudk in >kj[kM jkT; d {k= e vkrk gA

4. fu;r fnu l vkjHk gku okyh vkj ml foÙkh; o"k d ekp d bdrhlo fnu ij lekIr gku okyh vofèk d lcèk e vkj çR;d i'pkrorh foÙkh; o"k d lcèk e ijkxkQk 1 vkj 2 e fufn"V i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e mÙkjorh jkT;k e fd, x, dy Hkxrku dh lx.kuk dh tk,xhA i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e fo|eku fcgkj jkT; d nkf;Ro dh dy jkf'k dk mÙkjorh jkT;k d chp çR;d mÙkjorh jkT; d depkfj;k dh l[;k d vuikr e çHkkftr fd;k tk,xk vkj viu n; fgLl l vfèkd dk Hkxrku djr fdlh mÙkjorh jkT; dk mÙkjorh jkT; vFkok de Hkxrku dju oky jkT; }kjk jkf'k vkfèkD; dh çfrifr dh tk,xhA

5. fu;r fnu d igy çnku fd, x, vkj fo|eku jkT; d {k=k d ckgj fdlh {k= e fudklh fd, x, i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e fo|eku fcgkj jkT; dk nkf;Ro lek;ktu d vè;èkhu ijkxkQ 3 d vu#i Hkxrku fd, tku d fy, fcgkj jkT; dk nkf;Ro gkxk ekuk ,l i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk dk ijkxkQ 1 d vèkhu fcgkj jkT; e fdlh [kkrku l fudkyk x;k FkkA

6. fo|eku fcgkj jkT; d dk;dyki d lcèk e fu;r fnu d rjUr igy lokjr vkj ml fnu ij vFkok mld ckn lokfuoÙk fdlh vfèkdkjh d i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e nkf;Ro mldk i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk dk çnku dju oky mÙkjorh jkT; dk gkxk] fdr fo|eku fcgkj jkT; d dk;dyki d lcèk e fu;r fnu d igy ,l fdlh vfèkdkjh dh lok d çfr vfèkjki.kh; i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk dk v'k tul[;k d vuikr e mÙkjorh jkT;k d chp vkofVr fd;k tk,xk vkj i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk dk çnku dju okyh ljdkj bl nkf;Ro d viu fgLl dk vU; mÙkjorh jkT;k d çR;d l çkIr dju dh gdnkj gkxhA

7. i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d çfr bl vuqlwph e fdlh fun'k dk vFk i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d vYihÑr eY; d çfr fun'k dk lfEefyr dju d :i e yxk;k tk,xkA**

12. इस चरण पर, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, जिन पर बिहार राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया है, पर गौर करना लाभदायी होगा। ''**भारती प्रसाद ठाकुर**'' **(ऊपर)** में इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि दिनांक 15.11.2000 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का पेंशन झारखंड राज्य द्वारा दिया जा सकता है यदि कार्यालय जिससे अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ झारखंड राज्य के क्षेत्र में आता है। मैं पाता हूँ कि विधि की प्रतिपादना के रूप में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित नहीं किया है कि यदि व्यक्ति झारखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थान से नियत तिथि अर्थात् दिनांक 15.11.2000 के पहले सेवा निवृत्त होता है, पेंशन का दायित्व झारखंड राज्य पर डाला जाएगा। मामले के विचित्र तथ्यों एवं परिस्थितियों में ''**भारती प्रसाद ठाकुर**'' **(ऊपर)** में इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था जो केवल उक्त मामले में पक्षों के बीच बाध्यकारी होगा।

13. इसी प्रकार से, अन्य समस्त मामलों से, जिन्हें बिहार राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उद्धृत किया है, मैं यह एकत्रित करने में अक्षम हूँ कि इस न्यायालय ने विधि अधिकथित किया है कि कर्मचारी, जो नियत दिन के पहले उस स्थान से सेवानिवृत्त हुआ है जो अब झारखंड राज्य के क्षेत्र के अधीन आता है, को पेंशन लाभों का भुगतान करने का दायित्व झारखंड राज्य का होगा।

14. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की अनुसूची VIII के पैराग्राफ सं॰ 2 और 5 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के कोरे पठन से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि कर्मचारी, जो नियत दिन के पहले सेवानिवृत्त हुआ, को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का दायित्व बिहार राज्य का है। किंतु, दो राज्यों के बीच दायित्व के समायोजन के लिए पैराग्राफ 3 में प्रावधान बनाया गया है। मेरा दृष्टिकोण है कि दो राज्यों के बीच किये जाने वाले समायोजन के लिए प्रावधान बिहार राज्य को पेंशन का भुगतान करने के अपने दायित्व से विमुक्त नहीं करता है जैसा बिहार पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची VIII के उल्लिखित किया गया है। कर्मचारी जो नियत दिन के पहले सेवानिवृत्त हुआ है को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करना बिहार राज्य का दायित्व है। ऐसे प्रावधान को सम्मिलित करने का कारण प्रकटत: स्पष्ट है। चूँकि, नियत दिन के पहले कोई व्यक्ति जो सरकार के अधीन कर्मचारी था बिहार सरकार का कर्मचारी था और इसलिए दो राज्यों के बीच दायित्व के प्रभाजन का प्रश्न नहीं था।

15. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, स्वीकृत रूप से याची को बिहार सरकार के अधीन नियुक्त किया गया था और उसे दिनांक 1.10.1973 को बिहार खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। याची की प्रतिनियुक्ति बिहार सरकार के अधीन उसकी सेवा को समाप्त नहीं करेगी। प्रतिनियुक्ति का आदेश विभाग के सचिव द्वारा पारित किया गया था।

16. ''**तमिलनाडु राज्य एवं अन्य बनाम वी॰ एस॰ बालाकृष्णन एवं अन्य,**'' **1994 Supp (3) SCC 204,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उसकी सहमति के बिना सरकारी सेवक को ''सिविल सेवक'' के रूप में उसके दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता है। ''**गुजरात राज्य बनाम रमन लाल केशव लाल सोनी**'', **(1983)2 SCC 33,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:–

> *"30. .... ljdkjh lod ek= blfy, ljdkjh lod ugh jg tkrk g D;kfd rRle; mUg fofHkUu ipk;rh lLFkkuk dk vkofVr fd;k x;k g vkj mu lLFkkuk d dk"k l Hkxrku fd;k x;k g---------**"*

17. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थीगण का मामला यह नहीं है कि निगम में स्थायी आमेलन पाने के लिए बिहार राज्य सिविल आपूर्ति निगम के साथ प्रतिनियुक्त कर्मचारी को कोई विकल्प दिया गया था और

याची ने अपने को दिए गए ऐसे विकल्प का प्रयोग करना चुना था। प्रत्यर्थीगण का मामला यह भी नहीं है कि पद जिस पर याची कार्यरत था निगम को अंतरित किया गया था।

18. यह न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि झारखंड खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम दिनांक 1.4.2011 को अस्तित्व में आया और इसलिए, यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि दिनांक 31.3.2011 तक याची जैसे समस्त कर्मचारी, जो बिहार खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम में प्रतिनियुक्ति पर थे, बिहार सरकार के कर्मचारी बने रहे। याची दिनांक 31.7.1991 के प्रभाव से सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और दिनांक 15.11.2000 को नया झारखंड राज्य सृजित किया गया था और इस प्रकार याची बिहार सरकार का कर्मचारी बना रहा है। बिहार राज्य की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र से मैं कोई निश्चित आपत्ति नहीं पाता हूँ जहाँ तक पेंशन के प्रदान के लिए याची की हकदारी का संबंध है। बिहार राज्य द्वारा की गयी एकमात्र आपत्ति यह है कि बिहार राज्य द्वारा झारखंड राज्य को लिखे गए पत्रों का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। मैं पाता हूँ कि दिनांक 24.5.2013 और दिनांक 26.8.2013 को झारखंड राज्य को ऐसे पत्र लिखे गए हैं यद्यपि याची वर्ष 1991 में ही सेवा से अधिवर्षित हो गया। केवल याची के दावा से बचने के लिए इन पत्रों को लिखा गया है। राज्य को वादकार के रूप में लुका-छिपी का खेल खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वर्तमान कार्यवाही में, केवल अनुदेश इप्सित करने के लिए निर्देश दिए जाने के बाद बिहार राज्य द्वारा अस्पष्ट शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

19. **''एस॰ के॰ मस्तान बी॰ बनाम महाप्रबंधक, दक्षिण केंद्रीय रेलवे एवं एक अन्य, (2003)1 SCC 184,** में प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया अभिवचन कि पेंशन का दावा 20 वर्षों से अधिक के बाद किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति देयों की संगणना एवं भुगतान करना नियोक्ता की बाध्यता है। कर्मचारी को पेंशन से इनकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से विवाद्यक पर विचार किया है:–

> *"6. ge xkj djr g fd vihykFkh dk ifr xxeu d :i e dk;jr Fkk ftldh eR; lokjr jgr gk x;hA ;g vfHky[k ij g fd vihykFkh fuj{kj g tkml le; ij viuk fofèkd vfèkdkj ugh tkurh Fkh vkj ikfjokfjd i'ku d viu vfèkdkj d çfr vkj viu ,l vfèkdkj dk çofrr dju d fy, fdlh lpuk rd mldh igp ugh FkhA vihykFkh d ifr dh eR; ij bl ekey e vihykFkh dk Hkxr; ikfjokfjd i'ku dh lx.kuk djuk vkj mld nkok fd, fcuk vFkok mldk okn dh vkj l èkdy fcuk ml bldk çLrko nuk ifr d fu;kDrk vFkkr jyo ij ckè;dkjh FkkA ikfjokfjd i'ku d mld vfèkdkj l budkj] tlk fo}ku ,dy U;k;kèkh'k }kjk vkj [kMihB }kjk Hkh vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g] jyo dh vkj l xyr fu.k; g vkj oLrr% lfoèkku d vuPNn 21 d vèkhu vihykFkh dk vk'okflr xkjVh d mYy?ku d rY; gA fofèkd Qkje d ikl tku d fy, vihykFkh d ikl llkèkuk dh deh dk rF; jyo }kjk fookfnr ugh fd;k x;k gA rc bl ekey d rF;k vkj ifjfLFkfr;k e ç'u mnHkr gkrk g fd D;k vihyh; ihB vihykFkh d ifr dh eR; dh frfFk] ftl frfFk ij og fofèkd i'ku d çnku dk gdnkj cu x;h Fkh] d dkQh ckn dh vofèk rd i'ku d foxr cdk;k dk fucfèkr dju e U;k;kfpr Fkk\ bl ekey e] tlk gekj }kjk ;gk mij xkj fd;k x;k g] fo}ku ,dy U;k;kèkh'k u jyo }kjk fd, x, çfrokn dk vLohdkj fd;k*

*Fkk vkj vihykFkh d i'ku d vfèkdkj vkj jyo }kjk voèk :i l bl l budkj dk è;ku e yrs g, ml frfFk l ft l ij ;g mldk n; cu x;k Hkry{kh çHkko l i'ku çnku djuk lefpr le>k FkkA [kM ihB u Hkh fo}ku ,dy U;k;kèkh'k l lger gkr g, lçf{kr fd;k fd ikfjokfjd i'ku d çnku d fy, vihykFkh }kjk jyo d ikl tku e fd;k x;k foyc ?kkrd ugh Fkk] bld ckotn blu ml frfFk vFkkr fnukd 1.4.1992 ft l ij vihykFkh u jyo dk dkuuh ukfVl tkjh fd;k g] l ikfjokfjd i'ku dk Hkxrku fucfèkr fd;kA ge bl ekey d rF;k ij lkpr g fd ;g n[kr g, fd ikfjokfjd i'ku] T;kgh ;g mldk n; gk x;k] dh lx.kuk djuk vkj viu depkjh dh foèkok dk bldk çLrr djuk jyo ij ckè;dkjh Fkk vkj bl rF; dh nf"V e Hkh fd mldk ifr jyo e doy xxeu Fkk ftlu viu vfèkdkjk d fy, yMu d fy, vihykFkh d ikl i;klr llkèku ugh NkMk gkxk vkj bl rF; dh nf"V e Hkh fd vihykFkh fuj{kj g] fo}ku ,dy U;k;kèkh'k] gekj er e] ml frfFk ftl l ;g mldk n; cu x;k vFkkr viu ifr dh eR; dh frfFk l vihykFkh dk vurk"k çnku dju e U;k;kfpr FkA ifj.kkeLo#i] gekjk lfopkfjr er g fd [kMihB u ml vofèk dk fnukd 1.4.1992 d i'pkr dh frfFk rd fucfèkr dju e xyrh fd;kA**

20. कल्याणकारी राज्य में, पेंशन को न केवल विगत सेवा के पुरस्कार के रूप में माना जाता है बल्कि इसे वृद्धावस्था में दरिद्रता से बचने के लिए कर्मचारी को मदद करने की दृष्टि से दिया जाता है। सेवानिवृत्ति लाभों की धारणा इस विचार पर विकसित हुई है कि कर्मचारी, जिसने अपने जीवन के लाभदायी वर्षों के दौरान सेवा दिया, को उसकी वृद्धावस्था में दरिद्रता में नहीं छोड़ा जा सकता है।

21. अमरीकी विधि शास्त्र में शब्द 'पेंशन' को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है:–

^^fdr vkèkfud mi;kxku lkj] ^i'ku 'k) minku rd fucfèkr ugh gA bl çdkj] ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fd ljdkjh depkjh dk yc ,o n{k lok d fy, Hkxrku fd;k x;k i'ku ikfjJfed ugh g ftldk Hkxrku jkT; loèkkfud çkoèkku }kjk oftr g] cfYd ;g nh x;h lok d fy, vftr evkot dk çkLFkfxr v'k gA---------i'ku bl :i e etnjh d fudV :i l leku g fd ;g fu;kDrk }kjk fd, x, Hkxrku l xfBr g] bldk Hkxrku foxr lok dk fopkj e j[kdj fd;k tkrk g] vkj thou ;kiu dk 0;; ijk dju d fy, çklrdrk dk enn dju d ç;ktu dh ifr djrk gA**

22. हाल्सबरी के 'इंग्लैंड की विधि' में निम्नलिखित शब्दों में पेंशन की धारणा पर चर्चा किया गया है:–

^^i'ku dk vFkZ ^i'ku* l vfHkçr g i'ku] minku vFkok vfèkof"krk HkÙkk d :i e ,de'r vFkok lkofèk Hkxrku ftld lcèk e jkT; dk lfpo lr"V g fd bldk Hkxrku mudk lokfuofÙk ykHkk dk çnku dju d fy, fu;ktu fo'k"k e lokjr 0;fDr;k d lcèk e çkoèkku cuku d fy, viu mí'; vFkok viu mí';k e l ,d dk j[ku okyh ;ktuk vFkok 0;oLFkk d vu#i fd;k tkrk gA---------i'ku*

(i) depkjh dk Hkxrku tk C;kt d lkFk vFkok bld fcuk doy Lo; mld viu v'knku dk okil dju l xfBr gkrk g(

(ii) depkjh dk Hkxrku dk og va'k tks doy ;ktuk vFkok 0;oLFkk d vu#i fd, x, ml depkjh d vfrfjDr LofPNd va'knku d çfr vfèkjki.kh; g(

(iii) lkofèk Hkxrku vFkok ,d e'r jkf'k tgka rd og Hkxrku vFkok ,de'r jkf'k lkfofèkd {kfrifr ;ktukvk d vèkhu {kfrifr dk çfrfufèkRo djrk g vkj fnukd 31.7.1978 dk vFkok bld ckn vFkok bld igys ikfjr vFkok cuk, x, lkfofèkd çkoèkku d vèkhu Hkxr; g] dk lfEefyr ugh djrk gA**

23. Corpus Juris Secundum में भी 'पेंशन' की धारणा को निम्नलिखित रूप से वर्णित किया गया है:–

^^i'ku ljkguh; foxr lok dh vFkok ykd lok e çklr dh x;h gkfu vFkok migfr dh ekU;rk vFkok fopkj e ljdkj }kjk çnku fd;k x;k èku dk lkofèk HkÙkk gA i'ku e[;r% i'ku ikuoky dk mldh nfud t#jrk dk ijk dju e lgk;rk nu d fy, fMtkbu fd;k x;k g vkj ;g çklrdrk d tkjh thou dk mièkkfjr djrk gA**

24. ''देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य'', (1971)2 SCC 330, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन की प्रकृति के संबंध में चल रहे वाद–विवाद को यह अभिनिर्धारित करते हुए अंतिम रूप से सुनिश्चित किया कि पेंशन पाने का व्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 (1) के अधीन संपत्ति के अधिकार के समान है और मात्र कार्यपालिका आदेश द्वारा राज्य को इसे रोकने की शक्ति नहीं है। **'देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य'' (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निर्णय ने अंतिम रूप से पेंशन के नियोक्ता की मृदुल इच्छा अथवा कृपा पर निर्भर, जो अधिकार के रूप में दावा किए जाने योग्य नहीं है और, इसलिए, न्यायालय के माध्यम से पेंशन का अधिकार प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, अधिदान, एच्छिक भुगतान होने की धारणा को गलत बताते हुए सुनिश्चित किया।

25. ''डी॰ एस॰ नकरा एवं अन्य बनाम भारत संघ'', (1983)1 SCC 305, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"28. ljdkj d flfoy depkfj;k vkj j{kkdfe;k dk i'ku tlk Hkkjr e ç'kkflr fd;k tkrk g foxr dky e nh x;h lok d fy, evkotk d :i e çrhr gkrk gA fdr tlk Mx cuke f'k{kk ckM e vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g] i'ku fudV :i l etnjh d leku g bl rjg g fd ;g fu;kDrk }kjk çnku fd, x, Hkxrku l xfBr g] foxr lok dk fopkj e ydj bldk Hkxrku fd;k tkrk g vkj ;g thou ;kiu 0;; dk ijk dju d fy, çkflrdrk dk enn nu dk ç;ktu ijk djrk gA ;g bl vfrfjDr vgrk fd bl lkekU;r% vuftr vHkko l efDr lfuf'pr djuh pkfg,] d lkFk i'ku d çfr gekj jo; d fudVre çrhr gkrk gA

29. lf{klr :i l ;g dgk tk ldrk g fd i'ku u doy foxr dky e nh x;h fu"Bkoku lok d fy, evkotk g cfYd bl vFk e bldk 0;kid egRo g fd ;g lkekftd&vkfFkd U;k; dk mik; g tk thou d vfre Nkj ij] tc o)koLFkk dh çfØ;k d lkFk 'kkjhfjd ,o ekufld 'kfDr ?kVrh tkrh g] vkfFkd lj{kk vrfufgr djrk g vkj] blfy,] fdlh dk cpr ij fuHkj gku dh vko';drk gkrh gA ,lh ,d cpr ;g g tc vki viu thou d pjekRd"k ij viu fu;kDrk dk viuk lokÙke nr g] fu%'kDrrk d fnuk e lkofèkd Hkxrku d :i e vkfFkd lj{kk vk'okflr dh tkrh gA 'kCn dk U;kf;d :i l foxr lok d ifrQy d :i e dfFkr HkÙkk vFkok ofÙk d :i e vFkok lok l lokfuoÙk 0;fDr d vfèkdkjk vFkok ikfjJfed d lei.k d :i e ifjHkkf"kr fd;k x;k gA

bl çdkj] ljdkjh depkjh dk Hkxr; i'ku ych ,o n{k lok ndj vftr fd;k tkrk g vkj blfy, bl nh x;h lok d fy, evkotk d vkLFkfxr v'k d :i e dgk tk ldrk gA ,d okD; e dgk tk ldrk g fd i'ku dk lokfèkd 0;ogkfjd ç;ktu o)koLFkk d dkj.k Lo; d fy, thfodk çnku dju dh v{kerk gA dkb thfor jg ldrk g vkj cjktxkjh l cp ldrk g fdr c<ki vkj vHkko l ugh cp ldrk g ;fn fdlh d ikl fuHkj gku d fy, dN Hkh ugh gA

*31. ppk l rhu pht lkeu vkrh g% (i) fd i'ku fu;kDrk dh eny bPNk ij fuHkj vfHknku vFkok vudik ugh g vkj fd ;g 1972 fu;ekoyh d vè;èkhu fufgr vfèkdkj lftr djrk g tk lkfofèkd pfj= dh g D;kfd mUg lfoèkku d vuPNn 309 d ijUrd vkj vuPNn 148 d [kM (5) }kjk çnÙk 'kfDr;k d ç;kx e vfèkfu;fer fd;k x;k g((ii) fd i'ku vkuxfgd Hkxrku ugh g cfYd foxr lok d fy, fd;k x;k Hkxrku g(vkj (iii) ;g mudk lkekftd&vkfFkd U;k; nu d fy, lkekftd dY;k.kdkjh dne g ftUgku bl vk'okl u ij fu;kDrk d fy, viu thou d pjekRd"k ij vckèk :i l lok fn;k fd mudh o)koLFkk e mUg clgkjk NkM ugh fn;k tk,xkA ;g Hkh xkj djuk gkxk fd i'ku dh ek=k mnkjhÑr i'ku ;ktuk d vèkhu 10 ekg rd ?kVk, x, lok d rhu foxr o"kk d nkjku çkIr fd, x, vkIr ikfjJfed l lg&lcfèkr fuf'pr çfr'kr gA bldk Hkxrku lokfuofÙk d i'pkr vFkkr lok lfonk dh lekfIr l lnvkpj.k dh vfrfjDr 'kr ij vkfJr g vkj fd bl vu'kklfud dne d :i e ?kVk;k vFkok okil fy;k tk ldrk gA***

26. सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन एन्ड स्टील कं० लि० एवं अन्य, (1984)3 SCC 369, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"16. v'knk;h Hkfo"; fufèk d lkFk i'ku ,o minku lekU;rk çkIr lokfuofÙk ykHk gA ; lokfuofÙk ykHk vc depkjh Hkfo"; fufèk ,o çdh.k micèk vfèkfu;e] 1952 minku lnk; vfèkfu;e] 1972 tlh vud lfofèk;k }kjk 'kkflr gkr gA ; lfofèk;k lfoèkku d Hkkx IV e fd, oknk vFkkr dke d mfpr ,o ekuoh; n'kk dh fodflr gku okyh èkkj.kkvk d çfr foèkk;h çR;Ùkj gA vuPNn 37 çkoèkkfur djrk g fd ^^Hkkx IV jkT; uhfr d ekxn'kd fl)kr e vrfo"V çkoèkku fdlh U;k;ky; }kjk çoruh; ugh gkx fdr fQj Hkh mue vfèkdfFkr fl)kr n'k d 'kklu d ey rRo g vkj fofèk;k dk cuku e bu fl)krk dk ykx djuk jkT; dk drO; gkxkA** vuPNn 41 çkoèkkfur djrk g fd ^^jkT; viuh vkfFkd {kerk ,o fodkl dh lhekvk d vrxr dke dk vfèkdkj] f'k{kk dk vfèkdkj vkj cjktxkjh] o)koLFkk] chekjh ,o fu%'kDrrk d ekeyk e vkj vU; vuftr vHkko d ekeyk e ykd lgk;rk nxkA** vuPNn 43 jkT; dk ^^leLr etnjk dk thou ;kiu etnjh] thou d 'kkyhu Lrj vkj Qlr dk i.k vkuUn lfuf'pr djr dke dh n'kk dk mi;Dr foèkku }kjk ljf{kr dju d fy, ckfèkr djrk gA** ------------ jkT; u bu fofèk;k dk vfèkfu;fer djd viuh ckè;rk dk mUekpu gA fdr jkT; }kjk çklfxd foèkku vfèkfu;fer fd, tku d dkQh igy VM ;fu;uk u lkefgd lkncktLh }kjk vFkok lkfofèkd U;k;fu.k; }kjk dfri; ykHk vftr fd;k ftue l minku ,d gA i'ku vkj minku nkuk ;g lfuf'pr dju okyk*

lok fuofÙk ykHk g fd dedkj ftlu viu thou dk ykHknk;h le; lok nu e fcrk;k g vkj ftlu thou ;kiu etnjh dHkh ugh ik;k tk mldk nfnu d fy, cpr dju d fy, l{ke cuk ldr Fk] dk mldh o)koLFkk e nfjnrk vkj èkukHkko e NkM ugh nuk pkfg,A viuh ych lok d QyLo#i ml i'ku] minku vFkok Hkfo"; fufèk] tk dkb Hkh lok fuofÙk ykHk vk|kfxd LFkku e çoÙk g] d :i e dN lhek rd lkekftd lj{kk dk HkjkIk fn;k tkuk pkfg,A ;g Hkyuk ugh gkxk fd ;g vuxgi.k Hkxrku ugh g] bl ych ,o fujrj lok }kjk vftr djuk gkxkA

*17. D;k çkIfxd fu;ek dh ,lh 0;k[;k djd ,l lkekftd lj{kk mik;k dk bldh çHkkodkfjrk ,o çoruh;rk l uXu fd;k tk ldrk g fd bl rF; d ckotn fd mlu ych fujrj lok }kjk bl vftr fd;k g] fu;kDrk d li.k Lofood ij bll etnj dk budkj fd;k tk ldrk Fkk\ ;fn fu;e 10 dh ,lh 0;k[;k dh tkrh g] tl k mPp U;k;ky; }kjk fd;k x;k g] ;g fcYdy Li"V :i l vui;Dr ifj.kke gkxkA vr% i'ku] ftld lerY; minku dk cuk;k x;k g] tl lokfuofÙk d ykHkk d ç'u ij bfrgkl l f'k{kk yuk vko';d gA cjgkuij rkflr feYI fyO cuke cjgkuij rkflr feYI etnj I?k e bl U;k;ky; u lçf{kr fd;k% ^^minku dh ;ktuk vkj i'ku dh ;ktuk d chp cgr dN lkekU; gA minku ,de'r Hkxrku g tcfd i'ku dfFkr jkf'k dk vofèkdkfyd Hkxrku gA** fu%lng nkuk dk ych fujUrj lok }kjk vftr fd;k tkuk gkxkA*

*18. lfn;k l U;k;ky; bl nf"Vdk.k d i{kèkj jg fd i'ku fu;kDrk dh eny bPNk vFkok Ñik ij fuHkj] tk vfèkdkj d :i e nkok fd, tku ;kX; ugh g vkj blfy, i'ku d vfèkdkj dk U;k;ky; d ekè;e l çofrr ugh fd;k tk ldrk g] nh x;h fu"Bkoku ych lok d fy, vfèknku vFkok vuxgi.k Hkxrku gA ;g nf"Vdk.k dk;e jgk vkj i'ku dh olyh d fy, okn dk vik"k.kh; vfHkfuèkkfjr fd;k x;k FkkA lkekftd U;k; ,o lkekftd lj{kk dh vkèkfud èkkj.kkvk d lkFk i'ku dh èkkj.kk e Hkh vkeypy ifjoru gvk vkj vc ;g lfuf'pr g fd i'ku vfèkdkj g vkj bldk Hkxrku fu;kDrk d Lofood ij fuHkj ugh g vkj u gh fu;kDrk dh eny bPNk vFkok dYiuk ij bll budkj fd;k tk ldrk gA nodh unu çlkn cuke fcgkj jkT;] itkc jkT; cuke bdcky flg vkj MhO ,lO udjk cuke Hkkjr l?kA ;fn i'ku] tk lkekftd lj{kk d mik; d :i e lokfuofÙk ykHk g] flfoy okn d ekè;e l oly fd;k tk ldrk g] ge minku dk fHkUu vkèkkj ij ekuu d fy, dkb vkfpR; ugh ikr gA lokfuofÙk ykHkk d ekeyk e vkj bUg oly dju d fy, i'ku ,o minku dk lerY; ekuuk gh gkxkA***

27. **''पूनामल बनाम भारत संघ,'' (1985)3 SCC 345,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"7. ....i'ku vfèkdkj g] u fd vfèknku vFkok vuxgi.k HkxrkuA i'ku dk Hkxrku ljdkj d Lofood ij fuHkj ugh djrk g cfYd ;g çkIfxd fu;ek }kjk 'kkflr gkrk g vkj fu;ek d vèkhu i'ku dk gdnkj dkb Hkh bldk vfèkdkj crkj nkok dj ldrk gA (nodh unu çlkn cuke fcgkj jkT;] itkc jkT; cuke bdcky flg] MhO ,lO udjk cuke Hkkjr l?k) tgk ljdkjh lod u lok fn;k g ftldh {kfrifr d fy, ikfjokfjd i'ku ;ktuk cuk;h x;h g] foèkok ,o vkfJr vo;Ld leku :i l crkj vfèkdkj ikfjokfjd i'ku d gdnkj gkxA oLrr% ge i'ku dk ek= lkfofèkd vfèkdkj d :i e ugh cfYd loèkkfud oknk d lekiu

d :i e n[kr g D;kfd ;g cjktxkjh] o)koLFkk] fu%'kDrrk d ekeyk e vFkok vuftr vHkko d le#i vU; ekeyk e ykd lgk;rk d pfj= dk 'kkfey djrk gA çkIfxd fu;e ek= loèkkfud vkKk dk çHkkodkjh cukr gA ekey d bl leg dh luokb ij geu bfxr fd;k fd pfd ikfjokfjd i'ku ;ktuk fnukd 22 flrcj] 1977 d çHkko l xj&v'knk;h cu x;h g] ljdkjh lodk] ftUgku vko';d v'knku djd vFkok dju d fy, lger gkdj o"k 1964 dh mnkjhdj.k ;ktuk dk ykHk ugh fy;k Fkk] d foèkokvk vkj vkfJrk dk bld ykHk l budkj dju dk dkb ç;kl lefLFkr 0;fDr;k dk lekurk l budkj vkj bl çdkj vuPNn 14 dk mYy?kudkjh gkxkA ;fn fnukd 22 flrcj] 1977 d ckn l er ljdkjh lodk dh foèkok, ,o vkfJrx.k v'knku dju dh ckè;rk d fcuk ikfjokfjd i'ku ;ktuk d ykHkk d gdnkj gkx] mu foèkokvk] ftudk bl vkèkkj ij ykHkk l budkj fd;k x;k Fkk fd ljdkjh lod v'knku dju d fy, lger ugh g, Fk] d lkFk fHkUu :i l 0;ogkj ugh fd;k tk ldrk Fkk D;kfd ;g mud chp] tk le#i 0;ogkj fd, tku d gdnkj gkxA i{kikri.k oxhdj.k ij%LFkkfir djuk gkxkA tc U;k;ky; e luokb d Øe e ;g Toyr fo"ke 0;ogkj lkeu vk;k] Hkkjr l?k d fy, mifLFkr fo}ku vfèkoDrk Jh chO nÙkk u vkx vun'k iku d fy, lf{kIr LFkxu dk vujkèk fd;kA**

28. **''पी० इ० पी० एस० यू० आर० टी० सी० बनाम मंगल सिंह एवं अन्य,'' (2011)11 SCC 702,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"49. l{ki e] ge dFku djr g fd bl U;k;ky; }kjk ckj&ckj i'ku dh èkkj.kk ij fopkj fd;k x;k g vkj vud ekeyk e ;g lçf{kr fd;k x;k g fd i'ku [kjkr vFkok vfèknku ugh g vkj u gh ;g fu;kDrk dh eny bPNk ij vkèkkfjr l'kr Hkxrku gA bl ych vkj lrk"ktud lok nu d fy, vftr fd;k tkrk gA ;g foxr lokvk d fy, çkLFkfxr Hkxrku dh çÑfr dk gA ;g vfèkof"kr ljdkjh lod dk lkekftd U;k; nu oky lfoèkku dh lkekftd&vkfFkd vko';drkvk d lkFk lxr lkekftd lj{kk ;ktuk g tc fu;kDrk lfoèkku d vuPNn 12 d vFk d vrxr jkT; gA ;g in l lc) vfèkdkj g vkj eueku :i l bll budkj ugh fd;k tk ldrk gA (n[k% ,O ihO JhokLro cuke Hkkjr l?k] olr xxk jelk pnu cuke egkjk"V jkT;] lcr lu cuke Hkkjr l?k] Hkkjr l?k cuke ihO MhO ;kno] fxM dkjikj'ku vkQ mMhlk cuke jklunu nkl vkj vf[ky Hkkjrh; fjto cd lokfuoUk vfèkdkjh l?k cuke Hkkjr l?k)**

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि में, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता है कि कर्मचारी को अपने सेवानिवृत्ति देयों को प्राप्त करने का अधिकार है और केवल विधि के अधीन विहित प्रक्रिया के अधीन कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभों की मांग से इनकार किया जा सकता है।

30. पूर्वोक्त की दृष्टि में, जहाँ तक बिहार राज्य द्वारा याची को पेंशन के प्रदान का संबंध है, यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। बिहार राज्य को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याची के पेंशन की संगणना करने और इसका भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा भुगतान दिनांक 1.8.1991 से 6% साधारण ब्याज के साथ किया जाएगा।

31. पूर्वोक्त निर्देश के साथ यह रिट याचिका निपटायी जाती है। किंतु, व्यय को लेकर आदेश नहीं होगा।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

श्यामल चक्रवर्ती (262 में)

नीतीश भलोटिया (230 में)

नवीन भलोटिया (231 में)

कृष्ण भलोटिया (232 में)

गजानंद भलोटिया (238 में)

cuke

भारत संघ, सी० बी० आई० के माध्यम से (सभी में)

Cr. Rev. Nos. 262, 230, 231, 232 with 238 of 2013. Decided on 10th January, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 120B एवं 420/477A—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धाराएँ 13(2) एवं 13(1) (d)—षडयंत्र–सरकार को धनीय हानि कारित किया जाना–उन्मोचन याचिका का अस्वीकरण–कंपनी को आरंभ में अभियुक्त बनाया गया है किंतु आरोप-पत्रित नहीं किया गया है–ऐसे किसी अभिकथन के बिना कि याचीगण कंपनी के दैनिक कार्यकलाप के लिए जिम्मेदार थे, याचीगण-निदेशकगण को आरोप-पत्रित किया गया है–इसके अतिरिक्त, अभियोग छल अथवा दस्तावेज के मिथ्या सिद्ध किए जाने का अपराध गठित नहीं करता है–जितना प्रभारित किया जाना चाहिए था, उसके आधिक्य में प्रभारित करने को भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों द्वारा धनीय लाभ लिया जाना नहीं कहा जा सकता है–आरोप विरचित करने वाला आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 35 से 41)

निर्णयज विधि.–(2009)1 SCC 516; (2010) 10 SCC 479—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Indrajit Sinha, Manish Kumar, For the Petitioners; Mr. M. Khan, For the C.B.I.

आदेश

चूँकि पूर्वोक्त समस्त पुनरीक्षण आवेदन एक ही मामले से उद्भूत होते हैं, उन्हें साथ सुना गया है और इसे एक ही आदेश से निपटाया जा रहा है।

2. इन समस्त आवेदनों को आरंभ में आर० सी० सं० 14 (A) वर्ष 2009-ए० एच० डी० (आर०) में विशेष न्यायाधीश, सी० बी० आई०, राँची द्वारा पारित दिनांक 8.3.2013 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया था जिसके द्वारा उन्मोचन के लिए प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी थी। बाद में, दिनांक 29.4.2013 के आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120B सह-पठित धाराएँ 420/477A के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सह-पठित धारा 13(1)(d) के अधीन भी आरोपों को विरचित किया गया था। आगे, उन्हें केवल भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 एवं 477A के अधीन आरोपित किया गया था।

3. पक्षों की ओर से किए गए निवेदनों पर आने के पहले अभियोजन मामले पर गौर करने की आवश्यकता है।

4. अभियोजन का मामला यह है कि डॉ० प्रदीप कुमार, सह-अभियुक्त एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज आर० सी० सं० 11 (A) वर्ष 2009 ए० एच० डी० आर० के अन्वेषण के क्रम में इन याचीगण तथा डॉ० प्रदीप कुमार की ओर से दांडिक षड्यंत्र का मामला प्रकाश में आया जिसमें यह पाया गया था कि डॉ० प्रदीप कुमार, आई० ए० एस०, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार के सचिव के रूप में कार्य करते हुए वर्ष 2008-

09 के दौरान तत्कालीन राज्य आर० सी० एच० अधिकारी, नामकुम, राँची, डॉ० विजय शंकर नारायण सिंह; मेसर्स भारत इंजीनियरिंग एन्ड बॉडी बिल्डिंग कंपनी प्रा० लि० (बी० ई० बी० बी० सी० ओ०), जमशेदपुर एवं कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ दांडिक षडयंत्र किया था। उक्त षडयंत्र को अग्रसर करने में उन्होंने लोक सेवकों के रूप में अपने अपने पदीय हैसियत का कपटपूर्वक एवं गैर ईमानदार रूप से दुरुपयोग करके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए आवंटित निधि से मेसर्स टाटा मोटर्स लि०, जमशेदपुर से 72 चेसिस की प्राप्ति के लिए आदेश दिया। चेसिस खरीदने के बाद इन्हें मेसर्स भारत इंजीनियरिंग एन्ड बॉडी बिल्डिंग कंपनी प्रा० लि० (बी० ई० बी० बी० सी० ओ०) को इनको मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम० एम० यू०) में संपरिवर्तित करने के लिए अत्यधिक दरों पर दिया गया था जिसने भारत सरकार को भारी धनीय हानि कारित किया था और स्वयं को और/अथवा अन्य को तत्सम धनीय लाभ कारित किया था। यह पता चला कि चेसिस को मोबाइल मेडिकल यूनिट में संपरिवर्तित करने के लिए कोटेशन प्राप्त किए गए थे। फर्मों जिन्होंने संपरिवर्तन के लिए अपना दर उद्धृत किया था, वे मेसर्स भारत इंजीनियरिंग एन्ड बॉडी बिल्डिंग कंपनी प्रा० लि० (बी० ई० बी० बी० सी० ओ०) जिनके याचीगण नवीन भलोटिया, कृष्ण भलोटिया और गजानंद भलोटिया निर्देशकगण थे और मेसर्स क्राउन इंडस्ट्रीज एवं मेसर्स भारत ऑटोमोबाइल्स प्रा० लि० जिसका याची नितीश भलोटिया निदेशक है। उनमें से मेसर्स भारत इंजीनियरिंग एन्ड बॉडी बिल्डिंग कंपनी प्रा० लि० (बी० ई० बी० बी० सी० ओ०) ने एक चेसिस के मोबाइल मेडिकल यूनिट में संपरिवर्तन के लिए 47,00,000/- रुपया प्लस करके रूप में अपना दर उद्धृत किया था। चूँकि मेसर्स भारत इंजीनियरिंग एन्ड बॉडी बिल्डिंग कंपनी प्रा० लि० (बी० ई० बी० बी० सी० ओ०) को सबसे कम बोली लगाने वाला पाया गया था, उसको काम दिया गया था।

5. आगे यह पाया गया था कि यद्यपि तीन कोटेशन दाखिल किए गए थे किंतु समस्त कोटेशन एक ही स्रोत अर्थात् मेसर्स बी० ई० बी० बी० सी० ओ० से उद्भूत हुए थे जिसको सात चेसिसों को मोबाइल मेडिकल यूनिटों में संपरिवर्तित करने के लिए दिनांक 7.11.2008 को आरंभ में आदेश दिया गया था। बाद में, 72 चेसिसों को मोबाइल मेडिकल यूनिटों में संपरिवर्तित करने के लिए उसको आगे आदेश दिया गया था। समस्त चेसिसों को मोबाइल मेडिकल यूनिटों में संपरिवर्तित करने के बाद इन्हें विभाग के सचिव को दिया गया था और कुल राशि 41,77,12,500/- रुपयों का बिल भी दिया गया था जिसके विरुद्ध 40,07,92,500/- रुपयों का भुगतान किया गया था। शेष राशि 1,69,20,000/- रुपया का भुगतान फर्म को किया जाना बाकी था। शर्तों एवं निबंधनों के मुताबिक, कुल राशि का 70% आदेश दिए जाने के समय पर भुगतेय था और शेष 30% राशि का भुगतान डिलीवरी के बाद किया जाना था किंतु इसका पालन नहीं किया गया था क्योंकि 70% के बजाए 90% अग्रिम आदेश दिए जाने के समय पर दिया गया था और तद्द्वारा फर्म के साथ अनुचित पक्षपात किया गया था।

6. आगे यह पाया गया था कि भारत सरकार के अनुदेश के मुताबिक प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट पर केवल 23.75 लाख रुपयों का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के अनुबंध के मुताबिक राज्य को 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट रखना था किंतु 103 मोबाइल मेडिकल यूनिटों को खरीदा गया था।

7. आगे मामला यह है कि चेसिस को मोबाइल मेडिकल यूनिट में संपरिवर्तित करने के बाद इनको चलाने के लिए एन० जी० ओ० से 'रूचि अभिव्यक्ति' आमंत्रित किया गया था। इसके अनुसरण में, याचीगण में से एक किसी श्यामल चक्रवर्ती द्वारा चलाए जा रहे एक एन० जी० ओ० (ग्रामीण जनचेतना संस्थान) सहित 38 एन० जी० ओ० ने प्रत्युत्तर दिया। मोबाइल मेडिकल यूनिटों को चलाने के लिए उनमें से 20 एन०

जी॰ ओ॰ का चयन किया गया था। डॉ॰ प्रदीप कुमार के निकट विश्वासी श्यामल चक्रवर्ती द्वारा चलाए जा रहे एन॰ जी॰ ओ॰ ने पाँच मेडिकल मोबाइल यूनिट प्राप्त किया था। यद्यपि बाद में उसने अन्य एन॰ जी॰ ओ॰ की तरह इन्हें लौटा दिया था क्योंकि एम॰ एम॰ यू॰ के अनुबंध के मुताबिक एन॰ जी॰ ओ॰ को दी जानेवाली धन की आवश्यक राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार, मोबाइल मेडिकल यूनिट जिनको अत्यधिक दर का प्रस्ताव देकर जल्दबाजी में अर्जित किया गया था का प्रयोजन उस तरीके से पूरा नहीं किया जा सका था जैसा किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, यह अभिकथित किया गया है कि डॉ॰ प्रदीप कुमार, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव, डॉ॰ विजय शंकर नारायण सिंह, तत्कालीन राज्य आर॰ सी॰ एच॰ अधिकारी, राँची; मेसर्स भारत इंजीनियरिंग एन्ड बॉडी बिल्डिंग कंपनी प्रा॰ लि॰ (बी॰ ई॰ बी॰ बी॰ सी॰ ओ॰), जमशेदपुर एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों पर अधिरोपणीय लोप एवं कारिता भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 120B, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सह–पठित धारा 13 (1) (c) (d) के अधीन दंडनीय अपराध गठित करते हैं। तद्नुसार, डॉ॰ प्रदीप कुमार, डॉ॰ विजय शंकर नारायण सिंह, मेसर्स बी॰ ई॰ बी॰ बी॰ सी॰ ओ॰ और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध आर॰ सी॰ सं॰ 14 (A) वर्ष 2009 ए॰ एच॰ डी॰ आर॰ दर्ज किया गया था। मामले का अन्वेषण किया गया था।

8. अन्वेषण के दौरान यह प्रकाश में आया कि निविदा दाखिल करने के लिए नियत अंतिम दिन पर अभियुक्त श्यामल चक्रवर्ती ने तीन फर्मों अर्थात् मेसर्स बी॰ ई॰ बी॰ बी॰ सी॰ ओ॰, मेसर्स मेटल क्राउन इंडस्ट्रीज और मेसर्स भारत ऑटोमोबाइल्स प्रा॰ लि॰ से तीन कोटेशनों की व्यवस्था की ओर कोटेशन के साथ अग्रिम धन के रूप में 5000/- रुपयों का चेक जमा करवा कर दाखिल करवाया यद्यपि एन॰ आई॰ टी॰ के निबंधनानुसार अग्रिम धन बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दाखिल करने की आवश्यकता था और ऐसा झूठी धारणा देने के लिए किया गया था कि कोटेशन समय के भीतर दिया गया था और कि समस्त निविदादाता जिन्होंने अपना कोटेशन दिया था, पिता–पुत्र थे।

9. आगे यह एकत्रित किया गया था कि मेसर्स बी॰ ई॰ बी॰ बी॰ सी॰ ओ॰ ने मेडिकल उपकरण खरीदा था जिनको 6,01,70,847/- रुपयों का भुगतान करके वाहनों में लगाया गया था किंतु उसके विरुद्ध मेसर्स बी॰ ई॰ बी॰ बी॰ सी॰ ओ॰ को 29.23 करोड़ रुपयों की राशि का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, खरीद कीमत और भुगतान की गयी कीमत के बीच बड़ा अंतर है और यह अंतर 23,21,29,153/- रुपयों की सीमा तक था।

10. आगे यह पाया गया था कि ढाँचे के निर्माण के लिए मेसर्स बी॰ ई॰ बी॰ बी॰ सी॰ ओ॰ को 7.90 करोड़ रुपयों की राशि अर्थात् 10 लाख रुपया प्रति यूनिट का भुगतान किया गया था जो अत्यधिक था क्योंकि फर्म ने राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के लिए स्टाफ बस के समान आकार के चेसिस के संपरिवर्तन के लिए केवल 6.10/- लाख रुपया प्रभारित किया था। इस प्रकार, इस आधार पर हानि 3.10 करोड़ रुपया मात्रित की गयी है। इस प्रकार, 79 मोबाइल क्लिनिकों के निर्माण/फैब्रिकेशन के लिए कुल पूंजी लागत 12,52,57,367/- रुपया होती है किंतु उसके विरुद्ध मेसर्स बी॰ ई॰ बी॰ बी॰ सी॰ ओ॰ को 40,39,151,621/- रुपयों की राशि का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, अंतर 27,86,58,254/- रुपयों की सीमा तक का है।

11. यद्यपि, मोबाइल मेडिकल यूनिट की प्राप्ति के लिए विपुल व्यय किया गया था किंतु कोई बजट आवंटन नहीं था। मेसर्स बी॰ ई॰ बी॰ बी॰ सी॰ ओ॰ को मेडिकल मोबाइल यूनिट में चेसिस को संपरिवर्तित करने की कीमत का भुगतान एन॰ एच॰ आर॰ एम॰ को भिन्न प्रयोजन के लिए आवंटित निधि में से किया गया था।

12. आगे अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि डॉ॰ प्रदीप कुमार के छोटे भाई किसी राजेन्द्र कुमार ने मेसर्स एस्सार इंटरप्राइजेज, एक भागीदार फर्म जिसका श्यामल चक्रवर्ती (याची) सह–भागीदार हुआ करता था जिसका मेसर्स रिया इंटरप्राइजेज के नाम और शैली में स्वत्वधारी फर्म था, के नाम में बैंक ऑफ इंडिया विकास भवन, राँची में खाता खोला था। उक्त श्यामल चक्रवर्ती, जिसकी डॉ॰ प्रदीप कुमार के

साथ गहन निकटता थी, ने मेसर्स रिया इंटरप्राइजेज के नाम में कंप्यूटर, एयरकंडीशनर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आपूर्ति के लिए आदेश प्राप्त किया था और भुगतान भी प्राप्त किया था।

13. आगे यह पाया गया था कि तीन अवसरों पर मेसर्स एस्सार इंटरप्राइजेज के खाता से बैंक ऑफ इंडिया, रातू रोड शाखा, राँची में खोले गए राजेन्द्र कुमार के खाता में और मेसर्स नंदलाल एच० यू० एफ० के खाता में भी निधि अंतरित की गयी थी। स्व० नंदलाल मीना अभियुक्त डॉ० प्रदीप कुमार और उक्त राजेन्द्र कुमार का पिता हुआ करता है।

14. आगे यह पता चला कि याची ने आइजॉल मिजोरम की सुश्री लालवेंतलुआंगी के खाता से मेसर्स एस्सार इंटरप्राइजेज के खाता में 22 लाख रुपयों के अंतरण की व्यवस्था किया। सुश्री लालवेंतलुआंगी का पिता किसी श्री सत्यव्रत भट्टाचारजी, कार्यपालक अभियन्ता, पी० डब्ल्यू० डी०, आइजॉल, जो श्यामल चक्रवर्ती का ममेरा भाई है, के कार्यालय में मैकेनिक हुआ करता था। सुश्री लालवंतलुआंगी के अनुसार, कर्ज सत्यव्रत भट्टाचारजी को दिया गया था। इस प्रकार, यह अत्यन्त संदेहास्पद लगता है कि किस प्रकार सुश्री लालवंतलुआंगी 22 लाख रुपया अंतरित कर सकती थी जबकि उसके खाता के क्रेडिट बैलेंस में केवल 7000/- रुपया था। उस दिन पर जब उक्त सुश्री लालवंतलुआंगी के खाता में 22 लाख रुपया जमा किया गया था, उस राशि का ड्राफ्ट उसके द्वारा मेसर्स एस्सार इंटरप्राइजेज के पक्ष में खरीदा गया था।

15. आगे यह पाया गया था कि मेसर्स नंदलाल, एच० यू० एफ० और श्यामल चक्रवर्ती के संयुक्त नाम में दिनांक 29.7.2009 को कोलकात्ता में फ्लैट खरीदा था। इस प्रकार, यह पाया गया था कि श्यामल चक्रवर्ती का डॉ० प्रदीप कुमार के साथ निकट संबंध था जिन्होंने एक-दूसरे के साथ षडयंत्र करके अवैध कृत्य किया जिसके द्वारा राजकीय कोष को भारी हानि कारित किया गया था।

16. अन्वेषण पूरा होने के बाद उक्त डॉ० प्रदीप कुमार, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव; डॉ० विजय शंकर नारायण सिंह, तत्कालीन राज्य आर० सी० एच० अधिकारी, राँची और नवीन भलोटिया, कृष्णा भलोटिया तथा गजानंद भलोटिया, तीनो मेसर्स बी० ई० बी० बी० सी० ओ० के निदेशक; नीतीश भलोटिया, मेसर्स भारत ऑटोमोबाइल प्रा० लि० के निदेशक; और श्यामल चक्रवर्ती के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B, 420, 477A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) (d) के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। तद्नुसार, उनके विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था। सम्यक क्रम में, याचीगण की ओर से उन्मोचन आवेदन दाखिल किया गया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।

17. इस न्यायालय के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी गयी थी। किंतु मामला लंबित रहने के दौरान जब आरोप विरचित किए गए थे, आरोप विरचित करने वाले आदेश को भी चुनौती दी गयी थी।

18. याचीगण जो मेसर्स बी० ई० बी० बी० सी० ओ० के निदेशकगण हैं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण को मात्र इस कारण से अभियुक्त बनाया गया है कि वे कंपनी के निदेशकगण हुआ करते हैं, यद्यपि अभिकथित अपराध में याचीगण द्वारा निभायी गयी विनिर्दिष्ट भूमिका को सामने नहीं लाया गया है और तीन बोली लगाने वालों में से दो कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित प्राईवेट कंपनी हैं और एक भागीदार फर्म है। तीनों बोली लगाने वालों का कारखाना निरीक्षक के साथ पृथक रजिस्ट्रेशन है और उनका पृथक कार्यालय एवं पृथक काम है और यह केवल संयोग है कि केवल तीन व्यक्तियों ने कोटेशन दाखिल किया यद्यपि पहले 50 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया था और उस समय पर कर के साथ 66 लाख रुपयों की बोली स्वीकार की गयी थी किंतु उस समय पर किसी ने आपत्ति नहीं किया था।

19. आगे यह निवेदन किया गया था कि डिमांड ड्राफ्ट के बजाए कोटेशन के साथ चेक दिया गया था जिसे अपराध में फँसानेवाली परिस्थिति के रूप में लिया गया है यद्यपि चेक के माध्यम से अग्रिम धन का भुगतान करने में कुछ भी गलत नहीं किया गया था और यदि यह निबंधनों एवं शर्तों के साथ संगत नहीं था, निविदा कमिटी निविदा अस्वीकार कर सकती थी और अन्य परिस्थिति जिसका उपयोग किया जा रहा है, यह है कि 70% के बजाए 90% अग्रिम दिया गया है किंतु यह अभिवचन करने में सी॰ बी॰ आई॰ की ओर से गलती हुई है क्योंकि केवल अग्रिम की अंतिम किस्त में 90% अग्रिम दिया गया था जो याचीगण की ओर से अपराधिक नहीं हो सकता है।

20. आगे यह निवेदन किया गया था कि याचीगण के विरुद्ध लायी गयी अपराध में फँसाने वाली एक अन्य परिस्थिति यह है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट में लगाए गए उपकरण को 6,01,70,847/- रुपयों से खरीदा गया था जबकि मेसर्स बी॰ ई॰ बी॰ बी॰ सी॰ ओ॰ ने 29.23 करोड़ रुपयों की राशि प्रभारित किया और कि बॉडी बिल्डिंग के लिए 6.10 लाख रुपयों के बजाए 10 लाख रुपया प्रति यूनिट का भुगतान किया गया था किंतु सी॰ बी॰ आई॰ इसे विचार में लेने में विफल रही है कि पूर्णत: सुसज्जित एम॰ एम॰ यू॰ की आपूर्ति के लिए कंपनी द्वारा कोटेशन दिया गया था एवं पेश की गयी राशि में बॉडी निर्माण तथा एम॰ एम॰ यू॰ को सुसज्जित करना दोनों तथा तीन वर्षों के लिए नि:शुल्क सेवा और एम॰ एम॰ यू॰ का रखरखाव भी शामिल था और इसके अतिरिक्त उपकरणों को न केवल लगाया जाना था बल्कि प्रत्येक उपकरण की समुचित परीक्षा एवं कार्य चेक करने की भी आवश्यकता थी।

21. आगे, झारखंड के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर समस्त उपकरणों के साथ वाहन चलाने में भी अतिरिक्त व्यय उपगत किया गया था।

22. आगे, यह निवेदन किया गया था कि समस्त अभिकथनों को सत्य मानने पर भी याचीगण यह समझने में विफल हैं कि किस प्रकार छल का अपराध बनता है जब चेसिस को मोबाइल यूनिट में संपरिवर्तित करने के लिए आदेश पाने में याचीगण की ओर से कोई कपटपूर्ण उत्प्रेरण का अभिकथन नहीं है।

23. आगे, याचीगण के विरुद्ध कोई कृत्य अभिकथित नहीं किया गया है जिसने दस्तावेज को झूठा सिद्ध करना अन्य अभियुक्तगण के लिए सुकर बनाया और कि भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों द्वारा धनीय लाभ पाने के लिए अन्य अभियुक्तगण अर्थात् सरकारी पदधारियों को दुष्प्रेरित करने का अभिकथन बिल्कुल नहीं है और तद्द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) के अधीन अपराध नहीं बनता है।

24. अंत में, यह निवेदन किया गया था कि कंपनी को आरोप–पत्रित नहीं किया गया है और कंपनी को अभियुक्त बनाए जाने अथवा आरोप–पत्रित किए जाने की अनुपस्थिति में, **महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम दातार स्विचगियर एवं अन्य, (2010)10 SCC 479;** और **आर॰ कल्याणी बनाम जनक सी॰ मेहता एवं अन्य, (2009)1 SCC 516,** मामलों में दिए गए निर्णय की दृष्टि में, ऐसे किसी अभिकथन कि निदेशकगण कंपनी के दैनिक कार्यकलाप के लिए जिम्मेदार थे, की अनुपस्थिति में निदेशकगण को अभियोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

25. जहाँ तक याची नवीन भलोटिया का संबंध है, यह निवेदन किया गया था कि यद्यपि याची फर्म ने बोली लगाने में भाग लिया था किंतु इसके एल॰ 1 नहीं पाए जाने पर इसको कार्य आदेश नहीं दिया गया था। उसके बावजूद, कंपनी को अभियुक्त बनाए जाने की अनुपस्थिति में याची जो कंपनी का निदेशक हुआ करता है को अभियुक्त बनाया गया है और तद्द्वारा याची के विरुद्ध अभियोजन पोषित नहीं किया

जा सकता है और कि याची ने केवल बोली में भाग लिया था और इस प्रकार उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 420 अथवा 477 के अधीन अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि याची का कृत्य कपटपूर्ण नहीं है क्योंकि स्वीकृत रूप से याची को काम पंचाट नहीं किया गया था और उस स्थिति में सरकारी सेवक को कपटपूर्वक प्रेरित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है और उसी समय पर कोई साक्ष्य नहीं है कि याची ने दस्तावेज को झूठा बनाने के लिए अन्य अभियुक्तगण को प्रेरित करने के लिए कुछ किया। साथ-साथ, यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याची ने भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों द्वारा धनीय लाभ पाया था।

26. जहाँ तक श्यामल चक्रवर्ती का संबंध है, यह निवेदन किया गया था कि याची वह व्यक्ति नहीं है जिसको मोबाइल मेडिकल यूनिट में चेसिस का संपरिवर्तन करने के लिए आदेश दिया गया था और न ही उसको कोई भुगतान किया गया था। याची को केवल तीन भिन्न फर्मों से तीन कोटेशन दाखिल करने की व्यवस्था करने के लिए अभिकथित किया गया है किंतु वह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 420 अथवा 477A के अधीन कोई अपराध गठित नहीं करता है। याची को इस कारण से भी अभियोजित किया जा रहा है कि उसका डॉ॰ प्रदीप कुमार से निकट संबंध है जिसने मेसर्स रिया इंटरप्राइजेज जो याची का है को आदेश दिया था किंतु उन आपूर्तियों का इस मामले की विषय वस्तु से कुछ लेना-देना नहीं है।

27. जहाँ तक मेसर्स एस्सर इंटरप्राइजेज के खाता से याची और किसी राजेन्द्र कुमार के खाता में धन का अंतरण करने के अभिकथन का संबंध है, वह संव्यवहार वर्ष 2007 में हुआ था और, इसलिए, इसे वर्तमान मामले में अभियोग के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है।

28. जहाँ तक मेसर्स नंदलाल एच॰ यू॰ एफ॰ के खाता में निधि के अंतरण के अभिकथन का संबंध है, याची का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उक्त राजेन्द्र कुमार ने अपने निजी खाता से राशि अंतरित किया था।

29. जहाँ तक मेसर्स एस्सर इंटरप्राइजेज के खाता में 22 लाख रुपयों के अंतरण के अभिकथन का संबंध है, वह संव्यवहार वर्ष 2007 में हुआ था जिसका वर्तमान मामले में लगाए गए अभियोग के साथ संबंध नहीं है।

30. इन परिस्थितियों के अधीन, यह निष्कर्ष निकलता है कि याचीगण के विरुद्ध आरोपों को विरचित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है।

31. इसके विरुद्ध, सी॰ बी॰ आई॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण के विरुद्ध सामने आने वाली परिस्थितियाँ ऐसी है जो उपदर्शित करती है कि समस्त याचीगण डॉ॰ प्रदीप कुमार सहित अन्य अभियुक्तगण के साथ साँठ-गाँठ में थे और कपटपूर्वक अपने पक्ष में संकर्म आदेश सुरक्षित किया और अत्यधिक कीमत प्रभारित किया और तद्द्वारा यह कहा जा सकता है कि अभियुक्तगण ने भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों द्वारा स्वयं के लिए और अन्य अभियुक्तगण के लिए धनीय लाभ प्राप्त किया और तद्द्वारा सही प्रकार से उनका अभियोजन किया गया है।

32. विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि एन॰ आई॰ टी॰ के निबंधनों के मुताबिक कोटेशन को 5000/- रुपया के बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा किया जाना था किंतु यह पता चला कि समस्त तीनों कंपनियों की ओर से 5000/- रुपया के चेक के साथ कोटेशन दिए गए थे और चेक की संख्या और इसके उपर दी गयी तिथि सुझाती है कि उन चेकों को सितंबर, 2008 के 28वें दिन जारी नहीं किया जा सकता था। उसके बावजूद याचीगण ने संकर्म आदेश पाने का प्रबंध किया जिसके द्वारा उन्होंने अन्य अभियुक्तगण की मौनानुकूलता से अत्यधिक प्रभार प्रभारित किया और तद्द्वारा उनको छल एवं दस्तावेज के झूठा सिद्ध

करने का अपराध करता हुआ कहा जा सकता है क्योंकि सह-अभियुक्तगण ने गलत रूप से शीर्ष के अधीन याचीगण को भुगतान किया गया दर्शाया है जिसके अधीन धन नहीं था।

33. अतः, परिस्थितियों के अधीन, याचीगण को सही प्रकार से अभियोजित किया जा रहा है जिसमें अनेक गवाहों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है और इसलिए, न तो याचीगण उन्मोचित किए जाने के योग्य हैं और न ही आरोप विरचित करने वाले आदेश को अभिखंडित करने की आवश्यकता है।

34. अधिवक्ता को सुनने पर यह प्रतीत होता है कि याचीगण अर्थात् नवीन भलोटिया, कृष्ण भलोटिया और गजानंद भलोटिया मेसर्स बी॰ ई॰ बी॰ बी॰ सी॰ ओ॰ के निदेशकगण हैं। कंपनी ने अग्रिम धन के रूप में चेक के साथ अपना कोटेशन दिया था। याचीगण की कंपनी के सिवाए किसी अन्य कंपनी ने कोटेशन नहीं दिया था और कि कंपनी ने 70% जैसा निबंधनों एवं शर्तों के अधीन अनुबंधित किया गया है, के बजाए 90% अग्रिम में लिया और कि कंपनी ने अत्यधिक प्रभारित किया।

35. इस प्रकार, जो अभिकथन प्रतीत होता है, वे अभिकथन कंपनी के विरुद्ध हैं किंतु आश्चर्यजनक रूप से कंपनी यद्यपि इसे आरंभ में अभियुक्त बनाया गया था को आरोप-पत्रित नहीं किया गया है। कंपनी को आरोप-पत्रित करने के बजाए याचीगण, जो मेसर्स बी॰ ई॰ बी॰ बी॰ सी॰ ओ॰ के निदेशकगण हैं, और नितीश भलोटिया भी, जो मेसर्स भारत ऑटोमोबाईल प्रा॰ लि॰ का निदेशक है, को किसी अभिकथन के बिना याचीगण कंपनी के दैनिक कार्यकलाप के लिए जिम्मेदार थे, आरोप-पत्रित किया गया है और केवल इस आधार पर **महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम दातार स्विचगियर एवं अन्य, (2010)10 SCC 479;** और **आर॰ कल्याणी बनाम जनक सी॰ मेहता एवं अन्य, (2009)1 SCC 516,** में दिए गए निर्णयों की दृष्टि में याचीगण को निदेशकगण होने के नाते अभियोजित नहीं किया जा सकता है।

36. इसके अतिरिक्त, अभियोग जो कंपनी के विरुद्ध लगाया गया प्रतीत होता है, भले ही इसे याचीगण के विरुद्ध भी लगाया गया स्वीकार किया जाता है, जैसा उपर उपदर्शित किया गया है, याचीगण का कृत्य छल, अथवा दस्तावेज के झूठा सिद्ध करने का अपराध गठित नहीं करता है। कहीं भी याचीगण को कपटपूर्वक संकर्म आदेश सुरक्षित करता अभिकथित नहीं किया गया है। निश्चय ही, अभिकथन है कि कंपनी ने दिए गए कोटेशन, जो एन॰ आई॰ टी॰ के निबंधनों एवं शर्तों के अनुरुप नहीं थे, के आधार पर संकर्म आदेश सुरक्षित किया था। यदि यह निबंधनों एवं शर्तों के साथ संगत नहीं था, निविदा कमिटी अपनी इच्छानुसार इसे रद्द कर सकती थी, किंतु इसे रद्द कभी नहीं किया गया है, बल्कि इसे प्रदान किया गया है। यदि यह कृत्य मौनानुकूलता का भाग था, तब निविदा कमिटी के सदस्यों को अभियुक्त बनाया गया होता किंतु उन्हें अभियुक्त नहीं बनाया गया है। अतः याचीगण के पूर्वोक्त कृत्य को कपटपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

37. आगे यह कथन किया जाए कि सी॰ बी॰ आई॰ के मामले के मुताबिक एम॰ एम॰ यू॰ की कीमत को अधिक बल्कि अत्यधिक प्रभारित किया जाना कपटपूर्ण कृत्य कभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से फ्रैब्रिकेशन की कीमत और उपकरणों की कीमत की संगणना की है।

38. यह कथन किया जाए कि समान प्रकार के एम॰ एम॰ यू॰ के लिए आपूर्तिकर्ताओं ने कर के साथ 66 लाख रुपया प्रभारित किया था।

39. मामले में आगे जाते हुए, यह कथन किया जाए कि जितना प्रभारित किया जाना चाहिए था, उसकी तुलना में आधिक्य भी प्रभारित करना भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों द्वारा धनीय लाभ लिया जाना नहीं कहा जा सकता है।

40. जहाँ तक श्यामल चक्रवर्ती के मामले का संबंध है, उसे केवल तीन फर्मों की ओर से कोटेशन देने में भागीदार होने का अभिकथित किया गया है। वह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 420 अथवा 477A के अधीन अपराध कभी नहीं गठित करता है। उस अभिकथन के अतिरिक्त, यह भी अभिकथित किया गया है कि इस याची का डॉ॰ प्रदीप कुमार के साथ निकट संबंध था किंतु प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: कुछ भी सामने नहीं लाया गया है। निकट संबंध को इस तथ्य से जोड़ा जा रहा है कि डॉ॰ प्रदीप कुमार के भाई का मेसर्स एस्सर इंटरप्राइजेज के नाम एवं शैली में एक भागीदार फर्म था जिसका यह याची सह-भागीदार था। मेसर्स एस्सर इंटरप्राइजेज के खाता से व्यक्तिगत खाता में कतिपय संव्यवहार किया गया दर्शाया गया है किंतु वह संव्यवहार वर्ष 2007 का है जिसका अभिकथित अपराध के साथ संबंध नहीं हो सकता था। समान रूप से सुश्री लालवंतलुआंगी के खाता से कंपनी अर्थात् मेसर्स एस्सर इंटरप्राइजेज के खाता में 22 लाख रुपयों के अंतरण के साथ कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है जबकि पूर्वोक्त समस्त अभिकथन समय के बाद की बिंदु पर के हैं।

41. इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि याचीगण के विरुद्ध किए गए अभिकथन अपराध गठित नहीं करते हैं जिनके अधीन आरोप विरचित किए गए हैं और तद्द्वारा, जहाँ तक इन याचीगण का संबंध है, आरोप विरचित करने वाला आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

42. परिणामस्वरुप, पूर्वोक्त आवेदनों को अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

ओम प्रकाश सं॰ 2

cuke

अवधेश कुमार पांडे एवं अन्य

Contempt Case (Civil) No. 5 of 2013. Decided on 3rd December, 2013.

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971—धारा 2(b)—अवमान कार्यवाही दांडिक सदृश प्रकृति की है और दांडिक मामले में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, उसी को अवमान कार्यवाही में अपनाना होगा–भले ही आदेश का भंग अभिकथित अवमानकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है, आवेदक को यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि आदेश का उल्लंघन जानबूझकर किया गया एवं आशयपूर्ण था–ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह निष्कर्षित किया जा सके कि वि॰ प॰ ने आशयपूर्वक न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया था–अवमान याचिका खारिज। (पैराएँ 5 से 8)

निर्णयज विधि.–(2010) 12 SCC 770—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Amit Kumar Sinha, For the Petitioner; Mrs. Suchitra Pandey, For the Opp. Parties.

आदेश

डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5893 वर्ष 2012 में पारित दिनांक 5.10.2012 के आदेश की अवज्ञा अभिकथित करते हुए आवेदक वर्तमान अवमान याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है। इस अवमान याचिका में आवेदक ने निम्नलिखित प्रकथन किया है:–

> *"5. fd ;kph dFku djrk g fd mlu lfpo uxj fodkl foHkkx vkj dk;ikyd vfèkdkjh] flUnjh vpy] èkuckn uxj fuxe d le{k bl ekuuh; U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k dh çfr d lkFk lyXu fnukd 13.10.2012 dk vH;konu Hkh nkf[ky fd;k gA*

6. fd ;kph vR;Ur fouerkiod dFku ,o fuonu djrk g fd bl ekuuh; U;k;ky; }kjk ikfjr fun'kk d erkfcd fojkèkh i{kx.k bl ekuuh; U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k dh çfr dh çkfIr dh frfFk l 30 fnuk d Hkhrj] ftldk volku fnukd 13.11.2012 dk gk x;k g] lokfuofÙk ykHkk d Hkxrku l lcfèkr ekey e fu.k; yu d fy, drO;c) Fk fdr fojkèkh i{kx.k lcfèkr ekeyk e dkb fu.k; yu e foQy jg g vkj rn}kjk bl ekuuh; U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'kk dk voeku fd;k g vkj fnukd 13.11.2012 dk ,lk djuk tkjh j[k g, gA

7. fd ;kph vR;Ur fouerkiod dFku ,o fuonu djrk g fd çR;FkhZx.k@fojkèkh i{kx.k dh vkj l fuf"Ø;rk d dkj.k ;kph dk bl ekuuh; U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'kk d ckotn vkt dh frfFk rd ,d ilk rd dk Hkxrku ugh fd;k x;k g vkj ;kph dk viu ifjokj d lkFk nfud vkèkkj ij ihfMr fd;k tk jgk gA

*8. fd ;kph dFku djrk g fd foi{kh i{kx.k bl ekuuh; U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'kk ,o fun'kk dk mYy?ku dju ij ry g vkj bl çdkj ;g ekuuh; U;k;ky; ekey e xHkhj nf"Vdk.k viuk ldrk gA**

2. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश और विरोधी पक्षकार सं॰ 1 को प्रस्तुत अभ्यावेदन के बावजूद याची को अब तक सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि यद्यपि प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने दिनांक 22.3.2013 और दिनांक 18.11.2003 को आदेश पारित किया है, उन आदेशों में प्रकट असंगतियाँ हैं और उन आदेशों में याची को भुगतेय पाए गए और उल्लिखित किए गए राशि का भी अब तक याची को भुगतान नहीं किया गया है।

3. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि दिनांक 5.10.2012 का आदेश विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को याची के दावा पर विचार करने की आज्ञा देता है और यदि देय बकाया पाया जाता है, याची को इसका भुगतान किया जाए।

4. अवमान याचिका का परिशीलन प्रकट करेगा कि आवेदक अवमान याचिका में यह प्रकथन करने में भी विफल रहा है कि विरोधी पक्षकार ने जानबूझकर और आशयपूर्वक इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवज्ञा किया है। न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 2 (b) को नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*"2. **ifjHkk"kk-**&(b) ^^flfoy voeku** l vfHkçr g U;k;ky; d fdlh fu.k;] fMØh] fun'k] vkn'k] fjV vFkok vU; çfØ;k dh tkuc>dj voKk vFkok U;k;ky; dk fn, x, opu dk tkuc>dj Hkx(*

5. न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 2 (b) में अंतर्विष्ट परिभाषा उपदर्शित करेगी कि सिविल अवमान की परिभाषा में शब्द ''जानबूझकर'' सम्मिलित किया गया है। अवमान कार्यवाही दांडिक सदृश प्रकृति की है और इसलिए, जिस प्रक्रिया का अनुसरण दांडिक मामले में किया जाना है, उसे ही अवमान कार्यवाही में अपनाना होगा। भले ही अभिकथित अवमानकर्ता द्वारा आदेश का भंग स्वीकार किया गया है, आवेदक जिसने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा अभिकथित किया है को तर्कपूर्ण सामग्री द्वारा अभिवचनित और सिद्ध करने की आवश्यकता है कि आदेश का अभिकथित उल्लंघन जानबूझकर और आशयपूर्वक था। अधिनियम स्वयं अभिकथित अवमानकर्ता की ओर से कृत्य अथवा लोप के लिए कारावास प्रावधानित करता है और इसलिए, यह बिल्कुल प्रकट है कि न्यायालय अवमान अधिनियम के विरुद्ध आरंभ की गयी कार्यवाही के गंभीर परिणाम होंगे।

6. वर्तमान आवेदन में, मैं उभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं पाता हूँ जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि विपक्षी पक्षकार सं॰ 1 ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का जानबूझकर या आशयपूर्वक उल्लंघन या अवमान किया है। मैं यह पाता हूँ कि रिट याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में, प्रत्यर्थी–प्राधिकारी ने याची के बकाये के भुगतान के लिए दिनांक 4.10.2012 तथा 18.11.2013 का आदेश पारित किया है।

7. ''दिनेश कुमार गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं॰ लि॰'', (2010)12 SCC 770 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"17. vc ;g ge vxy ç'u vkj vfèkd çklfxd ç'u dh vkj y tkrk g fd D;k vihykFkh d fo#) vkjHk dh x;h voeku dk;okgh dk vVdy ,o mièkkj.kk ij vkj oreku ekey d rF;k vkj ifjfLFkfr;k l fudky x, fu"d"k ij lik"k.kh; vfHkfuèkkfjr fd;k tk ldrk gA gekj lfopkfjr er e] bl U;k;ky; d fu.k;k dh J[kyk e ifjyf{kr lfuf'pr fofèkd çfriknuk dh nf"V e mÙkj Li"Vr% udkjkRed gkxk D;kfd flfoy çÑfr d voeku doy rc gvk vfHkfuèkkfjr fd;k tk ldrk g ;fn vkn'k dk tkuc>dj mYy?ku fd;k x;k g vkj ;|fi voKk gk ldrh g] fQj Hkh ;fn ;g bl ckr dk ifjyf{kr ugh djrk g fd ;g lpr ,o tkuc>dj dh x;h voKk g] voeku dk ekeyk curk vfHkfuèkkfjr ugh fd;k tk ldrk gA oLrr%] ;fn vud ifj.kkek dk mnHkr djr g, vkn'k dh ,d l vfèkd 0;k[;k gk ldrh g] bld vuuikyu dk vkn'k dh tkuc>dj dh x;h voKk vfHkfuèkkfjr ugh fd;k tk ldrk g rkfd nM d vfèkjki.k lfgr xHkhj ifj.kkek dk vifjgk; cuku okyk voeku dk ekeyk cuk;k tk ldA fdr] tc U;k;ky; dk lkeuk bl ç'u l djk;k tkrk g fd D;k nh x;h fLFkfr dk] vkn'k dk vuikyu fu"Qy dju d fy,] tkuc>dj dh x;h voKk dk ekeyk] vFkok vikfgt cgku dk ekeyk] pkg ;g fdruk Hkh e[kj D;k u gk] ekuk tk ldrk Fkk] Li"Vr% ekeyk fo'k"k d rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fuHkj djxk(fdr ,lk fofuf'pr djr g, èkkj.kk ij vkèkkfjr vVdycktsh djuk fofèkr% lgh ugh gkxk D;kfd U;k;ky; voeku vfèkfu;e] 1971 Li"Vr% çfrikfnr djrk g vkj tkj nrk g fd bld igy fdlh dk flfoy çfØ;k d voeku d vkjki d fy, vfHk;kftr fd;k tk,] tkuc>dj dh x;h voKk dk vo;o gkuk pkfg,A

----

23. bld vfrfjDr] U;k;ky; voeku vfèkfu;e] 1971 dh èkkjk 2 (b) d vèkhu fn, x, flfoy çÑfr d voeku d egRoi.k lkfofèkd vo;o dk vun[kk djuk Hkh lgh ugh gkxk fd voeku vfHkdfFkr dju oky vkn'k dh voKk dk bl ijh{kk e mÙkh.k gkuk gkxk fd ;g vkn'k dh tkuc>dj dh x;h voKk gA bl egRoi.k dkjd dk è;ku e j[kr g,] ;g xkj djuk çklfxd g fd flfoy voeku dh dk;okgh ugh gkxh ;fn vkn'k] ftldh voKk vfHkdfFkr dh x;h g] Lo; vkn'k vFkok ifjfLFkfr dh ;fDr;Dr vFkok rdi.k 0;k[;k dh xtkb'k çkoèkkfur djrk g tk oreku ekey e rkfF;d voLFkk gA ;g fu"df"kr djuk Hkh leku :i l lgh ugh gkxk fd i{k] ;|fi ;g lgh fofèkd voLFkk dh xyr le> d dkj.k vkj U;k;ky; d vkn'k dk foQy dju vFkok bldh voKk dju d fdlh gr d fcuk lnfo'okl e ÑR; dj jgk g] dk xHkhj vkèkkj d :i e n[kk tkuk pkfg, tk voeku dk;okgh dk mnHkr dj ldA**

8. पूर्वोक्त की दृष्टि में, यह अवमान याचिका खारिज की जाती है।''

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

तापस कुमार लाहिरी उर्फ टी० के० लाहिरी (66 में)

दिनेश चंद्र झा उर्फ डी० सी० झा (120 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (दोनों में)

Cr. M.P. Nos. 66 with 120 of 2011. Decided on 9th January, 2014.

संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970—धाराएँ 23 एवं 26—कोलियरी से कोयला के परिवहन के निषिद्ध काम में संविदा श्रम का नियोजन–मंजूरी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अभियोजन का काम है–यदि मंजूरी आदेश अभियोजन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उपधारणा ऐसी होती है कि मंजूरी प्रदान नहीं की गयी है–न्यायालय ने नकारात्मक उपधारणा की है और तद्द्वारा याचीगण के विरुद्ध परिवाद मामला वापस लेने के लिए अनुमति की परिवादी की प्रार्थना अस्वीकार करने में अवैधता किया–संज्ञान का आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया–आवेदन अनुज्ञात। (पैराएँ 4 से 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajeet Sinha, For the Petitioners; Mr. APP., For the State; M/s M. Khan, S.P. Jha, For the O.P. No.2.

आदेश

दोनों मामलों में याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और वि० प० सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) धनबाद ।।। द्वारा उसमें यह अभिकथन करते हुए परिवाद दाखिल किया गया था कि दोनों मामलों के याचीगण अर्थात् बी० सी० सी० एल० के पदधारियों और अन्य अभियुक्तगण ने मेसर्स बी० सी० सी० एल० के ई० जे० क्षेत्र के भाउरा (उत्तर) कोलियरी के XIVI और XV सीम्स से कोयला के परिवहन का संविदा कार्य निष्पादित करने के लिए 15 संविदा श्रमिकों को संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उल्लंघन में नियोजित किया यद्यपि दिनांक 21.6.1988 के अधिसूचना सं० एस० ओ० 2063 के अधीन कोयला का परिवहन निषिद्ध किया गया है। उस पर, अभियुक्तगण का अभियोजन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी इप्सित की गयी थी किंतु केवल श्री सौमेन चटर्जी एवं संजय अग्रवाल के विरुद्ध और न कि दोनों मामलों के याचीगण के विरुद्ध मंजूरी दी गयी थी। उसके बावजूद व्यक्तियों जिनके विरुद्ध मंजूरी प्रदान की गयी थी और इन दोनों याचीगण के विरुद्ध भी परिवाद दर्ज किया गया था जिस पर संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए इन समस्त चार व्यक्तियों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था। बाद में परिवादी ने जाना कि इन दो याचीगण के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी कभी नहीं दी गयी थी और, इसलिए, मामला वापस लेने के लिए परिवादी द्वारा आवेदन दाखिल किया गया था किंतु उस आवेदन को उसमें यह अभिनिर्धारित करते हुए दिनांक 8.12.2010 के अपने आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया था कि यह दर्शाते हुए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था कि इन दोनों याचीगण के विरुद्ध अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं दी गयी है। उस आदेश से व्यथित होकर, इन दोनों आवेदनों को दाखिल किया गया है।

3. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अन्य दो अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन मंजूर करने वाला दस्तावेज अभिलेख पर मौजूद है जिससे यह प्रतीत होगा कि केवल अन्य दो अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन के लिए मजदूरी दी गयी है और न कि इन दोनों याचीगण के विरुद्ध और, इसलिए, जब परिवादी को अपनी गलती का अहसास हुआ, मामला वापस लेने के लिए याचिका दाखिल की गयी थी किंतु उस आवेदन को यह विचित्र दृष्टिकोण अपना कर अस्वीकार कर दिया गया था कि यह दर्शाने के लिए दस्तावेज नहीं है कि प्राधिकारी ने इन दोनों याचीगण के विरुद्ध मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।

4. मैं भी याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के दृष्टिकोण के साथ सहमत हूँ कि न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण विचित्र है। मंजूरी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अभियोजन का काम है। यदि अभियोजन एजेंसी द्वारा मंजूरी आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है उपधारणा यही होती है कि मंजूरी प्रदान नहीं की गयी है, किंतु न्यायालय इस मामले में नकारात्मक उपधारणा करता प्रतीत होता है और तद्द्वारा न्यायालय ने इन दोनों याचीगण के विरुद्ध परिवाद मामला वापस लेने के लिए उसको अनुमति देने की परिवादी की प्रार्थना को अस्वीकार करने में अवैधता किया है। यह आवेदन संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 26 में अंतर्विष्ट प्रावधान को दृष्टि में रखते हुए दाखिल किया गया प्रतीत होता है जो अपराधों के संज्ञान के बारे में कहती है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"26. **vijkèkk dk lKku-**&dkb U;k;ky; bLiDVj }kjk fd, x, ifjokn vFkok fyf[kr e io etjh d flok, bl vfèkfu;e d vèkhu fdlh vijkèk dk lKku ugh yxk vkj çfIMIh eftLVV vFkok çFke J.kh d nMkfèkdkjh d U;k;ky; l fuEurj dkb U;k;ky; bl vfèkfu;e d vèkhu fdlh nMuh; vijkèk dk fopkj.k ugh djxkA***

5. तद्नुसार दिनांक 8.12.2010 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

6. परिणामस्वरुप, दोनों आवेदनों को अनुज्ञात किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल इन दोनों याचीगण तक सीमित रहेगा।

---

ekuuh; ujUn ukFk frokjh] U;k;efr

कौशल कुमार सिंह एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 25 of 2014. Decided on 9th January, 2014.

बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956—धारा 3—अतिक्रमण हटाया जाना–घरों के भंजन का खतरा–याचीगण दावा कर रहे हैं कि प्रश्नगत भूमि उनकी रैयती भूमि है और वे राज्य को लगान का भुगतान कर रहे हैं–याचीगण ने आवासीय गृह का निर्माण किया है और संपूर्ण परिवार घर में निवास कर रहा है–याची को उपायुक्त के समक्ष अपने अपील का अनुसरण करने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका निपटायी गयी। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Binod Kumar Dubey, For the Petitioner; G.A., For the State.

आदेश

इस रिट याचिका में, याचीगण ने दिनांक 7.11.2013 के आदेश के अनुसरण में याचीगण के घर को भंजित नहीं करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने की प्रार्थना की है।

2. यह कथन किया गया है कि बिहार/झारखंड भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तात्पर्यित प्रावधान के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी। याची सं॰ 2 को नोटिस जारी किया गया था। उसने कारण बताओ का उत्तर दाखिल किया था, किंतु इसे विलंब के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था और याची की रैयती भूमि को सार्वजनिक भूमि अभिनिर्धारित करते हुए और उसको अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। तत्पश्चात, याची सं॰ 2 ने विद्वान अंचलाधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश का प्रवर्तन स्थगित करने की प्रार्थना के साथ उपायुक्त, चतरा के समक्ष अपील दाखिल किया। उक्त अपील को भूमि अतिक्रमण अपील सं॰ 27/2013 के रूप में दर्ज किया गया था। किंतु, आज की तिथि तक उक्त अपील सुनी नहीं गयी है और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगन का आदेश पारित नहीं किया गया है। इस बीच सब-डिविजनल अधिकारी, चतरा ने याचीगण के आवासीय घर सहित अभिकथित अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। याचीगण ने कोई विकल्प नहीं होने पर रिट याचिका दाखिल किया है।

3. यह निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि याचीगण की रैयती भूमि है और वे सरकार को लगान का भुगतान कर रहे हैं। प्रश्नगत घर संपूर्ण परिवार के लिए एकमात्र वास सुविधा एवं आश्रय है। यदि उपायुक्त, चतरा के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थगित नहीं किया जाता है, अतिक्रमण हटाने के नाम में याचीगण का आवासीय घर भंजित कर दिया जाएगा और इस कड़ाके की ठंढ़ में संपूर्ण परिवार को आश्रयहीन बना दिया जाएगा। याचीगण और उनका परिवार अपूरणीय क्षति और उपहति से पीड़ित होगा और उन पर अत्यधिक प्रतिकूलता कारित होगी।

4. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कार्यवाही एकपक्षीय नहीं थी जैसा याचीगण ने अभिकथित किया है। कारण बताओ दाखिल करने के लिए और भूमि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए याची सं॰ 2 को अवसर दिया गया था, किंतु वह ऐसा करने में विफल रहा। अंततः अंचलाधिकारी, चतरा ने भूमि को 'सार्वजनिक भूमि' अभिनिर्धारित करते हुए और याचीगण को अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए उक्त आदेश पारित किया। उन्होंने आगे निवेदन किया कि याची सं॰ 2 ने अपील दाखिल किया है और अपील लंबित है। याचीगण को समुचित आदेश पारित करवाने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जोर देना चाहिए था। इसके बजाए, याचीगण ने इस रिट याचिका को दाखिल किया है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर मौजूद तथ्यों एवं सामग्रियों का परिशीलन किया है।

6. याचीगण ने दावा किया है कि प्रश्नगत भूमि, जिसे सार्वजनिक भूमि अभिनिर्धारित किया गया है, उनकी रैयती भूमि है और वे राज्य को लगान का भुगतान कर रहे हैं। याचीगण ने अपने आवासीय गृह का निर्माण किया है और संपूर्ण परिवार घर में निवास कर रहा है। यह उनका एकमात्र आश्रय है। याचीगण ने राज्य द्वारा प्रदान किए गए लगान रसीदों (परिशिष्ट-1/1) और नगरपालिका प्राधिकारी, चतरा द्वारा जारी धृति रसीद (परिशिष्ट 2) को भी संलग्न किया है। याची सं॰ 2 ने इस अपील को दाखिल किया है और अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। यह कथन किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी ने की गयी प्रार्थना के बावजूद अंचलाधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश को स्थगित करने का आदेश पारित नहीं किया है।

7. उक्त की दृष्टि में, याची सं० 2 को उपायुक्त, चतरा के समक्ष अपने अपील का अनुसरण करने की स्वतंत्रता देते हुए इस रिट याचिका को निपटाया जाता है।

8. जब तक अपील निपटायी नहीं जाती है, भूमि अतिक्रमण मामला सं० 2/2013-14 में अंचलाधिकारी, चतरा द्वारा पारित दिनांक 7.11.2013 का आदेश प्रास्थगन में रहेगा।

आई० ए० सं० 106 वर्ष 2014

याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस आई० ए० पर जोर नहीं दिया है।

आई० ए० सं० 106 वर्ष 2014 जोर नहीं दिए जाने के रूप में निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

अरुण पांडे एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1475 of 2011. Decided on 9th January, 2014.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धारा 3 (1)(x)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—संज्ञान–जब न्यायालय ने एस० सी०/एस० टी० अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लिया था बल्कि केवल भा० दं० सं० के अधीन लिया था, याचीगण को बहुमूल्य अधिकार प्रोद्भूत हुआ–पुनरीक्षण न्यायालय को याचीगण के विरुद्ध निष्कर्ष देने के पहले याचीगण को सुने जाने का अवसर देना चाहिए था–चूँकि याचीगण को अवसर नहीं दिया गया था, आदेश अवैधता से पीड़ित है–आक्षेपित आदेश अपास्त। (पैराएँ 4 एवं 5)

निर्णयज विधि.–(2004)13 SCC 472; (2013)7 SCC 789—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Anand Kr. Sinha, P.K. Jha, For the Petitioners; Mr. APP., For the State; Mr. V.S. Jha, For the O.P. No.2.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अधिवक्ता और वि० प० सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह आवेदन दांडिक पुनरीक्षण सं० 27 वर्ष 2009 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित दिनांक 31.8.2010 के आदेश के विरुद्ध है जिसके द्वारा और जिसके अधीन पुनरीक्षण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचीगण के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

3. यह प्रतीत होता है कि परिवादी ने उसमें यह अभिकथित करते हुए परिवाद दाखिल किया कि अभियुक्तगण विधि विरुद्ध जमाव निर्मित करने के बाद घातक हथियारों के साथ परिवादी के दरवाजा पर आए और परिवादी एवं अन्य को गाली दिया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन अपराध आकृष्ट किया और छत की टाइल को नुकसान पहुँचाया और दांडिक गृह अतिचार का अपराध भी किया। मामले की जाँच की गयी थी। जाँच करने के बाद न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अधीन और न कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन अपराध का संज्ञान लिया। उस आदेश से व्यथित होकर परिवादी पुनरीक्षण न्यायालय के पास आया। पुनरीक्षण न्यायालय ने दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 27/2009 में पारित दिनांक 31.8.2010 के अपने आदेश के तहत यह अभिनिर्धारित करते हुए पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। याचीगण द्वारा उक्त आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने अवैधता किया है क्योंकि उन्होंने याचीगण को कोई अवसर दिए बिना उसमें यह अभिनिर्धारित करते हुए आदेश पारित किया है कि याचीगण के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनता है और तद्द्वारा पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात करने में अवैधता किया है।

4. मैं याचीगण की ओर से किए गए निवेदनों में सार पाता हूँ। जब न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लिया था, याचीगण को बहुमूल्य अधिकार प्रोद्भूत हुआ। उस स्थिति में, पुनरीक्षण न्यायालय को याचीगण के विरुद्ध कोई निष्कर्ष देने के पहले याचीगण को इस मामले में सुने जाने का अवसर देना चाहिए था। चूँकि, याचीगण को अवसर नहीं दिया गया था, आदेश निश्चय ही अवैधता से पीड़ित है। इस संबंध में, मैं **''पी॰ सुन्दरराजन एवं अन्य बनाम आर॰ विद्या सेकर, (2004)13 SCC 472"** और **''मोहित उर्फ सोनू एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2013)7 SCC 789,** में दिए गए निर्णयों को निर्दिष्ट कर सकता हूँ। यद्यपि बाद वाला मामला इस बिन्दु पर नहीं है जो इस मामले में अंतर्ग्रस्त है, किंतु उसमें यही सिद्धांत अधिकथित किया गया है कि यदि आदेश से याचीगण को बहुमूल्य अधिकार प्रोद्भूत होता है, तब उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देना ही होगा।

5. इन परिस्थितियों के अधीन, दिनांक 31.8.2010 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

6. परिणामस्वरुप, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

7. किंतु, मामला पुनरीक्षण न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित कर सके।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

बिहार राज्य (अब झारखंड) एवं अन्य

cuke

अजय कुमार नंद उर्फ जय प्रकाश मंडल

L.P.A. No. 177 of 2012. Decided on 8th January, 2014.

सेवा विधि–बर्खास्तगी–इस आधार पर कि दांडिक मामला दोषमुक्ति में समाप्त हुआ, वेतन के 40% बकाया के साथ पुनर्बहाली और सेवा से बर्खास्तगी के दंड को अपास्त करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील–प्रत्यर्थी को दांडिक न्यायालय द्वारा सम्मानपूर्वक दोषमुक्त नहीं किया गया था बल्कि गवाहों के गैर-परीक्षण एवं दस्तावेज की गैर-प्रस्तुति के कारण संदेह का लाभ दिया गया था–दांडिक मामले में दोषमुक्ति मात्र स्वयं में

दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है–प्रत्यर्थी ने जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर नियोजन प्राप्त किया–एकल न्यायाधीश का आदेश संपोषित नहीं किया जा सकता है और अपास्त किया जाता है–एल० पी० ए० अनुज्ञात। (पैराएँ 20, 24 एवं 25)

निर्णयज विधि.–2009(2) JCR 269; (2013) 7 SCC 665; (2013) 1 SCC 598—Referred; AIR 1964 SC 787—Followed.

अधिवक्तागण.–Mr. Rajiv Ranjan Mishra, For the Appellants; Mr. Arshad Hussain, For the Respondent.

आर० बानुमथी, मुख्य न्यायाधीश.–यह लेटर्स पेटेन्ट अपील सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 5762 वर्ष 2000P में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 19.11.2011 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने सेवा से बर्खास्तगी का आदेश अपास्त कर दिया और वेतन के 40% बकाया के साथ पुनर्बहाली आदेशित किया। इस अपील में अंतर्ग्रस्त संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या विभागीय कार्यवाही में अधिनिर्णीत बर्खास्तगी का दंड केवल इस आधार मात्र पर अभिखंडित किए जाने का दायी है कि दांडिक मामला दोषमुक्ति में समाप्त हुआ।

2. प्रत्यर्थी को समाहर्ता, साहेबगंज द्वारा जारी दिनांक 29.8.1990 के आदेश द्वारा राजस्व कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था दिनांक 4.10.1990 के आदेश सं० 12 द्वारा प्रत्यर्थी और समरुपत: समस्थित व्यक्तियों को पदस्थापन दिया गया था और प्रत्यर्थी को अंचल पकुरिया में पदस्थापित किया गया था। प्रत्यर्थी को अजय कुमार नंद (जिसे वास्तविक रूप से जय प्रकाश मंडल, पुत्र निर्मल कुमार मंडल होने का कथन किया जाता है) के नाम में नियुक्ति प्राप्त करता हुआ अभिकथित किया गया है। दिनांक 1.11.1993 को किसी राजेन्द्र प्रसाद मंडल से यह अभिकथन करते हुए कि वर्ष 1990 में प्रत्यर्थी की नियुक्ति अजय कुमार मंडल के नाम को प्रतिरुपित करके की गयी थी जबकि उसका वास्तविक नाम जय प्रकाश मंडल, पुत्र निर्मल कुमार मंडल है और वह गाँव नंद गोला, पी० ओ० पथरघट्टा पी० एस० अंटीचक (कहलगाँव) जिला भागलपुर का निवासी है, परिवाद प्राप्त किया गया था।

3. परिवाद के आधार पर, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत स्थायी पता और विद्यालय पता के बारे में सत्यापन एवं जाँच किया गया था। सब-डिविजनल अधिकारी, पाकुड़ ने यह कथन करते हुए अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि यद्यपि प्रत्यर्थी नेतरहाट सरकारी उच्च विद्यालय से प्रथम श्रेणी में मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने का दावा करता है, प्रत्यर्थी अंग्रेजी में परीक्षा का वर्ष, रॉल कोड, आदि लिखने में सक्षम नहीं था और कि वह नहीं जानता है कि नेतरहाट सरकारी विद्यालय कहाँ अवस्थित है। सब-डिविजनल अधिकारी, पाकुड़ ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की।

4. प्रत्यर्थी के मूल गाँव नंदगोला, पी० एस० अंटीचक, पी० एस० पथरघट्टा, जिला भागलपुर में जाँच की गयी थी। जाँच के दौरान गाँववालों ने लिखित बयान दिया कि अजय कुमार नंद पुत्र रामरतन प्रसाद सिंह नाम का कोई व्यक्ति गाँव नंद गोला में निवास नहीं कर रहा है। जाँच के क्रम में, सह-ग्रामीणों ने यह भी सूचित किया कि प्रत्यर्थी का वास्तविक नाम जय प्रकाश मंडल पुत्र निर्मल मंडल है और वह पकुरिया में राजस्व कर्मचारी के रूप में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी की माता द्वारा भी इसे संपुष्ट किया गया था।

5. संबंधित नेतरहाट उच्च विद्यालय में जाँच करने पर कार्यपालक दंडाधिकारी ने पाया कि अजय कुमार नंद, पुत्र श्री रामरतन प्रसाद सिंह वर्ष 1984 में नेतरहाट सरकारी विद्यालय से प्रथम श्रेणी में मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण हुआ और उक्त अजय कुमार नंद ने सेंट जेवियर महाविद्यालय, राँची से अपना इंटर विज्ञान और सिंद्री संस्थान से इंजीनियरिंग पूरा किया है और कि वह तब दिल्ली से यू० पी० एस० सी० के

लिए तैयारी कर रहा है। राजकीय मध्य विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत उसके पिता राम रतन प्रसाद सिंह ने कथन किया कि उसका पुत्र कहीं काम नहीं कर रहा है। उसने कथन किया कि उसका स्थायी पता गाँव हेतिनपुर, पी॰ ओ॰ हेतिनपुर, पी॰ एस॰ पटोरी, जिला समस्तीपुर है और उसकी जाति यादव है।

6. जाँच के आधार पर, प्रत्यर्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 198, 200, 416, 420, 463, 467, 468 और 471 के अधीन दिनांक 11.3.1994 के पकुरिया पुलिस थाना केस सं॰ 13/1994 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अन्वेषण पूरा करने के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। विचारण के बाद प्रत्यर्थी को दिनांक 29.8.1996 के निर्णय (परिशिष्ट 10) द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। दोषमुक्ति के विरुद्ध दाखिल सरकारी अपील दिनांक 9.2.1998 के आदेश के तहत उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी थी।

7. उपायुक्त, पाकुड़ ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने का आदेश दिया और जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए और झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोप (परिशिष्ट 11) विरचित किया गया था। प्रत्यर्थी ने यह कथन करते हुए विभागीय कार्यवाही का प्रतिवाद किया कि उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप आधारहीन हैं और उसका वास्तविक नाम अजय कुमार नंद, पुत्र राम रतन प्रसाद सिंह है और वह गाँव नंदगोला, पी॰ एस॰ अंटीचक, पी॰ एस॰ पथरघट्टा जिला भागलपुर का निवासी है। कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी ने दृष्टिकोण अपनाया कि उसे दांडिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है और सरकार द्वारा दाखिल अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी थी। प्रत्यर्थी ने प्रतिवाद किया कि उन्हीं आरोपों पर उसके विरुद्ध विभागीय रूप से अग्रसर नहीं हुआ जा सकता है। जाँच अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध किए गए हैं और निष्कर्षित किया कि प्रत्यर्थी ने अजय कुमार नंद के नाम में कूटरचित शिक्षण प्रमाण पत्र पर राजस्व कर्मचारी के पद के लिए नियुक्ति प्राप्त किया था। प्रत्यर्थी को द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और दिनांक 27.5.2000 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया गया था।

8. सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थी ने रिट याचिका दाखिल किया और प्रतिवाद किया कि जी॰ आर॰ सं॰ 89 वर्ष 1994 में दांडिक मामला दोषमुक्ति में समाप्त हुआ और कि बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय, राँची पीठ के समक्ष दाखिल सरकारी अपील सं॰ 1 वर्ष 1997 की उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9.2.1998 के आदेश के तहत खारिज कर दी गयी थी और ऐसा होने के कारण दांडिक कार्यवाही के समरुप आरोप संपोषणीय नहीं है।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने सेवा से बर्खास्तगी का दंड अपास्त करते हुए और वेतन के 40% बकाया के साथ प्रत्यर्थी की पुनर्बहाली आदेशित करते हुए रिट याचिका अनुज्ञात किया। **(रफीक मियाँ बनाम केंद्रीय कोल फील्ड्स लि॰ एवं अन्य), 2009 (2) JCR 269,** को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि दांडिक मामले में उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप के मुकाबले विभागीय कार्यवाही में अपचारी प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप समरुप हैं और जब एक बार दांडिक मामला दोषमुक्ति में समाप्त हुआ, समरुप आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही में आगे कार्यवाही करना अर्थहीन है।

10. रिट याचिका में आदेश को चुनौती देते हुए सरकार ने इस अपील को दाखिल किया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री राजीव रंजन मिश्रा ने प्रतिवाद किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह विचार करने में विफल रहे कि दांडिक मामले की प्रकृति और विस्तार विभागीय कार्यवाही की प्रकृति एवं विस्तार से पूर्णत: भिन्न है और इसलिए, दोषमुक्ति का आदेश विभागीय कार्यवाही को समाप्त नहीं कर सकता है अथवा अधिरोपित दंड अपास्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि

प्रत्यर्थी का वास्तविक नाम जय प्रकाश मंडल है और उसके पिता का नाम निर्मल प्रसाद मंडल है और जब अनुशासनिक कार्यवाही में प्रस्तुत सामग्रियाँ स्पष्टत: दर्शाती हैं कि प्रत्यर्थी ने अजय कुमार नंद, पुत्र श्री रामरतन प्रसाद सिंह के नाम में झूठे रूप से नकली प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया है, विद्वान एकल न्यायाधीश सेवा से बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित करने में सही नहीं थे।

11. रिट याचिका में किए गए प्रतिवादों को दोहराते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जब दांडिक मामला दोषमुक्ति में समाप्त हुआ, आरोपों के उसी संवर्ग पर आरंभ की गयी विभागीय कार्यवाही संपोषित नहीं की जा सकती है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया कि समरुप आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही में आगे कार्यवाही करना अर्थहीन है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि प्रत्यर्थी ने नेतरहाट सरकारी उच्च विद्यालय में अध्ययन किया है जबकि अधिकारियों ने किसी अजय कुमार नंद के बारे में जाँच किया था जिसने नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अध्ययन किया है और अभिकथित जाँच के आधार पर गलत निष्कर्ष पर आए और विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुत सामग्री का इससे कुछ भी लेना-देना नहीं है।

12. विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुख्यत: इस आधार पर रिट याचिका अनुज्ञात किया कि दांडिक मामला दोषमुक्ति में समाप्त हुआ है और कि दांडिक मामले में उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के मुकाबले विभागीय कार्यवाही में अपचारी प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप समरुप है, अत: विभागीय कार्यवाही अर्थहीन है।

13. नियोजन प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी को अजय कुमार नंद, पुत्र रामरतन प्रसाद सिंह का झूठा शिक्षण प्रमाण पत्र यह कथन करते हुए प्रस्तुत करता हुआ अभिकथित किया गया है कि वह सरकारी उच्च विद्यालय, नेतरहाट से माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और उसका समुदाय ''कुर्मी'' है। एस० डी० ओ० के रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध भा० दं० सं० की धाराओं 198, 200, 416, 420, 463, 468 और 471 के अधीन दांडिक मामला दर्ज किया गया था। दांडिक मामले में प्रत्यर्थी पर कूटरचना, नियोजन प्राप्त करने के लिए वास्तविक के रूप में कूटरचित दस्तावेज का उपयोग करने, अनुचित साधनों का उपयोग करके सरकारी सेवा प्राप्त करके सरकारी निधि के दुर्विनियोग एवं छल के आरोप लगाए गए थे।

14. विभागीय कार्यवाही में प्रत्यर्थी के विरुद्ध विरचित आरोप ये हैं कि प्रत्यर्थी का वास्तविक नाम जय प्रकाश मंडल पुत्र निर्मल मंडल है और कि प्रत्यर्थी ने अजय कुमार नंद, पुत्र रामरतन प्रसाद सिंह के नाम में सरकारी नौकरी प्राप्त किया है और कि उसने अनुचित साधनों का उपयोग करके अजय कुमार नंद का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करके अंचल कार्यालय, पकुरिया में राजस्व कर्मचारी का पद प्राप्त किया।

15. यद्यपि दांडिक मामले में आरोप और विभागीय कार्यवाही में आरोप समरुप प्रतीत होते हैं, सारत: आरोप एक ही नहीं हैं। विभागीय कार्यवाही में लगाए गए आरोप अनुचित साधनों का उपयोग करके अजय कुमार नंद के नाम में झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के लिए है। विभागीय कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति, जिसने अनुचित साधनों का उपयोग करके झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त किया है, को विभाग में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। किंतु दांडिक मामले में आरोप कूटरचना, वास्तविक के रूप में कूटरचित दस्तावेज का उपयोग करना, प्रतिरुपण, आदि है।

16. आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखने पर हमारा दृष्टिकोण है कि दांडिक न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति मात्र का विभाग द्वारा आरंभ की गयी अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रभाव नहीं है। यह

गौर करना उपयुक्त है कि यह स्थापित करने के लिए विभागीय कार्यवाही में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गयी थी कि प्रत्यर्थी वस्तुतः जय प्रकाश मंडल, पुत्र निर्मल मंडल, निवासी गाँव नंद गोला है और अजय कुमार नंद, पुत्र श्री राम रतन प्रसाद सिंह ग्राम हेतीनपुर, पो० हेतीनपुर थाना पटोरी जिला समस्तीपुर के निवासी के नाम में कूटरचित शिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया है। इस अपील में तर्कों के दौरान विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री राजीव रंजन मिश्रा ने दस्तावेजों जो उपायुक्त, पाकुड़ के समक्ष थे को अंतर्विष्ट करने वाले मुहरबंद लिफाफा को और विभागीय कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपियों को प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी के विरुद्ध विरचित आरोपों (परिशिष्ट 11) में इन दस्तावेजों/रिपोर्टों का सार निर्दिष्ट किया गया था। हमने विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुत दस्तावेजों/अनेक रिपोर्टों की छाया प्रतिलिपी का परिशीलन किया है।

17. यह सूचना प्राप्त करने पर कि प्रत्यर्थी ने झूठे नाम, पता और प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया है, प्रत्यर्थी के मूल गाँव नंद गोला, पी० एस० अंटीचक, पी० एस० पथरघट्टा, जिला भागलपुर में जाँच किया गया था। हमारे समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों (फ्लैग 1) के परिशीलन द्वारा यह प्रकट है कि नंद गोला गाँव के सह-ग्रामीणों अर्थात सिलचू यादव, सरोवर चौधरी, रामवृक्ष सिंह, चंद्रशेखर सिंह, शिव कुमार सिंह और रामशरण चौधरी ने बयान दिया है कि अजय कुमार नंद, पुत्र श्री रामरतन प्रसाद सिंह, नाम का कोई व्यक्ति ग्राम नंद गोला, जिला भागलपुर में निवास नहीं कर रहा है। जाँच के क्रम में, लड्डू मंडल, रामदहीन मंडल एवं नंद गोला गाँव के अन्य व्यक्तियों ने सूचित किया कि ग्राम नंद गोला के व्यक्ति, जिसका वास्तविक नाम जय प्रकाश मंडल, पुत्र निर्मल मंडल है, को पकुरिया में राजस्व कर्मचारी के रूप में पदस्थापित किया गया था। प्रत्यर्थी ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था कि वह नेतरहाट सरकारी विद्यालय से प्रथम श्रेणी में मैट्रिकुलेशन में उत्तीर्ण हुआ है और अंग्रेजी में 80% अंक प्राप्त किया है। यद्यपि प्रत्यर्थी नेतरहाट सरकारी उच्च विद्यालय (जो झारखंड राज्य में अत्यन्त प्रतिष्ठित विद्यालय है) से प्रथम श्रेणी में मैट्रिकुलेशन में उत्तीर्ण होने का दावा करता है और अंग्रेजी में 80% अंक प्राप्त करने का दावा करता है, एस० डी० ओ० द्वारा जाँच के दौरान यह गौर किया गया था कि प्रत्यर्थी अंग्रेजी में परीक्षा वर्ष, रॉल कोड, आदि लिखने में समर्थ नहीं था। प्रत्यर्थी यह भी नहीं जानता था कि नेतरहाट सरकारी उच्च विद्यालय कहाँ अवस्थित है।

18. कार्यपालक दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार द्वारा नेतरहाट विद्यालय में तुरंत जाँच किया गया था। जाँच करने पर यह पाया गया था कि अजय कुमार नंद, पुत्र रामरतन प्रसाद सिंह वर्ष 1984 में नेतरहाट सरकारी उच्च विद्यालय से प्रथम श्रेणी में मैट्रिकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था और कि उक्त रामरतन प्रसाद सिंह राजकीय मध्य विद्यालय, रातू, राँची में शिक्षक के रूप में पदस्थापित है। कार्यपालक दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार ने राँची में उक्त श्री रामरतन प्रसाद सिंह का परीक्षण किया जिसने दिनांक 3.4.1994 को बयान दिया कि उसका पुत्र अजय कुमार नंद वर्ष 1984 में नेतरहाट विद्यालय से मैट्रिकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सेंट जेवियर महाविद्यालय, राँची से वर्ष 1984-86 के दौरान इंटर विज्ञान पूरा किया और वर्ष 1986-90 के दौरान सिंद्री इंजीनियरिंग महाविद्यालय से इंजीनियरिंग किया और दिल्ली से यू० पी० एस० सी० की तैयारी कर रहा है। उक्त राम रतन प्रसाद सिंह ने कथन किया कि उसका पुत्र अजय कुमार नंद कहीं नहीं काम कर रहा है और यदि किसी को अजय कुमार नंद, पुत्र रामरतन प्रसाद सिंह के नाम में नियुक्त किया गया है, तब वह उसका पुत्र नहीं है और उसने अनुरोध किया कि उस व्यक्ति, जिसे अजय कुमार नंद के नाम में सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था, के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। नंदगोला के ग्रामीणों के बयान, सब डिविजनल अधिकारी, पाकुड़ के रिपोर्ट

और कार्यपालक दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार के रिपोर्ट के आधार पर जाँच अधिकारी ने पाया कि आरोप सिद्ध किया गया था और कि प्रत्यर्थी ने कपट और छल किया है और सरकारी नौकरी प्राप्त किया है।

19. इस अपील में, तर्क के दौरान प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सरकारी उच्च विद्यालय, नेतरहाट में अजय कुमार नंद द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का विवरण अंतर्विष्ट करने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि प्रत्यर्थी सरकारी उच्च विद्यालय, नेतरहाट से मैट्रिकुलेशन में उत्तीर्ण हुआ है जबकि अधिकारियों द्वारा की गयी जाँच नेतरहाट के आवासीय विद्यालय के किसी अजय कुमार नंद से संबंधित थी। जाँच अधिकारी के समक्ष दाखिल कारण बताओ (परिशिष्ट 12) में प्रत्यर्थी ने यह बिंदु नहीं उठाया है कि उसने नेतरहाट सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है और कि एक अन्य अजय कुमार नंद ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अध्ययन किया है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने नेतरहाट सरकारी उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अभिकथित रूप से जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था। प्रत्यर्थी ने जाँच अधिकारी के समक्ष अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष मूल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र अथवा इसकी अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं किया था।

20. दांडिक मामले में दोषमुक्ति मात्र स्वयं में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है। आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखने पर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया जा सकता है भले ही अपचारी अधिकारी को दांडिक आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था। जैसा **पुलिस आयुक्त, नयी दिल्ली एवं एक अन्य बनाम मेहर सिंह, (2013)7 SCC 685,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ दांडिक मामले में प्रमाण का स्तर समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाण है, विभागीय कार्यवाही में प्रमाण अधिसंभाव्यता की बहुलता है।

21. पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं एक अन्य बनाम एस॰ समुथिरम, (2013)1 SCC 598, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिव्यक्ति 'सम्मानपूर्वक दोषमुक्ति'' पर विचार किया गया था। एस॰ समुथिरम में अभिव्यक्ति 'सम्मानपूर्ण दोषमुक्ति' के अर्थ पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 25 और 26 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

"25. vkj0 ih0 dij cuke Hkkjr l?k e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd nk"kefDr d ekey e Hkh foHkkxh; dk;okgh dh tk ldrh g tgk nk"kefDr lEekuuh; l fHkUu gA v le jkT; cuke jk?ko jktxkikykpkjh u bl U;k;ky; u jkcV LVvV okmpki cuke lekV e ykM fofy;El] U;k;efr }kjk vfHk0;Dr nf"Vdk.k dk vueknu d lkFk m)r fd;k tk fuEufyf[kr g% ^jk?ko ekeyk] ,l0 ,y0 vkj0 i"B 47 ijk 8)

"8. ...... vfHk0;fDr ^^lEekuuh; :i l nk"keDr** U;k;ky;k dk vKkr gA çdVr% ;g dkV ek'ky ,o vU; U;kf;drj vfèkdj.kk e ç;Dr vkn'k dk :i gA geu viu fu.k; e dgk fd geu vihykFkh }kjk fn;k x;k Li"Vhdj.k Lohdkj fd;k g] bl lR; ekuk vkj fopkj fd;k fd ljdkjh çkfèkdkfj;k vkj nMkfèkdkjh }kjk bl Lohdkj fd;k tkuk pkfg, FkkA vkx geu fu.k; fd;k fd vihykFkh u vkjkik e fufn"V èku dk nfofu;kx ugh fd;k FkkA bl çdkj ;g Li"V g fd gekj fu.k; dk çHkko ;g Fkk fd vihykFkh dk mruk gh ijh rjg nk"keDr fd;k x;k Fkk ftruk mldk nk"keDr fd, tku d fy, lHko FkkA lHkor% ;g mld lerY; g ftl ljdkjh çkfèkdkjh ^^lEekuuh; :i l nk"keDr** dgr gA*

*26. geu igy gh minf'kr fd;k g fd iucgkyh d fy, lok fu;ek e fdlh çkoèkku dh vuifLFkfr e] ;fn depkjh dk nkfMd U;k;ky; }kjk lEekuuh; :i l nk"keDr fd;k tkrk g] iucgkyh lfgr fdlh ykHk dk nkok dju d fy, depkjh ij vfèkdkj çnUk ugh fd;k tkrk gA dkj.k ;g g fd nkfMd U;k;ky; }kjk O;fDr dk nk"kh vfHkfuèkkfjr dju d fy, çek.k dk Lrj vkj vu'kklfud dk;okgh d :i e dh x;h tkp e çek.k dk Lrj fcYdy fHkUu gA nkfMd ekey e] vfHk;Dr d nk"k dk LFkkfir dju dk Hkkj vfHk;kstu ij g vkj ;fn ;g leLr ;fDr;Dr lng d ij nk"k LFkkfir dju e foQy jgrk g] vfHk;Dr dk funk"k mièkkfjr fd;k tkrk gA ;g lfuf'pr fofèk g fd nkfMd U;k;ky; e nk"k LFkkfir dju d fy, vko';d çek.k dk dBkj Hkkj vu'kklfud dk;okgh e vko';d ugh g vkj vfèklHkkO;rkvk dh cgyrk i;klr gA ,l ekey gk ldr g tgk O;fDr dk VfDudy dkj.kk l vFkok vfHk;kstu }kjk vU; xokgk dk NkM nu D;kfd xokgk e l dN i{knkgh cu x, d dkj.k nk"keDr fd;k tkrk gA oreku ekey e] vfHk;kstu u vud fu.k;dkjh xokgk dk ijh{k.k dju d fy, bl vkèkkj ij dne ugh mBk;k Fkk fd ifjoknh vkj mlds iRuh i{knkgh cu x, FkA vr%] U;k;ky; u lng dk ykHk nr g, vfHk;Dr dk nk"keDr dj fn;kA ge ;g dgu d fy, r;kj ugh g fd oreku ekey e çR;Fkh dk nkfMd U;k;ky; }kjk lEekuuh; :i l nk"keDr fd;k x;k Fkk vkj ;fn ,lk g] rc Hkh og iucgkyh dk nkok dju dk gdnkj ugh g D;kfd rfeyukM lok fu;ekoyh ,lk çkoèkkfur ugh djrh gA***

22. पुलिस आयुक्त, नयी दिल्ली एवं एक अन्य बनाम मेहर सिंह, (2013)7 SCC 685, के निर्णय में एस० सामुथिरम मामले को निर्दिष्ट एवं अनुसरित किया गया था और यह संप्रेक्षित किया गया था कि प्राय: दांडिक मामले दोषमुक्ति में इसलिए समाप्त होते हैं क्योंकि गवाह पक्षद्रोही हो गए थे अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया था। ऐसी दोषमुक्ति गुणागुण पर दोषमुक्ति नहीं है। संदेह के लाभ पर आधारित दोषमुक्ति पूर्णरुपेण विचारण के बाद गुणागुण पर स्पष्ट दोषमुक्ति के समतुल्य नहीं होगी जहाँ कोई उपदर्शन नहीं है कि गवाहों को जीत लिया गया था। **आर० पी० कपूर बनाम भारत संघ, AIR 1964 SC 787,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दृष्टिकोण अपनाया है कि विभागीय कार्यवाही जारी रह सकती है भले ही व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया है जब दोषमुक्ति सम्माननीय रूप से भिन्न है।

23. उक्त की दृष्टि में, हम परीक्षण करें कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध दांडिक मामले में दोषमुक्ति की प्रकृति क्या है। दांडिक न्यायालय के निर्णय (परिशिष्ट 10) के परिशीलन से यह देखा गया है कि केवल सूचक जिसने मामला दर्ज किया और जो जाँच अधिकारी भी था, का परीक्षण किया गया था। दांडिक मामले में दस्तावेज प्रस्तुत एवं चिन्हित नहीं किए गए थे। न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ ने इंगित किया कि सूचक जो जाँच अधिकारी भी था, के अलावे किसी अन्य गवाह की परीक्षा अभियोजन द्वारा नहीं किया गया था और अभियोजन ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। मामला मुख्यत: गवाहों के गैर-परीक्षण, दस्तावेजी साक्ष्य के अप्रस्तुतीकरण के कारण और प्रत्यर्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्ति में समाप्त हुआ।

24. हमारा दृष्टिकोण है कि दांडिक मामले में प्रत्यर्थी को दांडिक न्यायालय द्वारा सम्मानपूर्वक दोषमुक्त नहीं किया गया था, बल्कि केवल गवाहों के गैर परीक्षण और दस्तावेजों के अप्रस्तुतीकरण के कारण प्रत्यर्थी को संदेह का लाभ दिया गया था और उसे दोषमुक्त किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन पहलूओं को ध्यान में नहीं रखा गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश मात्र इस आधार पर कि दांडिक मामला दोषमुक्ति में समाप्त हुआ, बर्खास्तगी के दंड में हस्तक्षेप करने में सही नहीं थे। आरोपों

की गंभीरता को ध्यान में रखने पर कि प्रत्यर्थी ने जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर नियोजन प्राप्त किया था, प्रत्यर्थी को विभाग में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और हमारा दृष्टिकोण है कि सेवा से बर्खास्तगी का दंड आरोपों की गंभीरता के अनुरुप है और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को संपोषित नहीं किया जा सकता है और यह अपास्त किए जाने का दायी है।

25. अतः, सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 5762 वर्ष 2000P में पारित दिनांक 19.11.2011 के आदेश को अपास्त किया जाता है। एल॰ पी॰ ए॰ अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

विश्वास कुमार बर्णवाल

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3839 of 2013. Decided on 21st November, 2013.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक आवेदन के मामले में।

सेवा विधि–पारिवारिक पेंशन–किसी व्यक्ति का नामांकन उस व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी बन जाने का हकदार नहीं बनाता है–नाम निर्देशिती केवल उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति निष्पादित अथवा वितरित करने के लिए संपत्ति धारण करता है–संपत्ति की हकदारी को उत्तराधिकार की विधि के अनुसार विनिश्चित करना होगा–कर्मचारी अपने जीवनकाल के दौरान किसी व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित नहीं कर सकता है क्योंकि भूतपूर्व कर्मचारी का पारिवारिक पेंशन के उपर कोई दावा नहीं होगा और वह किसी व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन विरासत में देते हुए वसीयत नहीं कर सकता है–अभिलेख पर कोई निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं लाया गया जो याची का दावा स्थापित कर सकता था–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 17, 23 एवं 26)

निर्णयज विधि.–AIR 1924 Sind 57; AIR 1928 Lahore 773; AIR 1957 Mad 115; (1984) 1 SCC 424; (2000) 6 SCC 724; AIR 1945 Pat 475; (1897) ILR 19 AH. 458; (1993) 2 SCC 507—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. K.P. Deo, For the Petitioner; Mr. A.K. Mishra, For the Resp. Nos. 1 to 6; Mr. S. Shrivastava, For the Resp. No.7.

न्यायालय द्वारा.–याची किसी गायत्री प्रसाद वर्णवाल का जी॰ पी॰ एफ॰, उपदान, अवकाश नगदकरण सामूहिक बीमा, आदि सहित सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान उसको किए जाने के लिए निर्देश इप्सित करते हुए इस न्यायालय के पास आया है।

2. अनावश्यक विवरणों को छोड़ते हुए संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि किसी गायत्री प्रसाद बर्णवाल जिसे दिनांक 12.7.1994 को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था की मृत्यु दिनांक 24.10.2008 को हो गयी। उसने दिनांक 12.4.2007 को याची के पक्ष में वसीयत निष्पादित किया और उक्त वसीयत दिनांक 10.10.2012 को प्रोबेट किया गया था। उसने दिनांक 19.3.2007 को कार्यालय में आवेदन भी दाखिल किया और दो गवाहों अर्थात् सुरेश सिंह, कनीय क्षेत्र अन्वेषक एवं अनिल दूबे, बी॰ एस॰ एस॰ की उपस्थिति में याची को नामांकित करते हुए जी॰ पी॰ एफ॰ फॉर्म भी भरा। इन तथ्यों में याची ने दावा किया है कि उक्त गायत्री प्रसाद बर्णवाल के सेवानिवृत्ति देयों को उसको दिया जाना चाहिए।

3. याची के दावा से इनकार करते हुए इस आधार पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि किसी प्रतिमा कुमारी जो उक्त गायत्री प्रसाद वर्णवाल की दत्तक पुत्री थी ने भी समरुप दावा किया है।

4. दोनों पक्षों के अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ पी॰ देव ने निवेदन किया है कि चूँकि मृतक कर्मचारी अर्थात् गायत्री प्रसाद वर्णवाल द्वारा जी॰ पी॰ एफ॰ फॉर्म में याची का नाम नामांकित किया गया था और उसने याची के पक्ष में वसीयत निष्पादित किया था जिसमें भी यह विनिर्दिष्टत: कथन किया गया है कि याची को उक्त गायत्री प्रसाद बर्णवाल के सेवानिवृत्ति देयों को प्राप्त करने के लिए नामांकित किया गया है और चूँकि, उक्त वसीयत विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा प्रोबेट किया गया है, अत: याची गायत्री प्रसाद वर्णवाल के सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान पाने का हकदार है।

6. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ मिश्रा ने निवेदन किया है कि चूँकि मृतक कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारी के संबंध में विवाद है, याची के दावा को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि जी॰ पी॰ एफ॰ फॉर्म में याची के पक्ष में नामांकन भी संदेहास्पद है। यद्यपि अभिकथित वसीयत को प्रोबेट किया गया है, किसी प्रतिमा कुमारी, जिसने स्वयं का मृतक कर्मचारी की दत्तक पुत्री होने का दावा किया, को प्रोबेट कार्यवाही में नोटिस कभी नहीं दिया गया था और इसलिए, याची का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

7.प्रत्यर्थी सं॰ 7 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन श्रीवास्तव ने निवेदन किया है कि किसी व्यक्ति का नामांकन केवल उस हाथ को उपदर्शित करता है जो राशि प्राप्त करेगा और यह इस प्रकार नामांकित व्यक्ति पर राशि के स्वामित्व का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता है। विद्वान अधिवक्ता ने **(1984)1 SCC 424** और **(1991)1 SCC 725,** में प्रकाशित निर्णयों को निर्दिष्ट किया है।

8. परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर मेरा मत है कि इस मामले में अंतर्ग्रस्त संक्षिप्त बिंदु यह है कि ''सेवानिवृत्ति लाभों को प्राप्त करने के लिए याची के नामांकन का क्या प्रभाव है?''

9. शब्द ''नामांकन'' को ब्लैक के विधि शब्दकोष में "1. निर्वाचन अथवा नियुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रस्तावित करने के कृत्य, 2. पद, सदस्यता, पुरस्कार अथवा समान उपाधि अथवा दर्जा के लिए व्यक्ति को नामित अथवा पदनामित करने के कृत्य'' के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल्सबरी के विधि शब्दकोष में भी शब्द ''नामांकन और मृत्यु पर भुगतान'' पर निम्नलिखित रूप से चर्चा किया गया है:–

> *"189.* ***ukekadu ,o eR;q ij Hkxrku*** *&jk"Vh; cpr LVkd jftLVj ij jftLVM LVkd èkkjd] ;fn og èkkjd Fkk ftlus 16 o"k dh vk;q çkIr dj yh ;k g] dk 1 eb] 1981 d igy ;g fun'k nrk g, fd mldh eR;q ij mld }kjk rc èkkj.k fd, x, vkj mld uke e jftLVj fd, x, fdlh LVkd e mldk fgr ukekadu e fofufn"V 0;fDr ;k ij vkj fofufn"V v'kk ,o [kMk e U;kxr fd;k tkuk pkfg,] ukekadu dju dh 'kfDr FkhA tgk] bl çdkj jftLVM fdlh LVkd d èkkjd dh eR;q ij LFkku] tgk èkkjd viuh eR;q dh frfFk ij fuokl djrk Fkk] dh fofèk d vu#i Hkxrku fd;k tkrk g] Hkxrku dk lE;d :i l fd;k x;k le>k tkrk g tc rd] Hkxrku fd, tku d igy] cpr fun'kd u fyf[kr e vfèklfpr ugh fd;k Fkk fd èkkjd ml le; ij dgh vkj vfèkokfIr FkkA dfri; vioknk d vèkhu] èkkjd dh eR;q ij fdlh Hkxrku vFkok vrj.k fd, tk ldu d igy eR;q ij çHkkj ;kX; dj d Hkxrku d çfr vrn'kh; jktLo vk;Dr l oDr0; dh çLrfr vko';d g ftld fofufn"V vkfLr;k dk dy eY; £50,000/- (ikmUM) l vfèkd gA*

bl idkj jftLVM LVkd d ekey e cpr fun'kd dk fdlh LVkd] nLrkot vFkok èku d ifr fdlh O;fDr d gd vFkok fdlh O;fDr dh igpku dk mld lrk"kkulkj lk{; fn, tku dh vko';drk gk ldrh gA ,lk dkb c;ku vFkok lpuk fd O;fDr d ckj e lkr o"kk vFkok vfèkd rd luk ugh x;k g] eR; d fu'p;kRed iek.k d :i e Lohdkj fd;k tk ldrk gA

*tgk èkkjd dh eR; d le; ij èkfr dk eY; £50,000/- (ikmUM) d ij ugh g vFkok] ;FkkfLFkfr] mldh eR; d le; ij tek dju oky dk n; jkf'k C;kt l vuU; £50,000 (ikmUM) l vfèkd ugh g çkcV vFkok ç'kklu i= vko';d cuk, fcuk gdnkj lefpr O;fDr dk Hkxrku fd;k tk ldrk gA***

10. नामांकन के विधिक प्रभाव पर काफी पहले वर्ष 1924 में **''आयमाई बनाम अवाबाई धनजीरशाव जमशेरजी एवं अन्य,'' AIR 1924 Sind 57,** में विचार किया गया था। उक्त मामले में, किसी मास्टर (स्वामी), प्रासंगिक समय पर विधुर, द्वारा अपनी एकमात्र पुत्री आयमाई के पक्ष में किए गए नामांकन को उसकी दूसरी पत्नी जो उत्तरजीवी रही द्वारा और दूसरी पत्नी के संतानों द्वारा मृतक की संपदा होने के नाते भविष्य निधि की राशि का दावा करते हुए और इस प्रकार विधवा (दूसरी पत्नी अवाबाई) को दिए जाने के लिए चुनौती दी गयी थी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नाम निर्देशिती मात्र नामांकन के फलस्वरुप कोई अधिकार अथवा हक नहीं पाता है। न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

*^^e> ;g l>ku e ldkp djuk pkfg,] tc rd lfofèk vkj mld vèkhu fojfpr fu;ek d 'kCn Li"V ugh g] fd Hkfo"; fufèk d vfHknkrk ij ,lk vLokHkkfod vU;k; fd;k tkuk ckè;dkjh cuk;k x;k FkkA e dYiuk dj ldrk g fd D;k Hkfo"; fufèk dk mÙkjkfèkdkj dh ,lh fofp= fofèk ij%LFkkfir djuk pkfg,A e lfofèk;k e ,lk dN Hkh ugh ikrk g tk ej fy, bl nf"Vdk.k dk viukuk ckè;dkjh cukrk gA èkkjk 4, tlk 1903 d vfèkfu;e IV }kjk l'kkfèkr fd;k x;k g] dk mí'; vfHknkrk }kjk n; _.k d fy, ukefunf'krh d gkFkk e fufèk dk ddh d fy, v{ke cukuk gA ;g lR; g fd foèkkueMy 'kCn ^^fufgr** dk mi;kx djrk g fdr og 'kCn vko';dr% gd ugh trykrk gA O;fDr ftle fdlh vU; dh lifÙk fufgr gkrh g] d ikl lifÙk d mij vkfèkiR; dk ogh vfèkdkj g tk Lokeh dk gkrk] u T;knk vkj u de fdr fdlh dk mldh lifÙk dk C;kgkj dju dk vfèkdkj ugh g tk vU; d fofèkd nkok dk ijkftr dj ldA***

11. ''हरदयाल देवी दित्ता बनाम जानकी दास एवं एक अन्य, ''AIR 1928 Lahore 773 में अभिनिर्धारित किया गया है कि,:–

*^^ukekdu uke funf'krh d i{k e olh;r] vFkok nku vFkok U;kl d rY; ugh gkxkA uke funf'krh dk doy jkf'k çkIr dju dk vfèkdkj gkxk vkj og mÙkjkfèkdkfj;k d ykHk d fy, jkf'k èkkj.k djrk gA***

12. ''डी॰ मोहनावेलू मुदलियार एवं एक अन्य बनाम इंडियन इंश्योरेंस एवं बैंकिंग कॉरपोरेशन लि॰, सालेम एवं एक अन्य'', AIR 1957 Mad 115, में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के विस्तार पर विचार किया गया था और न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

" tgk rd ukekdu dk lcèk g] ge] ,d vkj] bxfy'k ,o vefjdu fofèk;k vkj nljh vkj gekj n'k dh fofèk;k d chp dkb ljkguh; fHkUurk ugh n[kr gA bxfy'k fofèk d vulkj] ikuokyk vFkok uke funf'krh èku çkIr dju oky ,tUV l vfèkd dN Hkh ugh g tk èku chekÑr dh lifÙk d :i e cuk jgrk g vkj

*mldh eR; ij link dk Hkkx fufer djrk gA ifj.kke ;g g fd ikuokyk vFkok uke funf'krh ble dkb ykHkak;h fnypLih ugh yrk gA***

13. ''रामबल्लभ ढनढनिया बनाम गंगाधर नाथमल'', AIR 1956 Cal. 275, में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नामांकन केवल उस व्यक्ति को उपदर्शित करता है जिसे धन प्राप्त करना चाहिए जब स्वामी की मृत्यु होती है। धन पानेवाला धन का स्वामी नहीं है। वह केवल धन संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत है। नामनिर्देशिती धन का स्वामी नहीं बनता है। बीमा अधिनियम की धारा 39(6) शब्दों ऐसे नामनिर्देशिती धन का स्वामी नहीं बनता है। बीमा अधिनियम की धारा 39(6) शब्दों ऐसे नाम निर्देशिती को ''भुगतेय होगा'' का उपयोग करती है। इस प्रकार, बीमा अधिनियम हक का प्रश्न विनिश्चित किए बिना नामनिर्देशिती को बीमा पॉलिसी से धन प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता से अधिक कुछ नहीं बनाता है। **''सरोजिनी अम्मा बनाम नीलाकंठ पिल्ले,'' AIR 1961 Kerala 126,** में केरल उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा उक्त दृष्टिकोण अभिपुष्ट किया गया है।

14. याची गायत्री प्रसाद वर्णवाल द्वारा लिखित दिनांक 9.3.2007 के आवेदन की प्रति और बिहार जी॰ पी॰ एफ॰ नियमावली, 1948 की प्रथम अनुसूची के अधीन फॉर्म की प्रति, जिसमें उसका नाम ''नामनिर्देशिती'' के रूप में सामने आता है, को अभिलेख पर लाया है। इन दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि जहाँ तक जी॰ पी॰ एफ॰ राशि का संबंध है, याची इसे प्राप्त करने का हकदार है। जैसा यहाँ उपर गौर किया गया है, व्यक्ति के नामांकन से संबंधित विधि को निर्णयों की श्रृंखला द्वारा सुनिश्चित किया गया है। **''शिप्रा सेनगुप्ता बनाम मृणाल सेन गुप्ता एवं अन्य,'' (2009)10 SCC 680,** में विवाद्यक था कि ''क्या अपने विवाह के पहले भविष्य निधि के सदस्य द्वारा माता का नामांकन नाम निर्देशिती पर स्वामित्व प्रदत्त करता है और उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन विधवा पत्नी के उत्तराधिकार के अधिकार को विनष्ट करता है?'' और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी शीर्ष के अधीन राशि नाम निर्देशिती द्वारा प्राप्त की जा सकती है किंतु उनको शासित करने वाले उत्तराधिकार की विधि के अनुरूप मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा राशि का दावा किया जा सकता है।

15. ''सरबती देवी (श्रीमती) एवं एक अन्य बनाम उषा देवी (श्रीमती),'' (1984)1 SCC 424, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि,–

*^^chek vfèkfu;e] 1939 dh èkkjk 39 d vèkhu fd, x, ukekdu ek= dk chekÑr dh eR; ij thou chek ikfylh d vèkhu Hkxr; jkf'k e fdlh ykHkak;h fgr dk ukefunf'krh ij çnÙk dju dk çHkko ugh gA ukekdu doy ml gkFk dk minf'kr djrk g tk jkf'k çklr dju d fy, çkfèkÑr g ftld Hkxrku ij chekdrk ikfylh d vèkhu viu nkf;Ro dk oèk fuogu djrk gA fdr] jkf'k dk nkok mudk 'kkflr dju oky mÙkjkfèkdkj dh fofèk d vu#i chekÑr d mÙkjkfèkdkfj;k }kjk fd;k tk ldrk gA***

16. ''सरबती देवी'' में निर्णय को ध्यान में लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **''विषिण एन॰ कंचनदानी बनाम विद्या लक्ष्मनदास खानचनदानी,'' (2000)6 SCC 724,** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"13. ......ljcrh noh e bl U;k;ky; }kjk vfèkdfFkr fofèk çHkkoh g vkj vfèkfu;e dh èkkjk 6 lg&ifBr èkkjk 7 d vèkhu mld }kjk çklr fd, x, jk"Vh; cpr çek.k i=k d dkj.k jkf'k d Hkxrku dk gdnkj cuu oky uke funf'krh ij leku :i l ç;kT; g tk cny e vfèkfu;e dh èkkjk 8 dh miekkjk (2) d çkoèkkuk d vè;èkhu mudk jkf'k ykVku dk nk;h g ftud i{k e fofèk ykHkak;h fgr lftr djrh gA***

17. पूर्वोक्त निर्णयों से, किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता है कि व्यक्ति का नामांकन व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी बनने के लिए हकदार नहीं बनाता है। नाम निर्देशिती केवल विधिक उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति निष्पादित अथवा वितरित करने के लिए संपत्ति धारण करता है और संपत्ति की हकदारी को उत्तराधिकार की विधि के अनुसार विनिश्चित करना होगा। रिट याचिका में प्रकट किए गए तथ्यों से यह प्रतीत नहीं होता है कि याची विधिक उत्तराधिकारी की कोटि के अधीन आता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या मृतक कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिमा कुमारी का दावा किसी न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है और इसलिए, विधिक उत्तराधिकारियों के बीच वितरण के प्रयोजन से भी याची द्वारा किया गया दावा ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

18. अगला प्रश्न वसीयत के प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र के प्रदान के विधिक प्रभाव का है। **''काशीनाथ सिंह बनाम दुल्हिन गुलजारी,'' AIR 1945 Patna 475,** में वसीयत के प्रोबेट के प्रभाव पर विचार किया गया है जिसमे शीयरर, न्यायमूर्ति ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^olh;r d çkcV d fy, vFkok olh;r dh lyXu çfr d lkFk ç'kklu i= d çnku d fy, vkonu e ,d ek= ç'u tk mnHkr gkrk g ;g g fd D;k foy lPpk g ;k ugh A çkcV U;k;ky; dk ;g fofuf'pr dju dh NV ugh g fd D;k lifÙk ftld lkFk olh;rdrk u C;kgkj dju dk rkRi;Z j[kk g] oLrr% mldh g ;k ugh--------**

19. **''बृजनाथ डे बनाम चंदर मोहन बनर्जी,'' (1897)ILR 19 AH.458,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह लोकहित में अधिक सुरक्षित है कि संपत्ति के हक के प्रति विवाद्यक को तब विनिश्चित किया जाना चाहिए जब विवाद्यक नियमित वाद में उठाया जाता है और न कि प्रोबेट प्रदान करने के लिए आवेदन पर। केवियटकर्ता के आवेदन को यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि केवियटकर्ता, जो विहितकरण द्वारा अपने अभिकथित हक के कारणों से भिन्न हैसियत में संपत्ति में हित का दावा नहीं करता है, को प्रोबेट न्यायालय द्वारा सुने जाने का अधिकार नहीं था।

20. **''जॉन साइमन बनाम जॉर्ज जॉन,'' AIR 1955 Trav Co 177, 179,** में टी॰ के॰ जोसेफ, न्यायमूर्ति ने संप्रेक्षित किया:–

> *^^rd d lcèk e fd vkonu lifÙk d çfr gd d fookfnr ç'u ij çkcV U;k;ky; l fu.k; ikIr dju dh ikjn'kh ;fDr g] ;g n[kuk ef'dy g fd fdl çdkj çkcV U;k;ky; e fu.k; ifrokfnr vfHkèkku okn e ,d ;k nlj rjhd l i{kk dh lgk;rk dju e çofrr gk ldrk gA çkcV vFkok ç'kklu i= dk çnku doy olh;r dh okLrfodrk vkj 0;fDr] ftldk link dk çfrfufèkRo dju d fy, bl çnku fd;k tkrk g] d vfèkdkj dk fu.k;dkjh gA vr% ;g dguk vlHko g fd lyXu olh;r dh çfr d lkFk çkcV vFkok ç'kklu i= dk çnku gd d fdlh ç'u d fofu'p;dj.k d çfr vFkok olh;r d vFkkUo;u d fy, okn d çfr otuk gkxkA ;g rF; fd rrh; i{kk u lifÙk;k e vfèkdkjk dk vftr dj fy;k gkxk] çkcV vFkok ç'kklu i= l budkj dju dk vkèkkj ugh gk ldrk g D;kfd ,d nlj ij çfrdy çHkko ugh Mky ldrk g ;k çfrdfyr ugh gk ldrk gA**

21. **ईश्वरदेव नारायण सिंह बनाम कामता देवी एवं अन्य,'' AIR 1954 SC 280,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^çkcV U;k;ky; dk ljkdkj doy bl ç'u l g fd D;k erd 0;fDr d vfre olh;r vkj olh;r d :i e lkeu yk;k x;k nLrkot fofèk d vu#i lE;d :i l fu"ikfnr ,o vuçekf.kr fd;k x;k Fkk vkj D;k fu"iknu d ,l*

*le; ij olh;rdrk food'khy FkkA ;g ç'u fd D;k olh;r fo'k"k vPNk g ;k cjk] çkcV U;k;ky; d dk;{k= d vrxr ugh gA ;g vk'p;tud g fd fdl çdkj nkuk voj U;k;ky;k }kjk fofèk d bl çkjfHkd fl)kr dk vun[kk dj fn;k x;k FkkA fdr] pfd çR;Fkhx.k d fy, mifLFkr fo}ku vfèkoDrk u bl vkèkkj dk leFku djuk bfIlr ugh fd;k g] ml ij vkx dN dgu dh vko';drk ugh gA***

22. ''चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका बनाम जसजीत सिंह एवं अन्य,'' (1993)2 SCC 507, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ईश्वरदेव नारायण सिंह (ऊपर)** में दिये गये निर्णय को ध्यान में लेने के बाद निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *15. "...........vr% çkcV dk;okgh e fook|d doy olh;r dh okLrfodrk ,o lE;d fu"iknu l lcfèkr g vkj U;k;ky; Lo; bl fofuf'pr dju vkj viuh vfHkj{kk e olh;r dk ifjjf{kr dju d drO; d vèkhu gA mÙkjkfèkdkj vfèkfu;e Lo&vrfo"V lfgrk g tgk rd çkcV d fy, vkonu nu] çkcV d çnku vFkok budkj] vFkok çkcV U;k;ky; d fu.k; d fo#) vihy d ç'u dk lcèk gA ;g vfèkfu;e d çkoèkkuk d mÙkkyu e ijh rjg Li"V gA olh;r dh lyXu çfr d lkFk çkcV dk çnku fu"iknudrk d fu;fDr vkj olh;r d oèk fu"iknu dk fu'p;kRed :i l LFkkfir djrk gA bl çdkj] ;g olh;r d rF; vkj fu"iknudrk d fofèkd pfj= dk LFkkfir dju l vfèkd dN ugh djrk gA çkcV U;k;ky; gd d fdlh ç'u vFkok Lo; lifÙk d vfLrRo dk fofuf'pr ugh djrk gA***

23. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मात्र इसलिए कि गायत्री प्रसाद बर्णवाल द्वारा निष्पादित वसीयत प्रोबेट किया गया है, याची मृतक कर्मचारी के सेवानिवृत्ति देयों के उपर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है। जहाँ तक पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संबंध है, याची की हकदारी के प्रश्न पर आते हुए मैं पाता हूँ कि कर्मचारी अपने जीवनकाल के दौरान किसी व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित नहीं कर सकता है क्योंकि भूतपूर्व कर्मचारी का पारिवारिक पेंशन के उपर दावा नहीं होगा और इसलिए, वह किसी व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन वसीयत करते हुए वसीयत नहीं कर सकता है।

24. ''जी॰ एल॰ भाटिया बनाम भारत संघ एवं एक अन्य,'' (1999)5 SCC 237, में पत्नी, एक केंद्रीय सरकारी सेवक, द्वारा नामांकन पति के पक्ष में नहीं था क्योंकि उन दोनों के बीच संबंध में मन–मुटाव था और दोनों अलग रह रहे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिवाद को अस्वीकार किया कि चूँकि नामांकन पति के पक्ष में नहीं था, वह पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूँकि पति–पत्नी के बीच तलाक नहीं हुआ था और यद्यपि वे अलग रह रहे थे, पति नियमों के निबंधनानुसार पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा और इसलिए, प्राधिकारियों ने मृतक पत्नी द्वारा किए नामांकन के आधार पर पति को पारिवारिक पेंशन प्रदान नहीं करने में गलती किया।

25. ''श्रीमती बॉयलेट इसाक एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1991)1 SCC 725, में जब विधवा ने पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए आवेदन दिया यद्यपि कटु संबंध के कारण पति ने सेवानिवृत्ति लाभों को प्राप्त करने के लिए अपने भाई को नामांकित किया था और अपनी समस्त संपत्ति उसको वसीयत में देते हुए अपने भाई के पक्ष में वसीयत भी निष्पादित किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पारिवारिक पेंशन योजना मृतक कर्मचारी की विधवा और अवयस्क संतानों को अनुतोष प्रदान करने के लिए है और चूँकि नियम पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए अपने जीवनकाल

के दौरान मृतक कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति को नामांकित करने के लिए प्रावधान नहीं बनाता है, मृतक कर्मचारी का इसके प्रति हक नहीं था और इसलिए, उसे वसीयत द्वारा अपने भाई को नामांकित करके इसका निपटान नहीं करना चाहिए था।

26. वर्तमान मामले में, अभिलेख पर कोई निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं लाया गया है जो किसी व्यक्ति का उक्त गायत्री प्रसाद वर्णवाल के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में दावा स्थापित करेगा, यद्यपि किसी प्रतिमा कुमारी ने उक्त गायत्री प्रसाद वर्णवाल के दत्तक पुत्री के रूप में दावा किया है और उसने याची के विरुद्ध गंभीर अभिकथन किया है। मेरा दृष्टिकोण है कि उक्त गायत्री प्रसाद वर्णवाल के सेवानिवृत्ति लाभों की राशि प्राप्त करने के लिए भी याची के पक्ष में निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की दृष्टि में याची गायत्री प्रसाद वर्णवाल द्वारा अपने नामांकन और निष्पादित वसीयत के आधार पर गायत्री प्रसाद वर्णवाल के सेवानिवृत्ति लाभों के उपर स्वामित्व के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

27. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

मरियम तिर्के (506 में)

सुदर्शन खाखा (509 में)

पुष्पा सैमुअल (512 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (सभी में)

W.P. (S) Nos. 506, 509 with 512 of 2013. Decided on 3rd January, 2014.

बिहार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन का अधिग्रहण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981—धाराएँ 2(c) एवं 18—याचीगण के अवकाश नगदकरण की राशि की निर्मुक्ति के लिए दावा–क्या गैर सरकारी सहायित/अल्पसंख्यक, विद्यालयों में नियोजित शिक्षक अवकाश नगदकरण का लाभ ले सकते है या नहीं–मूल बिहार राज्य से विभाजन के बाद उत्तरजीवी झारखंड राज्य द्वारा अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों को अपनाया एवं अनुसरित किया गया है–सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित निर्णयाधार को लागू करते हुए याचीगण अवकाश नगदकरण के हकदार हैं–एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अच्छी विधि नहीं है–तद्नुसार, निर्देश का उत्तर दिया गया। (पैराएँ 18 एवं 19)

निर्णयज विधि.–2013 (4) JBCJ 421 (HC): (2007) 4 JCR 1 (Jhr) (FB); (2005) 10 SCC 346—Applied.

अधिवक्तागण.–Mr. Rahul Kumar, For the Petitioners; M/s. Ratnakar Bhengra, Abhay Kr. Mishra, For the Respondents.

आर॰ बानुमथी, मुख्य न्यायाधीश.–याचीगण घोषणा इप्सित करते हैं कि दिनांक 29.6.83 के पत्र सं॰ 68 में अंतर्विष्ट बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प का खंड 9 संवैधानिक है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 और 300A के उल्लंघन में है और याचीगण सांविधिक एवं शास्ति दर के साथ याचीगण के अवकाश नगदकरण राशि निर्मुक्त करने के लिए और आक्षेपित आदेशों को अभिखंडित करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश भी इप्सित करते हैं।

2. क्या गैर सरकारी सहायित/अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियोजित अवकाश नगदकरण के लाभ का लाभ ले सकते हैं या नहीं, इन रिट याचिकाओं में विचारार्थ प्रश्न आया है।

3. सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2162 वर्ष 1999 (आर॰) श्रीमती एलिसपूर्ती बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 20.8.2002 के आदेश के तहत उसमें के याची को अवकाश नगदकरण का लाभ प्रदान किया गया था जो गैर सरकारी सहायित अल्पसंख्यक मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षक था। उक्त निर्णय में, (डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 512 वर्ष 2013 का परिशिष्ट 4), विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *^^,d vkj ç'u mBk;k x;k Fkk fd D;k ,l ;kph vFkok ,l f'k{kd dk Hkh vui;kfxr vodk'k uxndj.k lfoèkk vuKkr dh tk ldrh g ;k ugh A çR;Fkh d fo}ku vfèkoDrk u rd fd;k fd bl lcèk e fofu;e cuk;k x;k Fkk tk çfr'kiFk i=] tk fcgkj ljdkj dk fnukd 20.2.1990 dk ldYi g] d çfr ;kph d mÙkj dk ifjf'k"V 7 gA ;g ijkxkQ e leLr vfrfjDr ykHkk] tk ljdkjh fo|ky; d f'k{kdk dk xkg; g] dk fn;k tkuk Li"Vr% çkoèkkfur djrk gA ,d vU; ;kph }kjk Hkh ;gh fook|d mBk;k x;k Fkk tk vrr% ,e0 t0 lh0 l0 243 o"k 1995 (vkj0) dh vkj l x;k (ifjf'k"V 10)**A*

4. एक अन्य रिट याचिका **डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 522 वर्ष 2002 (पॉल मंगरा कुजूर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य)** में याची द्वारा यही विवाद्यक उठाया गया था और उक्त रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश ने सरकारी सहायित अल्पसंख्यक विद्यालय में नियोजित प्रधानाचार्य को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के प्रश्न पर विचार किया। दिनांक 20 फरवरी, 1990 के संकल्प सं॰ 237 को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 20 फरवरी, 1990 का संकल्प सं॰ 237 महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, गृह किराया भत्ता, शहर क्षतिपूर्ति भत्ता, आदि जैसे सेवा लाभों से संबंधित है किंतु यह सेवानिवृत्ति लाभों को सम्मिलित नहीं करता है। उक्त दो विरोधी निर्णयों को निर्दिष्ट करते हुए डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 512 वर्ष 2013 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित प्रश्न पर खंडपीठ को मामला निर्दिष्ट किया;–

> *^^D;k fnukd 20 Qjojh] 1990 dk ldYi ;kph vkj vU; lefLFkr 0;fDr;k ij ykx gkxk ;k ugh**

5. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार ने न्यायालय का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 1990 के संकल्प सं॰ 237 की ओर खींचा है और निवेदन किया है कि उक्त संकल्प कथन करता है कि राज्य मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्टॉफ को सरकारी विद्यालयों के समतुल्य समान वेतन एवं अन्य समस्त लाभों को दिया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2162 वर्ष 1990 (आर॰) में इसी प्रश्न को उठाया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि सरकारी सहायित अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक अवकाश नगदकरण के हकदार है। उक्त मामले में झारखंड राज्य ने सिविल पुनरीक्षण सं॰ 81 वर्ष 2002 दाखिल किया जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2004 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। आगे यह निवेदन किया गया था कि झारखंड राज्य ने सिविल पुनरीक्षण सं॰ 81 वर्ष 2002 में पारित आदेश के विरुद्ध एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 295 वर्ष 2004 और सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2162 वर्ष 1999 (आर॰) में पारित आदेश के विरुद्ध एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 490 वर्ष 2004 दाखिल किया और दोनों एल॰ पी॰ ए॰ खारिज कर दिया गया था। एल॰ पी॰ ए॰ में पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल एस॰ एल॰ पी॰ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। **डॉ॰ दूधनाथ पांडे मामले, 2007 (4) JLR 1 (Jhr.) (FB) [:2013 (4) JBCJ 421 (HC)]** में निर्णय के पैरा 25 पर विश्वास करते हुए यह निवेदन किया गया था कि अवकाश नगदकरण का भुगतान अनुपयोगित अवकाश के कारण किया

जाता है और इसलिए यह वेतन का चरित्र धारण करता है। **राजस्थान राज्य एवं एक अन्य बनाम सीनियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ एवं अन्य, (2005)10 SCC 346,** में निर्णय पर भी विश्वास किया गया था।

6. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 20 फरवरी, 1990 के संकल्प सं॰ 237 द्वारा वेतन समतुल्य, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं अन्य भत्तों को दिया गया था और उक्त संकल्प सेवानिवृत्ति लाभों को सम्मिलित नहीं करता है। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 6.6.1983/29.6.1983 के पत्र के पैरा 9 पर जोर देते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित), उपदान एवं जी॰ पी॰ एफ॰ से भिन्न किसी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे। यह निवेदन किया गया था कि जब उक्त संकल्प का पैरा 19 अन्य लाभों को अपवर्जित करने में स्पष्ट है, रिट याचीगण अवकाश नगदकरण इप्सित नहीं कर सकते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2162 वर्ष 1999 (आर॰) में पारित निर्णय को 'सर्वबंधी निर्णय' नहीं बल्कि केवल 'व्यक्तिबंधी निर्णय' कहा जा सकता है और इसलिए याची उक्त निर्णय पर विश्वास नहीं कर सकता है।

7. हमने प्रतिवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों का परिशीलन किया है।

8. दिनांक 29.6.1983 के पत्र सं॰ 68 (डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 512 वर्ष 2013 का परिशिष्ट 2) द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार राज्य ने निर्देश दिया कि गैर सरकारी सहायित अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालयों के शिक्षक सरकारी कर्मचारियों की तरह सामान्य भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) और उपदान की सुविधा पाएँगे। उक्त पत्र के पैरा 9 में यह कथन किया गया था कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालयों के ऐसे शिक्षक सामूहिक बीमा, अवकाश नगदकरण, सहायता अनुदान, आदि जैसे किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को नहीं पाएँगे। परिशिष्ट 2 के पैरा 1 और पैरा 9 का पठन निम्नलिखित है:–

> *"1. fun'kkuqlkj e> dguk g fd jkT; ljdkj u fu.k; fd;k g fd vYilf[;d lenk; }kjk pyk, tk jg çkFkfed@eè; fo|ky;k vkj ljdkjh lgk;rk ikIr fo|ky;k d f'k{kdk dk f=ykHk ;ktuk d ctk, fnukd 1.4.83 l ljdkjh depkfj;k dh rjg (ikfjokfjd i'ku lfgr) i'ku lkekU; Hkfo"; fufèk vkj minku dh lfoèkk nh tkuh pkfg,A bl lhek rd i'ku fu;ekoyh d fu;ek 58, 60 vkj 79 dk f'kfFky fd;k tk,xkA*
>
> *9. o i'ku (ikfjokfjd i'ku lfgr) i'ku] minku vkj lkekU; Hkfo"; fufèk l fHkUu fdlh vU; ykHk] tlk ljdkjh depkfj;k dk Hkxr; g vFkkr lkefgd chek] vodk'k d cny uxn] vuxgiod Hkxrku] vkfn d gdnkj ugh gkxA***

9. बिहार राज्य के मानव संसाधन विकास विभाग ने गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक विद्यालयों के और मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसा के शिक्षण/गैर शिक्षण स्टॉफ के वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में संकल्प सं॰ 237 दिनांक 20 फरवरी, 1990 पारित किया। उक्त संकल्प के मुताबिक गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण/गैर–शिक्षण स्टॉफ वेतन के अतिरिक्त उन्हीं भत्तों जैसे गृह किराया भत्ता, नगरीय क्षतिपूर्ति भत्ता, आदि जो सरकारी विद्यालयों के शिक्षण/गैर–शिक्षण कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, के हकदार होंगे। उक्त संकल्प के अनुवादित अंश का पठन निम्नलिखित है:–

^^ljdkjh f'k{kdk dh rjg jkT; d çkFkfed@eè;@ekè;fed vYil[;d fo|ky;k] ekU;rk çkIr lLÑr fo|ky;k vkj enjlk d f'k{k.k@xj f'k{k.k LVkQ dk oru d vfrfjDr vU; lfoèkkvk dk çnku dju dh ekx fujrj dh x;h gA bu fo|ky;k ,o enjlk e dk;jr f'k{k.k@xj&f'k{k.k LVkQ dk çnku fd, x, oru d vfrfjDr egxkb HkÙkk] fpfdRlk HkÙkk] xg fdjk;k HkÙkk] {kfrifr HkÙkk] vkfn lfoèkkvk e ,d#irk ugh gA tgk ekè;fed vYil[;d fo|ky;k d f'k{k.k@xj&f'k{k.k LVkQ dk ljdkjh f'k{kdk dh rjg egxkb HkÙkk çnku fd;k tk jgk g] nljh vkj] ekU;rk çkIr lLÑr fo|ky;k d f'k{k.k@xj f'k{k.k LVkQ oru d vfrfjDr doy 13 fd'rk dk ik jg g vkj enjlk dk i.k egxkb HkÙkk fn;k tk jgk gA fdr xg fdjk;k HkÙkk] uxjh; {kfrifr HkÙkk ugh fn;k tk jgk gA

2. fofHkUu vYil[;d fo|ky;k] ekU;rk çkIr lLÑr fo|ky;k ,o ekU;rk çkIr enjlk }kjk f'k{k.k@xj f'k{k.k LVkQ dk ,d:i lfoèkk çnku dju dk ç'u jkT; ljdkj d fopkjkèkhu FkkA ljdkj u foLrkjiod fopkj dju d ckn fu.k; fd;k fd oru d vfrfjDr leLr lfoèkk,] tlk ljdkjh fo|ky;k d f'k{k.k@xj f'k{k.k LVkQ dk miyCèk g vkj le;≤ ij jkT; ljdkj }kjk çnku dh x;h vU; lfoèkk, xj ljdkjh] ekU;rk çkIr vYil[;d çkFkfed] eè; ,o ekè;fed fo|ky;k vkj jkT; d ekU;rk çkIr xj ljdkjh lLÑr fo|ky;k ,o enjlk d f'k{k.k@xj f'k{k.k LVkQ dk nh tkuh pkfg,A**

10. याचीगण दिनांक 20 फरवरी, 1990 के उक्त संकल्प सं॰ 237 (परिशिष्ट 3) के आधार पर अवकाश नगदकरण का दावा कर रहे है। याचीगण के अनुसार, चूँकि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टॉफ को वेतन समतुल्यता दी जा रही है और सरकारी विद्यालयों के शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टॉफ के समतुल्य समस्त सुविधाएँ दी जा रही है, अत: दिनांक 29.6.1983 के संकल्प सं॰ 68 के पैरा 9 को अधिक्रांत किया गया है।

11. दिनांक 20 फरवरी, 1990 के संकल्प सं॰ 237 में गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिकी/मध्य/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टॉफ गृह किराया भत्ता, नगरीय क्षतिपूर्ति भत्ता एवं अन्य ऐसे भत्ता के हकदार है। दिनांक 29.6.1983 के संकल्प सं॰ 68 (डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 512 वर्ष 2013 का परिशिष्ट 2) के फलस्वरूप गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक सरकारी कर्मचारियों की तरह सामान्य भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) और उपदान के हकदार होंगे। दिनांक 20 फरवरी, 1990 के संकल्प सं॰ 237 के निबंधनानुसार गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण/गैर शिक्षण स्टॉफ को महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, गृह किराया भत्ता, नगरीय क्षतिपूर्ति भत्ता, आदि सहित वेतन समतुल्यता दिया गया है। हमारा दृष्टिकोण है कि जब शिक्षण/गैर शिक्षण स्टॉफ को समस्त भत्तों सहित वेतन समतुल्यता दिया गया है, उनको अवकाश नगदकरण के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है।

12. डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 522 वर्ष 2002 में, विद्वान एकल न्यायाधीश इस आधार पर अग्रसर हुए कि दिनांक 20 फरवरी, 1990 का संकल्प सं॰ 237 केवल सेवा लाभों से संबंधित है किंतु सेवानिवृत्ति लाभों को सम्मिलित नहीं करता था। उस आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि

आदेश अथवा निर्णय, जैसा दिनांक 23 जून, 1983 के पत्र सं॰ 23/B-1 42/82-Si के तहत प्रसारित किया गया है, अधिक्रांत नहीं किया गया है और इसलिए गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षण/गैर शिक्षण स्टॉफ अवकाश नगदकरण इप्सित नहीं कर सकते है।

13. अवकाश के नगदकरण का लाभ और कुछ नहीं बल्कि कर्मचारी द्वारा लाभ नहीं लिए गए अवकाश के लिए वेतन का भुगतान है जो उसको दिया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश यह कहने में सही नहीं थे कि अवकाश नगदकरण सेवानिवृत्ति लाभ है।

14. डॉ॰ दूधनाथ पांडे के मामले के पैरा 25 में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अवकाश नगदकरण का भुगतान अनुपयोगित अवकाश के कारण किया जाता है, अत: यह वेतन का चरित्र लेता है।''

15. राजस्थान राज्य एवं एक अन्य, (2005)10 SCC 346, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि सहायता पाने वाले गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम, 1989 के अधीन विरचित नियमावली के अधीन सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नगदकरण लाभ के हकदार हैं। उक्त राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान (मान्यता, सहायता अनुदान एवं सेवा शर्त, आदि) नियमावली 1993 के नियम 51, जिसके अधीन कर्मचारी लाभ नहीं लिए गए अर्जित अवकाश के लिए अवकाश वेतन के हकदार हैं, पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 16 और 17 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"16. vodk'k fofu;fer dju oky iokDr fu;ekoyh l ;g Li"V g fd vodk'k d uxndj.k dk ykHk vkj dN ugh cfYd depkjh }kjk ykHk ugh fy, x, vodk'k d fy, oru dk Hkxrku g vkj tk cdk;k gA*
>
> *17. iokDr vfrfjDr dkj.k l mPp U;k;ky; }kjk iklr fu"d"k leFkuh; g fd vodk'k uxndj.k ^^oru** dk Hkkx g vkj vfèkfu;e dh èkkjk 29 e ç;Dr 0;kid vfHk0;fDr ^^orueku ,o HkÙkk** e vkPNkfnr g ft ldk vfèkfu;e dh èkkjk 2 (r) e vrfo"V 'kCn ^^oru** dh ifjHkk"kk d lkFk i<uk vkj le>uk gkxkA***

उक्त निर्णय का निर्णयाधार वर्तमान मामले पर लागू होता है। जब गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को समस्त भत्तों सहित वेतन समतुल्यता दिया जाता है, कर्मचारी को देय अनुपयोगित अवकाश के लिए अवकाश नगदकरण के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है।

16. जैसा याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है, सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2162 वर्ष 1999 (आर॰) में पारित दिनांक 20.8.2002 के आदेश के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवकाश नगदकरण सहित समस्त देयों का भुगतान याचीगण को करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध झारखंड राज्य ने एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 295 वर्ष 2004 दाखिल किया और इसे दिनांक 6.1.2006 को खारिज कर दिया गया था। झारखंड राज्य ने सिविल पुनरीक्षण सं॰ 81 वर्ष 2002 में पुनर्विलोकन दाखिल किया जिसे भी दिनांक 19.3.2004 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। सिविल पुनर्विलोकन के आदेश के विरुद्ध दाखिल एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 881 वर्ष 2006 और 492 वर्ष 2007 भी सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

17. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त निर्णय 'सर्वबंधी निर्णय' नहीं है बल्कि 'व्यक्तिबंधी निर्णय' है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों अथवा अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालयों के शिक्षण/गैर शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति का ढंग बिल्कुल भिन्न है और इसलिए, याचीगण सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण/गैर शिक्षण स्टॉफ के साथ समतुल्यता

इप्सित नहीं कर सकते हैं और इसलिए पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित), उपदान और भविष्य निधि के लाभ के सिवाए अवकाश नगदकरण के हकदार नहीं हैं।

18. उक्त प्रतिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है। शिक्षकों की नियुक्ति अल्पसंख्यक एवं लोक उच्च विद्यालय के परिपत्रों के सार संग्रह के अध्याय 5 द्वारा शासित होता है। बिहार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन का अधिग्रहण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 2 (c) अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता प्रावधानित करती है। धारा 2 (c) के अधीन अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है माध्यमिक विद्यालय जिसे धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है और जिसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रबंधित किया जाता है और जिसे राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में घोषित किया गया है और मान्यता दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 18 (2) के अधीन राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी विद्यालय को अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करता है जिसे इस समुदाय की शिक्षण आवश्यकता के प्रयोजन से उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है। धारा 18 की उपधारा 3 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन एवं नियंत्रण का प्रावधान बनाती है। धारा 18 (3) (a) विहित करती है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्टर्ड प्रबंधन कमिटी होगा और इसके गठन एवं कार्य से संबंधित लिखित उपविधियाँ होगी। उसकी उपधारा (3) खंड (b) प्रावधानित करती है कि राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए और मंजूर पदों की संख्या के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकथित विहित अर्हता के अनुसार अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंधन कमिटी अधिनियम की धारा 10 के अधीन गठित विद्यालय सेवा बोर्ड की सहमति से शिक्षक की नियुक्ति करेगी।

19. मूल बिहार राज्य के विभाजन पर इसके सृजन के बाद उत्तरजीवी झारखंड राज्य द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों को अपनाया और अनुसरित किया गया है। राज्य में विद्यालय सेवा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षक की ऐसी नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करने वाला प्राधिकारी है। अधिनियम की योजना और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र के अधीन अल्पसंख्यक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति चयन कमिटी द्वारा की जानी है जिसमें शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि होगा। ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित शिक्षक की नियुक्ति जिला शिक्षा अधीक्षक और झारखंड सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक, के अनुमोदन के अध्यधीन है। जिला शिक्षा अधीक्षक की अनुशंसा पर (निदेशक, उच्चतर शिक्षा अधिकथित आवश्यक सन्नियमों के अनुपालन के संवीक्षण के बाद और संतुष्ट किए जाने पर अल्पसंख्यक विद्यालय के ऐसे शिक्षक का प्रीपोजीशन स्टेटमेंट और वेतन नियतकरण अनुमोदित करता है। केवल ऐसे अनुमोदन पर, राज्य सरकार संबंधित शिक्षक को वेतन एवं अन्य सेवा लाभों के भुगतान के लिए सहायता प्रदान करती है। इसी समय पर, अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तों से संबंधित नियमों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों एवं प्रचलित विधि पर आधारित किया जाना है और राज्य सरकार को भी भेजा जाना है जैसा अधिनियम की धारा 18 (3) (c) के अधीन प्रावधानित किया गया है। वर्ष 1981 के अधिनियम के अधीन अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के मान्यता की पूर्वोक्त योजना में और शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन और आगे उनके वेतन एवं सहायता अनुदान नियतकरण के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 20 फरवरी, 1990 के परिपत्र को जारी करने का उद्देश्य एवं प्रयोजन का अधिमूल्यन किया जाना है।

20. डॉ० दूधनाथ पांडे, [2007 (4) JCR 1 (Jhr) : 2013 (4) JBCJ 421 (HC) (FB)] मामले और **राजस्थान राज्य एवं एक अन्य, (2005)10 SCC 346** मामले के निर्णयाधार को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याचीगण अवकाश नगदकरण के हकदार हैं। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि दिनांक 13.12.2002 के आदेश के तहत डब्ल्यू० पी० (एस०) सं० 522 वर्ष 2002 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अब अच्छी विधि नहीं है और सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 2162 वर्ष 1999 (आर०) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सही है। तद्नुसार, निर्देश का उत्तर दिया जाता है। प्रत्यर्थीगण को इस आदेश की प्रति की प्रस्तुति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याचीगण को उनकी हकदारी के मुताबिक अवकाश नगदकरण राशि का भुगतान करने का निदेश दिया जाता है।

---

ekuuh; ç'kkUr dekj ,o vferkHk dekj xlrk] U;k;efrx.k

राजू गुलाठी (753 में)

सुभाष पलाश एवं एक अन्य (1105 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cri. Appeal (D.B.) Nos. 753 of 2003 with 1105 of 2005. Decided on 8th January, 2014.

सत्र विचारण सं० 138 वर्ष 2002 में श्री कांत रॉय, अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 21.4.2003 को दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 307—हत्या–हत्या का प्रयास–दोषसिद्धि–मृतका एवं अन्य अ० सा० के शरीर पर तेज धार वाले हथियार से कटने की उपहति कारित करने का अभिकथन–भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन अपराध नहीं बनता है क्योंकि मृत्यु का कारण उपहति नहीं है–मृत्यु का कारण अभियोजन पक्ष की उपेक्षा के कारण उसकी उपहति में पश्चातवर्ती गंभीरता है–अपीलार्थीगण ने हत्या करने के आशय से ऐसी उपहतियों को कारित किया–अभियुक्तगण को भा० दं० सं० की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दायी अभिनिर्धारित किया गया–दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश उपांतरित किया गया–अपील अंशतः अनुज्ञात। (पैराएँ 14, 15 एवं 16)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajesh Kumar (in 753); M/s Ananda Sen, Manoj Kr. Dash (in 1105), For the Appellants; Mr. Shekhar Sinha (in 1105); Mr. T.N. Verma (in 753), For the State.

न्यायालय द्वारा (प्रशान्त कुमार, न्यायमूर्ति).—ये अपीलें सत्र विचारण सं० 138 वर्ष 2002 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, सरायकेला, द्वारा पारित दिनांक 21.4.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा और जिसके अधीन उन्होंने समस्त अपीलार्थीगण को भा० दं० सं० की धाराओं 302 एवं 307 के अधीन दोषसिद्ध किया है और उनको धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास और भा० दं० सं० की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दस वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। विद्वान अवर न्यायालय ने आगे दोनों दंडादेशों को साथ चलने का निर्देश दिया।

2. चूँकि ये अपीलें दोषसिद्धि के एक ही निर्णय एवं दंडादेश से उद्भूत हुई हैं, अत: दोनों अपीलों को साथ सुना जा रहा है और इस निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि सूचक ने अपनी भतीजी अंजना कुमारी से घटना के बारे में सूचना प्राप्त किया कि सुभाष पलाश (सूचक का बहनोई/साला) दो अन्य के साथ दिनांक

12.2.2002 को रात्रि 9 बजे उसकी माता के घर आया और उसकी बहन अर्थात् समा पलाश से कहा कि वह उसके साथ चलेगी या नहीं? आगे यह अभिकथित किया गया है कि जब समा पलाश ने इनकार किया, उसने चाकू से समा पलाश के शरीर पर अनेक उपहतियाँ कारित किया। आगे यह अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थी सुभाष पलाश ने उसके पुत्र अर्थात् आकाश पलाश के मस्तक पर भी उपहति कारित किया। आगे यह अभिकथित किया गया है कि समस्त तीनों अपीलार्थीगण ने समा पलाश, आकाश पलाश और सूचक की माता अंजलिना बखाला मृतका) के शरीर पर उपहतियाँ कारित किया।

4. पूर्वोक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 341, 324, 326, 307 सहपठित 34 के अधीन दिनांक 13.2.2002 का आदित्यपुर (आर॰ आई॰ टी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 27/2002 संस्थित किया और अन्वेषण किया। अन्वेषण के क्रम में तीनों घायलों को टी॰ एम॰ एच॰, जमशेदपुर में इलाज किया गया था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि इलाज के बाद सभी घायलों को टी॰ एम॰ एच॰, जमशेदपुर से छुट्टी दे दी गयी थी। तत्पश्चात, घायलों में से एक अर्थात् अंजलिना बखाला को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर ले जाया गया था। यह कथन किया गया है कि इलाज के क्रम में दिनांक 15.4.2002 को उसकी मृत्यु हो गयी। आगे यह कथन किया गया है कि मृतका अंजलिना बखाला का शव परीक्षण बिलासपुर में किया गया और पुलिस ने शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया। यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण पूरा करने के बाद पुलिस ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302, 450, 341, 324, 326, 307 सहपठित 34 के अधीन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। यह प्रतीत होता है कि संज्ञान के बाद मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था क्योंकि भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 307 के अधीन अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है।

5. सुपुर्दगी के बाद, मामला विचारण के लिए विद्वान अवर न्यायालय को अंतरित किया गया था। विद्वान अवर न्यायालय ने दिनांक 8.10.2002 के आदेश के तहत भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 307 के अधीन आरोप विरचित किया और अपीलार्थीगण को आरोप स्पष्ट किया जिसके प्रति उन्होंने निर्दोष होने का अभिवचन किया और विचारण का दावा किया। तत्पश्चात्, अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया और उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 1 श्रृंखला), प्राथमिकी (प्रदर्श 6), अंजलिना बखाला की मृत्यु के संबंध में बिलासपुर पुलिस को सूचना देते हुए सूचक का आवेदन (प्रदर्श 4), फर्दबयान (प्रदर्श 5) और मृतका का शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 7) जैसा दस्तावेज प्रस्तुत किया। यह प्रतीत होता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया, जैसा उपर कथन किया गया है, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपीलें दाखिल की गयी हैं।

6. आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि स्वीकृत रूप से अपीलार्थी (सुभाष पलाश) का अ॰ सा॰ 7 (उसकी पत्नी) के साथ कटु संबंध था क्योंकि उनके बीच मुकदमाबाजी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त कटु संबंध के कारण अपीलार्थी सुभाष पलाश और अन्य दो अपीलार्थीगण जो सुभाष पलाश के मित्र हैं, को झूठा आलिप्त किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थीगण को केवल अ॰ सा॰ 7 के साक्ष्य पर दोषसिद्ध किया गया क्योंकि अन्य तीन गवाहों का साक्ष्य, जो स्वयं के चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं, विश्वसनीय नहीं हैं। यह निवेदन किया गया है कि केवल अ॰ सा॰ 7 के परिसाक्ष्य पर अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि अपेक्षणीय नहीं है क्योंकि उसका अपीलार्थीगण के साथ कटु संबंध था। आगे यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 7 का बयान सत्य मानने पर भी भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध नहीं बनता है क्योंकि मृतका की मृत्यु दो माह से अधिक बाद हुई और वह भी सेप्टिसेमिया से। तद्नुसार, यह निवेदन

किया गया है कि अधिकाधिक भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन अपराध बनता है और अपीलार्थीगण को इसके लिए पहले ही दंडित किया गया था क्योंकि वे 11 वर्षों से अधिक से अभिरक्षा में बने हुए हैं।

7. दूसरी ओर, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अपर पी॰ पी॰ निवेदन करते हैं कि अ॰ सा॰ 7 के बयान की दृष्टि में अवर न्यायालय द्वारा सही प्रकार से अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है। अत:, इन अपीलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. इन निवेदनों को सुनने पर हमने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है। यह विवादित नहीं है कि अ॰ सा॰ 6 आकाश पलाश, अ॰ सा॰ 7 समा पलाश और मृतका अंजलिना बखला को घटना की तिथि पर अपने शरीर पर तेज धारदार हथियार से कटने की उपहतियाँ आयी थी, अत: इन अपीलों में प्रश्न उद्‌भूत हुआ कि क्या अपीलार्थीगण ने वर्तमान अपराध किया था या नहीं। यह हमें गवाहों के मौखिक परिसाक्ष्य पर विचार करने की ओर लाता है।

9. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 7 (अपीलार्थी सुभाष पलाश की पत्नी) इस मामले की मुख्य गवाह है। इस गवाह ने कथन किया कि दिनांक 12.2.2002 को अपीलार्थी उसके घर आया और सोफा पर बैठा। अपीलार्थी सुभाष पलाश ने पूछा, वह उसके साथ चलेगी या नहीं, जब उसने इनकार किया, समस्त अपीलार्थीगण ने उसके शरीर पर चाकू और भुजाली से कटने की उपहतियाँ कारित किया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि शोर-गुल सुनने पर उसकी माता घटनास्थल पर आयी। तत्पश्चात्, समस्त अपीलार्थीगण द्वारा उस पर भी प्रहार किया गया था, जिस कारण उसने पेट सहित अपने शरीर के अनेक भागों पर उपहतियाँ पायी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि जब उसका पुत्र रोने लगा, अपीलार्थी (सुभाष पलाश) द्वारा उस पर प्रहार किया गया था जिस कारण उसने अपने मस्तक पर उपहतियाँ पायी। प्रति परीक्षण में उसका पूर्वोक्त विवरण दृढ़ बना रहा।

10. किंतु, अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उसके साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका अपने पति (सुभाष पलाश) के साथ कटु संबंध है। यह निवेदन किया गया है कि उनके बीच भरण-पोषण मामला चल रहा है, अत: झूठा आलिप्त करने का प्रत्येक मौका है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अ॰ सा॰ 7 के साक्ष्य में यह आया है कि भरण-पोषण मामला पहले ही निपटा दिया गया है और अपीलार्थी (सुभाष पलाश) को भरण पोषण के रूप में अ॰ सा॰ 7 को 1700/- रुपया प्रतिमाह की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उक्त परिस्थिति के अधीन घटना की तिथि पर अ॰ सा॰ 7 को अपीलार्थी से कोई शिकायत नहीं थी बल्कि अपीलार्थी के पास वर्तमान अपराध करने का कारण था क्योंकि पूर्वोक्त मामला उसके विरुद्ध गया था।

11. श्री आनन्द सेन द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 7 का बयान अन्य साक्ष्यों से कोई संपुष्टि नहीं पाता है। क्योंकि, अ॰ सा॰ 5 और 6 (जो बालक गवाह हैं) का साक्ष्य पट्टी पढ़ाया है और अ॰ सा॰ 11 जो स्वयं का चशमदीद गवाह होने का दावा कर रहा है का साक्ष्य अ॰ सा॰ 5, 6 एवं 7 से कोई समर्थन नहीं पाता है। तद्‌नुसार, यह निवेदन किया गया है कि केवल अ॰ सा॰ 7 के बयान के आधार पर अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

12. हम पूर्वोक्त निवेदन में गुणागुण नहीं पाते हैं क्योंकि भले ही अ॰ सा॰ 5, 6 एवं 7 के साक्ष्य को अपवर्जित किया जाता है, जैसा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है, तब भी हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 7 का साक्ष्य डॉक्टरों अ॰ सा॰ 1 और 10 के साक्ष्य से पूर्ण समर्थन पाता है।

13. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अपीलार्थीगण ने अ॰ सा॰ 6, 7 और मृतका अंजलिना बखला पर अनेक उपहतियाँ कारित किया। अब प्रश्न उद्‌भूत हुआ,

अपीलार्थीगण के विरुद्ध कौन सा अपराध बनता है? शव परीक्षण रिपोर्टों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मृत्यु का कारण सेप्टिसेमिया है। यह भी प्रतीत होता है कि घटना के दो माह से अधिक बाद मृतका की मृत्यु हुई। अ० सा० 4 के साक्ष्य में यह आया है कि टी० एम० एच० ने मृतका की छुट्टी कर दी और वे किसी आपत्ति के बिना अपने घर ले गए। उसके साक्ष्य से आगे प्रतीत होता है कि बिलासपुर में भी उसे किसी अस्पताल में भरती नहीं किया गया था बल्कि अ० सा० 4 उपहतियों की मरहम पट्टी करवाने अपनी माता को विभिन्न अंतरालों पर ले जाता था। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि अनुचित इलाज के कारण मृतका के जख्मों में सेप्टिसेमिया विकसित हुआ और इस कारण उसकी मृत्यु हो गयी। पूर्वोक्त परिस्थितियों के अधीन मृत्यु का कारण उपहति नहीं है बल्कि अभियोजन पक्ष की उपेक्षा के कारण उसकी उपहति में पश्चातवर्ती गंभीरता है। उक्त परिस्थिति के अधीन, हम पाते हैं कि अभियुक्तगण के विरुद्ध भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन अपराध नहीं बनाता है। किंतु, हम पाते हैं कि अपीलार्थीगण ने मृतका के शरीर के विभिन्न भागों पर बार-बार उपहति कारित किया और उपहतियों में से एक गंभीर प्रकृति की है। उक्त परिस्थिति के अधीन, हम पाते हैं कि अपीलार्थीगण ने हत्या करने के आशय से ऐसी उपहतियाँ कारित किया। इस प्रकार, हमारे दृष्टिकोण में अंजलिना बखाला पर उपहति कारित करने के लिए अपीलार्थीगण के विरुद्ध भा० दं० सं० की धारा 307 के अधीन अपराध बनता है। हम आगे पाते हैं कि अभियुक्तगण अ० सा० 6 और 7 पर उपहतियाँ कारित करने के लिए अभियुक्तगण भा० दं० सं० की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दायी हैं क्योंकि अ० सा० 6 के मस्तक पर बार बार उपहति कारित की गयी थी और अ० सा० 7 के शरीर के गर्दन एवं अन्य भाग पर कटने के अनेक जख्म पाए गए थे।

14. वर्तमान मामले में अपीलार्थीगण 11 वर्षों से अधिक से अभिरक्षा में हैं। उक्त परिस्थिति के अधीन, हमारे दृष्टिकोण में, यदि उनको कारा अभिरक्षा में भुगती गयी अवधि के लिए दंडित किया जा चुका है, वह न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा।

15. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, इन अपीलों को आंशिक रूप से अनुज्ञात किया जाता है। अंजलिका बखला की मृत्यु के लिए भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि के निर्णय को एतद् द्वारा उपांतरित किया जाता है और हम एतद् द्वारा अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थीगण भा० दं० सं० की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के दोषी हैं और तद्नुसार उन्हें उस धारा के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

16. हम एतद् द्वारा कारा अभिरक्षा में उनके द्वारा भुगती गयी अवधि के लिए कारावास भुगतने के लिए अपीलार्थीगण के दंडादेश को उपांतरित करते हैं। तद्नुसार, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थीगण को तुरन्त निर्मुक्त किया जाए यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

शिव शंकर प्रसाद सिन्हा एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 960 of 2005. Decided on 2nd January, 2014.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक आवेदन के मामले में।

सेवा विधि–नियुक्ति–याचीगण, जिन्हें सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था को इस आधार पर कि उनकी नियुक्ति प्रथम दृष्टया संदेहास्पद एवं कूटरचित पायी गयी थी, कारण बताओ जारी करने को चुनौती देती हुई रिट याचिका–वर्तमान कार्यवाही में अभिलेख पर

ऐसा कुछ भी नहीं उपलब्ध है जो उपदर्शित करेगा कि याचीगण की नियुक्ति अवैध थी और वे कपटपूर्वक सेवा में बने रहे–आक्षेपित आदेश केवल संदेह पर जारी किया गया है जो प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 7 से 11)

अधिवक्तागण.–Mr. Krishna Murari, For the Petitioner; Mr. Deepak K. Prasad, For the State.

न्यायालय द्वारा.–दिनांक 27.1.2005 के आदेश को चुनौती देते हुए याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची सं॰ 1 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 2.12.1992 के मेमो के तहत नियुक्त किया गया था और उसने दिनांक 2.1.1993 को आंती उच्च विद्यालय में पद ग्रहण किया था। इसी प्रकार, याची सं॰ 2 को दिनांक 17.8.1992 के मेमो के तहत नियुक्त किया गया था। नियुक्ति विज्ञापन सं॰ 1/1988 के अनुसरण में की गयी थी। याची सं॰ 2 को रोसड़ा उच्च विद्यालय, समस्तीपुर में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 27.1.2005 को याचीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसे वर्तमान कार्यवाही में याचीगण द्वारा चुनौती दी गयी है।

4. प्रत्यर्थीगण द्वारा निम्नलिखित कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है:–

"6. fd fun'kd] ekè;fed f'k{kk] fcgkj] iVuk u viu xkiuh; i= l0 1953 fnukd 7.7.2004 d rgr fun'kd (, l0 b0)] >kj[kM] jkph dk fjikV çf"kr fd;k fd jke fcykl mPp fo|ky;] cjek] ckdkjk e inLFkkfir ,o dk;jr ikp f'k{kd vFkkr Jh èkhjUn feJk ,o pkj vU; viu dVjfpr çek.k i=k d lkFk dk;jr gA fd vkx ;g Hkh lfpr fd;k x;k g fd u rk fo|ky; lok ckM }kjk mudh lok vu'kflr dh x;h g vkj u gh fun'kd] >kj[kM }kjk mudh fu;fDr ,o LFkkukrj.k i=k dk tkjh fd;k x;k gA

7. fd fun'kd] fcgkj d iokDr i= d çR;Ùkj e fnukd 7.10.2004 d eek l0 2525 d rgr lcfèkr Mh0 b0 vk0] ftyk f'k{kk dk;ky;] ckdkjk l fjikV ekxk x;k gA

8. fd ftyk f'k{kk vfèkdkjh] ckdkjk u iokDr i= d vuikyu e fnukd 19.10.2004 d viu eek l0 873 d rgr jke fcykl mPp fo|ky;] cjek e dk;jr 15 f'k{kdk dk fjikV çLrr fd;kA

9. fd ftyk f'k{kk vfèkdkjh] ckdkjk }kjk çf"kr fjikV dk ljdkjh Lrj ij iufoykdu fd;k x;k Fkk vkj ifj.kkeLo#i fdlh j?ko'k flg] LFkkukrfjr çèkkukè;kid] ftld dk;dky d nkjku bu dVjfpr f'k{kdk dk ç'uxr fo|ky; e inxg.k Lohdkj fd;k x;k Fkk] dk rjUr d çHkko l fuycu d vèkhu j[kk x;k Fkk vkj lkFk&lkFk vk{kfir eek vFkkr fnukd 3.1.2005 d eek l0 2 }kjk Mh0 b0 vk0 dk bu 15 f'k{kdk l dke ugh yu dk fun'k fn;k x;k FkkA vkx] Mh0 b0 vk0 dk mudk oru jkdu] bu f'k{kdk l Li"Vhdj.k ekxu vkj vr e viuh fVIi.kh d lkFk fjikV çLrr dju dk fun'k Hkh fn;k x;k FkkA ;gk ;g fouerkiod ç[;ku fd;k tkrk g fd bu ;kphx.k d uke dk fnukd 19.10.2004 d eek l0 873 d rgr Mh0 b0 vk0 }kjk çf"kr fjikV dh lph e mfYyf[kr fd;k x;k gA

10. fd ;g fouerkiod çk[;ku fd;k tkrk g fd ,d ekg chru d ckn Hkh vfHklk{kh }kjk Mh0 b0 vk0] ckdkjk dk fjikV çkIr ugh fd;k tk ldk Fkk ftld

ifj.kkeLo#i MhO bO vkO dk bu rFkkdfFkr f'k{kdk d Li"Vhdj.k] ;fn nkf[ky fd;k x;k Fkk d lkFk fjikV çLrr dju d fy, fjekbMj Hk tk x;k Fkk vkj blh le; ij nfud lekpkj i= e [kyk foKkiu Hkh fn;k x;k Fkk tgk bu rFkkdfFkr f'k{kdk dk vfèkdre fnukd 25.2.2005 rd MhO bO vkO d le{k viuk Li"Vhdj.k çLrr dju vkj viu nkok dh okLrfodrk LFkkfir ,o fl) dju d fy, leLr çklfxd dkxtkrk tl fu;fDr i= vkj LFkkukrj.k@lek;ktu i=k d lkFk fnukd 1.3.2005 dk fun'kd ekè;fed f'k{kk] >kj[kM] jkph d le{k mifLFkr gku dk fun'k fn;k x;k FkkA ;gk ;g fouerkiod çk[;ku fd;k tkrk g fd fnukd 1.3.2005 dk] dkxtkrk d ijh{k.k d fy, fu;r fnu] MhO bO vkO dk fjikV çkIr fd;k x;k Fkk fdr ç'uxr fo|ky; d rFkkdfFkr 15 f'k{kdk e l doy nk 0;fDr fun'kd d le{k mifLFkr g,A ;gk ;g çk[;ku fd;k tkrk g fd bu nkuk f'k{kdk dh fu;fDr@LFkkukrj.k dk çFke n"V;k okLrfod ik;k x;k Fkk vkj rnulkj mUg dfri; 'kr d lkFk viuk dke djr jgu dk fun'k fn;k x;k FkkA ;gk ;g fouerkiod fuonu fd;k tkrk g fd ; nk ;kphx.k vFkkr f'ko'kdj çlkn flUgk ,o Jh èkhjUn feJk bl çdkj fu;r frfFk ij mifLFkr ugh g, FkA

11. fd ;g fouerkiod çk[;ku fd;k tkrk g fd rFkkdfFkr 15 f'k{kdk e l doy nk fun'kd d le{k mifLFkr g,A vr% bu rFkkdfFkr f'k{kdk dk viu nkok d leFku e çklfxd dkxtkrk d lkFk fnukd 18.3.2005 dk fun'kd] ekè;fed f'k{kk] >kj[kM d le{k mifLFkr gku dk nljk volj fn;k x;k FkkA ;gk ;g fouerkiod çk[;ku fd;k x;k g fd bu rFkkdfFkr 13 f'k{kdk e l doy lkr vxyh frfFk ij mifLFkr g, fdr ; nkuk ;kphx.k vxyh frfFk ij vFkkr fnukd 18.3.2005 dk Hkh mifLFkr ugh g, tk çdV djrk g fd bu ;kphx.k d ikl viu çfrokn d leFku e çklfxd dkxtkr ugh gA fd ftyk f'k{kk vfèkdkjh] ckdkjk d le{k mud }kjk çLrr Li"Vhdj.k ,o dkxtkrk dk ijh{k.k rRdkyhu fcgkj jkT; d lkFk iM bud ey d lkFk fd;k tk,xkA**

5. दिनांक 17.3.2005 को इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के अंतरिम आदेश की रिक्ति इप्सित करते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 322 वर्ष 2011 दाखिल किया गया है।

6. दिनांक 27.1.2005 के आक्षेपित आदेश का परिशीलन उपदर्शित करता है कि इन याचीगण एवं अन्य की नियुक्ति प्रथम दृष्टया संदेहास्पद एवं कूटरचित पायी गयी थी। वर्तमान कार्यवाही में प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 3.1.2005 के पत्र की प्रति दाखिल की गयी है जो उपदर्शित करता है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, बोकारो को इन याचीगण एवं अन्य को वेतन का भुगतान नहीं करने के लिए निर्देश जारी किया गया था। दिनांक 19.10.2004 के जाँच रिपोर्ट की प्रति भी अभिलेख पर लायी गयी है जिसका परिशीलन उपदर्शित करता है कि जाँच अधिकारी ने निष्कर्षित किया कि याचीगण एवं अन्य कपटपूर्वक कार्यरत रहे थे। दिनांक 26.5.2005 के जाँच रिपोर्ट को भी अभिलेख पर लाया गया है जिसके अधीन यह उपदर्शित किया गया है कि दिनांक 17.3.2005 के यथास्थिति आदेश की दृष्टि में याचीगण के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है।

7. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा की गयी अभिकथित जाँच, जिसके रिपोर्ट को प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट-C के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, याची के पीठ पीछे की गयी थी। उक्त जाँच रिपोर्ट में भी केवल संदेह किया गया है जहाँ तक याचीगण के सेवा में बने रहने का संबंध है। दिनांक 26.5.2005 के जाँच रिपोर्ट में भी कुछ भी उपदर्शित नहीं किया गया है जो याचीगण की नियुक्ति को कूटरचित एवं अवैध बनाएगा।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि दिनांक 17.3.2005 को यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था, इन दो व्यक्तियों के संबंध में याचीगण के

विरुद्ध आदेश पारित नहीं किया गया था। जाँच के दौरान यह संदेह किया गया है कि उन्हें कपटपूर्वक नियुक्त किया गया है और इसलिए आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

9. मेरा मत है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 17.3.2005 के यथास्थिति आदेश का गलत अर्थ लगाया गया है। इस न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को याचीगण के संबंध में जाँच संचालित करने से कभी नहीं रोका है। वस्तुत:, प्रत्यर्थीगण ने अन्य व्यक्तियों के संबंध में जाँच संचालित किया है। वर्तमान कार्यवाही में मैं ऐसी कोई सामग्री नहीं पाता हूँ जो उपदर्शित करेगी कि याचीगण की नियुक्ति अवैध थी और वे कपटपूर्वक सेवा में बने रहे। वस्तुत: प्रत्यर्थीगण की ओर से दाखिल प्रतिशपथपत्र में यह प्राख्यान किया गया है कि याचीगण का मूल दस्तावेज जो बिहार सरकार के पास पड़ा है को सत्यापित किया जाएगा। आक्षेपित आदेश केवल संदेह पर जारी किया गया है जो प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है।

10. नंद किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, AIR 1978 SC 1277, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"18. iLrr çfroknk ij fopkj djus d igys ge U;kf;d fu.k;k }kjk fuf'pr :i fn, x, fl)krk dk Lej.k dj ldrs gA bu fl)krk e l igyk ;g g fd ?kjy vfèkdj.k d le{k vu'kklfud dk;okgh U;kf;d dYi pfj= dh g] vr% ulfxd U;k; d fl)kr dh U;ure vko';drk ;g g fd vfèkdj.k dk dN lk{; vFkkr lk{;h; lkexh tk fuf'prrk dh dN fMxh d lkFk mld fo#) vkjki d lcèk e vopkjh d nk"k dh vkj bfxr djrh gk] d vkèkkj ij viu fu"d"k ij igpuk pkfg,A ?kjy tkp e Hkh lng dk çek.k dk LFkku yu dh vuefr ugh nh tk ldrh gA tlk Hkkjr l?k cuke ,p0 lh0 xk;y] AIR 1964 SC 364, e bl U;k;ky; }kjk bfxr fd;k x;k g fd ^^;g fl)kr fd nk"kh dk nfMr dju e ;g n[ku d fy, ufrd lkoèkkuh cjruh gkxh fd funk"k dk nfMr ugh fd;k tk;] fu;fer nkfMd fopkj.kk ij mruk gh ykx gkrh g ftruk lkfofèkd fu;ek d vèkhu dh x;h vu'kklfud tkp eA**"*

11. पूर्वोक्त की दृष्टि में, दिनांक 27.1.2005 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है किंतु प्रत्यर्थीगण को याचीगण को समुचित कारण बताओ नोटिस देने के बाद याचीगण की नियुक्ति में जाँच करने की छूट होगी। इस चरण पर याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा यथास्थिति आदेश पारित किए जाने के बाद भी याचीगण को काम करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। मैं पाता हूँ कि याचीगण ने इस न्यायालय से आगे निर्देश इप्सित करते हुए दिनांक 17.3.2005 के आदेश के बाद आवेदन दाखिल नहीं किया है और इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि याचीगण उस अवधि के लिए जिसके दौरान उन्होंने दिनांक 17.3.2005 का यथास्थिति आदेश पारित किए जाने के बाद काम नहीं किया है, किसी वेतन के हकदार नहीं होंगे।

---

ekuuh; ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

राम चन्द्र महतो एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

First Appeal Nos. 127 of 2006 (along with its 733 analogous cases). Decided on 13th September, 2013.

753 भूमि संदर्भ मामलों में प्रथम अधीनस्थ न्यायाधीश–सह–विशेष भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 2.2.2006 के सम्मिलित निर्णय तथा अधिनिर्णय के विरूद्ध।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894–धाराएँ 4 एवं 18–भूमि का अधिग्रहण–प्रतिकर की राशि का वर्धन–यह ऐसी भूमि के अधिग्रहण का एक मामला है जो अस्पताल, विद्यालयों, रेलवे स्टेशन, दूरभाष एक्सचेंज एवं मुख्य सड़क जैसी नागरिक सुविधाओं वाले क्षेत्रों से घिरे एक युक्तिसंगत रूप से उत्तम स्थान पर अवस्थित है–अधिगृहित भूमि के आवासीय या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए विकसित किये जाने की संभावना है क्योंकि क्षेत्र में अबरख की खानें हैं–बहुत छोटे प्लॉटों के विक्रय-विलेख में दी गयी दरों को विचार में लिये जाने की आवश्यकता नहीं है–प्रति एकड़ 66,000/- रुपये का प्रतिकर युक्तिसंगत तथा पर्याप्त प्रतिकर है–आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय उपांतरित। (पैराएँ 21 से 26)

अधिवक्तागण.–M/s Bhawesh Kumar, Ravi Kumar, Rahul Kamlesh, Arbind Kr. Sinha, For the Appellants; Mr. Rangan Mukhopadhyay, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–753 भूमि संदर्भ मामलों में विद्वान विशेष भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 2.2.2006 के सम्मिलित निर्णय तथा अधिनिर्णय से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, अपीलार्थीगण, जिन्होंने केशो जलाशय परियोजना के कारण भूमि खोई है, ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अधीन प्रतिकर की दर के वर्धन के लिये तथा वर्द्धित दर के भुगतान के लिए अपीलों का वर्तमान समूह दाखिल किया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत् हैं:–

प्रश्नाधीन भूमि केशो जलाशय परियोजना के अधीन एक बांध के निर्माण के लिए अधिगृहित की गयी थी। हजारीबाग जिला में (वर्तमान में कोडरमा जिला में) मरकाचो प्रखंड में 11 ग्रामों से भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 'कटही', 'भगटियाडीह', 'कारिखोखो', 'पसियाडीह', 'मसमोहना', 'परनवा तांड', 'टिक्कोपारा', 'कैला खंडहर', 'निमाडीह', 'कुन्दी धनवार' एवं 'बछेडीह' ग्रामों से संबंधित कुल मिलाकर लगभग 721 एकड़ जमीन अधिगृहित की गयी है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन करके वर्ष 1987-88 में अधिग्रहण हुआ था तथा तत्पश्चात्, विभिन्न ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा संदर्भ मामले दाखिल किये गये थे। मौजा-बछेडीह के अधीन जमीन के संबंध में संदर्भ मामलों का एक समूह-एल॰ आर॰ संख्या 68-122 वर्ष 1990-3.9.1991 को निर्णीत किया गया था। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष प्रथम अपीलें दाखिल की गयी थीं तथा प्रथम अपीलों के उस समूह में अंतर्ग्रस्त तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त, विद्वान विशेष भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय तथा अधिनिर्णय अपास्त कर देने का आदेश किया गया था तथा दोनों पक्षकारों द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिये एक अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रारंभिक चरण से विधि के अनुसार फिर से निर्णय करने के लिये मामला प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। यह प्रतीत होता है कि दिनांक 2.12.1992 के एक अन्य निर्णय द्वारा संदर्भ मामलों का एक अन्य समूह निस्तारित किया गया था, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में प्रथम अपीलें दाखिल की गयी थी तथा उन्हें सुना गया था एवं 3.12.2003 को निर्णीत किया गया था, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने सभी मामलों को नये निर्णयों के लिये प्रतिप्रेषित कर दिया है। इस न्यायालय ने विद्वान अवर न्यायालय को केशो जलाशय परियोजना के संबंध में लंबित सभी संदर्भ मामलों को एक साथ मिला देने का भी निर्देश दिया था। तद्नुसार, विद्वान अवर न्यायालय केशो जलाशय परियोजना से उद्भूत भूमि संदर्भ मामलों से निपटा था तथा उनका निर्णय किया था एवं प्रत्येक अधिनिर्णय के विरूद्ध अभिनिर्धारित कुल राशि का 25% जोड़कर दिनांक

2.2.2006 के एक आदेश द्वारा अधिनिर्णय को उपांतरित कर दिया था। पूर्वोक्त निर्णय तथा अधिनिर्णय से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर, केशो जलाशय परियोजना के भूमि खोने वालों ने प्रथम अपीलों का वर्तमान समूह दाखिल किया है।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान अवर न्यायालय मौखिक तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का भी मूल्यांकन करने में विफल रहा था तथा तद्द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पर्याप्त प्रतिकर प्रदान करने में विफल रहा था, यद्यपि प्रश्नाधीन भूमि को सिंचाई की उत्तम सुविधा उपलब्ध थी तथा एक वर्ष में तीन फसलें उगाने में सक्षम थीं। यह भी निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नाधीन जमीन की अवस्थिति, जो राज्य उच्च मार्ग, रेलवे स्टेशन से सटी है, जैसे कई कारकों तथा निकट के क्षेत्रों में शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे अन्य कारकों को भी उपयुक्त रूप से विचार में नहीं लिया है। यह भी निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने इस तथ्य पर भी उपयुक्त रूप से विचार नहीं किया है कि केशो जलाशय परियोजना तथा पंचखेरो जलाशय परियोजना उसी प्रखंड के भीतर लगभग दस किलोमीटर की दूरी पर थीं तथा उन दोनों की भूमि की गुणवत्ता समरूप थीं। अधिग्रहण का उद्देश्य भी एक ही था। यह भी निवेदन किया गया है कि केशो जलाशय परियोजना तथा पंचखेरो जलाशय परियोजना के संबंध में भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना भी निकट की ही अवधि की थी तथा उनके बीच एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं था। यह भी निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर भी उपयुक्त रूप से विचार नहीं किया है, जिसमें मामले में अंतर्ग्रस्त तथ्यों तथा परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत इस न्यायालय द्वारा 660/– रुपये प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर अभिनिर्धारित किया गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उद्धृत किया गया था तथा प्रदर्श 1 के माध्यम से उसकी प्रतिलिपि भी पेश की गयी थी, परन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर उसके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार में नहीं लिया है। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीगण ने कई साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं तथा अपीलार्थीगण द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों में से अधिकांश उनके मामले के समर्थन में दावा के वर्धन के उद्देश्य के लिये सुसंगत थे। तथापि, उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपयुक्त रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के कुछ हिस्से की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया तथा निम्नवत् निवेदन किया:–

कि अपीलार्थीगण के गवाहों ने भी अपने अभिसाक्ष्य में यह तथ्य कथित किये हैं कि अधिगृहित भूमि का एक बड़ा हिस्सा धान सं॰ 1 तथा तांड़ सं॰ 1 है तथा एक वर्ष में तीन फसल उगाने योग्य है क्योंकि सिंचाई की उत्तम सुविधा है तथा भूमि काफी उपजाऊ है। यह भी निवेदन किया गया है कि उन्होंने यह भी कथित किया है कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास के कारण, भूमि की कीमत दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है।

कि अपीलार्थीगण ने प्रदर्शों के तौर पर कुछ दस्तावेजों को भी पेश किया है। प्रदर्श सं॰ 1 दर्शाता है कि लगभग 2,000/– रुपये प्रति डिसमिल की दर से केन्द्र सरकार (दूरसंचार विभाग) को बछेडीह का क्षेत्र अंतरित किया गया था। उक्त परियोजना के लिये अपीलार्थीगण की भूमि के अधिग्रहण के एक वर्ष पहले 7.7.1987 को भूमि का यह अंतरण हुआ था।

कि दावे के समर्थन में गवाहों में से एक गवाह सं॰ 3 ने स्पष्टतः कथित किया है कि उसके भाई ने अधिगृहित क्षेत्र में 15,00/– रुपये प्रति डिसमिल की दर से जनवरी, 1987 में दो डिसमिल जमीन बेंची थी। इसी अनुक्रम में अपीलार्थीगण ने एक अन्य प्रदर्श, अर्थात, प्रदर्श 1/1 प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा 7.11.1984 (कथित भूमि अधिग्रहण के लगभग चार वर्ष पहले) को मौजा बछेडीह के अधीन जमीन 10 डिसमिल जमीन के लिये 5,000/– रुपये की प्रतिफल राशि पर बेची गयी थी।

कि दस्तावेजी साक्ष्य, अर्थात, प्रदर्श 4, जो एल॰ आर॰ केस सं॰ 123/90 से 254/90 में पारित भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश का निर्णय है, से यह प्रकट होता है कि 736/- रुपये प्रति डिसमिल की एक समान दर पर उसी जिला में भैरवा जलाशय परियोजना के अधीन भूमि का एक बड़ा टुकड़ा अधिगृहित किया गया था।

कि अपीलार्थीगण ने उसी प्रखंड, मरकाछो की सीमाओं के भीतर पछखेरो जलाशय परियोजना के लिये भूमि के अधिग्रहण से संबंधित प्रथम अपील सं॰ 150/92 (आर॰) से 181/92 (आर॰) में पारित निर्णय की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। यह चौंकाने वाला है कि इस उच्च न्यायालय का निर्णय अवर न्यायालय द्वारा विचारित नहीं किया गया है इस आधार पर कि पंचखेरो जलाशय परियोजना की भूमि का अधिग्रहण 23.3.1988 को किया गया था तथा वर्तमान संदर्भ मामले वर्ष 1987 में किये गये काफी पहले के अधिग्रहण से संबंधित हैं। इस प्रकार विचार किया जाना दोषपूर्ण है। तथापि, यह तथ्य है कि पंचखेरो जलाशय परियोजना के अधीन भूमि का अधिग्रहण अपीलार्थी की भूमि के ही अधिग्रहण के ही वर्ष 23.3.1988 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

4. इसके विरूद्ध, प्रत्यर्थी-राज्य सरकार के लिये उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र को निर्दिष्ट करके निवेदन किया कि विद्वान अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत एक विस्तृत निर्णय तथा अधिनिर्णय पारित किया है तथा अतएव, इसके साथ हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है एवं विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय सम्पुष्ट किया जा सकता है। यह भी निवेदन किया गया है कि भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी द्वारा 24% वर्धन पहले ही विचारित किया जा चुका है तथा भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी द्वारा पारित अधिनिर्णय में इसका प्रभाव प्रदान किया जा चुका है। प्रत्यर्थी-राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अवर न्यायालय द्वारा किये गए सम्परीक्षणों को निर्दिष्ट करके निवेदन किया कि विद्वान अवर न्यायालय ने मौखिक तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर भी विस्तार से चर्चा किया है तथा तत्पश्चात् निष्कर्ष पर पहुँचा है, जो विधि के अनुसार प्रतीत होता है तथा अतएव, उक्त निष्कर्षों के साथ प्रथम अपीलों के वर्तमान समूह में हस्तक्षेप नहीं किया जाय।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उनके द्वारा दाखिल लिखित निवेदनों को निर्दिष्ट करके निवेदन किया कि इन प्रथम अपीलों के लंबित रहने के दौरान केशो जलाशय परियोजना के भूमि खोने वालों द्वारा किये गये विरोध को देखते हुए, झारखंड सरकार, जल संसाधन विभाग ने उपायुक्त, कोडरमा को उनसे उनकी अध्यक्षता के अधीन एक समिति गठित करने का आग्रह करते हुए दिनांक 18 मार्च, 2009 के ज्ञापन के माध्यम से केशो जलाशय परियोजना के भूमि खोने वालों को भुगतान के संबंध में एक पत्र लिखा था, ताकि भूमि खोने वालों के साथ संवादों के उपरान्त, समस्या का समाधान किया जा सके। यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के उपरोक्त निर्दिष्ट पत्र के आलोक में, उपायुक्त, कोडरमा (प्रत्यर्थी सं॰ 1) की अध्यक्षता के अधीन एक समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति में अध्यक्ष के अलावा राज्य के अन्य उच्चस्तरीय पदाधिकारीगण थे। यह प्रतीत होता है कि उक्त समिति ने भूमि खोने वालों के साथ सम्यक् संवादों के उपरान्त तथा मामले की उपयुक्त संवीक्षा के उपरान्त राज्य सरकार को निम्नांकित अनुशंसायें की थीं:-

(i) Hkfe [kku okyk dh ekx dk n[kr g,] ekuuh; mPp U;k;ky; }kjk ;Fkk fuèkkfjr ip[kjk tyk'k; ifj;ktuk d Hkfe [kku okyk d fy; ifrdj dh nj d vkèkkj ij d'kk tyk'k; ifj;ktuk d iHkkfor vfHkèkkfj;k dk ifrdj d Hkxrku d fy, vkj dne mBk; tku pkfg,A ekuuh; mPpre U;k;ky; u ip[kjk tyk'k; d Hkfe [kku okyk dk Hkfe vfèkxg.k vfèkfu;e d vèkhu vU;

ykHkk d lkFk 660@& #i; ifr fMlfey dh ,d leku nj fuèkkfjr dh FkhA vuyXud 2

(ii) ekuuh; mPp U;k;ky; d le{k le>krk vkonu d ekè;e l d'kk tyk'k; ifj;ktuk d xkeh.kk (Hkfe [kku okyk) }kjk nkf[ky vihyk d fuLrkj.k d fy; dne mBk; tku pkfg,] rkfd vihyk dk fuLrkj.k fd;k tk ld rFkk foHkkx ,o xkeh.kk d chp dk fookn ly>k;k tk ldA

यह निवेदन किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपरोक्त कथित अनुशंसाओं के आलोक में, विभाग द्वारा प्रतिकर की राशि की गणना की गयी है तथा लोक अदालत के माध्यम से विवाद का समाधान करके एक सौहार्द्रपूर्ण समाधान पर पहुँचने की संभावना का पता लगाने के लिये भी कदम उठाये गये थे। तद्नुसार, इस न्यायालय द्वारा प्रथम अपील संख्याओं 127 वर्ष 2006 एवं अन्य सदृश मामलों में पारित दिनांक 27.9.2010 के अपने आदेश द्वारा 319 प्रथम अपील मामले लोक अदालत को निर्दिष्ट किये गये थे। यह भी निवेदन किया गया है कि 9.10.2010 को इस न्यायालय के परिसर में भी लोक अदालत आयोजित की गयी थी जिसमें राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव ने 660 रुपये प्रति डिसमिल की दर से केशो जलाशय परियोजना के भूमि खोने वालों को प्रतिकर की राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया था। इस संबंध में, विभाग के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षराधीन विभाग द्वारा दिनांक 9.10.2010 का एक पत्र निर्गत किया गया था उसमें यह कथित करते हुए कि सरकार 660/- रुपया प्रति डिसमिल की दर से केशो जलाशय परियोजना के भूमि खोने वालों को प्रतिकर का भुगतान करने के लिये तैयार थी परन्तु किसी प्रकार उक्त प्रस्ताव समाधान तक नहीं पहुँच सका था।

6. अब प्रथम अपीलों के प्रस्तुत समूह में उपरोक्त निवेदन के आलोक में, जिस मूल प्रश्न का निर्णय किये जाने की आवश्यकता है, वह इसको लेकर है कि ''क्या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रतिकर अपीलार्थीगण के लिये पर्याप्त प्रतिकर है या अपीलार्थीगण उससे अधिक के हकदार हैं जितने का प्रस्ताव किया गया है।'' उपरोक्त मुद्दे का निर्णय करने के उद्देश्य के लिये, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित साक्ष्यों पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

7. बछेडीह ग्राम के एल॰ आर॰ सं॰ 68 से 122 वर्ष 1990/1 से 55 वर्ष 1997 (27/97 को छोड़कर) के मामले में आवेदकों ने कुल मिलाकर तीन गवाहों को परीक्षित किया था तथा विपक्षी ने दो गवाहों को परीक्षित किया था।

ए॰ डब्ल्यू॰ 1 (मांगर महतो)	उसने कथित किया कि उसकी जमीन का केशो जलाशय के लिये वर्ष 1985-86 में अधिग्रहण किया गया था तथा अति अल्प प्रतिकर का भुगतान किया गया है। उसने कथित किया था उसकी अधिगृहित भूमि की प्रकृति कोटि I भूमि की थी तथा वह एक वर्ष में तीन फसलें उगाया करता था। उसने यह भी कथित किया था कि तिलैया-गिरीडीह मुख्य सड़क अधिगृहित भूमि से होकर गुजरती है। एक एकड़ में एक वर्ष में 45 मन धान एवं 40 मन गेहूँ तथा खेसाड़ी भी उगता है। उसने यह भी कथित किया था कि नवलशाही गांव बछेडीह गांव से सटा हुआ है तथा दूरसंचार विभाग ने 2,000/- रुपये प्रति डिसमिल की दर से वर्ष 1983-84 में जमीन खरीदी थी।
ए॰ डब्ल्यू॰ 2 (अर्जुन साव)	उसने कथित किया कि 7.7.1987 को उसने केन्द्र सरकार को 45,914/- रुपये में मौजा नवलशाही खेसड़ा सं॰ 3 खाता सं॰ 43 की 23 डिसमिल जमीन बेची थी तथा इसे दूरसंचार विभाग के लिये खरीदा गया था। भूमि

	की प्रकृति टांड़ थी। उसने यह भी कथित किया कि नवलशाही तथा बछेडीह की जमीन की प्रकृति एक ही है। विक्रय–विलेख प्रदर्श 1 के तौर पर अंकित किया गया है।
ए॰ डब्ल्यू॰ 3 (छोटु महतो)	उसने कथित किया कि उसकी भूमि भी केशो जलाशय के लिये अर्जित की गयी है। वह अधिगृहित भूमि पर तीन फसलें उगाया करता था। उसने 5,000/– रुपये प्रति डिसमिल के प्रतिकर का दावा किया था।
वि॰ सा॰ 1 (दशरथ ठाकुर)	वह भूमि अधिग्रहण कार्यालय में अमीन था। उसने विक्रय तालिका प्रदर्शित किया था तथा इसे प्रदर्श 1 के तौर पर अंकित किया गया है। प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया था कि प्रदर्श A के स्तंभ संख्या 14 में टांड़ II जमीन की दर 45,000/– रुपये प्रति एकड़ दी गयी थी। उसने यह भी कथित किया कि टांड़ I तथा धान I की दर टांड़ II भूमि की चार गुणा होगी। धान II भूमि की दर दुगने से अधिक होगी तथा धान III भूमि का मूल्य टांड़ II की दर का दुगुना होगा। उसने यह भी कथित किया कि तांड I तथा धान I की दर 2,00,000/– रुपये प्रति एकड़ थी, धान II की दर 1,25,000/– रुपये प्रति एकड़ थी तथा धान III की दर 1,00,000/– रुपये प्रति एकड़ थी एवं टांड़ III की दर 12,000/- रुपये प्रति एकड़ थी।
वि॰ सा॰ 2 (लखन सिंह)	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अधिगृहित भूमि का स्थल सत्यापन किया है। उसने कथित किया था कि अधिगृहित भूमि का मूल्य रजिस्ट्री कार्यालय से विक्रय तालिका के आधार पर आकलित किया गया था तथा इसे प्रदर्श A के तौर पर अंकित किया गया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया था कि भूमि के वर्गीकरण के आधार पर भूमि का मूल्य आकलित किया गया था। प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया कि प्रदर्श A के क्रम सं॰ 10 में उपलब्ध मूल्य के आधार पर भूमि का मूल्य आकलित किया गया है। उसने यह भी कथित किया कि क्रम सं॰ 42 की भूमि टांड़ II थी परन्तु इसे आधार दर नहीं बनाया गया है। उसने यह भी कथित किया कि क्रम सं॰ 9 की भूमि परती गारा है परन्तु इसे प्रतिकर के आकलन के लिए आधार नहीं बनाया गया है। प्रदर्श A के क्रम संख्या 42 का विक्रय–विलेख प्रदर्श 1/1 के तौर पर अंकित किया गया था।

निम्नांकित दस्तावेजों को भी प्रदर्शों के तौर पर अंकित किया गया था :–

in'k 1& foØ; foy[k l0 8580 fnukd 7.7.1987

in'k 1@1 & foØ; foy[k l0 9054 fnukd 7.11.1984 ftl d }kjk 10 fMlfey tehu 5]000@& #i; e cph x;h FkhA

in'k 2&cNMhg xke dk ekufp=

in'k 3&[kfr;ku

in'k 4&,y0 vkj0 dl l0 123@90 l 254@90 dk vkn'k i=d

in'k A&foØ; rkfydk

in'k B–eY;kdu [kfr;ku

in'k C–Hkfe vfekxg.k inkfekdkjh dk fnukd 11.12.1980 ,o 18.1.1980 dk vkn'k i=dA

8. <u>ग्राम मसमोहना</u> के एल० आर० सं० 779 से 885 वर्ष 1990 के मामले में उन्हें एक साथ मिलाने के पहले तीन गवाहों को परीक्षित किया गया था।

आवेदक गवाह सं० 1 (भगीरथ पांडे)	उसने अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार किया था कि उसकी भूमि का केशो जलाशय के लिए अर्जन किया गया है। उसने यह भी कथित किया था कि उसकी भूमि उपजाऊ थी तथा इससे एक पक्की सड़क भी होकर गुजरती है। उसने यह भी कथित किया था कि बछेडीह गांव की अधिगृहित भूमि की दर 736/- रुपया प्रति डिसमिल निर्धारित की गयी थी। उसने यह भी कथित किया कि अधिग्रहण के समय अधिगृहित भूमि का मूल्य 6,000/- रुपये प्रति डिसमिल था तथा उसने अपनी अभ्यापत्ति में 6,000/- रुपये प्रति डिसमिल की मांग किया था।
आवेदक गवाह सं० 2 (राम नारायण सिंह)	उसने कथित किया कि केशो जलाशय के लिये 11 गांवों का अधिग्रहण किया गया था तथा सभी एक दूसरे से सटे हुए हैं। उसने यह भी कथित किया कि केशो जलाशय के लिये बछेडीह गांव के जमीन का भी अधिग्रहण किया गया था तथा 736/- रुपया प्रति डिसमिल की दर पर मूल्य निर्धारित किया गया था तथा उसने स्वीकार किया था कि उसकी जमीन की प्रकृति एवं बछेडीह गांव की जमीन की प्रकृति लगभग एक ही थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि नवल शाही उसकी जमीन से लगभग चार किलोमीटर दूर है तथा नवल शाही की 23 डिसमिल जमीन भारत सरकार द्वारा 45,914/- रुपये में अर्जित की गयी थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि कुछ जमीन का बढ़वा बांध के लिए अधिग्रहण किया गया था तथा प्रतिकर 736/- रुपया प्रति डिसमिल आकलित किया गया था। उसने दावा किया उसकी वाटिका एवं कुएँ का भी मूल्यांकन सही रूप से नहीं किया गया था। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि अधिग्रहण के समय भूमि अधिग्रहण विभाग से व्यक्तियों ने स्थल का दौरा किया था तथा दस्तावेजों का परिशीलन भी किया था।
आवेदक गवाह सं० 3 (प्रसादी महतो)	उसने अपने अभिसाक्ष्य में कथित किया था कि कुन्दीधनवार गांव की उसकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है तथा संदत्त प्रतिकर एक अल्प राशि है। उसने यह भी कथित किया कि उसकी बछेडीह की जमीन का भी अधिग्रहण किया गया था तथा दर 736/- रुपये प्रति डिसमिल आकलित की गयी थी एवं दोनों जमीनें समान मूल्य की हैं। कुएँ तथा वृक्ष का मूल्य भी काफी कम आकलित किया गया था। उसने यह भी कथित किया कि अधिगृहित भूमि से एक पक्की सड़क भी गुजरती है तथा भूमि से कुछ दूरी पर एक कारखाना है। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि भूमि का मूल्य क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया कि कुन्दीधनवार से बछेडीह की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। उसने यह भी कथित किया कि भूमि अधिग्रहण विभाग से आये व्यक्तियों ने स्थान का दौरा भी किया था तथा इसके बारे में पूछ-ताछ किया था।

इन मामलों में निम्नांकित दस्तावेजों को प्रदर्शों के तौर पर अंकित किया गया था:-

in'k 1&Hkfe vfèkxg.k U;k;kèkh'k dk fnukd 29.4.1992 dk vkn'k i=dA

in'k 1/A–Hkfe vfèkxg.k U;k;kèkh'k dk fnukd 2.12.1992 dk vkn'k i=dA

in'k 1/B–Hkfe vfèkxg.k U;k;kèkh'k dk fnukd 3.9.1991 dk vkn'k i=dA

in'k 2&foØ;&foy[k l0 8580 fnukd 7.7.1987 dh vfHkiekf.kr ifrfyfi] uoy'kkgh xko dh 23 fMlfey tehu 45]914@& #i; e cph x;hA

in'k 2@A–foØ; foy[k l0 272 fnukd 9.1.1987 dh vfHkiekf.kr ifrfyfi] elekguk xko dh 2 fMlfey tehu 3]000@& #i; e cph x;hA

in'k 2/B–foØ;&foy[k l0 4426 fnukd 19.5.1988 dh vfHkiekf.kr ifrfyfi] elekguk xko dh 8 fMlfey tehu 8]000@& #i; e cph x;hA

in'k 2/C–foØ; foy[k l[;k 9513 fnukd 10.12.1985 dh vfHkiekf.kr ifrfyfi] xke elekguk dh 1 fMlfey tehu 500@& #i; e cph x;hA

in'k 2/D–foØ;&foy[k l0 8083 fnukd 10.9.1984 dh vfHkiekf.kr ifrfyfi] elekguk xko dh 4 fMlfey tehu 2]000@& #i; e cph x;hA

in'k 2/E–foØ;&foy[k l0 8921 fnukd 29.11.1986 dh vfHkiekf.kr ifrfyfi] elekguk dh 10½ fMlfey tehu 5]000@& #i; e cph x;hA

in'k 2/F–foØ;&foy[k l0 10220 fnukd 21.12.1984 dh vfHkiekf.kr ifrfyfi] elekguk xko dh 13 fMlfey tehu 6]000@& #i; e cph x;hA

in'k 3&ejdkpk vpy dk ekufp=A

9. टिकोपाड़ा गांव के एल० आर० केस संख्या 915 से 923 वर्ष 1990 के मामलों में, आवेदकों ने तीन गवाहों को परीक्षित किया था:–

ए० डब्ल्यू 1 (धरका महतो)	उसने कथित किया था कि टिकोपाड़ा गांव में उसकी जमीन अधिगृहित की गयी थी तथा भूमि में वह तीन फसलें उगाया करता था। टिकोपाड़ा एवं कुंडीधनवार की भूमि एक समान ही है।
ए० डब्ल्यू 2 (भोला राम)	उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि केशो जलाशय के लिए उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उसने यह भी कथित किया था कि वह कुंडीधनवार की चंद्रीका देवी को जानता है तथा उसके भूमि तथा चंद्रिका देवी की भूमि लगभग एक समान ही है।
ए० डब्ल्यू 3 (गोकुल प्रसाद यादव)	उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि टिकापाड़ा में उसकी भूमि का केशो जलाशय के लिए अधिग्रहण किया गया था। उसने यह भी कथित किया था कि कुंडीधनवार तथा टिकोपाड़ा में भूमि का मूल्य एक ही है।

प्रदर्श 1–एल० आर० संख्या 169/91 में तथा समूह के मामलों के साथ दिनांक 2.12.1992 का आदेश पत्रक।

10. टिकोपाड़ा गांव के एल० आर० सं० 898 से 914 वर्ष 1990/एल० आर० 455 से 471 वर्ष 1995, 1990 में, आवेदकों ने चार गवाहों को परीक्षित किया था।

ए० डब्ल्यू 1 (देपत राम)	उसने कथित किया कि टिकोपाड़ा में उसकी भूमि का केशो जलाशय के लिये अधिग्रहण किया गया था तथा 100/– रुपये प्रति डिसमिल के प्रतिकर का भुगतान किया गया था। उन्होंने 5,000/– रुपये प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर का दावा किया है। अधिगृहित सभी भूमि एक ही प्रकृति एवं मूल्य की है। अधिगृहित भूमि के चारों ओर सड़कें हैं।
ए० डब्ल्यू 2 (धिल्लो राम)	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि केशो जलाशय के लिए उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उसने यह भी कथित किया कि अधिगृहित भूमि में वह एक वर्ष में तीन फसलें उगाया करता था। उसने यह भी कथित किया कि कुंडीधनवार तथा टिकोपाड़ा की जमीन समान मूल्य तथा प्रकृति की हैं। उसने यह भी कथित किया कि अधिग्रहण के समय भूमि की दर 1,500/– रुपये प्रति डिसमिल थी।

ए॰ डब्ल्यू 3 (भोला राम)	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि केशो जलाशय के लिये उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा अधिग्रहण के समय भूमि का मूल्य 1,000/– रुपये प्रति डिसमिल था। भूमि में वह गेहूँ, चना, धान उगाया करता था। उसने यह भी कथित किया कि नवलशाही गांव में एक दूरभाष एक्सचेंज है। परसाबाद रेलवे स्टेशन अधिगृहित भूमि के निकट है। सभी गांवों की अधिगृहित भूमि एक दूसरे से सटी हुई हैं तथा अभ्यापत्ति के साथ प्रतिकर प्राप्त किया गया है।
ए॰ डब्ल्यू 4 (द्वारिका महतो)	उसने कथित किया कि वह कुंडीधनवार गांव का भूतपूर्व मुखिया है। सभी अधिगृहित भूमि समान मूल्य तथा प्रकृति की हैं। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अधिगृहित भूमि में से 50 एकड़ उपजाऊ भूमि है तथा अन्य कोटि II भूमि है।

एल॰ आर॰ संख्या 69/91 से 559/91 का आदेश पत्रक प्रदर्श 1 के तौर पर अंकित है।

11. पसीयाडीह गांव के एल॰ आर॰ केस सं॰ 674 से 676 वर्ष 1992 के मामले में एक गवाह परीक्षित किया गया है।

ए॰ डब्ल्यू 1 (द्वारिका महतो)	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी कुडीधनवार की भूमि अधिगृहित की गयी है तथा वह खेत में गेहूँ, दाल एवं आलू उगाया करता था। भूमि नदी के निकट है। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि पसीयाडीह गांव में एक विद्यालय तथा अस्पताल है। उसने यह भी कथित किया कि उसके गांव तथा पसीयाडीह गांव की भूमि का मूल्य एवं प्रकृति एक ही है तथा सपाट भूमि है। उसने यह भी कथित किया कि उसके गांव की भूमि के लिए प्रतिकर 736 रुपये प्रति डिसमिल निर्धारित किया गया था। उसने यह भी कथित किया कि पसीयाडीह तथा कुंडीधनवार की भूमि एक समान है। उसने यह भी कथित किया कि कुंडीधनवार गांव में मिलन सिंह ने 4,000/– रुपये में अपनी जमीन बेची थी तथा बेची गयी जमीन एवं अधिगृहित जमीन का मूल्य एक ही है।

एल॰ आर॰ संख्या 761 से 778 वर्ष 1992 के आवेदकों ने यथा उपरोक्त दिये गये साक्ष्यों पर भी भरोसा किया है।

12. कैलाखंडर गांव के एल॰ आर॰ संख्या 33 से 44 वर्ष 1991 के आवेदक इसमें नीचे प्रस्तुत है:–

ए॰ डब्ल्यू 1 (बासुदेव यादव)	उसने कथित किया था कि केशो जलाशय के लिये उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उन्हें 5 रुपये प्रति डिसमिल, 44 रुपये प्रति डिसमिल एवं 88 रुपये प्रति डिसमिल के प्रतिकर का भुगतान किया गया है। उसने कथित किया कि उसने 5,000/– रुपये प्रति डिसमिल का दावा किया है। उसने यह भी कथित किया कि खेत में तीन फसलें उगती हैं तथा उसने यह भी कथित किया कि वे केशो नदी से खेत की सिंचाई करते हैं। उसने यह भी कथित किया कि अधिगृहित सभी जमीनों की प्रकृति एवं मूल्य एक समान है। उसने यह भी कथित किया कि बछेडीह तथा कुंडीधनवार गांव के लिये भुगतान किये गये प्रतिकर की दर 736/– रुपये प्रति डिसमिल है। उसने यह भी कथित किया कि गिरीडीह–कोडरमा सड़क उसके गांव से होकर गुजरती है।

ए॰ डब्ल्यू 2 (अर्जुन साव)	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि भारत सरकार ने 7.7.1987 को 45,914/- रुपये में उसकी जमीन खरीदी थी। उसने यह भी कथित किया कि अधिगृहित भूमि बेची गयी जमीन से चौथाई किलोमीटर पर है। उसने यह भी कथित किया कि खतियान में अधिकांश जमीन धान खेती के तौर पर अभिलिखित है तथा कुछ भूमि टांड़ भूमि है।

13. कैलाखंडर गांव के एल॰ आर॰ केस सं॰ 560/95 से 571/95 के मामलों में, निम्नांकित गवाहों को परीक्षित किया गया था:–

ए॰ डब्ल्यू 1 (रामेश्वर प्रसाद यादव)	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि कैलाखंडर की उसकी जमीन का केशो जलाशय के लिये अधिग्रहण किया गया है। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वह अधिगृहित खेत में गेहूँ, गन्ना एवं सब्जियाँ इत्यादि उगाया करता था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अधिग्रहण के समय अधिगृहित भूमि का मूल्य 4,000-5,000/- रुपये प्रति डिसमिल था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि कैलाखंडर तथा कुंडीधनवार दोनों की ही भूमि का मूल्य तथा प्रकृति एक समान है।
ए॰ डब्ल्यू 2 (वासुदेव महतो)	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि कैलाखंडर के उसकी जमीन का केशो जलाशय के लिए अधिग्रहण किया गया है। उसने कथित किया कि उसकी जमीन तथा कुंडीधनवार की जमीन समान मूल्य तथा प्रकृति की हैं।
ए॰ डब्ल्यू 3 (वासुदेव यादव)	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि केशो जलाशय के लिये उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उसने कथित किया कि अधिग्रहण के समय उसने 400-800 रुपये प्रति डिसमिल से एक भूमि खरीदी थी। उसने कथित किया कि कुंडीधनवार तथा कैलाखंडर ग्रामों की भूमि समान उद्देश्य के लिए अधिगृहित की गयी हैं। उसने यह भी कथित किया कि चंद्रीका देवी एवं अन्य के माध्यम से एक ही आदेश द्वारा कुंडीधनवार गांव के लगभग 302 मामलों का निस्तारण किया गया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि कुंडीधनवार तथा कैलाखंडर की भूमि समान मूल्य तथा प्रकृति की हैं।

14. भगटीयाडीह गांव के 47 से 51 वर्ष 1991/583 से 587 वर्ष 1995 के मामलों में, आवेदकों ने एक गवाह पेश किया था।

ए॰ डब्ल्यू 1 (बौधी यादव)	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी बछेडीह की जमीन का अधिग्रहण किया गया था तथा प्रतिकर 600 रुपये प्रति डिसमिल निर्धारित किया गया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी भूमि तथा भगटीयाडीह की भूमि समान मूल्य तथा प्रकृति की हैं। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अर्जुन साव ने 2,000/- रुपये प्रति डिसमिल की दर से अपना 2-4 कट्ठा बेचा था।

15. कुंडीधनवार गांव के एल॰ आर॰ संख्या 718 से 740 वर्ष 1992, 295 से 296 वर्ष 1991, 435/91, 437/91 एवं 442/91 (एल॰ आर॰ संख्या 592 से 614 वर्ष 1995, 550 से 551 वर्ष 1995, 435/95, 439/95 एवं 442/95, के मामलों में निम्नांकित गवाहों को परीक्षित किया गया है।

ए॰ डब्ल्यू 1 (गरिका महतो)	उसने कथित किया कि सभी अधिगृहित भूमि एक समान मूल्य तथा प्रकृति की है। उसने यह भी कथित किया कि अधिग्रहण के समय उसके गांव की भूमि का मूल्य 4,000/- रुपये प्रति डिसमिल था।
ए॰ डब्ल्यू 2 (राम नारायण सिंह)	उसने कथित किया कि केशो जलाशय के लिये उसकी कुंडीधनवार की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उसने यह भी कथित किया कि उन्होंने

	अधीनस्थ न्यायाधीश II के समक्ष एक मामला दाखिल किया था तथा 302 मामले निर्णीत किये गये थे एवं धानखति भूमि का प्रतिकर 726 रुपये प्रति डिसमिल की दर से निर्धारित किया गया था तथा टांड़ 3 एवं 4 का प्रतिकर 450 रुपया प्रति डिसमिल की दर से निर्धारित किया गया था। उसने यह भी कथित किया कि प्रश्नाधीन भूमि का मूल्य तथा उस भूमि, जिसका प्रतिकर निर्णीत किया गया था, का मूल्य एक समान है। उसने यह भी कथित किया कि प्रश्नाधीन जमीनों में से अधिकांश कोटि I एवं II की हैं तथा कुछ जमीनें कोटि III एवं IV की हैं।
ए० डब्ल्यू 3 (पोखराज सिंह)	उसने कथित किया कि केशो जलाशय के लिये उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उसने कथित किया कि वह अधिगृहित भूमि पर गेहूँ एवं सब्जी उगाया करता था। उसने यह भी कथित किया कि केशो जलाशय के लिए अधिगृहित समूची भूमि की प्रकृति एक ही है। उसने यह भी कथित किया कि उसकी भूमि कोटि 1 एवं II की है।
ए० डब्ल्यू 4 (गोकुल प्रसाद यादव)	उसने कथित किया कि उसकी कुंडीधनवार की भूमि का भी अधिग्रहण किया गया था। उसने कथित किया कि उसने अभ्यापत्ति के साथ प्रतिकर प्राप्त किया था तथा तत्पश्चात् एक मामला दाखिल किया था। उसने यह भी कथित किया कि 2.12.92 को 303 मामले निर्णीत किये गये थे तथा इसका शीर्षक चंद्रिका देवी एवं अन्य था। उसने यह भी कथित किया कि चंद्रिका देवी एवं अन्य तथा गणेश महतो एवं अन्य की भूमि समान मूल्य तथा प्रकृति की हैं। उसने यह भी कथित किया कि अधिग्रहण के समय अधिगृहित भूमि की दर 1500/- रुपये प्रति डिसमिल थी। कोटि I की भूमि के लिये दिया गया प्रतिकर 400 रुपये प्रति डिसमिल तथा टांड़ II भूमि के लिए 200 रुपये प्रति डिसमिल तथा टांड़ III भूमि के लिये 50 रुपया प्रति डिसमिल है।

16. परनवाटांड गांव के एल० आर० संख्या 876 से 897 वर्ष 1990 के मामलों में निम्नांकित गवाहों को परीक्षित किया गया है।

ए० डब्ल्यू 1 (बंसी महतो)	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वर्ष 1987-88 में केशो जलाशय के लिये उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उसने यह भी कथित किया कि अधिग्रहण के समय उसके गांव की भूमि 300-400 रुपये प्रति डिसमिल की दर से बेची गयी थी। उसने यह भी कथित किया कि खेत में एक वर्ष में तीन फसलें धान, गेहूँ तथा सब्जियाँ उगती हैं तथा केशो नदी से भूमि की सिंचाई की जाती थीं। भूमि सपाट है तथा हजारीबाग-गिरीडीह सड़क नवलशाही गांव से होकर गुजरती है। कुंडीधनवार के लिए प्रतिकर 700-800 रुपये प्रति डिसमिल निर्धारित किया गया था एवं दोनों जमीनों की प्रकृति एवं मूल्य एक ही है।
ए० डब्ल्यू 2 (रामदेव महतो)	वह मामले के आवेदकों में से एक है। उन्होंने लगभग 1500 रुपये प्रति डिसमिल के प्रतिकर का दावा किया है। उक्त जमीन में धान, गेहूँ एवं आलू उगता है तथा केशो नदी से भूमि की सिंचाई की जाती है। गांव में एक अस्पताल तथा विद्यालय है। उसने यह भी कथित किया कि सभी जमीनों का मूल्य तथा प्रकृति एक समान है। उसने यह भी कथित किया कि अर्जुन साव ने 7,000-8,000/- रुपये प्रति कट्ठा में जमीन बेची थी।

ए० डब्ल्यू 3 (अर्जुन साव)	उसने कथित किया कि उसने 7.7.1987 को 45,914/– रुपये में सरकार को नवलशाही गांव की 19 डिसमिल जमीन बेची थी। उसने यह भी कथित किया कि परनावातांड गांव की जमीन उसकी जमीन से बेहतर है। प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया कि उसकी जमीन आवास के लिये उपयुक्त थी तथा अधिगृहित भूमि में आवास का निर्माण नहीं किया जा सकता है।
ए० डब्ल्यू 4 (मेघन महतो)	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि परनावा टांड़ की उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा कोटि I भूमि के लिये प्रतिकर 200 रुपये प्रति डिसमिल निर्धारित किया गया था एवं कोटि II की भूमि के लिये 135 रुपये एवं कोटि III की भूमि के लिए 135 रुपये तथा कोटि IV की भूमि के लिए 35 रुपये प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर निर्धारित किया गया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी भूमि कोटि I एवं II धानखेती थी तथा टांड़ भूमि भी थी। उन्होंने 2000–5000/– रुपये प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर का दावा किया है।
ए० डब्ल्यू 5 (द्वारिका महतो)	उसने कथित किया कि अधिगृहित भूमि में वह धान, दाल एवं चना उगाया करता था। उसने यह भी कथित किया कि वर्ष 1985 में भूमि का मूल्य 4,000/– रुपये प्रति डिसमिल था। उसने यह भी कथित किया कि परनवा टांड़ तथा कुंडीधनवार की भूमि एक समान मूल्य तथा प्रकृति की हैं।
ए० डब्ल्यू 6 (बासुदेव प्रसाद यादव)	उसने कथित किया कि उसकी परनवा टांड़ की भूमि अधिगृहित की गयी है तथा परनवा टांड़ की भूमि एवं चंद्रिका देवी तथा अन्य की भूमि एक ही प्रकृति एवं मूल्य की हैं।

17. कटाही गांव के एल० आर० संख्या 223/95 से 330/95 (472/95 से 484/95) के मामलों में निम्नांकित गवाहों को परीक्षित किया गया है।

ए० डब्ल्यू सं० 1 (बासदेव यादव)	वह कथई गांव का एक निवासी है तथा उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि वर्ष 1987 में कथई गांव की समूची भूमि, अर्थात्, लगभग 129 एकड़ का केशो बांध के लिये अधिग्रहण किया गया है। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वे एक वर्ष में तीन उत्पाद, अर्थात, धान, गेहूँ एवं आलू उगाया करते थे परन्तु उन्हें पर्याप्त मुआवजा अधिनिर्णीत नहीं किया गया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि हजारीबाग में अधिग्रहण के लिये अधिसूचना की तिथि के पहले कथई गांव की भूमि की दर 2,000/– रुपये से 5,000/– रुपये प्रति डिसमिल थी तथा बछेडीह गांव के किसी अर्जुन साव ने वर्ष 1986–87 में 42,000/– रुपये में सरकार, अर्थात, दूरसंचार विभाग को 7 डिसमिल जमीन बेची थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके गांव–कथई में अबरख की खानें, विद्यालय, महाविद्यालय एवं अस्पताल हैं। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पड़ोस के गांव बछेडीह का प्रतिकर 736 रुपया प्रति डिसमिल निर्धारित किया गया था तथा उसके गांव में भी कुछ जमीनों, अर्थात, गोराहा भूमि के लिए 736 रुपये प्रति डिसमिल दिया गया था।
ए० डब्ल्यू सं० 2 (अर्जुन साव)	वह नवलशाही गांव का एक निवासी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने 7.7.1987 को 45,914/– रुपये में भारत सरकार को अपनी 23

	डिसमिल जमीन बेची थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वछेडीह गांव तथा कुंडीधनवार गांव के लिये 736 रुपये एवं 700 रुपये प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर की राशि दी गयी थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उन्हें 3,000/- रुपये से 5,000/- रुपये प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर दिया जाना चाहिए।
ए॰ डब्ल्यू सं॰ 3 (द्वारिका महतो)	वह कुंडीधनवार गांव का निवासी तथा मुखिया भी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि कथई एवं कुंडीधनवार ग्रामों की जमीन की गुणवत्ता एक समान है। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि कुंडीधनवार गांव में अधिगृहित भूमि के लिए प्रतिकर राशि 736 रुपये प्रति डिसमिल की दर से अधिनिर्णित की गयी है।
ए॰ डब्ल्यू सं॰ 4 (बुलाकी यादव)	वह कथई गांव का निवासी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि केशो बांध के लिए उसकी आठ एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था तथा वह पूर्वोक्त जमीन में एक वर्ष में तीन फसलें उगाया करता था। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि अधिगृहित भूमि के लिए उसे पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है जिसके लिए उन्होंने एक अभ्यापत्ति किया था तथा प्रतिकर की राशि के तौर पर 5,000/- रुपये की दर से, अर्थात, भूमि के बाजार मूल्य की दर से मुआवजे की मांग की थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी भूमि, आवास तथा वृक्ष का भी अधिग्रहण किया गया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अधिग्रहण की अधिसूचना की तिथि को, भूमि का मूल्य 3,000 रुपये प्रति डिसमिल था।
ए॰ डब्ल्यू सं॰ 5 (बालेश्वर यादव)	वह कथई गांव का निवासी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि केशो बांध के लिए उसकी भूमि का भी अधिग्रहण किया गया था तथा वह एक वर्ष में पूर्वोक्त भूमि से तीन फसलें उगाया करता था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पड़ोस के एक गांव कुंडीधनवार की भूमि का भी अर्जन किया गया था तथा उन्हें 700 रुपये प्रति डिसमिल के दर से प्रतिकर दिया गया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अधिग्रहण के समय, उनकी भूमि का मूल्य 2500/- रुपये प्रति डिसमिल था।
ए॰ डब्ल्यू॰ सं॰ 6 (जागो महतो)	वह कथई गांव का निवासी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि केशो बांध के लिये 14 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा कुंडीधनवार गांव से संबंधित भूमि के लिये, 700 रुपये प्रति डिसमिल के दर से मुआवजा दिया गया था।
ए॰ डब्ल्यू॰ सं॰ 7 (लखन यादव)	वह कुंडीधनवार गांव का निवासी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि कथई गांव तथा कुंडीधनवार गांव की भूमि की ऊर्वरता एक समान है तथा पूर्वोक्त भूमि में वे एक वर्ष में तीन फसलें उगाया करते थे। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने कुंडीधनवार गांव में वर्ष 1985 में 8,500/- रुपये में अपनी पत्नी के नाम 14 डिसमिल जमीन खरीदी थी।

ए॰ डब्ल्यू॰ सं॰ 8 (केदार यादव)	वह कथई गांव का निवासी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि केशो बांध के लिए उसकी नौ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा उसे 45 से 50 रुपया प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर प्रदान किया गया था परन्तु पूर्वोक्त भूमि की वास्तविक दर 2,000/- रुपये प्रति डिसमिल है।
ए॰ डब्ल्यू॰ सं॰ 9 (राम नारायण सिंह)	वह कुंडीधनवार गांव का निवासी है। उसने कथित किया कि कुंडीधनवार तथा कथई गांव की भूमि एक समान मूल्य तथा प्रकृति की हैं। उसने यह भी कथित किया कि चंद्रिका देवी एवं अन्य की भूमि, जिसका अधिनिर्णय पारित किया गया है, तथा कथई की भूमि एक समान मूल्य तथा प्रकृति की है।
ए॰ डब्ल्यू॰ सं॰ 10 (बासुदेव यादव)	वह निमाडीह गांव का निवासी है। उसने भी कथित किया कि कुंडीधनवार तथा कथई गांव की जमीनें एक दूसरे से सटी हुई हैं एवं मूल्य तथा प्रकृति एक ही है। उसने यह भी कथित किया कि उसने कुंडीधनवार की चंद्रिका देवी की भूमि देखी है तथा चंद्रिका देवी की भूमि एवं निमाडीह की भूमि का मूल्य एक समान है।

इस मामले में विपक्षी ने एक गवाह पेश किया है:-

वि॰ प॰ सं॰ 1 (बासुदेव प्रसाद मंडल)	वह विशेष भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, हजारीबाग के तौर पर पदस्थापित था। उसने कथई गांव से संबंधित भूमि का मापन किया है तथा आठ हिस्सों, अर्थात, धान 1, धान 2, धान 3, टांड़ 1, टांड़ 2, टांड़ 3, परती एवं सड़क में भूमि का वर्गीकरण किया है।

18. एल॰ आर॰ संख्या 373 वर्ष 1992 में आवेदकों ने एक गवाह पेश किया था, जिसने विक्रय विलेख सिद्ध किया था तथा जिसने 2000/- रुपये की दर से नवलशाही गांव की 23 डिसमिल जमीन के विक्री के बारे में कथित किया है। उसने यह भी कथित किया है कि केशो जलाशय परियोजना के लिये 11 ग्रामों के अधीन अधिगृहित भूमि समरूप कोटि की है तथा हम भूमि से धान, गेहूँ एवं सब्जियाँ भी उगाते हैं।

19. मुख्य संचिका में मामलों, अर्थात, **एल॰ आर॰ केस सं॰ 779 से 875 वर्ष 1990 तथा एल॰ आर॰ केस सं॰ 40 से 42 वर्ष 1990 तथा एल॰ आर॰ केस सं॰ 45 एवं 46 वर्ष 1991** को एक साथ कर देने के उपरान्त आवेदकों ने पाँच गवाहों को प्रस्तुत किया था।

ए॰ डब्ल्यू॰ 1 (बासुदेव महतो)	उसने कथित किया कि केशो जलाशय के लिये उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा भुगतान किया गया प्रतिकर अति अल्प था। उसने यह भी कथित किया कि मसमोहना की भूमि बछेडीह एवं कुंडीधनवार गांव की भूमि की तुलना में बेहतर थी तथा दोनों जमीनों के लिये प्रतिकर 736 रुपया प्रति डिसमिल निर्धारित किया गया था। उसने यह भी कथित किया कि हजारीबाग जाने वाली सड़क उसके गांव से होकर गुजरती है। उसने यह भी कथित किया कि मरकाचो गांव मसमोहना गांव से चार किलोमीटर दूर है तथा मरकाचो की जमीन के लिए निर्धारित प्रतिकर भी 736 रुपये प्रति डिसमिल है।
ए॰ डब्ल्यू॰ 2 (बालेश्वर महतो)	उसने कथित किया कि केशो जलाशय के लिये उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उसने यह भी कथित किया कि अधिगृहित समूची भूमि

	लगभग एक समान है तथा एक दूसरे से सटी हुई है। उसने यह भी कथित किया कि मसमोहना में एक अबरख कारखाना, अस्पताल, बैंक एवं बाजार है। उसने यह भी कथित किया कि उसने 2000/- रुपये प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर का दावा किया था।
ए॰ डब्ल्यू॰ 3 (बहादुर मोदी)	उसने कथित किया कि केशो जलाशय के लिये उसकी भूमि अधिगृहित की गयी थी तथा अधिगृहित समूची भूमि एक ही प्रकृति की है। उसने यह भी कथित किया कि बछेडीह गांव की जमीन का भी अधिग्रहण किया गया है तथा मुआवजा 736 रुपया प्रति डिसमिल निर्धारित किया गया है। उसने यह भी कथित किया कि वह अधिगृहित खेत में एक वर्ष में तीन फसलें उगाया करता था। उसने यह भी कथित किया कि अधिग्रहण के समय अधिगृहित भूमि की दर 2000-5,000/- रुपये प्रति डिसमिल थी। उसने यह भी कथित किया कि उसके भाई ने 9.1.1987 को 3,000/- रुपये में मसमोहना की दो डिसमिल जमीन बेची थी।
ए॰ डब्ल्यू॰ 4 (गोकुल प्रसाद यादव)	उसने कथित किया कि उसकी कुंडीधनवार की जमीन का अर्जन किया गया है तथा 736 रुपया प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा निर्धारित किया गया था। उसने यह भी कथित किया कि मसमोहना तथा कुंडीधनवार गांव सटे हुए हैं तथा दोनों की जमीनों की प्रकृति एक ही है।
ए॰ डब्ल्यू 5 (राम नारायण सिंह)	उसने कथित किया कि अधिग्रहण के समय भूमि की कीमत 4,000/- रुपये प्रति डिसमिल थी। उसने यह भी कथित किया कि केशो जलाशय के उद्देश्य के लिये अधिगृहित समूची भूमि की प्रकृति एक समान है। उसने यह भी कथित किया कि कुंडीधनवार गांव के चंद्रिका देवी एवं अन्य ने 303 मामले दाखिल किये थे तथा अधीनस्थ न्यायाधीश-I, हजारीबाग द्वारा वर्ष 1992 में डिक्री की गयी है। प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया था कि उसकी अधिगृहित भूमि वर्ग 1 कोटि के अंतर्गत आती है। वह अपने खेत में तीन फसलें उगाया करता था।

एल॰ आर॰ 779/90 से 875/90 के अधीन आवेदकों द्वारा प्रदर्शों के तौर पर अंकित दस्तावेज

प्रदर्श 1	भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 3.9.91 के आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श 1A	भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश के दिनांक 29.4.92 के आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श 2	दिनांक 1.5.1991 की समझौता याचिका की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श 3	दिनांक 18.6.91 के आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श 4	विक्रय-विलेख सं॰ 8580 दिनांक 7.7.1987 की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जिसके द्वारा 45,914/- रुपये में 23 डिसमिल जमीन बेची गयी थी।
प्रदर्श 4A	विक्रय-विलेख सं॰ 8940 दिनांक 5.8.87 की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जिसके द्वारा 8500/- रुपये में 14 डिसमिल जमीन बेची गयी थी।
प्रदर्श 4B	विक्रय-विलेख 5915 दिनांक 10.4.87 की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जिसके द्वारा 31/3 डिसमिल जमीन 2,000/- रुपये में बेची गयी थी।

प्रदर्श 4C	विक्रय–विलेख 7953 दिनांक 16.9.88 की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जिसके द्वारा 6,000/– रुपये में चार डिसमिल जमीन बेची गयी थी।
प्रदर्श 4D	विक्रय–विलेख सं॰ 272 दिनांक 9.1.87 की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जिसके द्वारा 2 डिसमिल जमीन 3,000/– रुपये में बेची गयी थी।
प्रदर्श 5	खतियान की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श 6	बिहार सरकार, सिंचाई विभाग के दिनांक 26.4.91 के पत्र की प्रतिलिपि।
प्रदर्श 7	मरकाचो अंचल के मानचित्र की प्रतिलिपि।

20. विपक्षी पक्षकार ने कुल मिलाकर पाँच गवाहों को पेश किया है जिसके साक्ष्यों के मूल तत्वों को इसमें नीचे दिया गया है:–

विपक्षी पक्षकार गवाह सं॰ 1 (सुर्यदेव सिंह)	उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि रजिस्ट्री कार्यालय से भूमि की बिक्री के आधार पर अधिगृहित भूमि का मूल्य आकलित किया गया था। प्रति परीक्षा में उसने स्वीकार किया कि बछेडीह की भूमि का मूल्य 736 रुपया प्रति डिसमिल आकलित किया गया था।
विपक्षी पक्षकार गवाह सं॰ 2 (बासुदेव प्रसाद मंडल)	उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने कटाही गांव की भूमि का मापन किया था।
विपक्षी पक्षकार गवाह सं॰ 3 (दशरथ ठाकुर)	उसने कुछ भी सुसंगत कथित नहीं किया है।
विपक्षी पक्षकार गवाह सं॰ 4 (लखन सिंह)	उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि वह 1988 तक तेनुघाट में कानूनगो था। उसने रजिस्ट्री कार्यालय की विक्रय तालिका के अनुसार अधिगृहित भूमि का मूल्य आकलित किया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया था कि सारे गांव एक दूसरे से जुटे हुए हैं तथा नदी के निकट हैं। बछेडीह गांव भी केशो जलाशय के लिय अधिगृहित गांव के निकट है।
विपक्षी पक्षकार गवाह सं॰ 5 (ललन प्रसाद सिंह)	उसने स्वीकार किया कि उसके विभाग ने केशो जलाशय के लिए आठ ग्रामों कुंडीधनवार, मसमोहना, कटाही, परनावा टांड़, पसीयाडीह, कैलाखंडर, टिकोपाड़ा एवं नीमाडीह का अधिग्रहण किया था। मूल्यांकन खतियान के आधार पर अधिगृहित भूमि का मूल्य आकलित किया गया था। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि बछेडीह गांव की दर 736 रुपये प्रति डिसमिल आकलित की गयी थी।

विपक्षी द्वारा पक्षकार प्रदर्शों के तौर पर अंकित दस्तावेज

प्रदर्श A	परनावा टांड़ गांव के लिए अपर समाहर्त्ता का आदेश पत्रक।
प्रदर्श A/1	टिकोपाड़ा गांव के लिए अपर समाहर्त्ता का आदेश पत्रक।
प्रदर्श A/2	कैलाखंडर गांव के लिए अपर समाहर्त्ता का आदेश पत्रक।
प्रदश। A/3	नीमाडीह गांव के लिए अपर समाहर्त्ता का आदेश पत्रक।
प्रदर्श A/4	कटाही गांव के लिए अपर समाहर्त्ता का आदेश पत्रक।

प्रदर्श A/5	भगतीयाडीह गांव के लिए अपर समाहर्त्ता का आदेश पत्रक।
प्रदर्श A/6	मसमोहना गांव के लिए अपर समाहर्त्ता का आदेश पत्रक।
प्रदर्श A/7	कुंडीधनवार गांव के लिए अपर समाहर्त्ता का आदेश पत्रक।
प्रदर्श B/1	टिकोपाड़ा गांव की विक्रय विवरणी तालिका।
प्रदर्श B/2	कैलाखंडर गांव की विक्रय विवरणी तालिका।
प्रदर्श B/3	नीमाडीह गांव की विक्रय विवरणी तालिका।
प्रदर्श B/4	कटाही गांव की विक्रय विवरणी तालिका।
प्रदर्श B/5	करीखोखो गांव की विक्रय विवरणी तालिका।
प्रदर्श B/6	मसमोहना गांव की विक्रय विवरणी तालिका।
प्रदर्श B/7	कुंडीधनवार गांव की विक्रय विवरणी तालिका।

21. आवेदक/अपीलार्थी के गवाहों के मौखिक साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि लगभग सभी गवाह दावा कर रहे हैं कि उनकी अधिगृहित जमीनें उपजाऊ थी तथा वे अपनी जमीन में केशो नदी से इसकी सिंचाई करके एक वर्ष में तीन फसलें उगाया करते थे। यह भी दावा किया गया है कि सभी गांव एक दूसरे से सटे हुए हैं तथा सभी गांवों की भूमि की प्रकृति, मूल्य एवं क्षमताएं लगभग एक समान हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कटाही गांव में अबरख की खान है। यह भी कथित किया गया है कि जमीनों का मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह भी कथित किया गया है कि गांव में एक अस्पताल, विद्यालय, पक्की सड़कें, खानें हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि गांव से होकर एक पक्की सड़क भी गुजरती है। आवेदकों में अधिकांश ने दावा किया कि 736 रुपये प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर पर्याप्त तथा युक्तिसंगत प्रतिकर है। उनमें से कुछ ने दावा किया कि वे 4,000-5,000/-रुपये की दर से प्रतिकर के हकदार हैं परन्तु वे अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में विफल रहे थे। जहां तक 736 रुपये प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर के दावे का सवाल है, जैसा कि पहले एल॰ आर॰ सं॰ 68 से 122 वर्ष 1990 में प्रदान किया गया था, यह न्यायालय पहले ही वह आदेश अपास्त कर चुका है, अतएव यह दर किसी पर्याप्त तथा अकाट्य साक्ष्यों के बिना स्वीकार नहीं की जा सकती है।

22. जहां तक दस्तावेजी साक्ष्यों का सवाल है; यह प्रतीत होता है कि आवेदकों ने अपने दावों के समर्थन में कई विक्रय-विलेख पेश किये हैं। विक्रय-विलेख सं॰ 8580 दिनांक 7.7.1987 के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि सरकार को 45,914/- रुपये में 23 डिसमिल जमीन बेची गयी थी। प्रदर्श 1/1 बछेडीह गांव का विक्रय विलेख संख्या 9054 दिनांक 7.11.1984 है जिसके द्वारा वर्ष 1984 में 5,000/- रुपये में 10 डिसमिल जमीन बेची गयी थी। मसमोहना गांव के लिए दाखिल प्रदर्शों के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि प्रदर्श 2/1 द्वारा विक्रय-विलेख सं॰ 272 दिनांक 9.1.1987 की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी थी जिसके द्वारा मसमोहना गांव की दो डिसमिल जमीन 3,000/- रुपये में बेची गयी थी। प्रदर्श 2/B विक्रय-विलेख सं॰ 4426 दिनांक 19.5.1988 है जिसके द्वारा मसमोहना गांव की आठ डिसमिल जमीन 8,000/- रुपये में बेची गयी थी। प्रदर्श 2/C विक्रय-विलेख सं॰ 9513 दिनांक 10.12.1985 है जिसके द्वारा मसमोहना गांव की एक डिसमिल जमीन 500/- रुपये में बेची गयी थी। प्रदर्श 2/B विक्रय-विलेख संख्या 8083 दिनांक 10.9.1984 है जिसके द्वारा मसमोहना गांव की चार डिसमिल जमीन 2,000/- रुपये में बेची गयी थी। प्रदर्श 2/E विक्रय-विलेख सं॰ 8921 दिनांक 29.11.1986 है जिसके द्वारा मसमोहना की 10½ डिसमिल जमीन 5,000/- रुपये में बेची गयी थी। प्रदर्श 2/F विक्रय-विलेख संख्या 10220 दिनांक 21.12.1984 है जिसके द्वारा मसमोहना गांव की 13 डिसमिल जमीन 6,000/- रुपये में बेची गयी थी। मुख्य मामले, अर्थात, 779/92 (समूह मामले) में,

प्रदर्श 4A आवेदकों द्वारा दाखिल विक्रय-विलेख सं॰ 8940 दिनांक 5.8.87 है जिसके द्वारा 14 डिसमिल जमीन 8,500/- रुपये में बेची गयी थी। प्रदर्श 4B विक्रय-विलेख 5915 दिनांक 10.4.1987 है जिसके द्वारा 2,000/- रुपये में 3.25 डिसमिल जमीन बेची गयी थी। प्रदर्श 4C विक्रय-विलेख 7953 दिनांक 16.9.88 है जिसके द्वारा 4 डिसमिल जमीन 6,000/- रुपये में बेची गयी थी।

23. अधिगृहित भूमि के मूल्यांकन के अभिनिर्धारण के संबंध में, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 1986 पंजाब एवं हरियाणा** में रिपोर्ट किये गये **पंजाब राज्य बनाम पोहू एवं अन्य** के मामले में दिये गये पूर्ण पीठ के निर्णय को आधार बनाया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां विभिन्न संव्यवहारों से संबंधित विक्रय विलेखों पर सरकार की ओर से भरोसा किया गया था, उच्चतम मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतरण विलेख को शेष के मुकावले वरीयता दी जानी चाहिए, जबतक कि भिन्न मार्ग को औचित्यपूर्ण बनाने वाली प्रबल परिस्थिति न हो। इस न्यायालय का यह मत है कि विक्रय-विलेख सं॰ 8580 (प्रदर्श 1) के अधीन दी गयी दर विचार में नहीं ली जा सकती है इस कारण कि इसे दूरभाष केन्द्र के निर्माण के लिये सरकार को अंतरित किया गया था तथा जमीन की अवस्थिति भी मुख्य सड़क से सटी हुई थी। इस न्यायालय की यह भी राय है कि बहुत छोटे प्लॉटों के विक्रय-विलेख में दी गयी दर को भी विचार में लिये जाने की आवश्यकता नहीं है इस कारण कि छोटे प्लॉट की दर निश्चित रूप से भूमि के एक बड़े टुकड़े की दर से उच्चतर होगी। प्रतिकर के आकलन के लिये कम से कम 10 डिसमिल या इससे अधिक के क्षेत्रफल वाली भूमि के विक्रय-क्रय के उदाहरणों की दर को विचार में लिये जाने की आवश्यकता है। विक्रय-विलेख सं॰ 9054 द्वारा किये गये सौदे में, वर्ष 1984 में प्रति डिसमिल 500/- रुपये की दर प्रदान की गयी थी तथा विक्रय-विलेख सं॰ 9821 के माध्यम से किये गये सौदे में वर्ष 1986 में 500/- रुपये प्रति डिसमिल की दर प्रदान की गयी थी तथा विक्रय-विलेख संख्या 10220 के माध्यम से किये गये संव्यवहार में वर्ष 1984 में 460/- रुपये प्रति डिसमिल की दर प्रदान की गयी थी तथा विक्रय-विलेख संख्या 9840 के माध्यम से किये गये सौदे में वर्ष 1987 में 607 रुपये प्रति डिसमिल की दर प्रदान की गयी थी। चूँकि भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1987 में किया गया था, प्रतिकर निर्णीत करने के लिये वर्ष 1987 में प्रचलित दर सुसंगत होगी। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य का संचयी प्रभाव यह है कि यह भूमि के अधिग्रहण का एक ऐसा मामला है जो अस्पताल, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, मुख्य सड़क जैसी नागरिक सुख-सुविधाओं वाले क्षेत्रों द्वारा घिरे एक युक्तिसंगत रूप से उत्तम स्थान पर अवस्थित हैं तथा निकट के क्षेत्रों में विकास की गतिविधियाँ भी चल रही थीं। यह स्पष्ट है कि अधिगृहित भूमि के आवासीय या औद्योगिक उद्देश्यों के लिये विकसित किये जाने की संभावना थी क्योंकि क्षेत्र में अबरख की खाने हैं। अबरख की खानें, अधिगृहित भूमि से होकर पक्की सड़क गुजरने, अस्पताल, विद्यालयों जैसी भूमि की क्षमताओं तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि भूमि उपजाऊ थी तथा अधिगृहित भूमि में सिंचाई की सुविधाएँ भी उपलब्ध थीं, अतएव, एक वर्ष में भूमि में मूल्य वृद्धि 15 प्रतिशत होगी। सभी चार विलेखों की औसत का पता लगाने के लिये, प्रति डिसमिल उस दर को लिये जाने की आवश्यकता है जो 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि के उपरान्त वर्ष 1987 में प्रचलित थी अर्थात, 725, 575, 667 एवं 607 थी। इसका औसत प्रति डिसमिल लगभग 645/- रुपये या 650/- रुपये आता है। यह दर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित दर के काफी निकट प्रतीत होती है जो वरीय पदाधिकारी की समितियों द्वारा आकलित की गयी थी।

24. यहां यह भी उल्लिखित करना सुसंगत है कि पंचखेरो जलाशय योजना के लिये, एक ही प्रखंड, अर्थात, कोडरमा जिला में मरकाचो प्रखंड में से कुछ जमीनों का अधिग्रहण किया गया था तथा इस उद्देश्य के लिये भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन 23 मार्च, 1988 को अधिसूचना निर्गत की गयी थी। इस न्यायालय ने उक्त अधिग्रहण से उद्भूत अपीलों से निपटते हुए मूल डिक्री संख्याओं 150

से 181 वर्ष 1992 (आर०) से हुई अपील में 18 दिसंबर, 2003 को निर्णय दिया था, उक्त निर्णय की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि भी अभिलेख पर है। उक्त निर्णय में, अधिगृहित जमीनों का बाजार मूल्य 66,000/- रुपये प्रति एकड़, अर्थात, 660/- रुपये प्रति डिसमिल की दर से आकलित तथा अभिनिर्धारित किया गया था तथा तद्नुसार, विद्वान विशेष भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं अधिनिर्णय उपांतरित किया गया था। यह प्रतीत होता है कि उक्त निर्णय एक ही प्रखंड के भीतर की जमीनों के संबंध में था जिनकी समरूप स्थिति तथा समरूप आस-पास की परिस्थितियाँ थीं एवं अधिग्रहण की प्रकृति भी समरूप थीं। उक्त निर्णय के पैराओं 12 एवं 13 के परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने तथ्यों तथा परिस्थितियों के समरूप समूह से उद्भूत होने वाली प्रथम अपीलों से निपटते हुए प्रतिकर का अभिनिर्धारण करते समय जमीनों की अवस्थिति, महत्व, संभावनाएँ तथा उद्देश्य एवं उक्त जमीनों द्वारा धारित विशेष अनूकुलता से जुड़े विशेष महत्व तथा उक्त जमीन की क्षमताओं समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया था। यह प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा सरकारी कार्यालयों, अबरख की खानों, विद्यालयों इत्यादि का होना तथा ऐसी गतिविधियों के कारण मूल्य के कारक जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा गया था। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि पूर्वोल्लिखित निर्णय, जो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, प्रतिकर के अभिनिर्धारण के लिये विद्वान अवर न्यायालय के लिये एक मार्गदर्शक कारक था, विशेषकर तक जब जमीन की प्रकृति लगभग समरूप थी और वह भी एक ही प्रखंड के भीतर। उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय भी विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष था तथा अतएव, इस न्यायालय द्वारा पहुँचे गये सम्परीक्षणों एवं निष्कर्षों पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था, जो प्रकटतः इस मामले में उचित ढंग से नहीं किया गया था। इससे भी बढ़कर, इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है क्योंकि इसे आगे नहीं ले जाया गया है या उच्चतर मंच पर चुनौती नहीं दी गयी है इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकार ने इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अधिनिर्णय को स्वीकार कर लिया है। इन परिस्थितियों के अधीन, मूल डिक्री सं० 150 से 181 वर्ष 1992 (आर०) से हुई अपील में इस न्यायालय द्वारा लिये गये दृष्टिकोण पर प्रथम अपीलों के प्रस्तुत समूह में विचार किये जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय में किये गये सम्परीक्षणों के आलोक में भूमि तथा इसकी क्षमता के संबंध में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क पर भी विचार किये जाने की आवश्यकता है। यह प्रतीत होता है कि विद्वान अवर न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए एक समरूप मामले में इस न्यायालय द्वारा किये गये सम्परीक्षणों को विचार में लेने में विफल रहा है। विद्वान अवर न्यायालय आवेदकों द्वारा दाखिल विक्रय विलेखों का भी मूल्यांकन करने में विफल रहा था। राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, जिसके द्वारा उन्होंने विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश को न्यायसंगत ठहराने का प्रयास किया था, को उपरोक्त कथित कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पूर्व उदाहरण का अनुसरण किये जाने की आवश्यकता होती है अगर ये तथ्यों एवं परिस्थितियों के समरूप समूह से संबंधित हैं, परन्तु प्रस्तुत मामले में, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इसपर उपयुक्त रूप से विचार नहीं किया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि अवर न्यायालय ने अपीलार्थीगण के समर्थन में अभिलेख पर उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्यों, जिसमें मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों हैं, के बावजूद केशो जलाशय योजना के भूमि खोने वालों को औचित्यहीन राशि अधिनिर्णीत की है। इससे भी बढ़कर, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल लिखित निवेदनों से यह भी प्रतीत होता है कि उपायुक्त, कोडरमा (एकमात्र प्रत्यर्थी) की अध्यक्षता के अधीन तथा उनके नेतृत्व वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने वर्तमान अपीलार्थीगण को 660/- रुपये प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर की अनुशंसा किया है, जो पंचखेड़ो जलाशय परियोजना के भूमि खोने वालों को किये गये भुगतान के समतुल्य है। यह भी प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने दिनांक 9.10.2010 का एक पत्र निर्गत किया है यह घोषित करते

हुए कि केशो जलाशय परियोजना के भूमि खोने वाले (अपीलार्थीगण) पंचखेड़ो जलाशय परियोजना के भूमि खोने वालों के तुल्य अधिगृहित भूमि के विरूद्ध 660/- रु० प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर प्राप्त करेंगे। यह भी तथ्य है कि कोडरमा जिला में उसी प्रखंड मरकाछो की सीमाओं के भीतर समरूप सार्वजनिक उद्देश्य के साथ प्रत्यर्थी राज्य द्वारा केशो जलाशय परियोजना तथा पंचखेड़ो जलाशय परियोजना के उद्देश्य के लिये प्रश्नाधीन भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह भी प्रतीत होता है कि इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, अधिगृहित भूमि के विरूद्ध प्रतिकर के संबंध में विवाद के समाधान के लिये काफी कुछ किया गया है। अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थीगण भी एक समय पंचखेड़ो जलाशय परियोजना के भूमि खोने वालों को किये गये भुगतान के समतुल्य प्रतिकर की राशि स्वीकार करने पर सहमत हो गये थे परन्तु किसी कारणवश उक्त प्रस्ताव राज्य की मुकदमा नीति के अस्तित्व में आने के बावजूद अंतिम समाधान तक नहीं पहुँच सका था।

अतएव, अब यह न्यायालय इसमें ऊपर परिचर्चा किये गये अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर सतर्क रूप से विचार करने के उपरान्त न्याय के हित में तथा भूमि खोने वालों/अपीलार्थीगण के बीच न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रति एकड़ 66,000/- रुपये, अर्थात, प्रति डिसमिल 660/- रुपये का प्रतिकर प्रस्तुत मामले में युक्तिसंगत एवं पर्याप्त प्रतिकर है।

25. तद्नुसार, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा अधिनिर्णय को उपरोक्त सीमा तक उपांतरित किये जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार, अधिगृहित जमीनों का बाजार मूल्य 66,000/- रुपये प्रति एकड़, अर्थात, 660/- रुपये प्रति डिसमिल आकलित किया जाता है। इसके अलावा अपीलार्थीगण 1984 के संशोधित अधिनियम के अनुसार जमीन के कब्जे की तिथि से भुगतान तक ब्याज तथा अधिनियम के अधीन प्रदत्त 30 प्रतिशत की दर से तोषण के भी हकदार हैं। आक्षेपित निर्णय तथा अधिनिर्णय उपरोक्त सीमा तक उपांतरित किया जाता है।

26. आक्षेपित निर्णयों तथा अधिनिर्णयों में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ, प्रथम अपीलों के इस समूह को निस्तारित किये जाने का आदेश किया जाता है। प्रत्यर्थीगण को 13 नवम्बर, 2013 को या इसके पहले अधिनिर्णीत राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिकर के नाम पर पहले ही जमा की गयी राशि, अगर कोई हो, का समायोजन करने के उपरान्त अधिनिर्णीत राशि जमा की जायेगी। राशि जमा करने के उपरान्त अपीलार्थीगण 19 नवम्बर, 2013 को या इसके पहले अधिनिर्णीत राशि के वितरण के लिये यथोचित आवेदन दाखिल करेंगे तथा राशि के वितरण के लिये उक्त आवेदनों को 23 नवम्बर, 2013 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जायेगा। भुगतान करने के समय इस न्यायालय की रजिस्ट्री अधिनिर्णीत राशि के आधार पर न्यायालय शुल्क की कमी की कटौती करेगी। न्यायालय शुल्क की कमी की पहले प्रतिकर के भुगतान के समय कटौती की जायेगी। निर्णय की प्रतिलिपि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

---

ekuuh;k vkjñ ckueFkh] e[; U;k;k/kh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

सेठ जयेन्द्रभाई शांतिलाल शाह एवं अन्य

cuke

श्री आर० के० जैन एवं अन्य

L.P.A. No. 445 of 2012. Decided on 30th January, 2014.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 39 नियम 2A सह-पठित धारा 100A—न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971—धारा 10— व्यादेश के आदेश का भंग–जहाँ डिक्री के अपीलीय आदेश से अपील सुनी जाती है एवं उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा विनिश्चित की जाती है, तो उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष आगे अपील नहीं की जा सकती है–चूँकि अवमान याचिका को खारिज करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 27.8.2012 को पारित किया गया था, भले ही प्रथम अपील में दिनांक 31.10.1991 को यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था, सी॰ पी॰ सी॰ में 2002 संशोधन की दृष्टि में एल॰ पी॰ ए॰ वर्जित होगा–अपोषणीय के रूप में एल॰ पी॰ ए॰ खारिज किया गया। (पैराएँ 14 से 16)

निर्णयज विधि.–AIR 2003 SC 189—Relied; (2004) 11 SCC 672—Distinguished; (1997) 3 SCC 462; (1996)1 SCC 49—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. R.N. Sahay, For the Appellants; None, For the Respondents.

आर॰ बानुमथी, न्यायामूर्ति.–यह एल॰ पी॰ ए॰ एफ॰ ए॰ सं॰ 145/1990 (आर॰) में पारित दिनांक 31.10.1991 के आदेश के उल्लंघन के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXXIX नियम 2A सह-पठित न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 10 के अधीन दाखिल आवेदन को खारिज करने वाले दिनांक 27.8.2012 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

2. दिनांक 31.10.1991 का आदेश एफ॰ ए॰ सं॰ 145/1990 (आर॰) में पारित किया गया था जिसमें वाद भूमि मौजा पारसनाथ हिल के खाता सं॰ 25, भूखंड सं॰ 27 से संबंधित है। जब प्रथम अपीलें लंबित थी, अपीलार्थीगण ने पारित अंतरिम आदेश के अभिकथित उल्लंघन के लिए और विरोधी पक्षकारों को दंडित करने के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन एम॰ जे॰ सी॰ सं॰ 349/1996 (आर॰) दाखिल किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह पाते हुए कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXXIX नियम 2A के प्रावधानों के अधीन अथवा न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अधीन विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए और कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, आवेदन खारिज कर दिया।

3. अपीलार्थी का मामला यह है कि विरोधी पक्षकारों ने दिनांक 31.10.1991 और दिनांक 28.9.1992 के न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है और अस्थायी व्यादेश के आदेश और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के उल्लंघन के लिए न्यायालय का अवमान करने के दायी हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विस्तारपूर्वक मामले के तथ्यों को निर्दिष्ट किया है और इसलिए, संपूर्ण तथ्य का विवरण देना आवश्यक नहीं है। इसपर गौर करना पर्याप्त है कि एफ॰ ए॰ सं॰ 145/1990 (आर॰) को अन्य संबंधित प्रथम अपीलों के साथ निपटाया गया था। उससे उद्भूत होने वाली लेटर्स पेटेन्ट अपीलों अर्थात् एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 332/1997 (आर॰) के साथ एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 333, 334, 335, 336 और 346 वर्ष 1997 (आर॰) को भी निपटाया गया था और याचीगण एवं अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिकाओं अर्थात् एस॰ एल॰ पी॰ सं॰ 25572-25576 वर्ष 2004 और किसी रत्नेश कुमार जैन एवं एक अन्य द्वारा दाखिल प्रति विशेष अनुमति याचिका अर्थात् एस॰ एल॰ पी॰ (सिविल) सं॰ 2818-2819 वर्ष 2005 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त दिनांक 1 अगस्त, 2012 के अद्यतन सूचना के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित दर्शाया गया है।

4. जब लेटर्स पेटेन्ट अपील ग्रहण के लिए आया, न्यायालय ने अपील की पोषणीयता के संबंध में प्रश्न किया था। पोषणीयता के प्रश्न पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों को सुना गया।

5. यह निवेदन किया गया था कि एम॰ जे॰ सी॰ सं॰ 349/1996 (आर॰) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश मूल अधिकारिता के प्रयोग में पारित किया गया था, अत: एल॰ पी॰ ए॰ पोषणीय है। आगे यह निवेदन किया गया था कि आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश XLIII नियम 1 (r) अपील प्रावधानित करता है। यह निवेदन भी किया गया था कि

सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 104 की उपधारा (1) लेटर्स पेटेन्ट व्यावृत्त करती है और न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में लेटर्स पेटेन्ट अपील का लाभ लिया जा सकता है। अपीलार्थीगण का मुख्य प्रतिवाद यह है कि सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 104 की उपधारा (1) के फलस्वरुप लेटर्स पेटेन्ट सहित संविधि के अधीन प्रावधानित अपीलों को व्यावृत्त किया गया है, अत: सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के संबंध में लेटर्स पेटेन्ट के अधीन अपील पोषणीय है।

6. विचारार्थ संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन दाखिल आवेदन खारिज करते हुए एम॰ जे॰ सी॰ सं॰ 349/1996 (आर॰) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय है?

7. एम॰ जे॰ सी॰ सं॰ 349/1996 (आर॰) एफ॰ ए॰ सं॰ 145/1990 (आर॰) और अन्य अपीलों में पारित दिनांक 31.10.1991 और दिनांक 28.9.1992 के यथास्थिति के आदेश के अभिकथित उल्लंघन के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन दाखिल किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXXIX नियम 2A के प्रावधानों के अधीन अथवा न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अधीन विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए और कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध आदेश XLIII नियम 1 (r) के अधीन अपील पोषणीय है। सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 100A, जैसा वर्ष 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, स्पष्ट एवं विनिर्दिष्ट निबंधनों में लेटर्स पेटेन्ट में अंतर्विष्ट किसी चीज के बावजूद एकल न्यायाधीश के डिक्री और निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध खंडपीठ के समक्ष आगे अपील को प्रतिषिद्ध करती है। सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 100A का पठन निम्नलिखित है:–

> *"100A- **dN ekeyk e vkx vihy dk u gkuk-**&fdlh mPp U;k;ky; d fy, fdlh yVl iVUV e ;k fofèk dh cy j[ku okyh fdlh vU; fy[kr e ;k rRle; çoÙk fdlh vU; fofèk e fdlh ckr d gkr g, Hkh tgk fdlh vihyh fMØh ;k vkn'k dh vihy dh luokb vkj mldk fofu'p; mPp U;k;ky; d fdlh ,dy U;k;kèkh'k }kjk fd;k tkrk g ogk ,lh vihy e ,l ,dy U;k;kèkh'k d fu.k; vkj fMØh dh vkx dkb vihy ugh gkxhA**"*

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 100A के बावजूद, जैसा संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अंत:स्थापित किया गया है, धारा 104 (1) मूल आदेश से अपील प्रावधानित करती है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 104 की उपधारा (1) लेटर्स पेटेन्ट अपील व्यावृत्त करती है और सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 100A और धारा 104 (2) का पठन लेटर्स पेटेन्ट के खंड 10 के अधीन अपील की पोषणीयता के संबंध में वर्जना सृजित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **पी॰ एस॰ सथप्पन (मृत) एल॰ आर॰ द्वारा बनाम आंध्र बैंक लि॰ एवं अन्य, (2004)11 SCC 672,** मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय में प्रश्न यह था कि क्या (सी॰ पी॰ सी॰ संशोधन अधिनियम 22 वर्ष 2002 द्वारा सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 100A के संशोधन के पहले) अपीलीय अधिकारिता में बैठे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेन्ट अपील पोषणीय है। उक्त मामले में, डिक्रीत राशि की वसूली के लिए न्यायालय नीलामी की वैधता को चुनौती दी गयी थी और इसे मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया था। लेटर्स पेटेन्ट के खंड 15 के निबंधनानुसार अपीलार्थी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 104 (2) के निबंधनानुसार आदेश XLIII नियम 1 (j) सह-पठित धारा 104 के अधीन अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं थी, लेटर्स पेटेन्ट अपील खारिज कर दिया। संविधान

के अनुच्छेद 133 के निबंधनानुसार योग्यता का प्रमाण पत्र पूर्ण पीठ द्वारा प्रदान किया गया था। जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रखा गया था, इसने **न्यू केनिलवर्थ होटल, (1997)3 SCC 462 और रेशम सिंह प्यारा सिंह, (1996)1 SCC 49,** में सर्वोच्च न्यायालय के द्वि-न्यायाधीश पीठ के निर्णयों के बीच मतभेद को ध्यान में लिया और मामला वृहत पीठ को निर्दिष्ट किया। चूँकि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 104 सह-पठित आदेश XLIII नियम 1 उच्च न्यायालय के अंतर्गत वृहत पीठ को अपील की अतिरिक्त शक्ति प्रदत्त करती है। सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 104 (2) केवल उस धारा के अधीन अपील में पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों को वर्जित करती है और इस प्रकार सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 104 (2) किसी प्रवृत्त विधि द्वारा अनुज्ञेय अपील वर्जित नहीं करती है।

10. उक्त निर्णय वर्तमान मामले पर प्रयोज्य नहीं है, चूँकि एम॰ जे॰ सी॰ सं॰ 349/1996 (आर॰) में आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 27.8.2012 को पारित किया गया था, आक्षेपित आदेश सी॰ पी॰ सी॰ संशोधन 2002 के बाद धारा 100A द्वारा शासित होता है।

11. यद्यपि पी॰ एस॰ सथप्पन मामले में उक्त निर्णय सी॰ पी॰ सी॰ संशोधन अधिनियम 2002 के पूर्व के मामले से उद्भूत हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 100A जैसा वर्ष 2002 में संशोधित किया गया है के प्रभाव पर विचार किया और (2002 के बाद) धारा 100A को निर्दिष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

> *^^lh0 ih0 lh0 dh èkkjk 100A l] tSlk o"k 1976 e vr%LFkkfir fd;k x;k g] ;g n[kk tk ldrk g fd tc foèkkueMy u yVl iVUV vihy dk vioftr djuk pkgk] blu fofufn"Vr% ,lk fd;k iu% èkkjk 100A l] tSlk o"k 2002 e l'kkfèkr fd;k x;k g] ;g n[kk tk ldrk g fd foèkkueMy u fofufn"V viotu çkoèkkfur fd;k gA ;g dFku djuk gkxk fd vc èkkjk 100A d QyLo#i oreku ekey d rF;k e yVl iVUV vihy ik"k.kh; ugh gkxhA fdr] ;g LohÑr voLFkk g fd fofèk tk çpfyr gkxh] çklfxd le; ij fofèk gkxhA çklfxd le; ij u rk èkkjk 100A u vkj u gh èkkjk 104 (2) u yVl iVUV vihy oftr fd;kA èkkjk 100A e ç;Dr 'kCn foiy lrdrk d :i e ugh gA o"k 1976 vkj o"k 2002 d l'kkèku vfèkfu;ek }kjk fofufn"V viotu çkoèkkfur fd;k x;k g D;kfd foèkkueMy tkurk Fkk fd ,l 'kCnk dh vuifLFkfr e yVl iVUV vihy oftr ugh gkxhA foèkkueMy bll voxr Fkk fd blu èkkjk 104 (1) e 0;kofr [kM lfEefyr fd;k Fkk vkj lh0 ih0 lh0 dh èkkjk 4 lfEefyr fd;k FkkA bl çdkj] fofufn"V viotu çkoèkkfur fd;k x;k FkkA*
>
> *vr%] rF;k ij enkl mPp U;k;ky; d yVl iVUV d [kM 15 d vèkhu vihy rRle çoÙk fofèk }kjk çkoèkkfur vihy gA vr%] èkkjk 104 (2) }kjk vuè;kr vfrerk ,lh fofèk d vèkhu ikfjr vihy l lc) ugh gkrh FkhA***

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XLIII नियम 1 (r) के अधीन अपील सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन दाखिल आवेदन को खारिज करते और अवमान याचिका को ग्रहण करने से इनकार करते हुए पारित आदेश के विरुद्ध पोषणीय है।

13. जैसा पहले इंगित किया गया है, सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन आवेदन एफ॰ ए॰ सं॰ 145/1990 (आर॰) में दाखिल किया गया था। सी॰ पी॰ सी॰ संशोधन 2002 के बाद, अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आगे अपील नहीं हो सकती है।

14. सी॰ पी॰ सी॰ संशोधन अधिनियम 2002 का प्रभाव यह है कि जहाँ अपीलीय आदेश अथवा डिक्री से अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनी और विनिश्चित की जाती है, उच्च

न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील नहीं होती है। संशोधन अधिनियम की धारा 100A में शब्द ''आगे अपील नहीं होगी'' अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि दिनांक 1.7.2002 के बाद दाखिल अपील के संबंध में आगे अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। इस संबंध में, हम **सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ, AIR 2003 SC 189,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लाभदायी रूप से निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"15. èkkjk 100A nk çdkj d ekeyk ij fopkj djrh g ftUg ,dy U;k;kèkh'k }kjk fofuf'pr fd;k x;k gA igyk og g tgk ,dy U;k;kèkh'k vihyh; fMØh vFkok vkn'k l vihy lurk gA ,l ekey e vkx fdlh vihy dk ç'u vuè;kr ugh fd;k tk ldrk g vkj u gh fd;k tkuk pkfg,A fdr] tgk fopkj.k U;k;ky; d fMØh d fo#) mPp U;k;ky; d le{k vihy nkf[ky dh tkrh g] ç'u mnHkr gk ldrk g fd D;k vkx dkb vihy dh vuefr nh tkuh pkfg, ;k ughA oreku e Hkh] ekey d eY; ij fuHkj djr g, ey fMØh l vihy mPp U;k;ky; d ,dy U;k;kèkh'k }kjk vFkok [kMihB }kjk lquh tkrh gA tgk bl çdkj nkf[ky fu;fer çFke vihy [kMihB }kjk lquh tkrh g] vrjk U;k;ky; vihy gku dk ç'u mnHkr ugh gkrk gA doy ,l ekeyk e tgk eY; lkjoku ugh g] mPp U;k;ky; fu;ekoyh fu;fer çFke vihy dk ,dy U;k;kèkh'k }kjk luk tkuk çkoèkkfur dj ldr gA ,l ekey e tgk vrxLr jkf'k uke ek= g] [kMihB d le{k vihy dk vfrfjDr vfèkdkj oLrr% vuko';d :i l dke dk ck> c<kuk gkxkA ge ugh ikr g fd vrjk&U;k;ky; vihy ugh çkoèkkfur dju d fy, okndkjk ij dkb çfrdyrk dkfjr gkxh] ogk Hkh tgk vrxLr eY; cMk gA ,l ekey e] mPp U;k;ky; fu;ek }kjk çkoèkkfur dj ldrk g fd [kMihB fu;fer çFke vihy luxkA bl çdkj èkkjk 100A d l'kkfèkr çkoèkku e xyrh ugh ik;h tk ldrh gA**

15. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि एम॰ जे॰ सी॰ सं॰ 349/1996 (आर॰) में पारित आदेश दिनांक 27.8.2012 को पारित किया गया था, एफ॰ ए॰ सं॰ 145/1990 (आर॰) में यथास्थिति का आदेश दिनांक 31.10.1991 को पारित किया गया था जो संशोधन अधिनियम 2002 के पहले था, अत: लेटर्स पेटेन्ट अपील पोषणीय है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का उक्त प्रतिवाद स्वीकार्य नहीं है। संशोधन 2002 द्वारा प्रतिस्थापित सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 100A आक्षेपित आदेश को अपनी परिधि में तह के भीतर लाएगी। वर्तमान मामले में, चूँकि आक्षेपित आदेश दिनांक 27.8.2012 को पारित किया गया था, भले ही एफ॰ ए॰ सं॰ 145/1990 (आर॰) में यथास्थिति आदेश दिनांक 31.10.1991 को पारित किया गया था, लेटर्स पेटेन्ट अपील 2002 संशोधन की दृष्टि में वर्जित होगी।

16. सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 100A के फलस्वरुप विधानमंडल में विनिर्दिष्ट अपवर्जन प्रावधानित किया है कि लेटर्स पेटेन्ट अपील पोषणीय नहीं होगी, अत: इस एल॰ पी॰ ए॰ को अपोषणीय के रूप में खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

तुला देवी एवं अन्य

cuke

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि॰ एवं अन्य

Misc. Appeal No. 73 of 2006. Decided on 17th January, 2014.

मोटर यान अधिनियम, 1988—धारा 163A—दुर्घटना में मृत्यु–मृतक लगभग 21 वर्षीय महाविद्यालय का छात्र था–अधिकरण द्वारा, 1,72,000/- रुपयों का मुआवजा अधिनिर्णीत किया गया–मृतक बच्चों को ट्यूशन देकर 1500-1600/- रुपया प्रति माह अर्जित कर रहा था–अधिकरण ने मृतक की भावी संभावना की संगणना करते हुए मृतक की कुल आय में 50% अतिरिक्त जोड़ना होगा–सतरह का गुणक लागू करके मुआवजा की राशि 2,55,000/- रुपया बढ़ायी गयी। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.–(2012) 6 SCC 421; 2012 (3) TAC 1; 2013 (3) TAC 697—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Atanu Banerjee, For the Appellants; M/s Alok Lal, Shiv Prasad Mahto, For the Respondents.

आदेश

यह अपील दावा केस सं० 91 वर्ष 1993 के संबंध में विद्वान मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 5 सितंबर, 2005 के उस निर्णय और अधिनिर्णय के विरुद्ध मृतक बिनोद कुमार महतो उर्फ बीरेन्द्र कुमार महतो की माता, पिता और भाई द्वारा दाखिल की गयी है जिसके द्वारा दावेदारों के पक्ष में 1,72,000/- रुपयों की राशि अधिनिर्णीत की गयी है और विद्वान अधिकरण ने उस तरीके को भी उपदर्शित किया है जिसमें राशि दावेदार (मृतक की पत्नी) और भाई सहित माता–पिता के बीच प्रभाजित की जाएगी।

2. दावा आवेदन के पीछे तथ्य ये हैं कि विनोद कुमार महतो उर्फ बीरेन्द्र कुमार महतो दिनांक 30 जनवरी, 1993 को अपने मित्रों के साथ रजिस्ट्रेशन सं० डब्ल्यू० जी० आई० 92 वाली एम्बेसडर कार में यात्रा कर रहा था और वह कैथा से राँची जा रहा था। जब वाहन पाल नर्सिंग होम, रामगढ़ के पास पहुँचा, उपेक्षापूर्ण और लापरवाह तरीके से चलाए जा रहे रजिस्ट्रेशन सं० पी० बी० 10 बी० 9530 वाले ट्रक ने एम्बैसडर कार को धक्का मारा जिसके परिणामस्वरुप मृतक और सहयात्रियों ने उपहति प्राप्त किया और घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गयी। यह प्रकट किया गया है कि मृत्यु के समय मृतक की आयु लगभग 21 वर्ष थी और वह महाविद्यालय का छात्र था। अध्ययन के अतिरिक्त, वह ट्यूशन भी देता था उसकी मासिक आमदनी 1500-1600/- रुपया थी। मृतक की पत्नी सरिता देवी ने अपने पति बिनोद कुमार महतो उर्फ बीरेन्द्र कुमार महतो की मृत्यु जो सड़क दुर्घटना में हुई के विरुद्ध मुआवजा प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल किया। मृतक के माता–पिता, छोटे भाई–बहन को दावा आवेदन में पक्षकार बनाया गया था। नोटिस तामील किए जाने के बाद विरोधी पक्षकार यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लि० उपस्थित हुआ और अपना कारण बताओ दाखिल किया किंतु वाहन का स्वामी और चालक उपस्थित नहीं हुए थे और विचारण न्यायालय एकपक्षीय रूप से उनके विरुद्ध अग्रसर हुआ।

3. दिनांक 15.2.2000 को विवाद्यक विरचित किए गए थे और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज ग्रहण करने के बाद अधिकरण इस निष्कर्ष पर आया है कि मृतक के आश्रितगण 1,72,000/- रुपयों के मुआवजा के हकदार हैं और इसे आक्षेपित निर्णय में उपदर्शित तरीके से वितरित करने का निर्देश दिया गया था।

4. अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दावेदार मोस्मात सरिता देवी, जिसे इस अपील में विरोधी पक्षकार/प्रत्यर्थी सं० 2 बनाया गया है, ने दिनांक 7.7.2000 को पुनर्विवाह किया और अब वह मृतक की विधवा नहीं है। विद्वान अधिकरण ने सही प्रकार से प्रत्यर्थी बीमा कंपनी को उसको 25,000/- रुपया का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, अधिकरण ने गलत

रूप से मृतक की वार्षिक आय निर्धारित और आवेदन की तिथि से राशि पर ब्याज प्रदान नहीं करके गलती किया है।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 2 मोस्मात सरिता देवी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि घटना की तिथि पर वह मृतक की पत्नी थी और वह सात वर्षों तक अपने ससुरालवालों के साथ रही। चूँकि भाग्यहीन सरिता देवी अपनी कम आयु में विधवा हो गयी, उसने अपने संबंधियों एवं मित्रों के सुझाव और मध्यक्षेप से विवाह किया। इस आवेदन का वाद हेतुक दिनांक 30 जनवरी, 1993 को उद्भूत हुआ और उस तिथि पर वह मृतक की पत्नी थी और अपने पति की मृत्यु के बाद वह विधवा थी और इसलिए, वह अपने पति विनोद कुमार महतो उर्फ बीरेन्द्र कुमार महतो की मृत्यु के बदले मुआवजा की हकदार है।

6. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस अपील को मुख्यत: अधिनिर्णीत राशि के प्रभाजन के लिए दाखिल किया गया है किंतु अब अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अधिनिर्णीत राशि को बढ़ाने का विवाद्यक उठा रहे हैं और मुआवजा राशि पर ब्याज के भुगतान का दावा भी कर रहे हैं। उन्होंने अपील मेमो के प्रार्थना अंश की ओर मेरा ध्यान खींचा है जिसमें अपीलार्थी ने केवल आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए प्रार्थना किया है और इस न्यायालय के समक्ष कोई आदेश जो न्याय करने के लिए समुचित प्रतीत होता हो, पारित करने के लिए आगे प्रार्थना किया है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अधिनिर्णीत राशि पर ब्याज दिए जाने के विरुद्ध जोरदार आपत्ति किया है। उन्होंने निवेदन किया है कि अधिकरण ने सही प्रकार से ब्याज की अनुमति से इनकार किया है और निर्णय में आधार उपलब्ध है और इस पर चर्चा की गयी है। आवेदन वर्ष 1993 में दाखिल किया गया था जो ग्रहण के लिए वर्ष 1997 तक लंबित रहा। दिनांक 15.2.2000 को विवाद्यक विरचित किए गए थे किंतु दावेदार का साक्ष्य केवल वर्ष 2005 में बन्द किया गया था। परिस्थितियाँ उपदर्शित करती हैं कि दावेदार ने मामले के निपटान में विलंब किया और उसके लिए प्रत्यर्थी बीमा कंपनी को दायी अभिनिर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। आगे यह इंगित किया गया है कि अधिकरण ने सही प्रकार से मृतक की वार्षिक आय पर विचार किया है और यह दावेदार द्वारा दिए गए साक्ष्य पर आधारित था।

7. मैंने आक्षेपित निर्णय और मेरे समक्ष प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया है। यह दावेदारगण का स्वीकृत मामला है कि मृतक महाविद्यालय का छात्र था और उसकी मासिक आय के संबंध में प्रमाण पत्र अभिलेख पर नहीं लिया गया है। दावेदार द्वारा दिया गया साक्ष्य सुझाता है कि मृतक बच्चों को ट्यूशन देकर 1500-1600/- रुपया प्रतिमाह अर्जित कर रहा था। अधिकरण ने 15,000/- रुपया वार्षिक अभिप्रायात्मक आय लिया है और उक्त राशि से एक तिहाई काटने के बाद, जो मृतक द्वारा अपने उपर उपगत की गयी थी, 17 का गुणक लागू करके आश्रितता की संगणना की है।

8. विद्वान अधिकरण ने **(2012)6 SCC 421; 2012 (3) TAC 1 संतोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कं॰ लि॰ एवं अन्य,** में निर्णय की दृष्टि में मृतक की भावी संभावना पर विचार नहीं किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समय काल में मृतक की कुल आयु में वृद्धि के लिए 30% अतिरिक्त बढ़ोतरी को लागू करना होगा। आगे, **राजेश एवं अन्य बनाम राजबीर सिंह, 2013 (3) TAC 697,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्वनियोजित व्यक्ति अथवा नियत मजदूरी वाले व्यक्ति के मामले में, जहाँ पीड़ित की आयु 40 वर्ष से नीचे थी, मृतक की भावी संभावना की संगणना

करते हुए मृतक की कुल आयु में 50% और जोड़ना होगा। अत: यदि 15,000/- प्रति वर्ष की अभिप्रायात्मक आय, जैसा एम॰ वी॰ अधिनियम की धारा 163A के अधीन उपदर्शित किया गया है, ली जाती है और भावी संभावना की ओर उस आय का 50% जोड़ा जाता है, वार्षिक आय 22,500/- रुपया होगी और मृतक के निजी खर्च पर एक तिहाई काटने के बाद आश्रितता की हानि की संगणना करने के लिए वार्षिक आय 15000/- रुपया होगी। यदि 17 का गुणक लिया जाता है, मुआवजा राशि 2,55,000/- रुपया होगी। अत: दावेदारगण विनोद कुमार महतो उर्फ विरेन्द्र कुमार महतो की मृत्यु के बदले 2,55,000/- रुपयों का मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं।

9. प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने ब्याज के भुगतान के बिंदु पर जोरदार आपत्ति किया है। यह विवादित नहीं है कि विवाद्यक दिनांक 15.2.2000 को विरचित किया गया था और इसलिए, यथा संभव शीघ्र अग्रसर होना न्यायालय का कर्तव्य था। चूँकि हमारे समक्ष अभिलेख उपलब्ध नहीं है, यह पता नहीं लगाया जा सकता था कि मामले के निपटान में विलंब के लिए किसकी गलती है किंतु तथ्य बना रहता है कि मामले के निपटान में ऐसे विलंब के लिए दावेदारों को पीड़ित नहीं होना होगा। इन परिस्थितियों में, विवाद्यक विरचित करने की तिथि अर्थात् दिनांक 15.2.2000 से 2,55,000/- रुपयों की अधिनिर्णीत राशि के साथ 6% वार्षिक की दर पर ब्याज का भुगतान दावेदारों को किया जाएगा। चूँकि मृतक की माता और पत्नी जीवित हैं और वे वर्ग 1 विधिक उत्तराधिकारी हैं, राशि उनके बीच वितरित की जानी चाहिए। यह भी अभिलेख पर लाया गया है कि दावेदार-विरोधी पक्षकार सं॰ 2 का दर्जा उस तिथि पर बदल गया था जिस पर निर्णय उद्घोषित किया गया था और उस तिथि पर वह मृतक विनोद कुमार महतो उर्फ विरेन्द्र कुमार महतो की विधवा नहीं रही थी। क्योंकि उसने पुनर्विवाह कर लिया था, अत: अधिनिर्णीत राशि निम्नलिखित तरीके से वितरित की जाएगी:

विवाद्यक विरचित करने की तिथि से 6% वार्षिक दर पर ब्याज के साथ 75,000/- रुपयों का भुगतान प्रत्यर्थी सं॰ 2 (मृतक की तत्कालीन विधवा) को किया जाएगा।

यदि 25000/- रुपयों, जैसा आक्षेपित निर्णय में उपदर्शित किया गया है, का भुगतान पहले ही प्रत्यर्थी सं॰ 2 मोस्मात सरिता देवी को किया जा चुका है, उस स्थिति में 25000/- रुपयों की उक्त राशि काटी जाएगी और ब्याज के साथ शेष राशि का भुगतान उसको किया जाएगा।

विवाद्यक विरचित करने की तिथि से 6% वार्षिक दर पर ब्याज के साथ 1,80,000/- रुपयों की शेष मुआवजा राशि का भुगतान मृतका की माता अर्थात् अपीलार्थी सं॰ 1 तुला देवी को किया जाएगा। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि 1,47,000/- रुपया, जैसा आक्षेपित निर्णय में उपदर्शित किया गया है, का भुगतान पहले ही मृतक के माता-पिता और भाई को किया जा चुका है, वह 1,80,000/- रुपयों की उक्त राशि का भाग निर्मित करेगा और इसे काटा जाएगा यदि इसका भुगतान कर दिया गया है। उस स्थिति में ब्याज के साथ शेष राशि 33,000/- रुपया का भुगतान किया जाएगा जैसा उपर उपदर्शित किया गया है।

10. अंतरिम मुआवजा, यदि एम॰ भी॰ अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसका भुगतान किया गया है, भी कुल मुआवजा राशि का भाग निर्मित करेगा। यदि इसका भुगतान किया गया है, इसे उपर संगणित मुआवजा राशि से काटा जाएगा।

11. इन संप्रेक्षणों एवं उपांतरणों के साथ दावा केस सं॰ 91 वर्ष 1993 के संबंध में विद्वान मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 5 सितंबर 2005 के निर्णय और अधिनिर्णय को आश्रितता की संगणना, मुआवजा की कुल राशि और प्रभाजन के तरीके की सीमा तक अपास्त किया जाता है। जहाँ तक अन्य पहलूओं का संबंध है, जिन पर अवर न्यायालय द्वारा चर्चा की गयी है, अभिपुष्ट किया जाता है।

ekuuh; vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

सत्य नारायण यादव

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 5857 of 2012. Decided on 27th January, 2014.

झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001—धारा 58 (1)—धारा 58 (1) की शक्तिमत्ता को चुनौती–झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के प्रावधान का विरोध इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि एक अन्य अधिनियम में जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने के लिए भिन्न प्रावधान है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–M/s Altmas Khan, Sudhir Kumar, Ranjit Kumar Singh, For the Petitioner; Mr. Rajesh Shankar, For the Respondents.

आदेश

झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 58(1) की शक्तिमत्ता को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. याची जिला परिषद्, गढ़वा का उपाध्यक्ष है। दिनांक 21.8.2012 को अध्यक्ष, जिला परिषद् गढ़वा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था जिसमें 42 सदस्यों ने भाग लिया था। जिला परिषद् 44 सदस्यों से गठित है जो निर्वाचित और नामांकित सदस्यों को सम्मिलित करती है। अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने वाले 42 सदस्यों में से 26 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 12 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया। पूर्वोक्त तथ्यों की दृष्टि में याची झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 58 (1) के प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष आया है कि प्रस्ताव का समर्थन करने वाले तीन चौथाई सदस्यों की आवश्यकता अधिनियम के पूर्व प्रावधान के अनुकूल नहीं है और बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुकूल भी नहीं है।

3. झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 49 (1) के अधीन परिकल्पित जिला परिषद् के गठन का विवरण देते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। यह कथन किया गया है कि अधिनियम की धारा 49 (2) प्रावधानित करती है कि जिला परिषद् के समस्त सदस्यों को जिला परिषद् की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 58(1) के अधीन प्रावधान अधिकारातीत है क्योंकि यह धारा 55 की उपधारा (ii) के अनुरुप नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में तीन चौथाई सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान करने की आवश्यकता बिहार एवं आंध्र प्रदेश अधिनियम में अंतर्विष्ट समरुप प्रावधानों के अनुकूल नहीं है और इसलिए झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 58 (1) के अधीन प्रावधान अधिकारातीत घोषित किए जाने का दायी हैं। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि चूँकि केवल निर्वाचित सदस्यों ने जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया है, नामांकित सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस प्रकार, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 58 (1) के अधीन प्रावधान विखंडित किए जाने के दायी है।

5. विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री राजेश शंकर ने निवेदन किया है कि वर्तमान रिट याचिका भ्रामक है। अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को चुनौती देने की ओट में वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है। अधिनियम की धारा 49 (2) और धारा 54 के अधीन प्रावधान पर विश्वास करते हुए प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद अस्वीकार किए जाने का दायी है क्योंकि उक्त प्रावधान स्पष्टत: उपदर्शित करता है कि निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्यगण जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को निर्वाचित करने के हकदार हैं और वे जिला परिषद् की बैठकों में भाग लेने एवं मतदान करने के हकदार हैं।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं पक्षों की ओर से किए गए परस्पर विरोधी प्रतिवादों के अधिमूल्यन पर हमारा मत है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 58 (1) के अधिकार को चुनौती देने के लिए याची द्वारा उठाया गया आधार भ्रामक है। जिला परिषद् का गठन निम्नलिखित सम्मिलित करता है:–

"49 (1) (a) ftyk e {k=h; fuokpu {k=k l çR;{k :i l fuokfpr lnL; tlk vfèkfu;e d vèkhu fofuf'pr fd;k x;k g(

(b) ftyk e leLr ipk;r lfefr;k d çe[k ijUr ;g fd ipk;r lfefr dk çe[k] tk ifj"kn d vèkhu lnL; g] èkkjk 72 d vèkhu LFkk;h dfeVh dk lnL; ugh gkxk(

(c) ykdlHkk ,o jkT; foèkkulHkk d ,l lnL; tk ftyk d fdlh Hkkx vFkok ij dk çfrfufèkRo djr g vkj ftudk fuokpu {k= ftyk d vrxr vkrk g(

(d) jkT; lHkk d lnL; ftUg ftyk d vrxr fuokpd d :i e nt fd;k x;k g(

ijUr ;g fd ;fn lln vFkok jkT; foèkku eMy dk dkb ,lk lnL;] tk ftyk ifj"kn dk lnL; g] vuifLFkfr] chekjh vFkok fdlh vU; dkj.k l fdlh cBd e mifLFkr gku e v{ke g] og cBd e mifLFkr gku d fy, viu ,l çfrfufèk dk ukekfdr dj ldrk g ftld ikl bld fy, fofgr ,lh vgrk, g(

*(e) jkT; ljdkj }kjk vfèklpuk }kjk ukekfdr fd, tku d fy, ftyk ifj"kn dk ,d çfrf"Br 0;fDrA***

7. झारखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 54 प्रावधानित करती है कि विहित प्राधिकारी द्वारा आहूत बैठक में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाएगा। धारा 54 से प्रकट है कि निर्वाचित और नामांकित सदस्य दोनों जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए बैठक में भाग लेंगे। झारखंड अधिनियम, 2002 का 07, द्वारा धारा 49 को संशोधित किया गया था और उपधारा (2) अंत: स्थापित की गयी है जो प्रावधानित करती है कि जिला परिषद् के समस्त सदस्यों को जिला परिषद् की बैठकों में मतदान करने का अधिकार होगा।

8. वर्तमान रिट याचिका में, याची ने अभिवचन किया है कि जिला परिषद् के केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही मतदान करने का अधिकार होना चाहिए था और इस प्रकार याची अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने से समस्त अन्य सदस्यों का अपवर्जन इप्सित कर रहा है। याची द्वारा किया गया अभिवचन अधिनियम की धाराओं 54 और 49 (2) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के उल्लंघन में है। याची ने झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 49(2) और धारा 54 में अंतर्विष्ट प्रावधान को चुनौती नहीं दिया है।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 68 (4) के अधीन प्रावधान पर विश्वास करते हुए प्रतिवाद किया कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 58 (1) के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान मनमाना और भेदभावपूर्ण है। हम याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिवाद में सार नहीं पाते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के प्रावधान का विरोध इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि एक अन्य अधिनियमन में जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाने के लिए भिन्न प्रावधान है।

9. परिणामस्वरुप, यह रिट याचिका विफल होती है और तद्नुसार खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

चंदन राज चौधरी उर्फ चंदन राय चौधरी (1537 में)

नंद किशोर चौधरी एवं एक अन्य (802 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (दोनों में)

Cr. M.P. Nos. 1537 of 2010 with Cr. M.P. No. 802 of 2013. Decided on 20th January, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 498A/34—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—क्रूरता–संज्ञान–सूचक और याची पति के बीच विवाह से यह अभिवचन करते हुए इनकार किया जा रहा है कि याची पति का विवाह पहले एक अन्य महिला के साथ हुआ था और विवाह के अस्तित्वयुक्त रहने के दौरान सूचक और याची पति के बीच लिव-इन संबंध विकसित हुआ–इन समस्त तथ्यों को विचारण के दौरान विनिश्चित करने की आवश्यकता है–संज्ञान लेने वाले आदेश को और उन्मोचन से इनकार करने वाले आदेश को भी अभिखंडित करने की आवश्यकता नहीं है–आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 13 एवं 14)

अधिवक्तागण.–M/s P.C. Tripathy, (in 802) and Anil Kumar (in 1537), For the Petitioners; A.P.P., For the State; Mr. P.A.S. Pati, For the O.P. No.2.

आदेश

पक्षों को सुना गया।

2. इन दोनों आवेदनों को सरायकेला पी॰ एस॰ केस सं॰ 6 वर्ष 2010 (जी॰ आर॰ सं॰ 26 वर्ष 2010) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही सहित दिनांक 19.7.2010 के आदेशों, जिसके द्वारा इन तीनों याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A/34 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया था, के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

3. याची-पति चंदन राज चौधरी की ओर से दाखिल दांडिक एम॰ पी॰ सं॰ 1537 वर्ष 2010 में अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल किया गया है जिसके द्वारा उन्मोचन अस्वीकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गयी है। दांडिक एम॰ पी॰ सं॰ 802 वर्ष 2013 में याचीगण अर्थात नंद किशोर चौधरी और श्रीमती शकुंतला देवी क्रमश: ससुर और सास हैं।

4. पक्षों की ओर से किए गए निवेदन पर विचार करने के पहले अभियोजन मामले को ध्यान में लेने की आवश्यकता है।

5. अभियोजन मामला यह है कि सूचक और याची चंदन राज चौधरी उर्फ चंदन राय चौधरी के बीच टेलको में भुवनेश्वरी मंदिर में प्रेम विवाह संपन्न किया गया था। विवाहोपरांत सूचक याची पति के

साथ अपने ससुराल में रहने लगी। एक वर्ष तक सब कुछ सामान्य था किंतु तत्पश्चात जब पिता-पुत्र के बीच मतभेद उद्भूत हुआ, उसे पति द्वारा एक अन्य स्थान पर रहने के लिए ले जाया गया था, जहाँ विवाह संबंध से उनको एक पुत्र हुआ। तत्पश्चात, उसका पति पटना में रहने लगा। जब कभी वह जमशेदपुर आता था, वह उसे अपने पिता के घर ले जाता था जहाँ सास-ससुर उससे कहते थे कि वे उसे अपने घर में रहने की अनुमति तब देंगे जब वह दहेज लाएगी। वे उसे मानसिक यातना के अध्यधीन भी करते थे। ऐसा अनेक अवसरों पर हुआ। इस बीच पति भी उसका दुश्मन हो गया और उसे यातना के अध्यधीन करने लगा।

6. समय क्रम में, सूचक को सरायकेला स्थानांतरित किया गया था जहाँ याची पति उसके पास आने लगा। अगले दिन याची पति और अन्य अभियुक्तगण सरायकेला पुलिस केंद्र आए जहाँ उन्होंने सूचक को अपने पति का साथ छोड़ने के लिए धमकी दिया क्योंकि वह पहले से ही विवाहित था जिसमें विफल रहने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी।

7. ऐसे अभिकथन पर इन तीनों याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A/34 के अधीन और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन भी सरायकेला पी॰ एस॰ केस सं॰ 6 वर्ष 2010 दर्ज किया गया था।

8. बाद में, मामले की जाँच की गयी थी और जाँच के बाद न्यायालय ने इन तीनों याचीगण के विरुद्ध दिनांक 19.10.2010 के अपने आदेश के तहत अपराध का संज्ञान लिया जिसको इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी है।

9. याची पति चंदन राज चौधरी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार निवेदन करते हैं कि वस्तुत: याची पति पहले से ही विवाहित था और एक अन्य लड़की से विवाह करने के बाद ही सूचक याची चंदन राज चौधरी के संपर्क में आयी और बाद में उनके बीच लिव-इन संबंध विकसित हुआ और, इसलिए, सूचक को विधिवत ब्याहता पत्नी नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार, वह वर्तमान अभियोजन पोषित नहीं कर सकती है।

10. सास-ससुर के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ सी॰ त्रिपाठी निवेदन करते हैं कि अभिकथन के अनुसार यह प्रेम विवाह था बल्कि अन्य मामले के याची के मामले के मुताबिक यह लिव-इन संबंध था और उस स्थिति में यह उम्मीद नहीं की जाती है कि याचीगण सास-ससुर होने के नाते दहेज मांग करेंगे और इसे पूरा नहीं किए जाने के कारण सूचक को क्रूरता के अध्यधीन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरायकेला में वाद हेतुक प्रोद्भूत नहीं हुआ है और, इसलिए, सरायकेला में क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के कारण अभियोजन पोषित नहीं किया जा सकता है।

11. इसके विरुद्ध, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ ए॰ एस॰ पति निवेदन करते हैं कि याची पति की ओर से इस चरण पर बचाव लिया गया है कि वह पहले से ही विवाहित था जिस पर इस चरण पर विचार नहीं किया जा सकता है जबतक सूचक का यह विनिर्दिष्ट मामला है कि सूचक ने विधित: याची चंदन राज चौधरी के साथ विवाह किया था और वैवाहिक संबंध से उनको पुत्र का जन्म हुआ था और कि दूसरा विवाह जिसका दावा याची ने किया था वस्तुत: समय के बाद के बिंदु पर हुआ था और ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि सूचक अपना अभियोजन पोषित नहीं कर सकती है क्योंकि वह विधिवत ब्याहता पत्नी कभी नहीं थी।

12. आगे, यह निवेदन किया गया है कि सरायकेला में कुछ प्रत्यक्ष कृत्य किए गए हैं और तद्द्वारा सरायकेला के न्यायालय को मामले पर विचार करने की अधिकारिता है।

13. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि सूचक और याची के बीच विवाह से यह अभिवचन करते हुए इनकार किया जा रहा है कि याची पति पहले से ही एक अन्य महिला से विवाहित था और विवाह के अस्तित्वयुक्त रहने के दौरान सूचक और याची पति के बीच लिव-इन संबंध विकसित हुआ। इन समस्त तथ्यों को विचारण के दौरान विनिश्चित करने की आवश्यकता है और इसलिए यह संज्ञान लेने वाले आदेश को अभिखंडित करने का आधार नहीं हो सकता है। तद्नुसार, संज्ञान लेने वाले आदेश को और उन्मोचन अस्वीकार करने वाले आदेश को भी अभिखंडित करने की आवश्यकता नहीं है।

14. अत:, यह आवेदन खारिज किया जाता है।

15. किंतु, ये याचीगण समस्त अभिवचनों, जिन्हें इस आवेदन में किया गया है, को समुचित चरण पर अवर न्यायालय के समक्ष करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

चंद्रभूषण कुमार एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cont. (Civil) No. 635 of 2013. Decided on 18th January, 2014.

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971—धारा 12—न्यायालय का अवमान–न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अवमान कार्यवाही आरंभ करने के लिए प्रार्थना–अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि विरोधी पक्षकारों ने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अवज्ञा में जानबूझकर कृत्य नहीं किया है–उन्होंने अपनी ओर से शर्तहीन क्षमायाचना भी किया है–अभिकथित जानबूझकर की गयी अवज्ञा के लिए विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध अवमान कार्यवाही आरंभ करने का कारण नहीं है–याचिका खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–M/s Rajiv Ranjan, Sresth Gautam, For the Petitioners; M/s Jai Prakash, Rishi Pallav, For the Respondents.

अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति.–याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-विरोधी पक्षकारों के विद्वान ए० ए० जी० सुने गए।

2. अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 29.11.2013 के बाद विरोधी पक्षकारों की ओर से दिनांक 12.12.2013 को पूरक कारण बताओ दाखिल किया गया है। विद्वान ए० ए० जी० ने निवेदन किया कि याचीगण, जिन्हें राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया था और उपसचिव, क्रीड़ा, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 16.2.2013 के आदेश के तहत हटाया गया था, डब्ल्यू० पी० सी० सं० 1181 वर्ष 2013 में इस न्यायालय के पास आए थे। डब्ल्यू० पी० सी० सं० 1181 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 28.6.2013 के निर्णय के तहत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.2.2013 की अधिसूचना के अभिखंडन के अनुसरण में याचीगण ने दिनांक 2.7.2013 को पद ग्रहण किया था जिस पर विरोधी पक्षकारों द्वारा अथवा राज्य के किसी पदधारी द्वारा कोई आपत्ति

कभी नहीं की गयी है। इस प्रकार, यह प्रतिवाद कि विरोधी पक्षकारों–राज्य ने इस न्यायालय के निर्णय की अवज्ञा की है, सत्य नहीं है और इस न्यायालय के आदेश का पूर्ण अनुपालन किया गया है। विरोधी पक्षकारों ने शर्तहीन क्षमायाचना भी किया है और कथन किया है कि वे इस न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

3. विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने आगे निवेदन किया कि याची सं॰ 1 ने आयोग के अध्यक्ष की हैसियत में दिनांक 10.7.2013 को बैठक बुलाने के लिए दिनांक 2.7.2013 को पत्र जारी किया था। उन्होंने आयोग के सदस्य सचिव की नियुक्ति के लिए दिनांक 17.7.2013 को सचिव, क्रीड़ा, कला, संस्कृति, युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार को भी लिखा जो दिनांक 12.12.2013 को दाखिल कारण बताओ का परिशिष्ट–C और D है। यह कथन किया गया है कि याचीगण ने भी अवमान याचिका के पैरा 6 में स्वीकार किया है कि इस न्यायालय के निर्णय के बाद दिनांक 8.1.2013 की उनकी नियुक्ति की मूल सूचना प्रभावकारी बन गयी और, इसलिए, उन्होंने आवश्यक निर्देश देते हुए काम करना शुरू किया तथा युवा आयोग की बैठक बुलाने का सचिव को निर्देश दिया। विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने निवेदन किया है कि याचीगण दिनांक 20.11.2013 तक अपने पद पर बने रहे और वस्तुत: याचीगण को उस अवधि के लिए वेतन का भुगतान भी किया गया है। दिनांक 11.12.2013 का पत्र और याचीगण के पत्र में जारी चेकों को क्रमश: परिशिष्ट E, F और F/1 के रूप में संलग्न किया गया है। विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने यह निवेदन भी किया है कि यद्यपि दिनांक 28.6.2013 के निर्णय को चुनौती देती झारखंड राज्य द्वारा दाखिल सिविल पुनर्विलोकन सं॰ 55 वर्ष 2013 और 56 वर्ष 2013 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2013 को खारिज कर दिया गया था किंतु इस न्यायालय ने पैरा 18 पर स्पष्टत: संप्रेक्षित किया कि दिनांक 28.6.2013 के आक्षेपित निर्णय ने युवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में रिट याचीगण की मूल नियुक्ति से संबंधित विवाद्यक पर विचार नहीं किया था। इसने यह भी संप्रेक्षित किया कि उनको यह स्पष्ट करने के लिए कहते हुए कि क्यों नहीं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए क्योंकि वे उक्त पद के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड और अर्हता नहीं रखते हैं, झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.6.2013 का आक्षेपित निर्णय पारित किए जाने के बाद याचीगण पर तामील नोटिस विरोध करने के लिए प्रत्यर्थीगण के लिए स्वतंत्र वाद हेतुक है। इस न्यायालय ने उक्त पुनर्विलोकन याचिका में राज्य द्वारा किए गए ऐसे कार्य पर कोई टिप्पणी नहीं किया था और उक्त नोटिस के अनुसरण में मामले में कोई अंतिम निर्णय लेने से राज्य प्राधिकारी को अवरुद्ध करता अंतरिम आदेश रिक्त कर दिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि उनको सम्यक नोटिस और निजी सुनवाई का अवसर देने के बाद दिनांक 20.11.2013 की अधिसूचना के तहत अध्यक्ष और सदस्य के पद से याचीगण का पश्चातवर्ती हटाया जाना मुख्य रिट याचिका में अथवा पुनर्विलोकन याचिका में वाद हेतुक नहीं था। अत:, दिनांक 20.11.2013 की अधिसूचना के तहत इन याचीगण को हटाने की कार्रवाई इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अवज्ञा का कृत्य नहीं कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने निवेदन किया है कि विरोधी पक्षकारों द्वारा इस न्यायालय के निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गयी है ताकि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ की जा सके। उन्होंने अन्यथा भी अपनी ओर से किसी अनवधानी के लिए इस न्यायालय के समक्ष शर्तहीन क्षमा याचना भी किया है। अत:, यह अवमान याचिका छोड़ दिए जाने योग्य है।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विरोधी पक्षकार दिनांक 28.6.2013 के निर्णय का अनुपालन करने का आशय नहीं रखते थे और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.2.2013 को हटाने का आदेश अभिखंडित किए जाने के बाद इन याचीगण को उनके पद पर पुनर्बहाल नहीं किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि याचीगण ने आर॰ टी॰ आई॰ के अधीन इन याचीगण की पुनर्बहाली

के संबंध में फाइल की गतिविधि पर विचार करने वाला नोट शीट प्राप्त किया है जो याचीगण द्वारा दिनांक 13.12.2013 को दाखिल प्रत्युत्तर के परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न है। यह निवेदन किया गया है कि फाइल पर नोटिंग्स का परिशीलन उपदर्शित करेगा कि विरोधी पक्षकार किसी चरण पर इन याचीगण को काम करने की अनुमति देने का आशय नहीं रखते थे और एक या दूसरे बहाने निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया था। पुनर्विलोकन याचिकाओं की खारिजी के बाद भी विरोधी पक्षकारों ने इन याचीगण को काम करने की अनुमति नहीं दी थी और उन्हें दिनांक 20.11.2013 की पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा हटाया गया था जो इस न्यायालय की जानबूझकर की गयी अवज्ञा का मामला है। यह निवेदन किया गया है कि विरोधी पक्षकारों ने दिनांक 8.1.2013 से दिनांक 20.11.2013 को उनको हटाए जाने तक की अवधि के लिए इन याचीगण को वेतन का अभिकथित रूप से भुगतान करने के नाम में चेकों को जारी करके निर्णय का झूठा अनुपालन दर्शाने का प्रयास किया है। किंतु, इन याचीगण के वेतन की उक्त संगणना भी प्रासंगिक नियमों के अनुरुप नहीं है। किसी भी सूरत में विरोधी पक्षकारों की कार्रवाई इस न्यायालय के निर्णय के विरोध में है जिसके लिए अवमान में उनके विरुद्ध अग्रसर होना चाहिए और उन्हें इसके लिए दंडित करना चाहिए।

5. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्रियों का परिशीलन करने के बाद निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं: इन याचीगण, जिन्हें प्रत्यर्थीगण झारखंड सरकार के अधीन संबंधित विभाग द्वारा जारी दिनांक 8.1.2013 की अधिसूचना द्वारा झारखंड राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, को झारखंड युवा आयोग नियमावली, 2012 के नियम 4 (vi) के अधीन शक्ति के प्रयोग में दिनांक 16.2.2013 की अधिसूचना के तहत हटाया गया था। इस न्यायालय ने पक्षों के परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर विचार करने के बाद आक्षेपित अधिसूचना को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में और याचीगण को सुनवाई का अवसर अथवा नोटिस दिए बिना अभिनिर्धारित करते हुए दिनांक 28.6.2013 के निर्णय के तहत अभिखंडित कर दिया। इसने अभिनिर्धारित किया कि प्रसन्नता के सिद्धांत का अवलंब लेते हुए 2012 नियमावली के नियम 4 (vi) के अधीन शक्ति के प्रयोग में आक्षेपित अधिसूचना उसमें चर्चा किए गए तथ्यों एवं कारणों से और प्रसन्नता के सिद्धांत के विस्तार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की दृष्टि में विधि में मान्य नहीं ठहराया जा सकता है।

6. यह प्रतीत होता है कि झारखंड राज्य ने उक्त निर्णय के विरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका सिविल पुनर्विलोकन सं॰ 55 वर्ष 2013 और 56 वर्ष 2013 इस आधार पर दाखिल किया कि रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान संबंधित दस्तावेजों को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया जा सका था। विरोधी पक्षकारों–प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 28.6.2013 का निर्णय पारित किए जाने के बाद याचीगण को यह स्पष्ट करने के लिए कहते हुए कि क्यों नहीं उन्हें उक्त पद के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड एवं अर्हता रखने में विफल होने के चलते उनके पद से क्यों नहीं हटा दिया जाए, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। किंतु इस न्यायालय ने दिनांक 22.10.2013 के निर्णय द्वारा पुनर्विलोकन याचिकाओं को अनुज्ञात करने के लिए कोई आधार नहीं पाया था जिन्हें खारिज कर दिया गया था। किंतु, निर्णय में संप्रेक्षित किया गया था कि रिट याचिकाओं में इस न्यायालय ने युवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में याचीगण की मूल नियुक्ति पर विचार नहीं किया था। पुनर्विलोकन याचिका खारिज करते हुए यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि नया कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना रिट याचीगण/प्रत्यर्थीगण के लिए विरोध करने के लिए स्वतंत्र वाद हेतुक था। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने प्रत्यर्थी राज्य द्वारा ऐसे कार्य पर टिप्पणी करने से परहेज किया और उक्त नोटिस के अनुसरण में मामले में कोई अंतिम निर्णय लेने से राज्य को अवरुद्ध करने वाला पहले पारित किया गया अंतरिम आदेश रिक्त कर दिया गया था।

7. यह प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस के अनुसरण में याचीगण को निजी सुनवाई का अवसर देने के बाद दिनांक 20.11.2013 की अधिसूचना द्वारा उनके पद से हटा दिया गया है। किंतु, दिनांक 20.11.2013 की अधिसूचना के तहत उनको हटाया जाना निश्चय ही रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰

1181 वर्ष 2013 को विनिश्चित करते हुए इस न्यायालय के समक्ष विवाद्यक नहीं था। यह प्रतीत होता है कि याचीगण ने आवश्यक निर्देश जारी करके और युवा आयोग की बैठक बुलाने के लिए विभाग के सचिव को निर्देश देते हुए काम करना शुरू किया। विरोधी पक्षकारों ने अपने कारण बताओ नोटिस में यह कथन भी किया है कि याचीगण को उनके पद से हटाने का आदेश अपास्त करने के बाद और याचीगण द्वारा अपना पद धारण करने के बाद विरोधी पक्षकारों अथवा किसी अन्य पदधारी ने इसके प्रति कोई आपत्ति कभी नहीं किया। किंतु, यह प्रतीत होता है कि विभाग में मामले पर विचार विमर्श किया जा रहा था और डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 1181 वर्ष 2013 में पारित निर्णय का पुनर्विलोकन इप्सित करते हुए पुनर्विलोकन याचिकाएँ दाखिल भी की गयी थी। इसके अतिरिक्त, उनको यह स्पष्ट करने के लिए कहते हुए कि क्यों नहीं उन्हें उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अध्यपेक्षित अर्हता नहीं रखने के लिए उनके पद से हटा दिया जाए, याचीगण को नया नोटिस भी जारी किया गया था। विरोधी पक्षकारों ने याचीगण को दिनांक 8.1.2013 से दिनांक 20.11.2013 जब उन्हें पद से हटा दिया गया था, तक अपने पद पर बने हुए के रूप में माना भी है। विरोधी पक्षकारों ने पूर्वोक्त अवधि के लिए याचीगण को वेतन का भुगतान भी किया है। ऐसी परिस्थितियों में, यद्यपि विरोधी पक्षकारों ने याचीगण के अनुरोध पर आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान नहीं करके शायद पर्याप्त रूप से प्रत्युत्तर नहीं दिया था किंतु यहाँ उपर चर्चा की गयी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में यह नहीं कहा जा सकता है कि विरोधी पक्षकारों ने डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 1181 वर्ष 2013 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अवज्ञा में जानबूझकर कृत्य किया है। उन्होंने अपनी ओर से शर्तहीन क्षमायाचना भी किया है।

8. अतः, पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, यह न्यायालय डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 1181 वर्ष 2013 में दिनांक 28.6.2013 को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अभिकथित जानबूझकर की गयी अवज्ञा के लिए विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध अवमान कार्यवाही आरंभ करने का कोई कारण नहीं पाता है। तद्नुसार, वर्तमान अवमान याचिका खारिज की जाती है और कार्यवाही समाप्त की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

नरेन्द्र कुमार महतो

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (Cr.) No. 68 of 2013. Decided on 24th January, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 82 एवं 83—गिरफ्तारी वारन्ट–फरार–प्रत्यर्थी के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारन्ट कभी संसूचित किया गया था और न ही इसे उसके ध्यान में लाया गया था कि उसकी जमानत रद्द कर दी गयी है और विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति आवश्यक है–आक्षेपित आदेश विधि के अनुरुप पारित नहीं किया गया है–आक्षेपित आदेश अपास्त। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Jai Shankar Tripathi, For the Petitioner; Mr. R. Mukhopadhyay, For the Respondents.

आदेश

इस दांडिक याचिका को इस न्यायालय से निर्देश इप्सित करने के लिए दाखिल किया गया है कि अभियुक्त अर्थात् राम भजन प्रसाद जो फरार है को गिरफ्तार किया जाय। दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 82 और 83 के अधीन गिरफ्तारी वारंट और आदेशिका जारी किया गया है किंतु पुलिस ने इसका अनुपालन नहीं किया है।

2. प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान में अभियुक्त राम भजन प्रसाद सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, चक्रधरपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम के रूप में चक्रधरपुर में पदस्थापित है।

3. परिवाद केस सं० 581 वर्ष 1998 के ऑर्डरशीट की प्रति परिशीलन के लिए प्रस्तुत की गयी है। ऑर्डरशीट का परिशीलन करने के बाद यह प्रतीत होता है कि संज्ञान के बाद अभियुक्त प्रत्यर्थी सं० 2 न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उसे जमानत प्रदान किया गया था। वह नियमित रूप से उपस्थित हो रहा था और आरोप के पहले साक्ष्य दर्ज किया गया था। आरोप विरचित करने के बाद मामला आरोप के बाद साक्ष्य के लिए लंबित था जो लंबे समय तक जारी रहा। अंततः, अभियोजन का साक्ष्य बंद किया गया था और अभियुक्त को स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था किंतु उसने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 21.7.2006 को उसका जमानत रद्द किया गया था और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। तत्पश्चात, पुलिस थाना के संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा उसमें यह उपदर्शित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कि अभियुक्त को कोडरमा स्थानांतरित किया गया है ताकि उसके नए पते पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सके। ऐसी सूचना पर अभियुक्त प्रत्यर्थी सं० 2 के विरुद्ध आदेशिका जारी की गयी थी किंतु उसकी पदस्थापना के स्थान का पता नहीं लगाया था और न ही उसका सही पता पाया गया था। मैं नहीं पाता हूँ कि दं० प्र० सं० की धाराओं 82 और 83 के अधीन जारी आदेशिका का ओ० पी० प्रत्यर्थी सं० 2 के विरुद्ध कभी निष्पादित की गयी थी। किंतु विचारण न्यायालय ने विधि की सही अवस्था पर विचार किए बिना अचानक दिनांक 12.4.2010 को आदेश जारी किया कि अभियुक्त लंबे समय से फरार है। परिवादी भी अनुपस्थित है और इसलिए, अभियुक्त प्रत्यर्थी सं० 2 अर्थात् राम भजन प्रसाद को फरार घोषित किया गया है और उसके विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया था।

4. ऑर्डरशीट के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं० 2 के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट संसूचित नहीं किया गया था और न ही उसके ध्यान में यह लाया गया था कि उसका जमानत रद्द कर दिया गया है और विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति आवश्यक है। दिनांक 12.4.2010 के आदेश के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि दं० प्र० सं० की धारा 299 के अधीन साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामला स्थगित नहीं किया गया था और न्यायालय के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर परिवादी को दिए बिना अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 12.4.2010 का आदेश विधि के अनुरुप पारित नहीं किया गया है और इसलिए, इसे अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को अभिलेखागार से मामले का अभिलेख वापस प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है और प्रत्यर्थी अभियुक्त सं० 2 राम भजन प्रसाद के विरुद्ध उसके वर्तमान और सही पता पर उसकी उपस्थिति के लिए आदेशिका जारी की जाएगी और विचारण विधि के अनुरुप होगा।

5. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एस० सी० II को भी डी० सी०, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा को संसूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि परिवाद मामला सं० 581 वर्ष 1998 में अभियुक्त प्रत्यर्थी सं० 2 अर्थात् रामभजन प्रसाद, सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, चक्रधरपुर, जिला पश्चिम सिंहभूम की उपस्थिति डालटेनगंज, पलामू में आवश्यक है ताकि वह मामला सं० सी० 581 वर्ष 1998 के विचारण और निपटान के लिए उपस्थित हो सकें। इस दांडिक रिट याचिका को आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, पूर्वोक्त निर्देशों के साथ इसे निपटाया जाता है।

6. अनुपालन एवं आवश्यक के लिए इस आदेश की प्रति एस० सी० II को दी जाए।